न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 101/2018

प्रार्थी

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी

(1) श्री सायरलाल बोराणा पुत्र श्री भंवरलाल बोराणा **(एफबीओ/मालिक)** मैसर्स–बोराणा डेयरी एण्ड प्रोविजन स्टोर, न्यू पाली रोड़, भगत की कोठी, जोधपुर, निवासी–न्यू पाली रोड, भगत की कोठी, जोधपुर

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 16.07.2018 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी फर्म :–मै. बोराणा डेयरी एण्ड प्रोविजन स्टोर, न्यू पाली रोड़, भगत की कोठी, जोधपुर में 5 किलोग्राम खाद्य पदार्थ पनीर आम जनता को विक्रय हेतु फ्रिजर में रखे थे। उक्त **पनीर** में से 1 किलोग्राम पनीर वास्ते जांच मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 380/– नगद देकर खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. उक्त 1 किलोग्राम **पनीर** को साफ चाकू से क्रश कर हिला–मिलाकर एक रूप कर चार प्लास्टिक की नमूना बोटल्स में बराबर–बराकर (250 ग्राम) मात्रा में डालकर प्रत्येक नमूना बोटल पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड़ व सीरियल नम्बर एम–1830 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एम–1830 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एम–1830 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाबा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि उक्त **पनीर** के चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एम–1830 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस/491/एक्ट/2018/510 दिनांक 25.07.2018 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ अमानक स्तर का होना पाया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एम–1830 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाईल करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।
4. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। वकील अप्रार्थी ने जवाब पेश किया तथा बहस की गई। बहस के दौरान वकील अप्रार्थी ने निवेदन किया की। अप्रार्थी लंबे समय से स्वयं की अमेरिकन नस्ल की गायों के दुध का विक्रय एवं उससे संबंधित वस्तुओं का विक्रय करता है। जिनके दुध में फैट की मात्रा कम होती है। अतः मामला खारिज फरमाया जावें।
5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। लेबोरेट्री की जाँच रिपोर्ट एलएस/491/एक्ट/2018/510 दिनांक 25.07.2018 का अवलोकन किया गया। यदि अप्रार्थीगण लेबोरेट्री की जाँच रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं थे तो रिपोर्ट के विरूद्ध अपील करने का अवसान था परंतु अप्रार्थीगण द्वारा इस कोई अपील नहीं की। लेबोरट्री की रिपोर्ट दिनांक 25.07.2018 के बिन्दू संख्या 1 मिल्क फैट का प्रतिशत 50 प्रतिशत होना चाहीए, जिसके स्थान पर रिजल्ट प्रतिशत 39.99 रहा अतः अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 के दोषी हैं। अप्रार्थी पर शास्ती रूपये 25000 अक्षरे रूपये पच्चीस हजार की आरोपित की जाती है। अभियुक्त अप्रार्थी उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक 08.07.2019 के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें तथा एक माह में

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक .....के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें तथा एक माह में राशि नहीं कराने पर एफएसओ अभिहित अधिकारी के माध्यम से खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 के तहत कार्यवाही सुनिश्चित करें।
निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर।

क्रमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2019/ **दिनांक :–**

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अभिहित अधिकारी संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन जोधपुर।
2. श्री राजेश टिंकर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन जोधपुर, राजस्थान खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 की पालना सुनिश्चित करें।
3. श्री खुशाल चंद जैन पुत्र स्व. श्री केसरी चंद जैन **(एफबीओ)** मैसर्स–एस.एस.टी. कंपनी शॉप नं. 11, मुंदित मेन्शन, पाल रोड़, जोधपुर।
4. श्रीमती सुनिता (मालिक) मैसर्स –एस.एस.टी. कंपनी, शॉप नं. 11, मुंदित मेन्शन, पाल रोड़, जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 86/2018

प्रार्थी

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी

(1) श्री खुशाल चंद जैन पुत्र स्व. श्री केसरी चंद जैन **(एफबीओ)** मैसर्स–एस.एस.टी. कंपनी शॉप नं. 11, मुंदित मेन्शन, पाल रोड़, जोधपुर। निवासी–डी–81, पार्श्वनाथ सिटी, सांगरिया बाईपास, जोधपुर।

(2) श्रीमती सुनिता (मालिक) मैसर्स –एस.एस.टी. कंपनी, शॉप नं. 11 मुदित मेन्शन, पाल रोड़, जोधपुर। निवासी–आनन्द भवन, पावटा, बी 2 रोड़, जोधपुर।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 23.11.2017 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी फर्म :–मै. –एस.एस.टी. कंपनी शॉप नं. 11, मुंदित मेन्शन, पाल रोड़, जोधपुर में 30 पाउच पैक प्रत्येक भरती 250 ग्राम खाद्य पदार्थ चाय (प्रथम) आम जनता को विक्रय हेतु रखे थे। उक्त **चाय (प्रथम)** के 8 पाउच प्रत्येक 250 ग्राम वजनी वास्ते जांच मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 440/– नगद देकर खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।

2. उक्त 250 ग्राम भरती के 8 पाउच **चाय (प्रथम)** के चारों नमूना भाग पर पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी. ओ.कोड़ व सीरियल नम्बर एडी–682 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एडी–682 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एडी–682 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।

3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाबा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि उक्त **चाय (प्रथम)** के चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एडी–682 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस/1173/एक्ट/2017/1172 दिनांक 05.12.2017 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ मिथ्याछाप होना पाया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एडी–682 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाईल करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।

4. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब पेश किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थीगण की बहस सुनी गई। बहस के दौरान जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी ने चाय विक्रय की है। जिसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं है। लेकिन चाय के पाउच पर ''बेस्ट बिफोर 12 मंथ'' छोटे अक्षरों में लिखा हुआ है। जो अपराध नहीं है अतः पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जावे।

5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। लेबोरेट्री की रिपोर्ट दिनांक 05.12.2017 का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी द्वारा रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया हुआ है तथा इन्हें रजिस्टर्ड पत्र क्रमांक 51–52 दिनांक 24.01.2018 द्वारा लेब की रिपोर्ट रजिस्टर्ड पत्र द्वारा भेजी गई। लेकिन इन्होंने निर्धारित अवधि में रेफरल लेब को जांच हेतु नहीं भिजवाया जाना पाया गया। अतः अप्रार्थीगण खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 52 के दोषी हैं। अप्रार्थीगण पर शास्ती रूपये ..... अक्षरे रूपये .....की आरोपित की जाती है। अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं

4. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब पेश किया गया। वास्ते बहस पत्रावली प्रसतुत हुई। बहस हेतु अप्रार्थीगण को अवाज लगाई गई परंतु अप्रार्थीगण की ओर बहस हेतु कोई उपस्थित नहीं। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने टंकण त्रुटि माना है। जिससे भविष्य में भुल सुधार हेतु निवेदन किया तथा अप्रार्थी संख्या 4, 5 व 6 ने भी टंकण त्रुटिवश गलती होना बताया जिसे भविष्य में सुधार लेंगे। अप्रार्थी संख्या 3 ने जवाब पेश नहीं किया अतः जवाब बंद किया गया। बहस हेतु पत्रावली में अनेक अवसर दिये गये लेकिन कोई उपस्थित नहीं आवाज लगाई गई। एकपक्षीय आदेश करना उचित प्रतीत होता है।

5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी 1, 2, 4, 5 व 6 के जवाब का अवलोकन किया। जिसमें उन्होंने टंकण त्रुटिवश मिथ्याछाप होना बताया है। पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट दिनांक 13.07.2017 का अवलोकन किया जिसमें नमूना खाद्य पदार्थ में लगे लेबल में बैच नं. व लिस्ट ऑफ इनग्रीडेण्टस अंकित नहीं होने के कारण खाद्यसुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 52 के अनुसार मिथ्याछाप होना सही साबित होता है।यदि अप्राथीगण लेबोरेट्री रिपोर्ट दिनांक 13.03.2018 से संतुष्ट नहीं थे तो वे उक्त लैब रिपोर्ट के विरूद्ध अपील कर सकते थे परंतु अप्रार्थीगण ने उक्त रिपोर्ट के विरूद्ध नियत समय में कोई अपील नहीं की। ऐसी स्थिती में अप्रार्थीगण ही खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 52 के दोषी हैं। अप्रार्थीगण 1 व 2 पर शास्ती रूपये ..... अक्षरे रूपये ....., अप्रार्थी 3 पर शास्ती रूपये ..... अक्षरे रूपये .... व अप्रार्थीगण 4 व 5 पर शास्ती रूपये ..... अक्षरे रूपये .....की आरोपित की जाती है। अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक .....के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें तथा एक माह में राशि नहीं कराने पर एफएसओ अभिहित अधिकारी के माध्यम से खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 के तहत कार्यवाही सुनिश्चित करें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर।

कमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2019/ **दिनांक :–**

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अभिहित अधिकारी मुख्य, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।
2. श्री संदीप अग्रवाल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर, राजस्थान खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 की पालना सुनिश्चित करें।
3. श्री दुष्यंत चौधरी पुत्र श्री बीरबल चौधरी, खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता फर्म–मै. जोधपुर डिपार्टमेंटल स्टोर, 99, ए, नियर हनुमान टेम्पल, न्यू पाली रोड़, भगत की कोठी, जोधपुर।
4. श्रीमती भंवरी देवी पत्नी श्री बलबीर चौधरी, मालिक मै. जोधपुर डिपार्टमेंटल स्टोर, 99, ए, नियर हनुमान टेम्पल, न्यू पाली रोड़, भगत की कोठी, जोधपुर।
5. श्री हनुमान सिंह राजपुरोहित पुत्र श्री दुर्ग सिह, मालिक मैसर्स वर्षा फूड प्रोडक्ट, ए/406, राजीव गांधी कॉलोनी, पाल लिंक रोड, जोधपुर–राजस्थान।

6- श्रीमती मीनाक्षी देवी भागीदार Firm :- C.M. Foods Sumerpur, Angor Indu, Area Angor Sumerpur, Dist. Pali.

7- श्रीमती कमलेश देवी कुमावत भागीदार Firm :- C.M. Foods Sumerpur, Angor Indu, Area Angor Sumerpur, Dist. Pali.

8- Firm :- C.M. Foods Sumerpur, Angor Indu, Area Angor Sumerpur, Dist. Pali.

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 49/2018

प्रार्थी

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी

(1) श्री दुष्यंत चौधरी पुत्र श्री बीरबल चौधरी, खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता फर्म–मै. जोधपुर डिपार्टमेंटल स्टोर, 99, ए, नियर हनुमान टेम्पल, न्यू पाली रोड़, भगत की कोठी, जोधपुर।

(2) श्रीमती भंवरी देवी पत्नी श्री बलबीर चौधरी, मालिक मै. जोधपुर डिपार्टमेंटल स्टोर, 99, ए, नियर हनुमान टेम्पल, न्यू पाली रोड़, भगत की कोठी, जोधपुर।

(3) श्री हनुमान सिंह राजपुरोहित पुत्र श्री दुर्ग सिह, मालिक मैसर्स वर्षा फूड प्रोडक्ट, ए/406, राजीव गांधी कॉलोनी, पाल लिंक रोड, जोधपुर–राजस्थान।

(4) श्रीमती मीनाक्षी देवी भागीदार Firm :- C.M. Foods Sumerpur, Angor Indu, Area Angor Sumerpur, Dist. Pali.

(5) श्रीमती कमलेश देवी कुमावत भागीदार Firm :- C.M. Foods Sumerpur, Angor Indu, Area Angor Sumerpur, Dist. Pali.

(6) Firm :- C.M. Foods Sumerpur, Angor Indu, Area Angor Sumerpur, Dist. Pali.

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 03.07.2017 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोन जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी फर्म :–मै. जोधपुर डिपार्टमेंटल स्टोर, 99, ए, नियर हनुमान टेम्पल, न्यू पाली रोड़, भगत की कोठी, जोधपुर में 8 पाउच प्रत्येक पाउच वजनी 400 ग्राम **आम का अचार (छगन मगन)** आम जनता को विक्रय हेतु रखे थे। उक्त **आम का अचार (छगन मगन) में से 400 ग्राम के 4 कुल 1600 ग्राम** वास्ते जांच मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 208/– नगद देकर खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।

2. उक्त 400 ग्राम के 4 पाउच **आम का अचार (छगन मगन)** के चारों मूल पाउच पर पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड़ व सीरियल नम्बर एम–1556 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एम–1556 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर कोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एम–1556 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।

3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाबा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि उक्त **आम का अचार (छगन मगन)** के चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एम–1556 की जॉच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जॉच रिपोर्ट एलएस/631/एक्ट/2017/632 दिनांक 13.07.2017 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ मिथ्याछाप होना पाया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एम–1556 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाईल करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।

अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक ..... के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें तथा एक माह में राशि नहीं कराने पर एफएसओ अभिहित अधिकारी के माध्यम से खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 के तहत कार्यवाही सुनिश्चित करें

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर।

क्रमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2019/ दिनांक :–

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

4. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर।
5. श्री रजनीश शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 की पालना सुनिश्चित करें।
6. श्री श्याम सोंलकी पुत्र श्री बाबुलाल सोंलकी उम्र 45 वर्ष **(एफबीओ/मालिक)** फर्म :– मैसर्स श्याम दूध, 152, विश्वकर्मा होस्टल, सुथारों की बगीची, मसूरिया, जोधपुर। निवासीः– 1/24, मिल्क मैन कॉलोनी, पाल रोड़, जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 84/2018

प्रार्थी

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी

1. श्री तारा चंद मेवाडा पुत्र श्री जीता राम मेवाडा **(विक्रता एवं मालिक)** फर्म :– मैसर्स पवन एजेन्सी, 2/1579, कुड़ी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर। निवासी– 27ए, गंगा विहार, श्याम दूध, 152, विश्वकर्मा होस्टल, सुथारों की बगीची, मसूरिया, जोधपुर। निवासीः– 1/24, मिल्क मैन कॉलोनी, पाल रोड़, जोधपुर।

आदेश

6. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 13.08.2018 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी फर्म – फर्म :– मैं. मैसर्स श्याम दूध, 152, विश्वकर्मा होस्टल, सुथारों की बगीची, मसूरिया, जोधपुर का निरीक्षण करने पर खाद्य पदार्थ गाय का दूध 90 लीटर एक स्टील टंकी में आम जनता को विक्रय हेतु रखा था। उक्त गाय के दूध में से 2 लीटर दूध वास्ते वास्ते जांच मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 80/– नगद देकर खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
7. खरीदशुदा गाय के दूध को हिला मिलाकर कर एक रूप चार प्लास्टिक की बोटल्स में बराबर–बराबर मात्रा (500–500 एमएल) में डालकर उन नमूना बोतल पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड़ व सीरियल नम्बर एम–1860 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। जिसे सील से नमूना एम–1860 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
8. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाबा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि गाय के दूध के चारों पैकेट के चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एम–1860 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस 595/एक्ट/2018/614 दिनांक 29.08.2018 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ **अमानक स्तर** का होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) धारा 52 का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एएम–1860 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट, रेफरल लेब मैसूर की जांच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाई करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।
9. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ।
10. पत्रावली का अवलोकन किया गया। लेबोरेट्री की रिपोर्ट दिनांक 29.08.2018 के अनुसार उक्त नमूना खाद्य पदार्थ गाय का दूध अमानक स्तर की श्रेणी में आता है। यदि अप्रार्थीगण लेबोरेट्री की रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं था तो नियत समयावधि में अपील करने का अवसन था परंतु अप्रार्थी द्वारा अपनी गलती स्वीकार करने से अप्रार्थीगण खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 51, 52 व 54 के दोषी हैं। जो जुर्माना योग्य अपराध है। अतः अप्रार्थीगण पर शास्ती रूपये ...../– अक्षरे रूपये .....की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त

अवसर था। जो आपने नहीं किया। अतः अप्रार्थी लैबोरेट्री की रिपोर्ट दिनांक 29.8.2018 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 51 का दोषी पाया जाता है। जो जुर्माना योग्य अपराध है। अतः अप्रार्थी पर शास्ती रूपये ...../– अक्षरे रूपये .....की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थी उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक ..... के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें तथा एक माह में राशि नहीं कराने पर एफएसओ अभिहित अधिकारी के माध्यम से खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 के तहत कार्यवाही सुनिश्चित करें

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर।

क्रमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2019/ दिनांक :–

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर।
2. श्री रजनीश शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 की पालना सुनिश्चित करें।
3. श्री श्याम सोंलकी पुत्र श्री बाबुलाल सोंलकी उम्र 45 वर्ष **(एफबीओ/मालिक)** फर्म :– मैसर्स श्याम दूध, 152, विश्वकर्मा होस्टल, सुथारों की बगीची, मसूरिया, जोधपुर। निवासीः– 1/24, मिल्क मैन कॉलोनी, पाल रोड़, जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 100/2018

प्रार्थी

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी

श्री श्याम सोंलकी पुत्र श्री बाबुलाल सोंलकी उम्र 45 वर्ष **(एफबीओ/मालिक)** फर्म :– मैसर्स श्याम दूध, 152, विश्वकर्मा होस्टल, सुथारों की बगीची, मसूरिया, जोधपुर। निवासीः– 1/24, मिल्क मैन कॉलोनी, पाल रोड़, जोधपुर।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 13.08.2018 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी फर्म – फर्म :– मैं. मैसर्स श्याम दूध, 152, विश्वकर्मा होस्टल, सुथारों की बगीची, मसूरिया, जोधपुर का निरीक्षण करने पर खाद्य पदार्थ गाय का दूध 90 लीटर एक स्टील टंकी में आम जनता को विक्रय हेतु रखा था। उक्त गाय के दूध में से 2 लीटर दूध वास्ते वास्ते जांच मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 80/– नगद देकर खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. खरीदशुदा गाय के दूध को हिला मिलाकर कर एक रूप चार प्लास्टिक की बोटल्स में बराबर–बराबर मात्रा (500–500 एमएल) में डालकर उन नमूना बोतल पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड़ व सीरियल नम्बर एम–1860 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। जिसे सील से नमूना एम–1860 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाबा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि गाय के दूध के चारों पैकेट के चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एम–1860 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस 595/एक्ट/2018/614 दिनांक 29.08.2018 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ **अमानक स्तर** का होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) धारा 52 का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एएम–1860 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट, रेफरल लेब मैसूर की जांच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाई करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।
4. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। जवाब पेश किया। अप्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। जवाब के तथ्यों को दौहराते हुए एफएसओं द्वारा नमूना सही नहीं लेने के कारण पुनः रिपोर्ट मंगवाने हेतु निवेदन कर एफएसओ द्वारा लगाये गये अरोपों को अस्वीकार किया।
5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। जवाब का अवलोकन किया। अप्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। बहस मे अधिवक्ता ने एफएसएल पुनः करवाकर रिपोर्ट मंगवाने हेतु निवेदन किया। जो वर्तमान में समय सीमा निर्धारण के पश्चात होने से अस्वीकार है। यदि पुनः परिक्षण कराया जाना था तो मुख्य चिकित्साधिकारी के पत्र क्रमांक 548 दिनांक 05.10.2018 को नियम 2.4.6 के अंतर्गत आपको दिये गये रजिस्टर्ड पत्र के तीस दिन में अपील करने का

को ही बहस मानते हुए अप्रार्थीगण लोक अदालत की भावना से जुर्म स्वीकार करने एवं कम से जुर्माना लगाने हेतु निवेदन किया है।

5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। लेबोरेट्री की रिपोर्ट दिनांक 20.03.2018 के अनुसार उक्त नमूना खाद्य पदार्थ सरसों का तेल (आशा फ्रेश) अमानक स्तर तथा मिथ्याछाप की श्रेणी में आता है। यदि अप्रार्थीगण लेबोरेट्री की रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं था तो नियत समयावधि में अपील करने का अवसन था परंतु अप्रार्थी द्वारा अपनी गलती स्वीकार करने से अप्रार्थीगण खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 51, 52 व 54 के दोषी हैं। जो जुर्माना योग्य अपराध है। अतः अप्रार्थीगण पर शास्ती रूपये ...../– अक्षरे रूपये .....की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक ..... के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें तथा एक माह में राशि नहीं कराने पर एफएसओ अभिहित अधिकारी के माध्यम से खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 के तहत कार्यवाही सुनिश्चित करें
निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर।

क्रमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2019/ दिनांक :–

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अभिहित अधिकारी एवं संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन जोधपुर।
2. श्री राजेश टिंकर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 की पालना सुनिश्चित करें।
3. श्री छितरपाल सिंह पुत्र श्री खींवराज सिंह राठौड़ (विक्रेता) मैसर्स–सैनिक किराणा एण्ड जनरल स्टोर, 187, प्रकाश निवास रसाला रोड़, पृथ्वीपुरा, जोधपुर निवासी–187, प्रकाश निवास, रसाला रोड़, पृथ्वीपुरा, जोधपुर।
4. श्री महेन्द्र सिंह राठौड़ (मालिक) मैसर्स–सैनिक किराणा एण्ड जनरल स्टोर, 187, प्रकाश निवास, रसाला रोड़, पृथ्वीपुरा, जोधपुर निवासी–187, प्रकाश निवास, रसाला रोड़, पृथ्वीपुरा, जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 92/2018

प्रार्थी

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जाने जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी

1. श्री छितरपाल सिंह पुत्र श्री खींवराज सिंह राठौड़ (विक्रेता) मैसर्स–सैनिक किराणा एण्ड जनरल स्टोर, 187, प्रकाश निवास रसाला रोड़, पृथ्वीपुरा, जोधपुर निवासी–187, प्रकाश निवास, रसाला रोड़, पृथ्वीपुरा, जोधपुर।
2. श्री महेन्द्र सिंह राठौड़ (मालिक) मैसर्स–सैनिक किराणा एण्ड जनरल स्टोर, 187, प्रकाश निवास, रसाला रोड़, पृथ्वीपुरा, जोधपुर निवासी–187, प्रकाश निवास, रसाला रोड़, पृथ्वीपुरा, जोधपुर।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 24.02.2018 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी फर्म – फर्म :– मैं. सैनिक किराणा एण्ड जनरल स्टोर, 187, प्रकाश निवास रसाला रोड़, पृथ्वीपुरा, जोधपुर का निरीक्षण करने पर खाद्य पदार्थ सरसों का तेल (आशा फ्रेश) 15 पैक्ड प्लास्टिक बोतल प्रत्येक 500 एम.एल. आम जनता को विक्रय हेतु रखा था। उक्त सरसों का तेल (आशा फ्रेश) में से 4 पैक्ड प्लास्टिक बोतल प्रत्येक का वजन 500 एम.एल वास्ते जांच मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 200/– नगद देकर खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. खरीदशुदा सरसों का तेल (आशा फ्रेश) की चारों मुल नमुना पैक्ड बोतल पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड़ व सीरियल नम्बर एडी–706 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। जिसे सील से नमूना एडी–706 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाबा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि सरसों का तेल (आशा फ्रेश) के चारों पैकेट के चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एडी–706 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस 208/एक्ट/2018/227 दिनांक 20.03.2018 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ अमानक स्तर व मिथ्याछाप का होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) धारा 52 का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एडी–706 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट, रेफरल लेब मैसूर की जांच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाई करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।
4. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रस्तुत किया। जवाब में अप्रार्थीगण ने न्यायालय को बताया कि अप्रार्थीगण छोटे फुटकर व्यापारी हैं जो बाजार से खुला सरसों का तेल खरीद कर चुहों व दिमकों से सुरक्षा की दृष्टि खाली पडी बोतलों में भरकर रखता है। उक्त सरसों को तेल विधिक कानुनी अज्ञानता वश अपनी दुकान के प्रचार हेतु से निवेदन किया बोतलों पर अपना नाम व फोन नं. अंकित करता है साथ ही जवाब

5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। लेबोरेट्री की रिपोर्ट दिनांक 10.05.2018 के अनुसार दही में फैट की मात्रा कम होने से अमानक की श्रेणी में आता है। यदि अप्रार्थी लेबोरेट्री की रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं था तो नियत समयावधि में अपील करने का अवसन था परंतु अप्रार्थी द्वारा अपनी गलती स्वीकार करने से अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 51 के दोषी हैं। जो जुर्माना योग्य अपराध है। अतः अप्रार्थीगण पर शास्ती रूपये ..... /– अक्षरे रूपये .....की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक ..... के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें तथा एक माह में राशि नहीं कराने पर एफएसओ अभिहित अधिकारी के माध्यम से खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 के तहत कार्यवाही सुनिश्चित करें

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर।

क्रमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2019/ दिनांक :–

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर।
2. श्री रेवंत सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 की पालना सुनिश्चित करें।
3. श्री हेमाराम पुत्र श्री राणाराम चौधरी (एफबीओ, मालिक एवं विक्रेता) मैं. चौधरी भोजनालय सुरावतों का बेरा खेमराज माली की किराया दुकानें, कायलाना चौराहा, सूरसागर रोड़, जोधपुर, निवासीः– गांव सनतरा (रड़िया तालर), ग्रा.पं. सनतरा तहसील गिड़ा, जिला बाड़मेर राज.।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 89/2018

प्रार्थी

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी

1. श्री हेमाराम पुत्र श्री राणाराम चौधरी (एफबीओ, मालिक एवं विक्रेता) मैं. चौधरी भोजनालय सुरावतों का बेरा खेमराज माली की किराया दुकानें, कायलाना चौराहा, सूरसागर रोड़, जोधपुर, निवासीः– गांव सनतरा (रड़िया तालर), ग्रा.पं. सनतरा तहसील गिड़ा, जिला बाड़मेर राज.।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 04.05.2018 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी फर्म – फर्म :– मैं. चौधरी भोजनालय सुरावतों का बेरा खेमराज माली की किराया दुकानें, कायलाना चौराहा, सूरसागर रोड़, जोधपुर का निरीक्षण करने पर खाद्य पदार्थ दही 20 किलोग्राम आम जनता को विक्रय हेतु रखा था। उक्त दही में से 800 ग्राम दही वास्ते जांच मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 48/– नगद देकर खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. खरीदशुदा दही को एक स्टील की भगौनी में तुलवाकर/नपवाकर एक रूप कर चार बराबर–बराबर मात्रा में चार साफ सूखी व खाली कांच की शिशियों में 200 ग्राम प्रति नमूना डालकर प्रत्येक में 16 बूंदे फॉर्मेलिन की डाली अच्छी तरह हिलाया और एयर टाइट बंद किया तथा चारों नमूना शिशियों पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड़ व सीरियल नम्बर एम–1787 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। जिसे सील से नमूना एम–1787 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाबा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि दही के चारों पैकेट के चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एम–1787 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस 342/एक्ट/2018/359 दिनांक 10.05.2018 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ अमानक स्तर का होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) व 26 की उपधारा (।) एवं धारा 51 का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एम–1787 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट, रेफरल लेब मैसूर की जांच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाई करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।
4. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब में निवेदन किया गया कि वह एक छोटा व्यापारी है तथा यथा संभव बाजार से अच्छी गुणवता का दुध लेकर दही जमाकर सब्जी बनाने के काम लेता है। एफएसओ द्वारा दही की सेम्पल लेते समय उसमें फैट की मात्रा लगभग दो प्रतिशत कम आयी। इस संबंध में भविष्य में ध्यान रखेगा। प्रकरण में कम से कम जुर्माने हेतु निवेदन किया गया। अतः अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 51 का दोषी है। जो जुर्माना योग्य अपराध है।

5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। लेबोरेट्री की रिपोर्ट दिनांक 26.10.2017 के अनुसार बी.आर. रिडींग 40 से 43 के बीच होनी चाहीए लेकिन जांच में परिणाम 43.72 रहा जो अमानक की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी गण खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 51 के दोषी हैं। जो जुर्माना योग्य अपराध है। अतः अप्रार्थीगण पर शास्ती रूपये ...../– अक्षरे रूपये .....की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक ..... के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें तथा एक माह में राशि नहीं कराने पर एफएसओ अभिहित अधिकारी के माध्यम से खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 के तहत कार्यवाही सुनिश्चित करें

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर।

क्रमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2019/ दिनांक :–

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर।
2. श्री राजेश टींकर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन जोधपुर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 की पालना सुनिश्चित करें।
3. श्री पंकज डांणी पुत्र श्री राम किशोर डांणी (विक्रेता) मैं. अग्रवाल एन्टरप्राईजेज, जे. फर्स्ट 13 मैन मण्डोर मण्डी, जोधपुर। निवासी :– 29, बीकानेरिया बास, पाली।
4. श्रीमती चन्द्रकांता डांणी पुत्री श्री सागरमल डांणी (मालिक) मै. अग्रवाल एन्टरप्राईजेज, जे. फर्स्ट, 13 मैन मण्डोर मण्डी, जोधपुर। निवासी :– 29, बीकानेरिया बास, पाली।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 87/2018

प्रार्थी

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी

1. श्री पंकज डांणी पुत्र श्री राम किशोर डांणी (विक्रेता) मैं. अग्रवाल एन्टरप्राईजेज, जे. फर्स्ट 13 मैन मण्डोर मण्डी, जोधपुर। निवासी :– 29, बीकानेरिया बास, पाली।
2. श्रीमती चन्द्रकांता डांणी पुत्री श्री सागरमल डांणी (मालिक) मै. अग्रवाल एन्टरप्राईजेज, जे. फर्स्ट, 13 मैन मण्डोर मण्डी, जोधपुर। निवासी :– 29, बीकानेरिया बास, पाली।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 06.10.2017 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी फर्म – फर्म :– मैं. अग्रवाल एन्टरप्राईजेज, जे. फर्स्ट 13 मैन मण्डोर मण्डी, जोधपुर का निरीक्षण करने पर घी (बृज बिहारी) 15 किलोग्राम के 14 नग आम जनता को विक्रय हेतु रखा था। उक्त घी (बृज बिहारी) में से 800 ग्राम घी (बृज बिहारी) वास्ते जांच मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 320/– नगद देकर खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. खरीदशुदा घी (बृज बिहारी) को एक स्टील के लौटे में अच्छी तरह हिला–मिलाकर 4 साफ सुखी खाली प्लास्टिक की शिशियों में बराबर–बराबर मात्रा में डाला तथा इन चारों शिशियों को ढक्कन लगाकर एयर टाइट बंद किया तथा चारों नमूना शिशियों पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड़ व सीरियल नम्बर एम–637 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। जिसे सील से नमूना एम–637 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाबा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि घी (श्री बृज बिहारी) के चारों पैकेट के चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एम–637 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस 1213/एक्ट/2017/18 दिनांक 25.10.2017 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ अमानक स्तर का होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) व 26 की उपधारा (।) एवं धारा 51 का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एम–637 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट, रेफरल लेब मैसूर की जांच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाई करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।
4. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। जवाब हेतु अनेक अवसर देने के बाद भी जवाब पेश नहीं। जवाब बंद किया गया। पत्रावली वास्ते आदेश रखी गई। अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 51 का दोषी है। जो जुर्माना योग्य अपराध है।

4. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। अप्रार्थी संख्या 2 का जवाब पेश। अप्रार्थी संख्या 1 का जवाब पेश नहीं। जवाब बंद किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 के अधिवक्ता उपस्थित नहीं। अतः निवेदन किया कि पूर्व में भी अप्रार्थी की एक पत्रावली निस्तारित की गई। उसके अनुसार निम्नतम जुर्माना लगाने हेतु निवेदन किया।
5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 का जवाब बन्द किया गया। अप्रार्थी 2 की ओर से अधिवक्ता को सुना गया। जा चुका था तथा अप्रार्थी 2 की ओर से जवाब बन्द करने के पश्चात दिनांक 02.07.2018 को जवाब प्रस्तुत किया। एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा निर्दीष्ट खाद्य प्रयोगशाला, मैसूर की रिपोर्ट दिनांक 28.03.2017 का अवलोकन किया गया, के अनुसार खाद्य पदार्थ मिथ्याछाप पाया गया। अतः अप्रार्थीगण खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 52 के दोषी हैं। जो जुर्माना योग्य अपराध है। अतः अप्रार्थीगण पर शास्ती रूपये 15000/– अक्षरे रूपये पन्द्रह हजार की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक 21.02.2019 के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें तथा एक माह में राशि नहीं कराने पर एफएसओ अभिहित अधिकारी के माध्यम से खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 के तहत कार्यवाही सुनिश्चित करें

   निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 21.02.2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर।

क्रमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2019/ दिनांक :–

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर।
2. श्री रजनीश शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 की पालना सुनिश्चित करें।
3. श्री अनिल पारीक पुत्र श्री रघुवीर पारीक फर्म :– मै0– शारदा रिपेकर्स एच–1–220(ऐ), करणी रिको इण्डस्ट्रीयल एरिया, बीकानेर।
4. श्री विक्रम सिंह नरूका पुत्र री मोतीसिंह नरूका फर्म :– मै0– शारदा रिपेकर्स एच–1–220(ऐ), करणी रिको इण्डस्ट्रीयल एरिया, बीकानेर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री जवाहर चौधरी, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 80/2017

प्रार्थी

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी

1. श्री अनिल पारीक पुत्र श्री रघुवीर पारीक, फर्म :– मै0– शारदा रिपेकर्स एच–1–220(ऐ), करणी रिको इण्डस्ट्रीयल एरिया, बीकानेर। निवासीः– 17/284, चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर।
2. श्री विक्रम सिंह नरूका पुत्र श्री मोतीसिंह नरूका, फर्म :– मै0– शारदा रिपेकर्स एच–1–220(ऐ), करणी रिकोइण्डस्ट्रीयल एरिया, बीकानेर। निवासीः– मूल–मगराबास, लाडनू, जिला नागौर, हाल–287, गली नं.

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 28.09.2016 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी फर्म – फर्म :– मै0– शारदा रिपेकर्स एच–1–220(ऐ), करणी रिको इण्डस्ट्रीयल एरिया, बीकानेर। नमुनीकरण स्थान राकेश गुडस ट्रांस्पोर्ट कम्पनी, जे –प्रथम, कृषि मण्डी मण्डोर जोधपुर का निरीक्षण करने पर घी (श्री गंगा) 15 किलोग्राम का 20 टिन, 1 लिटर का 15 पीस के 15 कार्टून एवं 500 एमएल के 30 पीस के 15 कार्टून आम जनता को विक्रय हेतु रखा था। उक्त घी (श्री गंगा) में से 1 लीटर के चार मूल पैकेट्स कुल 4 लीटर एक ही बैच व निर्माण तिथी के वास्ते जांच मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 1064/– नगद देकर खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. खरीदशुदा घी (श्री गंगा) के चारों मूल पैकेट पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड़ व सीरियल नम्बर एम–1278 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। जिसे सील से नमूना एम–1278 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाबा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि घी (श्री गंगा) के चारों पैकेट के चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एम–1278 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस 1186/एक्ट/2016/1210 दिनांक 24.06.2016 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ असुरक्षित एवं मिथ्याछाप होना पाया गया। अप्रार्थी द्वारा नमूने की रिपोर्ट दिनांक 20.10.2016 के विरूद्ध अपील पेश की तथा नमूना रेफरल लेब भेजा गया। रेफरल लेब की रिपोर्ट दिनांक 28.03.2017 अनुसार नमूना मिथ्याछाप पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एम–1278 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट, रेफरल लेब मैसूर की जांच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाई करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।

जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एडी–601 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाई करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।

4. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत किया। प्रस्तुत जवाब में न्यायालय को बताया की प्रकरण में वर्णित खाद्य पदार्थ का निर्माण अप्रार्थी द्वारा नहीं किया जाता है। अप्रार्थी के ट्रेडिंग का कार्य करता है। उक्त कार्य के लिये निर्माता कंपनी मैसर्स प्रशांत ट्रेडिंग कंपनी जिम्मेवार है। जिसको प्रार्थी एफएसओ ने पार्टी नहीं बनाया। अतः प्रकरण खारिज फरमावें।
5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट क्रमांक 593 दिनांक 22.06.2017 के अनुसार खाद्य पदार्थ मिथ्याछाप पाया गया। प्रकरण में अप्रार्थी का दोष बनता है क्योंकि विक्रय का विपत्र उनके पास था तो एफएसओ को वक्त निरीक्षण देना चाहिए था। अतः अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 52 का दोषी हैं। अतः अप्रार्थी पर शास्ती रूपये 3000/– /– अक्षरे रूपये तीन हजार मात्र की आरोपित की जाती हैं। अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक 21.02.2019 के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें तथा एक माह में राशि नहीं कराने पर एफएसओ अभिहित अधिकारी के माध्यम से खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 के तहत कार्यवाही सुनिश्चित करें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 21.02.2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(जवाहर चौधरी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
शहर, जोधपुर।

क्रमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2019/ दिनांक :–

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अभिहित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर।
2. श्री राजेश टिंकर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोधपुर, राजस्थान खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 की पालना सुनिश्चित करें।
3. श्री मालाराम पुत्र श्री उगमाराम (एफबीओ) मैसर्स– बालाजी एजेन्सीज, भाटियों का वास, राम तलाई, शमशान के पास, मगरा पुंजला, जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
शहर, जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री जवाहर चौधरी, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 139/2017

प्रार्थी

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोधपुर

बनाम

अप्रार्थी

(1) श्री मालाराम पुत्र श्री उगमाराम (एफबीओ) मैसर्स– बालाजी एजेन्सीज, भाटियों का वास, राम तलाई, शमशान के पास, मगरा पुंजला, जोधपुर निवासी–भाखरों की ढाणी, कैलाश कलां, तहसील–बावडी, जिला जोधपुर।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 14.06.2017 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी, संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोधपुर द्वारा गत चैकिंग दौरान अप्रार्थी फर्म :– मैसर्स– बालाजी एजेन्सीज, भाटियों का वास, राम तलाई, शमशान के पास, मगरा पुंजला, जोधपुर का निरीक्षण करने पर 32 कार्टून में 384 सील्ड पैक बोतल प्रत्येक बोतल एक लीटर मैंगों ड्रिंक (एआरएस फ्रुट किंग) आम जनता को विक्रय हेतु रखे थे। उक्त मैंगों ड्रिंक (एआरएस फ्रुट किंग) वास्ते जांच मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 127/– नगद देकर 1–1 लीटर की 4 सील्ड पैक बोतल खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. खरीदशुदा खाद्य पदार्थ मैंगों ड्रिंक (एआरएस फ्रुट किंग) की चारों सील्ड 1–1 लीटर की मूल बोतल को तुलवाकर/नपवाकर उन चारों नमूनों पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड़ व सीरियल नम्बर एडी–601 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एडी–601 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एडी–601 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की 8 प्रतियां तैयार की। जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाबा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि खाद्य पदार्थ मैंगों ड्रिंक (एआरएस फ्रुट किंग) के चारों पैकेट के चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एडी–601 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस/592/एक्ट/2017/593 दिनांक 22.06.2017 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ मिथ्याछाप का होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये

गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एम–1401 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाई करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।

4. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत किया। अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत जवाब में अप्रार्थी ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए भविष्य में गलती का दोहरान नहीं करने का वादा किया।
5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट क्रमांक 178 दिनांक 13.03.2018 के अनुसार खाद्य पदार्थ अमानक स्तर का पाया गया। अप्रार्थी ने प्रकरण में अपनी गलती स्वीकार कर ली है, अतः अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अतः अप्रार्थी पर शास्ती रूपये 2000/– /– अक्षरे रूपये दो हजार मात्र की आरोपित की जाती हैं। अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक 22.02.2019 के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें तथा एक माह में राशि नहीं कराने पर एफएसओ अभिहित अधिकारी के माध्यम से खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 के तहत कार्यवाही सुनिश्चित करें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 22.02.2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(जवाहर चौधरी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
शहर, जोधपुर।

क्रमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2019/ दिनांक :–

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अभिहित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर।
2. श्री रजनीश शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर, राजस्थान खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 की पालना सुनिश्चित करें।
3. श्री माणक सिंह राजपुरोहित पुत्र श्री बहादुर सिंह (एफबी/मालिक) फर्म–मैसर्स–ओम जोधपुर स्वीट्स, एम्स के पास, ट्रांसपोर्ट नगर, बासनी, जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
शहर, जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री जवाहर चौधरी, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 62/2018

प्रार्थी

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर

बनाम

अप्रार्थी

(1) श्री माणक सिंह राजपुरोहित पुत्र श्री बहादुर सिंह (एफबी/मालिक) फर्म–मैसर्स–ओम जोधपुर स्वीट्स, एम्स के पास, ट्रांसपोर्ट नगर, बासनी, जोधपुर। निवासी–गांव नारनाडी, जोधपुर।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 21.02.2018 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गत चैकिंग दौरान अप्रार्थी फर्म :– मैसर्स–ओम जोधपुर स्वीट्स, एम्स के पास, ट्रांसपोर्ट नगर, बासनी, जोधपुर का निरीक्षण करने पर 5 किलोग्राम मिल्क केक (दूध शक्कर निर्मित मिठाई) आम जनता को विक्रय हेतु रखे थे। उक्त मिल्क केक (दूध शक्कर निर्मित मिठाई) वास्ते जांच मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 480/– नगद देकर 2 किलोग्राम खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. खरीदशुदा खाद्य पदार्थ मिल्क केक (दूध शक्कर निर्मित मिठाई) को हिला–मिलाकर एक रूप कर चार प्लास्टिक की नमूना बोटल्स में बराबर–बराबर (500ग्राम) मात्रा में डालकर प्रत्येक बोटल में 40 प्रतिशत फार्मेलिन की 40–40 बून्दें बतौर परिरक्षक की डालकर प्रत्येक बोटल को एयर टाईट बन्द कर उन चारों नमूनों पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड़ व सीरियल नम्बर एम–1741 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एम–1741 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एम–1741 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की 8 प्रतियां तैयार की। जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाबा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि खाद्य पदार्थ मिल्क केक (दूध शक्कर निर्मित मिठाई) के चारों पैकेट के चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एम–1741 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस/164/एक्ट/2018/178 दिनांक 13.03.2018 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ अमानक स्तर का होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश,

पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एम–1120 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाईल करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।

4. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। कम से कम जुर्माना लगाने हेतु निवेदन किया है।
5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट क्रमांक 556 दिनांक 24.05.2016 का अवलोकन किया तथा अप्रार्थीगण के अधिवक्ता को सुना गया तथा मनन के पश्चात् पाया कि अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थी यदि रिपोर्ट दिनांक 24.05.2016 से सन्तुष्ट न था तो उनके पास रेफरल लेब जाने का अवसन था, परन्तु उन्होने निर्धारित समय में अपील पेश न की । ऐसी स्थिति में अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थीगण पर शास्ती रूपये ..... अक्षरे रूपये ..... की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि **न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर (ADJUDICATING OFFICER AND ADM CITY, JODHPUR)** के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक ..... के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।
6. निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

क्रमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2018/ **दिनांक :–**

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर/कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं जोन जोधपुर।
2. संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर / कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं जोन जोधपुर।
3. श्री ओमप्रकाश राठी पुत्र स्व श्री. पूनमचंद राठी, मैसर्स अंकित ऐजेन्सीज़, रामरिशी आश्रम रोड़ गडडी रोड, सिवांची गेट, जोधपुर।
4. श्री नरेन्द्र सिंह सोनिगरा पुत्र श्री हनुवंत सिंह, मैसर्स गुजराज कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड, आनन्द, गुजरात।
5. फर्मः मैसर्स गुजराज कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड, आनन्द, गुजरात , ब्रांचः जी सी एम एम एफ लिमिटेड बासनी, द्वितीय फेस जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 40 / 2017

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जोधपुर।		1. श्री ओमप्रकाश राठी पुत्र स्व श्री. पूनमचंद राठी, मैसर्स अंकित ऐजेन्सीज, रामरिशी आश्रम रोड़ गडडी रोड, सिवांची गेट, जोधपुर। 2. श्री नरेन्द्र सिंह सोनिगरा पुत्र श्री हनुवंत सिंह, मैसर्स गुजराज कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड, आनन्द, गुजरात। 3. फर्मः मैसर्स गुजराज कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड, आनन्द, गुजरात , ब्रांचः जी सी एम एम एफ लिमिटेड बासनी, द्वितीय फेस जोधपुर।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 13.05.2016 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी मैसर्स अंकित ऐजेन्सीज, रामरिशी आश्रम रोड़ गडडी रोड, सिवांची गेट, जोधपुर **पहुंचा**, वहां निरीक्षण करने पर एक डीपफ्रीजर में आईसक्रीम (ड्यूटज मैंगो ब्राण्ड अमूल) 50 ग्राम की 15 बॉक्स प्रत्येक में 20 स्टिक आम जनता हेतु वास्ते विक्रय रखी हुई थी। आईसक्रीम (ड्यूटज मैंगो ब्राण्ड अमूल) के वास्ते जांच मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 297/– देकर 50 ग्राम की 24 आईसक्रीम (ड्यूटज मैंगो ब्राण्ड अमूल) स्टिक खरीदी तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. विक्रेता व गवाह के सामने खरीदसुदा नमूना आईसक्रीम (ड्यूटज मैंगो ब्राण्ड अमूल) की 6–6 स्टिक को गलाकर, हिलामिला कर एक रूप कर साफ–सुखी खाली चौडे मुंहवाली चार शीशीयों में बराबर–बराबर (300ग्राम प्रति) भरकर प्रत्येक नमूना शीशी में 20 बूंदें फॉर्मेलिन बतौर प्रीजरवेटिव डालकर एयरटाईट बंद कर चारों शीशीयों पर लगाने के लिए अलग–अलग चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड़ व सीरियल नम्बर एम–1120 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमूना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एम–1120 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमूना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एम–1120 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाफा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि उक्त चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एम–1120 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस 524/एक्ट/2016/556 दिनांक 24.05.2016 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ का बिना लेबलिंग के बेचा जाना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य

पदार्थ मिक्सड स्पाईस (ऐवरेस्ट गरम मसाला) के चारों पैकेट के चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एम–1401 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस 116/एक्ट/2017/133 दिनांक 01.03.2017 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ अमानक स्तर का होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एम–1401 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाई करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।

4. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ।
5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट क्रमांक 133 दिनांक 01.03.2017 के अनुसार खाद्य पदार्थ अमानक स्तर का पाया गया। अप्रार्थी की अपील पर नमूने को रेफरल लैब मैसूर भेजा गया। जिसकी रिपोर्ट दिनांक 03.01.2018 द्वारा नमूना अमानक स्तर का बताया गया। अतः अप्रार्थी अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अतः अप्रार्थीगण पर शास्ती रूपये ...../– अक्षरे ....मात्र की आरोपित की जाती हैं। अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक 14.02.2019 के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें तथा एक माह में राशि नहीं कराने पर एफएसओ अभिहित अधिकारी के माध्यम से खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 के तहत कार्यवाही सुनिश्चित करें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 14.02.2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(जवाहर चौधरी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
शहर, जोधपुर।

क्रमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2019/ दिनांक :–

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

4. अभिहित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर।
5. श्री राजेश टिंकर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन जोधपुर, राजस्थान खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 की पालना सुनिश्चित करें।
6. श्री दीपक अग्रवाल पुत्र श्री ओमप्रकाश अग्रवाल (विक्रेता एवं मालिक) मै. सदाशिव मावा भण्डार त्रिपोलिया बाजार टेलर गली के अंदर जोधपुर निवासीः– मथानिया भवन विजय चौक नागौरी गेट के अंदर जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
शहर, जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री जवाहर चौधरी, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 13/2018

प्रार्थी

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर

बनाम

अप्रार्थी

(1) श्री अंकित राठी पुत्र श्री ओमप्रकाश जी राठी (मैनेजर एवं विक्रेता) मैसर्स–अंकित राठी एजेन्सीज, शिवांची गेट, पुराना बस स्टैण्ड, राम ऋषि आश्रम, भीखा प्याउ रोड़, (गड्डी रोड़) जोधपुर।

(2) श्री ओमप्रकाश राठी पुत्र श्री पूनचंद राठी (मालिक) मैसर्स–अंकित एजेन्सीज शिवाची गेट, पुराना बस स्टैण्ड, राम ऋषि आश्रम, भीखा प्याउ रोड़, (गड्डी रोड़) जोधपुर।

(3) श्री गौरव चित्तौडा पुत्र श्री हिम्मतलाल चितौडा, (मालिक) मैसर्स–गणेश ट्रेडर्स, प्लाट नं. 1, गणपति कॉम्पलेक्स के पास, सबसिटी सेन्टर, सेक्टर 8, एच.एम. उदयपुर।

(4) फर्म एस नरेन्द्र कुमार एण्ड कम्पनी जरिये नोमिनी 5वा फ्लोर, कुशल कॉमर्शियल सेन्टर, जी.एम. रोड, अमर महल चैम्बुर (डब्ल्यू), मुम्बई। पिन–400089 एवं 4/बी एल.बी.एस. मार्ग, वीखरोली, मुम्बई। पिन–400683।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 15.02.2017 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गत चैकिंग दौरान अप्रार्थी फर्म :– मैसर्स–अंकित राठी एजेन्सीज, शिवांची गेट, पुराना बस स्टैण्ड, राम ऋषि आश्रम, भीखा प्याउ रोड़, (गड्डी रोड़) जोधपुर का निरीक्षण करने पर 200 पैकेट (प्रत्येक पैकेट वजनी 100 ग्राम) खाद्य पदार्थ मिक्सड स्पाईस (ऐवरेस्ट गरम मसाला) आम जनता को विक्रय हेतु रखे थे। उक्त खाद्य पदार्थ मिक्सड स्पाईस (ऐवरेस्ट गरम मसाला) वास्ते जांच मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 1250/– नगद देकर 20 पैकेट (प्रत्येक पैकेट वजनी 100 ग्राम) खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. खरीदशुदा खाद्य पदार्थ मिक्सड स्पाईस (ऐवरेस्ट गरम मसाला) के 20 पैकेट को चार बराबर–बराबर भागों में बांटकर उन चारों नमूनों पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड़ व सीरियल नम्बर एम–1401 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एम–1401 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एम–1401 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की 8 प्रतियां तैयार की। जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाबा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि खाद्य

सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एम–594 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाई करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।

4. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। अप्रार्थी की ओर से वकालतनामा पेश। अनेक अवसर देने के बावजूद जवाब पेश नहीं। जवाब पेश किया तथा जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थी ने कार्यवाही ड्रॉप करने हेतु निवेदन किया। बहस हेतु आवाज लगाई गई। उपस्थित नहीं। एक पक्षीय आदेश करना उचित प्रतीत होता है।
5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट क्रमांक 558 दिनांक 19.06.2017 के अनुसार खाद्य पदार्थ असुरक्षित (अनसेफ) पाया गया। अप्रार्थी की अपील पर नमूने को रेफरल लैब मैसूर भेजा गया। जिसकी रिपोर्ट दिनांक 03.01.2018 द्वारा नमूना अमानक स्तर का बताया गया। अतः अप्रार्थी अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अतः अप्रार्थीगण पर शास्ती रूपये 20000/– अक्षरे बीस हजार रूपये मात्र की आरोपित की जाती हैं। अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक 20.02.2019 के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें तथा एक माह में राशि नहीं कराने पर एफएसओ अभिहित अधिकारी के माध्यम से खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 के तहत कार्यवाही सुनिश्चित करें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 20.02.2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(जवाहर चौधरी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
शहर, जोधपुर।

क्रमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2019/ दिनांक :–

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अभिहित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर।
2. श्री राजेश टिंकर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन जोधपुर, राजस्थान खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 की पालना सुनिश्चित करें।
3. श्री दीपक अग्रवाल पुत्र श्री ओमप्रकाश अग्रवाल (विक्रेता एवं मालिक) मै. सदाशिव मावा भण्डार त्रिपोलिया बाजार टेलर गली के अंदर जोधपुर निवासीः– मथानिया भवन विजय चौक नागौरी गेट के अंदर जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
शहर, जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री जवाहर चौधरी, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 51/2018

प्रार्थी

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन जोधपुर

बनाम

अप्रार्थी

श्री दीपक अग्रवाल पुत्र श्री ओमप्रकाश अग्रवाल (विक्रेता एवं मालिक) मै. सदाशिव मावा भण्डार त्रिपोलिया बाजार टेलर गली के अंदर जोधपुर निवासीः– मथानिया भवन विजय चौक नागौरी गेट के अंदर जोधपुर।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 08.06.2017 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन जोधपुर द्वारा गत चैकिंग दौरान अप्रार्थी फर्म :– मै0– सदाशिव मावा भण्डार त्रिपोलिया बाजार टेलर गली के अंदर जोधपुर का निरीक्षण करने पर 10 लोहे पीपों में 170 किलोग्राम खाद्य पदार्थ मावा आम जनता को विक्रय हेतु रखे थे। उक्त मावा वास्ते जांच मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 130/– नगद देकर 1 किलोग्रम खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. खरीदशुदा मावा को अच्छी तरह से हिला–मिला एक रूप कर चार भागों में बराबर–बराबर कर चार साफ सूखी व खाली प्लास्टिक की शिशियों में डालकर प्रत्येक में 20 बूंदे फॉर्मेलिन की डाली अच्छी तरह हिलाया और एयर टाईट बंद किया। चारों नमूना शिशियों पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड़ व सीरियल नम्बर एम–594 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एम–594 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एम–594 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की 8 प्रतियां तैयार की। जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाबा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि मावा के चारों पैकेट के चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एम–594 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस 558/एक्ट/2017/558 दिनांक 19.06.2017 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ अमानक स्तर का होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य

पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एम–1619 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाई करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।

4. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। जवाब पेश किया तथा स्वयं उपस्थित होकर बताया कि अप्रार्थी एक छोटा व्यापारी है तथा एफएसओ द्वारा मौके पर खाद्य पदार्थ रिफाइण्ड मूगंफली का तेल 12 किलो नमकीन बनाई जा रही थी, हेतु बताया लेकिन सत्य यह है कि पेक्ड तेल एक पीपे को खुलवाकर सेम्पल लिया गया जो सबस्टैण्ड होना पाया जिसे मेर द्वारा संतुष्ट न होने पर रेफरल लेब गया जहां पर सेपोनिफिकेशन वेल्यु 188 से 196 के बीच होनी चाहिए लेकिन परिणाम 186.6 रहा जो मार्जिनल है। ऐसी स्थिति में मामला खारिज या न्यूनतम जुर्माना कराने हेतु निवेदन किया।
5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट क्रमांक 892 दिनांक 23.10.2017 तथा रेफरल लेब मैसूर की रिपोर्ट दिनांक 25.1.2018 का अवलोकन किया। मनन के पश्चात पाया की अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अतः अप्रार्थीगण पर शास्ती रूपये 2000/– अक्षरे रूपये दो हजार मात्र की आरोपित की जाती हैं। अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक 11.02.2019 के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें तथा एक माह में राशि नहीं कराने पर एफएसओ अभिहित अधिकारी के माध्यम से खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 के तहत कार्यवाही सुनिश्चित करें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 11.02.2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(जवाहर चौधरी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
शहर, जोधपुर।

क्रमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2019/ दिनांक :–

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अभिहित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर।
2. श्री रेवत सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर, राजस्थान खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 की पालना सुनिश्चित करें।
3. श्री नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री सुमन्त राम प्रजापत,(एफबीओ, मालिक व विक्रता) मै0– मधुर विलास नमकीन गोदाम, (निर्माण ईकाई) न्यू कोहिनूर, मेघवाल छात्रावास के सामने मसूरिया जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
शहर, जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री जवाहर चौधरी, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 67/2018

प्रार्थी

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी

(1) श्री नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री सुमन्त राम प्रजापत,(एफबीओ, मालिक व विक्रता) मै0– मधुर विलास नमकीन गोदाम, (निर्माण ईकाई) न्यू कोहिनूर, मेघवाल छात्रावास के सामने मसूरिया जोधपुर।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 5.10.2017 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गत चैकिंग दौरान अप्रार्थी फर्म :– मै0– मधुर विलास नमकीन गोदाम, (निर्माण ईकाई) न्यू कोहिनूर, मेघवाल छात्रावास के सामने मसूरिया जोधपुर का निरीक्षण करने पर एक पीपें में 12 किलोग्राम खाद्य पदार्थ रिफांइण्ड मूंगफली तेल आम जनता को विक्रय हेतु रखे थे। उक्त रिफांइण्ड मूंगफली तेल वास्ते जांच मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 160/– नगद देकर 1600 ग्रम खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. खरीदशुदा रिफांइण्ड मूंगफली तेल की 750 एलएम की चारों बोतलों में 400 ग्राम प्रति नमूना डालकर मूल ही 2–2 बोतल को आपस में बांध चार भाग तैयार किये। चारों नमूना पैकेट पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड़ व सीरियल नम्बर एम–1619 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एम–1619 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एम–1619 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की 8 प्रतियां तैयार की। जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाबा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि रिफांइण्ड मूंगफली तेल के चारों पैकेट के चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एम–1619 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस 892/एक्ट/2017/892 दिनांक 13.10.2017 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ अमानक स्तर का होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद

5. श्री पंकज राठी पुत्र श्री चम्पा लाल राठी (भागीदार) मै. जय शंकर सेल्स, 74 महावीर नगर, महामंदिर, जोधपुर निवासी– 74 महावीर नगर, महामंदिर, जोधपुर।
6. श्रीमती सुमन मूंदडा पत्नी श्री मनीष मूंदडा (भागीदार) मै. जय शंकर सेल्स, 74 महावीर नगर, महामंदिर, जोधपुर। निवासी–47, जैन गली, सर्राफा बाजार, जोधपुर।
7. फर्म मै. जय शंकर सेल्स, 74 महावीर नगर, महामंदिर, जोधपुर।
8. श्री आकाश टिबडा पुत्र श्री सुरेश कुमार अग्रवाल (मालिक) मै. श्री रूपाणा धाम ट्रेडिंग कम्पनी, 36 प्रवासी नगर, केडिया पैलेस चौराहा, जयपुर, निवासी–248/201 आर्य नगर, मुरलीपुरा, जयपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
शहर, जोधपुर।

वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि पान फ्लेवर मेटेरियल पान चटनी (मीनाक्षी) के चारों पैकेट के चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एडी–679 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस 1147/एक्ट/2017/1148 दिनांक 30.11.2017 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ मिथ्याछाप होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एडी–679 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाई करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।

4. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। अप्रार्थी संख्या 6 (निर्माता) स्वयं उपस्थित एवं निवेदन किया की उनके द्वारा दिनांक 07.03.2018 को प्रस्तुत पत्र को ही उनका जवाब माना जावे एवं न्यूनतम शास्ति लगाने हेतु निवेदन किया।
5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट क्रमांक 1148 दिनांक 30.11.2017 का अवलोकन किया । पत्रावली में उपलब्ध पत्र दिनांक 07.03.2018 के द्वारा खाद्य पदार्थ के संबंध में समस्त जिम्मेदारी अप्रार्थी संख्या 6 ने ली है। जिसमें उन्होंने खाद्य पदार्थ में जो भी कमी पायी गई है। उसके लिये उचित शास्ति लगाने हेतु निवेदन किया है। अप्रार्थी यदि रिपोर्ट दिनांक 30.11.2017 से सन्तुष्ट न था तो उनके पास रेफरल लेब जाने का अवसन था, परन्तु उन्होने निर्धारित समय में अपील पेश न की। अतः अप्रार्थी संख्या 6 (निर्माता) खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 व 52 का दोषी हैं। अप्रार्थीगण पर शास्ती रूपये 30000/– अक्षरे रूपये तीस हजार मात्र की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक 11.02.2019 के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें तथा एक माह में राशि नहीं कराने पर एफएसओ अभिहित अधिकारी के माध्यम से खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 के तहत कार्यवाही सुनिश्चित करें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 11.02.2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(जवाहर चौधरी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
शहर, जोधपुर।

क्रमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2019/ दिनांक :–

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अभिहित अधिकारी संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन–जोधपुर।
2. श्री राजेश टिंकर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन–जोधपुर, राजस्थान खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 की पालना सुनिश्चित करें।
3. श्री मनीष मूंदडा पुत्र श्री रमेश चंद मूंदडा (विक्रेता)–मै. सुनीलपान भण्डार, पांचवी रोड, सरदारपुरा, जोधपुर, नि.–जैन गली, सर्राफा बाजार, जोधपुर।
4. श्री रमेश कमल किशोर पुत्र श्री गोपी किशन (मालिक)–मै. सुनिल पान भण्डार, पांचवी रोड़, सरदारपुरा, जोधपुर, निवासी–जैन गली, सर्राफा बाजार, जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री जवाहर चौधरी, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 55/2018

प्रार्थी

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन–जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी

(1) श्री मनीष मूंदडा पुत्र श्री रमेश चंद मूंदडा (विक्रेता)–मै. सुनीलपान भण्डार, पांचवी रोड, सरदारपुरा, जोधपुर, नि.–जैन गली, सर्राफा बाजार, जोधपुर।

(2) श्री रमेश कमल किशोर पुत्र श्री गोपी किशन (मालिक)–मै. सुनिल पान भण्डार, पांचवी रोड़, सरदारपुरा, जोधपुर, निवासी–जैन गली, सर्राफा बाजार, जोधपुर।

(3) श्री पंकज राठी पुत्र श्री चम्पा लाल राठी (भागीदार) मै. जय शंकर सेल्स, 74 महावीर नगर, महामंदिर, जोधपुर निवासी– 74 महावीर नगर, महामंदिर, जोधपुर।

(4) श्रीमती सुमन मूंदडा पत्नी श्री मनीष मूंदडा (भागीदार) मै. जय शंकर सेल्स, 74 महावीर नगर, महामंदिर, जोधपुर। निवासी–47, जैन गली, सर्राफा बाजार, जोधपुर।

(5) फर्म मै. जय शंकर सेल्स, 74 महावीर नगर, महामंदिर, जोधपुर।

(6) श्री आकाश टिबडा पुत्र श्री सुरेश कुमार अग्रवाल (मालिक) मै. श्री रूपाणा धाम ट्रेडिंग कम्पनी, 36 प्रवासी नगर, केडिया पैलेस चौराहा, जयपुर, निवासी–248/201 आर्य नगर, मुरलीपुरा, जयपुर।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 27.10.2017 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन–जोधपुर द्वारा गत चैकिंग दौरान अप्रार्थी फर्म :– मै. सुनीलपान भण्डार, पांचवी रोड, सरदारपुरा, जोधपुर दुकान में 200 ग्राम पैक की 30 बोतल पान फ्लेवर मेटेरियल पान चटनी (मीनाक्षी) आम जनता को विक्रय हेतु रखे थे। उक्त पान फ्लेवर मेटेरियल पान चटनी (मीनाक्षी) वास्ते जांच मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 1920/– नगद देकर 8 पैक बोतल प्रत्येक का वजन 200 ग्राम खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. खरीदशुदा पान फ्लेवर मेटेरियल पान चटनी (मीनाक्षी) की 200 ग्राम की आठों बोतल को मुल ही 2–2 बोतल को आपस में बांध चार भाग तैयार किये। चारों नमूना पैकेट पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड़ व सीरियल नम्बर एडी–679 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एडी–679 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एडी–679 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाबा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को

2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एडी–1683 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जांच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाई करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।

4. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ।
5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट क्रमांक 1162 दिनांक 05.12.2017 का अवलोकन किया । मनन के पश्चात पाया की अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 52 का दोषी हैं। अप्रार्थी अप्रार्थी यदि रिपोर्ट दिनांक 05.12.2017 से सन्तुष्ट न था तो उनके पास रेफरल लेब जाने का अवसन था, परन्तु उन्होने निर्धारित समय में अपील पेश न की । ऐसी स्थिति में अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 52 का दोषी हैं। अप्रार्थीगण पर शास्ती रूपये ..... अक्षरे रूपये .... की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक .....के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें तथा एक माह में राशि नहीं कराने पर एफएसओ अभिहित अधिकारी के माध्यम से खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 के तहत कार्यवाही सुनिश्चित करें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(जवाहर चौधरी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
शहर, जोधपुर।

क्रमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2019/ दिनांक :–

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अभिहित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, अधिकारी जोधपुर।
2. श्री रेवत सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, अधिकारी जोधपुर, राजस्थान खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 की पालना सुनिश्चित करें।
3. श्री मोहम्मद रईस पुत्र श्री अब्दुल रशीद मुसलमान (एफबीओ एवं मालिक) मै. तमन्ना बेकरी, शिप हाउस, भारत कॉलोनी, वीर तेजा हॉस्टल के पास, नागौरी गेट, जोधपुर नि.–म.न. 1245, भारत कॉलोनी, शिव हाउस, नागौरी गेट, जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
शहर, जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री जवाहर चौधरी, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 30/2018

प्रार्थी

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी

(1) श्री मोहम्मद रईस पुत्र श्री अब्दुल रशीद मुसलमान (एफबीओ एवं मालिक) मै. तमन्ना बेकरी, शिप हाउस, भारत कॉलोनी, वीर तेजा हॉस्टल के पास, नागौरी गेट, जोधपुर नि.–म.न. 1245, भारत कॉलोनी, शिव हाउस, नागौरी गेट, जोधपुर।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 14.11.2017 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर द्वारा गत चैकिंग दौरान अप्रार्थी फर्म :– मै. तमन्ना बेकरी, शिप हाउस, भारत कॉलोनी, वीर तेजा हॉस्टल के पास, नागौरी गेट, जोधपुर दुकान में खाद्य पदार्थ मिल्क सूजी इलाइची रस्क (ब्राण्ड तमन्ना) के 8 गत्ता कार्टनस् में 240 पोली पैकिंग पैकेट्स (8 कार्टनस् X 30 पोली पैकिंग पैकेट्स प्रति गत्ता) आम जनता को विक्रय हेतु रखे थे। उक्त मिल्क सूजी इलाइची रस्क (ब्राण्ड तमन्ना) वास्ते जांच मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 90/– नगद देकर 1 किलोग्राम (250ग्राम X 4 पैकेट) खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. खरीदशुदा मिल्क सूजी इलाइची रस्क (ब्राण्ड तमन्ना) के चार नमूना पैकेट बनाकर चारों पैकेट पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड़ व सीरियल नम्बर एडी–1683 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एडी–1683 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एडी–1683 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाफा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि मिल्क सूजी इलाइची रस्क (ब्राण्ड तमन्ना) के चारों पैकेट के चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एडी–1683 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस 1162/एक्ट/2017/1162 दिनांक 05.12.2017 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ मिथ्याछाप होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा

पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एम–1715 एवं खाद्य वि लेशक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाई करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।

4. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। अप्रार्थी ने जवाब पेश किया तथा जवाब के तथ्यो को दोहरात हुए निवेदन किया है कि उनके द्वारा दूध मंडी से क्रय किया जाकर मावा तैयार किया जाता है लेकिन दूध मंडी में दूध का कोई बिल नहीं दिया जात है। मेरे द्वरा मंडी से उच्च कोटी का दूध क्रय कर मावा तैयार किया गया था। जांच में किसी प्रकार की मिलावट नहीं पाई गई लेकिन मानक से दूध का फेट कम आया जिसमें दूध विक्रेता की गलती हैं। मैं इसे भूल सुधार कर भविष्य में ऐसी गलती नहीं दोहराउगा। अतः मामला निरस्त फरमाया जावे।

5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट क्रमांक 107 दिनांक 26.02.2018 का अवलोकन किया । मनन के पश्चात पाया की अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थी अप्रार्थी यदि रिपोर्ट दिनांक 26.02.2018 से सन्तुष्ट न था तो उनके पास रेफरल लेब जाने का अवसन था, परन्तु उन्होने निर्धारित समय में अपील पेश न की । ऐसी स्थिति में अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थीगण पर शास्ती रूपये ..... अक्षरे रूपये .... की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक .....के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें तथा एक माह में राशि नहीं कराने पर एफएसओ अभिहित अधिकारी के माध्यम से खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 के तहत कार्यवाही सुनिश्चित करें।

6. निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
शहर, जोधपुर।

क्रमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2019/ **दिनांक :–**

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अभिहित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, अधिकारी जोधपुर।
2. श्री रजीनश शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, अधिकारी जोधपुर, राजस्थान खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 की पालना सुनिश्चित करें।
3. श्री मांगूसिंह राजपुरोहत पुत्र श्री कुम्प सिंह एफबीओ फर्म– मैसर्स– राज जोधपुर स्वीट् कार्नर, प्लॉट संख्या– 12 तिलवाडिया फांटा, चौपासनी रोड, जोधपुर।
4. श्री भैरूसिंह राजपुरोहित पुत्र श्री कुम्प सिंह (मालिक) मैसर्स– राज जोधपुर स्वीट् कार्नर, प्लॉट संख्या–12 तिलवाडिया फांटा, चौपासनी रोड, जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
शहर, जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 63/2018

प्रार्थी

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी

(1) श्री मांगूसिंह राजपुरोहत पुत्र श्री कुम्प सिंह (एफबीओ) फर्म– मैसर्स– राज जोधपुर स्वीट् कार्नर, प्लॉट संख्या– 12 तिलवाडिया फांटा, चौपासनी रोड, जोधपुर।

(2) श्री भैरूसिंह राजपुरोहित पुत्र श्री कुम्प सिंह (मालिक) मैसर्स– राज जोधपुर स्वीट् कार्नर, प्लॉट संख्या–12 तिलवाडिया फांटा, चौपासनी रोड, जोधपुर।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 14.02.2018 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी फर्म :– मै0 राज जोधपुर स्वीट् कार्नर, प्लॉट संख्या– 12 तिलवाडिया फांटा, चौपासनी रोड, जोधपुर में खाद्य पदार्थ मावा करीबन 10 किलोग्राम आम जनता को विक्रय हेतु रखे थे। उक्त मावा वास्ते जांच मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 300/– नगद देकर 1 किलोग्राम खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. खरीदशुदा मावा को हिला–मिलाकर एक रूप कर चार प्लास्टिक की नमूना बोटल्स में बराबर–बराबर (250 ग्राम) मात्रा मे डालकर प्रत्येक बोटल में 40 प्रतिशत फार्मेलिन की 20–20 बूंदे बतौर परिरक्षक की डालकर उन पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड़ व सीरियल नम्बर एम–1715 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एम–1715 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एम–1715 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा वि लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाबा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशााला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि मावा के चारों पैकेट के चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एम–1715 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस 89/एक्ट/2018/107 दिनांक 26.02..2018 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ अमानक स्तर का होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन

4. अप्रार्थी संख्या 1 से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। अप्रार्थी संख्या 2 स्वयं उपस्थित 1 के संबंध में बताया की नौकर था, छोडकर चला गया। अप्रार्थीगण द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया। जवाब बंद किया गया। बहस हेतु उपस्थित नहीं आवाज लगाई गई। एकपक्षीय आदेश किये गये।
5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट दिनांक 28.02.2018 का अवलोकन किया। मनन के पश्चात पाया की उक्तानुसार अप्रार्थीगण खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी पाया जाता है। अप्रार्थीगण पर शास्ती रूपये ..... अक्षरे रूपये ..... की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक .....के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें तथा एक माह में राशि नहीं कराने पर एफएसओ अभिहित अधिकारी के माध्यम से खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 के तहत कार्यवाही सुनिश्चित करें।
   निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर।

कमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2019/ **दिनांक :–**

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अभिहित अधिकारी मुख्य, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।
2. श्री रेवंत सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर (राज.), राजस्थान खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 की पालना सुनिश्चित करें।
3. श्री करनाराम पुत्र श्री जवाताराम जाट (एफबीओ एवं विक्रेता) मैसर्स जय मधुरम स्वीट्स, देना बैंक के पास, रमजान जी का हत्था, बनाड़ रोड़, जोधपुर निवासी :– गांव मेवासा, ग्रा.प. खरड़ा मेवासा, तह. ऑसिया, जिला जोधपुर।
4. श्रीमती किरण हेडा पत्नी श्री दिनेश कुमार हेडा (मालिकन) मैसर्स जय मधुरम स्वीट्स, देना बैंक के पास, रमजान जी का हत्था, बनाड रोड़, जोधपुर, निवासी–99 घोसीवाडा, पाली (राज.)

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 80/2018

प्रार्थी

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी

(1) श्री करनाराम पुत्र श्री जवाताराम जाट (एफबीओ एवं विक्रेता) मैसर्स जय मधुरम स्वीट्स, देना बैंक के पास, रमजान जी का हत्था, बनाड़ रोड़, जोधपुर निवासी :– गांव मेवासा, ग्रा.प. खरड़ा मेवासा, तह. ऑसिया, जिला जोधपुर।

(2) श्रीमती किरण हेडा पत्नी श्री दिनेश कुमार हेडा (मालिकन) मैसर्स जय मधुरम स्वीट्स, देना बैंक के पास, रमजान जी का हत्था, बनाड रोड़, जोधपुर, निवासी–99 घोसीवाडा, पाली (राज.)

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 16.02.2018 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी फर्म :– मैसर्स जय मधुरम स्वीट्स, देना बैंक के पास, रमजान जी हत्था, बनाड़ रोड़, जोधपुर में 3 किलोग्राम कलाकंद आम जनता को विक्रय हेतु रखे थे। उक्त कलाकंद में से 2 किलोग्राम कलाकंद वास्ते जांच मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 720/– नगद देकर खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।

2. खरीदशुदा उक्त एक किलोग्राम कलाकंद को अच्छी तरह से हिला मिलाकर एक साफ सूखी स्टील की ट्रे में तुलवाकर/नपवाकर एक रूप कर चार भागों में बराबर–बराबर कर चार साफ सूखी व खाली कांच की शिशियों में 500 ग्राम प्रति नमूना डालकर प्रत्येक में 40 बूंदे फॉर्मेलिन की डाली अच्छी तरह हिलाया और एयरटाईट बंद कर चारों नमूना शिशियों पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड़ व सीरियल नम्बर एम–1727 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एम–1727 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एम–1727 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।

3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाबा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि उक्त कलाकंद के चारों शिशियों के चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एम–1727 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस/119/एक्ट/2018/138 दिनांक 28.02.2018 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ मिथ्याछाप होना पाया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एम–1727 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाईल करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।

प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एम–1851 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाईल करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।

4. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। अप्रार्थी 1 से 3 की ओर से जवाब पेश किया गया तथा जवाब को ही बहस मानने हेतु निवेदन किया गया।
5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण के जवाब का अवलोकन किया गया। पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट दिनांक 08.08.2018 का अवलोकन किया। मनन के पश्चात पाया की उक्तानुसार अप्रार्थीगण मिल्क फेट 50 के स्थान 37.62 होने से खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी पाया जाता है। अप्रार्थीगण पर शास्ती **रूपये 2000/** अक्षरे **रूपये दो हजार मात्र** की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक 28.01.2019 के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें तथा एक माह में राशि नहीं कराने पर एफएसओ अभिहित अधिकारी के माध्यम से खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 के तहत कार्यवाही सुनिश्चित करें।

   निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 28.01.2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(जवाहर चौधरी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर।

क्रमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2019/ **दिनांक :–**

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अभिहित अधिकारी मुख्य, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।
2. श्री रेवंत सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर (राज.), राजस्थान खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 की पालना सुनिश्चित करें।
3. श्री ललित गहलोत पुत्र श्री प्रभुलाल गहलोत (एफबीओ एवं विक्रेता) मैसर्स प्रभुजी मिठाईवाला सी/ओ श्री हजारीसिंह गहलोत की किराया दुकान चुतरावता पुलिया माता का थान रोड़, मगरा पूंजला, जोधपुर, निवासी :– 46, बालाजी नगर, मगरा पूंजला, शिव पब्लिक स्कूल के पीछे, मगरा पूंजला, जोधपुर।
4. श्री प्रभुलाल गहलोत पुत्र श्री बस्तीराम गहलोत (मालिक) मै. प्रभुजी मिठाईवाला सी/ओ श्री हजारीसिंह गहलोत की की किराया दुकान चुतरावता पुलिया माता का थान रोड़, मगरा पूंजला, जोधपुर, निवासी :– 46, बालाजी नगर, मगरा पूंजला, शिव पब्लिक स्कूल के पीछे, मगरा पूंजला, जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री जवाहर चौधरी, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 90/2018

प्रार्थी

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी

(1) श्री ललित गहलोत पुत्र श्री प्रभुलाल गहलोत (एफबीओ एवं विक्रेता) मैसर्स प्रभुजी मिठाईवाला सी/ओ श्री हजारीसिंह गहलोत की किराया दुकान चुतरावता पुलिया माता का थान रोड़, मगरा पूंजला, जोधपुर, निवासी :– 46, बालाजी नगर, मगरा पूंजला, शिव पब्लिक स्कूल के पीछे, मगरा पूंजला, जोधपुर।

(2) श्री प्रभुलाल गहलोत पुत्र श्री बस्तीराम गहलोत (मालिक) मै. प्रभुजी मिठाईवाला सी/ओ श्री हजारीसिंह गहलोत की की किराया दुकान चुतरावता पुलिया माता का थान रोड़, मगरा पूंजला, जोधपुर, निवासी :– 46, बालाजी नगर, मगरा पूंजला, शिव पब्लिक स्कूल के पीछे, मगरा पूंजला, जोधपुर।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 23.07.2018 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी फर्म :– मैसर्स प्रभुजी मिठाईवाला सी/ओ श्री हजारीसिंह गहलोत की किराया दुकान चुतरावता पुलिया माता का थान रोड़, मगरा पूंजला, जोधपुर, में लगभग 2 किलोग्राम पनीर आम जनता को विक्रय हेतु रखे थे। उक्त पनीर में से 1 किलोग्राम पनीर वास्ते जांच मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 320/– नगद देकर खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।

2. खरीदशुदा उक्त एक किलोग्राम पनीर को अच्छी तरह से हिला मिलाकर एक साफ सूखी स्टील की ट्रे में तुलवाकर/नपवाकर एक रूप कर चार भागों में बराबर–बराबर कर चार साफ सूखी व खाली कांच की शिशियों में 250 ग्राम प्रति नमूना डालकर प्रत्येक में 20 बूंदे फॉर्मेलिन की डाली अच्छी तरह हिलाया और एयरटाईट बंद कर चारों नमूना शिशियों पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड़ व सीरियल नम्बर एम–1851 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एम–1851 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एम–1851 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।

3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाबा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि उक्त पनीर के चारों शिशियों के चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एम–1851 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस/576/एक्ट/2018/576 दिनांक 08.08.2018 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ मिथ्याछाप होना पाया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की

5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी संख्या 5 से 8 निर्माता कंपनी ने जुर्म स्वीकार किया है तथा उनके अधिवक्ता ने भी ने अप्रार्थी संख्या 5 से 8 की ओर से उपस्थित होकर जवाब के तथ्यों को दोहराया एवं जुर्म स्वीकार किया है। पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट दिनांक 19.09.2017 का अवलोकन किया। मनन के पश्चात पाया की अप्रार्थीगण खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 52 का दोषी हैं। ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 52 का दोषी हैं। अप्रार्थीगण पर शास्ती रूपये ..... अक्षरे रूपये ..... की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक .....के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें तथा एक माह में राशि नहीं कराने पर एफएसओ अभिहित अधिकारी के माध्यम से खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 के तहत कार्यवाही सुनिश्चित करें।
निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(जवाहर चौधरी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर।

कमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2019/ **दिनांक :–**

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

8. अभिहित अधिकारी मुख्य, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।
9. श्री रजनीश शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर (राज.), राजस्थान खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 की पालना सुनिश्चित करें।
10. श्री गोकल राम पुत्र श्री किरता राम पंवार (एफबीओ) मै0– महाबल माल प्रा0 लि0 नरसिंह जी की प्याउ के पास, मगरा पुंजला, जोधपुर। निवासी – नाईयों की ढाणी, भीकमकौर, ऑसियां, जोधपुर।
11. श्री राजेन्द्र प्रसाद पुत्र श्री जोरा राम (डाइरेक्टर) मै0– महाबल माल प्रा0 लि0 नरसिंह जी की प्याउ के पास, मगरा पुंजला, जोधपुर। निवासी – रामदेव नगर, भोजाकोर, जोधपुर।
12. श्री श्यामलाल पंवार पुत्र श्री किरता राम पंवार (डाइरेक्टर) मै0– महाबल माल प्रा0 लि0 नरसिंह जी की प्याउ के पास, मगरा पुंजला, जोधपुर। निवासी – नाईयों की ढाणी, भीकमकोर, ऑसियां, जोधपुर।
13. मैसर्स महाबल माल प्रा. लि. नरसिंह जी की प्याउ के पास, मगरा पुंजला, जोधपुर।
14. श्री राकेश कुमार जैन पुत्र श्री केवलचंद जैन (मालिक/निर्माता) फर्म–मैसर्स–महावीर मार्केटिंग प्लॉट सं. 58, माता का थान, जोधपुर निवासी–सी–43, लक्ष्मी नगर, पावटा सी रोड़, जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री जवाहर चौधरी, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 71/2018

प्रार्थी

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी

(1) श्री पंकज डाणी पुत्र श्री रामकिशन डाणी (एफबीओ) मै.–अग्रवाल एन्टरप्राईजेज, जे–प्रथम–13, मैन मण्डोर मण्डी, जोधपुर। निवासी–29 बिकानेरिया बास, वार्ड संख्या 27, पाली।

(2) श्रीमती चन्द्रकांता डाणी पुत्री श्री सागर मल (मालिक) फर्म–मैसर्स अग्रवाल एन्टरप्राईजेज, जे–प्रथम–13 मैन मण्डोर मण्डी, जोधपुर। निवासी–29, बिकानेरिया बास, वार्ड संख्या 27 पाली।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 06.10.2017 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी फर्म :– मैसर्स महाबल माल प्रा. लि., नरसिंह जी की प्याउ के पास, मगरा पूंजला, जोधपुर में संयुक्त बांधानी हिंग (जय जिनेन्द्र) 250 ग्राम की 16 पैक्स आम जनता को विक्रय हेतु रखे थे। उक्त संयुक्त बांधानी हिंग (जय जिनेन्द्र) के 250–250 ग्राम के 4 पैक वास्ते जांच मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 920/– नगद देकर खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. खरीदशुदा उक्त संयुक्त बांधानी हिंग (जय जिनेन्द्र) के चारों पैकट (प्रत्येक 250 ग्राम वजनी) पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड़ व सीरियल नम्बर एम–1585 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एम–1585 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एम–1585 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाबा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि उक्त संयुक्त बांधानी हिंग (जय जिनेन्द्र) के चारों पैकेट के चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एम–1585 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस/796/एक्ट/2017/807 दिनांक 19.09.2017 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ मिथ्याछाप होना पाया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एम–1585 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाईल करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।
4. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ।

फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एम–1585 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाईल करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।

4. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। अप्रार्थी संख्या 4 व 5 की ओर से जवाब पेश। शेष का जवाब बंद किया गया। अप्रार्थी 4 व 5 के अधिवक्ता बहस हेतु उपस्थित बहस के दौरान जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि लेब रिपोर्ट के अनुसार नॉर्मस 4.0 के स्थान पर 4.56 आया है। जो नगण्य है तथा लेबल पर बेस्ट बिफोर एवं लिस्ट ऑफ इनग्रेडियेन्टस नहीं होने से मिथ्या छाप एवं अमानक स्तर का पाया है।
5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट दिनांक 19.09.2017 का अवलोकन किया। अप्रार्थी संख्या 4 व 5 निर्माता कंपनी ने आंशिक रूप से अमानक होने स्वीकारा तथा लेबल पर बेस्ट बिफोर एवं लिस्ट ऑफ इनग्रेडियेन्टस अंकित नहीं होने से अप्रार्थीगण खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2005 की धारा 51 व 52 के दोषी हैं। अतः अप्रार्थीगण पर शास्ती रूपये 2000/– अक्षरे रूपये दो हजार मात्र की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक 21.02.2019 के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें तथा एक माह में राशि नहीं कराने पर एफएसओ अभिहित अधिकारी के माध्यम से खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 के तहत कार्यवाही सुनिश्चित करें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 21.02.2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(जवाहर चौधरी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर।

कमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2019/ **दिनांक :–**

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अभिहित अधिकारी मुख्य, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।
2. श्री रजनीश शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर (राज.), राजस्थान खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 की पालना सुनिश्चित करें।
3. श्री गोकल राम पुत्र श्री किरता राम पंवार (एफबीओ) मै0– महाबल माल प्रा0 लि0 नरसिंह जी की प्याउ के पास, मगरा पुंजला, जोधपुर। निवासी – नाईयों की ढाणी, भीकमकौर, ऑसियां, जोधपुर।
4. श्री राजेन्द्र प्रसाद पुत्र श्री जोरा राम (डाइरेक्टर) मै0– महाबल माल प्रा0 लि0 नरसिंह जी की प्याउ के पास, मगरा पुंजला, जोधपुर। निवासी – रामदेव नगर, भोजाकोर, जोधपुर।
5. श्री श्यामलाल पंवार पुत्र श्री किरता राम पंवार (डाइरेक्टर) मै0– महाबल माल प्रा0 लि0 नरसिंह जी की प्याउ के पास, मगरा पुंजला, जोधपुर। निवासी – नाईयों की ढाणी, भीकमकोर, ऑसियां, जोधपुर।
6. मैसर्स महाबल माल प्रा. लि. नरसिंह जी की प्याउ के पास, मगरा पुंजला, जोधपुर।
7. श्री राकेश कुमार जैन पुत्र श्री केवलचंद जैन (मालिक/निर्माता) फर्म–मैसर्स–महावीर मार्केटिंग प्लॉट सं. 58, माता का थान, जोधपुर निवासी–सी–43, लक्ष्मी नगर, पावटा सी रोड़, जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री जवाहर चौधरी, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 34/2018

प्रार्थी

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी

(1) श्री गोकल राम पुत्र श्री किरता राम पंवार (एफबीओ) मै0– महाबल माल प्रा0 लि0 नरसिंह जी की प्याउ के पास, मगरा पुंजला, जोधपुर। निवासी – नाईयों की ढाणी, भीकमकौर, ऑसियां, जोधपुर।

(2) श्री राजेन्द्र प्रसाद पुत्र श्री जोरा राम (डाइरेक्टर) मै0– महाबल माल प्रा0 लि0 नरसिंह जी की प्याउ के पास, मगरा पुंजला, जोधपुर। निवासी – रामदेव नगर, भोजाकोर, जोधपुर।

(3) श्री श्यामलाल पंवार पुत्र श्री किरता राम पंवार (डाइरेक्टर) मै0– महाबल माल प्रा0 लि0 नरसिंह जी की प्याउ के पास, मगरा पुंजला, जोधपुर। निवासी – नाईयों की ढाणी, भीकमकोर, ऑसियां, जोधपुर।

(4) मैसर्स महाबल माल प्रा. लि. नरसिंह जी की प्याउ के पास, मगरा पुंजला, जोधपुर।

(5) श्री राकेश कुमार जैन पुत्र श्री केवलचंद जैन (मालिक/निर्माता) फर्म–मैसर्स–महावीर मार्केटिंग प्लॉट सं. 58, माता का थान, जोधपुर निवासी–सी–43, लक्ष्मी नगर, पावटा सी रोड़, जोधपुर।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 06.09.2017 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी फर्म :– मैसर्स महाबल माल प्रा. लि., नरसिंह जी की प्याउ के पास, मगरा पूंजला, जोधपुर में संयुक्त बांधानी हिंग (जय जिनेन्द्र) 250 ग्राम की 16 पैक्स आम जनता को विक्रय हेतु रखे थे। उक्त संयुक्त बांधानी हिंग (जय जिनेन्द्र) के 250–250 ग्राम के 4 पैक वास्ते जांच मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 920/– नगद देकर खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।

2. खरीदशुदा उक्त संयुक्त बांधानी हिंग (जय जिनेन्द्र) के चारों पैकट (प्रत्येक 250 ग्राम वजनी) पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड़ व सीरियल नम्बर एम–1585 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एम–1585 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एम–1585 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।

3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाबा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि उक्त संयुक्त बांधानी हिंग (जय जिनेन्द्र) के चारों पैकेट के चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एम–1585 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस/796/एक्ट/2017/807 दिनांक 19.09.2017 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ मिथ्याछाप व अमानक स्तर का होना पाया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल,

अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ मिथ्याछाप होना पाया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एम–1556 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाईल करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।

4. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ।
5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 का जवाब अवलोकन किया गया। पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट दिनांक 13.07.2017 का अवलोकन किया । यदि अप्राथीगण लेबोरेट्री रिपोर्ट दिनांक 13.03.2018 से संतुष्ट नहीं थे तो वे उक्त लैब रिपोर्ट के विरूद्ध अपील कर सकते थे परंतु अप्रार्थीगण ने उक्त रिपोर्ट के विरूद्ध नियत समय में कोई अपील नहीं की। ऐसी स्थिती में अप्रार्थीगण ही खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 के दोषी हैं। अप्रार्थीगण पर शास्ती रूपये ..... अक्षरे रूपये ..... की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक .....के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें तथा एक माह में राशि नहीं कराने पर एफएसओ अभिहित अधिकारी के माध्यम से खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 के तहत कार्यवाही सुनिश्चित करें।
   निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(जवाहर चौधरी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर।

कमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2019/ **दिनांक :–**

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अभिहित अधिकारी मुख्य, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।
2. श्री संदीप अग्रवाल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर, राजस्थान खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 की पालना सुनिश्चित करें।
3. श्री दुष्यंत चौधरी पुत्र श्री बीरबल चौधरी, खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता फर्म–मै. जोधपुर डिपार्टमेंटल स्टोर, 99, ए, नियर हनुमान टेम्पल, न्यू पाली रोड़, भगत की कोठी, जोधपुर।
4. श्रीमती भंवरी देवी पत्नी श्री बलबीर चौधरी, मालिक मै. जोधपुर डिपार्टमेंटल स्टोर, 99, ए, नियर हनुमान टेम्पल, न्यू पाली रोड़, भगत की कोठी, जोधपुर।
5. श्री हनुमान सिंह राजपुरोहित पुत्र श्री दुर्ग सिह, मालिक मैसर्स वर्षा फूड प्रोडक्ट, ए/406, राजीव गांधी कॉलोनी, पाल लिंक रोड, जोधपुर–राजस्थान।

6- श्रीमती मीनाक्षी देवी भागीदार Firm :- C.M. Foods Sumerpur, Angor Indu, Area Angor Sumerpur, Dist. Pali.

7- श्रीमती कमलेश देवी कुमावत भागीदार Firm :- C.M. Foods Sumerpur, Angor Indu, Area Angor Sumerpur, Dist. Pali.

8- Firm :- C.M. Foods Sumerpur, Angor Indu, Area Angor Sumerpur, Dist. Pali.

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री जवाहर चौधरी, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 49/2018

प्रार्थी

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी

(1) श्री दुष्यंत चौधरी पुत्र श्री बीरबल चौधरी, खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता फर्म–मै. जोधपुर डिपार्टमेंटल स्टोर, 99, ए, नियर हनुमान टेम्पल, न्यू पाली रोड़, भगत की कोठी, जोधपुर।

(2) श्रीमती भंवरी देवी पत्नी श्री बलबीर चौधरी, मालिक मै. जोधपुर डिपार्टमेंटल स्टोर, 99, ए, नियर हनुमान टेम्पल, न्यू पाली रोड़, भगत की कोठी, जोधपुर।

(3) श्री हनुमान सिंह राजपुरोहित पुत्र श्री दुर्ग सिह, मालिक मैसर्स वर्षा फूड प्रोडक्ट, ए/406, राजीव गांधी कॉलोनी, पाल लिंक रोड, जोधपुर–राजस्थान।

(4) श्रीमती मीनाक्षी देवी भागीदार Firm :- C.M. Foods Sumerpur, Angor Indu, Area Angor Sumerpur, Dist. Pali.

(5) श्रीमती कमलेश देवी कुमावत भागीदार Firm :- C.M. Foods Sumerpur, Angor Indu, Area Angor Sumerpur, Dist. Pali.

(6) Firm :- C.M. Foods Sumerpur, Angor Indu, Area Angor Sumerpur, Dist. Pali.

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 03.07.2017 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोन जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी फर्म :–मै. जोधपुर डिपार्टमेंटल स्टोर, 99, ए, नियर हनुमान टेम्पल, न्यू पाली रोड़, भगत की कोठी, जोधपुर में 8 पाउच प्रत्येक पाउच वजनी 400 ग्राम **आम का अचार (छगन मगन)** आम जनता को विक्रय हेतु रखे थे। उक्त **आम का अचार (छगन मगन) में से 400 ग्राम के 4 कुल 1600 ग्राम** वास्ते जांच मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 208/– नगद देकर खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।

2. उक्त 400 ग्राम के 4 पाउच **आम का अचार (छगन मगन)** के चारों मूल पाउच पर पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड़ व सीरियल नम्बर एम–1556 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एम–1556 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एम–1556 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।

3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाबा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि उक्त **आम का अचार (छगन मगन)** के चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एम–1556 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस/631/एक्ट/2017/632 दिनांक 13.07.2017 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

5. श्रीमती शोभा कुम्भट पत्नी श्री गौतम कुम्भट (प्रोपराईटर) फर्म–मैसर्स सिनकेम डिस्ट्रीब्यूटर्स, 3–लाल बंगलो, राई का बाग, जोधपुर। 342006 निवासी–3–लाल बंगलो, राई का बाग, जोधपुर। 342006
6. श्री सिमरनदीप लखिना पुत्र श्री कृपालसिंह लखिना (प्रोपराईटर) फर्म–मैसर्स फार्मा डिस्ट्रीब्यूटर्स, 320, द्वितीय तल, दवा बाजार, फिल्म कॉलोनी, चोडा रास्ता, जयपुर। निवासी–1,3/409, चित्रकुट योजना, गांधी पथ, वैशाली नगर, जयपुर 302021।
7- श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा (नोमिनी) Firm :- Alkem laboratories limited (Futura) M/s Pharma trade services (C&F) D-27, Sudarshanpura extension, Ind. area 22 godwon, opp. Shankar Marg, Jaipur-302005.
8- श्री धर्मेन्द्र सिंह (नोमिनी) Firm :- Alkem laboratories limited (Futura) M/s Pharma trade services (C&F) D-27, Sudarshanpura extension, Ind. area 22 godwon, opp. Shankar Marg, Jaipur-302005.
9- Firm :- Alkem laboratories limited (Futura) M/s Pharma trade services (C&F) D-27, Sudarshanpura extension, Ind. area 22 godwon, opp. Shankar Marg, Jaipur-302005.
10. श्री नवीन खन्ना पुत्र (नोमिनी/डिजीएम) Firm :- Cachet Pharmaceutical Pvt. Ltd. Vill. Thana Tehsil Baddi, Dist. Solan-173205 Himachal Pradesh निवासी–सी–504, इंपीरीयल टावर्स, किशनपुरा धाकौली, एस.ए.एस. नगर मोहाली, पंजाब। 140603।
11- Firm :- Cachet Pharmaceutical Pvt. Ltd. Vill. Thana Tehsil Baddi, Dist. Solan-173205 Himachal Pradesh

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर।

अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एम–1275 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।

3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाबा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि उक्त **हेल्थ सप्लीमेंट (प्रोटीकेम) प्रोपरायटरी फूड** के चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एम–1275 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस/1115/एक्ट/2016/1160 दिनांक 13.10.2016 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ मिथ्याछाप होना पाया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एम–1275 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाईल करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।
4. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ।
5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 का जवाब अवलोकन किया गया। पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट दिनांक 13.03.2018 का अवलोकन किया । यदि अप्राथीगण लेबोरेट्री रिपोर्ट दिनांक 13.03.2018 से संतुष्ट नहीं थे तो वे उक्त लैब रिपोर्ट के विरूद्ध अपील कर सकते थे परंतु अप्रार्थीगण ने उक्त रिपोर्ट के विरूद्ध नियत समय में कोई अपील नहीं की। ऐसी स्थिती में अप्रार्थीगण ही खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 के दोषी हैं। अप्रार्थीगण पर शास्ती रूपये ..... अक्षरे रूपये ..... की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक .....के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें तथा एक माह में राशि नहीं कराने पर एफएसओ अभिहित अधिकारी के माध्यम से खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 के तहत कार्यवाही सुनिश्चित करें।

   निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(जवाहर चौधरी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर।

कमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2019/ **दिनांक :–**

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अभिहित अधिकारी मुख्य, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।
2. श्री रजनीश शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर, राजस्थान खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 की पालना सुनिश्चित करें।
3. श्री जितेन्द्र सिंह राजपुरोहित पुत्र श्री अनोपसिंह राजपुराहित (एफबीओ/मालिक) फर्म–मै. मां करणी डिस्ट्रीब्यूटर्स, खादी मोहल्ला, गर्ल्स स्कूल के पीछे, बाईजी का तालाब, जालौरी बारी के अंदर, जोधपुर निवासी–राजपुराहितों का बास, नंदवान, सालावास, जोधपुर।
4. श्री सुरेश पंवार पुत्र श्री प्रतापसिंह पंवार (प्रोपराईटर) फर्म–मैसर्स दी दीवान फार्मास्यूटिकल्स, प्लॉट सं. 13, रामवाटिका, आर्य नगर, बडला रोड़, तीसरी पोल के बाहर, महामंदिर, जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री जवाहर चौधरी, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 93/2017

प्रार्थी

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी

(1) श्री जितेन्द्र सिंह राजपुरोहित पुत्र श्री अनोपसिंह राजपुराहित (एफबीओ/मालिक) फर्म–मै. मां करणी डिस्ट्रीब्यूटर्स, खादी मोहल्ला, गर्ल्स स्कूल के पीछे, बाईजी का तालाब, जालौरी बारी के अंदर, जोधपुर निवासी–राजपुराहितों का बास, नंदवान, सालावास, जोधपुर।

(2) श्री सुरेश पंवार पुत्र श्री प्रतापसिंह पंवार (प्रोपराईटर) फर्म–मैसर्स दी दीवान फार्मास्यूटिकल्स, प्लॉट सं. 13, रामवाटिका, आर्य नगर, बडला रोड़, तीसरी पोल के बाहर, महामंदिर, जोधपुर।

(3) श्रीमती शोभा कुम्भट पत्नी श्री गौतम कुम्भट (प्रोपराईटर) फर्म–मैसर्स सिनकेम डिस्ट्रीब्यूटर्स, 3–लाल बंगलो, राई का बाग, जोधपुर। 342006 निवासी–3–लाल बंगलो, राई का बाग, जोधपुर। 342006

(4) श्री सिमरनदीप लखिना पुत्र श्री कृपालसिंह लखिना (प्रोपराईटर) फर्म–मैसर्स फार्मा डिस्ट्रीब्यूटर्स, 320, द्वितीय तल, दवा बाजार, फिल्म कॉलोनी, चोडा रास्ता, जयपुर। निवासी–1,3/409, चित्रकुट योजना, गांधी पथ, वैशाली नगर, जयपुर 302021।

(5) श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा (नोमिनी) Firm :- Alkem laboratories limited (Futura) M/s Pharma trade services (C&F) D-27, Sudarshanpura extension, Ind. area 22 godwon, opp. Shankar Marg, Jaipur-302005.

(6) श्री धर्मेन्द्र सिंह (नोमिनी) Firm :- Alkem laboratories limited (Futura) M/s Pharma trade services (C&F) D-27, Sudarshanpura extension, Ind. area 22 godwon, opp. Shankar Marg, Jaipur-302005.

(7) Firm :- Alkem laboratories limited (Futura) M/s Pharma trade services (C&F) D-27, Sudarshanpura extension, Ind. area 22 godwon, opp. Shankar Marg, Jaipur-302005.

(8) श्री नवीन खन्ना पुत्र (नोमिनी/डिजीएम) Firm :- Cachet Pharmaceutical Pvt. Ltd. Vill. Thana Tehsil Baddi, Dist. Solan-173205 Himachal Pradesh निवासी–सी–504, इंपीरीयल टावर्स, किशनपुरा धाकौली, एस.ए.एस. नगर मोहाली, पंजाब। 140603।

(9) Firm :- Cachet Pharmaceutical Pvt. Ltd. Vill. Thana Tehsil Baddi, Dist. Solan-173205 Himachal Pradesh

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 18.09.2016 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोन जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी फर्म :–मै. मां करणी डिस्ट्रीब्यूटर्स, खादी मोहल्ला, गर्ल्स स्कूल के पीछे, बाईजी का तालाब जालोरी बारी के अन्दर, जोधपुर में 200 ग्राम के 17 टीन पैक **हेल्थ सप्लीमेंट (प्रोटीकेम) प्रोपरायटरी फूड** आम जनता को विक्रय हेतु रखे थे। उक्त **हेल्थ सप्लीमेंट (प्रोटीकेम) प्रोपरायटरी फूड में से 200 ग्राम 8 टीन** वास्ते जांच मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 338/– नगद देकर खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. उक्त 200 ग्राम के 8 टीन पैक **हेल्थ सप्लीमेंट (प्रोटीकेम) प्रोपरायटरी फूड** को 2–2 के चार भागों में बांटकर इन पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड़ व सीरियल नम्बर एम–1275 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एम–1275 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को

उपस्थित नही आवाज लगाई गई। कोई उपस्थित नही हुआ अतः एक पक्षीय आदेश पारित करना उचित प्रतीत होता है।

5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 का जवाब अवलोकन किया गया। पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट दिनांक 13.03.2018 का अवलोकन किया । यदि अप्राथीगण लेबोरेट्री रिपोर्ट दिनांक 13.03.2018 से संतुष्ट नहीं थे तो वे उक्त लैब रिपोर्ट के विरूद्ध अपील कर सकते थे परंतु अप्रार्थीगण ने उक्त रिपोर्ट के विरूद्ध नियत समय में कोई अपील नहीं की। ऐसी स्थिती में अप्रार्थीगण ही खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 के दोषी हैं। अप्रार्थीगण पर शास्ती रूपये ..... अक्षरे रूपये ..... की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक .....के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें तथा एक माह में राशि नहीं कराने पर एफएसओ अभिहित अधिकारी के माध्यम से खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 के तहत कार्यवाही सुनिश्चित करें।
निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(जवाहर चौधरी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर।

क्रमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2019/ **दिनांक :–**

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अभिहित अधिकारी मुख्य, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।
2. श्री रजनीश शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर, राजस्थान खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 की पालना सुनिश्चित करें।
3. श्री माणक सिंह राजपुराहित पुत्र श्री बहादुर सिंह (एफबीओ/मालिक) फर्म–मै. ओम जोधपुर स्वीट्स, एम्स के पास, ट्रांसपोर्ट नगर, बासनी, जोधपुर। निवासी–गांव नारनाडी, जोधपुर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री जवाहर चौधरी, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 62/2018

प्रार्थी

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी

(1) श्री माणक सिंह राजपुराहित पुत्र श्री बहादुर सिंह (एफबीओ/मालिक) फर्म–मै. ओम जोधपुर स्वीट्स, एम्स के पास, ट्रांसपोर्ट नगर, बासनी, जोधपुर। निवासी–गांव नारनाडी, जोधपुर।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 21.02.2018 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोन जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी फर्म :–मै. ओम जोधपुर स्वीट्स, एम्स के पास, ट्रांसपोर्ट नगर, बासनी, जोधपुर में 5 किलोग्राम **मिल्क केक (दूध शक्कर निर्मित मिठाई)** आम जनता को विक्रय हेतु रखे थे। उक्त **मिल्क केक (दूध शक्कर निर्मित मिठाई) में से 2 किलाग्राम** वास्ते जांच मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 480/– नगद देकर खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. विक्रेता व गवाह को दिखाकर चार साफ सुखी खाली प्लास्टिक की शिशियां में खरीदशुदा उक्त 2 **किलोग्राम मिल्क केक (दूध शक्कर निर्मित मिठाई)** को अच्छी तरह से हिला मिलाकर एक रूप कर चार प्लास्टिक की नमूना बोटल्स में बराबर–बराबर (500 ग्राम) डालकर प्रत्येक में 40–40 बूंदे फॉर्मेलिन की डालकर अच्छी तरह से हिलाकर एयरटाईट बंदकर चारों नमूनों शिशियों पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड़ व सीरियल नम्बर एम–1741 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एम–1741 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एम–1741 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाबा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि उक्त **मिल्क केक (दूध शक्कर निर्मित मिठाई)** के चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एम–1741 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस/164/एक्ट/2018/178 दिनांक 13.03.2018 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ मिथ्याछाप होना पाया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एम–1741 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाईल करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।
4. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। अप्रार्थी संख्या 1 ने स्वयं जवाब पेश किया। अप्रार्थीगण संख्या 2 को अवसर देने के बावजूद जवाब पेश नहीं किया। अतः जवाब बंद किया। बहस हेतु भी अनेक अवसर दिये गये लेकिन

प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एम–1484 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाईल करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।

4. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। अप्रार्थी संख्या 1 ने स्वयं जवाब पेश किया। अप्रार्थीगण संख्या 2 को अवसर देने के बावजूद जवाब पेश नहीं किया। अतः जवाब बंद किया। बहस हेतु भी अनेक अवसर दिये गये लेकिन उपस्थित नही आवाज लगाई गई। कोई उपस्थित नही हुआ अतः एक पक्षीय आदेश पारित करना उचित प्रतीत होता है।
5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 का जवाब अवलोकन किया गया। पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट दिनांक 02.05.2017 का अवलोकन किया । अप्रार्थीगण के जवाब से यह स्पष्ट नहीं है कि उनके द्वारा पनीर जोधपुर डेयरी का है क्योंकि खुले पनीर क्रय से यह स्पष्ट नहीं किया जा सकता है कि यह किससे खरीदा गया है। और न ही पत्रावली में जोधपुर डेयरी से क्रय संबंधी कोई विक्रय विपत्र उपलब्ध है। यदि अप्राथीगण लेबोरेट्री रिपोर्ट दिनांक 02.05.2017 से संतुष्ट नहीं थे तो वे उक्त लैब रिपोर्ट के विरूद्ध अपील कर सकते थे परंतु अप्रार्थीगण ने उक्त रिपोर्ट के विरूद्ध नियत समय में कोई अपील नहीं की। ऐसी स्थिती में अप्रार्थीगण ही खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 के दोषी हैं। अप्रार्थीगण पर शास्ती रूपये 15000/– अक्षरे रूपये पन्द्रह हजार मात्र की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक 21.02.2019 के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें तथा एक माह में राशि नहीं कराने पर एफएसओ अभिहित अधिकारी के माध्यम से खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 के तहत कार्यवाही सुनिश्चित करें।

   निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 21.02.2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(जवाहर चौधरी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर।

क्रमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2019/ **दिनांक :–**

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अभिहित अधिकारी मुख्य, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।
2. श्री रेवंत सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर, राजस्थान खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 की पालना सुनिश्चित करें।
3. श्री विकास लोहिया पुत्र श्री पूनमचंद लोहिया (एफबीओ, विक्रेता एवं निदेशक), फर्म–मै. विमान हॉस्पीटैलिटी एण्ड एंटरटेनमेन्ट प्रा. लि. 17–18 कल्पतरू शॉपिंग कॉम्पलेक्स, सेंटर सेक्टर ई शास्त्रीनगर, जोधपुर निवासी–ए 202, लाचू कॉलेज के पास शास्त्रीनगर, जोधपुर।
4. श्री निखिल अग्रवाल पुत्र श्री कमल अग्रवाल (निदेशक) मै. विमान हॉस्पीटैलिटी एण्ड एंटरटेन्मेंट प्रा.लि. 17–18, कल्पतरू शॉपिंग कॉम्पलेक्स सेंटर सेक्टर ई शास्त्रीनगर जोधपुर, निवासी–प्लाट नं. 6 श्याम बलानी मार्ग, पाल रोड़, जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री जवाहर चौधरी, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 31/2018

प्रार्थी

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी

(1) श्री विकास लोहिया पुत्र श्री पूनमचंद लोहिया (एफबीओ, विक्रेता एवं निदेशक), फर्म–मै. विमान हॉस्पीटैलिटी एण्ड एंटरटेनमेन्ट प्रा. लि. 17–18 कल्पतरू शॉपिंग कॉम्पलेक्स, सेंटर सेक्टर ई शास्त्रीनगर, जोधपुर निवासी–ए 202, लाचू कॉलेज के पास शास्त्रीनगर, जोधपुर।

(2) श्री निखिल अग्रवाल पुत्र श्री कमल अग्रवाल (निदेशक) मै. विमान हॉस्पीटैलिटी एण्ड एंटरटेन्मेंट प्रा.लि. 17–18, कल्पतरू शॉपिंग कॉम्पलेक्स सेंटर सेक्टर ई शास्त्रीनगर जोधपुर, निवासी–प्लाट नं. 6 श्याम बलानी मार्ग, पाल रोड़, जोधपुर।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 24.04.2017 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोन जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी फर्म :– मै. विमान हॉस्पीटैलिटी एण्ड एंटरटेनमेन्ट प्रा. लि. 17–18 कल्पतरू शॉपिंग कॉम्पलेक्स, सेंटर सेक्टर ई शास्त्रीनगर, जोधपुर में 15 किलोग्राम **पनीर** आम जनता को विक्रय हेतु रखे थे। उक्त **पनीर में से 1 किलाग्राम पनीर** वास्ते जांच मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 300/– नगद देकर खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।

2. विक्रेता व गवाह को दिखाकर चार साफ सुखी खाली प्लास्टिक की शिशियां दिखाकर खरीदशुदा उक्त **1 किलाग्राम पनीर** को अच्छी तरह से हिला मिलाकर एक साफ सूची स्टील की ट्रे में तुलवाकर/नपवाकर एक रूप कर चार भागों में बराबर–बराबर कर चार साफ सूखी व खाली कांच की शिशियों में 250 ग्राम प्रति नमूना डालकर प्रत्येक में 20 बूंदे फॉर्मेलिन की डालकर अच्छी तरह से हिलाकर एयरटाईट बंदकर चारों नमूनों शिशियों पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड़ व सीरियल नम्बर एम–1484 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एम–1484 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एम–1484 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।

3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाबा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि उक्त **पनीर** के चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एम–1484 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस/378/एक्ट/2017/379 दिनांक 02.05.2017 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ मिथ्याछाप होना पाया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की

4. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ।
5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 से 5 ने जुर्म स्वीकार किया है। पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट दिनांक 13.10.2017 का अवलोकन किया । मनन के पश्चात पाया की अप्रार्थीगण खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थीगण पर शास्ती रूपये ..... अक्षरे रूपये ..... की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक .....के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें तथा एक माह में राशि नहीं कराने पर एफएसओ अभिहित अधिकारी के माध्यम से खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 के तहत कार्यवाही सुनिश्चित करें।
   निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(जवाहर चौधरी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर।

कमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2019/ **दिनांक :–**

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अभिहित अधिकारी संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, जोन जोधपुर।
2. श्री राजेश टिंकर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, जोन जोधपुर, राजस्थान खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 की पालना सुनिश्चित करें।
3. श्री दिनेश बाजिया पुत्र श्री हंसराज बाजिया (एफबीओ), फर्म–मै. 15 एडी बेकरी, 56 गली नं. 4, न्यू पावर हाउस के पीछे, बासनी इण्डस्ट्रीयल एरिया, जोधपुर। निवासी–118/69, करणी नगर, बासनी, 1 फेस, जोधपुर।
4. श्री जकी अहमद पुत्र श्री नबीअहमद (मालिक), मैसर्स–15 एडी बेकरी, 56 गली नं. 4, न्यू पावर हाउस के पीछे, बासनी इण्डस्ट्रीयल एरिया, जोधपुर। निवासी–सोजती गेट अन्दर, जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री जवाहर चौधरी, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 83/2018

प्रार्थी

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी

(1) श्री दिनेश बाजिया पुत्र श्री हंसराज बाजिया (एफबीओ), फर्म–मै. 15 एडी बेकरी, 56 गली नं. 4, न्यू पावर हाउस के पीछे, बासनी इण्डस्ट्रीयल एरिया, जोधपुर। निवासी–118/69, करणी नगर, बासनी, 1 फेस, जोधपुर।

(2) श्री जकी अहमद पुत्र श्री नबीअहमद (मालिक), मैसर्स–15 एडी बेकरी, 56 गली नं. 4, न्यू पावर हाउस के पीछे, बासनी इण्डस्ट्रीयल एरिया, जोधपुर। निवासी–सोजती गेट अन्दर, जोधपुर।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 04.10.2017 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वा. सेवाऐं, जोन जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी फर्म :– मै. 15 एडी बेकरी, 56 गली नं. 4, न्यू पावर हाउस के पीछे, बासनी इण्डस्ट्रीयल एरिया, जोधपुर में 5 कार्टन में 60 पैक खाद्य पदार्थ **बिस्किट बटर काजू कूकीज** 400 ग्राम पैक के प्रत्येक भरती 400 ग्राम आम जनता को विक्रय हेतु रखे थे। उक्त **बिस्किट बटर काजू कूकीज** में से 400 ग्राम के 4 पैक प्रत्येक भरती 400 ग्राम वास्ते जांच मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 920/– नगद देकर खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।

2. विक्रेता व गवाह को दिखाकर चार साफ सुखी खाली प्लास्टिक की शिशियां दिखाकर खरीदशुदा उक्त **बिस्किट बटर काजू कूकीज** में से 400 ग्राम के 4 पैक प्रत्येक भरती 400 ग्राम के चारों नमूनों पैक पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड़ व सीरियल नम्बर एडी–628 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एडी–628 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एडी–628 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।

3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाबा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि उक्त **बिस्किट बटर काजू कूकीज** के चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एडी–628 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस/884/एक्ट/2017/885 दिनांक 13.10.2017 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ मिथ्याछाप होना पाया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एडी–628 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाईल करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।

4. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। अप्रार्थीगण को बार–बार जवाब हेतु अवसर देने के उपरांत भी कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः जवाब बंद किया गया। पत्रावली बहस हेतु रखी गई। बहस हेतु अप्रार्थीगण को अनेक अवसर देने व आवाज लगाने के उपरांत भी बहस हेतु उपस्थित नहीं हुए। अतः पत्रावली में एकपक्षीय आदेश किया जाना उचित प्रतीत होता है।
5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण यदि फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस/817/एक्ट/2017/816 दिनांक 26.09.2017 से संतुष्ट नहीं थे तो उक्त जांच रिपोर्ट के विरूद्ध नियत समय में अपील करने का प्रावधान परंतु अप्राथीगण की ओर से उक्त लैब रिपोर्ट के विरूद्ध कोई अपील नहीं की गई तथा अप्रार्थीगण को जवाब एवं बहस हेतु अनेक अवसर देने के बाद भी उनकी ओर से जवाब एवं बहस हेतु कोई उपस्थित नहीं हुआ। अतः ऐसी स्थिती में प्रकरण में एकपक्षीय आदेश किया उचित प्रतीत होता है। पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट दिनांक 26.09.2017 तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी के परिवाद का अवलोकन करने के बाद एक पक्षीय आदेश पारित किया गया। मनन के पश्चात एक पक्षीय आदेश पारित करते हुए अप्रार्थीगण को खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 52 का दोषी मानते हुए अप्रार्थीगण पर शास्ती रूपये ..... अक्षरे रूपये .... की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक .....के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें तथा एक माह में राशि नहीं कराने पर एफएसओ अभिहित अधिकारी के माध्यम से खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 के तहत कार्यवाही सुनिश्चित करें।
   निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर।

कमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2019/ **दिनांक :–**

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अभिहित अधिकारी मुख्य, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।
2. श्री रजनीश शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर (राज.), राजस्थान खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 की पालना सुनिश्चित करें।
3. श्री दिनेश जैन पुत्र श्री मनमोहन जैन (एफबीओ/मालिक) मै. न्यू जैन स्टोर्स, कांकरिया टावर, देव नगर के सामने, पाल लिंक रोड़, जोधपुर।
4. श्रीमती सरिता जैन पत्नी श्री दिनेश जैन (भागीदार/निर्माता फर्म) मैसर्सस–न्यू जैन स्टोर्स, निवासी–सी–49, विकास कॉलोनी, पावटा सी रोड़, जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 25/2018

प्रार्थी

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी

(1) श्री दिनेश जैन पुत्र श्री मनमोहन जैन (एफबीओ/मालिक) मै. न्यू जैन स्टोर्स, कांकरिया टावर, देव नगर के सामने, पाल लिंक रोड़, जोधपुर। निवासी–सी–49, विकास कॉलोनी, पावटा सी रोड़, जोधपुर।

(2) श्रीमती सरिता जैन पत्नी श्री दिनेश जैन (भागीदार/निर्माता फर्म) मैसर्सस–न्यू जैन स्टोर्स, कांकरिया टावर, देव नगर के सामने, पाल लिंक रोड़, जोधपुर। निवासी–सी–49, विकास कॉलोनी, पावटा सी रोड़, जोधपुर।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 15.09.2017 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी फर्म :– मै. न्यू जैन स्टोर्स, कांकरिया टावर, देव नगर के सामने, पाल लिंक रोड़, जोधपुर में 250 ग्राम की 15 पॉली पैकेट्स लाल मिर्च पाउडर (न्यू जैन ब्राण्ड) आम जनता को विक्रय हेतु रखे थे। उक्त लाल मिर्च पाउडर (न्यू जैन ब्राण्ड) में से 250 ग्राम की 8 पॉली पैकेट्स वास्ते जांच मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 368/– नगद देकर खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।

2. खरीदशुदा उक्त लाल मिर्च पाउडर (न्यू जैन ब्राण्ड) की 250 ग्राम 8 पॉली पैकेट्स को चार गत्ते के डिब्बों में 2–2 रखकर बंद कर उन चारों नमुनों पैकेट्स पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड़ व सीरियल नम्बर एम–1608 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एम–1608 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एम–1608 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।

3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाबा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि उक्त लाल मिर्च पाउडर (न्यू जैन ब्राण्ड) के चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एम–1608 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस/817/एक्ट/2017/816 दिनांक 26.09.2017 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ मिथ्याछाप होना पाया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एम–1608 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाईल करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।

अमूल) की 4 बोतल के चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एम–1120 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस/524/एक्ट/2016/556 दिनांक 24.05.2016 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ अमानक स्तर का होना पाया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एम–1120 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाईल करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।

4. अप्रार्थीगण 1 व 3 से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से वकालतनामा पेश। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब अनेक अवसर देने के बाद भी पेश नहीं किया गया। जवाब बन्द किया गया। बहस हेतु भी अवसर दिये गये। लेकिन बहस हेतु अप्रार्थीगण व अधिवक्ता उपस्थित नहीं ऐसी स्थिती में एकपक्षीय आदेश हेतु दिनांक 19.02.2019 पारित किया।

5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण ने बावजूद तामिल जवाब पेश नहीं किया। बहस हेतु अनेक अवसर देने का बावजूद उपस्थित नहीं। आवाज लगाई गई उपस्थित नहीं। अतः खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत परिवाद व पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी जोधपुर की रिपोर्ट दिनांक 24.05.2016 में लगाये गये आरोप से मैं सहमत हूँ। उक्तानुसार अप्रार्थीण खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी पाये जाते हैं। यदि वे लैब रिपोर्ट से सहमत नहीं थे तो उन्हें नियत अवधि में अपील करने का प्रावधान था जो उन्होंने नहीं किया अतः अप्रार्थीगण खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी होने से अप्रार्थी सं. 1 पर शास्ती रूपये ..... अक्षरे रूपये ..... व अप्रार्थी सं. 2 पर शास्ती रूपये ..... अक्षरे रूपये ..... तथा अप्रार्थी सं. 3 पर शास्ती रूपये .... अक्षरे रूपये .....की आरोपित की जाती हैं। अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि अलग–अलग न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक 14.03.2019 के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें तथा एक माह में राशि नहीं कराने पर एफएसओ अभिहित अधिकारी के माध्यम से खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 के तहत कार्यवाही सुनिश्चित करें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 14.03.2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर।

क्रमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2019/ **दिनांक :–**

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अभिहित अधिकारी मुख्य, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।
2. श्री रजनीश शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर (राज.), राजस्थान खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 की पालना सुनिश्चित करें।
3. श्री ओमप्रकाश राठी पुत्र श्री स्व. पूनमचंद राठी (एफबीओ/मालिक) मै. अंकित ऐजेन्सीज, रामरिशी आश्रम रोड़, गड्डी रोड, सिवांची गेट, जोधपुर।
4. श्री नरेन्द्र सिंह सोनिगरा पुत्र श्री श्री हनुवंत सिंह (नोमिनी/ब्रान्च मैनेजर निर्माता फर्म) मैसर्स गुजरात को ऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड।
5. मैसर्स गुजरात को ऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड, आनन्द, गुजरात ब्रान्चः– जी.सी.एम.एम.एफ. लिमिटेड, बासनी, फेस–द्वितीय जोधपुर केयर ऑफ मै. शाह पदमचंद मूथा प्लॉट नं. ई–376, जोधपुर 342005।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 40/2017

प्रार्थी

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी

(1) श्री ओमप्रकाश राठी पुत्र श्री स्व. पूनमचंद राठी (एफबीओ/मालिक) मै. अंकित ऐजेन्सीज, रामरिशी आश्रम रोड़, गड्डी रोड, सिवांची गेट, जोधपुर निवासी–सी–2017, प्रथम विस्तार, कमला नेहरू नगर, जोधपुर।

(2) श्री नरेन्द्र सिंह सोनिगरा पुत्र श्री श्री हनुवंत सिंह (नोमिनी/ब्रान्च मैनेजर निर्माता फर्म) मैसर्स गुजरात को ऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड, आनन्द, गुजरात ब्रान्चः– जी.सी.एम.एम.एफ. लिमिटेड, बासनी, फेस–द्वितीय जोधपुर केयर ऑफ मै. शाह पदमचंद मूथा प्लॉट नं. ई–376, जोधपुर 342005। निवासी–आर जेड–1243 ऐ, गली नं. 5/2, मैन सागरपुर, दिल्ली–110046।

(3) मैसर्स गुजरात को ऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड, आनन्द, गुजरात ब्रान्चः– जी.सी.एम.एम. एफ. लिमिटेड, बासनी, फेस–द्वितीय जोधपुर केयर ऑफ मै. शाह पदमचंद मूथा प्लॉट नं. ई–376, जोधपुर 342005।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 13.05.2016 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वा. सेवाऐं, जोधपुर जोन, जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी फर्म :– मै. अंकित ऐजेन्सीज, रामरिशी आश्रम रोड़, गड्डी रोड, सिवांची गेट, जोधपुर निवासी–सी–2017, प्रथम विस्तार, कमला नेहरू नगर, जोधपुर में 50 ग्राम की 15 बोक्स प्रत्येक में 20 स्टि आईसक्रीम (ड्यूटज मैंगो ब्राण्ड अमूल) आम जनता को विक्रय हेतु रखे थे। उक्त आईसक्रीम (ड्यूटज मैंगो ब्राण्ड अमूल) में 50 ग्राम की 24 स्टिक वास्ते जांच मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 297/– नगद देकर खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. विक्रेता व गवाह को दिखाकर चार साफ सुखी खाली प्लास्टिक की शिशियां दिखाकर खरीदशुदा उक्त आईसक्रीम (ड्यूटज मैंगो ब्राण्ड अमूल) की 50 ग्राम की 24 स्टिक को प्रत्येक शिशि में 6 स्टिक डालकर गलाकर सामान्य तापक्रम पर ला कर हिला मिला कर एक रूप कर बराबर–बराबर मात्रा में प्रत्येक शीशी में भरा एवं प्रत्येक शीशी में 40 प्रतिशत फॉर्मेलिन की 36–36 बून्दे बतौर प्रिजरवेटिव की डाली और एयरटाइट बंद कर मूल चारों बोतल पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड़ व सीरियल नम्बर एम–1120 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एम–1120 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एम–1120 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाबा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि उक्त आईसक्रीम (ड्यूटज मैंगो ब्राण्ड

4. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया जिसमें उन्होंने बताया की प्रार्थी के द्वारा साबूत टुकड़ी खरीद कर बेची जाती है जिसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं की गई तथा भविष्य में इस बाबत् ध्यान रखा जावेगा। प्रकरण में कम से कम जुर्माना करने हेतु निवेदन किया है। अप्रार्थी संख्या 2 जवाब बंद किया गया।
5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण 1 ने जुर्म स्वीकार किया। पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट दिनांक 27.02.2018 का अवलोकन किया । मनन के पश्चात पाया की अप्रार्थीगण खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अतः अप्रार्थीगण पर शास्ती रूपये 10000/– अक्षरे रूपये दस हजार मात्र की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक 21.02.2019 के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें तथा एक माह में राशि नहीं कराने पर एफएसओ अभिहित अधिकारी के माध्यम से खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 के तहत कार्यवाही सुनिश्चित करें।
   निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 21.02.2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(जवाहर चौधरी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर।

कमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2019/ **दिनांक :–**

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अभिहित अधिकारी संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन जोधपुर।
2. श्री राजेश टिंकर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन जोधपुर (राज.), राजस्थान खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 की पालना सुनिश्चित करें।
3. श्री मधुसुदन चाण्डक पुत्र श्री जगदीश प्रसाद चाण्डक (एफबीओ) मै. रामनिवास जगदीश (के प्रथम 6 मण्डोर मंडी जोधपुर) का गोदाम डब्ल्यू–22 इण्डस्ट्रीयल एरिया नो मील, जोधपुर निवासी–14 पावटा सी रोड़ आकाशवाणी के पीछे, महेश कॉलोनी, जोधपुर।
4. श्री दामोदर चाण्डक पुत्र श्री जगदीश प्रसाद चाण्डक (मालिक) मै. रामनिवास जगदीश प्रसाद (के–प्रथम 6 मण्डोर मंडी जोधपुर) का गोदाम डब्ल्यू–22 इण्डस्ट्रीयल एरिया नो मील जोधपुर निवासी–14 पावटा सी रोड़, आकाशवाणी के पीछे, महेश कॉलोनी, जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री जवाहर चौधरी, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 53/2018

प्रार्थी

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन जोधपुर

बनाम

अप्रार्थी

(1) श्री मधुसुदन चाण्डक पुत्र श्री जगदीश प्रसाद चाण्डक (एफबीओ) मै. रामनिवास जगदीश (के प्रथम 6 मण्डोर मंडी जोधपुर) का गोदाम डब्ल्यू–22 इण्डस्ट्रीयल एरिया नो मील, जोधपुर निवासी–14 पावटा सी रोड़ आकाशवाणी के पीछे, महेश कॉलोनी, जोधपुर।

(2) श्री दामोदर चाण्डक पुत्र श्री जगदीश प्रसाद चाण्डक (मालिक) मै. रामनिवास जगदीश प्रसाद (के–प्रथम 6 मण्डोर मंडी जोधपुर) का गोदाम डब्ल्यू–22 इण्डस्ट्रीयल एरिया नो मील जोधपुर निवासी–14 पावटा सी रोड़, आकाशवाणी के पीछे, महेश कॉलोनी, जोधपुर।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 30.01.2018 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वा. सेवाऐं, जोधपुर जोन, जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी फर्म :– मै. रामनिवास जगदीश (के प्रथम 6 मण्डोर मंडी जोधपुर) का गोदाम डब्ल्यू–22 इण्डस्ट्रीयल एरिया नो मील, जोधपुर में 173 सील्ड प्लास्टिक के कट्टे भारती 50 किग्रा प्रत्येक कट्टा हल्दी टुकडी जिसे पिस कर हल्दी पाउडर बनाकर आम जनता को विक्रय हेतु रखे थे। उक्त हल्दी टुकडी में से 2 किग्रा वास्ते जांच मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 50/– नगद देकर खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. खरीदशुदा उक्त हल्दी टुकडी 2 किग्रा को चार भागों में बराबर–बराबर कर चार साफ सूखी व खाली प्लास्टिक की शिशियों में डालकर अच्छी तरह से हिलाया और एयरटाइट बंद कर मूल चारों बोतल पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड़ व सीरियल नम्बर एडी–695 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एडी–695 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एडी–695 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाबा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि उक्त हल्दी टुकडी की 4 बोतल के चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एडी–695 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस/66/एक्ट/2018/114 दिनांक 27.02.2018 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ अमानक स्तर का होना पाया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एडी 695 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाईल करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।

4. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। अनेक अवसर देने के बाद भी अप्रार्थीगण की ओर से कोई जवाब पेश नहीं किया गया। अतः जवाब बंद किया गया। आवाज लगाई गई बहस हेतु उपस्थित नहीं।
5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट दिनांक 20.12.2017 का अवलोकन किया । मैं लेब रिपोर्ट से सहमत हूँ। इसके अनुसार अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थीगण पर शास्ती **रूपये 25,000/** अक्षरे रूपये **पच्चीस हजार** की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक 28.01.2018 के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें तथा एक माह में राशि नहीं कराने पर एफएसओ अभिहित अधिकारी के माध्यम से खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 के तहत कार्यवाही सुनिश्चित करें।

   निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 28.01.2018 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(जवाहर चौधरी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर।

क्रमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2019/ **दिनांक :–**

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अभिहित अधिकारी मुख्य, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।
2. श्री राजेश टिंकर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर (राज.), राजस्थान खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 की पालना सुनिश्चित करें।
3. श्रीमती मंजू गहलोत पत्नी श्री मदनलाल गहलोत फर्म–मैसर्स मातेश्वरी उद्योग पहाडिया बेरा मगरा पूंजला चैनपुरा जोधपुर निवासी–वार्ड नं. 62 गहलोत भवन, मगरा पूंजला, जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री जवाहर चौधरी, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 54/2018

प्रार्थी

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी

(1) श्रीमती मंजू गहलोत पत्नी श्री मदनलाल गहलोत फर्म–मैसर्स मातेश्वरी उद्योग पहाडिया बेरा मगरा पूंजला चैनपुरा जोधपुर निवासी–वार्ड नं. 62 गहलोत भवन, मगरा पूंजला, जोधपुर।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 07.12.2017 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वा. सेवाऐं, जोधपुर जोन, जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी फर्म :–मैसर्स मातेश्वरी उद्योग पहाडिया बेरा, मगरा पूंजला, चैनपुरा, जोधपुर में आगरे का पेठा (चीनी व पेठा से निर्मित) प्रोपराईटरी 10 थाली 35 किग्रा प्रत्येक थाली आम जनता को विक्रय हेतु रखे थे। उक्त आगरे का पेठा (चीनी व पेठा से निर्मित) प्रोपराईटरी में से 2 किग्रा वास्ते जांच मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 104/– नगद देकर खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. खरीदशुदा उक्त आगरे का पेठा (चीनी व पेठा से निर्मित) प्रोपराईटरी 2 किग्रा को अच्छी तरह से हिला मिलाकर एक साफ सूखी स्टील की ट्रे में तुलवाकर/नपवाकर एक रूप कर चार भागों में बराबर–बराबर कर चार भागों में बराबर–बराबर कर चार साफ सूखी व खाली प्लास्टिक की शिशियों में डालकर प्रत्येक में 40 बूंदे फॉर्मेलिन की डालकर अच्छी तरह हिलाया और एयर टाइट बंद कर नमूना चारों बोतल पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड़ व सीरियल नम्बर एडी–683 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एडी–683 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एडी–683 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाबा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि उक्त आगरे का पेठा (चीनी व पेठा से निर्मित) प्रोपराईटरी की चारों बोतल के नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एडी–683 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस/1184/एक्ट/2017/1185 दिनांक 20.12.2017 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ मिथ्याछाप होना पाया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एडी–683 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाईल करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।

विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाईल करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।

4. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। अप्रार्थी संख्या 3 ने जवाब पेश किया तथा जवाब में बताया कि एफएसएल के लिए जब्त पदार्थ छेडखानी करके जांच करवाई गई तथा नेचूरली तैयार शरबत व फर्म के नाम से कलकती पान शरबत का लेबल भी संलग्न किया गया उसके बावजूद विधि विरूद्ध कार्यवाही करके अप्रार्थी के विरूद्ध गलत तरीके से आरोप लगाकर नेचूरली शरबत के ब्रांड को मिस ब्रांड घोषित करना कानूनी सही नहीं है।
5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का जवाब पेश नहीं होने से जवाब बंद किया गया। बहस हेतु अवसर दिये गये। 5 ने जुर्म स्वीकार किया है। पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट दिनांक 26.09.2017 का अवलोकन किया । मनन के पश्चात पाया की अप्रार्थीगण खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थीगण पर शास्ती रूपये .... अक्षरे रूपये ..... की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक ....के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें तथा एक माह में राशि नहीं कराने पर एफएसओ अभिहित अधिकारी के माध्यम से खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 के तहत कार्यवाही सुनिश्चित करें। निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(जवाहर चौधरी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर।

क्रमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2019/ **दिनांक :–**

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अभिहित अधिकारी मुख्य, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।
2. श्री राजेश टिंकर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर (राज.), राजस्थान खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 की पालना सुनिश्चित करें।
3. श्री दिनेश जैन पुत्र श्री मनमोहन जैन (एफबीओ एवं मैनेजर) फर्म–मैसर्स न्यू जैन स्टोर्स, कांकरिया टॉवर, अपॉजिट देव नगर, पाल लिंक रोड, जोधपुर। निवासी–49 विकास कॉलोनी, पावटा सी रोड़, जोधपुर।
4. श्रीमती सरिता पत्नी श्री दिनेश जैन (मालिक) मैसर्स न्यू जैन स्टोर्स, कांकरिया टॉवर, अपॉजिट देव नगर, पाल लिंक रोड़, जोधपुर निवासी–बी 303 बिल्डिंग नं. 8 नवघर रोड, शास्त्रीनगर भायन्दर इस्ट, मुंबई, महाराष्ट्र 401105।
5. श्री कांतिलाल माली पुत्र श्री आनन्दी लाल माली (मालिक) मैसर्स महाराजा चैत्री रोज प्रोडक्शन शाही बाग, हल्दी घाटी, खमनोर, तह. नाथद्वारा, राजसमंद, निवासी–शाही बाग, खमनोर, तह. नाथद्वारा, राजसमंद (राज.) 428029।

(जवाहर चौधरी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री जवाहर चौधरी, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 17/2018

प्रार्थी

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी

(1) श्री दिनेश जैन पुत्र श्री मनमोहन जैन (एफबीओ एवं मैनेजर) फर्म–मैसर्स न्यू जैन स्टोर्स, कांकरिया टॉवर, अपॉजिट देव नगर, पाल लिंक रोड, जोधपुर। निवासी–49 विकास कॉलोनी, पावटा सी रोड़, जोधपुर।

(2) श्रीमती सरिता पत्नी श्री दिनेश जैन (मालिक) मैसर्स न्यू जैन स्टोर्स, कांकरिया टॉवर, अपॉजिट देव नगर, पाल लिंक रोड़, जोधपुर निवासी–बी 303 बिल्डिंग नं. 8 नवघर रोड, शास्त्रीनगर भायन्दर इस्ट, मुंबई, महाराष्ट्र 401105।

(3) श्री कांतिलाल माली पुत्र श्री आनन्दी लाल माली (मालिक) मैसर्स महाराजा चैत्री रोज प्रोडक्शन शाही बाग, हल्दी घाटी, खमनोर, तह. नाथद्वारा, राजसमंद, निवासी–शाही बाग, खमनोर, तह. नाथद्वारा, राजसमंद (राज.) 428029।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 15.09.2017 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वा. सेवाऐं, जोधपुर जोन, जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी फर्म :–मैसर्स न्यू जैन स्टोर्स, कांकरिया टॉवर, अपोजिट देव नगर, पाल लिंक रोड़, जोधपुर में शर्बत (नेचरूल कलकत्ती रसीला पान शर्बत) की 700 एमएल की 12 प्लास्टिक बोतल आम जनता को विक्रय हेतु रखे थे। उक्त शर्बत (नेचरूल कलकत्ती रसीला पान शर्बत) की 700 एमएल की 4 बोतल वास्ते जांच मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 440/– नगद देकर खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. खरीदशुदा उक्त शर्बत (नेचरूल कलकत्ती रसीला पान शर्बत) की 700 एमएल की मूल चारों बोतल पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड़ व सीरियल नम्बर एडी–624 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एडी–624 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एडी–624 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाबा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि उक्त शर्बत (नेचरूल कलकत्ती रसीला पान शर्बत) की 700 एमएल की 4 बोतल के चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एडी–624 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस/819/एक्ट/2017/818 दिनांक 26.09.2017 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ मिथ्याछाप होना पाया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एडी624 एवं खाद्य

विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एम1715 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाईल करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।

4. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ।
5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 से 5 ने जुर्म स्वीकार किया है। पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट दिनांक 26.02.2018 का अवलोकन किया । मनन के पश्चात पाया की अप्रार्थीगण खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थीगण पर शास्ती रूपये ..... अक्षरे रूपये ..... की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक .....के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें तथा एक माह में राशि नहीं कराने पर एफएसओ अभिहित अधिकारी के माध्यम से खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 के तहत कार्यवाही सुनिश्चित करें।
   निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(जवाहर चौधरी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर।

कमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2019/ **दिनांक :–**

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अभिहित अधिकारी मुख्य, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।
2. श्री रजनीश शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर (राज.), राजस्थान खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 की पालना सुनिश्चित करें।
3. श्री मांगूसिंह राजपुरोहित पुत्र श्री कुम्पसिंह (एफबीओ) फर्म–मैसर्स राज जोधपुर स्वीट्, कार्नर प्लाट संख्या 12, तिलवाडिया फांटा, चौपासनी रोड़, जोधपुर निवासी–प्लाट संख्या 51, अमृत विहार, शोभावतों की ढाणी पाल रोड़, जोधपुर।
4. श्री भैरूसिंह राजपुरोहित पुत्र श्री कुम्पसिंह (मालिक) फर्म–मैसर्स राज जोधपुर स्वीट्, कार्नर प्लाट संख्या 12, तिलवाडिया फांटा, चौपासनी रोड़, जोधपुर निवासी–प्लाट संख्या 51, अमृत विहार, शोभावतों की ढाणी पाल रोड़, जोधपुर।

(जवाहर चौधरी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री जवाहर चौधरी, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 63/2018

प्रार्थी

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी

(1) श्री मांगूसिंह राजपुरोहित पुत्र श्री कुम्पसिंह (एफबीओ) फर्म–मैसर्स राज जोधपुर स्वीट्, कार्नर प्लाट संख्या 12, तिलवाडिया फांटा, चौपासनी रोड़, जोधपुर निवासी–प्लाट संख्या 51, अमृत विहार, शोभावतों की ढाणी पाल रोड़, जोधपुर।

(2) श्री भैरूसिंह राजपुरोहित पुत्र श्री कुम्पसिंह (मालिक) फर्म–मैसर्स राज जोधपुर स्वीट्, कार्नर प्लाट संख्या 12, तिलवाडिया फांटा, चौपासनी रोड़, जोधपुर निवासी–प्लाट संख्या 51, अमृत विहार, शोभावतों की ढाणी पाल रोड़, जोधपुर।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 14.02.2018 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वा. सेवाऐं, जोधपुर जोन, जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी फर्म :– फर्म–मैसर्स राज जोधपुर स्वीट्, कार्नर प्लाट संख्या 12, तिलवाडिया फांटा, चौपासनी रोड़, जोधपुर में मावा करीबन 10 किग्रा आम जनता को विक्रय हेतु रखे थे। उक्त मावा में से 1 किग्रा मावा वास्ते जांच मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 300/– नगद देकर खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. खरीदशुदा उक्त मावा को हिला–मिलाकर एक रूप कर चार प्लास्टिक की नमूना बोटल्स में बराबर–बराबर (250 ग्राम) मात्रा में डालकर प्रत्येक बोटल में 40 फॉर्मेलिन की 20–20 बून्दें बतौर परिरक्षक डालकर प्रत्येक बोटल को एयरटाईट बंदकर चारों बोटल पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड़ व सीरियल नम्बर एम–1715 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एम–1715हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एम–1715 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाबा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि उक्त मावा के चारों बोटल के चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एम–1715 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस/89/एक्ट/2018/107 दिनांक 26.02.2018 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ मिथ्याछाप होना पाया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना

9. श्री प्रवीण अग्रवाल (सीएफओ एण्ड कंपनी सेक्रेटरी) मैसस–चोखी ढाणी, फूड्स एच–181, रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया जयपुर।
10. मैसर्स चोखी ढाणी फूड्स एच–181 रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया जयपुर जरिये नोमिनी।

(जवाहर चौधरी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर।

रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि उक्त आम का आचार के चारों पैकेट के चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एडी–621 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस/795/एक्ट/2017/806 दिनांक 19.09.2017 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ मिथ्याछाप होना पाया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एडी–621 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाईल करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।

4. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। अप्रार्थीगण 1 से 4 का जवाब बंद किया गया। 6 से 8 का जवाब अधिवक्ता श्री अशोक माहेश्वरी ने पेश कर न्युनत्तम जुर्माना लगाने हेतु निवेदन किया है। साथ ही अप्रार्थी संख्या 5 की ओर से भी अधिवक्ता श्री अशोक मोहश्वरी ने जवाब प्रस्तुत कर वितरक चोखी ढाणी फुड जयपुर की जिम्मेदारी बताया है।
5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी संख्या 5 से 8 निर्माता कंपनी ने जुर्म स्वीकार किया है तथा उनके अधिवक्ता ने भी ने अप्रार्थी संख्या 5 से 8 की ओर से उपस्थित होकर जवाब के तथ्यों को दोहराया एवं जुर्म स्वीकार किया है। पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट दिनांक 19.09.2017 का अवलोकन किया। मनन के पश्चात पाया की अप्रार्थीगण खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 52 का दोषी हैं। ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 52 का दोषी हैं। अप्रार्थीगण 1 से 4 पर शास्ती रूपये 15000/– अक्षरे रूपये (पन्द्रह हजार मात्र) तथा अप्रार्थीगण 5 से 8 पर शास्ती रूपये 35000/– अक्षरे रूपये (पैंतीस हजार मात्र) की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक 21.01.2019 के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें तथा एक माह में राशि नहीं कराने पर एफएसओ अभिहित अधिकारी के माध्यम से खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 के तहत कार्यवाही सुनिश्चित करें।

   निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 21.01.2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(जवाहर चौधरी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर।

कमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2019/ **दिनांक :–21.01.2019**

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अभिहित अधिकारी मुख्य, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।
2. श्री राजेश टिंकर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन–जोधपुर (राज.), राजस्थान खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 की पालना सुनिश्चित करें।
3. श्री गोकल राम पुत्र श्री किरता राम पंवार (एफबीओ) मै0– महाबल माल प्रा0 लि0 नरसिंह जी की प्याउ के पास, मगरा पुंजला, जोधपुर। निवासी – नाईयों की ढाणी, भीकमकौर, ऑसियां, जोधपुर।
4. श्री राजेन्द्र प्रसाद पुत्र श्री जोरा राम (डाइरेक्टर) मै0– महाबल माल प्रा0 लि0 नरसिंह जी की प्याउ के पास, मगरा पुंजला, जोधपुर। निवासी – रामदेव नगर, भोजाकोर, जोधपुर।
5. श्री श्यामलाल पंवार पुत्र श्री किरता राम पंवार (डाइरेक्टर) मै0– महाबल माल प्रा0 लि0 नरसिंह जी की प्याउ के पास, मगरा पुंजला, जोधपुर। निवासी – नाईयों की ढाणी, भीकमकोर, ऑसियां, जोधपुर।
6. मैसर्स महाबल माल प्रा. लि. नरसिंह जी की प्याउ के पास, मगरा पुंजला, जोधपुर।
7. सुश्री राधिका महेश्वरी पुत्री श्री अशोक माहेश्वरी (मालिक) मै. राधिका एन्टरप्राईजेज, 6 रामबाडी, जालोरी गेट, जोधपुर निवासी–6 रामबाडी, जालोरी गेट, जोधपुर।
8. श्री सुभाष वासवानी (मैनेजिंग डाइरेक्टर एवं नोमिनी) – मैसर्स चोखी ढाणी फूड्स एच–181 रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया जयपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री जवाहर चौधरी, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 68/2018

प्रार्थी

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी

(1) श्री गोकल राम पुत्र श्री किरता राम पंवार (एफबीओ) मै0– महाबल माल प्रा0 लि0 नरसिंह जी की प्याउ के पास, मगरा पुंजला, जोधपुर। निवासी – नाईयों की ढाणी, भीकमकौर, ऑसियां, जोधपुर।

(2) श्री राजेन्द्र प्रसाद पुत्र श्री जोरा राम (डाइरेक्टर) मै0– महाबल माल प्रा0 लि0 नरसिंह जी की प्याउ के पास, मगरा पुंजला, जोधपुर। निवासी – रामदेव नगर, भोजाकोर, जोधपुर।

(3) श्री श्यामलाल पंवार पुत्र श्री किरता राम पंवार (डाइरेक्टर) मै0– महाबल माल प्रा0 लि0 नरसिंह जी की प्याउ के पास, मगरा पुंजला, जोधपुर। निवासी – नाईयों की ढाणी, भीकमकोर, ऑसियां, जोधपुर।

(4) मैसर्स महाबल माल प्रा. लि. नरसिंह जी की प्याउ के पास, मगरा पुंजला, जोधपुर।

(5) सुश्री राधिका महेश्वरी पुत्री श्री अशोक माहेश्वरी (मालिक) मै. राधिका एन्टरप्राईजेज, 6 रामबाडी, जालोरी गेट, जोधपुर निवासी–6 रामबाडी, जालोरी गेट, जोधपुर।

(6) श्री सुभाष वासवानी (मैनेजिंग डाइरेक्टर एवं नोमिनी) – मैसर्स चोखी ढाणी फूड्स एच–181 रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया जयपुर।

(7) श्री प्रवीण अग्रवाल (सीएफओ एण्ड कंपनी सेक्रेटरी) मैसस–चोखी ढाणी, फूड्स एच–181, रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया जयपुर।

(8) मैसर्स चोखी ढाणी फूड्स एच–181 रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया जयपुर जरिये नोमिनी।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 12.06.2017 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वा. सेवाऐं, जोधपुर जोन, जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी फर्म :– मैसर्स महाबल माल प्रा. लि., नरसिंह जी की प्याउ के पास, मगरा पूंजला, जोधपुर में आम का आचार (चोखी ढाणी) 15 पैक्ड फिल्ड जार प्रत्येक में 1 किग्रा आम के आचार का पोलीपैक आम जनता को विक्रय हेतु रखे थे। उक्त आम का आचार (चोखी ढाणी) के 4 पैक पैकेट प्रत्येक का वजन 1 किग्रा वास्ते जांच मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 288/– नगद देकर खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. खरीदशुदा उक्त आम का आचार (चोखी ढाणी) के चारों पैकट (प्रत्येक 1 किग्रा वजनी) पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड़ व सीरियल नम्बर एडी–621 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एडी–621 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एडी–621 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाबा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर

नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एम–1558 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाईल करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।

9. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। अप्रार्थीसंख्या 1 ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अप्रार्थीसंख्या 1 से 5 तक की ओर जवाब पेश कर रहा हूँ। मुकदमें में जो भी कार्यवाही एवं दण्डनीय राशी मेरे से ली जाये। आगे भविष्य ऐसी गलती नहीं हो इसकी जिम्मेवारी लेता हूं तथा क्षमा याचना करता हूं।
10. पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 से 5 ने जुर्म स्वीकार किया है। पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट दिनांक 18.07.2017 का अवलोकन किया । मनन के पश्चात पाया की अप्रार्थीगण खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थीगण पर शास्ती रूपये ..... अक्षरे रूपये ..... की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक .....के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें तथा एक माह में राशि नहीं कराने पर एफएसओ अभिहित अधिकारी के माध्यम से खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 के तहत कार्यवाही सुनिश्चित करें।
    निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(जवाहर चौधरी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर।

क्रमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2019/ **दिनांक :–**

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

8. अभिहित अधिकारी मुख्य, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।
9. श्री संदीप अग्रवाल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी जोधपुर (राज.), राजस्थान खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 की पालना सुनिश्चित करें।
10. श्री विकास बूब पुत्र श्री जय किशन जी बूब, (खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता) फर्म–मै0 पुना स्वीट प्रोडक्टस, गीता भवन के पीछे, सकीला कॉलोनी, जोधपुर।
11. श्री जयकिशन बूब पुत्र श्री खीवराज जी बूब (मालिक) फर्म–मै0 पुना स्वीट प्रोडक्टस, गीता भवन के पीछे, सकीना कॉलोनी, जोधपुर।
12. श्री महेन्द्र गुलवानी, (भागीदार) फर्म :– मै. महेन्द्र इन्डस्ट्रीज, 46, उद्योग नगर, पालडा, इन्दौर।
13. श्री प्रदीप गुलवानी, (भागीदार) फर्म :– मै. महेन्द्र इन्डस्ट्रीज, 46, उद्योग नगर, पालडा, इन्दौर।
14. मै. महेन्द्र इन्डस्ट्रीज, 46, उद्योग नगर, पालडा, इन्दौर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर।

पीठासीन अधिकारी श्री जवाहर चौधरी, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 43/2018

प्रार्थी

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी

(1) श्री विकास बूब पुत्र श्री जय किशन जी बूब, (खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता) फर्म–मै0 पुना स्वीट प्रोडक्टस, गीता भवन के पीछे, सकीला कॉलोनी, जोधपुर।
(2) श्री जयकिशन बूब पुत्र श्री खीवराज जी बूब (मालिक) फर्म–मै0 पुना स्वीट प्रोडक्टस, गीता भवन के पीछे, सकीना कॉलोनी, जोधपुर।
(3) श्री महेन्द्र गुलवानी, (भागीदार) फर्म :– मै. महेन्द्र इन्डस्ट्रीज, 46, उद्योग नगर, पालडा, इन्दौर।
(4) श्री प्रदीप गुलवानी, (भागीदार) फर्म :– मै. महेन्द्र इन्डस्ट्रीज, 46, उद्योग नगर, पालडा, इन्दौर।
(5) मै. महेन्द्र इन्डस्ट्रीज, 46, उद्योग नगर, पालडा, इन्दौर।

आदेश

6. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 07.07.2017 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वा. सेवाऐं, जोधपुर जोन, जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी फर्म :– मैसर्स पुना स्वीट प्रॉडक्टस, गीता भवन के पीछे, सकीना कॉलोनी, जोधपुर में सेंटर फिल्ड चॉकलेट कॉटेड वफर्स (मधुर) 4 कार्टन (प्रत्येक कार्टन में 24 पैक एवं प्रत्येक पैकेट वजनी 450 ग्राम प्रत्येक पैकेट में 15 वजनी 30 पीस) आम जनता को विक्रय हेतु रखे थे। उक्त सेंटर फिल्ड चॉकलेट कॉटेड वफर्स (मधुर) के 4 पैकेट (प्रत्येक 450 ग्राम प्रत्येक में 15 ग्राम वजनी 30 पीस) वास्ते जांच मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 338/– नगद देकर खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।

7. खरीदशुदा उक्त सेंटर फिल्ड चॉकलेट कॉटेड वफर्स (मधुर)1 लीटर की चारों पैकट (प्रत्येक 450 ग्राम प्रत्येक में 15 ग्राम वजनी 30पीस) पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड़ व सीरियल नम्बर एम–1558 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एम–1558 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एम–1558 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।

8. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाबा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि उक्त सेंटर फिल्ड चॉकलेट कॉटेड वफर्स (मधुर) के चारों पैकेट के चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एम–1558 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस/639/एक्ट/2017/653 दिनांक 18.07.2017 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ मिथ्याछाप होना पाया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म

नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एम–1558 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाईल करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।

4. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। अप्रार्थीसंख्या 1 ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अप्रार्थीसंख्या 1 से 5 तक की ओर जवाब पेश कर रहा हूँ। मुकदमें में जो भी कार्यवाही एवं दण्डनीय राशी मेरे से ली जाये। आगे भविष्य ऐसी गलती नहीं हो इसकी जिम्मेवारी लेता हूं तथा क्षमा याचना करता हूं।
5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 से 5 ने जुर्म स्वीकार किया है। पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट दिनांक 18.07.2017 का अवलोकन किया । मनन के पश्चात पाया की अप्रार्थीगण खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थीगण 1 से 5 पर शास्ती रूपये 25000/– अक्षरे रूपये पच्चीस हजार की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक 18.01.2019 के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें तथा एक माह में राशि नहीं कराने पर एफएसओ अभिहित अधिकारी के माध्यम से खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 के तहत कार्यवाही सुनिश्चित करें।

   निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 18.01.2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(जवाहर चौधरी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर।

कमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2019/ **दिनांक :–**

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अभिहित अधिकारी मुख्य, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।
2. श्री संदीप अग्रवाल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी जोधपुर (राज.), राजस्थान खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 की पालना सुनिश्चित करें।
3. श्री विकास बूब पुत्र श्री जय किशन जी बूब, (खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता) फर्म–मै0 पुना स्वीट प्रोडक्टस, गीता भवन के पीछे, सकीला कॉलोनी, जोधपुर।
4. श्री जयकिशन बूब पुत्र श्री खीवराज जी बूब (मालिक) फर्म–मै0 पुना स्वीट प्रोडक्टस, गीता भवन के पीछे, सकीना कॉलोनी, जोधपुर।
5. श्री महेन्द्र गुलवानी, (भागीदार) फर्म :– मै. महेन्द्र इन्डस्ट्रीज, 46, उद्योग नगर, पालडा, इन्दौर।
6. श्री प्रदीप गुलवानी, (भागीदार) फर्म :– मै. महेन्द्र इन्डस्ट्रीज, 46, उद्योग नगर, पालडा, इन्दौर।
7. मै. महेन्द्र इन्डस्ट्रीज, 46, उद्योग नगर, पालडा, इन्दौर।

(जवाहर चौधरी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री जवाहर चौधरी, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 43/2018

प्रार्थी

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी

(1) श्री विकास बूब पुत्र श्री जय किशन जी बूब, (खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता) फर्म–मै0 पुना स्वीट प्रोडक्टस, गीता भवन के पीछे, सकीला कॉलोनी, जोधपुर।
(2) श्री जयकिशन बूब पुत्र श्री खीवराज जी बूब (मालिक) फर्म–मै0 पुना स्वीट प्रोडक्टस, गीता भवन के पीछे, सकीना कॉलोनी, जोधपुर।
(3) श्री महेन्द्र गुलवानी, (भागीदार) फर्म :– मै. महेन्द्र इन्डस्ट्रीज, 46, उद्योग नगर, पालडा, इन्दौर।
(4) श्री प्रदीप गुलवानी, (भागीदार) फर्म :– मै. महेन्द्र इन्डस्ट्रीज, 46, उद्योग नगर, पालडा, इन्दौर।
(5) मै. महेन्द्र इन्डस्ट्रीज, 46, उद्योग नगर, पालडा, इन्दौर।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 07.07.2017 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वा. सेवाऐं, जोधपुर जोन, जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी फर्म :– मैसर्स पुना स्वीट प्रॉडक्टस, गीता भवन के पीछे, सकीना कॉलोनी, जोधपुर में सेंटर फिल्ड चॉकलेट कॉटेड वफर्स (मधुर) 4 कार्टन (प्रत्येक कार्टन में 24 पैक एवं प्रत्येक पैकेट वजनी 450 ग्राम प्रत्येक पैकेट में 15 वजनी 30 पीस) आम जनता को विक्रय हेतु रखे थे। उक्त सेंटर फिल्ड चॉकलेट कॉटेड वफर्स (मधुर) के 4 पैकेट (प्रत्येक 450 ग्राम प्रत्येक में 15 ग्राम वजनी 30 पीस) वास्ते जांच मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 338/– नगद देकर खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. खरीदशुदा उक्त सेंटर फिल्ड चॉकलेट कॉटेड वफर्स (मधुर)1 लीटर की चारों पैकट (प्रत्येक 450 ग्राम प्रत्येक में 15 ग्राम वजनी 30पीस) पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड़ व सीरियल नम्बर एम–1558 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एम–1558 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एम–1558 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाबा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि उक्त सेंटर फिल्ड चॉकलेट कॉटेड वफर्स (मधुर) के चारों पैकेट के चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एम–1558 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस/639/एक्ट/2017/653 दिनांक 18.07.2017 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ मिथ्याछाप होना पाया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट

5. श्री राम किशन विश्नोई (भागीदार) फर्म :– मै. श्री विष्णु दाल एण्ड ऑयल मिल्स, जी–2, 244 से 251, आई. आई.डी. सेंटर, रीको, इण्डस्ट्रीयल एरिया, नागौर, राजस्थान। निवासी–कृषि उपज मण्डी के पास, वार्ड नं. 1 नोखा, बीकानेर।
6. श्री लक्ष्मणराम विश्नोई (भागीदार) फर्म :– मै. श्री विष्णु दाल एण्ड ऑयल मिल्स, जी–2, 244 से 251, आई. आई.डी. सेंटर, रीको, इण्डस्ट्रीयल एरिया, नागौर, राजस्थान। निवासी–मं.न. 27, वीपीओ काकरा, नोखा, बीकानेर।
7. श्री बनवारी लाल विश्नोई (भागीदार) फर्म :– मै. श्री विष्णु दाल एण्ड ऑयल मिल्स, जी–2, 244 से 251, आई.आई.डी. सेंटर, रीको, इण्डस्ट्रीयल एरिया, नागौर, राजस्थान। निवासी–मं.न. 67, गवारिया बस्ती, वार्ड नं. 1 नोखा, बीकानेर।
8. श्री शिव कुमार विश्नोई, (भागीदार) फर्म :– मै. श्री विष्णु दाल एण्ड ऑयल मिल्स, जी–2, 244 से 251, आई. आई.डी. सेंटर, रीको, इण्डस्ट्रीयल एरिया, नागौर, राजस्थान। निवासी–कृषि उपज मण्डी के पास, वार्ड नं. 1 नोखा, बीकानेर।
9. श्री राम निवास विश्नोई, (भागीदार) फर्म :– मै. श्री विष्णु दाल एण्ड ऑयल मिल्स, जी–2, 244 से 251, आई. आई.डी. सेंटर, रीको, इण्डस्ट्रीयल एरिया, नागौर, राजस्थान। निवासी–मं.न. 80, वार्ड नं. 1, नोखा, बीकानेर।
10. मै. श्री विष्णु दाल एण्ड ऑयल मिल्स, जी–2, 244 से 251, आई.आई.डी. सेंटर, रीको, इण्डस्ट्रीयल एरिया, नागौर, राजस्थान।

(जवाहर चौधरी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर।

एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एडी–687 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।

3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाबा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि उक्त रिफाईण्ड मूंगफली तेल (मंदिर) 1 लीटर 4 नमुना बोतलों के चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एडी–687 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस/1213/एक्ट/2017/18 दिनांक 10.01.2018 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ मिथ्याछाप होना पाया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एडी–687 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाई करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।

4. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। अप्रार्थी संख्या 1 व 7 का नोटिस तामिल 1 की ओर से जवाब पेश जवाब में उन्होंने कम से कम जुर्माना करने व अप्रार्थी संख्या 2 से 6 की ओर से भी उन्होंने जवाब पेश कर निवेदन किया की पूर्व में दिये गये जवाब दिनांक 17.07.2018 को ही जवाब माना जावे।

5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिसमें अप्रार्थीगण ने जुर्म स्वीकार किया। पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट दिनांक 10.01.2018 का अवलोकन किया । मनन के पश्चात पाया की अप्रार्थीगण खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 व 52 का दोषी हैं। ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 व 52 का दोषी हैं। अप्रार्थीगण संख्या 1 पर शास्ती रूपये 20,000/– अक्षरे रूपये बीस हजार मात्र की आरोपित की जाती हैं तथा अप्रार्थीगण संख्या 2 से 8 पर शास्ती रूपये 50,000/– अक्षरे रूपये पचास हजार मात्र आरोपित की जाती है। अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक 21.01.2019 के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें तथा एक माह में राशि नहीं कराने पर एफएसओ अभिहित अधिकारी के माध्यम से खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 के तहत कार्यवाही सुनिश्चित करें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 21.01.2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(जवाहर चौधरी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर।

क्रमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2019/ **दिनांक :–21.01.2019**

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अभिहित अधिकारी मुख्य, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।
2. श्री राजेश टिंकर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एव स्वास्थ्य सेवायें जोन–जोधपुर, राजस्थान खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 की पालना सुनिश्चित करें।
3. श्री अंकुर जैन पुत्र श्री प्रकाश मल छाजेड़, (मालिक एवं विक्रेता) फर्म :– मै. ट्रेडिंग कंपनी, वी–10, मण्डोर मण्डी, जोधपुर। निवासी–12 समरथ नगर, पावटा बी रोड़, जोधपुर।
4. श्री शिव करन विश्नोई (भागीदार) फर्म :– मै. श्री विष्णु दाल एण्ड ऑयल मिल्स, जी–2, 244 से 251, आई. आई.डी. सेंटर, रीको, इण्डस्ट्रीयल एरिया, नागौर, राजस्थान। निवासी–मं.न. 149, जेल रोड़, वार्ड न. 1, नोखा, बीकानेर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री जवाहर चौधरी, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 70/2018

प्रार्थी

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी

(1) श्री अंकुर जैन पुत्र श्री प्रकाश मल छाजेड़, (मालिक एवं विक्रेता) फर्म :– मै. ट्रेडिंग कंपनी, वी–10, मण्डोर मण्डी, जोधपुर। निवासी–12 समरथ नगर, पावटा बी रोड़, जोधपुर।

(2) श्री शिव करन विश्नोई (भागीदार) फर्म :– मै. श्री विष्णु दाल एण्ड ऑयल मिल्स, जी–2, 244 से 251, आई.आई.डी. सेंटर, रीको, इण्डस्ट्रीयल एरिया, नागौर, राजस्थान। निवासी–मं.न. 149, जेल रोड़, वार्ड न. 1, नोखा, बीकानेर।

(3) श्री राम किशन विश्नोई (भागीदार) फर्म :– मै. श्री विष्णु दाल एण्ड ऑयल मिल्स, जी–2, 244 से 251, आई.आई.डी. सेंटर, रीको, इण्डस्ट्रीयल एरिया, नागौर, राजस्थान। निवासी–कृषि उपज मण्डी के पास, वार्ड नं. 1 नोखा, बीकानेर।

(4) श्री लक्ष्मणराम विश्नोई (भागीदार) फर्म :– मै. श्री विष्णु दाल एण्ड ऑयल मिल्स, जी–2, 244 से 251, आई.आई.डी. सेंटर, रीको, इण्डस्ट्रीयल एरिया, नागौर, राजस्थान। निवासी–मं.न. 27, वीपीओ काकरा, नोखा, बीकानेर।

(5) श्री बनवारी लाल विश्नोई (भागीदार) फर्म :– मै. श्री विष्णु दाल एण्ड ऑयल मिल्स, जी–2, 244 से 251, आई.आई.डी. सेंटर, रीको, इण्डस्ट्रीयल एरिया, नागौर, राजस्थान। निवासी–मं.न. 67, गवारिया बस्ती, वार्ड नं. 1 नोखा, बीकानेर।

(6) श्री शिव कुमार विश्नोई, (भागीदार) फर्म :– मै. श्री विष्णु दाल एण्ड ऑयल मिल्स, जी–2, 244 से 251, आई.आई.डी. सेंटर, रीको, इण्डस्ट्रीयल एरिया, नागौर, राजस्थान। निवासी–कृषि उपज मण्डी के पास, वार्ड नं. 1 नोखा, बीकानेर।

(7) श्री राम निवास विश्नोई, (भागीदार) फर्म :– मै. श्री विष्णु दाल एण्ड ऑयल मिल्स, जी–2, 244 से 251, आई.आई.डी. सेंटर, रीको, इण्डस्ट्रीयल एरिया, नागौर, राजस्थान। निवासी–मं.न. 80, वार्ड नं. 1, नोखा, बीकानेर।

(8) मै. श्री विष्णु दाल एण्ड ऑयल मिल्स, जी–2, 244 से 251, आई.आई.डी. सेंटर, रीको, इण्डस्ट्रीयल एरिया, नागौर, राजस्थान।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 27.12.2017 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वा. सेवाऐं, जोधपुर जोन, जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी फर्म :– मैसर्स श्री ट्रेडिंग कम्पनी, वी–10, मण्डोर मण्डी, जोधपुर द्वारा रिफाइण्ड मूंगफली तेल (मंदिर) 1 लीटर के 270 पैक्ड शिल्ड पैक बोतल के 15 कार्टन आम जनता को विक्रय हेतु रखे थे। उक्त रिफाईण्ड मूंगफली तेल (मंदिर) 1 लीटर 4 पैक बोतल वास्ते जांच मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 376/– नगद देकर खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. खरीदशुदा उक्त रिफाईण्ड मूंगफली तेल (मंदिर) 1 लीटर की चारों पैक नमुना बोतलों पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड़ व सीरियल नम्बर एडी–687 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एडी–687 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर

की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एडी–478 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाईल करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।

4. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। अप्रार्थीगण को बार–बार अवसर देने के बाद भी उनकी ओर से काई जवाब नहीं दिया गया। की ओर से अधिवक्ता श्री
   किये जाने के आदेश फरमावें।
5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट दिनांक 24.06.2016 तथा रेफरल फूड लेबोरेटरी मैसूर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सर्टिफिकेट संख्या 27एफ/एफएसएसए/2017 दिनांक 28.03.2017 का अवलोकन किया तथा अप्रार्थीगण के अधिवक्ताओं को सुना गया। मनन के पश्चात् पाया कि अप्रार्थीगण खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 52 का दोषी हैं। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 52 का दोषी हैं। अप्रार्थीगण पर शास्ती रूपये ..... अक्षरे रूपये ..... की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि **न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर (ADJUDICATING OFFICER AND ADM CITY, JODHPUR)** के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक ..... के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें तथा एक माह में राशि नहीं कराने पर एफएसओ अभिहित अधिकारी के माध्यम से खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 के तहत कार्यवाही सुनिश्चित करें।
6. निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(जवाहर चौधरी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

कमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2018/ **दिनांक :–**

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01. अभिहित अधिकारी एवं संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, जोधपुर।
02. श्री राजेश टींकर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन–जोधपुर राजस्थान खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 की पालना सुनिश्चित करें। ।
03. श्री अनिल पारीक पुत्र श्री रघुवीर पारीक, फर्म :– मै. शारदा रीपेकर्स, एच–1–220(ऐ), करणी रिको इण्डस्ट्रीयल एरिया, बीकानेर।
04. श्री विक्रम सिंह नरूका पुत्र श्री मोती सिंह नरूका, फर्म :– मै. शारदा रीपेकर्स, एच–1–220(ऐ), करणी रिको इण्डस्ट्रीय एरिया, बीकानेर।

(जवाहर चौधरी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जोधपुर।		1. श्री अनिल पारीक पुत्र श्री रघुवीर पारीक, फर्म :– मै. शारदा रीपेकर्स, एच–1–220(ऐ), करणी रिको इण्डस्ट्रीय एरिया, बीकानेर। **नमूनीकरण स्थानः** राकेश गुड्स ट्रांसपोर्ट कम्पनी, जे प्रथम, कृषि मण्डी रोड, जोधपुर। 2. श्री विक्रम सिंह नरूका पुत्र श्री मोती सिंह नरूका, फर्म :– मै. शारदा रीपेकर्स, एच–1–220(ऐ), करणी रिको इण्डस्ट्रीय एरिया, बीकानेर।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 28.09.2016 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी राकेश गुड्स ट्रांसपोर्ट कम्पनी, जे प्रथम, कृषि मण्डी रोड, जोधपुर पहुँचा परिसर का निरीक्षण करने पर घी (श्री गंगा) के 15 किलोग्राम के 20 टिन, 1 लिटर का 15 पीस के 15 कार्टून एवं 500 एमएल के 30 पीस के 15 कार्टून जो कि मैसर्स शारदा रिपेकर्स, एच–1–220(ऐ), करणी रिको इण्डस्ट्रीय एरिया, बीकानेर के इनवोईस 692 के द्वारा मैसर्स कामधेनू इण्डस्ट्रीज रिको इण्ड एरिया भीनमाल जालौर को वास्ते विक्रय जरिये किरण ट्रांसपोर्ट सर्विस बीकानेर के बिल्टी संख्या 37564 दिनांक 27.02.2016 के द्वारा वाया राकेश ट्रांसपोर्ट जोधपुर से किये जाने थे, का निरीक्षण करने पर मिलावट का संदेह होने पर उक्त घी को आम जनता के उपयोग से रोकने एवं नियमानुसार नमूनीकरण हेतु विक्रेता अथवा क्रेता के उक्त परिसर में उपस्थित करवाने हेतु जरिये पत्र पाबंद कर उक्त घी (श्री गंगा) के 15 किलोग्राम का एक टिन, 1 लीटर का 15 पीस का एक कार्टून, एवं 500 एमएल के 30 पीस के 1 कार्टून को वास्ते नमूनीकरण सील चेपा कर उक्त परिसर में रखकर मौका फर्द तैयार की गई जिसमें सभी के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त उपलब्ध घी (श्री गंगा) के 500 एमएल के 4 पैकेट वास्ते जांच मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 532/– देकर खरीदे तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. विक्रेता व गवाह के सामने खरीदशुदा घी (श्री गंगा) के चारों नमूना मूल पैकेट पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड व सीरियल नम्बर एडी–478 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमूना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एडी–478 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमूना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एडी–478 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाफा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि उक्त चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एडी–478 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस/1187/एक्ट/2016/1211 दिनांक 24.06.2016 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ असुरक्षित खाद्य व मिथ्याछाप होना पाया गया। अप्रार्थी की अपील पर उक्त नमूने का द्वितीय भाग निदेशक, रेफरल फूड लेबोरेटरी मैसूर को पुनः जांच हेतु भेजा गया। रेफरल फूड लेबोरेटरी मैसूर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सर्टिफिकेट संख्या 27एफ/एफएसएसए/2017 दिनांक 28.03.2017 खाद्य पदार्थ घी (श्री गंगा) का नमूना एफएसएसआई नम्बर पैकेट्स पर अंकित नहीं होने के कारण मिथ्याछाप होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26

प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एम–1348 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाई करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।

9. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री जुगलकिशोर ने अपना वकालत नामा प्रस्तुत किया। अप्रार्थीगण में से एक अप्रार्थी संख्या 1 ने जवाब प्रस्तुत किया परंतु अनेक अवसर देने के बावजूद अप्रार्थी संख्या 2 ने तय समय पर जवाब प्रस्तुत नही करने से दिनांक 20.06.2018 को अप्रार्थी संख्या 2 का जवाब बन्द किया गया। आवाज लगाई गई परंतु अप्रार्थीगण की ओर से वे स्वंय अथवा अधिवक्ता उपस्थित नहीं एफएसओ उपस्थित। एफएसओ को सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया रेफरेल लेब की रिपोर्ट दिनांक 25.05.2017 का अवलोकन किया गया। जिसमें घी अमानक स्तर का होना पाया गया है।एफएसओ ने बताया की अप्रार्थीगण रेफरेल लेब की रिपोर्ट दिनांक 25.05.2017 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(2) के उल्लघंन का दोषी है। जो धारा 51 के अंतर्गत जुर्माना योग्य अपराध है।

10. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की बहस पर मनन किया गया। पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट दिनांक 25.05.2017 का अवलोकन किया । मनन के पश्चात पाया की अप्रार्थीगण खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थीगण पर शास्ती रूपये ..... अक्षरे रूपये ..... की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक .....के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें तथा एक माह में राशि नहीं कराने पर एफएसओ अभिहित अधिकारी के माध्यम से खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 के तहत कार्यवाही सुनिश्चित करें।

    निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(जवाहर चौधरी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर।

क्रमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2019/ **दिनांक :–**

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

6. अभिहित अधिकारी मुख्य, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।
7. श्री रेवत सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, अधिकारी, राजस्थान खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 की पालना सुनिश्चित करें।
8. श्री प्रवीण पुरोहित पुत्र श्री देवनारायण पुरोहित, (एफबीओ) फर्म :– मै0 जय हिन्द रोडवेज, प्लॉट नं. 53, ट्रांसपोर्ट नगर, बासनी, जोधपुर नमूनीकरण स्थान–पुलिस थाना परिसर, महामंदिर, जोधपुर।
9. श्री दिनेश व्यास (मालिक) फर्म– मैसर्स वैभव रिपेकर्स, प्राईवेट इण्डस्ट्रीयल एरिया शोभासर बाई पास के पास, नाल बाडी, एन.एच.8 बीकानेर,।
10. फर्म :– मै0 वैभव रिपेकर्स, प्राईवेट इण्ड. एरिया शोभासर बाई पास के पास, नाल बाडी एन.एच.8 बीकानेर।

(जवाहर चौधरी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री जवाहर चौधरी, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 101/2017

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री जवाहर चौधरी, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 101/2017

प्रार्थी

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी

(1) श्री प्रवीण पुरोहित पुत्र श्री देवनारायण पुरोहित, (एफबीओ) फर्म :– मै0 जय हिन्द रोडवेज, प्लॉट नं. 53, ट्रांसपोर्ट नगर, बासनी, जोधपुर नमूनीकरण स्थान–पुलिस थाना परिसर, महामंदिर, जोधपुर, वाहन संख्या आरजे–19जीसी–3708। निवासी–जी–21, वीर गिरधर, स्ट्रीट, भीम जी का मोहल्ला, तापी बावड़ी, खाण्डा फलसा, जोधपुर।

(2) श्री दिनेश व्यास (मालिक) फर्म– मैसर्स वैभव रिपेकर्स, प्राईवेट इण्डस्ट्रीयल एरिया शोभासर बाई पास के पास, नाल बाडी, एन.एच.8 बीकानेर,। निवासी–जगदीश मंदिर के पिछे, कोटगेट के अंदर, मोची गली, बीकानेर 334001।

आदेश

6. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 22.12.2016 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी फर्म :– मैसर्स वैभव रिपेकर्स, प्राईवेट इण्डस्ट्रीयल एरिया शोभासर बाई पास के पास, नाल बाडी, एन.एच.8 बीकानेर द्वारा निर्मित घी (शक्ति व डोडला) के कुल 99 टिन विक्रय एवं परिवहन हेतु मै0 जय हिन्द रोडवेज, प्लॉट नं. 53, ट्रांसपोर्ट नगर, बासनी, जोधपुर नमूनीकरण स्थान–पुलिस थाना परिसर, महामंदिर, जोधपुर के वाहन संख्या आरजे–19जीसी–3708 में विक्रय हेतु रखे थे। उक्त उक्त घी (शक्ति) 800 ग्राम एक साफ सुखी स्टील भगोनी में वास्ते जांच मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 312/– नगद देकर खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।

7. खरीदशुदा उक्त 800 ग्राम घी (शक्ति) को चार प्लास्टिक की साफ सुखी एवं खाली नयी नमूना बोटल में में बराबर मात्रा (200 ग्राम) डालकर चारों नमुना बोतलों पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड़ व सीरियल नम्बर एम–1348 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एम–1348 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एम–1348 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।

8. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाबा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि उक्त घी (शक्ति) के 4 नमुना बोतलों के चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एम–1348 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस/1425/एक्ट/2016/1456 दिनांक 30.12.2016 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ मिथ्याछाप होना पाया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की

परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एम–1348 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाई करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।

4. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री जुगलकिशोर ने अपना वकालत नामा प्रस्तुत किया। अप्रार्थीगण में से एक अप्रार्थी संख्या 1 ने जवाब प्रस्तुत किया परंतु अनेक अवसर देने के बावजूद अप्रार्थी संख्या 2 ने तय समय पर जवाब प्रस्तुत नही करने से दिनांक 20.06.2018 को अप्रार्थी संख्या 2 का जवाब बन्द किया गया। आवाज लगाई गई परंतु अप्रार्थीगण की ओर से वे स्वंय अथवा अधिवक्ता उपस्थित नहीं एफएसओ उपस्थित। एफएसओ को सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया रेफरेल लेब की रिपोर्ट दिनांक 25.05.2017 का अवलोकन किया गया। जिसमें घी अमानक स्तर का होना पाया गया है।एफएसओ ने बताया की अप्रार्थीगण रेफरेल लेब की रिपोर्ट दिनांक 25.05.2017 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(2) के उल्लघंन का दोषी है। जो धारा 51 के अंतर्गत जुर्माना योग्य अपराध है।

5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की बहस पर मनन किया गया। पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट दिनांक 25.05.2017 का अवलोकन किया। उक्त रिपोर्ट में अप्रार्थीगण को दोषी माना तथा एफएसओं को सुना गया उसने बताया की अप्रार्थी वाहन में आम जनता के विक्रय हेतु 99 टीन प्रत्येक 15 किलोग्राम परिवहन किया जा रहा था तथा फॉर्म 5` पर अप्रार्थी के हस्ताक्षर हैं तथा अप्रार्थी संख्या 2 के अधिवक्ता ने अपने जवाब में कम से कम जुर्माना लगाने हेतु निवेदन किया है। मनन के पश्चात पाया की अप्रार्थीगण खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थीगण के खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 में दोषी पाये जाने से अप्रार्थीगण संख्या एक पर शास्ती **रूपये 30,000**/अक्षरे **रूपये तीस हजार** व अप्रार्थी संख्या दो पर शाास्ती राशि **रूपये 85,000/ अक्षरे रूपये पच्चासी हजार** की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक 28.01.2019 के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें तथा एक माह में राशि नहीं कराने पर एफएसओ अभिहित अधिकारी के माध्यम से खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 के तहत कार्यवाही सुनिश्चित करें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 28.01.2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(जवाहर चौधरी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर।

क्रमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2019/ **दिनांक :–**

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अभिहित अधिकारी मुख्य, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।
2. श्री रेवत सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, अधिकारी, राजस्थान खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 की पालना सुनिश्चित करें।
3. श्री प्रवीण पुरोहित पुत्र श्री देवनारायण पुरोहित, (एफबीओ) फर्म :– मै0 जय हिन्द रोडवेज, प्लॉट नं. 53, ट्रांसपोर्ट नगर, बासनी, जोधपुर नमूनीकरण स्थान–पुलिस थाना परिसर, महामंदिर, जोधपुर।
4. श्री दिनेश व्यास (मालिक) फर्म– मैसर्स वैभव रिपेकर्स, प्राईवेट इण्डस्ट्रीयल एरिया शोभासर बाई पास के पास, नाल बाडी, एन.एच.8 बीकानेर,।
5. फर्म :– मै0 वैभव रिपेकर्स, प्राईवेट इण्ड. एरिया शोभासर बाई पास के पास, नाल बाडी एन.एच.8 बीकानेर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री जवाहर चौधरी, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 81/2017

प्रार्थी

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी

(1) श्री प्रवीण पुरोहित पुत्र श्री देवनारायण पुरोहित, (एफबीओ) फर्म :– मै0 जय हिन्द रोडवेज, प्लॉट नं. 53, ट्रांसपोर्ट नगर, बासनी, जोधपुर नमूनीकरण स्थान–पुलिस थाना परिसर, महामंदिर, जोधपुर, वाहन संख्या आरजे–19जीसी–3708। निवासी–जी–21, वीर गिरधर, स्ट्रीट, भीम जी का मोहल्ला, तापी बावड़ी, खाण्डा फलसा, जोधपुर।

(2) श्री दिनेश व्यास (मालिक) फर्म– मैसर्स वैभव रिपेकर्स, प्राईवेट इण्डस्ट्रीयल एरिया शोभासर बाई पास के पास, नाल बाडी, एन.एच.8 बीकानेर,। निवासी–जगदीश मंदिर के पिछे, कोटगेट के अंदर, मोची गली, बीकानेर 334001।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 22.12.2016 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी फर्म :– मैसर्स वैभव रिपेकर्स, प्राईवेट इण्डस्ट्रीयल एरिया शोभासर बाई पास के पास, नाल बाडी, एन.एच.8 बीकानेर द्वारा निर्मित घी (शक्ति) के कुल 15 किलो के 99 टिन विक्रय एवं परिवहन हेतु मै0 जय हिन्द रोडवेज, प्लॉट नं. 53, ट्रांसपोर्ट नगर, बासनी, जोधपुर नमूनीकरण स्थान–पुलिस थाना परिसर, महामंदिर, जोधपुर के वाहन संख्या आरजे–19जीसी–3708 में विक्रय हेतु रखे थे। उक्त उक्त घी (शक्ति) 800 ग्राम एक साफ सुखी स्टील भगोनी में वास्ते जांच मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 312/– नगद देकर खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. खरीदशुदा उक्त 800 ग्राम घी (शक्ति) को चार प्लास्टिक की साफ सुखी एवं खाली नयी नमूना बोटल में में बराबर मात्रा (200 ग्राम) डालकर चारों नमुना बोतलों पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड़ व सीरियल नम्बर एम–1348 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एम–1348 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एम–1348 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाबा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि उक्त घी (शक्ति) के 4 नमुना बोतलों के चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एम–1348 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस/1425/एक्ट/2016/1456 दिनांक 30.12.2016 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ अनसेफ होना पाया गया लेकिन रेफरल फूड लेबोरेट्री मैसूर की रिपोर्ट दिनांक 25.05.2017 द्वारा घी सबस्टैण्र्ड पाया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने

5. फर्म –मै0 आर.के. इण्डस्ट्रीज, जी–184, मण्डोर इण्डस्ट्रीयल एरिया जोधपुर, कार्या./नमूनीकरण स्थल–एन–11 मण्डोर मण्डी, जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर।

सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एम–1752 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाई करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।

4. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता ने अपना वकालत नाम प्रस्तुत किया। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब देते हुए अधिवक्ता ने बताया की उक्त जीरा आम जनता को विक्रय हेतु नहीं रखा हुआ था अपितु केवल मशीनों द्वारा सफाई तथा ग्रेडिंग हेतु रखा हुआ। अप्रार्थीगण की फर्म कोई जीरा विक्रय, भण्डारण, उत्पादन नहीं करती केवल किसानों एवं व्यापारियों के उत्पाद की सफाई ग्रेडिंग करती है एवं विक्रय हेतु रखे गये सामान का ही नमूना लिया जाना चाहिए था अतः मामला निरस्त फरमावें। उपस्थित एफएसओ श्री रजनीश शर्मा ने बताया की नमूना लेते समय अप्रार्थीगण को जीरा विक्रय हेतु रखने तथा नमूना हेतु खरीद के सत्यापन हेतु फार्म नं. 5ए पर अप्रार्थीगण को नोट कराकर हस्ताक्षर करवाये हैं। जिससे यह साबित होता है उक्त जीरा आम जनता को विक्रय हेतु ही रखा हुआ था। अतः पत्रावली के अवलोकन व प्रार्थी–अप्रार्थीगण के जवाब–बहस सुनने व मनन के पश्चात अप्रार्थीगण के अधिवक्ता का यह कथन की जीरा विक्रय हेतु नहीं रखा गया था। सही साबित नहीं होता है।

5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट क्रमांक 282 दिनांक 10.04.2018 का अवलोकन किया । एफएसओ को सुना गया तथा मनन के पश्चात मैं लेबोरेट्री की रिपोर्ट से सहमत हूँ तथा एफएसओ की बहस से सहमत हूँ की अप्रार्थीगण द्वारा एफ.एस.एस. एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 3(1)(जेडएफ)(सी)(।) धारा 26 की उपधारा (2)(।।) का उल्लघंन पाया गया है। जो धारा धारा 51 के अंतर्गत जुर्माने योग्य अपराध है। अप्रार्थीगण यदि रिपोर्ट दिनांक 10.04.2018 से सन्तुष्ट न था तो उनके पास रेफरल लेब जाने का अवसन था, परन्तु उन्होने निर्धारित समय में अपील पेश न की । ऐसी स्थिति में अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थीगण पर शास्ती रूपये 2000/अक्षरे रूपये दो हजार मात्र की आरोपित की जाती हैं। अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक 28.01.2019 के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें तथा एक माह में राशि नहीं कराने पर एफएसओ अभिहित अधिकारी के माध्यम से खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 के तहत कार्यवाही सुनिश्चित करें।
निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 28.01.2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(जवाहर चौधरी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर।

क्रमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2019/ **दिनांक :–**

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अभिहित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, अधिकारी जोधपुर।
2. श्री रजनीश शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, अधिकारी जोधपुर, राजस्थान खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 की पालना सुनिश्चित करें।
3. श्री धर्मेन्द्र कुमार जैन पुत्र श्री जुगराज जैन (एफबीओ) फर्म –मै0 आर.के. इण्डस्ट्रीज, जी–184, मण्डोर इण्डस्ट्रीयल एरिया जोधपुर, कार्या./नमूनीकरण स्थल–एन–11 मण्डोर मण्डी, जोधपुर।
4. श्री राकेश कुमार जैन पुत्र श्री गौतम चंद जैन, (मालिक) फर्म–मै. आर.के. इण्डस्ट्रीज, जी–184, मण्डोर इण्डस्ट्रीयल एरिया, जोधपुर, कार्या./नमूनीकरण स्थल–एन–11, मण्डोर मण्डी, जोधपुर। निवासी–ऐ–118, प्रथम विस्तार, कमला नेहरू नगर, जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री जवाहर चौधरी, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 74/2018

प्रार्थी

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी

(1) श्री धर्मेन्द्र कुमार जैन पुत्र श्री जुगराज जैन (एफबीओ) फर्म –मै0 आर.के. इण्डस्ट्रीज, जी–184, मण्डोर इण्डस्ट्रीयल एरिया जोधपुर, कार्या./नमूनीकरण स्थल–एन–11 मण्डोर मण्डी, जोधपुर।

(2) श्री राकेश कुमार जैन पुत्र श्री गौतम चंद जैन, (मालिक) फर्म–मै. आर.के. इण्डस्ट्रीज, जी–184, मण्डोर इण्डस्ट्रीयल एरिया, जोधपुर, कार्या./नमूनीकरण स्थल–एन–11, मण्डोर मण्डी, जोधपुर। निवासी–ऐ–118, प्रथम विस्तार, कमला नेहरू नगर, जोधपुर।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 15.03.2018 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी फर्म :– मै0 आर.के. इण्डस्ट्रीज, जी–184, मण्डोर इण्डस्ट्रीयल एरिया जोधपुर, कार्या./नमूनीकरण स्थल–एन–11 मण्डोर मण्डी, जोधपुर पर खाद्य पदार्थ जीरा 50 किग्रा के 2 बैग आम जनता को विक्रय हेतु रखे थे। उक्त जीरा 2 किग्रा वास्ते जांच मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 400/– नगद देकर खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।

2. खरीदशुदा उक्त जीरा 2 किग्रा को चार बराबर भागों में बांटकर चारों नूमना पैकेट पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड़ व सीरियल नम्बर एम–1752 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एम–1752 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एम–1752 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।

3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाबा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि उक्त जीरा 2 किग्रा के चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एम–1752 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस/261/एक्ट/2018/282 दिनांक 10.04.2018 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ मिथ्याछाप होना पाया गया। खाद्य

4. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। अनेक अवसर देने के बाद भी अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रस्तुत नहीं किया। अतः जवाब बन्द किया। बहस हेतु आवाज लगाई गई। अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। अतः एक पक्षीय आदेश पारित करना उचित प्रतीत होता है।
5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट क्रमांक 740 दिनांक 29.08.2017 का अवलोकन किया । एफएसओ को सुना गया तथा मनन के पश्चात मैं लेबोरेट्री की रिपोर्ट से सहमत हूँ तथा एफएसओ ने अप्रार्थीगण द्वारा एफ.एस.एस. एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 3(1)(जेडएफ)(सी)(।) धारा 26 की उपधारा (2)(।।) का उल्लघंन होना बताया है जो धारा धारा 52 के अंतर्गत जुर्माने योग्य अपराध है। उक्त कथन से भी मैं संतुष्ट हूँ। अप्रार्थीगण यदि रिपोर्ट दिनांक 29.08.2017 से सन्तुष्ट न था तो उनके पास रेफरल लेब जाने का अवसन था, परन्तु उन्होने निर्धारित समय में अपील पेश न की । ऐसी स्थिति में अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 52 का दोषी हैं। अप्रार्थीगण पर शास्ती रूपये 10000/– अक्षरे रूपये दस हजार मात्र की आरोपित की जाती हैं। अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक 07.03.2019 के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें तथा एक माह में राशि नहीं कराने पर एफएसओ अभिहित अधिकारी के माध्यम से खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 के तहत कार्यवाही सुनिश्चित करें।

   निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 07.03.2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर।

कमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2019/ **दिनांक :–**

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अभिहित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, अधिकारी जोधपुर।
2. श्री संदीप अग्रवाल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, अधिकारी जोधपुर, राजस्थान खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 की पालना सुनिश्चित करें।
3. श्री विजय बूब पुत्र श्री जगदीश बूब (एफबीओ/मैनेजर) फर्म –मै0 लक्ष्मी सेल्स, 18 माहेश्वरी कॉलोनी, मसूरिया पाल रोड़, जोधपुर। निवासी– 18 माहेश्वरी कॉलोनी, मसूरिया, पाल रोड़, जोधपुर।
4. श्री जगदीश बूब पुत्र श्री रामलाल जी बूब, (मालिक) फर्म– मै0 लक्ष्मी सेल्स, 18 माहेश्वरी कॉलोनी, मसूरिया, पाल रोड़, जोधपुर। निवासी :– 18, माहेश्वरी कॉलोनी, मसूरिया पाल रोड़, जोधपुर।
5. फर्म :– मै0 लक्ष्मी सेल्स, 18 माहेश्वरी कॉलोनी, मसूरिया पाल रोड़, जोधपुर। निवासी– 18 माहेश्वरी कॉलोनी, मसूरिया, पाल रोड़, जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 75/2018

प्रार्थी

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी

(1) श्री विजय बूब पुत्र श्री जगदीश बूब (एफबीओ/मैनेजर) फर्म –मै0 लक्ष्मी सेल्स, 18 माहेश्वरी कॉलोनी, मसूरिया पाल रोड़, जोधपुर। निवासी– 18 माहेश्वरी कॉलोनी, मसूरिया, पाल रोड़, जोधपुर।

(2) श्री जगदीश बूब पुत्र श्री रामलाल जी बूब, (मालिक) फर्म– मै0 लक्ष्मी सेल्स, 18 माहेश्वरी कॉलोनी, मसूरिया, पाल रोड़, जोधपुर। निवासी :– 18, माहेश्वरी कॉलोनी, मसूरिया पाल रोड़, जोधपुर।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 10.08.2017 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी फर्म :– मै0 लक्ष्मी सैल्स, 18, माहेश्वरी कॉलोनी, मसूरिया, पाल रोड़, जोधपुर दुकान में खाद्य पदार्थ चाय (कुबेर चायगिरी पीएफ) 60 बैग में प्रत्येक बैग में 96 पाउच प्रत्येक पाउच 250 ग्राम वजनी आम जनता को विक्रय हेतु रखे थे। उक्त चाय (कुबेर चायगिरी पीएफ) के 8 पाउच वास्ते जांच मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 320/– नगद देकर खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. खरीदशुदा उक्त चाय (कुबेर चायगिरी पीएफ) को 2–2 पाउच के चार भागों में बांटकर चारों नूमना पैकेट पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड़ व सीरियल नम्बर एम–1587 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एम–1587 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एम–1587 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाबा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि उक्त चाय (कुबेर चायगिरी पीएफ) के चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एम–1587 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस/740/एक्ट/2017/740 दिनांक 29.08.2017 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ मिथ्याछाप होना पाया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एम–1587 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाई करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।

6. श्री मूलचंद बैद (भागीदार) मै0 जैन इन्टरनेशनल, ऐच.ओ. एम.एम. रोड़, पुराना बस स्टेशन रोड़, करीमगंज, आसाम। निवासी– जी.एम.सी. रोड़, सीलचार।
7. श्री पवन कुमार जैन (भागीदार) मै0 जैन इन्टरनेशनल, ऐच.ओ. ऐम.ऐम. रोड़, पुराना बस स्टेशन रोड, करीमगंज, आसाम। निवासीः– कालीबेरी रोड़, सीलचार।
8. मै0 जैन इंटरनेशनल, एच.ओ. एम.एम. रोड, पुराना बस स्टेशन रोड़, करीमगंज, आसाम ।
9. मै0 जैन इंटरनेशनल, दुकान नं. 10ए, प्रथम तल, स्काई व्यू बिल्डिंग सेवलोक रोड, सिलीगुडी।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर।

3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाबा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि उक्त मैंगो ड्रिंक (प्रान)के चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एम–811 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस/383/एक्ट/2015/393 दिनांक 12.06.2015 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ मिथ्याछाप होना पाया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एम–811 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाई करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।
4. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। अप्रार्थीगण 2 से 6 की ओर से अधिवक्ता प्रदीप शर्मा ने अपना वकालत नामा प्रस्तुत किया। अनेक अवसर देने के बाद भी जवाब प्रस्तुत नहीं किया। अतः जवाब बन्द किया। बहस हेत भी अवसर दिये गये किन्तु बहस नहीं की गई आज भी उपस्थित नहीं आवाज लगाई गई। अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ । अतः एक पक्षीय आदेश पारित करना उचित प्रतीत होता है।
5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट क्रमांक 393 दिनांक 12.06.2015 का अवलोकन किया । एफएसओ को सुना गया तथा मनन के पश्चात मैं लेबोरेट्री की रिपोर्ट से सहमत हूँ तथा एफएसओ ने अप्रार्थीगण द्वारा एफ.एस.एस. एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 3(1)(जेडएफ)(सी)(।) धारा 26 की उपधारा (2)(।।) का उल्लघंन होना बताया है जो धारा धारा 52 के अंतर्गत जुर्माने योग्य अपराध है। उक्त कथन से भी मैं संतुष्ट हूँ। अप्रार्थीगण यदि रिपोर्ट दिनांक 12.06.2015 से सन्तुष्ट न था तो उनके पास रेफरल लेब जाने का अवसन था, परन्तु उन्होने निर्धारित समय में अपील पेश न की । ऐसी स्थिति में अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 52 का दोषी हैं। अप्रार्थीगण 1 पर शास्ती रूपये 10000/– अक्षरे रूपये दस हजार व 2 प्रत्येक पर शास्ती रूपये 25000/– अक्षरे रूपये पच्चीस हजार तथा अप्रार्थीगण 3 से 7 पर शास्ती रूपये 50000/– अक्षरे रूपये पचास हजार की आरोपित की जाती है। अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक 18.01.2019 के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें तथा एक माह में राशि नहीं कराने पर एफएसओ अभिहित अधिकारी के माध्यम से खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 के तहत कार्यवाही सुनिश्चित करें।

   निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 18.01.2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(जवाहर चौधरी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर।

क्रमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2019/ **दिनांक :–**

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अभिहित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, अधिकारी जोधपुर।
2. श्री रजनीश शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, अधिकारी जोधपुर, राजस्थान खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 की पालना सुनिश्चित करें।
3. श्री प्रवीण पण्ड्या पुत्र श्री देवेन्द्र पण्ड्या (जैन) (एफबीओ/भागीदार) मै0 रिषभ ट्रेडर्स, शोप संख्या 15 अमृतलाल गहलोत ब्लोक, मण्डोर मण्डी, जोधपुर निवासी :– गांव डेह, पाण्ड्या का चौक, तहसील झायल, जिला नागौर, हाल निवासी–सम्पतराज छाजेड का मकान, पारस ब्लड बैंक के पास, सरदारपुरा, जोधपुर।
4. श्री आशाकरण बोथरा (मालिक) मै0 ऐ.के. इन्टरनेशनल, 41 महाबलीपुरम् कॉलोनी, नोखा रोड़, गंगाशहर, बीकानेर। निवासी :– 41 महाबलीपुरम् कोलोनी, पारीक धर्म कांटे के पीछे, नोखा रोड़, गंगाशहर, बीकानेर।
5. श्री आशकरण बोथरा (भागीदार) मै0 जैन इन्टरनेशनल, ऐच.ओ. एम.एम. रोड, पुराना बस स्टेशन रोड, करीमगंज, आसाम। निवासीः– एम.एम. रोड़, पुराना बस स्टेशन रोड़, करीमगंज, आसाम।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री जवाहर चौधरी, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 15/2016

प्रार्थी

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी

(1) श्री प्रवीण पण्ड्या पुत्र श्री देवेन्द्र पण्ड्या (जैन) (एफबीओ/भागीदार) मै0 रिषभ ट्रेडर्स, शोप संख्या 15 अमृतलाल गहलोत ब्लोक, मण्डोर मण्डी, जोधपुर निवासी :– गांव डेह, पाण्ड्या का चौक, तहसील झायल, जिला नागौर, हाल निवासी–सम्पतराज छाजेड का मकान, पारस ब्लड बैंक के पास, सरदारपुरा, जोधपुर।

(2) श्री आशाकरण बोथरा (मालिक) मै0 ऐ.के. इन्टरनेशनल, 41 महाबलीपुरम् कॉलोनी, नोखा रोड़, गंगाशहर, बीकानेर। निवासी :– 41 महाबलीपुरम् कोलोनी, पारीक धर्म कांटे के पीछे, नोखा रोड़, गंगाशहर, बीकानेर।

(3) श्री आशकरण बोथरा (भागीदार) मै0 जैन इन्टरनेशनल, ऐच.ओ. एम.एम. रोड, पुराना बस स्टेशन रोड, करीमगंज, आसाम। निवासीः– एम.एम. रोड़, पुराना बस स्टेशन रोड़, करीमगंज, आसाम।

(4) श्री मूलचंद बैद (भागीदार) मै0 जैन इन्टरनेशनल, ऐच.ओ. एम.एम. रोड़, पुराना बस स्टेशन रोड़, करीमगंज, आसाम। निवासी– जी.एम.सी. रोड़, सीलचार।

(5) श्री पवन कुमार जैन (भागीदार) मै0 जैन इन्टरनेशनल, ऐच.ओ. ऐम.ऐम. रोड़, पुराना बस स्टेशन रोड, करीमगंज, आसाम। निवासीः– कालीबेरी रोड़, सीलचार।

(6) मै0 जैन इंटरनेशनल, एच.ओ. एम.एम. रोड, पुराना बस स्टेशन रोड़, करीमगंज, आसाम ।

(7) मै0 जैन इंटरनेशनल, दुकान नं. 10ए, प्रथम तल, स्काई व्यू बिल्डिंग सेवलोक रोड, सिलीगुडी।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 16.05.2015 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी फर्म :– मै0 रिषभ ट्रेडर्स, शोप संख्या 15 अमृत लाल गहलोत ब्लोक, मण्डोर मण्डी, जोधपुर दुकान में खाद्य पदार्थ मैंगो ड्रिंक (प्रान) (150+20 एमएल) के बोटल्स 72X5 कार्टून आम जनता को विक्रय हेतु रखे थे। उक्त उक्त मैंगो ड्रिंक (प्रान) (150+20 एमएल) के बोटल्स के 24 मूल बोटल्स वास्ते जांच मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 180/– नगद देकर खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।

2. खरीदशुदा उक्त लिची फ्लेवर्ड (प्रान)मूल 6–6 बोटल्स को चार भागों में बांटकर चारों नूमना पैकेट पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड़ व सीरियल नम्बर एम–811 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एम–811 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एम–811 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।

5. श्री आशकरण बोथरा (भागीदार) मै0 जैन इन्टरनेशनल, ऐच.ओ. एम.एम. रोड, पुराना बस स्टेशन रोड, करीमगंज, आसाम। निवासीः– एम.एम. रोड़, पुराना बस स्टेशन रोड़, करीमगंज, आसाम।
6. श्री मूलचंद बैद (भागीदार) मै0 जैन इन्टरनेशनल, ऐच.ओ. एम.एम. रोड़, पुराना बस स्टेशन रोड़, करीमगंज, आसाम। निवासी– जी.एम.सी. रोड़, सीलचार।
7. श्री पवन कुमार जैन (भागीदार) मै0 जैन इन्टरनेशनल, ऐच.ओ. ऐम.ऐम. रोड़, पुराना बस स्टेशन रोड, करीमगंज, आसाम। निवासीः– कालीबेरी रोड़, सीलचार।
8. मै0 जैन इंटरनेशनल, एच.ओ. एम.एम. रोड, पुराना बस स्टेशन रोड़, करीमगंज, आसाम ।
9. मै0 जैन इंटरनेशनल, दुकान नं. 10ए, प्रथम तल, स्काई व्यू बिल्डिंग सेवलोक रोड, सिलीगुडी।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर।

सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।

3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाबा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि उक्त लिची फ्लेवर्ड (प्रान)के चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एम–775 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस/373/एक्ट/2015/383 दिनांक 12.06.2015 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ मिथ्याछाप होना पाया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एम–775 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाई करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।

4. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। अप्रार्थीगण 2 से 6 की ओर से अधिवक्ता प्रदीप शर्मा ने अपना वकालत नामा प्रस्तुत किया। अनेक अवसद देने के बाद भी जवाब प्रस्तुत नहीं किया। अतः जवाब बन्द किया। बहस हेत भी अवसर दिये गये किन्तु बहस नहीं की गई आज भी उपस्थित नहीं आवाज लगाई गई। अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ । अतः एक पक्षीय आदेश पारित करना उचित प्रतीत होता है।

5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट क्रमांक 383 दिनांक 12.06.2015 का अवलोकन किया । एफएसओ को सुना गया तथा मनन के पश्चात मैं लेबोरेट्री की रिपोर्ट से सहमत हूँ तथा एफएसओ ने अप्रार्थीगण द्वारा एफ.एस.एस. एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 3(1)(जेडएफ)(सी)(।) धारा 26 की उपधारा (2)(।।) का उल्लघंन होना बताया है जो धारा धारा 52 के अंतर्गत जुर्माने योग्य अपराध है। उक्त कथन से भी मैं संतुष्ट हूँ। अप्रार्थीगण यदि रिपोर्ट दिनांक 12.06.2015 से सन्तुष्ट न था तो उनके पास रेफरल लेब जाने का अवसन था, परन्तु उन्होने निर्धारित समय में अपील पेश न की । ऐसी स्थिति में अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 52 का दोषी हैं। अप्रार्थीगण 1 व 2 प्रत्येक पर शास्ती रूपये 10000/– अक्षरे रूपये दस हजार अप्रार्थीगण 3 से 7 पर शास्ती रूपये 25000/– अक्षरे रूपये पच्चीस हजार की आरोपित की जाती है। अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक 18.01.2019 के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें तथा एक माह में राशि नहीं कराने पर एफएसओ अभिहित अधिकारी के माध्यम से खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 के तहत कार्यवाही सुनिश्चित करें। निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 18.01.2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(जवाहर चौधरी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर।

क्रमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2019/ **दिनांक :–**

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अभिहित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, अधिकारी जोधपुर।
2. श्री रजनीश शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, अधिकारी जोधपुर, राजस्थान खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 की पालना सुनिश्चित करें।
3. श्री प्रवीण पण्ड्या पुत्र श्री देवेन्द्र पण्ड्या (जैन) (एफबीओ/भागीदार) मै0 रिषभ ट्रेडर्स, शोप संख्या 15 अमृतलाल गहलोत ब्लोक, मण्डोर मण्डी, जोधपुर निवासी :– गांव डेह, पाण्ड्या का चौक, तहसील झायल, जिला नागौर, हाल निवासी–सम्पतराज छाजेड का मकान, पारस ब्लड बैंक के पास, सरदारपुरा, जोधपुर।
4. श्री आशाकरण बोथरा (मालिक) मै0 ऐ.के. इन्टरनेशनल, 41 महाबलीपुरम् कॉलोनी, नोखा रोड़, गंगाशहर, बीकानेर। निवासी :– 41 महाबलीपुरम् कोलोनी, पारीक धर्म कांटे के पीछे, नोखा रोड़, गंगाशहर, बीकानेर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री जवाहर चौधरी, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 16/2016

प्रार्थी

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी

(1) श्री प्रवीण पण्ड्या पुत्र श्री देवेन्द्र पण्ड्या (जैन) (एफबीओ/भागीदार) मै0 रिषभ ट्रेडर्स, शोप संख्या 15 अमृतलाल गहलोत ब्लोक, मण्डोर मण्डी, जोधपुर निवासी :– गांव डेह, पाण्ड्या का चौक, तहसील झायल, जिला नागौर, हाल निवासी–सम्पतराज छाजेड का मकान, पारस ब्लड बैंक के पास, सरदारपुरा, जोधपुर।

(2) श्री आशाकरण बोथरा (मालिक) मै0 ऐ.के. इन्टरनेशनल, 41 महाबलीपुरम् कॉलोनी, नोखा रोड़, गंगाशहर, बीकानेर। निवासी :– 41 महाबलीपुरम् कोलोनी, पारीक धर्म कांटे के पीछे, नोखा रोड़, गंगाशहर, बीकानेर।

(3) श्री आशकरण बोथरा (भागीदार) मै0 जैन इन्टरनेशनल, ऐच.ओ. एम.एम. रोड, पुराना बस स्टेशन रोड, करीमगंज, आसाम। निवासीः– एम.एम. रोड़, पुराना बस स्टेशन रोड़, करीमगंज, आसाम।

(4) श्री मूलचंद बैद (भागीदार) मै0 जैन इन्टरनेशनल, ऐच.ओ. एम.एम. रोड़, पुराना बस स्टेशन रोड़, करीमगंज, आसाम। निवासी– जी.एम.सी. रोड़, सीलचार।

(5) श्री पवन कुमार जैन (भागीदार) मै0 जैन इन्टरनेशनल, ऐच.ओ. ऐम.ऐम. रोड़, पुराना बस स्टेशन रोड, करीमगंज, आसाम। निवासीः– कालीबेरी रोड़, सीलचार।

(6) मै0 जैन इंटरनेशनल, एच.ओ. एम.एम. रोड, पुराना बस स्टेशन रोड़, करीमगंज, आसाम ।

(7) मै0 जैन इंटरनेशनल, दुकान नं. 10ए, प्रथम तल, स्काई व्यू बिल्डिंग सेवलोक रोड, सिलीगुडी।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 16.05.2015 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी फर्म :– मै0 रिषभ ट्रेडर्स, शोप संख्या 15 अमृत लाल गहलोत ब्लोक, मण्डोर मण्डी, जोधपुर दुकान में खाद्य पदार्थ लिची फ्लेवर्ड (प्रान) (170 एमएल) के बोटल्स 72X100 कार्टून आम जनता को विक्रय हेतु रखे थे। उक्त उक्त लिची फ्लेवर्ड (प्रान) (170 एमएल) के बोटल्स के 24 मूल बोटल्स वास्ते जांच मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 180/– नगद देकर खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।

2. खरीदशुदा उक्त लिची फ्लेवर्ड (प्रान)मूल 6–6 बोटल्स को चार भागों में बांटकर चारों नूमना पैकेट पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड़ व सीरियल नम्बर एम–775 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एम–775 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एम–775

अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एम–1357 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाई करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।

4. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री कैलाश सारस्वत ने अपना वकालत नामा प्रस्तुत किया। अप्रार्थीगण को अनेक अवसर देने के बावजूद तय समय पर जवाब प्रस्तुत नही करने से दिनांक 11.06.2018 को जवाब बन्द किया तथा वकील अप्रार्थी ने 04.07.2018 को जवाब प्रस्तुत किया। बहस के दौरान जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए रेफरेल लेब की रिपोर्ट दिनांक 25.05.2017 में घी अमानक स्तर का होने के तथ्यों को स्वीकार किया। एफएसओ को सुना गया। एफएसओ ने बताया की अप्रार्थी रेफरेल लेब की रिपोर्ट दिनांक 25.05.2017 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(2) के उल्लघंन का दोषी है। जो धारा 51 के अंतर्गत जुर्माना योग्य अपराध है।

5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील अप्रार्थी की बहस को सुना गया। एफएसओ की रिपोर्ट व बहस पर मनन किया गया। पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट दिनांक 25.05.2017 का अवलोकन किया तथा मनन के पश्चात पाया की मैं लेबोरेट्री रिपोर्ट से सहमत हूँ तथा उक्त लेब रिपोर्ट के बाद अन्य कोई जाँच संभव नहीं है। उक्त रिपोर्ट में अप्रार्थी को अधिनियम की धारा 2.1.10.2 को दोषी माना है। अतः अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अतः अप्रार्थीगण संख्या एक पर शास्ती **रूपये 20,000/** अक्षरे रूपये **बीस हजार** व अप्रार्थी संख्या दो पर शास्ती **राशि 30,000/** अक्षरे रूपये **तीस हजार** की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक 28.01.2019 के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें तथा एक माह में राशि नहीं कराने पर एफएसओ अभिहित अधिकारी के माध्यम से खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 के तहत कार्यवाही सुनिश्चित करें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 28.01.2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(जवाहर चौधरी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर।

कमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2019/ **दिनांक :–**

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अभिहित अधिकारी मुख्य, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।
2. श्री रेवत सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, अधिकारी, राजस्थान खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 की पालना सुनिश्चित करें।
3. श्री प्रवीण पुरोहित पुत्र श्री देवनारायण पुरोहित, (एफबीओ) फर्म :– मै0 जय हिन्द रोडवेज, प्लॉट नं. 53, ट्रांसपोर्ट नगर, बासनी, जोधपुर नमूनीकरण स्थान–पुलिस थाना परिसर, महामंदिर, जोधपुर।
4. श्री दिनेश व्यास (मालिक) फर्म– मैसर्स वैभव रिपेकर्स, प्राईवेट इण्डस्ट्रीयल एरिया शोभासर बाई पास के पास, नाल बाडी, एन.एच.8 बीकानेर,।
5. फर्म :– मै0 वैभव रिपेकर्स, प्राईवेट इण्ड. एरिया शोभासर बाई पास के पास, नाल बाडी एन.एच.8 बीकानेर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री जवाहर चौधरी, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 90/2017

प्रार्थी

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी

(1) श्री प्रवीण पुरोहित पुत्र श्री देवनारायण पुरोहित, (एफबीओ) फर्म :– मै0 जय हिन्द रोडवेज, प्लॉट नं. 53, ट्रांसपोर्ट नगर, बासनी, जोधपुर नमूनीकरण स्थान–पुलिस थाना परिसर, महामंदिर, जोधपुर, वाहन संख्या आरजे–19जीसी–3708। निवासी–जी–21, वीर गिरधर, स्ट्रीट, भीम जी का मोहल्ला, तापी बावड़ी, खाण्डा फलसा, जोधपुर।

(2) श्री दिनेश व्यास (मालिक) फर्म– मैसर्स वैभव रिपेकर्स, प्राईवेट इण्डस्ट्रीयल एरिया शोभासर बाई पास के पास, नाल बाडी, एन.एच.8 बीकानेर,। निवासी–जगदीश मंदिर के पिछे, कोटगेट के अंदर, मोची गली, बीकानेर 334001।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 27.12.2016 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी फर्म :– मैसर्स वैभव रिपेकर्स, प्राईवेट इण्डस्ट्रीयल एरिया शोभासर बाई पास के पास, नाल बाडी, एन.एच.8 बीकानेर द्वारा निर्मित घी (डोडला) के कुल 15 किलोग्राम 25 टिन विक्रय एवं परिवहन हेतु मै0 जय हिन्द रोडवेज, प्लॉट नं. 53, ट्रांसपोर्ट नगर, बासनी, जोधपुर नमूनीकरण स्थान–पुलिस थाना परिसर, महामंदिर, जोधपुर के वाहन संख्या आरजे–19जीसी–3708 में विक्रय हेतु रखे थे। उक्त उक्त घी (डोडला) 800 ग्राम एक साफ सुखी स्टील भगोनी में वास्ते जांच मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 320/– नगद देकर खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. खरीदशुदा उक्त 800 ग्राम घी (डोडला) को चार प्लास्टिक की साफ सुखी एवं खाली नयी नमूना बोटल में में बराबर मात्रा (200 ग्राम) डालकर चारों नमुना बोतलों पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड़ व सीरियल नम्बर एम–1357 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एम–1357 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एम–1357 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाबा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि उक्त घी (डोडला) के 4 नमुना बोतलों के चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एम–1357 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस/1426/एक्ट/2016/1457 दिनांक 30.12.2016 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ अनसेफ होना पाया गया लेकिन रेफरल फूड लेबोरेट्री मैसूर की रिपोर्ट दिनांक 25.05.2017 द्वारा घी सबस्टैण्र्ड पाया गया। खाद्य सुरक्षा

15. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट कमांक 1161 दिनांक 05.12.2017 का अवलोकन किया । मनन के पश्चात पाया की अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 52 का दोषी हैं। अप्रार्थी यदि रिपोर्ट दिनांक 05.12.2017 से सन्तुष्ट न था तो उनके पास रेफरल लेब जाने का अवसन था, परन्तु उन्होने निर्धारित समय में अपील पेश न की । ऐसी स्थिति में अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 52 का दोषी हैं। अप्रार्थीगण पर शास्ती रूपये ..... अक्षरे रूपये ..... की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक .....के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।
निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(जवाहर चौधरी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर।

कमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2018/ **दिनांक :–**

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

5. अभिहित अधिकारी मुख्य, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।
6. श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय चिकित्सा एवं स्वा. सेवायें, जयपुर, राजस्थान खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 की पालना सुनिश्चित करें।
7. श्री जेठमल राठी पुत्र स्व. श्री सेवाराम राठी, (एफबीओ एवं मालिक) फर्म :– मै0 पवन इण्डस्ट्रीज, ए–15(ए), एम.आई.ए. बासनी, फेज–1, जोधपुर निवासी–राठी सदन, नागौरी गेट के बाहर, भगतसिंह रोड़, जोधपुर।
8. फर्म :– मै0 पवन इण्डस्ट्रीज, ए–15(ए), एम.आई.ए. बासनी, फेज–1, जोधपुर।

(जवाहर चौधरी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री जवाहर चौधरी, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 101/2018

प्रार्थी

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी

(1) श्री जेठमल राठी पुत्र स्व. श्री सेवाराम राठी, (एफबीओ एवं मालिक) फर्म :– मै0 पवन इण्डस्ट्रीज, ए–15(ए), एम.आई.ए. बासनी, फेज–1, जोधपुर निवासी–राठी सदन, नागौरी गेट के बाहर, भगतसिंह रोड़, जोधपुर।

आदेश

11. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 05.10.2017 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी फर्म :– मै0 पवन इण्डस्ट्रीज, ए–15(ए), एम.आई.ए. बासनी, फेज–1, जोधपुर पहुँच कर निरीक्षण करने दौरान खाद्य पदार्थ सरसों तेल के 78 पीपे (प्रत्येक पीपे में 15 किग्रा सरसों तेल) आम जनता को विक्रय हेतु रखे थे। उक्त उक्त सरसों तेल में से 1600 ग्राम तेल वास्ते जांच मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 119/– नगद देकर खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।

12. खरीदशुदा उक्त सरसों तेल को चार प्लास्टिक बोतलों में चार–चार बराबर डालकर चारों नमुना बोतलों पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड़ व सीरियल नम्बर एम–1604 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एम–1604 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एम–1604 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।

13. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाबा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि उक्त सरसों तेल के 4 नमुनों बोतलों के चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एम–1604 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस/897/एक्ट/2017/898 दिनांक 17.10.2017 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ मिथ्याछाप होना पाया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एम–1604 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाई करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।

14. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। अप्रार्थीगण संख्या एक से चार द्वारा जवाब पेश में बताया गया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा लिया गया नमूना सब स्टेण्र्डड नहीं था और अप्रार्थीगण अपना समुचित आधार नहीं ले सके और न्याय से वंचित हो गये इस आधर पर अप्रार्थीगण के विरूद्व कार्यवाही ड्रोप फरमायी जावे।

नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाई करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।

9. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। अप्रार्थीगण संख्या एक से चार द्वारा जवाब पेश में बताया गया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा लिया गया नमूना सब स्टेण्र्डड नहीं था और अप्रार्थीगण अपना समुचित आधार नहीं ले सके और न्याय से वंचित हो गये इस आधर पर अप्रार्थीगण के विरूद्व कार्यवाही ड्रोप फरमायी जावे।

10. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट क्रमांक 897 दिनांक 17.10.2017 का अवलोकन किया । मनन के पश्चात पाया की अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थी यदि रिपोर्ट दिनांक 17.10.2017 से सन्तुष्ट न था तो उनके पास रेफरल लेब जाने का अवसन था, परन्तु उन्होने निर्धारित समय में अपील पेश न की । ऐसी स्थिति में अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थीगण पर शास्ती रूपये ..... अक्षरे रूपये ..... की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक .....के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।
निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(जवाहर चौधरी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर।

क्रमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2018/ **दिनांक :–**

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अभिहित अधिकारी मुख्य,कार्यालय आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जयपुर राज.।
2. श्री विशाल मित्तल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय चिकित्सा एवं स्वा. सेवायें, जयपुर, राजस्थान खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 की पालना सुनिश्चित करें।
3. श्री जेठमल राठी पुत्र स्व. श्री सेवाराम राठी, (एफबीओ एवं मालिक) फर्म :– मै0 पवन इण्डस्ट्रीज, ए–15(ए), एम.आई.ए. बासनी, फेज–1, जोधपुर निवासी–राठी सदन, नागौरी गेट के बाहर, भगतसिंह रोड़, जोधपुर।
4. फर्म :– मै0 पवन इण्डस्ट्रीज, ए–15(ए), एम.आई.ए. बासनी, फेज–1, जोधपुर।

(जवाहर चौधरी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री जवाहर चौधरी, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 23/2018

प्रार्थी

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जयपुर राज.।

बनाम

अप्रार्थी

(1) श्री जेठमल राठी पुत्र स्व. श्री सेवाराम राठी, (एफबीओ एवं मालिक) फर्म :– मै0 पवन इण्डस्ट्रीज, ए–15(ए), एम.आई.ए. बासनी, फेज–1, जोधपुर निवासी–राठी सदन, नागौरी गेट के बाहर, भगतसिंह रोड़, जोधपुर।

आदेश

6. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 05.10.2017 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जयपुर राज. द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी फर्म :– मै0 पवन इण्डस्ट्रीज, ए–15(ए), एम.आई.ए. बासनी, फेज–1, जोधपुर पहुँच कर निरीक्षण करने दौरान खाद्य पदार्थ सरसों तेल Mustered Oil (सपूत) के 36 गत्ता कार्टून (प्रत्येक गत्ता कार्टून में 1 लीटर की 20 पेट बोतल) आम जनता को विक्रय हेतु रखे थे। उक्त उक्त सरसों तेल में से 04 पेट बोतल 1 लीटर की वास्ते जांच मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 298/– नगद देकर खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।

7. खरीदशुदा उक्त सरसों तेल Mustered Oil (सपूत) को चार प्लास्टिक बोतलों में चार–चार बराबर डालकर चारों नमुना बोतलों पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड़ व सीरियल नम्बर एम–1603 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एम–1603 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एम–1603 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।

8. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाबा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि उक्त सरसों तेल Mustered Oil (सपूत) के 4 नमुनों बोतलों के चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एम–1603 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस/896/एक्ट/2017/897 दिनांक 17.10.2017 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ सब– सटेण्र्डड होना पाया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एम–1603 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की

तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाई करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।

4. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। अप्रार्थीगण ने अपना जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया की पाउच पर पुरा पता नहीं था। यह उनकी गलती है। अब पाउच पर पते का स्टीकर व एफएसएसएआई का स्टीकर लगा दिया है तथा भविष्य में इस प्रकार की गलती दुबारा नहीं करने हेतु निवेदन किया है।
5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट कमांक 92 दिनांक 14.02.2018 का अवलोकन किया तथा अप्रार्थीगण को सुनने व मनन के पश्चात पाया की अप्रार्थीगण ने अपनी गलती मानी है। जिससे वे खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 52 का दोषी हैं। अप्रार्थी यदि रिपोर्ट दिनांक 14.02.2018 से सन्तुष्ट न था तो उनके पास रेफरल लेब जाने का अवसन था, परन्तु उन्होने निर्धारित समय में अपील पेश न की । ऐसी स्थिति में अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 52 का दोषी हैं। अप्रार्थीगण पर शास्ती रूपये 5000/ अक्षरे रूपये पांच हजार मात्र की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक 03.01.2018 के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें तथा एक माह में राशि नहीं कराने पर एफएसओ अभिहित अधिकारी के माध्यम से खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 के तहत कार्यवाही सुनिश्चित करें।

   निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 03.01.2018 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(जवाहर चौधरी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर।

कमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2018/ **दिनांक :–**

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अभिहित अधिकारी मुख्य, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।
2. श्री रेवत सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी–जोधपुर, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 की पालना सुनिश्चित करें।
3. श्री हिम्मतमल बोहरा पुत्र श्री लालचंद बोहरा, (एफबीओ एवं विक्रेता) फर्म :– मै0 लालजी टी कंपनी, सिवांची गेट पुलिस स्टेशन के पास, न्यू चांदपोल रोड़, जोधपुर (निवासीः–52, जैन एनक्लेव सोसायटी, साईधाम मंदिर के पीछे पाल रोड़, वैशाली नगर, जोधपुर।
4. श्री लक्षित बोहरा पुत्र श्री हिम्मतमल बोहरा (मालिक), मै. लालजी टी कंपनी, सिवांची गेट पुलिस स्टेशन के पास, न्यू चांदपोल रोड़, जोधपुर निवासी–52 जैन एनक्लेव सोसायटी, साईधाम मंदिर के पीछे, पाल रोड़, वैशाली नगर, जोधपुर।
5. फर्म :– मै. लालजी टी कंपनी, सिवांची गेट पुलिस स्टेशन के पास, न्यू चांदपोल रोड़, जोधपुर।

(जवाहर चौधरी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री जवाहर चौधरी, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 65/2018

प्रार्थी

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी

(1) श्री हिम्मतमल बोहरा पुत्र श्री लालचंद बोहरा, (एफबीओ एवं विक्रेता) फर्म :– मै0 लालजी टी कंपनी, सिवांची गेट पुलिस स्टेशन के पास, न्यू चांदपोल रोड़, जोधपुर (निवासीः–52, जैन एनक्लेव सोसायटी, साईधाम मंदिर के पीछे पाल रोड़, वैशाली नगर, जोधपुर।

(2) श्री लक्षित बोहरा पुत्र श्री हिम्मतमल बोहरा (मालिक), मै. लालजी टी कंपनी, सिवांची गेट पुलिस स्टेशन के पास, न्यू चांदपोल रोड़, जोधपुर निवासी–52 जैन एनक्लेव सोसायटी, साईधाम मंदिर के पीछे, पाल रोड़, वैशाली नगर, जोधपुर।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 02.02.2018 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी फर्म :– मै0 लालजी टी कंपनी, सिवांची गेट पुलिस स्टेशन के पास, न्यू चांदपोल रोड़, जोधपुर पहुँच कर निरीक्षण करने दौरान खाद्य पदार्थ चाय (ब्रांड लाल जी गोल्ड) के 250 ग्राम के 300 पैक आम जनता को विक्रय हेतु रखे थे। उक्त उक्त चाय में से 2 किलोग्राम चाय के 250–250 ग्राम के 8 पैक पैकेट वास्ते जांच मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 320/– नगद देकर खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. खरीदशुदा उक्त चाय 2 किलोग्राम के 250–250 ग्राम के 2 पैकेट के चार नमुनों पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड़ व सीरियल नम्बर एडी–1722 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एडी–1722 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एडी–1722 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाबा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि उक्त चाय 2 किलोग्राम के 4 नमुनों पैकेट के चारों पैकेट के चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एडी–1722 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस/74/एक्ट/2018/92 दिनांक 14.02.2018 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ मिथ्याछाप होना पाया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एडी–1722 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट

4. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। अप्रार्थीगण संख्या एक से चार द्वारा जवाब पेश में बताया गया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा लिया गया नमूना सब स्टेण्र्डड नहीं था और अप्रार्थीगण अपना समुचित आधार नहीं ले सके और न्याय से वंचित हो गये इस आधर पर अप्रार्थीगण के विरूद्व कार्यवाही ड्रोप फरमायी जावे।
5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट क्रमांक 1161 दिनांक 05.12.2017 का अवलोकन किया । मनन के पश्चात पाया की अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 52 का दोषी हैं। अप्रार्थी यदि रिपोर्ट दिनांक 05.12.2017 से सन्तुष्ट न था तो उनके पास रेफरल लेब जाने का अवसन था, परन्तु उन्होने निर्धारित समय में अपील पेश न की । ऐसी स्थिति में अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 52 का दोषी हैं। अप्रार्थीगण पर शास्ती रूपये ..... अक्षरे रूपये ..... की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक .....के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।
   निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(जवाहर चौधरी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर।

क्रमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2018/ **दिनांक :–**

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अभिहित अधिकारी मुख्य, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।
2. श्री रजनीश शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी–जोधपुर, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 की पालना सुनिश्चित करें।
3. श्री बाबूलाल बोराणा पुत्र श्री धनजी बोराणा, (एफबीओ एवं मालिक) फर्म :– मै0 संतोष दुध दही भण्डार, प्रथम बी रोड़, सरदारपुरा, जोधपुर (निवासीः–प्रथम बी रोड़, सरदारपुरा, जोधपुर)।
4. फर्म :– मै0 संतोष दुध दही भण्डार, प्रथम बी रोड़, सरदारपुरा, जोधपुर (निवासीः–प्रथम बी रोड़, सरदारपुरा, जोधपुर)।

(जवाहर चौधरी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री जवाहर चौधरी, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 08/2018

प्रार्थी

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी

श्री बाबूलाल बोराणा पुत्र श्री धनजी बोराणा, (एफबीओ एवं मालिक) फर्म :– मै0 संतोष दुध दही भण्डार, प्रथम बी रोड़, सरदारपुरा, जोधपुर (निवासीः–प्रथम बी रोड़, सरदारपुरा, जोधपुर)।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 11.09.2017 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी फर्म :– मै0 संतोष दुध दही भण्डार, प्रथम बी रोड़, जोधपुर पहुँच कर निरीक्षण करने दौरान खाद्य पदार्थ पनीर करीबन 4 किलोग्राम आम जनता को विक्रय हेतु रखा था। उक्त उक्त पनीर में से 1 किलोग्राम पनीर साफ चाकू से क्रश कर हिला मिलाकर एक रूप कर चार प्लास्टिक की नमूना बोटल्स में बराबर–बराबर मात्रा में डालकर वास्ते जांच मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 300/– नगद देकर खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. खरीदशुदा उक्त पनीर की 4 ग्लास बोटल्स पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड़ व सीरियल नम्बर एम–1607 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एम–1607 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एम–1607 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाबा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि उक्त पनीर 1 किलोग्राम के 4 ग्लास बोटल्स के चारों पैकेट के चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एम–1607 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस/811/एक्ट/2017/810 दिनांक 19.09.2017 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ मिथ्याछाप होना पाया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एम–1607 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाई करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।

जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाई करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।

4. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। जवाब पेश किया वकली अप्रार्थीगण संख्या एक व दो ने जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए स्नेक सॉस की बॉटल पर लगे लेबल निर्माता एवं अधिकृत डीलर द्वारा भेजा जाता है अतः लेबल के बारे में सम्पूर्ण जवाबदारी निर्माता की है। अप्रार्थी संख्या तीन निर्माता ने अपने जवाब में कम से कम जुर्माना लगाने हेतु निवेदन किया है।
5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट कमांक 833 दिनांक 04.10.2017 का अवलोकन किया अप्रार्थी संख्या एक व दो को सुना गया तथा तीन के जवाब में उन्होनें जुर्म स्वीकार किया है अतः मनन के पश्चात पाया की अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 52 का दोषी हैं। अप्रार्थी यदि रिपोर्ट दिनांक 04.10.2017 से सन्तुष्ट न था तो उनके पास रेफरल लेब जाने का अवसन था, परन्तु उन्होने निर्धारित समय में अपील पेश न की । ऐसी स्थिति में अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 52 का दोषी हैं। अप्रार्थीगण पर शास्ती रूपये 5000/ अक्षरे रूपये पॉच हजार मात्र आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक 29.01.2019 के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।
   निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 29.01.2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(जवाहर चौधरी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर।

कमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2018/ **दिनांक :–**

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अभिहित अधिकारी मुख्य, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।
2. श्री रजनीश शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी–जोधपुर, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 की पालना सुनिश्चित करें।
3. श्री मनोज खत्री पुत्र श्री महेश कुमार खत्री, (एफबीओ एवं मालिके) फर्म :– मै0 कनक ब्रदर्स, शक्ति नगर, तीसरी पोल के बाहर, महामंदिर जोधपुर (निवासी–गोपाल भवन के पीछे, नागौरी गेट, जोधपुर)।
4. श्री महेश कुमार खत्री पुत्र श्री मेघराज खत्री (एफबीओ एवं मालिके) फर्म :– मै0 कनक ब्रदर्स, शक्ति नगर, तीसरी पोल के बाहर, महामंदिर जोधपुर (निवासी–गोपाल भवन के पीछे, नागौरी गेट, जोधपुर)।
5. श्री धर्मवीर चौधरी पुत्र श्री गिरधारी राम उम्र 35 वर्ष (निर्माता/मालिक) फर्म–मैसर्स–डी.बी. मार्केटिंग हाउस, खसरा नं. 86/2, प्लाट नं. 50, शांति पेट्रोल पम्प के सामने, रामदेव नगर बनाड रोड़, जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री जवाहर चौधरी, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 60/2018

प्रार्थी

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी

(1) श्री मनोज खत्री पुत्र श्री महेश कुमार खत्री, (एफबीओ एवं मालिके) फर्म :– मै0 कनक ब्रदर्स, शक्ति नगर, तीसरी पोल के बाहर, महामंदिर जोधपुर (निवासी–गोपाल भवन के पीछे, नागौरी गेट, जोधपुर)।

(2) श्री महेश कुमार खत्री पुत्र श्री मेघराज खत्री (एफबीओ एवं मालिके) फर्म :– मै0 कनक ब्रदर्स, शक्ति नगर, तीसरी पोल के बाहर, महामंदिर जोधपुर (निवासी–गोपाल भवन के पीछे, नागौरी गेट, जोधपुर)।

(3) श्री धर्मवीर चौधरी पुत्र श्री गिरधारी राम उम्र 35 वर्ष (निर्माता/मालिक) फर्म–मैसर्स–डी.बी. मार्केटिंग हाउस, खसरा नं. 86/2, प्लाट नं. 50, शांति पेट्रोल पम्प के सामने, रामदेव नगर बनाड रोड़, जोधपुर।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 20.09.2017 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी फर्म :– मै0 कनक ब्रदर्स, शक्ति नगर, तीसरी पोल के बाहर, महामंदिर, जोधपुर पहुँच कर निरीक्षण करने दौरान खाद्य पदार्थ स्नेक सॉस (टोप फूड) के 1 किलोग्राम के 6 ग्लास बोटल्स आम जनता को विक्रय हेतु रखा था। उक्त स्नेक सॉस (टोप फूड) के 1 किलोग्राम के 4 ग्लास बोटल्स वास्ते जांच मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 240/– नगद देकर खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।

2. खरीदशुदा स्नेक सॉस (टोप फूड) के 1 किलोग्राम के 4 ग्लास बोटल्स पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड़ व सीरियल नम्बर एम–1610 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एम–1610 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एम–1610 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।

3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाबा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि स्नेक सॉस (टोप फूड) के 1 किलोग्राम के 4 ग्लास बोटल्स के चारों पैकेट के चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एम–1610 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस/834/एक्ट/2017/833 दिनांक 04.10.2017 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ मिथ्याछाप होना पाया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एम–1610 एवं खाद्य विश्लेषक

4. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। अप्रार्थीगण संख्या एक से चार द्वारा जवाब पेश में बताया गया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा लिया गया नमूना सब स्टेण्र्डड नहीं था और अप्रार्थीगण अपना समुचित आधार नहीं ले सके और न्याय से वंचित हो गये इस आधर पर अप्रार्थीगण के विरूद्व कार्यवाही ड्रोप फरमायी जावे।
5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट क्रमांक–1683 दिनांक 05.12.2017 का अवलोकन किया । मनन के पश्चात पाया की अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 52 का दोषी हैं। अप्रार्थी यदि रिपोर्ट दिनांक 05.12.2017 से सन्तुष्ट न था तो उनके पास रेफरल लेब जाने का अवसन था, परन्तु उन्होने निर्धारित समय में अपील पेश न की । ऐसी स्थिति में अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 52 का दोषी हैं। अप्रार्थीगण पर शास्ती रूपये ..... अक्षरे रूपये ..... की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक .....के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें तथा एक माह में राशि नहीं कराने पर एफएसओ अभिहित अधिकारी के माध्यम से खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 के तहत कार्यवाही सुनिश्चित करें।

   निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(जवाहर चौधरी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर।

क्रमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2019/ **दिनांक :–**

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अभिहित अधिकारी मुख्य, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।
2. श्री रेवंत सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी–जोधपुर, खाध सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 की पालना सुनिश्चित करें।
3. श्री मोहम्मद रईस पुत्र श्री अब्दुल रशीद (एफबीओ एवं मालिक) फर्म :– मै0 तमन्ना बेकरी, शिप हाउस, भारत कॉलोनी वीर तेजा हाॅस्टल के पास,नागौरी गेट, जोधपुर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री जवाहर चौधरी, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 30/2018

प्रार्थी

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी

श्री मोहम्मद रईस पुत्र श्री अब्दुल रशीद (एफबीओ एवं मालिक) फर्म :– मै0 तमन्ना बेकरी, शिप हाउस, भारत कॉलोनी वीर तेजा हॉस्टल के पास, नागौरी गेट, जोधपुर।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 14.11.2017 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी फर्म :– मै0 तमन्ना बेकरी, शिप हाउस, भारत कॉलोनी वीर तेजा हॉस्टल के पास,नागौरी गेट, जोधपुर पहुँच कर निरीक्षण करने दौरान खाद्य पदार्थ मिल्क सूजी इलायची रस्क (ब्रांड तमन्ना) के 8 गत्ता कार्टन में 240 पोली पेकिंग पैकेट्स (8 कार्टन गुणा 30 पोली पेकिंग पैकेटस प्रति गत्ता) आम जनता को विक्रय हेतु रखा था। उक्त मिल्क सूजी इलायची रस्क (ब्रांड तमन्ना) नियमानुसार 01 किलोग्राम (250 ग्राम गुणा 04 पैकेट) वास्ते जांच मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 90/– नगद देकर खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. खरीदशुदा मिल्क सूजी इलायची रस्क (ब्रांड तमन्ना)के चारों पैकेट पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड़ व सीरियल नम्बर एडी–1683 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एडी–1683 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एडी–1683 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाबा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई। प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि मिल्क सूजी इलायची रस्क (ब्रांड तमन्ना) के चारों पैकेट के चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एडी–1683 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस/1162/एक्ट/2017/1162 दिनांक 05.12.2017 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ मिथ्याछाप होना पाया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिके ान, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एडी–1683 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाई करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।

specified किये हुऐ है। जो ऐक्ट में दिये गये specified standards से मिलान नहीं होते हो। इसलिये उक्त प्रकरण में यह उत्पाद मानक के सम्बन्ध में specified नहीं किया गया है। खाद्य विश्लेषक द्वारा अमानक मानना में त्रुटि की है। इस सम्बन्ध में एमवे इण्डिया कम्पनी द्वारा इसी बैंच के उत्पाद को Intertek India Private Limited से जांच करवाई गई जिसमें उत्पाद का सेम्पल सही पाया गया तथा उक्त लेब खाद्य पदार्थ के विश्लेषण के लिए FSSAI द्वारा Notified NABL Accredited food Testing Laboratories है। यह रिपोर्ट FSSAI द्वारा मान्यता प्राप्त लेब द्वारा जारी की गई है। व विश्वसनीय रिपोर्ट दी गई है। इन्टरटेक इण्डिया प्रा.लि. द्वारा जारी रिपोर्ट में 100 ग्राम पर 9.50 ग्राम फैट की मात्रा आई तथा लेबल पर 9.52 ग्राम फैट प्रति 100 ग्राम पर दर्शित की गई थी। इसलिए फैट के सम्बन्ध में जांच रिपोर्ट सही पाई गई। खाद्य विश्लेषक द्वारा जो जांच प्रक्रिया अपनाई गई वह विधि अनुसार नहीं होने से खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट अस्पष्ट है इस सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त Municipal Corporation of Delhi Vs. Ram Sarup Shivnoth Rai [1973 Cri LJ 1859], the cour held that no conviction can be based on a report of the Public Analyst which suffers from vagueness. Even the Supreme Court, in cases such as Municipal Corporation of Delhi Vs. Kacheroo Mal [AIR 1976 SC 394] has not relied upon vague reports of the food analysts. खाद्य विश्लेषक द्वारा खास तौर से विहित प्रक्रिया द्वारा उत्पाद की जांच नहीं की गई है। इसलिए उत्पाद को अमानक नहीं माना जा सकता है तथा उत्पाद में फैट के बारे में कोई मानक परिभाषित नहीं किया गया हैं इसलिए अप्रार्थी के लिए खाद्य विश्लेषक की विश्लेषण प्रक्रिया पूर्ण रूप से अविश्वसनिय होने से खारिज योग्य है। एफ एस ओ से प्रोप्रायटरी फूड हेल्थ सप्लीमेंट (न्यूट्रीलाईट किड्स ड्रिंक) के मानक नहीं होने पर कैसे सबस्टेण्डर्ड पाया गया तथा इस सबंध में खाद्य सुरक्षा अधिनियम में क्या प्रावधान है, खाद्य विश्लेषक अप्रार्थी के अधिवक्ता के इस तथ्य का औचित्य पूर्ण व तथ्यात्मक रूप से अधिनियम के प्रावधानानुसार सिद्ध नहीं कर पाये तथा नमूना प्रोप्रायटरी फूड होने के बावजूद किस कारण से सबस्टेण्डर्ड बताया है। इसे खाद्य सुरक्षा अधिकारी स्पष्ट नहीं कर पाये।

5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट क्रमांक 688 दिनांक 17.09.2018 का अवलोकन किया तथा अप्रार्थीगण को सुना गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी को सुना गया मनन के पश्चात् मैं अप्रार्थी के इस तथ्य से संतुष्ट हूं कि प्रोपरायटरी फूड के नॉर्मस नहीं होने से मानक में लेबल पर लिखे गये नॉर्मस से कोई अंतर नहीं पडता । प्रोप्रायटरी फूड को किस आधार पर सबस्टेण्डर्ड किया गया। तथ्यात्मक रूप से अधिनियम के प्रावधानानुसार एफ एस ओ अधिनियम के प्रावधाने के अनुसार सिद्ध करने में असफल रहे अतः इस प्रकरण की कार्यवाही ड्रॉप की जाती है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि न्यायालय हाजा में प्रस्तुत प्रकरण की संपूर्ण जानकारी के साथ न्यायालय में वरवक्त बहस सरकार की ओर से पैरवी करें।

6. निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(जवाहर चौधरी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

कमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2018/ **दिनांक :–**

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

7. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर।
8. श्री रजनीश शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर।
9. श्री अमिताभ सिंह पुत्र श्री एम एस मेडतिया, मैसर्सः एमवे इण्डिया एण्टरप्राइजेज प्रा लि, 117/4 पी डब्लू डी कॉलोनी, जोधपुर।
10. श्री गुरूशरण सिंह चिमा, मैसर्सः एमवे इण्डिया एण्टरप्राइजेज प्रा लि, 117/4 पी डब्लू डी कॉलोनी, जोधपुर।
11. मैसर्सः एमवे इण्डिया एण्टरप्राइजेज प्रा लि, 117/4 पी डब्लू डी कॉलोनी, जोधपुर।
12. मैसर्सः एमवे इण्डिया एण्टरप्राइजेज प्रा लि, खसरा नं 99/4,7 14/1, अकबरपुर बरोता, सोनीपत।
13- श्री मोहन कृष्ण मुलाकाला पुत्र श्री मृत्युन्जय मुलाकाला, M/S. SARVOTAM CARE VILLAGEJHARMAJRI P.O. BAROTIWALA TEH. NALAGARH DIS. SOLAN 174103 H.P.
14- M/S. SARVOTAM CARE VILLAGEJHARMAJRI P.O. BAROTIWALA TEH. NALAGARH DIS. SOLAN 174103 H.P.

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

3- जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाफा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि उक्त चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एम–887 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस 628/एक्ट/2017/668 दिनांक 17.09.2015 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एम–887 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाईल करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।

4. अप्रार्थी से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। वकील अप्रार्थी ने जवाब प्रस्तुत किया। जवाब में बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमुने का सेम्पल दिनांक 28.08.2015 को लेकर उक्त सेम्पल खाद्य विश्लेषक को जांच हेतु भेजा गया जिस की रिपोर्ट No.L.S.628/Act/2015/668 कंजमक 17.09.2015 को खाद्य विश्लेषक द्वारा जारी की गई तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मैसर्स सर्वोतम कैयरस विलेज पर नमुने के सेम्पल के सम्बन्ध में लगाये गये आरोप सही नहीं है। वास्तिवक स्थिति से परे है तथा उत्पाद अमानक स्तर का किसी भी तरह से नहीं था। अप्रार्थी द्वारा न ही खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनिमय व न ही पैंकिग रेगुलेसन का उल्लघन किया गया है। उक्त प्रकरण में खाद्य विश्लेषक द्वारा सेम्पल जांच के सम्बन्ध में उचित प्रक्रिया नहीं अपनाई गई, जांच सही नही की गई तथा अभिहित अधिकारी व खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त रिपोर्ट के सम्बन्ध में अप्रार्थी का एतराज होते हुऐ भी रिपोर्ट पर बिना कोई विश्लेषण व विवचेन व बिना प्रक्रिया अपनाये अप्रार्थी के विरूद्व परिवाद पेश किया गया। खाद्य विश्लेषक द्वारा सेम्पल की जांच जिस लेब से करवाई गई वह notified NABL Accredited Food Testing Laboratorie नहीं थी। इसलिए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 43 के अनुसार सेम्पल की जांच प्रमाणित लेब से नहीं होने पर वह रिपोर्ट मान्य नही है। अप्रार्थी द्वारा धारा 46 (4) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत खाद्य विश्लेषक द्वारा जांच रिपोर्ट को खारिज करने की अपील पेश की गई थी। जो अभिहित अधिकारी द्वारा दिनांक 22.12.2015 को अप्रार्थी की अपील खारिज की गई थी। जबकि अप्रार्थी द्वारा NABL लेब से जारी जांच रिपोर्ट व खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट गलत होने से सम्बन्ध में जवाब पर कोई विवेचना व निर्ष्कष नहीं कर के भारी भूल की गई है। केवल मात्र खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट के आधार पर अप्रार्थी के विरूद्व प्रकरण को दर्ज कर पेश कर दिया जो की विधि विरूद्व है। अभिहित अधिकारी द्वारा अप्रार्थी द्वारा पेश अपील में खाद्य विश्लेषक की जांच रिपोर्ट के विरूद्व कही भी दुबारा जांच हेतु नमुना रेफरल लेब में भिजवाने हेतु अप्रार्थी द्वारा आवेदन नहीं किया गया है। न ही शुल्क का डिमान्ड ड्राफ्ट संलग्न किया गया लिख कर अप्रार्थी की अपील खारिज की गई जबकि अभिहित अधिकारी को अप्रार्थी के जवाब व जांच रिपोर्ट पर अध्ययन करना चाहिए था और नमुने की जांच करवानी चाहिए थी। एवं अपील का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना चाहिए था तथा अपीलाण्ट द्वारा उठाईगई आपतियों विधिपूर्ण निस्तारण किया जाना चाहिए था। जो नहीं करके केवल मात्र खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट को मान लिया गया जो न्याय हित व प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विरूद्व है। अभिहित अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के नियम 2.4.03 के अनुसार द्वितिय सेम्पल को रेफरल लेबोरटरी में भेजने का suomoto अधिकार है जबकि इस प्रकरण में अभिहित अधिकारी द्वारा ऐसा नहीं कर के केवल खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट को ही मानने में त्रुटि की है। खाद्य विश्लेषक द्वारा सेम्पल दिनांक 28.08.2015 को प्राप्त किया गया था। तथा सेम्पल की जांच दिनांक 02.029. 2015 से 17.09.2015 को की गई और रिपोर्ट दिनांक 17.09.2015 को जारी की गई। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अनुसार नियत समय में पेश नहीं की गई है । खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनिमय के निमय 2.4.2(5) के अनुसार खाद्य विश्लेषक द्वारा जांच रिपोर्ट 14 दिन में भेजनी आवश्यक है। इसलिए उक्त रिपोर्ट नियम व प्रावधानों के अनुसार समय पर नहीं भेजी गई है इसलिए इस रिपोर्ट को पढ़ा ही नही जा सकता है। खाद्य विश्लेषक द्वारा सेम्पल जांच में अमानक स्तर राय देने में गम्भीर त्रुटि की है। यह उत्पाद खाद्य सुरक्षा अधिनियम में दिये गये मानक के अनुसार अमानक की परिभाषा में नहीं आता है। धारा 3(ग) इस प्रकार है। "Section 3(zx)" Sub-standard" an article of food shall be deemed to be sub-standard if it does not meet the specified standards but not so as to render the article of food unsafe" इसलिए अप्रार्थी का प्रोडेक्ट उक्त अनुसार परिभाषित नहीं होता है। अतः खाद्य विश्लेषक द्वारा प्रोडेक्ट को अमानक मानने में त्रुटि की है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनिमय से स्पष्ट है कि इस अधिनिमय के अनुसार अमानक स्तर की श्रेणी में केवल वे ही उत्पाद आते है जो ऐक्ट में उत्पाद व उसमें पदार्थ की मात्रा के सम्बन्ध में अर्थात मानक के सम्बन्ध में

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री जवाहर चौधरी, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 35/2016

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जोधपुर।		1. श्री अमिताभ सिंह पुत्र श्री एम एस मेडतिया, मैसर्सः एमवे इण्डिया एण्टरप्राइजेज प्रा लि, 117/4 पी डब्लू डी कॉलोनी, जोधपुर। 2. श्री गुरूशरण सिंह चिमा, मैसर्सः एमवे इण्डिया एण्टरप्राइजेज प्रा लि, 117/4 पी डब्लू डी कॉलोनी, जोधपुर। 3. मैसर्सः एमवे इण्डिया एण्टरप्राइजेज प्रा लि, 117/4 पी डब्लू डी कॉलोनी, जोधपुर। 4. मैसर्सः एमवे इण्डिया एण्टरप्राइजेज प्रा लि, खसरा नं 99/4,7 14/1, अकबरपुर बरोता, सोनीपत। 5. श्री मोहन कृष्ण मुलाकाला पुत्र श्री मृत्युन्जय मुलाकाला M/S. SARVOTAM CARE VILLAGEJHARMAJRI P.O. BAROTIWALA TEH. NALAGARH DIS. SOLAN 174103 H.P. 6. M/S. SARVOTAM CARE VILLAGEJHARMAJRI P.O. BAROTIWALA TEH. NALAGARH DIS. SOLAN 174103 H.P.

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 05.10.2015 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी मैसर्सः एमवे इण्डिया एण्टरप्राइजेज प्रा लि, 117/4 पी डब्लू डी कॉलोनी, जोधपुर **पहुंचा**, यहां प्रोप्रायटरी फूड हेल्थ सप्लीमेंट (न्यूट्रीलाईट किड्स ड्रिंक) 500 ग्राम के कार्टून में 45 टिन आम जनता हेतु वास्ते विक्रय रखा हुआ था। वास्ते जांच मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 3960/– देकर प्रोप्रायटरी फूड हेल्थ सप्लीमेंट (न्यूट्रीलाईट किड्स ड्रिंक) 500 ग्राम के एक ही बेच लौट के 4 टिन पैक खरीदे तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. विक्रेता व गवाह के सामने खरीदसुदा प्रोप्रायटरी फूड हेल्थ सप्लीमेंट (न्यूट्रीलाईट किड्स ड्रिंक) 500 ग्राम के टिन पैक पर लगाने के लिए लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड़ व सीरियल नम्बर एम–887, खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमूना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एम–887 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमूना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एम–887 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।

के चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एडी– 582 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस 461/एक्ट/2017/461 दिनांक 19.05.2017 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ मिथ्याछाप होना पाया गया। उक्त खाद्य पदार्थ रिफाइण्ड पाम ऑयल का नमूना कन्ट्रावेन्स रेगूलेशन (कन्ट्रावन्स रेगूलेशन न0 2.3.15 (1) (बी)) of Food Safety and Standard Prohibition and Restrictions on Sales Regulations, 2011 का होना पाया जाने की रिपोर्ट प्राप्त होने से प्रकरण प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपाने ऍ एस एस ए की धारा (कन्ट्रावन्स रेगूलेशन न0 2.3.15 (1) (बी)) का उलघन किया है जो ऍएसएस एक्ट की धारा 58 के तहत जुर्माने योग्य अपराध होने से आपके विरूद्व जुर्माना कियो जाने का निवेदन किया गया है। विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम कन्ट्रावेन्स रेगूलेशन (कन्ट्रावन्स रेगूलेशन न0 2.3.15 (1) (बी)) of Food Safety and Standard Prohibition and Restrictions on Sales Regulations, 2011 के तहत परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एडी– 582 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाई करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।

4. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। अप्रार्थीगण के वकील ने अपनी बहस को ही जवाब मानकर अप्रार्थीगण अपना समुचित आधार नहीं ले सके और न्याय से वंचित हो गये इस आधर पर अप्रार्थीगण के विरूद्व कार्यवाही ड्रोप फरमायी जावे।
5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट कमांक 461 दिनांक 19.05.2017 का अवलोकन किया । मनन के पश्चात पाया की अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 58 का दोषी हैं। अप्रार्थी यदि रिपोर्ट दिनांक 19.05.2017 से सन्तुष्ट न था तो उनके पास रेफरल लेब जाने का अवसन था, परन्तु उन्होने निर्धारित समय में अपील पेश न की । ऐसी स्थिति में अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 58 का दोषी हैं। अप्रार्थीगण पर शास्ती रूपये ..... अक्षरे रूपये ..... की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक .....के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।
निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(जवाहर चौधरी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर।

कमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2018/ **दिनांक :–**

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

4. अभिहित अधिकारी एवं संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, जोधपुर।
6. श्री राजेश टिंकर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन–जोधपुर, खाध सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 की पालना सुनिश्चित करें।
5. श्री भरत कुमार अतवानी पुत्र श्री भगवानदास (विकता एवं मालिक)फर्म :– मै0 मोनाली ट्रेडर्स, सिंवाची गेट के अंदर जोधपुर।

(जवाहर चौधरी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री जवाहर चौधरी, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 45/2018

प्रार्थी

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय उप निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन–जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी

श्री भरत कुमार अवतानी पुत्र श्री भगवानदास (विक्रता एवं मालिक`)
फर्म :– मै0 मोनाली ट्रेडर्स, सिंवाची गेट के अंदर जोधपुर।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 09.05.2017 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय उप निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं जोन जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी फर्म :– मै0 मोनाली ट्रेडर्स, सिंवाची गेट के अंदर जोधपुर। पहुँच कर निरीक्षण करने दौरान एक टिन में 15 किलोग्राम रिफाइण्ड पाम ऑयल के आम जनता को विक्रय हेतु रखा था। उक्त रिफाइण्ड पाम ऑयल नियमानुसार 1600 ग्राम खरीदा को वास्ते जांच मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 160/– नगद देकर खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. खरीदशुदा रिफाइण्ड पाम ऑयल के चारों पैकेट पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड़ व सीरियल नम्बर एडी– 582 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एडी– 582 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एडी– 582 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाबा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि रिफाइण्ड पाम ऑयल के चारों पैकेट

रूपये ..... अक्षरे रूपये ..... की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक .....के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।
निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर।

क्रमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2017/ दिनांक :–

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर।
2. श्री रजनीश शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन–जोधपुर।
3. श्री अनिल पारीक पुत्र श्री रघुवीर पारीक
   फर्म :– मै0– शारदा रिपेकर्स एच–1–220(ऐ), करणी रिको इण्डस्ट्रीयल एरिया, बीकानेर।
4. श्री विक्रम सिंह नरूका पुत्र री मोतीसिंह नरूका
   फर्म :– मै0– शारदा रिपेकर्स एच–1–220(ऐ), करणी रिको इण्डस्ट्रीयल एरिया, बीकानेर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी

1. श्री अनिल पारीक पुत्र श्री रघुवीर पारीक
   फर्म :– मै0– शारदा रिपेकर्स एच–1–220(ऐ), करणी रिको इण्डस्ट्रीयल एरिया, बीकानेर।
2. श्री विक्रम सिंह नरूका पुत्र री मोतीसिंह नरूका
   फर्म :– मै0– शारदा रिपेकर्स एच–1–220(ऐ), करणी रिको इण्डस्ट्रीयल एरिया, बीकानेर।

आदेश

3. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 30.09.2016 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक चि0 एवं स्वास्थ्य सेवाऐ जोन जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी फर्म – फर्म :– मै0– शारदा रिपेकर्स एच–1–220(ऐ), करणी रिको इण्डस्ट्रीयल एरिया, बीकानेर। नमुनीकरण स्थान राकेश गुडस ट्रांस्पोर्ट कम्पनी, जे –प्रथम, कृषि मण्डी मण्डोर जोधपुर का निरीक्षण करने पर घी (श्री गंगा) 500 एमएल के 30 पीस के 15 कार्टूनो को आम जनता को विक्रय हेतु रखा था। उक्त घी (श्री गंगा) को एक किलोंग्राम वास्ते जांच मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 532/– नगद देकर खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
4. खरीदशुदा घी (श्री गंगा) के चारों पैकेट पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड़ व सीरियल नम्बर एडी– 478 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। जिसे सीले से नमूना एम– 1718 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
5. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाबा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि घी (श्री गंगा) के चारों पैकेट के चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एडी– 478 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस 1187/एक्ट/2016/1211 दिनांक 24.06.2016 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ मिथ्याछाप होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एडी– 478 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाई करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।
6. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। अप्रार्थीगण द्वारा जवाब पेश किया गया एवं सुना गया अप्रार्थी ने जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि दूध स्वयं में कई प्रकार के बेक्टीरिया होते है जो हर समय दूध में परिवर्तन करते रहते है ऐसी स्थिति में सावधानी के पश्चात भी कई मर्तबा मानक के अनुसार मावे की शुद्वता नहीं रहती । अतः कार्यवाही ड्रोप फरमावे।
7. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट क्रमांक 1211 दिनांक 20.10.2016 का अवलोकन किया । मनन के पश्चात पाया की अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 52 का दोषी हैं। अप्रार्थी यदि रिपोर्ट दिनांक 20.10.2016 से सन्तुष्ट न था तो उनके पास रेफरल लेब जाने का अवसर था, परन्तु उन्होने निर्धारित समय में अपील पेश न की । ऐसी स्थिति में अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 52 का दोषी हैं। अप्रार्थीगण पर शास्ती

पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एम–1120 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाईल करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।

4. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। कम से कम जुर्माना लगाने हेतु निवेदन किया है।
5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट क्रमांक 556 दिनांक 24.05.2016 का अवलोकन किया तथा अप्रार्थीगण के अधिवक्ता को सुना गया तथा मनन के पश्चात् पाया कि अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थी यदि रिपोर्ट दिनांक 24.05.2016 से सन्तुष्ट न था तो उनके पास रेफरल लेब जाने का अवसन था, परन्तु उन्होने निर्धारित समय में अपील पेश न की । ऐसी स्थिति में अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थीगण पर शास्ती रूपये ..... अक्षरे रूपये ..... की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि **न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर (ADJUDICATING OFFICER AND ADM CITY, JODHPUR)** के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक ..... के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।
6. निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

क्रमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2018/ **दिनांक :–**

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर/कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं जोन जोधपुर।
2. रजनीश शर्मा खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर / कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं जोन जोधपुर खाध सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 की पालना सुनिश्चित करें।
3. श्री ओमप्रकाश राठी पुत्र स्व श्री. पूनमचंद राठी, मैसर्स अंकित ऐजेन्सीज़, रामरिशी आश्रम रोड़ गडडी रोड, सिवांची गेट, जोधपुर।
4. श्री नरेन्द्र सिंह सोनिगरा पुत्र श्री हनुवंत सिंह, मैसर्स गुजराज कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड, आनन्द, गुजरात।
5. फर्मः मैसर्स गुजराज कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड, आनन्द, गुजरात , ब्रांचः जी सी एम एम एफ लिमिटेड बासनी, द्वितीय फेस जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री जवाहर चौधरी, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 101/2017

प्रार्थी

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्यें जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री जवाहर चौधरी, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 40 / 2017

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जोधपुर।		1. श्री ओमप्रकाश राठी पुत्र स्व श्री. पूनमचंद राठी, मैसर्स अंकित ऐजेन्सीज, रामरिशी आश्रम रोड़ गडडी रोड, सिवांची गेट, जोधपुर। 2. श्री नरेन्द्र सिंह सोनिगरा पुत्र श्री हनुवंत सिंह, मैसर्स गुजराज कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड, आनन्द, गुजरात। 3. फर्मः मैसर्स गुजराज कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड, आनन्द, गुजरात , ब्रांचः जी सी एम एम एफ लिमिटेड बासनी, द्वितीय फेस जोधपुर।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 13.05.2016 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी मैसर्स अंकित ऐजेन्सीज, रामरिशी आश्रम रोड़ गडडी रोड, सिवांची गेट, जोधपुर **पहुंचा**, वहां निरीक्षण करने पर एक डीपफ्रीजर में आईसक्रीम (ड्यूटज मैंगो ब्राण्ड अमूल) 50 ग्राम की 15 बॉक्स प्रत्येक में 20 स्टिक आम जनता हेतु वास्ते विक्रय रखी हुई थी। आईसक्रीम (ड्यूटज मैंगो ब्राण्ड अमूल) के वास्ते जांच मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 297/– देकर 50 ग्राम की 24 आईसक्रीम (ड्यूटज मैंगो ब्राण्ड अमूल) स्टिक खरीदी तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. विक्रेता व गवाह के सामने खरीदसुदा नमूना आईसक्रीम (ड्यूटज मैंगो ब्राण्ड अमूल) की 6–6 स्टिक को गलाकर, हिलामिला कर एक रूप कर साफ–सुखी खाली चौडे मुंहवाली चार शीशीयों में बराबर–बराबर (300ग्राम प्रति) भरकर प्रत्येक नमूना शीशी में 20 बूंदें फॉर्मेलिन बतौर प्रीजरवेटिव डालकर एयरटाईट बंद कर चारों शीशीयों पर लगाने के लिए अलग–अलग चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड़ व सीरियल नम्बर एम–1120 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमूना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एम–1120 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमूना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एम–1120 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाफा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि उक्त चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एम–1120 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस 524/एक्ट/2016/556 दिनांक 24.05.2016 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ का बिना लेबलिंग के बेचा जाना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य

5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट क्रमांक 139 दिनांक 28.02.2018 का अवलोकन किया तथा अप्रार्थी के अधिवक्ता खुले मावे के विक्रेता के संबंध में मैसर्स पूजा मावा भण्डार से खरीदना साबित नहीं कर पाये ऐसी स्थिति में अप्रार्थी ही खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थी यदि रिपोर्ट दिनांक 28.02.2018 से सन्तुष्ट न था तो उनके पास रेफरल लेब जाने का अवसर था, परन्तु उन्होने निर्धारित समय में अपील पेश न की । ऐसी स्थिति में अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थीगण पर शास्ती रूपये 5000/– अक्षरे रूपये पॉच हजार की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि **न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर** के नाम से डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक 18.01.2019 के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें करें तथा एक माह में राशि नहीं कराने पर एफएसओ अभिहित अधिकारी के माध्यम से खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 के तहत कार्यवाही सुनिश्चित करें। निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक18.01.2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(जवाहर चौधरी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर।

क्रमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2018/ **दिनांक :–**

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अभिहित अधिकारी एवं कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर।
2. श्री रेवंतसिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर, खाध सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 की पालना सुनिश्चित करें।
3. श्री गजेन्द्र सिंह राठौड. पुत्र श्री नरेन्द्र सिंह राठौड.फर्म :– मै0– छगनसिंह मिष्ठान भण्डार, घास मंडी लोहारों का चौक, जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री जवाहर चौधरी, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 66/2018

प्रार्थी

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्यें जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी

श्री गजेन्द्र सिंह राठौड. पुत्र श्री नरेन्द्र सिंह राठौड. (एफबीओ/मालिक) फर्म :– मै0– छगनसिंह मिष्ठान भण्डार, घास मंडी लोहारों का चौक, जोधपुर। निवासी – गोरा हाउस, सती माता का थान, एयरफॉर्स रोड़, जोधपुर (राज.)।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 18.02.2018 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गत चैकिंग दौरान अप्रार्थी फर्म – मै. छगनसिंह मिष्ठान भण्डार, घास मंडी लोहारों का चौक जोधपुर पहुँच कर निरीक्षण करने दौरान लगभग 3 किलोग्राम खाद्य पदार्थ मावा आम जनता को विक्रय हेतु रखा था। उक्त मावा में से एक किलोग्राम मावा वास्ते जांच मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 200/– नगद देकर खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. खरीदशुदा खाद्य पदार्थ मावा 1 किलोग्राम को अच्छी तरह से हिला मिलाकर एक साफ सूखी स्टील की ट्रे में तुलवाकर/नपवाकर एक रूप कर चारा भागों में बराबर–बराबर कर चार साफ सूखी व खाली कांच की शिशियों में 250 ग्राम प्रति नमूना डालकर प्रत्येक में 20 बूंदे फॉर्मेलिंग की डाल कर अच्छी तरह हिलाया और एयर टाईट बंद किया। इन चारों भागों के लिए चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड़ व सीरियल नम्बर एम–1728 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। जिसे सीले से नमूना एम–1728 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एक सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाफा खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि मावा के एम–1728 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस 120/एक्ट/2018/139 दिनांक 28.02..2018 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ अमानक स्तर का होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एम–1728 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाई करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।
4. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। अप्रार्थीगण द्वारा जवाब पेश किया गया एवं जवाब में बताया कि उन्होंने मावा मैसर्स पूजा मावा भण्डार भुटों का चौराहा गिलानी रोड बीकानेर से जरिये बिल खरीद किया है जिसकी प्रति पत्रावली में सलंग्न है। अप्रार्थी के अधिवक्ता को सुना गया उन्होने जवाब के इन्हीं तथ्यों को दोहराते हुए मामला ड्रोप करने हेतु निवेदन किया लेकिन एफएसओ द्वारा लिया गया नमुना दुकान में रखे फ्रीज में पोलीथीन थैली में खुली अवस्था में था तो उक्त मावा मैसर्स पूजा मावा भण्डार के द्वारा विक्रित था के बारे में स्पस्ट नही किया जा सकता कि मावा पूजा मावा भण्डार का ही था ।

(जवाहर चौधरी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

क्रमांकः— न्यायिक / कोर्ट / 2018 / दिनांक :— 24 / 10 / 2018

प्रतिलिपीः— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. अभिहित अधिकारी एवं संयुक्त निदेशक चिकित्सया एवं स्वास्थ्य सेवाऐं जोधपुर, जोन ।
2. श्री राजेश टिंकर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सया एवं स्वास्थ्य सेवाऐं जोधपुर, जोन खाध सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 की पालना सुनिश्चित करें।
3. श्री मोहन सिंह गहलोत पुत्र श्री उमाराम
   फर्म :— मै0— ओम स्वीट्स एण्ड डेयरी फार्म माता का थान मगरा पूंजला जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

फर्म :– मै0– ओम स्वीट्स एण्ड डेयरी फार्म माता का थान मगरा पूंजला जोधपुर।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 12.01.2018 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय उप निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोधपुर जोन जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी फर्म – मै0– ओम स्वीट्स एण्ड डेयरी फार्म माता का थान मगरा पूंजला जोधपुर का निरीक्षण करने पर दूध आम जनता को विक्रय हेतु रखा था। उक्त दूध को दो लीटर वास्ते जांच मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 60/– नगद देकर खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. खरीदशुदा दूध के चारों पैकेट पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड़ व सीरियल नम्बर एडी–691 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। जिसे सीले से नमूना एडी–691 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाबा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि दूध के चारों पैकेट के चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एडी–691 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस 22/एक्ट/2017/40 दिनांक 25.01.2018 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ मिथ्याछाप होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एडी–691 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाई करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।
4. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। अप्रार्थीगण द्वारा जवाब पेश किया गया एवं सुना गया अप्रार्थी ने जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि दूध का नमूना सम्पूर्ण मात्रा को मिला कर एक एक जारी कर नहीं लिया गया तथा जिस कंटेनर में नमूना लिया गया एवं कंटेनर खाध सुरक्षा अधिकारी किस मानक का लाये तथा कंटेनर का ही स्तर संग्रहण योग्य नहीं होन से लिये गये सेम्पल का मानक प्रभावित हुआ है तथा सेम्पल को अवशीतन (कोल्ड स्टोरेज) स्थान में नहीं रखा जाने से मौसम की वजह से परिवर्तन हुआ है अतः बाद अन्वीक्षा बरी फरमावें।
6. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट कमांक 40 दिनांक 25.01.2018 का अवलोकन किया । अप्रार्थी द्वारा दूध के नमुने के कंटेनर सग्रहण के बारे में जो तर्क दिया है वो सारहीन है क्योंकि नमूना हेतु कंटेनर खाध विभाग के मानक अनुसार होते है तथा यदि वे उक्त जॉच सये संतुष्ट नहीं थे तो उनके पास रेफरल लेब जाने का अवसर था, परन्तु उन्होने निर्धारित समय में अपील पेश नहीं की । मनन के पश्चात पाया की अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थीगण पर शास्ती राशी रूपये **25,000/** अक्षरे रूपये **पच्चीस हजार मात्र** की आरोपित की जाती हैं। अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि **न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर (ADJUDICATING OFFICER AND ADM CITY, JODHPUR)** के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक **24.10.2018** के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।
5. निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक **24.10.2018** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर (ADJUDICATING OFFICER AND ADM CITY, JODHPUR) के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक **24.10.2018** के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक **24.10.2018** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जवाहर चौधरी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

क्रमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2018/ दिनांक :– 24/10/2018

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर।

2 श्री रजनीश शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर, खाध सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 की पालना सुनिश्चित करें।

3. श्री मोहन सिंह गहलोत पुत्र श्री उमाराम
फर्म :– मै0– ओम स्वीट्स एण्ड डेयरी फार्म माता का थान मगरा पूंजला जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री जवाहर चौधरी, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 58/2018

प्रार्थी

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्यें जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी

1. श्री मोहन सिंह गहलोत पुत्र श्री उमाराम

बनाम

अप्रार्थी

1. श्री मोहन सिंह गहलोत पुत्र श्री उमाराम
   फर्म :– मै0– ओम स्वीट्स एण्ड डेयरी फार्म माता का थान मगरा पूंजला जोधपुर।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 12.01.2018 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चि0 एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी फर्म – मै0– ओम स्वीट्स एण्ड डेयरी फार्म माता का थान मगरा पूंजला जोधपुर का निरीक्षण करने पर मावा 3 किलोग्राम आम जनता को विक्रय हेतु रखा था। उक्त मावा को एक किलोंग्राम वास्ते जांच मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 300/– नगद देकर खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. खरीदशुदा मावा के चारों पैकेट पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड़ व सीरियल नम्बर एम– 1700 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। जिसे सीले से नमूना एम– 1700 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाफा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि मावें के चारों पैकेट के चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एम– 1700 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस 21/एक्ट/2018/39 दिनांक 25.01.2018 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ अमानक स्तर का होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एम– 1700 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाई करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।
4. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। अप्रार्थीगण द्वारा जवाब पेश किया गया एवं सुना गया अप्रार्थी ने जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि लेबोरेट्री में भेजने से पूर्व मावे की स्थिति यथावत रहे इस हेतु कौनसा रासयनिक दृव्य मिलाया, उसके बारे में प्रार्थी जानकार नहीं है, तथा मावा सैम्पल लेने के बाद उसे अवशीतन (कोल्ड स्टोरेज) कंटेनर में रखा जाना चाहिए, तथा जिस कंटेनर में नमूना लिया गया एवं कंटेनर खाध सुरक्षा अधिकारी किस मानक का लाये तथा कंटेनर का ही स्तर संग्रहण योग्य नहीं होने से लिये गये सेम्पल का मानक प्रभावित हुआ है तथा सेम्पल को अवशीतन (कोल्ड स्टोरेज) स्थान में नहीं रखा जाने से मौसम की वजह से परिवर्तन हुआ है अतः बाद अन्वीक्षा बरी फरमावें।
5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट क्रमांक 39 दिनांक 25.01.2018 का अवलोकन किया । अप्रार्थी द्वारा मावे के नमुने के कंटेनर सग्रहण के बारे में जो तर्क दिया है वो सारहीन है क्योंकि नमूना हेतु कंटेनर खाध विभाग के मानक अनुसार होते है तथा यदि वे उक्त जॉच से संतुष्ट नहीं थे तो उनके पास रेफरल लेब जाने का अवसर था, परन्तु उन्होने निर्धारित समय में अपील पेश नहीं की। मनन के पश्चात पाया की अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थी यदि रिपोर्ट दिनांक 25.01.2018 से सन्तुष्ट न था तो उनके पास रेफरल लेब जाने का अवसर था, परन्तु उन्होने निर्धारित समय में अपील पेश न की । अप्रार्थीगण पर शास्ती राशी रूपये **25000/** अक्षरे रूपये **पच्चीस हजार रूपये मात्र** की आरोपित की जाती हैं। अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि **न्याय**

रिर्पोट दिनांक 24.03.2017 से संतुष्ट हूँ। जिसमें उन्हें खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 52 का दोषी माना है। जो जुर्माना योग्य अपराध है। अतः अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 52 का दोषी हैं। अप्रार्थीगण 1 व 2 प्रत्येक पर शास्ती रूपये 15000/– अक्षरे रूपये पन्द्रह हजार की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक 18.01.2019 के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें तथा एक माह में राशि नहीं कराने पर एफएसओ अभिहित अधिकारी के माध्यम से खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 के तहत कार्यवाही सुनिश्चित करें

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 18.01.2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर।

क्रमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2019/ दिनांक :–

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर।
2. श्री राजेश टिंकर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन–जोधपुर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 की पालना सुनिश्चित करें।
3. श्री अनिल पारीक पुत्र श्री रघुवीर पारीक फर्म :– मै0– शारदा रिपेकर्स एच–1–220(ऐ), करणी रिको इण्डस्ट्रीयल एरिया, बीकानेर।
4. श्री विक्रम सिंह नरूका पुत्र री मोतीसिंह नरूका फर्म :– मै0– शारदा रिपेकर्स एच–1–220(ऐ), करणी रिको इण्डस्ट्रीयल एरिया, बीकानेर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री जवाहर चौधरी, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 38/2018

प्रार्थी

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्यें जोधपुर।

प्रार्थी

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्यें जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी

1. श्री अनिल पारीक पुत्र श्री रघुवीर पारीक, फर्म :– मै0– शारदा रिपेकर्स एच–1–220(ऐ), करणी रिको इण्डस्ट्रीयल एरिया, बीकानेर। निवासीः– 17/284, चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर।
2. श्री विक्रम सिंह नरूका पुत्र श्री मोतीसिंह नरूका, फर्म :– मै0– शारदा रिपेकर्स एच–1–220(ऐ), करणी रिकोइण्डस्ट्रीयल एरिया, बीकानेर। निवासीः– मूल–मगराबास, लाडनू, जिला नागौर, हाल–287, गली नं.

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 28.09.2016 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक चि0 एवं स्वास्थ्य सेवाऐं जोन जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी फर्म – फर्म :– मै0– शारदा रिपेकर्स एच–1–220(ऐ), करणी रिको इण्डस्ट्रीयल एरिया, बीकानेर। नमुनीकरण स्थान राकेश गुडस ट्रांस्पोर्ट कम्पनी, जे –प्रथम, कृषि मण्डी मण्डोर जोधपुर का निरीक्षण करने पर घी (श्री गंगा) 500 एमएल के 30 पीस के 15 कार्टूनो को आम जनता को विक्रय हेतु रखा था। उक्त घी (श्री गंगा) को एक किलोंग्राम वास्ते जांच मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 532/– नगद देकर खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. खरीदशुदा घी (श्री गंगा) के चारों पैकेट पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड़ व सीरियल नम्बर एडी– 478 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। जिसे सीले से नमूना एम– 1718 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाबा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि घी (श्री गंगा) के चारों पैकेट के चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एडी– 478 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस 1187/एक्ट/2016/1211 दिनांक 20.10.2016 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ मिथ्याछाप होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एडी– 478 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाई करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।
4. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। अप्रार्थीगण द्वारा जवाब पेश नहीं करने पर दिनांक 22.06.2018 को जवाब बंद किया गया तथा पत्रावली बहस आदेश हेतु रखी गई। जवाब बन्द होने के पश्चात अप्रार्थीसंख्या 2 की ओर से दिनांक 02.07.2018 को जवाब पेश किया गया। अप्रार्थीगण 1 अनुपस्थित 2 के अधिवक्ता की बहस सुनी गई जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए मामला खारिज फरमाने हेतु निवेदन किया।
5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण का जवाब बन्द किया जा चुका था तथा अप्रार्थी 2 की ओर से जवाब बन्द करने के पश्चात दिनांक 02.07.2018 को जवाब प्रस्तुत किया। जिसपर अप्रार्थी संख्या 2 के हस्ताक्षर नहीं हैं और न ही उन्होंने अधिवक्ता को अधिकृत करने हेतु वकालतनामा प्रस्तुत किया। ऐसी स्थिती में प्रस्तुत जवाब पर गौर करना उचित प्रतीत नहीं होता। एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा निर्दीष्ट खाद्य प्रयोगशाला, मैसूर की रिपोर्ट दिनांक 24.03.2017 का अवलोकन किया। मैं एफएसओ द्वारा प्रस्तुत परिवादी की रेफेरेल लेबोरेट्री की

अवसर था, परन्तु उन्होने निर्धारित समय में अपील पेश न की । ऐसी स्थिति में अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थीगण पर शास्ती रूपये 10000/– अक्षरे रूपये दस हजार की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक 18.01.2019 के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें तथा एक माह में राशि नहीं कराने पर एफएसओ अभिहित अधिकारी के माध्यम से खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 के तहत कार्यवाही सुनिश्चित करें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 18.01.2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(जवाहर चौधरी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर।

क्रमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2019/ **दिनांक :–**

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अभिहित अधिकारी एवं कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर।
2. श्री रजनीश शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर, खाध सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 की पालना सुनिश्चित करें।
3. श्री नन्दकिशोर गुर्जर पुत्र श्री जयराम गुर्जर फर्म :– मै0– गोविन्द डेयरी 6/54 कुडी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री जवाहर चौधरी, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 101/2017

पीठासीन अधिकारी श्री जवाहर चौधरी, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 61/2018

प्रार्थी

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्यें जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी

(1) श्री नन्दकिशोर गुर्जर पुत्र श्री जयराम गुर्जर (एफबीओ/मालिक) फर्म :– मै0– गोविन्द डेयरी 6/54 कुडी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर। वर्तमान पता–1/25, पंजाब नेशनल बैंक के पास, मधुबन हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर। निवासी–204, नेहरू कॉलोनी, पांच बत्ती रातानाडा, जोधपुर। निवासी–204, नेहरू कॉलोनी, पांच बत्ती, रातानाडा, जोधपुर।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 15.02.2018 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी फर्म – मै. गोविन्द डेयरी 6/54 कुडी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर पहुँच कर निरीक्षण करने दौरान गाय का दूध करीबन 10 लीटर आम जनता को विक्रय हेतु रखा था। उक्त गाय का दूध को प्लंजर से अच्छी तरह हिला–मिलाकर एक किलोग्राम गाय का उक्त दूध वास्ते जांच मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 60/– नगद देकर खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी)जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. खरीदशुदा उक्त गाय का दूध चार प्लास्टिक की बोटल्स में बराबर–बराबर चार बोटल में डालकर चारों नमूना बोटल पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड़ व सीरियल नम्बर एम–1718 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। जिसे सीले से नमूना एम–1718 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एकं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाफा खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । एम–1718 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस/99/एक्ट/2018/129 दिनांक 28.02..2018 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ अमानक स्तर होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एम–1718 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाई करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।
4. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। अप्रार्थीगण द्वारा जवाब पेश किया गया एवं सुना गया अप्रार्थी ने जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि दूध स्वयं में कई प्रकार के बेक्टीरिया होते है जो हर समय दूध में परिवर्तन करते रहते है ऐसी स्थिति में सावधानी के पश्चात भी कई मर्तबा मानक के अनुसार मावे की शुद्वता नहीं रहती । अतः अप्रार्थी के विरूद्ध की गई कार्यवाही ड्रोप फरमावे।
5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट कमांक 129 दिनांक 28.02.2018 का अवलोकन किया तथा अप्रार्थी ने स्वयं उपस्थित होकर गलती स्वीकार की। मनन के पश्चात पाया की अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थी यदि रिपोर्ट दिनांक 28.02.2018 से सन्तुष्ट न था तो उनके पास रेफरल लेब जाने का

नमूना खरीद रसीद, नमूना एम– 1648एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाई करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।

4. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। अप्रार्थीगण द्वारा जवाब पेश किया गया एवं सुना गया अप्रार्थी ने जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि दूध स्वयं में कई प्रकार के बेक्टीरिया होते है जो हर समय दूध में परिवर्तन करते रहते है ऐसी स्थिति में सावधानी के पश्चात भी कई मर्तबा मानक के अनुसार मावे की शुद्वता नहीं रहती । अतः कार्यवाही ड्रोप फरमावे।
5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट कमांक 1006 दिनांक 03.11.2017 का अवलोकन किया । मनन के पश्चात पाया की अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थी यदि रिपोर्ट दिनांक
03.11.2017 से सन्तुष्ट न था तो उनके पास रेफरल लेब जाने का अवसन था, परन्तु उन्होने निर्धारित समय में अपील पेश न की । ऐसी स्थिति में अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थीगण पर शास्ती रूपये ..... अक्षरे रूपये ..... की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक .....के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर।

कमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2018/ **दिनांक :–**

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

5. अभिहित अधिकारी एवं संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, जोधपुर।
6. श्री रजनीश शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन–जोधपुर।
7. श्री सीताराम चौधरी पुत्र श्री चौखाराम चौधरी उम्र 21,(एफ बी ओ)
   फर्म :– मै0– शिव ओम मावा भण्डार, बालवाडी स्कूल के सामने, जालोरी गेट,जोधपुर।
8. श्री कालूराम चौधरी पुत्र श्री चौखाराम चौधरी, (मालिक)
   मै.– शिव ओम मावा भण्डार, बालवाडी स्कूल के सामने, जालोरी गेट जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 28/2018

प्रार्थी

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्यें जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी

2 श्री सीताराम चौधरी पुत्र श्री चौखाराम चौधरी उम्र 21,(एफ बी ओ)
फर्म :– मै0– शिव ओम मावा भण्डार, बालवाडी स्कूल के सामने, जालोरी गेट,जोधपुर।

2. श्री कालूराम चौधरी पुत्र श्री चौखाराम चौधरी, (मालिक)
मै.– शिव ओम मावा भण्डार, बालवाडी स्कूल के सामने, जालोरी गेट जोधपुर।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 12.10.2017 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी फर्म – मै. शिव ओम मावा भण्डार, बालवाडी स्कूल के सामने, जालोरी गेट जोधपुर पहुँच कर निरीक्षण करने दौरान खाद्य पदार्थ मावा (शुगर मिश्रित) करीबन 15 किलोग्राम के 4 टिनों आम जनता को विक्रय हेतु रखा था। उक्त मावा (शुगर मिश्रित) को एक किलोंग्राम वास्ते जांच मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 190/– नगद देकर खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. खरीदशुदा मावा (शुगर मिश्रित) के चारों पैकेट पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड़ व सीरियल नम्बर एम– 1648 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एम– 1648 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एम– 1648 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाबा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि मावा (शुगर मिश्रित) के चारों पैकेट के चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एम– 1648 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस 1005/एक्ट/2017/1006 दिनांक 07.11..2017 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ मिथ्याछाप होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण,

चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एम– 1152 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस 717/एक्ट/2016/738 दिनांक 10.02.2017 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ मिथ्याछाप होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एम– 1152 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाई करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।

4. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। अप्रार्थीगण स्वयं उपस्थित एवं बताया कि मैं मिक्स दूध का विक्रय करता हूॅ जिसका पूर्व में भी सेम्पल लिया गया था वर्तमान में भी मैंने मिक्स दूध होने का बताने पर भी सेम्पल लेने पर दूध लिखा है यदि मिक्स दूध का सेम्पल लिखा होता तो लेबोरेट्री से ॅफेट नार्मस के अनुसार ही आता अत कम से कम जुर्माना लगाने हेतु निवेदन किया है।

5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट कमांक 738 दिनांक 24.06.2016 का अवलोकन किया । मनन के पश्चात पाया की अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51,52 का दोषी हैं। अप्रार्थी यदि रिपोर्ट दिनांक 24.06.2016 से सन्तुष्ट न था तो उनके पास रेफरल लेब जाने का अवसन था, परन्तु उन्होने निर्धारित समय में अपील पेश न की । ऐसी स्थिति में अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51,52 का दोषी हैं। अप्रार्थीगण पर शास्ती रूपये ..... अक्षरे रूपये ..... की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक .....के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।
निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर।

कमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2018/ **दिनांक :–**

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अभिहित अधिकारी एवं संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, जोधपुर।
2. श्री संदीप अग्रवाल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर।
3. श्री गंगाराम चौधरी पुत्र श्री खिंयाराम चौधरी (एफबीओ/मालिक)
   फर्म :– मै0 चौधरी जनरल स्टोर, झालामण्ड चौराहा, गुडा रोड़ जोधपुर।
4. जयप्रकाश सोनी पुत्र श्री अमरचंद सोनी उम्र 33 वर्ष (एफबीओ/थोक विक्रेता)
   फर्म :– मै0 माजिसा मार्केटिंग, 29, बी मारवाड नगर, महामंदिर जोधपुर।
5. सुश्री श्वेता खैतान पुत्री श्री सुरेश चन्द खैतान, (मालिक/निर्माता फर्म)
   मै0 एस0 खैतान फूड प्रोडक्ट्स करणी इण्डस्ट्रीयल एरिया, बीकानेर 334001

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 45/2017

प्रार्थी

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्यें जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी

1. श्री गंगाराम चौधरी पुत्र श्री खिंयाराम चौधरी (एफबीओ/मालिक)
   फर्म :– मै0 चौधरी जनरल स्टोर, झालामण्ड चौराहा, गुडा रोड़ जोधपुर।
2. जयप्रकाश सोनी पुत्र श्री अमरचंद सोनी उम्र 33 वर्ष (एफबीओ/थोक विक्रेता)
   फर्म :– मै0 माजिसा मार्केटिंग, 29, बी मारवाड नगर, महामंदिर जोधपुर।
3. सुश्री श्वेता खैतान पुत्री श्री सुरेश चन्द खैतान, (मालिक/निर्माता फर्म)
   मै0 एस0 खैतान फूड प्रोडक्ट्स करणी इण्डस्ट्रीयल एरिया, बीकानेर 334001

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 14.06.2016 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी फर्म :– मै0 चौधरी जनरल स्टोर, झालामण्ड चौराहा, गुडा रोड़ जोधपुर पहुँच कर निरीक्षण करने दौरान घी (जय किसान) के 1000 एमएल के 06 पेकेट्स आम जनता को विक्रय हेतु रखा था। उक्त घी (जय किसान) 04 पेकेट्स वास्ते जांच मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 1440/– नगद देकर खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. खरीदशुदा घी (जय किसान) के चारों पैकेट पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड़ व सीरियल नम्बर एम– 1152 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एम– 1152 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एम– 1152 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाबा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि घी (जय किसान) के चारों पैकेट के

सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एडी– 601 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।

8- जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाबा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि मैंगों ड्रिंक (ARS Fruit King)के चारों पैकेट के चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एडी– 601 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस 592/एक्ट/2017/593 दिनांक 22.06.2017 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ मिथ्याछाप होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एडी– 601एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाई करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।

9. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। अप्रार्थीगण ने जवाब में बताया कि वे मैगों ड्रिक्स मैं0 प्रशांत ड्रिक कम्पनी से खरीद कर रीटेल विक्रय करते है अभियुक्त का इसमें कोई लेना देना नहीं है , माल की पैकिग व लेबलिंग का कार्य अभियुक्तों द्वारा नहीं किया जाता है अत मिथ्या छाप का जुर्माना निर्माता पर होना चाहिए। पत्रावली का अवलोकन किया गया जिसमें ऍफएसओ द्वारा निर्माता कम्पनी को पक्षकार नहीं बनाया है न ही निर्माता कम्पनी का कोई बिल इत्यादि पत्रावली में उपलब्ध है ।

10. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट क्रमांक 593 दिनांक 22.06.2017 का अवलोकन किया । मनन के पश्चात पाया की अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 52 का दोषी हैं। अप्रार्थी यदि रिपोर्ट दिनांक 22.06.2017 से सन्तुष्ट न था तो उनके पास रेफरल लेब जाने का अवसन था, परन्तु उन्होने निर्धारित समय में अपील पेश न की । ऐसी स्थिति में अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 52 का दोषी हैं। अप्रार्थीगण पर शास्ती रूपये ..... अक्षरे रूपये ..... की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक .....के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।
निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर।

क्रमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2018/ **दिनांक :–**

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

4. अभिहित अधिकारी एवं संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, जोधपुर।
5. श्री राजेश टिंकर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन–जोधपुर।
6. श्री मालाराम पुत्र श्री उगमाराम (एफबीओ) फर्म :– मै0 बालाजी एजेन्सीज, भाटियों का वास, राम तलाई शमशान घाट के पास, मगरा पुजंला जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 139/2017

प्रार्थी

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्यें जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी

2. श्री चन्द्रेश कोठारी पुत्र श्री जतनराज कोठारी उम्र 34 वर्ष (खाद्य कारोबारकर्ता)
फर्म :– मै0 पार्श्वनाथ कोल्ड ड्रिंक हाउस, हाईकोर्ट रोड, जोधपुर।
जतन कोठारी पुत्र श्री पूकष्पचन्द कोठारी, मालिक
मै0– पार्श्वनाथ कोल्ड ड्रिंक हाउस, हाईकोर्ट रोड, जोधपुर।

आदेश

6. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 08.06.2017 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय उप निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी फर्म :– मै0 पार्श्वनाथ कोल्ड ड्रिंक हाउस, हाईकोर्ट रोड, जोधपुर पहुँच कर निरीक्षण करने दौरान फर्म में 40 बॉक्स में आइस क्रीम वित नट कार्टून में 384 सील्ड पैक बोतल मैंगों ड्रिंक (ARS Fruit King) प्रत्येक एक लीटर आम जनता को विक्रय हेतु रखा था। उक्त खाद्य पदार्थ मैंगों ड्रिंक (ARS Fruit King) एक लीटर इन्टू 4 सिल्ड पैक बोतल को मैंगों ड्रिंक (ARS Fruit King) खरीदा को वास्ते जांच मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 127/– नगद देकर खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।

7. खरीदशुदा मैंगों ड्रिंक (ARS Fruit King) के चारों पैकेट पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ. कोड़ व सीरियल नम्बर एडी– 601 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एडी– 601 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को

स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ मिथ्याछाप होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एडी– 601एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाई करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।

4. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। अप्रार्थीगण ने जवाब में बताया कि वे मैगों ड्रिक्स मैं0 प्रशांत ड्रिक कम्पनी से खरीद कर रीटेल विक्रय करते है अभियुक्त का इसमें कोई लेना देना नहीं है , माल की पैकिग व लेबलिंग का कार्य अभियुक्तों द्वारा नहीं किया जाता है अत मिथ्या छाप का जुर्माना निर्माता पर होना चाहिए। पत्रावली का अवलोकन किया गया जिसमें ऍफएसओ द्वारा निर्माता कम्पनी को पक्षकार नहीं बनाया है न ही निर्माता कम्पनी का कोई बिल इत्यादि पत्रावली में उपलब्ध है ।

5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट क्रमांक 593 दिनांक 22.06.2017 का अवलोकन किया । मनन के पश्चात पाया की अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 52 का दोषी हैं। अप्रार्थी यदि रिपोर्ट दिनांक 22.06.2017 से सन्तुष्ट न था तो उनके पास रेफरल लेब जाने का अवसन था, परन्तु उन्होने निर्धारित समय में अपील पेश न की । ऐसी स्थिति में अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 52 का दोषी हैं। अप्रार्थीगण पर शास्ती रूपये ..... अक्षरे रूपये ..... की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक .....के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।
निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर।

क्रमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2018/ **दिनांक :–**

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अभिहित अधिकारी एवं संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, जोधपुर।
2. श्री राजेश टिंकर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन–जोधपुर।
3. श्री मालाराम पुत्र श्री उगमाराम (एफबीओ) फर्म :– मै0 बालाजी एजेन्सीज, भाटियों का वास, राम तलाई शमशान घाट के पास, मगरा पुजंला जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 139/2017

प्रार्थी

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्यें जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी

1. श्री मालाराम पुत्र श्री उगमाराम (एफबीओ)
   फर्म :– मै0 बालाजी एजेन्सीज, भाटियों का वास,
   राम तलाई शमशान घाट के पास, मगरा पुजंला जोधपुर।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 14.06.2017 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय उप निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी फर्म :– मै0 बालाजी एजेन्सीज, भाटियों का वास, राम तलाई शमशान घाट के पास, मगरा पुजंला जोधपुर।पहुँच कर निरीक्षण करने दौरान फर्म में 32 कार्टून में 384 सील्ड पैक बोतल मैंगों ड्रिंक (ARS Fruit King) प्रत्येक एक लीटर आम जनता को विक्रय हेतु रखा था। उक्त खाद्य पदार्थ मैंगों ड्रिंक (ARS Fruit King) एक लीटर इन्टू 4 सिल्ड पैक बोतल को मैंगों ड्रिंक (ARS Fruit King) खरीदा को वास्ते जांच मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 127/– नगद देकर खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. खरीदशुदा मैंगों ड्रिंक (ARS Fruit King) के चारों पैकेट पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ. कोड़ व सीरियल नम्बर एडी– 601 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एडी– 601 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एडी– 601 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
3- जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाबा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि मैंगों ड्रिंक (ARS Fruit King)के चारों पैकेट के चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एडी– 601 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस 592/एक्ट/2017/593 दिनांक 22.06.2017 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं

अलग–अलग 2–2 भागों में एडी– 696 की जॉच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जॉच रिपोर्ट एलएस 122/एक्ट/2017/96 दिनांक 14.02.2018 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ मिथ्याछाप होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एडी– 696 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाई करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।

4. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। अप्रार्थीगण स्वयं उपस्थित एवं बताया कि मैं मिक्स दूध का विक्रय करता हूॅ जिसका पूर्व में भी सेम्पल लिया गया था वर्तमान में भी मैंने मिक्स दूध होने का बताने पर भी सेम्पल लेने पर दूध लिखा है यदि मिक्स दूध का सेम्पल लिखा होता तो लेबोरेट्री से ॅफेट नार्मस के अनुसार ही आता अत कम से कम जुर्माना लगाने हेतु निवेदन किया है।

5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट क्रमांक 96 दिनांक 14.02.2018 का अवलोकन किया । मनन के पश्चात पाया की अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थी यदि रिपोर्ट दिनांक 14.02.2018 से सन्तुष्ट न था तो उनके पास रेफरल लेब जाने का अवसन था, परन्तु उन्होने निर्धारित समय में अपील पेश न की । ऐसी स्थिति में अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थीगण पर शास्ती रूपये ..... अक्षरे रूपये ..... की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक .....के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।
निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर।

क्रमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2018/ **दिनांक :–**

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अभिहित अधिकारी एवं संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, जोधपुर।
2. श्री राजेश टिंकर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन–जोधपुर।
3. श्री सोहन लाल चौधरी पुत्र श्री चिमना राम चौधरी फर्म :– मै0 लक्ष्मी डेयरी खसरा नं0 46 प्लॉट नं.– 1, ऐ नादडी रोड रामनगर नादडी जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 57/2018

प्रार्थी

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्यें जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी

1. श्री सोहन लाल चौधरी पुत्र श्री चिमना राम चौधरी
फर्म :– मै0 लक्ष्मी डेयरी खसरा नं0 46 प्लॉट नं.– 1, ऐ
नादडी रोड रामनगर नादडी जोधपुर।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 06.02.2018 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय उप निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी फर्म :– मै0 लक्ष्मी डेयरी खसरा नं0 46 प्लॉट नं.– 1, ऐ नादडी रोड रामनगर नादडी जोधपर पहुँच कर निरीक्षण करने दौरान दूध आम जनता को विक्रय हेतु रखा था। उक्त दूध 02 लीटर खरीदा को वास्ते जांच मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 60/– नगद देकर खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. खरीदशुदा दूध के चारों पैकेट पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड़ व सीरियल नम्बर एडी– 696 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एडी– 696 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एडी– 696 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाबा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि दूध के चारों पैकेट के चारों नमूनों को

पाया जाने की रिपोर्ट प्राप्त होने से प्रकरण प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपाने ऍ एस एस ए की धारा (कन्ट्रावन्स रेगूलेशन न0 2.3.15 (1) (बी)) का उलघन किया है जो ऍएसएस एक्ट की धारा 58 के तहत जुर्माने योग्य अपराध होने से आपके विरूद्व जुर्माना कियो जाने का निवेदन किया गया है। विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम कन्ट्रावेन्स रेगूलेशन (कन्ट्रावन्स रेगूलेशन न0 2.3.15 (1) (बी)) of Food Safety and Standard Prohibition and Restrictions on Sales Regulations, 2011 के तहत परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एडी– 582 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाई करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।

3. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। अप्रार्थीगण संख्या एक से चार द्वारा जवाब पेश कर बहस के दौरान जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की परिवाद के मद संख्या 10 से 12 में जिस प्रकार से कथन परिवादी द्वारा किये गये हैं गलत एवं बनावटी होने के कारण अस्वीकार है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भरत कुमार को धोखें में रखकर प्रतिष्ठान पर पडे एक मात्र सीलड डेमेज पॉम ऑयल के टीन को शुद्धता की जांच का हवाला देकर सेम्पल लेने के नाम पर खुलवाकर सेम्पल प्राप्त किया और बाद में खुला पॉम ऑयल बेचने का झूठा आरोप बनाकर झूठा प्रतिवेदन श्रीमान् न्यायालय में प्रस्तुत किया है। अप्रार्थी ने किसी प्रकार से कन्ट्रावेन्स रेगुलेशन (Contravences Regulation no. 2.3.15(1)(b) of food safety and standard (Prohibition and Restrictions on sales) Regulations, 2011 का उल्लघंन नहीं किया है और ना ही किसी प्रकार का कोई अपराध कारित किया है, इसलिये अप्रार्थी के विरूद्ध लम्बित हस्तगत प्रकरण की कार्यवाही को न्यायहित में ड्रॉप फरमाया जावे तथा न्यायहित में किसी भी प्रकार का कोई भी जुर्माना नहीं लगाने की कृपा करावें।

4. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट कमांक 461 दिनांक 19.05.2017 का अवलोकन किया तथा अप्रार्थी के अधिवक्ता को सुना गया। पत्रावली में उपलब्ध फॉर्म 5ऐ का अवलोकन किया जिसमें एफएसओ द्वारा 15 किलोग्राम रिफाण्ड ऑयल आम जनता को विक्रय हेतु रखा जाना बताया लेकिन उसमें उक्त रिफाइण्ड ऑयल लुज सेम्पल (खुला हुए डिब्बा विक्रय हेतु) के रूप में था, का उल्लेख नहीं है। ऐसी स्थिती में अप्रार्थी को धारा 58 का दोषी माना जाना सही प्रतीत नहीं होता है। मनन के पश्चात पाया की अप्रार्थी द्वारा पॉम ऑयल खुला विक्रय किया जाना साबित नहीं होने से अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 58 का दोषी होना नहीं पाया जाता है। अतः परिवाद खारिज किया जाता है।

   निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 29.01.2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(जवाहर चौधरी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर।

कमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2019/ **दिनांक :–**

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी एवं उप निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्यें जोन जोधपुर।
2. श्री राजेश टिंकर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन–जोधपुर।
3. श्री भरत कुमार अवतानी पुत्र श्री भगवानदास (विक्रता एवं मालिक)फर्म :– मै0 मोनाली ट्रेडर्स, सिंवाची गेट के अंदर जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री जवाहर चौधरी, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 45/2018

प्रार्थी

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय उप निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्यें जोन जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी

श्री भरत कुमार अवतानी पुत्र श्री भगवानदास (विक्रता एवं मालिक) फर्म :– मै0 मोनाली ट्रेडर्स, सिंवाची गेट के अंदर जोधपुर।

आदेश

1 प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 09.05.2017 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय उप निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी फर्म :– मै0 मोनाली ट्रेडर्स, सिंवाची गेट के अंदर जोधपुर। पहुँच कर निरीक्षण करने दौरान एक टिन में 15 किलोग्राम रिफाइण्ड पाम ऑयल के आम जनता को विक्रय हेतु रखा था। उक्त रिफाइण्ड पाम ऑयल नियमानुसार 1600 ग्राम खरीदा को वास्ते जांच मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 160/– नगद देकर खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।

1. खरीदशुदा रिफाइण्ड पाम ऑयल के चारों पैकेट पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड़ व सीरियल नम्बर एडी– 582 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एडी– 582 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एडी– 582 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।

2. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाबा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि रिफाइण्ड पाम ऑयल के चारों पैकेट के चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एडी– 582 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस 461/एक्ट/2017/461 दिनांक 19.05.2017 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ मिथ्याछाप होना पाया गया। उक्त खाद्य पदार्थ रिफाइण्ड पाम ऑयल का नमूना कन्ट्रावेन्स रेगूलेशन (कन्ट्रावन्स रेगूलेशन न0 2.3.15 (1) (बी)) of Food Safety and Standard Prohibition and Restrictions on Sales Regulations, 2011 का होना

क्रमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2018/ **दिनांक :–**

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अभिहित अधिकारी एवं संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, जोधपुर।
2. श्री राजेश टिंकर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन–जोधपुर। खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 की पालना सुनिश्चित करें।
3. श्री अरूण गहलोत पुत्र श्री श्याम गहलोत(एफ बी ओ)
   फर्म :– मै0 गहलोत अरूण कुमार अभिषेक कुमार पान गली घटांघर जोधपुर।
4. श्री अभिषेक गहलोत पुत्र श्री अरूण गहलोत (मालिक)
   गहलोत अरूण कुमार अभिषेक कुमार पान गली घटांघर जोधपुर।
5. श्री कमलेश वर्मा पुत्र श्री गोपीकिशन वर्मा (मालिक)
   मै0 आराधना सप्लायर्स रावतों का वास जोधपुर।
6. श्री राम लाल अग्रवाल पुत्र श्री बद्री प्रसार अग्रवाल (मालिक)
   मै0 सुषमा ट्रेडिग कंपनी ऍफ 7 करनी इंडस्ट्रियल एरिया फेज फर्स्ट पुगल रोड बीकानेर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर) जोधपुर

एलएस 557/एक्ट/2017/556 दिनांक 14.06.2017 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ मिथ्याछाप व सबसटेण्डर्ड होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एडी– 593 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाई करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।

4. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। अप्रार्थीगण संख्या एक से चार द्वारा जवाब पेश में बताया गया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा लिया गया नमूना सब स्टेण्र्डड नहीं था तथा जांच रिपोर्ट से स्पष्ट है कि लोंगी मिर्ची में कुड फाईबर की मात्रा 30 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होनी चाहिए थी जबकि इस प्रकरण में मात्र कुड फाईबर की मात्रा मात्र 32.53 है, जो मार्जिनल है तथा ऐसा जांच की प्रक्रिया की वजह से या जांच गलत होने की वजह से कुड ॉईबर की मात्रा 2.53 या अधिक आ सकती है परन्तु अन्या तत्वों में उक्त नमूना सभी मात्रा में मानक स्तर पर है। इसी तरह जांच रिपोर्ट से नमूने को मिथ्या छाप मात्र इस आधार पर बताया कि उसमें रेग्यूलेशन 2.2.2 (10) के तहत लेबल पर बेस्ट बिफोर 12 माह जो कि अंग्रेजी के बडे अक्षरों में लिखा जाना चाहिए था परन्तु उक्त लेबल पर लघू उक्त इबारत लिखी हुई है जो कि टैक्नीकल है जिसकी जानकारी अप्रार्थीगण को नहीं होने की वजह से गलती नगणीय है व इस आधार पर भी अप्रार्थीगण के विरूद्व कार्यवाही ड्रोप फरमायी जावें तथा ये भी निवेदन किया कि रेगूलेशन नम्बर 2.2.2 (10) खाद्य सुरक्षा अधिनियम (पैकेजिंग एवं लेबलिंग) का पूर्ण रूप से पालना किया है फलस्वरूप अप्रार्थीगण के विरुद्व कार्यवाही ड्रोप फरमावे। यह है कि अप्रार्थीगण उक्त जांच के विरूद्व पुनः जांच अन्तर्गत धारा 46(4) फूड सैफ्टी एक्ट एवं नियम 2.4.6 के तहत नहीं करवा सके और अप्रार्थीगण अपना समुचित आधार नहीं ले सके और न्याय से वंचित हो गये इस आधर पर अप्रार्थीगण के विरूद्व कार्यवाही ड्रोप फरमायी जावे।

5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट क्रमांक 556 दिनांक 14.06.2017 का अवलोकन किया तथा वकील अप्रार्थी की बहस सुनी गयी बहस में लेबोरेटरी की रिपोर्ट की क्रम संख्या 05 कुड फाइबर का रिजल्ट प्रभावित होने के सन्दर्भ में कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे सकें जो अधिनियम की धारा 51 का उल्लंघन है तथा लेबल पर बेस्ट बिफोर 12 माह भी छोटा लिखे जाने के कारण अधिनियम की धारा 52 का उल्लंघन सिद्व है। मनन के पश्चात पाया की अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 व 52 का दोषी हैं। अप्रार्थी यदि रिपोर्ट दिनांक 14.06.2017 से सन्तुष्ट न था तो उनके पास रेफरल लेब जाने का अवसन था, परन्तु उन्होने निर्धारित समय में अपील पेश न की । ऐसी स्थिति में अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 व 52 का दोषी हैं । अप्रार्थी संख्या–1 पर शास्ती रूपये 1000/– अक्षरे रूपये एक हजार मात्र तथा अप्रार्थी संख्या 2 से 4 प्रत्येक पर शास्ति रूपये 1000/– अक्षरे रूपये एक हजार मात्र (कुल 3000/– अक्षरे रूपये तीन हजार) की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक 01.02.2019 के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें तथा एक माह में राशि नहीं कराने पर एफएसओ अभिहित अधिकारी के माध्यम से खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 के तहत कार्यवाही सुनिश्चित करें। ।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 01.02.2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(जवाहर चौधरी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर) जोधपुर

परिवाद संख्या 52/2018

प्रार्थी

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय उप निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्यें जोन जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी

1. श्री अरूण गहलोत पुत्र श्री श्याम गहलोत(एफ बी ओ)
   फर्म :– मै0 गहलोत अरूण कुमार अभिषेक कुमार पान गली घटांघर जोधपुर।
2. श्री अभिषेक गहलोत पुत्र श्री अरूण गहलोत (मालिक)
   गहलोत अरूण कुमार अभिषेक कुमार पान गली घटांघर जोधपुर।
3. श्री कमलेश वर्मा पुत्र श्री गोपीकिशन वर्मा (मालिक)
   मै0 आराधना सप्लायर्स रावतों का वास जोधपुर।
4. श्री राम लाल अग्रवाल पुत्र श्री बद्री प्रसार अग्रवाल (मालिक)
   मै0 सुषमा ट्रेडिग कंपनी ऍफ 7 करनी इंडस्ट्रियल एरिया फेज फर्स्ट पुगल रोड बीकानेर।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 06.06.2017 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय उप निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं जोन जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी फर्म :– मै0 गहलोत अरूण कुमार अभिषेक कुमार पान गली घटांघर जोधपुर पहुँच कर निरीक्षण करने दौरान 10 पैक्ड शिल्ड पाउच जिसमें लोंगी मिंर्च (STC) प्रत्येक का वजन एक किलोग्राम पैक्ड के पोलीपैक पैकेट आम जनता को विक्रय हेतु रखा था। उक्त दूध लोंगी मिंर्च (STC) को चार पैक्ड शिल्ड पाउच प्रत्येक का वजन एक किलोग्राम वास्ते जांच मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 720/– नगद देकर खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. खरीदशुदा लोंगी मिंर्च (STC) के चारों पैकेट पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड़ व सीरियल नम्बर एडी– 593 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एडी– 593 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एडी– 593 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाबा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि लोंगी मिंर्च (STC) के चारों पैकेट के चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एडी– 593 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट

रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाई करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।

4. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। अप्रार्थीगण द्वारा जवाब पेश किया गया तथा जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए दोष मुक्त करने हेतु निवेदन किया । अतः कार्यवाही ड्रोप फरमावे।
5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट क्रमांक 40 दिनांक 25.01.2018 का अवलोकन किया । मनन के पश्चात पाया की अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थी यदि रिपोर्ट दिनांक 25.01.2018 से सन्तुष्ट न था तो उनके पास रेफरल लेब जाने का अवसन था, परन्तु उन्होने निर्धारित समय में अपील पेश न की । ऐसी स्थिति में अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थीगण पर शास्ती रूपये ..... अक्षरे रूपये ..... की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक .....के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।
   निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर।

क्रमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2018/ **दिनांक :–**

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अभिहित अधिकारी एवं संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, जोधपुर।
2. श्री विजयकान्त गौतम, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन–जोधपुर।
3. श्री मोहनसिंह गहलोत पुत्र श्री उगमाराम गहलोत
   फर्म :– मै0 ओम स्वीट एण्ड डेयरी फॉर्म माता का थान मगरापूंजला जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री जवाहर चौधरी, आर.ए.एस.

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 58/2018

प्रार्थी

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्यें जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी

1. श्री मोहनसिंह गहलोत पुत्र श्री उगमाराम गहलोत
   फर्म :– मै0 ओम स्वीट एण्ड डेयरी फॉर्म माता का थान मगरापूंजला जोधपुर।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 12.09.2016 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी फर्म :– मै0 ओम स्वीट एण्ड डेयरी फॉर्म माता का थान मगरापूंजला जोधपुर पहुँच कर निरीक्षण करने दौरान दूध आम जनता को विक्रय हेतु रखा था। उक्त दूध 2 लीटर वास्ते जांच मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 60/– नगद देकर खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. खरीदशुदा दूध के चारों पैकेट पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड़ व सीरियल नम्बर एडी–691 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एडी– 691हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एडी– 691सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाबा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि दूध के चारों पैकेट के चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एडी– 691की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस 22/एक्ट/2017/40 दिनांक 25.01.2018 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ मिथ्याछाप होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एडी– 691 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच

नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिके ान, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एडी– 464एवं खाद्य वि लेशक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाई करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।

4. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। अप्रार्थीगण द्वारा जवाब पेश किया गया तथा जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए दोष मुक्त करने हेतु निवेदन किया । अतः कार्यवाही ड्रोप फरमावे।

5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट क्रमांक 1138 दिनांक 05.10.2016 का अवलोकन किया । मनन के पश्चात पाया की अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 व 52 का दोषी हैं। अप्रार्थी यदि रिपोर्ट दिनांक 05.10.2016 से सन्तुष्ट न था तो उनके पास रेफरल लेब जाने का अवसन था, परन्तु उन्होने निर्धारित समय में अपील पेश न की । ऐसी स्थिति में अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 व 52 का दोषी हैं। अप्रार्थीगण पर शास्ती रूपये ..... अक्षरे रूपये ..... की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक .....के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।
निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(जवाहर चौधरी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर।

क्रमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2018/ **दिनांक :–**

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अभिहित अधिकारी एवं संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, जोधपुर।
2. श्री विजयकान्त गौतम, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन–जोधपुर।
3. श्री मनोज सखरानी पुत्र श्री लक्ष्मण दास,(विक्रेता)
   फर्म :– मै0 विष्णु मेडिकल एजेंसी महात्मा गांधी हॉस्पीटल के सामने मेडिकल मार्केट जोधपुर।
4. श्री लक्ष्मण सखरानी पुत्र श्री मुलचंद, (मालिक)
   मै0– विष्णु मेडिकल एजेंसी महात्मा गांधी हॉस्पीटल के सामने मेडिकल मार्केट जोधपुर।
5- नवीन कुमार पाण्डिया पुत्र श्री आनन्द पाण्डीया M. S. Rajasthan Gsenerics C & A ind- swift Generics, C-552 B plot No. 5 VKI Area Jaipur 302012

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री जवाहर चौधरी, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 106/2017

प्रार्थी

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी

1. श्री मनोज सखरानी पुत्र श्री लक्ष्मण दास, (विक्रेता) फर्म :– मै0 विष्णु मेडिकल एजेंसी महात्मा गांधी हॉस्पीटल के सामने मेडिकल मार्केट जोधपुर।
2. श्री लक्ष्मण सखरानी पुत्र श्री मुलचंद, (मालिक) मै0– विष्णु मेडिकल एजेंसी महात्मा गांधी हॉस्पीटल के सामने मेडिकल मार्केट जोधपुर।
3. नवीन कुमार पाण्डिया पुत्र श्री आनन्द पाण्डीया मै0 राजस्थान जैनेरिक सी एण्ड ए, इण्ड.–स्वीफट जैनेरिक, सी–552, बी, प्लाट नं. 6, वीकेआई एरिया, जयपुर 302012 निवासी वार्ड नं. 4, पिलानी, झुंझनु, राजस्थान।

आदेश

1- प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 14.09.2016 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी फर्म :– विष्णु मेडिकल एजेंसी महात्मा गांधी हॉस्पीटल के सामने मेडिकल मार्केट जोधपुर पहुँच कर निरीक्षण करने दौरान Protein Suppliment enriched with Vitamin and Minerals (Protamine Brand) 200 ग्राम के 40 टीन पैक आम जनता को विक्रय हेतु रखा था। उक्त Protein Suppliment enriched with Vitamin and Minerals (Protamine Brand) में से 200 ग्रम पैक के 12 टिन पैक वास्ते जांच मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 440/–नगद देकर खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।

2. खरीदशुदा प्रोटीन सप्लीमेंट के चारों पैकेट पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड़ व सीरियल नम्बर एडी– 464 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एडी– 464 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एडी– 464 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।

3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा वि लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाबा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य वि लेशक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोग ाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि प्रोटीन सप्लीमेंट के चारों पैकेट के चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एडी– 464 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस 1084/एक्ट/2016/1138 दिनांक 05.10.2016 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ मिथ्याछाप होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पे ा किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदे ा, गजट

उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एम– 1348एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाई करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।

4. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। अप्रार्थीगण द्वारा जवाब पेश किया गया तथा जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए दोष मुक्त करने हेतु निवेदन किया । अतः कार्यवाही ड्रोप फरमावे।

5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट क्रमांक 71–72 दिनांक 28.12.2016 का अवलोकन किया । मनन के पश्चात पाया की अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थी यदि रिपोर्ट दिनांक 28.12.2016 से सन्तुष्ट न था तो उनके पास रेफरल लेब जाने का अवसन था, परन्तु उन्होने निर्धारित समय में अपील पेश न की । ऐसी स्थिति में अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थीगण पर शास्ती रूपये ..... अक्षरे रूपये ..... की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक .....के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।
निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर।

क्रमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2018/ **दिनांक :–**

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अभिहित अधिकारी एवं संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, जोधपुर।
2. श्री रजनीश शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन–जोधपुर।
3. श्री प्रवीण पुरोहित पुत्र श्री देवनारायण पुरोहित उम्र 53 वर्ष,(एफ बी ओ)
   फर्म :– मै0 जयहिन्द रोडवेज, प्लोट सं0 53, ट्रासपोर्ट नगर, बासनी जोधपुर।
4. श्री दिनेश व्यास, (मालिक)
   मै0– वैभव रिपेकर्स, प्राईवेट इण्डस्ट्रीयल एरिया, शोभासर बाई पास, नाल बाडी एन0 एच0 8, बीकानेर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 81/2017

प्रार्थी

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्यें जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी

1. श्री प्रवीण पुरोहित पुत्र श्री देवनारायण पुरोहित उम्र 53 वर्ष,(एफ बी ओ)
   फर्म :– मै0 जयहिन्द रोडवेज, प्लोट सं0 53, ट्रासपोर्ट नगर, बासनी जोधपुर।
2. श्री दिनेश व्यास, (मालिक)
   मै0– वैभव रिपेकर्स, प्राईवेट इण्डस्ट्रीयल एरिया, शोभासर बाई पास, नाल बाडी एन0 एच0 8, बीकानेर।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 27.12.2016 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी फर्म :– जय हिंद रोडवेज, प्लोट सं0 53, ट्रासपोर्ट नगर बासनी, जोधपुर पहुँच कर निरीक्षण करने दौरान घी (शक्ति) 15 किलोग्राम के 99 टिन आम जनता को विक्रय हेतु रखा था। उक्त घी (शक्ति) में से 1 टिन में से 800 ग्राम वास्ते जांच मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 312/– नगद देकर खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. खरीदशुदा घी (शक्ति) के चारों पैकेट पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड़ व सीरियल नम्बर एम– 1348 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एम– 1348 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एम– 1348 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाबा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि घी (शक्ति) के चारों पैकेट के चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एम– 1348 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस 1425/एक्ट/2016/1456 दिनांक 30.12.2016 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ मिथ्याछाप होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की

जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाई करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।

4. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। अप्रार्थीगण द्वारा जवाब पेश किया गया तथा जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की एफएसओ ने झूठी सूचना के आधार पर अप्रार्थीगण की फर्म रूद्राक्ष एन्टरप्राईजेज पर पहुंचे तब अप्रार्थी मौके पर मौजुद था और अपने फर्म को बन्द कर घर जा रहा था। तब रजनीश शर्मा बहैसियत एफएसओ ने लाईसेन्स की मांग की तब अप्रार्थी के द्वारा लाईसेन्स की प्रति पेश की गई। जिसे अधिकारी ने अपने कब्जे में ले ली। और पैकिंग बैग की चैकिंग की गई जिसमें से कुछ बैग्स पर लाईसेन्स के नम्बर अंकित नहीं होने का कारण पुछा तब अभियुक्त ने बताया की उक्त पैकिंग बैग्स लाईसेन्स प्राप्त होने से पूर्व ही छपवाने के लिये दे दिये थे लेकिन समय पर लाईसेन्स नम्बर नहीं मिलने से बैग्स वाले ने बिना लाईसेन्स नम्बर छापे बैग्र्स दे दिये और अलग से लाईसेन्स नम्बर के स्टीकर भी दिये जिसे खाद्य सामग्री पैकिंग करने से पूर्व बैग्स पर चस्पा की जाती है। इस लिये कुछ बैग्स पर लाईसेंस के नम्बर लेबर की छुट्टी होने से कल सुबह लाईसेंस के नम्बर चस्पा कर बैग्स की पैकिंग की जायेगी। लेकिन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य सामग्री में शक के आधार पर कुछ नमूने इक्कट्ठे करके और कुछ खाली पन्नों पर अप्रार्थी व कर्मचारी के हस्ताक्षर करवाकर अपने साथ में ले गये।

5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट क्रमांक 968 दिनांक 27.10.2017 का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता को सुना गया। जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए प्रकरण खारिज करने हेतु निवेदन किया। मनन के पश्चात् पाया की अप्रार्थीगण ने अपने जवाब में भी कुछ बैग्स पर लाईसेंस नंबर अंकित नहीं होने की बात स्वीकार की है को खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 52 का उल्लघंन की श्रेणी में आता है। अप्रार्थीगण यदि रिपोर्ट दिनांक 27.10.2017 से सन्तुष्ट न था तो उनके पास रेफरल लेब जाने का अवसन था, परन्तु उन्होने निर्धारित समय में अपील पेश न की । ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 52 का दोषी हैं। अप्रार्थीगण पर शास्ती रूपये 15000/– अक्षरे रूपये पन्द्रह हजार मात्र की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक 21.02.2019 के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 21.02.2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(जवाहर चौधरी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर।

क्रमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2019/ **दिनांक :–**

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर।
2. श्री रजनीश शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर।
3. श्री यथेस्ट गर्ग पुत्र श्री शेलेष गर्ग उम्र 25 वर्ष,(एफ बी ओ भागीदार) फर्म :– मै0 रूद्राक्ष एन्टरप्राईजेज, बी–74, कृष्णा नगर, पाली रोड, जोधपुर।
4. श्री प्रखर गर्ग पुत्र श्री शेलेष गर्ग उम्र 24 वर्ष, (मालिक) मै0 –रूद्राक्ष एन्टरप्राईजेज, बी–74, कृष्णा नगर, पाली रोड, जोधपुर।
5. फर्म :– मै0 रूद्राक्ष एन्टरप्राईजेज, बी–74, कृष्णा नगर, पाली रोड, जोधपुर।(फर्म)

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री जवाहर चौधरी, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 35/2018

प्रार्थी

1. सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी

2. श्री यथेस्ट गर्ग पुत्र श्री शेलेष गर्ग उम्र 25 वर्ष,(एफ बी ओ भागीदार) फर्म :– मै0 रूद्राक्ष एन्टरप्राईजेज, बी–74, कृष्णा नगर, पाली रोड, जोधपुर।
3. श्री प्रखर गर्ग पुत्र श्री शेलेष गर्ग उम्र 24 वर्ष, (मालिक) मै0 –रूद्राक्ष एन्टरप्राईजेज, बी–74, कृष्णा नगर, पाली रोड, जोधपुर।
4. फर्म :– मै0 रूद्राक्ष एन्टरप्राईजेज, बी–74, कृष्णा नगर, पाली रोड, जोधपुर।(फर्म)

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 10.10.2017 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी फर्म :–रूद्राक्ष एन्टरप्राईजेज, बी–74, कृष्णा नगर, पाली रोड, जोधपुर पहुँच कर निरीक्षण करने दौरान खाद्य पदार्थ सूजी (प्योर फ्लोर) 500 ग्राम के 1000 पॉली पेकेट्स आम जनता को विक्रय हेतु रखा था। उक्त सूजी (प्योर फ्लोर) 500 ग्राम के 4 पॉली पेकेट्स वास्ते जांच मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 60/– नगद देकर खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. खरीदशुदा सूजी (प्योर फ्लोर) के चारों पैकेट पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड़ व सीरियल नम्बर एम– 1645 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एम– 1645 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एम– 1645 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाबा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि सूजी (प्योर फ्लोर) के चारों पैकेट के चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एम– 1645 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस 967/एक्ट/2017/968 दिनांक 27.10..2017 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ मिथ्याछाप होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एम– 1645एवं खाद्य विश्लेषक

अपील पेश न की । ऐसी स्थिति में अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थीगण पर शास्ती रूपये ..... अक्षरे रूपये ..... की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक .....के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर।

कमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2018/ **दिनांक :–**

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अभिहित अधिकारी एवं संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, जोधपुर।
2. श्री रजनीश शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन–जोधपुर।
3. श्री तेजाराम पटेल पुत्र श्री चूनाराम पटेल उम्र 27,(एफ बी ओ)
   फर्म :– मै0 पप्सा मावा वाला, पुष्करणा बैंक, नरसिंह धड़ा जालोरी गेट,जोधपुर।
4. श्री पप्पू पटेल पुत्र श्री चूनाराम पटेल, (मालिक)
   मै0 पप्सा मावा वाला, पुष्करणा बैंक, नरसिंह धड़ा जालोरी गेट,जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी

1. श्री तेजाराम पटेल पुत्र श्री चूनाराम पटेल उम्र 27,(एफ बी ओ)
   फर्म :– मै0 पप्सा मावा वाला, पुष्करणा बैंक, नरसिंह धड़ा जालोरी गेट,जोधपुर।
2. श्री पप्पू पटेल पुत्र श्री चूनाराम पटेल, (मालिक)
   मै0 पप्सा मावा वाला, पुष्करणा बैंक, नरसिंह धड़ा जालोरी गेट,जोधपुर।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 16.10.2017 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी फर्म :– मै0 पप्सा मावा वाला, पुष्करणा बैंक, नरसिंह धड़ा जालोरी गेट,जोधपुर पहुँच कर निरीक्षण करने दौरान खाद्य पदार्थ मावा करीबन 7 किलोग्राम के 8 थालों में आम जनता को विक्रय हेतु रखा था। उक्त मावा को एक किलोंग्राम वास्ते जांच मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 360/– नगद देकर खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. खरीदशुदा मावा के चारों पैकेट पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड़ व सीरियल नम्बर एम– 1656 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एम– 1656 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एम– 1656 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाबा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि मावा के चारों पैकेट के चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एम– 1656 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस 1097/एक्ट/2017/1097 दिनांक 17.11..2017 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ मिथ्याछाप होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एम– 1656एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाई करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।
4. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। अप्रार्थीगण द्वारा जवाब पेश किया गया तथा जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए दोष मुक्त करने हेतु निवेदन किया । अतः कार्यवाही ड्रोप फरमावे।
5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट क्रमांक 1097 दिनांक 17.11.2017 का अवलोकन किया । मनन के पश्चात पाया की अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थी यदि रिपोर्ट दिनांक 17.11.2017 से सन्तुष्ट न था तो उनके पास रेफरल लेब जाने का अवसन था, परन्तु उन्होने निर्धारित समय में

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर।

कमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2018/ **दिनांक :–**

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अभिहित अधिकारी एवं संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, जोधपुर।
2. श्री संदीप अग्रवाल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन–जोधपुर।
3. श्री दयालदास पुत्र श्री हेमनदास ,(प्रोपराईटर)
   फर्म :– मै0– दयाल फार्मा सॉ ना0 3, खादी मौहल्ला, बाईजी का तालाब, जाललोरी बारी, जोधपुर।
4. श्री मोहित मेडिकल एण्ड सर्जिकल्स फर्स्ट फ्लोर गुडवाला ,भवन, मेडतिया बास, रामगंज अलवर।
5. श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री लख्मीचंद (निदेशक) मै0– Antex Pharma Pvt.Ltd 423 Shahbad Daulatpur Near Hanuman Mandir Main Baeana Road Delhi.
6. श्री नवीन कुमार पुत्र श्री रामकरण पासवान (निदेशक) मै0– Antex Pharma Pvt.Ltd 423 Shahbad Daulatpur Near Hanuman Mandir Main Baeana Road Delhi.
7. मै0– Antex Pharma Pvt.Ltd 423 Shahbad Daulatpur Near Hanuman Mandir Main Baeana Road Delhi.
8. श्री अमरदीप बंसल पुत्र श्री आर0 पी0 बंसल ,(प्रोपराईटर) मै0 – Russian Remedies 414, Sector -53, Hsiidc, Ind. Estate, Kundli, Sonipat, Haryana-131001

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 26/2018

प्रार्थी

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्यें जोधपुर।

3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाबा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि Nutritional Food Supplement (B- Complex Syrup) के चारों पैकेट के चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एम– 1283 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस 1112/एक्ट/2016/1181 दिनांक 19.10..2016 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ मिथ्याछाप होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एम– 1283 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाई करने बाबत् लिखा गया, प्रति प्रस्तुत की गयी ।

4. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। अप्रार्थीगण संख्या 2 द्वारा जवाब पेश किया गया कि यह है कि एफ एस ओ द्वारा मै0 – दयाल फार्मा जोधपुर से उठाई गई बी – काम्पलेक्स 200 एम.एल. सिरप मैंने दयाल फार्मा को सप्लाई की थी जो कि मैंने Antex Pharma Pvt.Ltd 423 Shahbad Daulatpur Near Hanuman Mandir Main Baeana Road Delhi 110042 से नियमानुसार बिल खरीद की थी। उक्त माल का खरीद बिल पूर्व में ही श्रीमान एफएसओ महोदय को दे दिया था। हमारी फर्म के पास जिस भी पेकिंग में माल आता है उसी स्थिति में ही कम्पनी के प्रतिनिधि द्वारा बुकिग करने पर आगे सप्लाई किया जाता है। माल की गुणवता और पेकिंग नियमानुसार है, यही मानते हुए की हमारे द्वारा आगे माल का वितरण कर दिया जाता है। उक्त B- Complex Syrup 200 एम एल पर Best befor 18 Months from the Date of Manufacturing Capital Letters में अंकित होना चाहिये था एवं उक्त सिरप पर फ्लेवर का नाम लिखा होना चाहिये था जोकि नहीं लिखा गया। अतः मिथ्या छाप हुआ। इसका ज्ञान मुझे नहीं था। हमारे द्वारा नियमानुसार खरीद बिल द्वारा उक्त माल को खरीद कर वैसा का वैसा कम्पनी के प्रतिनिधि द्वारा बुकिंग करने पर आगे सप्लाई किया गया। मैं एक ट्रेडर हूँ एवं उक्त B- Complex Syrup 200 एम एल का मैं ने उत्पादन नहीं किया है अतः उक्त मुकदमें में मुझे निर्दोश मुक्त करने की दया करे।

5. अप्रार्थीगण स्ख्या तीन से छः द्वारा अधिकृत श्री दयालदास उपाध्याय ने अप्रार्थीगण 3, 4, 5, 6, का जवाब पेश किया यह है कि हमारी कंपनी Antex Pharma Pvt.Ltd द्वारा क्रय की गई B- Complex Syrup 200 एम एल पर त्रुटिवश Best befor 18 Months from the Date of Manufacturing samll letters में अंकित कर दिया गया, जो की Capital Letters में अंकित होना चाहिए था, एवं उक्त सिरप पर फ्लेवर का नाम त्रुटिवश नहीं लिखा। यह है कि उक्त दानों गलतियों का सुधार हमने कर दिया है, सुधार किया हुआ कार्टन संलग्न है।

6. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट क्रमांक 1181 दिनांक 19.10.2016 का अवलोकन किया । मनन के पश्चात पाया की अप्रार्थीगण तीन से छः ने वर्तमान में भूल सुधार की है अतः वे वक्त सेम्पल खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 व 52 का दोषी पाए गए हैं। अप्रार्थी यदि रिपोर्ट दिनांक 19.10.2016 से सन्तुष्ट न था तो उनके पास रेफरल लेब जाने का अवसन था, परन्तु उन्होने निर्धारित समय में अपील पेश न की । ऐसी स्थिति में अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 व 52 का दोषी हैं। अप्रार्थीगण पर शास्ती रूपये ..... अक्षरे रूपये ..... की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक .....के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 102/2017

प्रार्थी

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्यें जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी

1. श्री दयालदास पुत्र श्री हेमनदास ,(प्रोपराईटर)
   फर्म :– मै0– दयाल फार्मा सॉ ना0 3, खादी मौहल्ला, बाईजी का तालाब, जाललोरी बारी, जोधपुर।
2. श्री मोहित मेडिकल एण्ड सर्जिकल्स फर्स्ट फ्लोर गुडवाला ,भवन, मेडतिया बास, रामगंज अलवर।
3. श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री लख्मीचंद (निदेशक) मै0– Antex Pharma Pvt.Ltd 423 Shahbad Daulatpur Near Hanuman Mandir Main Baeana Road Delhi.
4. श्री नवीन कुमार पुत्र श्री रामकरण पासवान (निदेशक) मै0– Antex Pharma Pvt.Ltd 423 Shahbad Daulatpur Near Hanuman Mandir Main Baeana Road Delhi.
5. मै0– Antex Pharma Pvt.Ltd 423 Shahbad Daulatpur Near Hanuman Mandir Main Baeana Road Delhi.
6. श्री अमरदीप बंसल पुत्र श्री आर0 पी0 बंसल ,(प्रोपराईटर) मै0 – Russian Remedies 414, Sector -53, Hsiidc, Ind. Estate, Kundli, Sonipat, Haryana-131001

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 16.10.2017 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी फर्म :– मै0– दयाल फार्मा सॉ ना0 3, खादी मौहल्ला, बाईजी का तालाब, जाललोरी बारी, जोधपुर पहुँच कर निरीक्षण करने दौरान खाद्य पदार्थ Nutritional Food Supplement (B- Complex Syrup) की 200 एमएल की 41 बोतलें आम जनता को विक्रय हेतु रखा था। उक्त खाद्य पदार्थ Nutritional Food Supplement (B- Complex Syrup) को नियमानुसार प्रत्येक 200 एमएल की 12 बातले वास्ते जांच मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 260/– नगद देकर खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. खरीदशुदा Nutritional Food Supplement (B- Complex Syrup) प्रत्येक 200 एम एल की 12 बोतलों के चार हिस्से किये प्रत्येक भाग में 3–3 बोतलों को अलग अलग बांधा सेम्पल के चारों पैकेट पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड़ व सीरियल नम्बर एम– 1283 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एम– 1283 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एम– 1283 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर।

नमूना खरीद रसीद, नमूना एडी– 611एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाई करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।

4. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि Food safety and Standard Packaging and Iabelling Regulations 2011 के Regulations no. 2.2.1 date 10-06-2013 को Regulation में insert किया गया था। इसके पूर्व खाद्य लाईसेन्स के नम्बर पैकेट पर लिखन की बाध्यता नही थी।
5. यह कि खाद्य पदार्थ को पैक करने के लिए काम में ली गई थैलिया अपरोक्त रेगुलेशन के लागू होने के पूर्व में छपाई गई थी तथा उक्त रेगुलेशन के अस्तित्व में आने के बाद पुरानी थैलियों पर लाईसेन्स नम्बर के स्टीकर प्रीसिंपल डिस्प्ले पेनल पर स्टीकर लगााकर काम में ली जा रही थी।
6. यह कि उपरोक्त वर्णित खाद्य पदार्थ की थैली पर भी लाईसेन्स नम्बर का स्टीकर प्रिसिंपल पेनल पर डिस्प्ले किया गया था।
7. यह कि परिवादी खद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद में कही भी यह नहीं लिखा है कि प्रोडेक्ट के पैकेट पर लाईसेन्स नम्बर कहीं अंकित नहीं है,तथा अप्रार्थी संख्या 3 ने अपने जवाब में इन्हीं तथ्यों को दोहराते हुए परिवाद खारिज करने हेतु निवेदन किया । एफएसओं उपस्थित ने बताया कि उन्होने फार्म 5ए में सेम्पल लेते हुए शुद्वता व लेबल की जांच हेतु लिया यह रिपोर्ट में अंकित है जिस पर अप्रार्थी के हस्ताक्षर है,तथा अप्रार्थी द्वारा मद्रास हाईकोर्ट का फैसला दिनांक 17 अगस्त 2009 पेश किया जो पुराना है एवं वर्तमान में लागू नहीं होता क्योकि नमूना लेते समय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2011 लागू होता है तथा food saftey and standard Authority of india के नोटिफिकेशन दिनांक07.06.2013 के बिन्दु संख्या 7 में यह अकित है कि :License number shall be displayed on the principal display panel in the following formate namely provided that the existing products of a unit shall comply with the reuirement of this clause on and after the six months of cxommencement of the Food Safty and Standards Packaging and Labelling Amendment Regulation 2013,.
8. पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के जवाब का अवलोकन किया गया एफएसओ को सुना गया अप्रार्थी का यह कथन गलत है कि पैकैट पर लाईसेंस नम्बर अंकित करने की बाध्यता नहीं है तथा एफ एस ओ द्वारा सेम्पल शुद्वता हेतु लिया गया था लेकिन फार्म 5 ए पर एफएसओ द्वारा सेम्पल शुद्यता एवंलेबल की जांच हेतु लेना अंकित है मैं एफएसओ के जवाब से पूर्णतया संतुष्ट हू। पत्रावली व बहस के मनन व पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट कमांक 669 दिनांक 03.08.2017 का अवलोकन किया । मनन के पश्चात पाया की अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 52 का दोषी हैं। अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 पर शास्ती रूपये .... अक्षरे रूपये ..... की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक .....के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर।

कमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2018/ **दिनांक :–**

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अभिहित अधिकारी एवं संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, जोधपुर।
2. श्री राजेश टिंकर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, उप निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन–जोधपुर।
3. श्री कन्नू अग्रवाल पुत्र श्री नवनीत अग्रवाल,(एफ बी ओ एवं मैनेजर) फर्म :– मै0– चेतन्य ट्रेडर्स, 200 ए शिवरोड रातानाडा जोधपुर।नमूना लेने का स्थान – केसर बाग रातानाडा जोधपुर।
4. श्री चेतन्य अग्रवाल पुत्र श्री नवनीत अग्रवाल, (मालिक) मै.– मै0– चेतन्य ट्रेडर्स, 200 ए शिवरोड रातानाडा जोधपुर।
5. श्री गणेश दास अग्रवाल (मालिक), मैं0 अग्रवाल भुजिया भंडार, बच्चावतों का चौक, बडा बाजार, बीकानेर जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 16/2018

प्रार्थी

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्यें जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी

1. श्री कन्नू अग्रवाल पुत्र श्री नवनीत अग्रवाल,(एफ बी ओ एवं मैनेजर)
   फर्म :– मै0– चेतन्य ट्रेडर्स, 200 ए शिवरोड रातानाडा जोधपुर।नमूना लेने का स्थान – केसर बाग रातानाडा जोधपुर।
2. श्री चेतन्य अग्रवाल पुत्र श्री नवनीत अग्रवाल, (मालिक) मै.– मै0– चेतन्य ट्रेडर्स, 200 ए शिवरोड रातानाडा जोधपुर।
3. श्री गणेश दास अग्रवाल (मालिक), मैं0 अग्रवाल भुजिया भंडार, बच्चावतों का चौक, बडा बाजार, बीकानेर जोधपुर।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 26.07.2017 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी फर्म – मै0– चेतन्य ट्रेडर्स, 200 ए शिवरोड रातानाडा जोधपुर।नमूना लेने का स्थान – केसर बाग रातानाडा जोधपुर पहुँच कर निरीक्षण करने दौरान फर्म में 6 कार्टून में 450 पैकेट खाद्य पदार्थ पापड़ (अग्रवाल भुजिया भण्डार) 400 ग्राम प्रत्येक का वजन रखे हुए उक्त खद्य पदार्थ आम जनता को विक्रय हेतु रखा था। उक्त पापड़ (अग्रवाल भुजिया भण्डार) को एक किलोंग्राम वास्ते जांच मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 212/– नगद देकर खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. खरीदशुदा पापड़ (अग्रवाल भुजिया भण्डार) के चारों पैकेट पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी. ओ.कोड़ व सीरियल नम्बर एम– 1648 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एडी– 611 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एडी– 611 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाबा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि पापड़ (अग्रवाल भुजिया भण्डार) के चारों पैकेट के चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एडी– 611 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस 668/एक्ट/2017/669 दिनांक 03.08..2017 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ मिथ्याछाप होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण,

जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाई करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।

4. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। अप्रार्थीगण द्वारा जवाब पेश किया गया एवं सुना गया अप्रार्थी ने जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि दूध स्वयं में कई प्रकार के बेक्टीरिया होते है जो हर समय दूध में परिवर्तन करते रहते है ऐसी स्थिति में सावधानी के पश्चात भी कई मर्तबा मानक के अनुसार मावे की शुद्वता नहीं रहती । अतः कार्यवाही ड्रोप फरमावे।

5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट क्रमांक 1006 दिनांक 03.11.2017 का अवलोकन किया । मनन के पश्चात पाया की अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थी यदि रिपोर्ट दिनांक 03.11.2017 से सन्तुष्ट न था तो उनके पास रेफरल लेब जाने का अवसन था, परन्तु उन्होने निर्धारित समय में अपील पेश न की । ऐसी स्थिति में अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थीगण पर शास्ती रूपये ..... अक्षरे रूपये ..... की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक .....के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।
निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर।

क्रमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2018/ **दिनांक :–**

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अभिहित अधिकारी एवं संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, जोधपुर।
2. श्री रजनीश शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन–जोधपुर।
3. श्री सीताराम चौधरी पुत्र श्री चौखाराम चौधरी उम्र 21,(एफ बी ओ)
   फर्म :– मै0– शिव ओम मावा भण्डार, बालवाडी स्कूल के सामने, जालोरी गेट,जोधपुर।
4. श्री कालूराम चौधरी पुत्र श्री चौखाराम चौधरी, (मालिक)
   मै.– शिव ओम मावा भण्डार, बालवाडी स्कूल के सामने, जालोरी गेट जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 28/2018

प्रार्थी

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्यें जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी

1 श्री सीताराम चौधरी पुत्र श्री चौखाराम चौधरी उम्र 21,(एफ बी ओ)
फर्म :– मै0– शिव ओम मावा भण्डार, बालवाडी स्कूल के सामने, जालोरी गेट,जोधपुर।

2. श्री कालूराम चौधरी पुत्र श्री चौखाराम चौधरी, (मालिक)
मै.– शिव ओम मावा भण्डार, बालवाडी स्कूल के सामने, जालोरी गेट जोधपुर।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 12.10.2017 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी फर्म – मै. शिव ओम मावा भण्डार, बालवाडी स्कूल के सामने, जालोरी गेट जोधपुर पहुँच कर निरीक्षण करने दौरान खाद्य पदार्थ मावा (शुगर मिश्रित) करीबन 15 किलोग्राम के 4 टिनों आम जनता को विक्रय हेतु रखा था। उक्त मावा (शुगर मिश्रित) को एक किलोंग्राम वास्ते जांच मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 190/– नगद देकर खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।

2. खरीदशुदा मावा (शुगर मिश्रित) के चारों पैकेट पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड़ व सीरियल नम्बर एम– 1648 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एम– 1648 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एम– 1648 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।

3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाबा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि मावा (शुगर मिश्रित) के चारों पैकेट के चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एम– 1648 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस 1005/एक्ट/2017/1006 दिनांक 07.11..2017 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ मिथ्याछाप होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एम– 1648एवं खाद्य विश्लेषक

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर।

अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि सूजी मिल्क रस्क टोस्ट (रोजाना ब्राण्ड) के चारों पैकेट के चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एम–1404 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस 135/एक्ट/2017/137 दिनांक 06.03..2017 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ मिथ्याछाप होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एम–1404एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाई करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।

4. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। अप्रार्थी संख्या एक ने जवाब पेश कर निवेदन किया है कि सूजी मिल्क रस्क टोस्ट (रोजाना ब्राण्ड) जयपूर की फर्म न्यू जनता बेकरी से खरीदा था लेकिन बिल कहीं गुम हो गया रहम करते हुए मामला निस्तारण फरमावें।इसी प्रकार निर्माता अप्रार्थी संख्या 5 ने जवाब पेश कर निवेदन किया है कि पैकेट पर मेनुॅफेक्टिरिंग डेट व पैकिग डैट अकित नहीं होना एवं बेंस्ट बिफोर स्मॉल अक्षर में लिखा जाने से सूजी मिल्क रस्क टोस्ट (रोजाना ब्राण्ड) मिस ब्राण्ड हुआ है जिसकी पुनरावृति नहीं होगी। अप्रार्थी संख्या 2, 3, 4 द्वारा जवाब पेश नहीं किया जाने के कारण जवाब बंद किया गया बहस हेतु आवाज लगायी गयी कोई उपस्थित नहीं । एकपक्षीय आदेश करना उचित प्रतित होता है।

5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट क्रमांक 137 दिनांक 06.03.2017 का अवलोकन किया । मनन के पश्चात पाया की अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 52 का दोषी हैं। अप्रार्थी यदि रिपोर्ट दिनांक 06.03.2017 से सन्तुष्ट न था तो उनके पास रेफरल लेब जाने का अवसन था, परन्तु उन्होने निर्धारित समय में अपील पेश न की । ऐसी स्थिति में अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 52 का दोषी हैं। अप्रार्थीगण संख्या एक पर शास्ती रूपये ..... अक्षरे रूपये .....तथा अप्रार्थी पांच पर शास्ती रूपये ..... अक्षरे रूपये ..... की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक ..... के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

क्रमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2018/ **दिनांक :–**

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अभिहित अधिकारी एवं संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, जोधपुर।
2. श्री संदीप अग्रवाल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन–जोधपुर।
3. श्री अली, मालिक फर्म :– मै. न्यू जनता बेकरी मै. 318, नमक की मण्डी किशनपोल बाजार, जयपुर।
4. श्री चन्द्रप्रकाश खत्री पुत्र श्री गोकूलदास खत्री(एफबीओ/मालिक/सेल्समैन) मैं.– रामनगर सुपर मार्केट (जोधपुर सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार लिमिटेड)पी. एफ आफिस के पास,338,339, झवर रोड जोधपुर।
5. श्री मुधुसूदन कुमार शर्मा पुत्र श्री नरसिंह दत शर्मा (भण्डार महाप्रबंधक) फर्म – मै.–जोधपुर सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार लि. कमरा नं0 203 राजीव गांधी सहकार भवन, रेल्वे स्टेशन के सामने, जोधपुर।
6. फर्म – मै0–जोधपुर सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार लि. कमरा नं0 203 राजीव गांधी सहकार भवन, रेल्वे स्टेशन के सामने, जोधपुर।
7. श्री प्रकाशचन्द गहलोत, मालिक मै0– कृष्णा ट्रेडिंग 6 डी 5, 5वीं पुलिया, चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 07/2018

प्रार्थी
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी,
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी

1. श्री चन्द्रप्रकाश खत्री पुत्र श्री गोकूलदास खत्री(एफबीओ/मालिक/सेल्समैन) मैं.– रामनगर सुपर मार्केट (जोधपुर सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार लिमिटेड)पी. एफ आफिस के पास,338,339, झवर रोड जोधपुर।
2. श्री मुधुसूदन कुमार शर्मा पुत्र श्री नरसिंह दत शर्मा (भण्डार महाप्रबंधक) फर्म – मै.–जोधपुर सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार लि. कमरा नं0 203 राजीव गांधी सहकार भवन, रेल्वे स्टेशन के सामने, जोधपुर।
3. फर्म – मै0–जोधपुर सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार लि. कमरा नं0 203 राजीव गांधी सहकार भवन, रेल्वे स्टेशन के सामने, जोधपुर।
4. श्री प्रकाशचन्द गहलोत, मालिक मै0– कृष्णा ट्रेडिंग 6 डी 5, 5वीं पुलिया, चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर।
5. श्री अली, मालिक फर्म :– मै. न्यू जनता बेकरी 318, नमक की मण्डी किशनपोल बाजार, जयपुर।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 20.02.2017 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ,जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी मै. रामनगर सुपर मार्केट (जोधपुर सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार लि.) पी एफ आफिस के पास 338,339 झंवर रोड जोधपुर पहुँच कर निरीक्षण करने दौरान सूजी मिल्क रस्क टोस्ट (रोजाना ब्राण्ड) के 25 पैकेट (प्रत्येक पैकेट में 40 पीस) आम जनता को विक्रय हेतु रखे हुए थे। उक्त 4 पैकेट (प्रत्येक में 40 पीस) के वास्ते जांच मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 128/– नगद देकर खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. खरीदशुदा 4 पैकेट (प्रत्येक में 40 पीस) के चारों पैकेट पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड़ व सीरियल नम्बर एम–1404 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एम–1404 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एम–1404 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाबा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

नमूना खरीद रसीद, नमूना एडी–572एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाई करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।

4. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। अप्रार्थी को जवाब के अवसर देने के उपरांत भी जवाब पेश नहीं किया गया जवाब बंद किया गया। बहस हेतु उपस्थति नहीं।आवाज लगायी गयी एक पक्षीय आदेश करना उचित प्रतित होता है।

5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट कमांक 475 दिनांक 24.05.2017 का अवलोकन किया । मनन के पश्चात पाया की अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थी यदि रिपोर्ट दिनांक 24.05.2017 से सन्तुष्ट न था तो उनके पास रेफरल लेब जाने का अवसन था, परन्तु उन्होने निर्धारित समय में अपील पेश न की । ऐसी स्थिति में अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थीगण पर शास्ती रूपये ..... अक्षरे रूपये ..... की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक .....के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।
निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर।

कमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2018/ **दिनांक :–**

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अभिहित अधिकारी एवं संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, जोधपुर।
2. श्री राजेश टींकर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन–जोधपुर।
3. श्री मोहित सचदेवा, पुत्र श्री मुरलीधर सचदेवा,(विक्रेता), मै. कोल्ड ड्रिक का गौदाम (पवन पुत्र सेल्स एजेन्सी), दुकान नं. 12 गणेश चौराहा, प्रताप नगर जोधपुर।
4. श्री मुरलीधर सचदेवा, पुत्र श्री प्रतापराम, (मालिक) मै. कोल्ड ड्रिक का गौदाम (पवन पुत्र सेल्स एजेन्सी), दुकान नं. 12 गणेश चौराहा, प्रताप नगर जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 47/2018

प्रार्थी	**बनाम**	अप्रार्थी
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्यें जोधपुर।		1. श्री मोहित सचदेवा, पुत्र श्री मुरलीधर सचदेवा,(विक्रेता) फर्म :– मै. कोल्ड ड्रिक का गौदाम (पवन पुत्र सेल्स एजेन्सी), दुकान नं. 12 गणेश चौराहा, प्रताप नगर जोधपुर। 2. श्री मुरलीधर सचदेवा, पुत्र श्री प्रतापराम, (मालिक) मै. कोल्ड ड्रिक का गौदाम (पवन पुत्र सेल्स एजेन्सी), दुकान नं. 12 गणेश चौराहा, प्रताप नगर जोधपुर।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 25.04.2017 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय उप निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं जोन ,जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी मै. कोल्ड ड्रिक का गौदाम (पवन पुत्र सेल्स ऐजेन्सी) दुकान नं. 12 गणेध चौराहा, प्रताप नगर जोधपुर पहुँच कर निरीक्षण करने दौरान खाद्य पदार्थ नोन कार्बोनेटेड वाटर बेस्ड फ्लेवर्ड ड्रिंक ऐडेड मेंगो फ्लेवर्ड (fruJoy)200 एम.एल. पैक आम जनता को विक्रय हेतु रखा था। उक्त 20 सिल्ड बोतल 200 एम. एल. के वास्ते जांच मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 130/– नगद देकर खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. खरीदशुदा 20 सिल्ड बोतल 200 एम. एल के चारों पैकेट पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड़ व सीरियल नम्बर एडी–572 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एडी–572 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एडी–572 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाबा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि नोन कार्बोनेटेड वाटर बेस्ड फ्लेवर्ड ड्रिंक ऐडेड मेंगो फ्लेवर्ड (fruJoy)200 एम.एल. पैक के चारों पैकेट के चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एडी–572 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस 390/एक्ट/2017/475 दिनांक 24.05..2017 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ मिथ्याछाप होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण,

किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एडी–585 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाई करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।

4. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। अप्रार्थी एक व दो ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि उक्त ब्राण्ड तथा कंपनी रामानी आईसक्रीम कंपनी लिमिटेड के जोधपुर में एजेंण्ट तथा जोधपुर में उक्त कंपनी की एजेंसी ले रखी तथा होलसेल का कार्य करते है। अप्रार्थीगण सं. 01 व 02 स्वयं आईस्क्रीम के मन्यूफेक्चर नहीं करते तथा कंपनी जैसे माल भेजती है वही माल आगे सपलाई करते है ,तथा आइस्क्रीम कंपनी द्वारा अपने पूर्व प्रस्तुत जवाब में श्रीमान के समक्ष सामुहिक रूप से गलती स्वीकार करते हुए जुर्म स्वीकार किया जा चुका है। प्रार्थी अभियुक्त के यहां कंपनी द्वारा जो माल भेजा जाता है उसे ही बेचा जाता है, तथा यह है कि अप्रार्थीगण सं. 01,व 02 द्वारा यह गलती जानबूझकर नहीं की गयी है, तथा अप्रार्थी संख्या 03व 04 की ओर से जवाब पेश कर कंपनी पर पहला प्रकरण दर्ज होने से कम से कम शास्ती लगाने हेतु निवेदन किया हैं।

5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट कमांक 482 दिनांक 25.05..2017 का अवलोकन किया । मनन के पश्चात पाया की अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 52 का दोषी हैं। अप्रार्थी यदि रिपोर्ट दिनांक 25.05.2017 से सन्तुष्ट न था तो उनके पास रेफरल लेब जाने का अवसन था, परन्तु उन्होने निर्धारित समय में अपील पेश न की । ऐसी स्थिति में अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 52 का दोषी हैं। अप्रार्थीगण 1 व 2 प्रत्येक पर शास्ती रूपये 5000 अक्षरे रूपये (पाँच हजार रूपये मात्र) तथा अप्रार्थीगण 3 व 4 पर सम्मिलित 50000/– अक्षरे रूपये (पचास हजार मात्र) की आरोपित की जाती है। अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक 21.01.2019 के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें तथा एक माह में राशि नहीं कराने पर एफएसओ अभिहित अधिकारी के माध्यम से खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 के तहत कार्यवाही सुनिश्चित करें। ।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 21.01.2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(जवाहर चौधरी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

कमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2019/ **दिनांक :–21.01.2019**

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अभिहित अधिकारी एवं संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, जोधपुर।
2. श्री राजेश टींकर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन–जोधपुर एक माह में राशि नहीं कराने पर एफएसओ अभिहित अधिकारी के माध्यम से खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 के तहत कार्यवाही सुनिश्चित करें।
3. श्री नन्दकिशोर परिहार पुत्र श्री मदन मोहन परिहार(एफबीओ एवं मालिक), फर्म :– मै. परिहार डेयरी फार्म, जालोरी गेट के अन्दर,बालवाडी स्कूल के पास, जोधपुर
4. श्री विजय परिहार पुत्र श्री नन्द किशोर परिहार (मालिक) मै.– परिहार एन्टरप्राईजेज, 126, मिल्क मैन कोलोनी, जोधपुर)
5. श्री दिनेश पुत्र स्व. श्री नन्दलाल (नॉमिनी) मै.–रमानी आईस क्रीम कॉ. लि., निवासी – महीमा ईलाईट, फलैट नं. आई–505, सवैग फार्म न्यू सांगानेर रोड़, जयपुर।
6. मै.–रमानी आईस क्रीम कॉ. लि., जरिये नोमिनी प्लॉट नं. जी–1–114, इण्डस्ट्रीयल एरिया, टोंक रोड़, जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री जवाहर चौधरी, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 46/2018

प्रार्थी

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन–जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी

1. श्री नन्दकिशोर परिहार पुत्र श्री मदन मोहन परिहार(एफबीओ एवं मालिक), फर्म :– मै. परिहार डेयरी फार्म, जालोरी गेट के अन्दर,बालवाडी स्कूल के पास, जोधपुर
2. श्री विजय परिहार पुत्र श्री नन्द किशोर परिहार (मालिक) मै.– परिहार एन्टरप्राईजेज, 126, मिल्क मैन कोलोनी, जोधपुर)
3. श्री दिनेश पुत्र स्व. श्री नन्दलाल (नॉमिनी) मै.–रमानी आईस क्रीम कॉ. लि., निवासी – महीमा ईलाईट, फलैट नं. आई–505, सवैग फार्म न्यू सांगानेर रोड़, जयपुर।
4. मै.–रमानी आईस क्रीम कॉ. लि., जरिये नोमिनी प्लॉट नं. जी–1–114, इण्डस्ट्रीयल एरिया, टोंक रोड़, जोधपुर।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 15.05.2017 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी गश्त चैकिंग मै. परिहार डेयरी फार्म, जालोरी गेट के अन्दर, बालवाडी स्कूल के पास जोधपुर पहुँच कर निरीक्षण करने दौरान एक डिप फ्रिज में खाद्य पदार्थ आइसक्रीम चोको चिप्स (टॉप एन टाउन) 10 कार्टन पैक 333 ग्राम प्रत्येक आइसक्रीम रखी हुई थी। उक्त खाद्य पदार्थ को आम जनता को विक्रय हेतु रखा था। उक्त आइसक्रीम चोको चिप्स (टॉप एन टाउन) के वास्ते जांच मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 480/– नगद देकर 4 x 333 ग्राम कार्टन पैक खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. खरीदशुदा उक्त खाद्य पदार्थ आइसक्रीम चोको चिप्स (टॉप एन टाउन) के 4 x 333 ग्राम कार्टन पैक को जांच वास्ते भेजने से पूर्व स्टील के भगोने में तुलवाकर/नपवाकर एक रूप कर चार भागों में बराबर–बराबर कर चार साफ सूखी व खाली प्लास्टिक की शिशियों में डालकर प्रत्येक में 40 बूंदे फॉर्मेलिंग की डाली अच्छी तरह हिलाया और एयर टाईट बंद किया। चारों नमूना पैकेट पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड़ व सीरियल नम्बर एडी–585 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एडी–585 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एडी–585 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाबा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि आइसक्रीम चोको चिप्स (टॉप एन टाउन) के चारों पैकेट के चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एडी–585 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस 485/एक्ट/2017/482 दिनांक 25.05..2017 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ मिथ्याछाप होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश

4. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। अप्रार्थी स्वयं उपस्थित होकर बताया कि सेम्पल के माल का ये सेम्पल भरा है जो बिल लेकर नहीं खरीदा था। यही जवाब पेश कर निवेदन है कि हमें माफ करावें।

5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट क्रमांक 652 दिनांक 18.07.2017 का अवलोकन किया । मनन के पश्चात पाया की अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थी यदि रिपोर्ट दिनांक 18.07.2017 से सन्तुष्ट न था तो उनके पास रेफरल लेब जाने का अवसन था, परन्तु उन्होने निर्धारित समय में अपील पेश न की । ऐसी स्थिति में अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थीगण पर शास्ती

रूपये ..... अक्षरे रूपये ..... की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक .....के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

क्रमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2018/ **दिनांक :–**

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1.अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,जोधपुर।

2.श्री रेवत सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन–जोधपुर।

3.श्री विकास बूब पुत्र श्री जय किशन बूब(एफबीओ),मै0 पूना स्वीट प्रोडक्ट्स, 56 गीता भवन के पीछे, सिंवाची गेट के पास,सकीना कॉलोनी जोधपुर ।

4.श्री जयकिशन बूब पुत्र श्री खिंवराज बूब(मालिक), मै0 पूना स्वीट प्रोड्क्टस, 56 गीता भवन के पीछे, सिंवाची गेट के पास, सकीना कॉलोनी जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर

परिवाद संख्या 33/2018

प्रार्थी	**बनाम**	अप्रार्थी
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जोधपुर।		1. श्री विकास बूब पुत्र श्री जय किशन बूब(एफबीओ),मै0 पूना स्वीट प्रोडक्ट्स, 56 गीता भवन के पीछे, सिंवाची गेट के पास,सकीना कॉलोनी जोधपुर । 2. श्री जयकिशन बूब पुत्र श्री खिंवराज बूब(मालिक), मै0 पूना स्वीट प्रोड्क्टस, 56 गीता भवन के पीछे, सिंवाची गेट के पास, सकीना कॉलोनी जोधपुर।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 24.05.2018 को उनके द्वारा बहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी गश्त चैकिंग फर्म मै. मै0 पूना स्वीट प्रोड्क्टस, 56 गीता भवन के पीछे, सिंवाची गेट के पास, सकीना कॉलोनी, जोधपुर का निरीक्षण करने पर खाद्य पदार्थ लिक्विड फिल्ड गम (कामको)फर्म में विक्रय वास्ते लगभग 5 गत्ता कार्टन में (5 गुणा 36 जार =180 जार) प्रत्येक की मात्रा 525 ग्राम पड़े थे।उक्त खाद्य पदार्थ लिक्विड फिल्ड गम (कामको) को जनता के विक्रय हेतु रखा हुआ था। नियमानुसार खाद्य पदार्थ लिक्विड फिल्ड गम (कामको) 4 जार (4 गुणा 525 = 2100 ग्राम) जांच वास्ते नमूना संख्या एम–1565 मिलावट का होने के शक पर खरीद इसकी जांच ऍफ एस एक्ट के तहत कराने हेतु आपको प्रपत्र–5ए भरकर दिया गया जिस पर स्वयं, गवाह व विक्रता के हस्ताक्षर करवाये गये। जांच मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 338/– नगद देकर खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. खरीदशुदा खाद्य पदार्थ लिक्विड फिल्ड गम (कामको) 4 जार (4 गुणा 525 = 2100 ग्राम) के लिए मूल ही चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड़ व सीरियल नम्बर एम–1565 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एम–1565 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एम–1565 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाबा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि खाद्य पदार्थ लिक्विड फिल्ड गम (कामको) के चारों पैकेट के चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एम–1565 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस 638/एक्ट/2017/652 दिनांक 18.07..2017 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ मिथ्याछाप होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एम–1565एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाई करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।

मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एडी–608 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाई करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।

4. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। अप्रार्थी स्वयं उपस्थित होकर बताया कि सेम्पल के माल का ये सेम्पल भरा है जो बिल लेकर नहीं खरीदा था। यही जवाब पेश कर निवेदन है कि हमें माफ करावें।
5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट कमांक 639 दिनांक 14.07.2017 का अवलोकन किया । मनन के पश्चात पाया की अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 52 का दोषी हैं। अप्रार्थी यदि रिपोर्ट दिनांक 14.07.2017 से सन्तुष्ट न था तो उनके पास रेफरल लेब जाने का अवसन था, परन्तु उन्होने निर्धारित समय में अपील पेश न की । ऐसी स्थिति में अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 52 का दोषी हैं। अप्रार्थीगण पर शास्ती

   रूपये ..... अक्षरे रूपये ..... की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक .....के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।

   निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

कमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2017/ **दिनांक :–**

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अभिहित अधिकारी एवं संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, जोधपुर।
2. श्री राजेश टींकर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन–जोधपुर।
3. श्री विकास बूब पुत्र श्री जय किशन बूब(एफबीओ), :– मै. पूना स्वीट प्रोडक्ट्स,56 गीता भवन के पीछे, सिंवाची गेट के पास,सकीना कॉलोनी जोधपुर ।
4. .श्री जयकिशन बूब पुत्र श्री खिंवराज बूब(मालिक), मै0 पूना स्वीट प्रोड्क्टस, 56 गीता भवन के पीछे, सिंवाची गेट के पास, सकीना कॉलोनी जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 21/2018

प्रार्थी	**बनाम**	अप्रार्थी
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जोधपुर।		1. श्री विकास बूब पुत्र श्री जय किशन बूब(एफबीओ),मै0 पूना स्वीट प्रोडक्ट्स,56 गीता भवन के पीछे, सिंवाची गेट के पास,सकीना कॉलोनी जोधपुर । 2. श्री जयकिशन बूब पुत्र श्री खिंवराज बूब(मालिक), मै0 पूना स्वीट प्रोड्क्टस, 56 गीता भवन के पीछे, सिंवाची गेट के पास, सकीना कॉलोनी जोधपुर।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 07.07.2017 को उनके द्वारा बहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी गश्त चैकिंग फर्म मै. मै0 पूना स्वीट प्रोड्क्टस, 56 गीता भवन के पीछे, सिंवाची गेट के पास, सकीना कॉलोनी, जोधपुर का निरीक्षण करने पर फर्म मे 20 कार्टन में 400 जार पैक खाद्य पदार्थ शुगर बॉइल्ड कन्फेक्शनरी, व्हीसल लोली पॉप (कान्ता) के प्रत्येक भरती 500 ग्राम आम जनता को विक्रय वास्ते रखे हुए थे उक्त शुगर बॉइल्ड कन्फेक्शनरी,व्हीसल लोली पॉप (कान्ता) को नियमानुसार 500 ग्राम के 4 जार पैक प्रत्येक भरती 500 ग्राम जांच वास्ते नमूना संख्या एडी–608 मिलावट का होने के शक पर खरीद इसकी जांच ऍफ एस एक्ट के तहत कराने हेतु आपको प्रपत्र–5ए भरकर दिया गया जिस पर स्वयं, गवाह व विक्रता के हस्ताक्षर करवाये गये। जांच मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 106/– नगद देकर खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. खरीदशुदा खाद्य पदार्थ शुगर बॉइल्ड कन्फेक्शनरी, व्हीसल लोली पॉप (कान्ता)नियमानुसार 500 ग्राम के 4 जार पैक प्रत्येक भरती 500 ग्राम के लिए मूल ही चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड़ व सीरियल नम्बर एडी–608 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एडी–608 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एडी–608 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाबा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि शुगर बॉइल्ड कन्फेक्शनरी, व्हीसल लोली पॉप (कान्ता) के चारों पैकेट के चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एडी–608 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस 640/एक्ट/2017/639 दिनांक 14.07.2017 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ मिथ्याछाप होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द

पीस कर देता है।खरीददार मौका पर पिसवाते हैं और इसे पैक कर देते हैं।ऐसी स्थिति में मिथ्या छाप माल नहीं बेचता है। अतः मामला खारिज फरमाया जावे।

5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट क्रमांक 631 दिनांक 13.07.2017 का अवलोकन किया तथा पाया कि अप्रार्थीगण द्वारा बेचे जाने वाले पॉली पैक पर बेस्ट बिफोर, सिम्बल फॉर वेज/ नॉनवेज, उत्पादनकर्ता का नाम व पता एवं इसके अलावा एफएसएसआई के लाइसेंस नम्बर नहीं लिखे हैं जो मिथ्याछाप की श्रेणी में आते है तथा अप्रार्थीगण द्वारा वाणिज्य एवं कर विभाग से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगाया है जिसमें किराणे का सामान डेयरी प्रॉडक्ट आदि विक्रय करते हैं। मनन के पश्चात् पाया कि अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 52 का दोषी हैं। अप्रार्थी यदि रिपोर्ट दिनांक 19.05.2017 से सन्तुष्ट न था तो उनके पास रेफरल लेब जाने का अवसन था, परन्तु उन्होने निर्धारित समय में अपील पेश न की । ऐसी स्थिति में अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 52 का दोषी हैं। अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 पर शास्ती रूपये ..... अक्षरे रूपये ..... की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि **न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर (ADJUDICATING OFFICER AND ADM CITY, JODHPUR)** के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक ..... के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।
6. निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

क्रमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2018/ **दिनांक :–**

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अभिहित अधिकारी एवं कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं जोन जोधपुर।
2. श्री राजेश टिंकर खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं जोन जोधपुर।
3. श्री दुष्यंत चौधरी पुत्र श्री बीरबल चौधरी, मैसर्स जोधपुर डिपार्टमेंटल स्टोर,99 ए, हनुमान मंदिर के पास, न्यू पाली रोड, भगत की कोठी, जोधपुर।
4. श्रीमती भंवरी देवी पत्नी श्री बीरबल चौधरी, मैसर्स जोधपुर डिपार्टमेंटल स्टोर,99 ए, हनुमान मंदिर के पास, न्यू पाली रोड, भगत की कोठी, जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 137/2017

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जोधपुर।		1. श्री दुष्यंत चौधरी पुत्र श्री बीरबल चौधरी, मैसर्स जोधपुर डिपार्टमेंटल स्टोर,99 ए, हनुमान मंदिर के पास, न्यू पाली रोड, भगत की कोठी, जोधपुर। 2. श्रीमती भंवरी देवी पत्नी श्री बीरबल चौधरी, मैसर्स जोधपुर डिपार्टमेंटल स्टोर,99 ए, हनुमान मंदिर के पास, न्यू पाली रोड, भगत की कोठी, जोधपुर।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 16.10.2017 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी मैसर्स जोधपुर डिपार्टमेंटल स्टोर,99 ए, हनुमान मंदिर के पास, न्यू पाली रोड, भगत की कोठी, जोधपुर पहुँचा वहां दुकान में लाल मिर्च पाउडर के 10 पैक पाउच, आम जनता हेतु वास्ते विक्रय रखे हुए थे। वास्ते जांच मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 320/– देकर 2 किलोग्राम लाल मिर्च पाउडर खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. विक्रेता व गवाह के सामने खरीदशुदा खरीदसुदा नमूना लाल मिर्च पाउडर के चारों पाउच को अलग अलग गत्ते के डिब्बों में पैक कर भूरे कागज से लपेटा एवं इस पर लगाने हेतु पेपर स्लिप जिस पर डी.ओ.कोड़ व सीरियल नम्बर एडी–605 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमूना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एडी–605 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमूना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एडी–605 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाफा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि उक्त चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एडी–605 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस 630/एक्ट/2016/631 दिनांक 13.07.2017 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ का मिथ्याछाप होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एडी–605 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाईल करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।
4. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा जवाब पेश किया गया। जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए बहस के दौरान बताया कि अप्रार्थी मसाला पीसने की मशीन भी रखता है तथा साबुत मसाले

7. मैसर्सः INDO NISSIN FOODS PVT. LIMITED, REGISTERED OFFICE 3RD FLOOR CENETARY BUILDING, 28 M.G. ROAD BANGALORE. 560001 KARNATAKA

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि उक्त चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एम–841 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस 498/एक्ट/2017/428 दिनांक 17.06.2015 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य मिथ्याछाप होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एम–841 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाईल करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी।

4. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। वकील अप्रार्थी ने अप्रार्थीगण 2 से 5 व अप्रार्थी संख्या 01 का जवाब प्रस्तुत किया। वकील अप्रार्थीगण द्वारा बहस के दौरान जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि A) The complint against the answering respondents is devoid of any merit and does not make out a prima facia against the answering respondents and there is no sufficient ground for proceedings against the answering respondents tha proceedings befor theis Hon'ble authority / court sia liable to be dismissed. Further continuation of the adjunction proceedings is not only an abuse of the process of law but also against the principal of natural justice. B) The Hon'ble Authority/ Court may decide the preliminary objection on maintainablility of the complaint before adjudicating on the merits of the allegations made by the Designated Officer. C) Under the facts and circumstances stated herein above tha Answering Respondents most respectfully pray that this Hon'ble Authority may be pleased to lpass an order to dismiss the complaint. D) And/or pass such other orders as may be deemed fit and proper.
5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट क्रमांक 428 दिनांक 17.06.2015 का अवलोकन किया तथा मनन के पश्चात् पाया कि अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थी यदि रिपोर्ट दिनांक 17.06.2015 से सन्तुष्ट न था तो उनके पास रेफरल लेब जाने का अवसर था, परन्तु उन्होने निर्धारित समय में अपील पेश न की । ऐसी स्थिति में अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थीगण पर शास्ती रूपये ..... अक्षरे रूपये ..... की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि **न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर (ADJUDICATING OFFICER AND ADM CITY, JODHPUR)** के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक ..... के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।
6. निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

क्रमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2018/ **दिनांक :–**

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर।
2. श्री संदीप अग्रवाल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर।
3. श्री अभिषेक बूब पुत्र स्व. श्री कन्हैयालाल बूब,
   मैसर्सः के बी एन्टरप्राइजेज, राम नारायण जी की पोल, जालोरी गेट के अन्दर, जोधपुर।
4. श्रमती मेघा सपरा,
   मैसर्सः सपरा मार्केटिंग कम्पनी, जी 635 ऐ रोड संख्या 06, वी के आई ए जयपुर।
5. श्री योगेश वोरा पुत्र श्री ललित कुमार वोरा
   मैसर्सः INDO NISSIN FOODS PVT. LIMITED, NEAR SHRI SHYAM DHARM KANTA, CIVIL HOSPITAL ROAD, NH 8, BAWLA, DIST REWARI, PIN 123501, HARYANA.
6. मैसर्सः INDO NISSIN FOODS PVT. LIMITED, NEAR SHRI SHYAM DHARM KANTA, CIVIL HOSPITAL ROAD, NH 8, BAWLA, DIST REWARI, PIN 123501, HARYANA.

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 24 / 2016

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जोधपुर।		1. श्री अभिषेक बूब पुत्र स्व. श्री कन्हैयालाल बूब, मैसर्सः के बी एन्टरप्राइजेज, राम नारायण जी की पोल, जालोरी गेट के अन्दर, जोधपुर। 2. श्रमती मेघा सपरा, मैसर्सः सपरा मार्केटिंग कम्पनी, जी 635 ऐ रोड संख्या 06, वी के आई ए जयपुर। 3- श्री योगेश वोरा पुत्र श्री ललित कुमार वोरा मैसर्सः INDO NISSIN FOODS PVT. LIMITED, NEAR SHRI SHYAM DHARM KANTA, CIVIL HOSPITAL ROAD, NH 8, BAWLA, DIST REWARI, PIN 123501, HARYANA. 4- मैसर्सः INDO NISSIN FOODS PVT. LIMITED, NEAR SHRI SHYAM DHARM KANTA, CIVIL HOSPITAL ROAD, NH 8, BAWLA, DIST REWARI, PIN 123501, HARYANA. 5- मैसर्सः INDO NISSIN FOODS PVT. LIMITED, REGISTERED OFFICE 3RD FLOOR CENETARY BUILDING, 28 M.G. ROAD BANGALORE. 560001 KARNATAKA

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 08.06.2015 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी मैसर्सः के बी एन्टरप्राइजेज, राम नारायण जी की पोल, जालोरी गेट के अन्दर, जोधपुर **पहुंचा**, यहां इंसटेंट नूडल्स यम्मी मसाला (निशिन टॉप रेमन्स) विद टेस्ट मिक्स प्रोप्रायटरी खाद्य 280 ग्राम पॉली पैक के 200 पैक कार्टून में आम जनता हेतु वास्ते विक्रय रखा हुआ था। वास्ते जांच मिलावट / अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 300 / – देकर इंसटेंट नूडल्स यम्मी मसाला (निशिन टॉप रेमन्स) विद टेस्ट मिक्स प्रोप्रायटरी खाद्य 280 ग्राम पॉली पैक के 8 पॉली पैक खरीदे तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. विक्रेता व गवाह के सामने खरीदसुदा इंसटेंट नूडल्स यम्मी मसाला (निशिन टॉप रेमन्स) विद टेस्ट मिक्स प्रोप्रायटरी खाद्य 280 ग्राम पॉली पैक को दो–दो भागों कर 4 पैकेट तैयार किये व पर लगाने के लिए लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड़ व सीरियल नम्बर एम–841, खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमूना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एम–841 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमूना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एम–841 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाफा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी

रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एडी – 570 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाईल करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।

4. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। बावजूद तामिल जवाब पेश नहीं। बहस का मौका दिया गया। बहस हेतु भी अनुपस्थित। एक पक्षीय आदेश करना उचित प्रतीत होता है।
5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट कमांक 381 दिनांक 02.05.2017 का अवलोकन किया तथा मनन के पश्चात् पाया कि अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थी यदि रिपोर्ट दिनांक 02.05.2017 से सन्तुष्ट न था तो उनके पास रेफरल लेब जाने का अवसर था, परन्तु उन्होने निर्धारित समय में अपील पेश न की । ऐसी स्थिति में अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थीगण पर शास्ती रूपये ..... अक्षरे रूपये ..... की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि **न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर (ADJUDICATING OFFICER AND ADM CITY, JODHPUR)** के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक ..... के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।
6. निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

कमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2018/ **दिनांक :–**

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. राजेश टिंकर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं जोन जोधपुर।
2. श्री विकास लोहिया पुत्र श्री पूनमचंद लोहिया, मैसर्स विमान हॉस्पीटलीटी एण्ड एन्टरटेन्मेंट प्रा लि, प्लॉट सं 17 व 18 कल्पतरू शॉपिंग सेंटर स्कीम, सेक्टर ई, शास्त्री नगर, जोधपुर।
3. श्री निखिल अग्रवाल पुत्र श्री कमल अग्रवाल, मैसर्स विमान हॉस्पीटलीटी एण्ड एन्टरटेन्मेंट प्रा लि, प्लॉट सं 17 व 18 कल्पतरू शॉपिंग सेंटर स्कीम, सेक्टर ई, शास्त्री नगर, जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 20/2018

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जोधपुर।		1. श्री विकास लोहिया पुत्र श्री पूनमचंद लोहिया, मैसर्स विमान हॉस्पीटलीटी एण्ड एन्टरटेन्मेंट प्रा लि, प्लॉट सं 17 व 18 कल्पतरू शॉपिंग सेंटर स्कीम, सेक्टर ई, शास्त्री नगर, जोधपुर। 2. श्री निखिल अग्रवाल पुत्र श्री कमल अग्रवाल, मैसर्स विमान हॉस्पीटलीटी एण्ड एन्टरटेन्मेंट प्रा लि, प्लॉट सं 17 व 18 कल्पतरू शॉपिंग सेंटर स्कीम, सेक्टर ई, शास्त्री नगर, जोधपुर।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 24.04.2017 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी मैसर्स मैसर्स विमान हॉस्पीटलीटी एण्ड एन्टरटेन्मेंट प्रा लि, प्लॉट सं 17 व 18 कल्पतरू शॉपिंग सेंटर स्कीम, सेक्टर ई, शास्त्री नगर, **जोधपुर पहुंचा** यहां खाद्य पदार्थ दही एक स्टील की टंकी मे लगभग 8 किलोग्राम, रखा हुआ था जिससे रायता आदि बनाकर आम जनता को विक्रय हेतु रखा हुआ था। दही के वास्ते जांच मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 60/– देकर 01 किलोग्राम दही खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. विक्रेता व गवाह के सामने खरीदसुदा नमूना दही को हिलामिला कर एक रूप कर साफ–सुखी खाली चौडे मुंहवाली चार शीशीयों में बराबर–बराबर (250 ग्राम प्रति) भरकर प्रत्येक नमूना शीशी में 20 बूंदें फॉर्मेलिन बतौर प्रीजरवेटिव डालकर एयरटाईट बंद कर चारों शीशीयों पर लगाने के लिए अलग–अलग चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ. कोड़ व सीरियल नम्बर एडी – 570 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमूना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एडी – 570 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमूना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एडी – 570 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाफा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि उक्त चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एडी – 570 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस 380/एक्ट/2016/381 दिनांक 02.05.2017 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ का सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

क्रमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2018/ **दिनांक :–**

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01. श्री रेवंत सिंह संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर।
02. श्री विक्रम खत्री पुत्र श्री दीनदयाल खत्री, मैसर्स खत्री गृहस्थी डिपार्टमेंटल स्टोर, राम मोहल्ला कागा की डण्डी, नागौरी गेट के बाहर, जोधपुर।
03. श्री मोहिन्द्र कुमार जोशी पुत्र श्री झावरमल जोशी, फर्म मैसर्सः गोदावरी एंटरप्राइजेज, 214 ए लक्ष्मी नगर, पावटा सी रोड जोधपुर।
04. सुश्री प्रियंका रामचन्द्रन, फर्म मैसर्सः हेन्ज इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, डी शिवसागर, 7 फ्लोर, डॉ एनी बिसेंट रोड, वर्ली मुम्बई।
05. फर्म मैसर्सः हेन्ज इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, डी शिवसागर, 7 फ्लोर, डॉ एनी बिसेंट रोड, वर्ली मुम्बई।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एम–776 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाईल करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।

4. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। अप्रार्थी संख्या 3 व 4 के वकील उपस्थित। वकील अप्रार्थी ने लिखित बहस में जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने ग्लूकोज बेस्ड बेवरेज कन्सन्ट्रेट प्रोप्रायटरी फूड (ग्लूकोन डी) का नमूना जाय हेतु लिया गया उसके एफ एस एस एक्ट में कोई स्पेसिफिक मानक नहीं दिये गये है इसलिए उक्त उत्पाद अमानक स्तर का नहीं है तथा न ही इस श्रेणी में आता है। तथा एफ एस एस एक्ट की धारा 26 की उप धारा (2)(11) का उल्लंघन नहीं किया है तथा धारा 51 के अंतर्गत जुर्माने के योग्य नहीं है अमानक को एफएसएस एक्ट में निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है:

3(zx) sub standard an articvle of food shall be deemed to be sub standard if it does not meet the specified standard but not so as to the article of food unsafe. इस प्रकार उक्त प्रोडक्ट के स्पेसीफाईड स्टेण्डर्ड दिये हुए नहीं होने से अमानक नहीं माना जा सकता। खाद्य विश्लेषक द्वारा सेम्पल दिनांक 18.05.2018 को प्राप्त करने के बाद जांच 14 दिन के भीतर नहीं कर के खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के नियम 02.4.2 (5) का उल्लंघन किया है इसलिए जांच नियम विरूद्ध होने से परिवाद खारिज योग्य है।

खाद्य विश्लेषक द्वारा ग्लूकॉन डी की जांच की गई थी वह विश्वसनीय नहीं थी उक्त जांच रिपोर्ट के संबंध में मैसर्स हैन्ज इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा आपत्ती की गई थी तथा उक्त रिपोर्ट में ग्लूकौन डी के सेम्पल का टेस्ट मोनो हाइड्रेट या ड्राई का किया गया इसका रिपोर्ट में उल्लेख नहीं किया गया है तथा कोई भी ग्लूकोन डी के पैकेट पर ग्लूकोन लिखा होता है तो इस इसका मतलब जांच मोनो हाइड्रेट ही है और यदि ग्लूकोज के साथ ड्राइ लिखा होता है तो इसका मतलब ग्लूकोन ड्राइ का उल्लेख है उक्त जांच रिपोर्ट में किसी भी प्रकार का उल्लेख नहीं होने से जांच रिपोर्ट गलत अस्पष्ट व अविश्वसनीय है इस लिए परिवाद खारिज हो गया है।

उक्त जांच रिपोर्ट के गलत अविश्वसनीय होने के संबंध में हैन्ज इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा दिनांक 27.08.2015 को आपत्ति की गई तथा हैन्ज इण्डिया प्रा लि के द्वारा इसी बैच के ग्लूकोज डी की Doctor s Analytical Laboratories Pvt. NABL प्रमाणित है से जांच करवाई गई है जिसमें सेंपल सही पाया गया है तथा तथा उक्त ग्लूकोन डी में अमानक स्तर नहीं था तथा दिनांक 16.06.2015 की जांच रिपोर्ट पर आपत्ति के बावजूद खाद्य सुरक्षा अधिकारी व अभिहित अधिकारी ने ना तो विश्लेषण, ना ही निस्तारण किया न ही उन पर गौर किया इस प्रकार ग्लूकोन डी का उत्पादन अमानक स्तर का नहीं होने से परिवाद खारिज योग्य है।

5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट का अवलोकन किया तथा अप्रार्थीगण संख्या 01 व 02 का जवाब तथा अप्रार्थीगण संख्या 03 व 04 का जवाब व अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत लिखित बहस के अवलोकन व मननश के पश्चात पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट से सहमत हूं। ग्लूकोज के डिक्लेयरर्ड ऑन लेबल 40 प्रतिशत के विपरीत जांच में परिणाम 26.74 प्रतिशत पाया गया यदि अप्रार्थीगण इससे सहमत नहीं होते तो उनके पास रेफरल लेब में जाने का पूर्ण अधिकार था लेकिन वे नहीं गये। जिससे यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी गण रिपोर्ट से सहमत थे। अतः अप्रार्थीगण खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थी यदि रिपोर्ट दिनांक 16.06.2015 से सन्तुष्ट न था तो उनके पास रेफरल लेब जाने का अवसन था, परन्तु उन्होने निर्धारित समय में अपील पेश न की । ऐसी स्थिति में अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। **अप्रार्थी संख्या 1** पर शास्ती रूपये ..... अक्षरे रूपये .....की आरोपित की जाती हैं एवं **अप्रार्थी संख्या 2** पर शास्ती रूपये ..... अक्षरे रूपये ..... की आरोपित की जाती हैं एवं **अप्रार्थी संख्या 3 व 4** पर शास्ती रूपये ..... अक्षरे रूपये ..... की आरोपित की जाती है अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि **न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर (ADJUDICATING OFFICER AND ADM CITY, JODHPUR)** के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक ..... के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।

6. निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा कविया)

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 13/2016

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जोधपुर।		1. श्री विक्रम खत्री पुत्र श्री दीनदयाल खत्री, मैसर्स खत्री गृहस्थी डिपार्टमेंटल स्टोर, राम मोहल्ला कागा की डण्डी, नागौरी गेट के बाहर, जोधपुर। 2. श्री मोहिन्द्र कुमार जोशी पुत्र श्री झावरमल जोशी फर्म मैसर्सः गोदावरी एंटरप्राइजेज, 214 ए लक्ष्मी नगर, पावटा सी रोड जोधपुर। 3. सुश्री प्रियंका रामचन्द्रन फर्म मैसर्सः हेन्ज इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, डी शिवसागर, 7 फ्लोर, डॉ एनी बिसेंट रोड, वर्ली मुम्बई। 4. फर्म मैसर्सः हेन्ज इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, डी शिवसागर, 7 फ्लोर, डॉ एनी बिसेंट रोड, वर्ली मुम्बई।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 16.05.2015 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी मैसर्स खत्री गृहस्थी डिपार्टमेंटल स्टोर, राम मोहल्ला कागा की डण्डी, नागौरी गेट के बाहर, जोधपुर पहुंचा। दुकान का निरीक्षण करने पर वहां ग्लूकोज बेस्ड बेवरेज कन्सन्ट्रेट प्रोप्रायटरी फूड (ग्लूकोन डी) 500 ग्राम के 20 पैकेट आम जनता हेतु वास्ते विक्रय थे। वास्ते जांच मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 440/– देकर ग्लूकोज बेस्ड बेवरेज कन्सन्ट्रेट प्रोप्रायटरी फूड (ग्लूकोन डी) 500 ग्राम के 4 पैक्स एक ही बैच व निर्माण तिथी के खरीदे तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. विक्रेता व गवाह के सामने खरीदशुदा ग्लूकोज बेस्ड बेवरेज कन्सन्ट्रेट प्रोप्रायटरी फूड (ग्लूकोन डी) 500 ग्राम के चारों मूल पैकेट्स पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड व सीरियल नम्बर एम–776 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमूना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एम–776 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमूना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एम–776 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाफा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि उक्त चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एम–776 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस 379/एक्ट/2016/413 दिनांक 16.06.2015 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ अमानक स्तर/~~मिथ्याछम~~ का होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।)

रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एडी– 643 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाईल करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी।

4. अप्रार्थी से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। बावजूद तामिल अप्रार्थी अनुपस्थित। जवाब बंद किया गया।
5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट क्रमांक 1014 दिनांक 11.07.2017 का अवलोकन किया। एफएसओ रिपोर्ट से मैं सहमत हूं। मनन के पश्चात् पाया कि अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थी यदि रिपोर्ट दिनांक 11.07.2017 से सन्तुष्ट न था तो उनके पास रेफरल लेब जाने का अवसर था, परन्तु उन्होने निर्धारित समय में अपील पेश न की । ऐसी स्थिति में अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थी पर शास्ती रूपये ..... अक्षरे रूपये ..... की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थी उपरोक्त शास्ती राशि का **न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर (ADJUDICATING OFFICER AND ADM CITY, JODHPUR)** के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक ..... के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।
6. निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

क्रमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2018/ **दिनांक :–**

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01. अभिहित अधिकारी एवं संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं जोन जोधपुर।
02. श्री राजेश टिंकर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं जोन जोधपुर।
03. श्री बजरंग सिंह राजपुरोहित पुत्र श्री रूप सिंह राजपुरोहित, फर्म :– मै. बालाजी मावा भण्डार, मनोहर जी हॉस्पीटल के सामने, मोजरी मार्केट, सिवांची गेट, जोधपुर।
04. श्री राजकुमार उपाध्याय पुत्र श्री सीताराम, फर्म :– मै. बालाजी मावा भण्डार, मनोहर जी हॉस्पीटल के सामने, मोजरी मार्केट, सिवांची गेट, जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 19 / 2018

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जोधपुर।		1. श्री बजरंग सिंह राजपुरोहित पुत्र श्री रूप सिंह राजपुरोहित, फर्म :– मै. बालाजी मावा भण्डार, मनोहर जी हॉस्पीटल के सामने, मोजरी मार्केट, सिवांची गेट, जोधपुर। 2. श्री राजकुमार उपाध्याय पुत्र श्री सीताराम फर्म :– मै. बालाजी मावा भण्डार, मनोहर जी हॉस्पीटल के सामने, मोजरी मार्केट, सिवांची गेट, जोधपुर।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 12.10.2017 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी मै. बालाजी मावा भण्डार, मनोहर जी हॉस्पीटल के सामने, मोजरी मार्केट, सिवांची गेट, जोधपुर पहुँचा वहां एक ढक्कनदार पीपे में लगभग 15 किलोग्राम खाद्य पदार्थ मावा (चीनी मिला हुआ) आम जनता हेतु वास्ते विक्रय रखा हुआ था। उक्त उपलब्ध मावा (चीनी मिला हुआ) में से नियमानुसार 2 किलोग्राम वास्ते जांच मिलावट / अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 340 / – देकर खरीदे तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. विक्रेता व गवाह के सामने खरीदशुदा मावा (चीनी मिला हुआ) एक किलोग्राम को एक साफ सूखी स्टील की ट्रे में अच्छी तरह से हिला मिला कर एक रूप कर चार साफ सूखी खाली प्लास्टिक की शीशियों में बराबर मात्रा (500ग्राम प्रति) में डालकर प्रत्येक बोतल में फार्मेलिन की 40 बूंदें बतौर परिरक्षक की डाल कर प्रत्येक बोतल को एयर टाइट बन्द कर इन पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड व सीरियल नम्बर एडी– 643 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमूना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एडी– 643 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमूना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एडी– 643 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाफा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि उक्त चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एडी– 643 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस 1013 / एक्ट / 2017 / 1014 दिनांक 11.07.2017 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ अमानक स्तर का होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा

बाबुलाल बोराणा का निकट संबंध नहीं है, उक्त प्रतिष्ठान पर बाबूलाल बोराणा के पुत्र एंव पुत्रवधु बैठते हैं, जो मात्र दूध दही व घी बेचते हैं। अतः निवेदन है कि अप्रार्थी के विरूद्ध कार्यवाही ड्रॉप फरमावें।

5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट क्रमांक 810 दिनांक 19.09.2017 का अवलोकन किया तथा अप्रार्थीगण के अधिवक्ता को सुना गया एफएसओ को सुना गया तथा मनन के पश्चात् पाया कि अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थी यदि रिपोर्ट दिनांक 19.09.2017 से सन्तुष्ट न था तो उनके पास रेफरल लेब जाने का अवसर था, परन्तु उन्होने निर्धारित समय में अपील पेश न की । ऐसी स्थिति में अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थीगण पर शास्ती **रूपये 3000/** अक्षरे **रूपये तीन हजार मात्र** की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि **न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर (ADJUDICATING OFFICER AND ADM CITY, JODHPUR)** के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक 29.01.2019 के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।
6. निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 29.01.2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(जवाहर चौधरी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

क्रमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2018/ **दिनांक :–**

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. श्री रजनीश शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं सवास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।
2. श्री बाबूलाल बोराणा पुत्र श्री धनजी बोराणा, मैसर्स संतोष दूध दही भण्डार, प्रथम बी रोड, सरदारपुरा, जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी जवाहर चौधरी, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 08/2018

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जोधपुर।		1. श्री बाबूलाल बोराणा पुत्र श्री धनजी बोराणा, मैसर्स संतोष दूध दही भण्डार, प्रथम बी रोड, सरदारपुरा, जोधपुर।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 11.09.2017 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी मैसर्स संतोष दूध दही भण्डार, प्रथम बी रोड, सरदारपुरा, जोधपुर **पहुंचा**, यहां फ्रीजर में एक स्टील की थाली में लगभग 4 किलो पनीर आम जनता हेतु वास्ते विक्रय रखा हुआ था। वास्ते जांच मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 300/– देकर पनीर खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. विक्रेता व गवाह के सामने खरीदसुदा पनीर को एक स्टील की थाली में तुलवाकर साफ चाकू से कश कर हिलामिला कर साफ सूखी बोतलों में (250 ग्राम प्रत्येक के हिसाब से) डाला व प्रत्येक बोतल में 40 प्रतिशत फॉर्मेलिन की 20–20 बूंदें डलाकर प्रत्येक बोतल को ढक्कन लगाकर एयर टाईट बंद किया। इन सेम्पल की बोतलों पर लगाने के लिए लेबल तैयार किये जिस पर जिस पर डी.ओ.कोड़ व सीरियल नम्बर एम–1607, खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमूना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एम–1607 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमूना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एम–1607 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाफा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि उक्त चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एम–1607 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस 811/एक्ट/2016/810 दिनांक 19.09.2017 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एम–1607 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाईल करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।
4. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। वकील अप्रार्थीगण ने जवाब प्रस्तुत किया। वकील अप्रार्थी उपस्थित। वकील अप्रार्थी ने बहस में जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जोधपुर से लगभग 40 किमी दूर बाडा बनाकर ग्राम गुडा के पास दूध का व्यवसाय करता है, बरामद पनीर एवं मैसर्स संतोष दूध दही भण्डार से

साथ उसका ब्राण्ड बिल पर लिखा होना जरूरी है। इसके बारे में मुझे ज्ञान नहीं था। मैं आगे से कोई भी माल बिना ब्राण्ड नाम के नहीं खरीद करूंगा। मुझे मेरी अज्ञानता के लिए क्षमा करने का कष्ट करें एवं कम से कम अर्थ दण्ड से दण्डित करने का कष्ट करें।

5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट क्रमांक 489 दिनांक 26.05.2017 का अवलोकन किया । मनन के पश्चात पाया कि अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51, 52, 55 का दोषी हैं। अप्रार्थी यदि रिपोर्ट दिनांक 26.05.2017 से सन्तुष्ट न था तो उनके पास रेफरल लेब जाने का अवसर था, परन्तु उन्होने निर्धारित समय में अपील पेश न की । ऐसी स्थिति में अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51, 52, 55 का दोषी हैं। अप्रार्थी पर शास्ती रूपये ..... अक्षरे रूपये ..... की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक ..... के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।
6. निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

क्रमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2017/ **दिनांक :–**

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01. श्री रजनीश शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं सवास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।
02. **श्री श्रवण कुमार चौधरी (पटेल) पुत्र श्री मंगलाराम चौधरी,** मैसर्स गंगा प्रोविजन एण्ड जनरल स्टोर, देव नारायण जी के मंदिर के पास, प्लॉट संख्या 13, के के कॉलोनी, बासनी प्रथम फेज, जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 37 / 2018

प्रार्थी	**बनाम**	**अप्रार्थी**
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जोधपुर।		1. **श्री श्रवण कुमार चौधरी (पटेल) पुत्र श्री मंगलाराम चौधरी,** मैसर्स गंगा प्रोविजन एण्ड जनरल स्टोर, देव नारायण जी के मंदिर के पास,प्लॉट संख्या13, के के कॉलोनी, बासनी प्रथम फेज, जोधपुर।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 16.05.2017 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी मै. गंगा प्रोविजन एण्ड जनरल स्टोर, देव नारायण जी के मंदिर के पास,प्लॉट संख्या13, के के कॉलोनी, बासनी प्रथम फेज जोधपुर पहुँचा वहां वनस्पती (श्रीधन लाईट फेट ब्राण्ड) एक लीटर के 12 पैकेट्स आम जनता हेतु वास्ते विक्रय हेतु रखे हुए थे। उक्त उपलब्ध वनस्पती (श्रीधन लाईट फेट ब्राण्ड) के वास्ते जांच मिलावट / अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 800 / – नगद देकर 1 लीटर के 4 पैकेट खरीदे तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. विक्रेता व गवाह के सामने खरीदशुदा वनस्पती (श्रीधन लाईट फेट ब्राण्ड) मूल पर ही विक्रेता व गवाह के सामने इन पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड व सीरियल नम्बर एम–1516 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एम–1516 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एम–1516 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाबा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एम–1516 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस 488 / एक्ट / 2016 / 489 दिनांक 26.05.2017 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ मिथ्याछाप व अमानक स्तर का होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एम–1516 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाई करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।
4. अप्रार्थी स्वयं उपस्थित। अप्रार्थी ने लिखित जवाब में निवेदन किया कि मेरी दुकान से वनस्पति श्रीधन लाईट का नमूना लिया गया था। उस समय बिल पर वनस्पति लिखा हुआ था। श्री धन लाईट फेट नहीं लिखा हुआ था। इसलिए खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बिल शामिल नहीं किया। मुझे यह जानकारी नहीं थी कि खाद्य पदार्थ के नाम के

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाई करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।

4. वकील अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने लिखित बहस पेश की। लिखित बहस में निवेदन किया कि ,खाद्य सुरक्षा अधिकारी संदीप अग्रवाल द्वारा जो कार्यवाही व परिवाद पेश किया है उस अधिकारी का क्षेत्राधिकार जिला जयपुर द्वितीय है जो आदेश निदेशालय के नोटिफिकेशन क्रमांक एच/पीएफए नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 26.07.2017 है। उनके द्वारा कार्यवाही विधि विरूद्ध की गई है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा पेश परिवाद में स्पष्ट आया हुआ है कि वनस्पति शक्ति गोल्ड घी का विनिर्माता अप्रार्थी संख्या 3 है जिसके द्वारा गारंटीसुदा बिल द्वारा अप्रार्थी संख्या एक व दो अधिनियम की धारा 26 (2) व 27 (3) के तहत वनस्पति शक्ति गोल्ड घी अवमानक स्तर व मिथ्याछाप के संबंध में उत्तरदायी नहीं है। अतः लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 (भरत कुमार व नगराज जैन)के विरूद्ध पेश परिवाद को सव्यय खारिज फरमाया जाकर बरी किया जावे।

अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि सरकार के बिल द्वारा मात्र बिल संख्या 168 दिनांक08.03.2017 के द्वारा बेचान किये गये माल के अनुसार प्रकरण में पक्षकार संयोजित किया जाता है जबकि उक्त बिल के द्वारा जो भी माल अप्रार्थी संख्या 3 के द्वारा बेचान किया गया था वह सही व उच्च गुणवत्ता वाला था। प्रार्थी सरकार की ओर से वनस्पति शक्ति गोल्ड घी के 4 नग एक लीटर के सांखला एन्टरप्राइजेज मण्डोर मण्डी जोधपुर से क्रय किये गये थे, उक्त माल अप्रार्थी संख्या 3 की फर्म के द्वारा निर्मित एवं उत्पादित नहीं है। अप्रार्थी संख्या 3 के द्वारा उक्त बिल के माध्यम से और भी माल बेचा गया था जिसक बारे में काई शिकायत नहीं रही है, उपरोक्त के अलावा बाजार में व्यापारियों तथा ग्राहकों से अप्रार्थी संख्या 3 के उत्पाद बाबत कोई शिकायत नही रही । जो माल के नमूने अप्रार्थी संख्या एक व दो की दुकान सक क्रय करके सरकार द्वारा जांच हेतु भेजे गए थे, उक्त उत्पाद किसी अन्य फर्म से क्रय किया हुआ है, न कि अप्रार्थी संख्या 3 की फर्म से खरीद किया है। अतः अप्रार्थी संख्या 3 के विरूद्ध इस प्रकरण में जो कार्यवाही की गई है उसे खारिज /निरस्त फरमाया जावे।

5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट क्रमांक 284 दिनांक 06.04.2017 का अवलोकन किया । मनन के पश्चात पाया कि अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51,52 के दोषी हैं। अप्रार्थी यदि रिपोर्ट दिनांक 06.04.2017 से सन्तुष्ट न था तो उनके पास रेफरल लेब जाने का अवसर था, परन्तु उन्होने निर्धारित समय में अपील पेश न की । ऐसी स्थिति में अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51,52 के दोषी हैं। अप्रार्थी संख्या 01 पर शास्ती रूपये ..... अक्षरे रूपये ..... की आरोपित की जाती हैं व अप्रार्थी संख्या 02 पर शास्ती रूपये ..... अक्षरे रूपये ..... की आरोपित की जाती हैं व अप्रार्थी संख्या 03 पर शास्ती रूपये ..... अक्षरे रूपये ..... की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक ..... के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।

6. निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

क्रमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2017/ **दिनांक :–**

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01. श्री संदीप अग्रवाल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं सवास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।
02. श्री भरत कुमार पुत्र श्री नगराज जैन, फर्म :– मै. सांखला एन्टरप्राइजेज, 17 मेजर शैतान सिंह ब्लॉक, कृषि मण्डी, मण्डोर, जोधपुर।
03. श्री नगराज जैन पुत्र श्री छगनमल जैन, फर्म :– मै. सांखला एन्टरप्राइजेज, 17 मेजर शैतान सिंह, ब्लॉक, कृषि मण्डी, मण्डोर, जोधपुर।
04. श्री गोपाल सिंह पुत्र श्री प्रेम सिंह, फर्म मैसर्स डायमण्ड ट्रेडिंग कम्पनी, विलेज पोस्ट तम्बाडिया कला तहसील भोपलगढ, जिला जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 119/2017

प्रार्थी	**बनाम**	**अप्रार्थी**
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जोधपुर।		1. श्री भरत कुमार पुत्र श्री नगराज जैन, फर्म :– मै. सांखला एन्टरप्राइजेज, 17 मेजर शैतान सिंह ब्लॉक, कृषि मण्डी, मण्डोर, जोधपुर। 2. श्री नगराज जैन पुत्र श्री छगनमल जैन, फर्म :– मै. सांखला एन्टरप्राइजेज, 17 मेजर शैतान सिंह, ब्लॉक, कृषि मण्डी, मण्डोर, जोधपुर। 3. श्री गोपाल सिंह पुत्र श्री प्रेम सिंह फर्म मैसर्स डायमण्ड ट्रेडिंग कम्पनी, विलेज पोस्ट तम्बाडिया कला तहसील भोपलगढ, जिला जोधपुर।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 15.03.2017 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी मै. सांखला एन्टरप्राइजेज, 17 मेजर शैतान सिंह ब्लॉक, कृषि मण्डी, मण्डोर जोधपुर पहुँचा वहां वनस्पती (शक्ति गोल्ड) प्रत्येक वजनी एक लीटर का एक कार्टून आम जनता हेतु वास्ते विक्रय हेतु रखा हुआ था। उक्त उपलब्ध वनस्पती (शक्ति गोल्ड) के वास्ते जांच मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 480/– नगद देकर 1 लीटर के 4 पैकेट खरीदे तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. विक्रेता व गवाह के सामने खरीदशुदा वनस्पती (शक्ति गोल्ड) मूल पर ही विक्रेता व गवाह के सामने इन पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड व सीरियल नम्बर एम–1454 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एम–1454 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एम–1454 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाबा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एम–1454 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस 279/एक्ट/2016/284 दिनांक 06.04.2017 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ मिथ्या छाप व अमानक स्तर का होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एम–1454 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच

रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एम–1440 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाई करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।

4. वकील अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने लिखित बहस पेश की। निवेदन किया कि वनस्पति घी के विनिर्माता अथवा पैकर्स नहीं है तथा स्वयं के उपयोग हेतु खरीद किया गया है अतः कार्यवाही ड्रॉप फरमायी जावे। अप्रार्थी संख्या 03 की ओर से जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि मात्र बिल संख्या 168 दिनांक08.03.2017 के द्वारा बेचान किये गये माल के अनुसार प्रकरण में पक्षकार संयोजित किया है जबकि उक्त बिल के द्वारा जो भी माल अप्रार्थी के द्वारा बेचान किया गया था वह सही एवं उच्च गुणवत्ता वाला था। प्रार्थी सरकार की ओर से वानस्पती के 4 नग 1/2 लीटर के सांखला एन्टरप्राइजेज मण्डोर मण्डी जोधपुर से क्रय किये थे उक्त माल अप्रार्थी संख्या 3 की फर्म के द्वारा निर्मित एवं उत्पादित नहीं है। अप्रार्थी संख्या 3 के द्वारा उक्त बिल के माध्यम से और भी माल बेचा गया था जिसके बारे में कोई शिकायत नहीं रही । जो माल के नमूने अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की दुकान से क्रय करके सरकार द्वारा जांच हेतु भेजे गए थे उक्त उत्पाद किसी अन्य फर्म से क्रय किया हुआ है न कि अप्रार्थी संख्या 3 की फर्म से खरीद किया है। अतः अप्रार्थी संख्या 3 के विरूद्ध जो कार्यवाही की गई है उसे निरस्त फरमाया जावे।

5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट क्रमांक 283 दिनांक 06.04.2017 का अवलोकन किया । मनन के पश्चात पाया कि अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थी यदि रिपोर्ट दिनांक 06.04.2017 से सन्तुष्ट न था तो उनके पास रेफरल लेब जाने का अवसर था, परन्तु उन्होने निर्धारित समय में अपील पेश न की । ऐसी स्थिति में अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थी संख्या 01 पर शास्ती रूपये ..... अक्षरे रूपये ..... की आरोपित की जाती हैं व अप्रार्थी संख्या 02 पर शास्ती रूपये ..... अक्षरे रूपये ..... की आरोपित की जाती हैं व अप्रार्थी संख्या 03 पर शास्ती रूपये ..... अक्षरे रूपये ..... की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक ..... के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।

6. निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

क्रमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2017/ **दिनांक :–**

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01. श्री रजनीश शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं सवास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।
02. श्री भरत कुमार पुत्र श्री नगराज जैन, फर्म :– मै. सांखला एन्टरप्राइजेज, 17 मेजर शैतान सिंह ब्लॉक, कृषि मण्डी, मण्डोर, जोधपुर।
03. श्री नगराज जैन पुत्र श्री छगनमल जैन, फर्म :– मै. सांखला एन्टरप्राइजेज, 17 मेजर शैतान सिंह, ब्लॉक, कृषि मण्डी, मण्डोर, जोधपुर।
04. श्री गोपाल सिंह पुत्र श्री प्रेम सिंह, फर्म मैसर्स डायमण्ड ट्रेडिंग कम्पनी, विलेज पोस्ट तम्बाडिया कला तहसील भोपलगढ, जिला जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 114 / 2017

प्रार्थी	**बनाम**	**अप्रार्थी**
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जोधपुर।		1. श्री भरत कुमार पुत्र श्री नगराज जैन, फर्म :– मै. सांखला एन्टरप्राइजेज, 17 मेजर शैतान सिंह ब्लॉक, कृषि मण्डी, मण्डोर, जोधपुर। 2. श्री नगराज जैन पुत्र श्री छगनमल जैन, फर्म :– मै. सांखला एन्टरप्राइजेज, 17 मेजर शैतान सिंह, ब्लॉक, कृषि मण्डी, मण्डोर, जोधपुर। 3. श्री गोपाल सिंह पुत्र श्री प्रेम सिंह फर्म मैसर्स डायमण्ड ट्रेडिंग कम्पनी, विलेज पोस्ट तम्बाडिया कला तहसील भोपलगढ, जिला जोधपुर।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 15.03.2017 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी मै. सांखला एन्टरप्राइजेज, 17 मेजर शैतान सिंह ब्लॉक, कृषि मण्डी, मण्डोर जोधपुर पहुँचा वहां वनस्पती (म्हारी मूमल ब्राण्ड) 500 एम एल के 90 पैकेट्स 3 कार्टून में आम जनता हेतु वास्ते विक्रय हेतु रखे हुए थे। उक्त उपलब्ध वनस्पती (म्हारी मूमल ब्राण्ड) के वास्ते जांच मिलावट / अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 240 / – नगद देकर 500 एम एल के 4 पैकेट खरीदे तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. विक्रेता व गवाह के सामने खरीदशुदा वनस्पती (म्हारी मूमल ब्राण्ड) मूल पर ही विक्रेता व गवाह के सामने इन पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड व सीरियल नम्बर एम–1440 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एम–1440 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एम–1440 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाबा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एम–1440 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस 278 / एक्ट / 2016 / 283 दिनांक 06.04.2017 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ अमानक स्तर का होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

दिनांक 25.02.2016 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ ~~अमानक स्तर~~ / मिथ्याछाप का होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एम–1404 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाईल करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।

4. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। अप्रार्थी संख्या 04 उपस्थित। अप्रार्थी ने जवाब प्रस्तुत किया। जवाब में बताया कि जांच में लेबोरेटरी रिपोर्ट दिनांक 06.03.2017 के अनुसार सूजी मिल्क रस्क टोस्ट (रोजाना ब्राण्ड) को मिसब्राण्ड होना बताया जिसमें पेकेट पर मेनुफेक्चरिंग डेट व पैकिंग डेट अंकित नहीं होना एवं बेस्ट बिफोर स्माल लेटर्स में लिखा जाना व न्यूट्रिशन की जानकारी पैकेट पर अंकित नहीं होने के बारे में रिपोर्ट आने से मिस ब्राण्ड किया गया है लेकिन सूजी मिल्क रस्क टोस्ट (रोजाना ब्राण्ड) में किसी प्रकार की मिलावट इत्यादि नहीं है। मेंने यह पैकिट जयपुर की फर्म न्यू जनता बेकरी किशनपोल बजार जयपुर से खरीदा था लेकिन क्रय किये गये टोस्ट का बिल कहीं गुम हो जाने से वक्त निरीक्षण पेश नहीं कर सका। भविष्य में इसकी पुनरावृति नहीं होगी। मैं एक छोटा फेरी वाला व्यापारी हूं अतः रहम करते हुए मामले का निस्तारण करवाने का श्रम करावें।

5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट का अवलोकन किया तथा अप्रार्थीगणसंख्या 04 के अधिवक्ता को सुना गया तथा अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के जवाब पर मनन के पश्चात् पाया कि अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 52 का दोषी हैं। अप्रार्थी यदि रिपोर्ट दिनांक 25.02.2016 से सन्तुष्ट न था तो उनके पास रेफरल लेब जाने का अवसन था, परन्तु उन्होने निर्धारित समय में अपील पेश न की । ऐसी स्थिति में अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 52 का दोषी हैं। **अप्रार्थी संख्या 1** पर शास्ती रूपये ..... अक्षरे रूपये .... की आरोपित की जाती हैं एवं **अप्रार्थी संख्या 2** पर शास्ती रूपये ..... अक्षरे रूपये .... की आरोपित की जाती हैं एवं **अप्रार्थी संख्या 3** पर शास्ती रूपये ..... अक्षरे रूपये .... की आरोपित की जाती है अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि **न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर (ADJUDICATING OFFICER AND ADM CITY, JODHPUR)** के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक ..... के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।

6. निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

कमांकः– न्यायिक / कोर्ट / 2018 / **दिनांक :–**

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01. संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर / कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं जोन जोधपुर।
02. श्री चन्द्रप्रकाश खत्री पुत्र श्री गोकुलदास खत्री, मैसर्स रामनगर सुपर मार्केट (जोधपुर सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार लिमिटेड), पी एफ ऑफिस के पास, 338,39 झंवर रोड जोधपुर।
03. श्री मधुसूदन कुमार भार्मा पुत्र श्री नर्सिह दत्त भार्मा,(भण्डार महाप्रबंधक), फर्म मैसर्सः जोधपुर सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार लिमिटेड कमरा नं 203, राजीव गांधी सहकार भवन, रेलवे स्टेशन के सामने जोधपुर।
04. फर्म मैसर्सः जोधपुर सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार लिमिटेड कमरा नं 203, राजीव गांधी सहकार भवन, रेलवे स्टेशन के सामने जोधपुर।
05. श्री प्रकाश चंद गहलोत मालिक,मैसर्स कृष्णा ट्रेडिंग 6डी5, 5 वी पुलिया, चौपासनी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर।
06. श्रीमान अली, (मालिक), मैसर्सः न्यू जनता बेकरी, 318 नमक की मण्डी, किशनपोल बाजार जयपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 07 / 2018

प्रार्थी

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी,
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी

1. श्री चन्द्रप्रकाश खत्री पुत्र श्री गोकुलदास खत्री,
मैसर्स रामनगर सुपर मार्केट (जोधपुर सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार लिमिटेड), पी एफ ऑफिस के पास, 338,39 झंवर रोड जोधपुर।
2. श्री मधुसूदन कुमार भार्मा पुत्र श्री नर्सिह दत्त भार्मा,(भण्डार महाप्रबंधक), फर्म मैसर्सः जोधपुर सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार लिमिटेड कमरा नं 203, राजीव गांधी सहकार भवन, रेलवे स्टेशन के सामने जोधपुर।
3. फर्म मैसर्सः जोधपुर सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार लिमिटेड कमरा नं 203, राजीव गांधी सहकार भवन, रेलवे स्टेशन के सामने जोधपुर।
4. श्री प्रकाश चंद गहलोत मालिक
मैसर्स कृष्णा ट्रेडिंग 6डी5, 5 वी पुलिया, चौपासनी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर।
5. श्रीमान अली, (मालिक)
मैसर्सः न्यू जनता बेकरी, 318 नमक की मण्डी, किशनपोल बाजार जयपुर।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 17.02.2016 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी मैसर्स रामनगर सुपर मार्केट (जोधपुर सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार लिमिटेड), पी एफ ऑफिस के पास, 338,39 झंवर रोड, जोधपुर सूजी मिल्क रस्क टोस्ट (रोजाना ब्राण्ड) 250 ग्राम के 25 पैक्स (प्रत्येक पैक में 40 पीस) आम जनता हेतु वास्ते विक्रय था। वास्ते जांच मिलावट / अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 120 / – देकर सूजी मिल्क रस्क टोस्ट (रोजाना ब्राण्ड) 250 ग्राम के 4 पॉली पैक्स खरीदे तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. विक्रेता व गवाह के सामने खरीदशुदा सूजी मिल्क रस्क टोस्ट (रोजाना ब्राण्ड) 250 ग्राम के चारों मूल पैकेट्स पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड व सीरियल नम्बर एम–1404 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमूना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एम–1404 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमूना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एम–1404 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाफा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि उक्त चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एम–1404 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस 135 / एक्ट / 2016 / 137

में भी फैट की मात्रा में मामूली सा अंतर आया है। यह मेरी प्रथम भूल है कृपया मेरे विरूद्ध धारा 51 के मामले को ड्रॉप फरमाने की कृपा करें।

5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट कमांक 967 दिनांक 27.10.2017 का अवलोकन किया, फैट 50 प्रतिशत के स्थान पर 3.5 प्रतिशत पाया जो बहुत कम है तथा अप्रार्थीगण के अधिवक्ता को सुना गया तथा मनन के पश्चात् पाया कि अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थी यदि रिपोर्ट दिनांक 27.10.2017 से सन्तुष्ट न था तो उनके पास रेफरल लेब जाने का अवसन था, परन्तु उन्होने निर्धारित समय में अपील पेश न की । ऐसी स्थिति में अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थीगण पर शास्ती रूपये ..... अक्षरे रूपये ..... की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि **न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर (ADJUDICATING OFFICER AND ADM CITY, JODHPUR)** के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक ..... के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।
6. निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

कमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2018/ **दिनांक :–**

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. रजनीश शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर।
2. श्री सुरेश कुमार प्रजापत पुत्र श्री केसर राम, मैसर्स सुरेश डेयरी एण्ड बेकरी, शॉप संख्या 1–2, झालामण्ड चौराहा, गुडा रोड, जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 09 / 2018

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जोधपुर।		1. श्री सुरेश कुमार प्रजापत पुत्र श्री केसर राम, मैसर्स सुरेश डेयरी एण्ड बेकरी, शॉप संख्या 1–2, झालामण्ड चौराहा, गुडा रोड, जोधपुर।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 10.10.2018 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी मैसर्स सुरेश डेयरी एण्ड बेकरी, शॉप संख्या 1–2, झालामण्ड चौराहा, गुडा रोड, जोधपुर **पहुंचा**, यहां कोल्ड बॉक्स के एक खण्ड में लगभग 4 किलो पनीर आम जनता हेतु वास्ते विक्रय रखा हुआ था। वास्ते जांच मिलावट / अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 240 / – देकर 1 किलोग्राम पनीर खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. विक्रेता व गवाह के सामने खरीदसुदा पनीर को तुलवाकर साफ चाकू से क्रश कर हिलामिला कर साफ सूखी बोतलों में (250 ग्राम प्रत्येक के हिसाब से) डाला व प्रत्येक बोतल में 40 प्रतिशत फॉर्मेलिन की 20–20 बूंदें डलाकर प्रत्येक बोतल को ढक्कन लगाकर एयर टाईट बंद किया। इन सेम्पल की बोतलों पर लगाने के लिए लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड़ व सीरियल नम्बर एम–1644, खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमूना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एम–1644 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमूना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एम–1644 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाफा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि उक्त चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एम–1644 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस 967 / एक्ट / 2017 / 967 दिनांक 27.10.2017 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एम–1644 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाईल करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।
4. अप्रार्थी से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। वकील अप्रार्थी व अप्रार्थी स्वयं उपस्थित। जवाब प्रस्तुत किया। व बताया कि उक्त सेम्पल लिया गया पनीर गाय के दूध से निर्मित पनीर है। गाय के दूध में फैट की मात्रा कम होने से पनीर

से बनवाया था वहां वापिस भिजवाना था, यह मुझे अपने प्रतिष्ठान पर नहीं रखना चाहिये था। भविष्य में इस गलती की पुनरावृति नहीं होगी। मै एक छोटा व्यापारी हूं। इसलिए मेरे विरूद्ध नरम रूख अपनाते हुए कार्यवाही ड्रॉप फरमाने की कृपा करावें।

5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट क्रमांक 899 दिनांक 17.10.2017 का अवलोकन किया तथा अप्रार्थीगण को सुना गया। मनन के पश्चात् पाया कि अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थी यदि रिपोर्ट दिनांक 17.10.2017 से सन्तुष्ट न था तो उनके पास रेफरल लेब जाने का अवसन था, परन्तु उन्होने निर्धारित समय में अपील पेश न की । ऐसी स्थिति में अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थीगण पर शास्ती रूपये ..... अक्षरे रूपये ..... की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि **न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर (ADJUDICATING OFFICER AND ADM CITY, JODHPUR)** के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक ..... के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।
6. निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

क्रमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2018/ **दिनांक :–**

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01. श्री राजेश टिंकर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन जोधपुर।
02. श्री नितिन अरोडा पुत्र श्री वासुदेव अरोडा, फर्म मै. अरोडा नमकीन, 43 दाउ जी होटल, बासनी द्वितीय फेस, जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 140 / 2017

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जोधपुर।		1. श्री नितिन अरोडा पुत्र श्री वासुदेव अरोडा फर्म मै. अरोडा नमकीन, 43 दाउ जी होटल, बासनी द्वितीय फेस, जोधपुर।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 06/10/2017 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी मै. अरोडा नमकीन, 43 दाउ जी होटल, बासनी द्वितीय फेस, जोधपुर पहुँचा वहां दुकान में डीप फ्रीज में एक लोहे के पीपे में खाद्य पदार्थ मावा (लगभग 15 किलोग्राम) जनता हेतु वास्ते विक्रय हेतु था। उक्त उपलब्ध खाद्य पदार्थ मावा में से नियमानुसार 1 किलोग्राम वास्ते जांच मिलावट / अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 360 / – देकर खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. विक्रेता व गवाह के सामने खरीदशुदा मावा को साफ–सुखी, खाली चार प्लास्टिक की शीशीयों में हिला मिलाकर व एकरूप कर भरकर प्रत्येक नमूना शीशी में 250 ग्राम नमूना खाद्य व फार्मेलिन की 20–20 बूंदें बतौर प्रीजरवेटिव डालकर एयरटाईट बंद कर इन पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड व सीरियल नम्बर एडी–630 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमूना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एडी–630हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमूना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एडी–630 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाफा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि उक्त चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एडी–630 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस 898 / एक्ट / 2017 / 899 दिनांक 17.10.2017 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ **अमानक स्तर** का होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एडी–630 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाईल करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।
4. अप्रार्थी से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। अप्रार्थी स्वयं उपस्थित। जवाब प्रस्तुत किया। जवाब में बताया कि यह मावा एक तरफ रखा हुआ था, यह ग्राहकों को बेचने या अन्य किसी उपयोग हेतु नहीं रखा हुआ था। यह मावा जहां

1976 SC 394] has not relied upon vague reports of the food analysts. खाद्य विश्लेषक द्वारा खास तौर से विहित प्रक्रिया द्वारा उत्पाद की जांच नहीं की गई है। इसलिए उत्पाद को अमानक नहीं माना जा सकता है तथा उत्पाद में फैट के बारे में कोई मानक परिभाषित नहीं किया गया हैं इसलिए अप्रार्थी के लिए खाद्य विश्लेषक की विश्लेषण प्रक्रिया पूर्ण रूप से अविश्वसनिय होने से खारिज योग्य है। एफ एस ओ से प्रोप्रायटरी फूड हेल्थ सप्लीमेंट (न्यूट्रीलाईट किड्स ड्रिंक) के मानक नहीं होने पर कैसे सबस्टेण्डर्ड पाया गया तथा इस सबंध में खाद्य सुरक्षा अधिनियम में क्या प्रावधान है, खाद्य विश्लेषक अप्रार्थी के अधिवक्ता के इस तथ्य का औचित्य पूर्ण व तथ्यात्मक रूप से अधिनियम के प्रावधानानुसार सिद्ध नहीं कर पाये तथा नमूना प्रोप्रायटरी फूड होने के बावजूद किस कारण से सबस्टेण्डर्ड बताया है।इसे खाद्य सुरक्षा अधिकारी स्पष्ट नहीं कर पाये।

5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट क्रमांक 688 दिनांक 17.09.2018 का अवलोकन किया तथा अप्रार्थीगण को सुना गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी को सुना गया मनन के पश्चात् मैं अप्रार्थी के इस तथ्य से संतुष्ट हूं कि प्रोपरायटरी फूड के नॉर्मस नहीं होने से मानक में लेबल पर लिखे गये नॉर्मस से कोई अंतर नहीं पडता । प्रोप्रायटरी फूड को किस आधार पर सबस्टेण्डर्ड किया गया। तथ्यात्मक रूप से अधिनियम के प्रावधानानुसार एफ एस ओ अधिनियम के प्रावधाने के अनुसार सिद्ध करने में असफल रहे अतः इस प्रकरण की कार्यवाही ड्रॉप की जाती है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि न्यायालय हाजा में प्रस्तुत प्रकरण की संपूर्ण जानकारी के साथ न्यायालय में वरवक्त बहस सरकार की ओर से पैरवी करें।

6. निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

क्रमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2018/ **दिनांक :–**

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर।
2. श्री रजनीश शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर।
3. श्री अमिताभ सिंह पुत्र श्री एम एस मेडतिया, मैसर्सः एमवे इण्डिया एण्टरप्राइजेज प्रा लि, 117/4 पी डब्लू डी कॉलोनी, जोधपुर।
4. श्री गुरूशरण सिंह चिमा, मैसर्सः एमवे इण्डिया एण्टरप्राइजेज प्रा लि, 117/4 पी डब्लू डी कॉलोनी, जोधपुर।
5. मैसर्सः एमवे इण्डिया एण्टरप्राइजेज प्रा लि, 117/4 पी डब्लू डी कॉलोनी, जोधपुर।
6. मैसर्सः एमवे इण्डिया एण्टरप्राइजेज प्रा लि, खसरा नं 99/4,7 14/1, अकबरपुर बरोता, सोनीपत।
7. श्री मोहन कृष्ण मुलाकाला पुत्र श्री मृत्युन्जय मुलाकाला, M/S. SARVOTAM CARE VILLAGEJHARMAJRI P.O. BAROTIWALA TEH. NALAGARH DIS. SOLAN 174103 H.P.
8. M/S. SARVOTAM CARE VILLAGEJHARMAJRI P.O. BAROTIWALA TEH. NALAGARH DIS. SOLAN 174103 H.P.

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाईल करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।

4. अप्रार्थी से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। वकील अप्रार्थी ने जवाब प्रस्तुत किया। जवाब में बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमुने का सेम्पल दिनांक 28.08.2015 को लेकर उक्त सेम्पल खाद्य विश्लेषक को जांच हेतु भेजा गया जिस की रिपोर्ट No.L.S.628/Act/2015/668 कंजमक 17.09.2015 को खाद्य विश्लेषक द्वारा जारी की गई तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मैसर्स सर्वोतम कैयरस विलेज पर नमुने के सेम्पल के सम्बन्ध में लगाये गये आरोप सही नहीं है। वास्तिवक स्थिति से परे है तथा उत्पाद अमानक स्तर का किसी भी तरह से नहीं था। अप्रार्थी द्वारा न ही खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनिमय व न ही पैंकिग रेगुलेसन का उल्लघन किया गया है। उक्त प्रकरण में खाद्य विश्लेषक द्वारा सेम्पल जांच के सम्बन्ध में उचित प्रक्रिया नहीं अपनाई गई, जांच सही नही की गई तथा अभिहित अधिकारी व खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त रिपोर्ट के सम्बन्ध में अप्रार्थी का एतराज होते हुऐ भी रिपोर्ट पर बिना कोई विश्लेषण व विवचेन व बिना प्रक्रिया अपनाये अप्रार्थी के विरूद्व परिवाद पेश किया गया। खाद्य विश्लेषक द्वारा सेम्पल की जांच जिस लेब से करवाई गई वह notified NABL Accredited Food Testing Laboratorie नहीं थी। इसलिए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 43 के अनुसार सेम्पल की जांच प्रमाणित लेब से नहीं होने पर वह रिपोर्ट मान्य नही है। अप्रार्थी द्वारा धारा 46 (4) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत खाद्य विश्लेषक द्वारा जांच रिपोर्ट को खारिज करने की अपील पेश की गई थी। जो अभिहित अधिकारी द्वारा दिनांक 22.12.2015 को अप्रार्थी की अपील खारिज की गई थी। जबकि अप्रार्थी द्वारा NABL लेब से जारी जांच रिपोर्ट व खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट गलत होने से सम्बन्ध में जवाब पर कोई विवेचना व निष्र्कष नहीं कर के भारी भूल की गई है। केवल मात्र खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट के आधार पर अप्रार्थी के विरूद्व प्रकरण को दर्ज कर पेश कर दिया जो की विधि विरूद्व है। अभिहित अधिकारी द्वारा अप्रार्थी द्वारा पेश अपील में खाद्य विश्लेषक की जांच रिपोर्ट के विरूद्व कही भी दुबारा जांच हेतु नमुना रेफरल लेब में भिजवाने हेतु अप्रार्थी द्वारा आवेदन नहीं किया गया है। न ही शुल्क का डिमान्ड ड्राफ्ट संलग्न किया गया लिख कर अप्रार्थी की अपील खारिज की गई जबकि अभिहित अधिकारी को अप्रार्थी के जवाब व जांच रिपोर्ट पर अध्ययन करना चाहिए था और नमुने की जांच करवानी चाहिए थी। एवं अपील का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना चाहिए था तथा अपीलाण्ट द्वारा उठाईगई आपतियों विधिपूर्ण निस्तारण किया जाना चाहिए था। जो नहीं करके केवल मात्र खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट को मान लिया गया जो न्याय हित व प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विरूद्व है। अभिहित अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के नियम 2.4.03 के अनुसार द्वितिय सेम्पल को रेफरल लेबोरटरी में भेजने का suomoto अधिकार है जबकि इस प्रकरण में अभिहित अधिकारी द्वारा ऐसा नहीं कर के केवल खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट को ही मानने में त्रुटि की है। खाद्य विश्लेषक द्वारा सेम्पल दिनांक 28.08.2015 को प्राप्त किया गया था। तथा सेम्पल की जांच दिनांक 02.029. 2015 से 17.09.2015 को की गई और रिपोर्ट दिनांक 17.09.2015 को जारी की गई। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अनुसार नियत समय में पेश नहीं की गई है । खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनिमय के निमय 2.4.2(5) के अनुसार खाद्य विश्लेषक द्वारा जांच रिपोर्ट 14 दिन में भेजनी आवश्यक है। इसलिए उक्त रिपोर्ट नियम व प्रावधानों के अनुसार समय पर नहीं भेजी गई है इसलिए इस रिपोर्ट को पढ़ा ही नही जा सकता है। खाद्य विश्लेषक द्वारा सेम्पल जांच में अमानक स्तर राय देने में गम्भीर त्रुटि की है। यह उत्पाद खाद्य सुरक्षा अधिनियम में दिये गये मानक के अनुसार अमानक की परिभाषा में नहीं आता है। धारा 3(ग) इस प्रकार है। "Section 3(zx)" Sub-standard" an article of food shall be deemed to be sub-standard if it does not meet the specified standards but not so as to render the article of food unsafe" इसलिए अप्रार्थी का प्रोडेक्ट उक्त अनुसार परिभाषित नहीं होता है। अतः खाद्य विश्लेषक द्वारा प्रोडेक्ट को अमानक मानने में त्रुटि की है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनिमय से स्पष्ट है कि इस अधिनिमय के अनुसार अमानक स्तर की श्रेणी में केवल वे ही उत्पाद आते है जो ऐक्ट में उत्पाद व उसमें पदार्थ की मात्रा के सम्बन्ध में अर्थात मानक के सम्बन्ध में specified किये हुऐ है। जो ऐक्ट में दिये गये specified standards से मिलान नहीं होते हो। इसलिये उक्त प्रकरण में यह उत्पाद मानक के सम्बन्ध में specified नहीं किया गया है। खाद्य विश्लेषक द्वारा अमानक मानना में त्रुटि की है। इस सम्बन्ध में एमवे इण्डिया कम्पनी द्वारा इसी बैंच के उत्पाद को Intertek India Private Limited से जांच करवाई गई जिसमें उत्पाद का सेम्पल सही पाया गया तथा उक्त लेब खाद्य पदार्थ के विश्लेषण के लिए FSSAI द्वारा Notified NABL Accredited food Testing Laboratories है। यह रिपोर्ट FSSAI द्वारा मान्यता प्राप्त लेब द्वारा जारी की गई है। व विश्वसनीय रिपोर्ट दी गई है। इन्टरटेक इण्डिया प्रा.लि. द्वारा जारी रिपोर्ट में 100 ग्राम पर 9.50 ग्राम फैट की मात्रा आई तथा लेबल पर 9.52 ग्राम फैट प्रति 100 ग्राम पर दर्शित की गई थी। इसलिए फैट के सम्बन्ध में जांच रिपोर्ट सही पाई गई। खाद्य विश्लेषक द्वारा जो जांच प्रक्रिया अपनाई गई वह विधि अनुसार नहीं होने से खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट अस्पष्ट है इस सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त Municipal Corporation of Delhi Vs. Ram Sarup Shivnoth Rai [1973 Cri LJ 1859], the cour held that no conviction can be based on a report of the Public Analyst which suffers from vagueness. Even the Supreme Court, in cases such as Municipal Corporation of Delhi Vs. Kacheroo Mal [AIR

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
जोधपुर।

मैसर्सः एमवे इण्डिया एण्टरप्राइजेज प्रा लि, 117/4 पी डब्लू डी कॉलोनी, जोधपुर।

2. श्री गुरूशरण सिंह चिमा,
मैसर्सः एमवे इण्डिया एण्टरप्राइजेज प्रा लि, 117/4 पी डब्लू डी कॉलोनी, जोधपुर।
3. मैसर्सः एमवे इण्डिया एण्टरप्राइजेज प्रा लि, 117/4 पी डब्लू डी कॉलोनी, जोधपुर।
4. मैसर्सः एमवे इण्डिया एण्टरप्राइजेज प्रा लि, खसरा नं 99/4,7 14/1, अकबरपुर बरोता, सोनीपत।
5. श्री मोहन कृष्ण मुलाकाला पुत्र श्री मृत्युन्जय मुलाकाला
M/S. SARVOTAM CARE VILLAGEJHARMAJRI P.O. BAROTIWALA TEH. NALAGARH DIS. SOLAN 174103 H.P.
6. M/S. SARVOTAM CARE VILLAGEJHARMAJRI P.O. BAROTIWALA TEH. NALAGARH DIS. SOLAN 174103 H.P.

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 28.08.2015 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी मैसर्सः एमवे इण्डिया एण्टरप्राइजेज प्रा लि, 117/4 पी डब्लू डी कॉलोनी, जोधपुर **पहुंचा**, यहां प्रोप्रायटरी फूड हेल्थ सप्लीमेंट (न्यूट्रीलाईट किड्स ड्रिंक) 500 ग्राम के कार्टून में 45 टिन आम जनता हेतु वास्ते विक्रय रखा हुआ था। वास्ते जांच मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 3960/– देकर प्रोप्रायटरी फूड हेल्थ सप्लीमेंट (न्यूट्रीलाईट किड्स ड्रिंक) 500 ग्राम के एक ही बेच लौट के 4 टिन पैक खरीदे तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. विक्रेता व गवाह के सामने खरीदसुदा प्रोप्रायटरी फूड हेल्थ सप्लीमेंट (न्यूट्रीलाईट किड्स ड्रिंक) 500 ग्राम के टिन पैक पर लगाने के लिए लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड़ व सीरियल नम्बर एम–887, खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमूना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एम–887 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमूना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एम–887 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।

3- जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाफा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि उक्त चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एम–887 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस 628/एक्ट/2017/668 दिनांक 17.09.2015 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एम–887 एवं खाद्य

5. अप्रार्थी से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। वकील अप्रार्थी उपस्थित। जवाब पेश। बहस के दौरान जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी की दुकान जहां स्थित है तथा उसकी साइज के अनुसार भी ऐसी कार्यवाही रूबरू अप्रार्थी के किया जाना संभव नहीं है। उक्त क्षेत्र व्यावसायिक व आवासीय क्षेत्र है, जहां पर आसानी से स्वतंत्र व्यक्ति मौतबीर बन सकता था, परन्तु फिर भी निरीक्षक द्वारा अधीनस्थ कर्मचारियों को ही मौतबीर बनाकर एक झूठा प्रकरण दर्ज करवाया है। झूठी साक्ष्य बनाकर, झूठी कार्यवाही के आधार पर प्रार्थी का नाम सम्मिलित किया है, जबकि घटना का समय व दिन उल्लेखित किया गया है, ऐसी कोई कार्यवाही उस समय हुई ही नहीं तथा ना ही उस दिन प्रार्थी के पास कोई बएवज बिल लेकर घी खरीद किया गया, खाली पेपर पर प्रार्थी के डरा धमका कर यह कहकर हस्ताक्षर करवाये गये थे कि केवल घी की गुणवत्ता जांचनी है, इस कारण आपका ही घी है, इस बाबत हस्ताक्षर करवाकर इस पर सील चेपा करना है, जबकि ऐसे दस्तावेज को सील चेपा अप्रार्थी के सामने नहीं किया गया, मात्र हस्ताक्षर करवाये गये। घी जो भगोले में था तथा जो बंद पात्र में नहीं था उसमें से कोई सेम्पल नहीं लिया गया अपितु पहले से ही किसी अन्य के प्राप्त किये गये सेंपल को ही आधार बना कर ब्राण्डेड घी उत्पादन करने वाली कम्पनी के दबाव में आकर अप्रार्थी के खुदरा व्यवसाय को प्रभावित करने का प्रयास मात्र किया गया है। स्वीकृत रूप से अप्रार्थी के द्वारा कतई उक्त प्रकरण में उक्त प्रावधानों के तहत कोई दण्डनीय अपराध कारित नहीं किया गया है इस कारण अप्रार्थी के विरूद्ध प्रारंभ की कार्यवाही संदेह के आधार पर की गई होने से उसे विड्रा करने का श्रम करावें।

6. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट कमांक 483 दिनांक 25.05.2017 के अनुसार खाद्य पदार्थ घी अनसेफ पाया गया, अप्रार्थी ने पुनः रेफरल लेब से जांच करवाने हेत निवेदन किया रेफरल फूड लेबोरटरी मैसूर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सर्टिफिकेट संख्या 339/F/FSSA/2017 दिनांक 17.08.2017 का अवलोकन किया जिसमें खाद्य पदार्थ घी सबस्टेण्डर्ड पाया गया। पत्रावली में फार्म 5ए की रिपोर्ट पर अप्रार्थी के हस्ताक्षर हैं तथा नमूना बिल/ कैश मीमा/ मौका फर्द पर भी अप्रार्थी के हस्ताक्षर हैं। ऐसी स्थिती में अप्रार्थी द्वारा यह कहना सिद्ध नहीं होता है कि एफएसओ द्वारा किसी खाली पेपर पर हस्ताक्षर करवाये गये हों। वकील अप्रार्थी को सुना गया तथा पत्रावली एवं जवाब के मनन के पश्चात पाया कि मनन के पश्चात पाया कि अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थी पर शास्ती रूपये ..... अक्षरे रूपये ..... की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थी उपरोक्त शास्ती राशि का **न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर (ADJUDICATING OFFICER AND ADM CITY, JODHPUR)** के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक ..... के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।

7. निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

कमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2018/ **दिनांक :–**

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01. अभिहित अधिकारी एवं कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।
02. श्री संदीप अग्रवाल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।
03. श्री राहुल पंवार पुत्र श्री किशन पंवार, फर्म :– मै.राहुल दूध भण्डार, मोती भवन, जालोरी गेट के अन्दर, जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 35/2016

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी,		1. श्री अमिताभ सिंह पुत्र श्री एम एस मेडतिया,

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 03 / 2018

प्रार्थी	**बनाम**	**अप्रार्थी**
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जोधपुर।		1. श्री राहुल पंवार पुत्र श्री किशन पंवार, फर्म :– मै.राहुल दूध भण्डार, मोती भवन, जालोरी गेट के अन्दर, जोधपुर।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 15.05.2017 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी मै. राहुल दूध भण्डार, मोती भवन, जालोरी गेट के अन्दर, जोधपुर पहुँचा वहां एक स्टील की टंकी में खाद्य पदार्थ घी लगभग 15 किलोग्राम आम जनता हेतु वास्ते विक्रय रखा हुआ था। उक्त उपलब्ध घी में से नियमानुसार 800 ग्राम वास्ते जांच मिलावट / अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 400 / – देकर खरीदे तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. विक्रेता व गवाह के सामने खरीदशुदा घी 800 ग्राम को एक साफ सूखी स्टील की ट्रे में अच्छी तरह से हिला मिला कर एक रूप कर चार साफ सूखी खाली प्लास्टिक की शीशियों में बराबर मात्रा (200ग्राम प्रति) में डालकर प्रत्येक बोतल को एयर टाइट बन्द कर इन पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड व सीरियल नम्बर एम–1513 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमूना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एम–1513 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमूना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एम–1513 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाफा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि उक्त चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एम–1513 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस 486 / एक्ट / 2017 / 483 दिनांक 25.05.2017 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ **अनसेफ** का होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एम–1513 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाईल करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी।
4. अप्रार्थी श्री राहुल पंवार के द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ की पुनः जांच करवाने के लिए प्रार्थनापत्र, अभिहित अधिकारी को मय फार्म8 अपील फार्म एवं जांच शुल्क डिमाण्ड ड्राफ्ट संख्या 112213 निांक 22.06.2017 प्रस्तुत किया। रेफरल फूड लेबोरटरी मैसूर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सर्टिफिकेट संख्या 339/F/FSSA/2017 दिनांक 17.08.2017 के अनुसार उक्त सेम्पल सबस्टेण्डर्ड होना पाया गाया।

4. अप्रार्थी से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। वकील अप्रार्थी उपस्थित। जवाब पेश किया एंव निवेदन किया कि अप्रार्थी का यह प्रथम अपराध है और अप्रार्थी आइन्दा ऐसा कृत्य नहीं करेगा। प्रार्थी एक गरीब व्यक्ति है। इसलिए अप्रार्थी के विरूद्ध नरम रूख अपनावें एवं कार्यवाही ड्रॉप फरमावें।
5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट क्रमांक 559 दिनांक 19.06.2017 का अवलोकन किया तथा अप्रार्थीगण को सुना गया। मनन के पश्चात् पाया कि अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थी यदि रिपोर्ट दिनांक 19.06.2017 से सन्तुष्ट न था तो उनके पास रेफरल लेब जाने का अवसर था, परन्तु उन्होने निर्धारित समय में अपील पेश न की । ऐसी स्थिति में अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थी पर शास्ती रूपये ..... अक्षरे रूपये ..... की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थी उपरोक्त शास्ती राशि का **न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर (ADJUDICATING OFFICER AND ADM CITY, JODHPUR)** के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक ..... के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।
6. निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

क्रमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2018/ **दिनांक :–**

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01. अभिहित अधिकारी एवं संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं जोन जोधपुर।
02. श्री राजेश टिंकर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं जोन जोधपुर।
03. श्री महावीर चंद गुलेच्छा पुत्र श्री हस्तीमल गुलेच्छा, फर्म :– मै. हस्तीमल एण्ड सन्स, त्रिपोलिया बाजार, बागरेचा बिल्डिंग, जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 14 / 2018

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जोधपुर।		1. श्री महावीर चंद गुलेच्छा पुत्र श्री हस्तीमल गुलेच्छा, फर्म :– मै. हस्तीमल एण्ड सन्स, त्रिपोलिया बाजार, बागरेचा बिल्डिंग, जोधपुर।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 08.06.2017 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी मै. हस्तीमल एण्ड सन्स, त्रिपोलिया बाजार, बागरेचा बिल्डिंग, जोधपुर पहुँचा वहां एक लोहे के पीपे में खाद्य पदार्थ मावा (चीनी मिला हुआ) लगभग 17 किलोग्राम आम जनता हेतु वास्ते विक्रय रखा हुआ था। उक्त उपलब्ध मावा (चीनी मिला हुआ) में से नियमानुसार 2 किलोग्राम वास्ते जांच मिलावट / अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 300 / – देकर खरीदे तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. विक्रेता व गवाह के सामने खरीदशुदा मावा (चीनी मिला हुआ) एक किलोग्राम को एक साफ सूखी स्टील की ट्रे में अच्छी तरह से हिला मिला कर एक रूप कर चार साफ सूखी खाली प्लास्टिक की शीशियों में बराबर मात्रा (500ग्राम प्रति) में डालकर प्रत्येक बोतल में फार्मेलिन की 40 बूंदें बतौर परिरक्षक की डाल कर प्रत्येक बोतल को एयर टाइट बन्द कर इन पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड व सीरियल नम्बर एडी– 595 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमूना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एडी– 595 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमूना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एडी– 595 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाफा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि उक्त चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एडी– 595 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस 559 / एक्ट / 2017 / 559 दिनांक 19.06.2017 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ अमानक स्तर का होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एडी– 595 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाईल करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी।

10. अप्रार्थी से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। अप्रार्थी स्वयं उपस्थित। जवाब प्रस्तुत किया। मैंने बाजार से दूध खरीद कर मावा बनाया था। इसमें मात्र फैट की मात्रा कम पायी गई है। मेरे द्वारा इसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं की जाती है। भविष्य में इस गलती की पुनरावृति नहीं होगी। कृपया कम से कम जुर्माना लगा कर अनुग्रहित करावें।
11. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट कमांक 1111 दिनांक 24.11.2017 का अवलोकन किया तथा अप्रार्थीगण को सुना गया। मनन के पश्चात् पाया कि अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थी यदि रिपोर्ट दिनांक 01.06.2017 से सन्तुष्ट न था तो उनके पास रेफरल लेब जाने का अवसन था, परन्तु उन्होने निर्धारित समय में अपील पेश न की । ऐसी स्थिति में अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थीगण पर शास्ती रूपये ..... अक्षरे रूपये ..... की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि **न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर (ADJUDICATING OFFICER AND ADM CITY, JODHPUR)** के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक ..... के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।
12. निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

कमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2018/ **दिनांक :–**

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

03. रेवत सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर।
04. श्री कैलाश चंद्र पुत्र श्री मांगीलाल गहलोत, फर्म :– मै. मांगीलाल कैलाशचन्द्र मिष्ठान भण्डार, हाथी राम का ओडा, जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 107 / 2017

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जोधपुर।		1. श्री रमेश भाटी पुत्र श्री सैनाराम भाटी फर्म मै भाटी डेयरी, पाली रोड, झालामण्ड चौराहे के पास जोधपुर। 2. श्री राजेन्द्र भाटी

आदेश

7. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 17.10.2017 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी मै. मांगीलाल कैलाशचन्द्र मिष्ठान भण्डार, हाथी राम का ओडा, जोधपुर पहुँचा वहां दुकान के शोकेस काउंटर में में स्टील की एक ट्रे में खाद्य पदार्थ मावा (लगभग 5 किलोग्राम) जनता हेतु वास्ते विक्रय हेतु था। उक्त उपलब्ध खाद्य पदार्थ मावा में से नियमानुसार 1 किलोग्राम वास्ते जांच मिलावट / अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 200 / – देकर खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
8. विक्रेता व गवाह के सामने खरीदशुदा मावा को साफ–सुखी, खाली चार शीशीयों में हिला मिलाकर व एकरूप कर भरकर प्रत्येक नमूना शीशी में 250 ग्राम नमूना खाद्य व फार्मेलिन की 20–20 बूंदें बतौर प्रीजरवेटिव डालकर एयरटाईट बंद कर इन पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड व सीरियल नम्बर एम–1664 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमूना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एम–1664 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमूना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एम–1664 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
9. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाफा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि उक्त चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एम–1664 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस 1111 / एक्ट / 2017 / 1111 दिनांक 24.11.2017 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ **अमानक स्तर** का होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एम–1664 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाईल करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।

एम–1535 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाईल करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।

4. अप्रार्थी को नोटिस भेजा गया। वकील अप्रार्थी स्वयं उपस्थित। लिखित बहस में निवेदन किया कि अप्रार्थी द्वारा यह गलती जान बूझ कर नहीं की गई और तथ्य एवं कानून की जानकारी के अभाव में प्रार्थी द्वारा यह गलती हो गई है। यह अप्रार्थी का प्रथम अपराध है, अप्रार्थी आइंदा ऐसा कोई कृत्य नहीं करेगा। अप्रार्थी एक गरीब व्यक्ति है इसलिए प्रार्थी के विरूद्ध नरम रूख अपनाने की कृपा करें।

5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट क्रमांक 562 दिनांक 19.06.2017 व रेफरल लेब की जांच रिपोर्ट संख्या 342F/FSSA/2017 Dated 09-08-2017 का अवलोकन किया तथा अप्रार्थीगण को सुना गया। मनन के पश्चात् पाया कि अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थीगण पर शास्ती रूपये ..... अक्षरे रूपये ..... की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थी उपरोक्त शास्ती राशि **न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर (ADD. JUDICATING OFFICER AND ADM CITY, JODHPUR)** के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक ..... के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।

6. निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

क्रमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2018/ **दिनांक :–**

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01. अभिहित अधिकारी एवं कार्यालय मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।
02. श्री रेवत सिंह, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।
03. श्री दिनेश जैन पुत्र श्री पुखराज जैन, फर्म :– मै. प्रेमराज दिनेश कुमार त्रिपोलिया बाजार, मोती चौक रोड, जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 22/2018

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जोधपुर।		1. श्री दिनेश जैन पुत्र श्री पुखराज जैन, फर्म :– मै. प्रेमराज दिनेश कुमार त्रिपोलिया बाजार, मोती चौक रोड, जोधपुर।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 08.06.2017 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी मै. प्रेमराज दिनेश कुमार त्रिपोलिया बाजार, मोती चौक रोड, जोधपुर पहुँचा वहां 4 पीपों में लगभग 65 किलोग्राम खाद्य पदार्थ मीठा मावा (दूध व शक्कर से निर्मित प्रोपराईटरी फूड) जनता हेतु वास्ते विक्रय हेतु था। उक्त उपलब्ध मीठा मावा (दूध व शक्कर से निर्मित प्रोपराईटरी फूड) में से नियमानुसार 2 किलोग्राम वास्ते जांच मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 380/– देकर खरीदे तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. विक्रेता व गवाह के सामने खरीदशुदा मावा दो किलोग्राम को एक साफ सूखी स्टील की ट्रे में अच्छी तरह से हिला मिला कर एक रूप कर चार साफ सूखी खाली प्लास्टिक की शीशियों में बराबर मात्रा (500ग्राम प्रति) में डालकर प्रत्येक बोतल में फार्मेलिन की 40–40 बूंदें बतौर परिरक्षक की डाल कर प्रत्येक बोतल को एयर टाइट बन्द कर इन पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड व सीरियल नम्बर एम–1535 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमूना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एम–1535 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमूना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एम–1535 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाफा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि उक्त चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एम–1535 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस 562/एक्ट/2017/562 दिनांक 19.06.2017 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ अनसेफ (Unsafe) होना पाया गया। विक्रेता ने निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला में दुबारा जांच करवाई इसकी रिपोर्ट संख्या 342F/FSSA/2017 dated 09-08-2017 के अनुसार सेम्पल अमानक स्तर का होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना

4. अप्रार्थी से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। अप्रार्थी स्वयं उपस्थित। जवाब प्रस्तुत किया। मैंने बाजार से दूध खरीद कर मावा बनाया था। इसमें मात्र फैट की मात्रा कम पायी गई है। मेरे द्वारा इसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं की जाती है। भविष्य में इस गलती की पुनरावृति नहीं होगी। कृपया कम से कम जुर्माना लगा कर अनुग्रहित करावें।
5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट क्रमांक 1111 दिनांक 24.11.2017 का अवलोकन किया तथा अप्रार्थीगण को सुना गया। मनन के पश्चात् पाया कि अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थी यदि रिपोर्ट दिनांक 01.06.2017 से सन्तुष्ट न था तो उनके पास रेफरल लेब जाने का अवसन था, परन्तु उन्होने निर्धारित समय में अपील पेश न की । ऐसी स्थिति में अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थीगण पर शास्ती रूपये ..... अक्षरे रूपये ..... की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि **न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर (ADJUDICATING OFFICER AND ADM CITY, JODHPUR)** के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक ..... के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।
6. निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

क्रमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2018/ **दिनांक :–**

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01. रेवत सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर।
02. श्री कैलाश चंद्र पुत्र श्री मांगीलाल गहलोत, फर्म :– मै. मांगीलाल कैलाशचन्द्र मिष्ठान भण्डार, हाथी राम का ओडा, जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 32 / 2018

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जोधपुर।		1. श्री कैलाश चंद्र पुत्र श्री मांगीलाल गहलोत, फर्म :– मै. मांगीलाल कैलाशचन्द्र मिष्ठान भण्डार, हाथी राम का ओडा, जोधपुर।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 17.10.2017 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी मै. मांगीलाल कैलाशचन्द्र मिष्ठान भण्डार, हाथी राम का ओडा, जोधपुर पहुँचा वहां दुकान के शोकेस काउंटर में में स्टील की एक ट्रे में खाद्य पदार्थ मावा (लगभग 5 किलोग्राम) जनता हेतु वास्ते विक्रय हेतु था। उक्त उपलब्ध खाद्य पदार्थ मावा में से नियमानुसार 1 किलोग्राम वास्ते जांच मिलावट / अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 200 / – देकर खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. विक्रेता व गवाह के सामने खरीदशुदा मावा को साफ–सुखी, खाली चार शीशीयों में हिला मिलाकर व एकरूप कर भरकर प्रत्येक नमूना शीशी में 250 ग्राम नमूना खाद्य व फार्मेलिन की 20–20 बूंदें बतौर प्रीजरवेटिव डालकर एयरटाईट बंद कर इन पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड व सीरियल नम्बर एम–1664 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमूना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एम–1664 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमूना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एम–1664 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाफा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि उक्त चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एम–1664 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस 1111 / एक्ट / 2017 / 1111 दिनांक 24.11.2017 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ **अमानक स्तर** का होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एम–1664 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाईल करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।

रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाईल करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।

4. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। अप्रार्थीगण स्वयं उपस्थित। सुना गया। अवगत कराया कि वह एक छोटी सी कैण्टीन चलाता है जिसमें अच्छी गुणत्ता के टोण्ड दूध से दही तैयार करता है। दही में फैट की मात्रा कम पायी गयी। मेरी छोटी केण्टीन को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम जुर्माना राशि कराने की कृपा करावें। भविष्य में मैं बजार से अमूल दूध खरीद कर दही तैयार करना शुरू किया है। तथा उक्त दही मैं सब्जि में डालने के लिए प्रयोग करता हूं। जिसमें कम फैट की मात्रा से कोई प्रतिकूल असर नहीं पडता है।
5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट क्रमांक 628 दिनांक 04.07.2017 का अवलोकन किया तथा अप्रार्थीगण के अधिवक्ता/ एफएसओ को सुना गया तथा मनन के पश्चात् पाया कि अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम . 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थी यदि रिपोर्ट दिनांक 04.07.2017 से सन्तुष्ट न था तो उनके पास रेफरल लेब जाने का अवसन था, परन्तु उन्होने निर्धारित समय में अपील पेश न की । ऐसी स्थिति में अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थीगण पर शास्ती रूपये ..... अक्षरे रूपये .... की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि **न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर (ADJUDICATING OFFICER AND ADM CITY, JODHPUR)** के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक ..... के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।
6. निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

क्रमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2018/ **दिनांक :–**

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. श्री रेवत सिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर।
2. श्री राकेश आचार्य पुत्र श्री किशन कुमार आचार्य, मैसर्स पुष्करणा भोजनालय, मथुरादास माथुर अस्पताल केंटीन परिसर, जोधपुर।
3. श्री किशन आचार्य पुत्र श्री शिवदास आचार्य, मैसर्स पुष्करणा भोजनालय, मथुरादास माथुर अस्पताल केंटीन परिसर, जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 29/2018

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जोधपुर।		1. श्री राकेश आचार्य पुत्र श्री किशन कुमार आचार्य, मैसर्स पुष्करणा भोजनालय, मथुरादास माथुर अस्पताल केंटीन परिसर, जोधपुर। 2. श्री किशन आचार्य पुत्र श्री शिवदास आचार्य, मैसर्स पुष्करणा भोजनालय, मथुरादास माथुर अस्पताल केंटीन परिसर, जोधपुर।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 26.06.2017 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी मैसर्स पुष्करणा भोजनालय, मथुरादास माथुर अस्पताल केंटीन परिसर, **जोधपुर पहुंचा** यहां निरीक्षण करने पर भोजनालय के फ्रिज में लगभग 10 किलोग्राम खाद्य पदार्थ दही (टोन्ड दूध से निर्मित) पड़ा था, इसका कीमतन विक्रय भोजनालय में आने वाले ग्राहकों को किया जाना था। दही (टोन्ड दूध से निर्मित) के वास्ते जांच मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 56/– देकर 800 ग्राम दही (टोन्ड दूध से निर्मित) खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. विक्रेता व गवाह के सामने खरीदसुदा नमूना दही (टोन्ड दूध से निर्मित) को हिलामिला कर एक रूप कर साफ–सुखी खाली चौडे मुंहवाली चार कांच की शीशीयों में बराबर–बराबर (200 ग्राम प्रति) भरकर प्रत्येक नमूना शीशी में 20 बूंदें फॉर्मेलिन बतौर प्रीजरवेटिव डालकर एयरटाईट बंद कर चारों शीशीयों पर लगाने के लिए अलग–अलग चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड़ व सीरियल नम्बर एम–1563 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमूना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एम–1563 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमूना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एम–1563 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाफा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि उक्त चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एम–1563 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस 627/एक्ट/2016/628 दिनांक 04.07.2017 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ का बिना लेबलिंग के बेचा जाना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एम–1563 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच

विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एम– 1641 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाईल करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।

4. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। अप्रार्थीगण स्वयं उपस्थित एवं जवाब पेश कर निवेदन किया कि फर्म मेरी माता की है एवं मैं इसमें काम करता हूं। खाद्य पदार्थ की जांच मे खाद्य पदार्थ में कोई खराबी नहीं पायी गयी है। मात्र पैकेट पर International numerical identification of synthetic food color and common name of artificial flavouring substance used का अंकन नहीं था। इसकी जानकारी मुझे नहीं थी। यह मेरी प्रथम भूल है। इसे मैने लेबल पर अंकित कर दिया है। कृपया मामला खारिज फरमाने की कृपा करावें।
5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट क्रमांक 918 दिनांक 18.10.2017 का अवलोकन किया तथा अप्रार्थीगण को सुना गया। मनन के पश्चात् पाया कि अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 52 का दोषी हैं। अप्रार्थी यदि रिपोर्ट दिनांक 18.10.2017 से सन्तुष्ट न था तो उनके पास रेफरल लेब जाने का अवसर था, परन्तु उन्होने निर्धारित समय में अपील पेश न की । ऐसी स्थिति में अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 52 का दोषी हैं। अप्रार्थीगण पर शास्ती रूपये ..... अक्षरे रूपये ..... की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थी उपरोक्त शास्ती राशि **न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर (ADD JUDICATING OFFICER AND ADM CITY, JODHPUR)** के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक ..... के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।
6. निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

क्रमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2018/ **दिनांक :–**

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01. अभिहित अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी, जोधपुर।
02. श्री विशाल मित्तल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय आयुक्त (खाद्य सुरक्षा), निदेशालय चिकित्सा एंव स्वा. सेवायें जयपुर।
03. श्री वासुदेव भट्टड पुत्र श्री झूमरलाल भट्टड, फर्म :– मै. जे के फूड प्रोडक्ट्स, जी –1–101, एग्रो फूड पार्क, बोरानाडा, जोधपुर।
04. अनुसुया भट्टड़ (मालिक), फर्म :– मै. जे के फूड प्रोडक्ट्स, जी –1–101, एग्रो फूड पार्क, बोरानाडा, जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 24 / 2018

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जोधपुर।		01. श्री वासुदेव भट्टड पुत्र श्री झूमरलाल भट्टड, फर्म :– मै. जे के फूड प्रोडक्ट्स, जी –1–101, एग्रो फूड पार्क, बोरानाडा, जोधपुर। 02. अनुसुया भट्टड़ (मालिक), फर्म :– मै. जे के फूड प्रोडक्ट्स, जी –1–101, एग्रो फूड पार्क, बोरानाडा, जोधपुर।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 24.10.2016 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय चिकित्सा एवं स्वस्थ्य सेवायें जयपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी मै. जे के फूड प्रोडक्ट्स, जी –1–101, एग्रो फूड पार्क, बोरानाडा, जोधपुर पहुँचा वहां खाद्य पदार्थ Sugar Boiled Confectionary (FRESCO) जो फर्श पर 20 कट्टों में 2000 केण्डी पाउच प्रत्येक वजन 180 ग्राम, आम जनता हेतु वास्ते विक्रय रखे हुए थे। उक्त उपलब्ध खाद्य पदार्थ में से नियमानुसार 8 कैण्डी पाउच प्रत्येक 180 ग्राम वास्ते जांच मिलावट / अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 96 / – देकर खरीदे तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. विक्रेता व गवाह के सामने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ Sugar Boiled Confectionary (FRESCO) को 4 प्लास्टिक के जारों में 2–2 कैण्डी पाउच डाले एवं इन पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड व सीरियल नम्बर एम– 1641 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमूना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एम– 1641 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमूना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एम– 1641 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाफा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि उक्त चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एम– 1641 की जॉच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जॉच रिपोर्ट एलएस 917 / एक्ट / 2017 / 918 दिनांक 18.10.2017 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ मिथ्या छाप होना पाया गया। **उक्त** प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना

..... की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि **न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर (ADJUDICATING OFFICER AND ADM CITY, JODHPUR)** के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक ..... के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।

9. निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

कमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2018/ **दिनांक :–**

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर।
2. श्री रजनीश शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।
3. श्री श्रीप्रकाश सोनी पुत्र श्री सत्यनारायण सोनी, मैसर्सः दिलीप ट्रेडर्स, 96, गायत्री नगर योजना, प्लॉट संख्या 96, माता का थान मगरा पूंजला, जोधपुर।
4. श्री धर्मेन्द्र हंसराज कोटक, मैसर्सः नेस्ले इण्डिया लिमिटेड, केयर ऑफ मैसर्स लक्ष्मी ऐजेन्सीज, ई–168, रोड संख्या 09, जे वी के आई एरिया, बनीपार्क जयपुर।
5. मैसर्सः नेस्ले इण्डिया लिमिटेड, केयर ऑफ मैसर्स लक्ष्मी ऐजेन्सीज, ई–168, रोड संख्या 09, जे वी के आई एरिया, बनीपार्क जयपुर।
6. मैसर्स नेस्ले इण्डिया लिमिटेड, एम–5 ऐ, कनाट सर्कस, न्यू दिल्ली–1100001

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एम–837 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाईल करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।

4. एफएसओ द्वारा न्यायालय में 31.05.2016 को इस्तगासा प्रस्तुत किया जिसमें उन्होने पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी जोधपुर की रिपोर्ट क्रमांक 408 दिनांक 16.06.2015 में खाद्य विश्लेषक की ओपीनियन substandard due to additoin of natural colour caramel and misbranded under sections 3 (1)(zf)(C)(i) of Food Safety and Standards Act-2006. के अनुसार धारा 26 की उपधारा (2) (।।) का उल्लंघन है जो धारा 51 व धारा 52 के अंतर्गत जुर्माना योग्य अपराध है। अतः अभियुक्त को जुर्माना करने की कृपा करें।

5. अप्रार्थी से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। वकील अप्रार्थी ने जवाब प्रस्तुत किया। बहस के दौरान जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए जवाब दिनांक 10.03.2017 व प्रार्थना पत्र दिनांक 22.01.2018 में निवेदन किया कि (a) Treat this reply as response in terms of Rules 3.1.1(6) of the rules: (b) drop the present proceedings against the anwering respondents and present application in view of the submissions made in the present reply/ representation; (c) the answering respondents pray in the alternate that the witnesses be called for examination as per the list annexed as ANNEXURE"G" after which the answering respondents will produce evidence in defence; (d) any order(s) as this Hon'ble Court may deem fit and proper in the facts and circumstances of the case. **तथा प्रार्थना पत्र में निवेदन किया किः** (i) Dismiss the present adjudication proceedings relating MAGGI Noodles with Tastemaker for the parameter of the caramel applied by Food Analyst basis old norms of FSSAI Advisory of 08-06-2015 as the same is expressly allowed under FSSAI or (ii) Direct the Complainant / Food Safety Officer to obtain directions from the commissioner of Food Safety, Rajasthan for withdrawal of the present adjunction in view of the Order dated 08-12-2017 issued by the FSSAI and keep the present adjudication case in abeyance till such direction is obtained by the Complainant/ Food Safety Officer and (iii) Pass such other order(s) as this Hon'ble Court may deem fit in the circumstances of the case.

6. वकील अप्रार्थी उपस्थित। बहस सुनि गई। वकील अप्रार्थी ने जवाब / प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि पुरानी एडवायजरी से सेंम्पल की जांच की गई है जो सही नहीं है तथा 08.12.2017 के आदेश के अनुसार एफ एस ओ को मामाल विड्रॉ कराने हेतु निर्देशित करावें।

7. खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित, ने सरकार की ओर से अवगत कराया कि (।) उक्त नमूने की जांच रिपोर्ट दिनांक 16.06.2015 को जारी करने के समय एडवायजरी 08.06.2015 को जो F.No/10/QA/Enforcement Issue/ Fssai-2015 के अनुसार रंग नहीं होना चाहिये, इसका इंद्राज रिपोर्ट के प्रथम कॉलम में किया गया है। (।।) खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 एवं रूल्स 2011 के सारणी संख्या 3 में Food Additives in Foods not specified के क्लॉज नं 03 (कलर्स) के क्रमांक 4 Soups, Bulions and taste Makers में किसी भी प्रकार का Color Permitted नहीं है। परिवादी द्वारा टेस्ट मेकर मसाला पाउच में Masala Tastemaker के नाम से एफएसएसएआई द्वारा जारी Advisary दिनांक 08.06.2015 के अनुसार Noodles, Pasta, Macroni में किसी प्रकार का कोई रंग Natural or Synthetic नहीं होना चाहिये। (।।।) Tastemaker के पाउच पेक्ड स्थिति में थे अतः उन पर Packaging and Labelling Regulation लागू होते हैं। Tastemaker पाउच पर मात्रा, Symbol for Veg or Nonveg का होना अनिवार्य है जो उस पर नहीं पाये गये थे।

8. पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के वकील की बहस व एफएसओ की बहस पर मनन के पश्चात मैं वकील अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब से संतुष्ट नहीं हूं तथा एफएसओ द्वारा उक्त जवाब के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के एनेक्सर ए के कॉलम संख्या 3 के क्रमांक 04 में, टेस्ट मेकर में किसी प्रकार का कलर परमिटेड नहीं है तथा प्रस्तुत एडवायजरी दिनांक 08.06.2015 F.No/10/QA/Enforcement Issue/ Fssai-2015 के अनुसार Noodles, Pasta, Macroni में किसी प्रकार का कोई रंग Natural or Synthetic नहीं होना चाहिये एवं अप्रार्थीगण द्वारा Packaging and Labelling Regulation के अुनसार Tastemaker पाउच पर मात्रा, Symbol for Veg or Nonveg का होना अनिवार्य है जो उस पर नहीं पाये गये व यदि अप्रार्थी रिपोर्ट क्रमांक 409 दिनांक 16.06.2015 से सन्तुष्ट न था तो उनके पास रेफरल लेब जाने का अवसर था, परन्तु उन्होने निर्धारित समय में अपील पेश न की। एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट क्रमांक 409 दिनांक 16.06.2015 का अवलोकन किया तथा अप्रार्थीगण के अधिवक्ता को सुना गया तथा मनन के पश्चात् पाया कि अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 व 52 का दोषी हैं। अप्रार्थी संख्या 01 पर शास्ती रूपये ..... अक्षरे रूपये .... की व अप्रार्थीगण संख्या 02 से 04 पर शास्ती रूपये ..... अक्षरे रूपये .....

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 23 / 2016

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जोधपुर।		1. श्री श्रीप्रकाश सोनी पुत्र श्री सत्यनारायण सोनी, मैसर्सः दिलीप ट्रेडर्स, 96, गायत्री नगर योजना, प्लॉट संख्या 96, माता का थान मगरा पूंजला, जोधपुर। 2. श्री धर्मेन्द्र हंसराज कोटक, मैसर्सः नेस्ले इण्डिया लिमिटेड, केयर ऑफ मैसर्स लक्ष्मी ऐजेन्सीज, ई–168, रोड संख्या 09, जे वी के आई एरिया, बनीपार्क जयपुर। 3. मैसर्सः नेस्ले इण्डिया लिमिटेड, केयर ऑफ मैसर्स लक्ष्मी ऐजेन्सीज, ई–168, रोड संख्या 09, जे वी के आई एरिया, बनीपार्क जयपुर। 4. मैसर्स नेस्ले इण्डिया लिमिटेड, एम–5 ऐ, कनाट सर्कस, न्यू दिल्ली–1100001

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 03.06.2015 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी मैसर्सः दिलीप ट्रेडर्स, 96, गायत्री नगर योजना, प्लॉट संख्या 96, माता का थान मगरा पूंजला, जोधपुर **पहुंचा**, यहां इंसटेंट नूडल्स विद टेस्टमेकर (मैगी वेज आटा) प्रोप्रायटरी खाद्य 320 ग्राम पॉली पैक प्रत्येक कार्टून में 24, कुल 21 कार्टून में आम जनता हेतु वास्ते विक्रय रखा हुआ था। वास्ते जांच मिलावट / अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 330 / – देकर इंसटेंट नूडल्स विद टेस्टमेकर (मैगी वेज आटा) प्रोप्रायटरी खाद्य 320 ग्राम पॉली पैक की 8 पॉली पैक खरीदी तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. विक्रेता व गवाह के सामने खरीदसुदा इंसटेंट नूडल्स विद टेस्टमेकर (मैगी वेज आटा) प्रोप्रायटरी खाद्य 320 ग्राम पॉली पैक को अलग अलग 2–2 भागों में चार गत्ते के डिब्बों में डालकर इन पर लगाने के लिए 4 लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड़ व सीरियल नम्बर एम–837, खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमूना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एम–837 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमूना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एम–837 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाफा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि उक्त चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एम–837 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस 472 / एक्ट / 2017 / 409 दिनांक 16.06.2015 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य सबस्टेण्डर्ड होना व मिथ्याछाप पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद

..... की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि **न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर (ADJUDICATING OFFICER AND ADM CITY, JODHPUR)** के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक ..... के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।

9. निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

कमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2018/ **दिनांक :–**

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर।
2. श्री संदीप अग्रवाल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर।
3. श्री श्रीप्रकाश सोनी पुत्र श्री सत्यनारायण सोनी, मैसर्सः दिलीप ट्रेडर्स, 96, गायत्री नगर योजना, प्लॉट संख्या 96, माता का थान मगरा पूंजला, जोधपुर।
4. श्री धर्मेन्द्र हंसराज कोटक, मैसर्सः नेस्ले इण्डिया लिमिटेड, केयर ऑफ मैसर्स लक्ष्मी ऐजेन्सीज, ई–168, रोड संख्या 09, जे वी के आई एरिया, बनीपार्क जयपुर।
5. मैसर्सः नेस्ले इण्डिया लिमिटेड, केयर ऑफ मैसर्स लक्ष्मी ऐजेन्सीज, ई–168, रोड संख्या 09, जे वी के आई एरिया, बनीपार्क जयपुर।
6. मैसर्स नेस्ले इण्डिया लिमिटेड, एम–5 ऐ, कनाट सर्कस, न्यू दिल्ली–1100001

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एम–836 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाईल करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।

4. एफएसओ द्वारा न्यायालय में 31.05.2016 को इस्तगासा प्रस्तुत किया जिसमें उन्होने पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी जोधपुर की रिपोर्ट क्रमांक 408 दिनांक 16.06.2015 में खाद्य विश्लेषक की ओपीनियन substandard due to additoin of natural colour caramel and misbranded under sections 3 (1)(zf)(C)(i) of Food Safety and Standards Act-2006. के अनुसार धारा 26 की उपधारा (2) (।।) का उल्लंघन है जो धारा 51 व धारा 52 के अंतर्गत जुर्माना योग्य अपराध है। अतः अभियुक्त को जुर्माना करने की कृपा करें।

5. अप्रार्थी से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। वकील अप्रार्थी ने जवाब प्रस्तुत किया। बहस के दौरान जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए जवाब दिनांक 10.03.2017 व प्रार्थना पत्र दिनांक 22.01.2018 में निवेदन किया कि (a) Treat this reply as response in terms of Rules 3.1.1(6) of the rules: (b) drop the present proceedings against the anwering respondents and present application in view of the submissions made in the present reply/ representation; (c) the answering respondents pray in the alternate that the witnesses be called for examination as per the list annexed as ANNEXURE"G" after which the answering respondents will produce evidence in defence; (d) any order(s) as this Hon'ble Court may deem fit and proper in the facts and circumstances of the case. **तथा प्रार्थना पत्र में निवेदन किया किः** (i) Dismiss the present adjudication proceedings relating MAGGI noodles with Tastemaker for the parameter of the caramel applied by Food Analyst basis old norms of FSSAI Advisory of 08-06-2015 as the same is expressly allowed under FSSAI or (ii) Direct the Complainant / Food Safety Officer to obtain directions from the commissioner of Food Safety, Rajasthan for withdrawal of the current adjunction in view of the Order dated 08-12-2017 issued by the FSSAI and keep the present adjudication case in abeyance till such direction is obtained by the complainant/ Food Safety Officer and (iii) Pass such other order(s) as this Hon'ble Court may deem fit in the circumstances of the case.

6. वकील अप्रार्थी उपस्थित। बहस सुनि गई। वकील अप्रार्थी ने जवाब / प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि पुरानी एडवायजरी से सेंम्पल की जांच की गई है जो सही नहीं है तथा 08.12.2017 के आदेश के अनुसार एफ एस ओ को मामाल विड्रॉ कराने हेतु निर्देशित करावें।

7. खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित, ने सरकार की ओर से अवगत कराया कि (।) उक्त नमूने की जांच रिपोर्ट दिनांक 16.06.2015 को जारी करने के समय एडवायजरी 08.06.2015 को जो F.No/10/QA/Enforcement Issue/ Fssai-2015 के अनुसार रंग नहीं होना चाहिये, इसका इंद्राज रिपोर्ट के प्रथम कॉलम में किया गया है। (।।) खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 एवं रूल्स 2011 के सारणी संख्या 3 में Food Additives in Foods not specified के क्लॉज नं 03 (कलर्स) के क्रमांक 4 Soups, Bulions and taste Makers में किसी भी प्रकार का Color Permitted नहीं है। परिवादी द्वारा टेस्ट मेकर मसाला पाउच में Masala Tastemaker के नाम से एफएसएसएआई द्वारा जारी Advisary दिनांक 08.06.2015 के अनुसार Noodles, Pasta, Macroni में किसी प्रकार का कोई रंग Natural or Synthetic नहीं होना चाहिये। (।।।) Tastemaker के पाउच पेक्ड स्थिति में थे अतः उन पर Packaging and Labelling Regulation लागू होते हैं। Tastemaker पाउच पर मात्रा, Symbol for Veg or Nonveg का होना अनिवार्य है जो उस पर नहीं पाये गये थे।

8. पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के वकील की बहस व एफएसओ की बहस पर मनन के पश्चात मैं वकील अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब से संतुष्ट नहीं हूं तथा एफएसओ द्वारा उक्त जवाब के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के एनेक्सर ए के कॉलम संख्या 3 के क्रमांक 04 में, टेस्ट मेकर में किसी प्रकार का कलर परमिटेड नहीं है तथा प्रस्तुत एडवायजरी दिनांक 08.06.2015 F.No/10/QA/Enforcement Issue/ Fssai-2015 के अनुसार Noodles, Pasta, Macroni में किसी प्रकार का कोई रंग Natural or Synthetic नहीं होना चाहिये एवं अप्रार्थीगण द्वारा Packaging and Labelling Regulation के अुनसार Tastemaker पाउच पर मात्रा, Symbol for Veg or Nonveg का होना अनिवार्य है जो उस पर नहीं पाये गये व यदि अप्रार्थी रिपोर्ट क्रमांक 408 दिनांक 16.06.2015 से सन्तुष्ट न था तो उनके पास रेफरल लेब जाने का अवसर था, परन्तु उन्होने निर्धारित समय में अपील पेश न की। एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट क्रमांक 408 दिनांक 16.06.2015 का अवलोकन किया तथा अप्रार्थीगण के अधिवक्ता को सुना गया तथा मनन के पश्चात् पाया कि अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 व 52 का दोषी हैं। अप्रार्थी संख्या 01 पर शास्ती रूपये ..... अक्षरे रूपये .... की व अप्रार्थीगण संख्या 02 से 04 पर शास्ती रूपये ..... अक्षरे रूपये .....

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 22/2016

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जोधपुर।		1. श्री श्रीप्रकाश सोनी पुत्र श्री सत्यनारायण सोनी, मैसर्सः दिलीप ट्रेडर्स, 96, गायत्री नगर योजना, प्लॉट संख्या 96, माता का थान मगरा पूंजला, जोधपुर। 2. श्री धर्मेन्द्र हंसराज कोटक, मैसर्सः नेस्ले इण्डिया लिमिटेड, केयर ऑफ मैसर्स लक्ष्मी ऐजेन्सीज, ई–168, रोड संख्या 09, जे वी के आई एरिया, बनीपार्क जयपुर। 3. मैसर्सः नेस्ले इण्डिया लिमिटेड, केयर ऑफ मैसर्स लक्ष्मी ऐजेन्सीज, ई–168, रोड संख्या 09, जे वी के आई एरिया, बनीपार्क जयपुर। 4. मैसर्स नेस्ले इण्डिया लिमिटेड, एम–5 ऐ, कनाट सर्कस, न्यू दिल्ली–1100001

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 03.06.2015 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी मैसर्सः दिलीप ट्रेडर्स, 96, गायत्री नगर योजना, प्लॉट संख्या 96, माता का थान मगरा पूंजला, जोधपुर **पहुंचा**, यहां इंसटेंट नूडल्स विद टेस्टमेकर (मैगी) प्रोप्रायटरी खाद्य 280 ग्राम पॉली पैक प्रत्येक कार्टून में 24, कुल 180 कार्टून में आम जनता हेतु वास्ते विक्रय रखा हुआ था। वास्ते जांच मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 330/– देकर इंसटेंट नूडल्स विद टेस्टमेकर (मैगी) प्रोप्रायटरी खाद्य 280 ग्राम पॉली पैक की 8 पॉली पैक खरीदी तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. विक्रेता व गवाह के सामने खरीदसुदा इंसटेंट नूडल्स विद टेस्टमेकर (मैगी) प्रोप्रायटरी खाद्य 280 ग्राम पॉली पैक को दो–दो भागों में चार गत्ते के डिब्बों में डालकर इन पर लगाने के लिए लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड़ व सीरियल नम्बर एम–836, खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमूना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एम–836 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमूना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एम–836 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाफा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि उक्त चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एम–836 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस 471/एक्ट/2017/408 दिनांक 16.06.2015 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य सबस्टेण्डर्ड व मिथ्याछाप होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद

दिनांक 16.06.2017 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ अमानक स्तर का होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एम– 1517 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाईल करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।

10. अप्रार्थी से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। अप्रार्थी स्वयं उपस्थित। जवाब पेश किया एंव निवेदन किया कि ..... अतः मामला खारिज फरमाया जावे।
11. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट क्रमांक 544 दिनांक 16.06.2017 का अवलोकन किया तथा अप्रार्थीगण को सुना गया। मनन के पश्चात् पाया कि अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51,52 का दोषी हैं। अप्रार्थी यदि रिपोर्ट दिनांक 16.06.2017 से सन्तुष्ट न था तो उनके पास रेफरल लेब जाने का अवसन था, परन्तु उन्होने निर्धारित समय में अपील पेश न की । ऐसी स्थिति में अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51,52 का दोषी हैं। अप्रार्थीगण पर शास्ती रूपये ..... अक्षरे रूपये ..... की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि **न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर** के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक ..... के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।
12. निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

क्रमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2018/ **दिनांक :–**

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

06. श्री रजनीश शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर।
07. श्री विपिन शर्मा पुत्र श्री सुभाष चन्द्र शर्मा, फर्म :– मै. शिरडी सांई प्राइम फूड एण्ड बेवरेजेज, एलएलपी डाली बाई मंदिर के पास, चौखा रोड, प्लॉट सं 42, खसरा नं 756, बाईपास रोड,जोधपुर।
08. श्री अजय सक्सेना पुत्र श्री जगदीश चन्द्र सक्सेना, फर्म :– मै. शिरडी सांई प्राइम फूड एण्ड बेवरेजेज, एलएलपी डाली बाई मंदिर के पास, चौखा रोड, प्लॉट सं 42, खसरा नं 756, बाईपास रोड,जोधपुर।
09. श्री चन्दन सिंह पुत्र श्री बुद्धसिंह राठौड़,फर्म :– मै. शिरडी सांई प्राइम फूड एण्ड बेवरेजेज, एलएलपी डाली बाई मंदिर के पास, चौखा रोड, प्लॉट सं 42, खसरा नं 756, बाईपास रोड,जोधपुर।
10. फर्म :– मै. शिरडी सांई प्राइम फूड एण्ड बेवरेजेज, एलएलपी डाली बाई मंदिर के पास, चौखा रोड, प्लॉट सं 42, खसरा नं 756, बाईपास रोड,जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 42/2017

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जोधपुर।		1. श्री महावीरचंद सिंघवी पुत्र श्री हरक चंद, फर्म :– मै. सिंघवी ट्रेडर्स, 2/193, कुडी भगतासनी हाउसिंगबोर्ड जोधपुर। 2. श्री अजय सक्सेना पुत्र श्री जगदीश चन्द्र सक्सेना, फर्म :– मै. शिरडी सांई प्राइम फूड एण्ड बेवरेजेज, एलएलपी डाली बाई मंदिर के पास, चौखा रोड, प्लॉट सं 42, खसरा नं 756, बाईपास रोड,जोधपुर। 3. श्री चन्दन सिंह पुत्र श्री बुद्धसिंह राठौड़, फर्म :– मै. शिरडी सांई प्राइम फूड एण्ड बेवरेजेज, एलएलपी डाली बाई मंदिर के पास, चौखा रोड, प्लॉट सं 42, खसरा नं 756, बाईपास रोड,जोधपुर। 4. फर्म :– मै. शिरडी सांई प्राइम फूड एण्ड बेवरेजेज, एलएलपी डाली बाई मंदिर के पास, चौखा रोड, प्लॉट सं 42, खसरा नं 756, बाईपास रोड,जोधपुर।

आदेश

7. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 08.06.2017 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी मै. शिरडी सांई प्राइम फूड एण्ड बेवरेजेज, एलएलपी डाली बाई मंदिर के पास, चौखा रोड, प्लॉट सं 42, खसरा नं 756, बाईपास रोड, जोधपुर पहुँचा वहां स्वीटेड कार्बोनेटेड वाटर (औरेंज गो सीओ 2 ब्राण्ड) के 200 एमएल के 24 पेट बोटल के 50 कार्टून जनता हेतु वास्ते विक्रय हेतु था। उक्त उपलब्ध स्वीटेड कार्बोनेटेड वाटर (औरेंज गो सीओ 2 ब्राण्ड)के नियमानुसार 60 पेट बोटल्स वास्ते जांच मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 438/– देकर खरीदे तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
8. विक्रेता व गवाह के सामने खरीदशुदा स्वीटेड कार्बोनेटेड वाटर (औरेंज गो सीओ 2 ब्राण्ड) के15 बोटल्स के पेकेट बनाकर प्रत्येक पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड व सीरियल नम्बर एम– 1517 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमूना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एम– 1517 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमूना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एम– 1517 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
9. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाफा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि उक्त चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एम– 1517 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस 496/एक्ट/2017/544

अप्रार्थीगण को सुना गया। मनन के पश्चात् पाया कि अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 52 का दोषी हैं। अप्रार्थी यदि रिपोर्ट दिनांक 15.11.2016 से सन्तुष्ट न था तो उनके पास रेफरल लेब जाने का अवसर था, परन्तु उन्होने निर्धारित समय में अपील पेश न की । ऐसी स्थिति में अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 52 का दोषी हैं। अप्रार्थी संख्या 1 पर शास्ती रूपये ..... अक्षरे रूपये ..... व अप्रार्थी संख्या 2 पर शास्ती रूपये ..... अक्षरे रूपये ..... की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थी उपरोक्त शास्ती राशि **न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर (ADD JUDICATING OFFICER AND ADM CITY, JODHPUR)** के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक .... के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।

6. निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

क्रमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2018/ **दिनांक :–**

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01. अभिहित अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी, जोधपुर।
02. श्री संदीप अग्रवाल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी, जोधपुर।
03. श्री नन्द किशोर राठी पुत्र श्री रामविलास राठी, फर्म :– मै. माहेश्वरी सेल्स ऐजेन्सीज, 3 फ 2, मधुबन हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर।
04. श्री नरपत सिंह भाटी पुत्र श्री मोहन सिंह भाटी, फर्म :– मै. आर पी इण्डस्ट्रीज , कांता खातुरिया कॉलोनी, बीकानेर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 108/2017

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जोधपुर।		01. श्री नितिन अरोड़ा पुत्र श्री वासुदेव अरोड़ा, फर्म :– मै. श्री अरोडा नमकीन, 43 दाऊजी होटल, बासनी द्वितीय फेस, जोधपुर।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 24.10.2016 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी मै. श्री अरोडा नमकीन, 43 दाऊजी होटल, बासनी द्वितीय फेस, जोधपुर पहुँचा वहां लगभग 15 किलोग्राम खाद्य पदार्थ मावा आम जनता हेतु वास्ते विक्रय रखे हुए थे। उक्त उपलब्ध खाद्य पदार्थ में से नियमानुसार 1 किलोग्राम वास्ते जांच मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 360/– देकर खरीदे तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. विक्रेता व गवाह के सामने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ मावा को हिला मिला कर एक रूप कर बराबर 4 साफ सूखी व खाली प्लास्टिक की शीशियों में डाल कर प्रत्येक शीशी में 20 बूंदें फार्मेलिन की बतौर परिरक्षक गई एवं पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड व सीरियल नम्बर एम– 1307 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमूना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एम– 1307 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमूना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एम– 1307 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाफा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि उक्त चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एम– 1307 की जॉच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जॉच रिपोर्ट एलएस 1289/एक्ट/2017/1321 दिनांक 15.11.2016 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ रसगुल्ला (श्री ओम) मिथ्या छाप होना पाया गया। **उक्त** प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एम– 1307 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाईल करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।
4. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। अप्रार्थीगण स्वयं उपस्थित एवं निवेदन किया कि
5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट कमांक 1321 दिनांक 15.11.2016 का अवलोकन किया तथा

अप्रार्थी संख्या 2 ने इसे इन्कार किया एवं बताया कि अप्रार्थी संख्या 1 ने हेरा फेरी कर बिल संख्या 26 को 62 बना दिया है जो गलत है। न्यायालय स्तर पर इस तरह कि हेराफेर की जांच की जाना संभव नहीं है इस हेतु अप्रार्थी संख्या 2 अपने स्तर से सक्षम न्यायालय मे चाराजाही करे। प्रथम दृष्टया अप्रार्थी संख्या 1 व 2 खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 52 के दोषी हैं।

5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट कमांक 1321 दिनांक 15.11.2016 का अवलोकन किया तथा अप्रार्थीगण को सुना गया। मनन के पश्चात् पाया कि अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 52 का दोषी हैं। अप्रार्थी यदि रिपोर्ट दिनांक 15.11.2016 से सन्तुष्ट न था तो उनके पास रेफरल लेब जाने का अवसर था, परन्तु उन्होने निर्धारित समय में अपील पेश न की । ऐसी स्थिति में अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 52 का दोषी हैं। अप्रार्थी संख्या 1 पर शास्ती रूपये ..... अक्षरे रूपये ..... व अप्रार्थी संख्या 2 पर शास्ती रूपये ..... अक्षरे रूपये ..... की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थी उपरोक्त शास्ती राशि **न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर (ADD JUDICATING OFFICER AND ADM CITY, JODHPUR)** के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक .... के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।
6. निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

कमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2018/ **दिनांक :–**

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01. अभिहित अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी, जोधपुर।
02. श्री संदीप अग्रवाल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी, जोधपुर।
03. श्री नन्द किशोर राठी पुत्र श्री रामविलास राठी, फर्म :– मै. माहेश्वरी सेल्स ऐजेन्सीज, 3 फ 2, मधुबन हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर।
04. श्री नरपत सिंह भाटी पुत्र श्री मोहन सिंह भाटी, फर्म :– मै. आर पी इण्डस्ट्रीज , कांता खातुरिया कॉलोनी, बीकानेर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 108 / 2017

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जोधपुर।		01. श्री नन्द किशोर राठी पुत्र श्री रामविलास राठी, फर्म :– मै. माहेश्वरी सेल्स ऐजेन्सीज, 3 फ 2, मधुबन हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर। 02. श्री नरपत सिंह भाटी पुत्र श्री मोहन सिंह भाटी, फर्म :– मै. आर पी इण्डस्ट्रीज , कांता खातुरिया कॉलोनी, बीकानेर।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 24.10.2016 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी मै. माहेश्वरी सेल्स ऐजेन्सीज, 3 फ 2, मधुबन हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर पहुँचा वहां रसगुल्ला (श्री ओम) 1 किलोग्राम के 10 टिन आम जनता हेतु वास्ते विक्रय रखे हुए थे। उक्त उपलब्ध रसगुल्ला (श्री ओम) के उपलब्ध टिनों में से नियमानुसार 1 किलोग्राम के 4 टिन वास्ते जांच मिलावट / अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 400 / – देकर खरीदे तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. विक्रेता व गवाह के सामने खरीदशुदा चारों टिनों पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड व सीरियल नम्बर एम– 1307 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमूना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एम– 1307 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमूना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एम– 1307 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाफा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि उक्त चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एम– 1307 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस 1289 / एक्ट / 2017 / 1321 दिनांक 15.11.2016 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ रसगुल्ला (श्री ओम) मिथ्या छाप होना पाया गया। **उक्त** प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एम– 1307 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाईल करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।
4. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। अप्रार्थीगण स्वयं उपस्थित एवं निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 स्वयं ने विपत्र संख्या 26 दिनाक 17.10.2016 खरीदशुदा माल बिल कॉपी सहित वापिस लौटा देना बताया है जबकि

रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एम– 1365 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाईल करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।

4. अप्रार्थी से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। वकील अप्रार्थी स्वयं उपस्थित। जवाब पेश किया एंव अप्रार्थीगण की ओर से बहस की गई। बहस के दौरान जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 01 से 03 ने कच्ची घाणी सरसों तेल (स्कूटर) बिल द्वारा निर्माता से क्रय किया है अतः इनका इसमें कोई दोष नहीं होने से इस्तगासा खारिज फरमाया जावे तथा अप्रार्थी संख्या 4 व 5 अप्रार्थी सं 06 निर्माता फर्म के नॉमिनी हैं। लेबोरेटरी रिपोर्ट में कम अंतर से तेल सबस्टेण्डर्ड आया है अतः कम जुर्माना लगाने हेतु निवेदन किया है।

5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट क्रमांक 57 दिनांक 31.01.2017 का अवलोकन किया तथा अप्रार्थीगण को सुना गया। मनन के पश्चात् पाया कि अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थी यदि रिपोर्ट दिनांक 31.01.2017 से सन्तुष्ट न था तो उनके पास रेफरल लेब जाने का अवसन था, परन्तु उन्होने निर्धारित समय में अपील पेश न की । ऐसी स्थिति में अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थी संख्या 1 पर शास्ती रूपये ..... अक्षरे रूपये ..... अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 पर शास्ती रूपये ..... अक्षरे रूपये ..... एवं अप्रार्थीगण संख्या 4से 6 पर शास्ती रूपये ..... अक्षरे रूपये ..... की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि **न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर (ADJUDICATING OFFICER AND ADM CITY, JODHPUR)**के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक ..... के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।

6. निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

क्रमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2018/ **दिनांक :–**

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01. श्री रजनीश शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर।
02. श्री पवन गोयल पुत्र श्री रामस्वरूप गोयल, फर्म :– मै. संजय गोयल एण्ड कम्पनी राखी हाउस, जोधपुर।
03. श्रीमती कमला देवी पत्नी श्री मोहनलाल बोथरा, मैसर्सः बोथरा टी ट्रेडर्स, एल1, प्रथम/49 कृषी मण्डी रोड, जोधपुर।
04. श्री सुभाषचन्द्र अग्रवाल पुत्र श्री अनन्तराम अग्रवाल, मैसर्स गोविन्द ऐजेन्सीज, 167, स्टेडियम शॉपिंग सेंटर, जोधपुर।
05. श्री बने सिंह पुत्र स्व श्री भंवरसिंह, मैसर्सः दीपक वेजप्रो प्राईवेट लिमिटेड, ओल्ड इण्डस्ट्रियल एरिया, इतराना रोड़ अलवर राजस्थान।
06. श्री सुधर सिंह पुत्र श्री धनपाल लाल, मैसर्सः दीपक वेजप्रो प्राईवेट लिमिटेड, ओल्ड इण्डस्ट्रियल एरिया, इतराना रोड़ अलवर राजस्थान।
07. मैसर्सः दीपक वेजप्रो प्राईवेट ओल्ड इण्डस्ट्रियल एरिया, इतराना रोड़ अलवर राजस्थान।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 65/2017

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जोधपुर।		1. श्री पवन गोयल पुत्र श्री रामस्वरूप गोयल, फर्म :– मै. संजय गोयल एण्ड कम्पनी राखी हाउस, जोधपुर। 2. श्रीमती कमला देवी पत्नी श्री मोहनलाल बोथरा, मैसर्सः बोथरा टी ट्रेडर्स, एल1, प्रथम/49 कृषी मण्डी रोड, जोधपुर। 3. श्री सुभाषचन्द्र अग्रवाल पुत्र श्री अनन्तराम अग्रवाल, मैसर्स गोविन्द ऐजेन्सीज, 167, स्टेडियम शॉपिंग सेंटर, जोधपुर। 4. श्री बने सिंह पुत्र स्व श्री भंवरसिंह, मैसर्सः दीपक वेजप्रो प्राईवेट लिमिटेड, ओल्ड इण्डस्ट्रियल एरिया, इतराना रोड़ अलवर राजस्थान। 5. श्री सुधर सिंह पुत्र श्री धनपाल लाल, मैसर्सः दीपक वेजप्रो प्राईवेट लिमिटेड, ओल्ड इण्डस्ट्रियल एरिया, इतराना रोड़ अलवर राजस्थान। 6. मैसर्सः दीपक वेजप्रो प्राईवेट लिमिटेड, ओल्ड इण्डस्ट्रियल एरिया, इतराना रोड़ अलवर राजस्थान

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 18.01.2017 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी मै. संजय गोयल एण्ड कम्पनी राखी हाउस, जोधपुर पहुँचा वहां कच्ची घाणी सरसों तेल (सकूटर) के 1 लीटर के 10 बोटल जनता हेतु वास्ते विक्रय था। उक्त उपलब्ध कच्ची घाणी सरसों तेल (सकूटर) के नियमानुसार 1 लीटर की 4 बोटल्स एक ही बैच व निर्माण तिथी के वास्ते जांच मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 480/– देकर खरीदे तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. विक्रेता व गवाह के सामने खरीदशुदा कच्ची घाणी सरसों तेल (सकूटर) के 4 बोटल्स प्रत्येक पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड व सीरियल नम्बर एम– 1365 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमूना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एम– 1365 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमूना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एम– 1365 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाफा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि उक्त चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एम– 1365 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस 47/एक्ट/2017/57 दिनांक 31.01.2017 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ अमानक स्तर का होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा

संख्या 277F/FSSA/2017 दिनांक 27.07.2017 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ अमानक स्तर का होना पाया गया। **उक्त** प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एम– 1468 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाईल करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।

4. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। अप्रार्थीगण उपस्थित नहीं । जवाब हेतु अवसर दिये गये। जवाब बंद किया गया। बहस हेतु आवाज लगायी गई। उपस्थित नही। एक पक्षीय आदेश करना उचित प्रतीत होता है।
5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा रेफरल फूड लेबोरेटरी मैसूर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सर्टिफिकेट संख्या 277F/FSSA/2017 दिनांक 27.07.2017 का अवलोकन किया तथा अप्रार्थीगण को सुना गया। मनन के पश्चात् पाया कि अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थीगण पर शास्ती रूपये ..... अक्षरे रूपये ..... की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि **न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर** के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक ..... के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।
6. निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

कमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2018/ **दिनांक :–**

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01. कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी, जोधपुर।
02. श्री संदीप अग्रवाल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी, जोधपुर।
03. श्री रविन्द्र परिहार पुत्र श्री गणपति सिंह, फर्म :– मै. वी डी फूड जोन, मकान सं 63, रेजीडेंसी रोड, गोयल हॉस्पीटल के पास, जोधपुर।
04. श्री नितेश सोनी, फर्म :– मै.वी डी फूड जोन, मकानसं 63, रेजीडेंसी रोड, गोयल हॉस्पीटल के पास जोधपुर।
05. फर्म :– मै.वी डी फूड जोन, मकानसं 63, रेजीडेंसी रोड, गोयल हॉस्पीटल के पास जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 02 / 2018

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जोधपुर।		01. श्री रविन्द्र परिहार पुत्र श्री गणपति सिंह, फर्म :– मै. वी डी फूड जोन, मकान सं 63, रेजीडेंसी रोड, गोयल हॉस्पीटल के पास, जोधपुर। 02. श्री नितेश सोनी, फर्म :– मै.वी डी फूड जोन, मकानसं 63, रेजीडेंसी रोड, गोयल हॉस्पीटल के पास जोधपुर। 03. फर्म :– मै.वी डी फूड जोन, मकानसं 63, रेजीडेंसी रोड, गोयल हॉस्पीटल के पास जोधपुर।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 06.04.2017 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी मै.वी डी फूड जोन, मकानसं 63, रेजीडेंसी रोड, गोयल हॉस्पीटल के पास, जोधपुर पहुँचा वहां आइसक्रीम बनाने का घोल 15 किलोग्राम आम जनता हेतु वास्ते विक्रय हेतु था। उक्त उपलब्ध आइसक्रीम बनाने के घोल में से नियमानुसार 1200 ग्राम वास्ते जांच मिलावट / अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 240 / – देकर खरीदे तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. विक्रेता व गवाह के सामने खरीदशुदा 1200 ग्राम आइसक्रीम बनाने के घोल को एक स्टील की भगोली में हिलामिला कर एक रूप किया तत्पश्चात चार साफ व सूखे एवं खाली, चौडे मुंह वाली प्लास्टिक की बोतलों में बराबर डाला एवं प्रत्येक बोतल में 36–36 बूंदे फार्मेलिन (बतौर प्रिजरवेटिव) की डाल कर को ढक्कन लगाकर एयर टाइट बंद किया एवं प्रत्येक बोतल पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड व सीरियल नम्बर एम– 1468 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमूना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एम– 1468 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमूना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एम– 1468 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाफा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि उक्त चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एम– 1468 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस 322 / एक्ट / 2017 / 323 दिनांक 18.04.2017 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ आइसक्रीम बनाने का घोल (Unsafe Food) Under Section 3(1)(zz)(xi) of Food safety and Standard Act-2006 होना पाया गया। कारोबारकर्ता द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ आईस क्रीम बनाने का घोल की पुनः जांच रेफरल लेब से करवाने हेतु प्रार्थनापत्र मय जांच शुल्क ड्राफ्ट अभिहित अधिकारी को प्रस्तुत किया तत्पश्चात नमूने का सुरक्षित भाग नमूना संख्या एम– **1468 दिनांक** 06.06.2017 को रेफरल फूड लेबोरेटरी मैसूर को जरिये रजि डाक नियमानुसार सील्ड कर भेजा गया। यहां से प्राप्त जांच रिपोर्ट सर्टिफिकेट

भागों में एम– 1517 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस 496/एक्ट/2017/544 दिनांक 14.06.2017 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ अमानक स्तर का व मिथ्याछाप होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एम– 1517 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाईल करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।

4. अप्रार्थी से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। जवाब हेतु अनेक अवसर दिये गये। जवाब पेश नहीं । जवाब बंद किया गया। बहस हेतु भी अवसर दिया गया परन्तु उपस्थित नहीं । आवाज लगायी गई।
5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट क्रमांक 544 दिनांक 16.06.2017 का अवलोकन किया तथा अप्रार्थीगण को सुना गया। मनन के पश्चात् पाया कि अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51,52 का दोषी हैं। अप्रार्थी यदि रिपोर्ट दिनांक 16.06.2017 से सन्तुष्ट न था तो उनके पास रेफरल लेब जाने का अवसन था, परन्तु उन्होने निर्धारित समय में अपील पेश न की । ऐसी स्थिति में अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51,52 का दोषी हैं। अप्रार्थीगण पर शास्ती रूपये ..... अक्षरे रूपये ..... की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि **न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर** के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक ..... के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।
6. निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

क्रमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2018/ **दिनांक :–**

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01. श्री रजनीश शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर।
02. श्री विपिन शर्मा पुत्र श्री सुभाष चन्द्र शर्मा, फर्म :– मै. शिरडी सांई प्राइम फूड एण्ड बेवरेजेज, एलएलपी डाली बाई मंदिर के पास, चौखा रोड, प्लॉट सं 42, खसरा नं 756, बाईपास रोड,जोधपुर।
03. श्री अजय सक्सेना पुत्र श्री जगदीश चन्द्र सक्सेना, फर्म :– मै. शिरडी सांई प्राइम फूड एण्ड बेवरेजेज, एलएलपी डाली बाई मंदिर के पास, चौखा रोड, प्लॉट सं 42, खसरा नं 756, बाईपास रोड,जोधपुर।
04. श्री चन्दन सिंह पुत्र श्री बुद्धसिंह राठौड़,फर्म :– मै. शिरडी सांई प्राइम फूड एण्ड बेवरेजेज, एलएलपी डाली बाई मंदिर के पास, चौखा रोड, प्लॉट सं 42, खसरा नं 756, बाईपास रोड,जोधपुर।
05. फर्म :– मै. शिरडी सांई प्राइम फूड एण्ड बेवरेजेज, एलएलपी डाली बाई मंदिर के पास, चौखा रोड, प्लॉट सं 42, खसरा नं 756, बाईपास रोड,जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 116/2017

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जोधपुर।		1. श्री विपिन शर्मा पुत्र श्री सुभाष चन्द्र शर्मा, फर्म :– मै. शिरडी सांई प्राइम फूड एण्ड बेवरेजेज, एलएलपी डाली बाई मंदिर के पास, चौखा रोड, प्लॉट सं 42, खसरा नं 756, बाईपास रोड,जोधपुर। 2. श्री अजय सक्सेना पुत्र श्री जगदीश चन्द्र सक्सेना, फर्म :– मै. शिरडी सांई प्राइम फूड एण्ड बेवरेजेज, एलएलपी डाली बाई मंदिर के पास, चौखा रोड, प्लॉट सं 42, खसरा नं 756, बाईपास रोड,जोधपुर। 3. श्री चन्दन सिंह पुत्र श्री बुद्धसिंह राठौड़, फर्म :– मै. शिरडी सांई प्राइम फूड एण्ड बेवरेजेज, एलएलपी डाली बाई मंदिर के पास, चौखा रोड, प्लॉट सं 42, खसरा नं 756, बाईपास रोड,जोधपुर। 4. फर्म :– मै. शिरडी सांई प्राइम फूड एण्ड बेवरेजेज, एलएलपी डाली बाई मंदिर के पास, चौखा रोड, प्लॉट सं 42, खसरा नं 756, बाईपास रोड,जोधपुर।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 18.05.2017 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी मै. शिरडी सांई प्राइम फूड एण्ड बेवरेजेज, एलएलपी डाली बाई मंदिर के पास, चौखा रोड, प्लॉट सं 42, खसरा नं 756, बाईपास रोड, जोधपुर पहुँचा वहां स्वीटेड कार्बोनेटेड वाटर (औरेंज गो सीओ 2 ब्राण्ड) के 200 एमएल के 24 पेट बोटल के 50 कार्टून जनता हेतु वास्ते विक्रय हेतु था। उक्त उपलब्ध स्वीटेड कार्बोनेटेड वाटर (औरेंज गो सीओ 2 ब्राण्ड)के नियमानुसार 60 पेट बोटल्स वास्ते जांच मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 438/– देकर खरीदे तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. विक्रेता व गवाह के सामने खरीदशुदा स्वीटेड कार्बोनेटेड वाटर (औरेंज गो सीओ 2 ब्राण्ड) के 60 बोटल्स को 15 बोटल्स के पेकेट बनाकर प्रत्येक पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड व सीरियल नम्बर एम–1517 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमूना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एम– 1517 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमूना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एम– 1517 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाफा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि उक्त चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2

से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एम–1526 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाईल करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।

4. अप्रार्थी से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। वकील अप्रार्थी स्वयं उपस्थित। वकील अप्रार्थी ने जवाब प्रस्तुत किया। बहस के दौरान जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि उन्होने पनीर जोधपुर डेयरी से क्रय किया है अतः इसमें हमारा कोई दोष नहीं है अतः जोधपुर डेयरी को पार्टी बनाया जाकर हामरे विरूद्ध मामला ड्रॉप फरमाया जावे।
5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट क्रमांक 504 दिनांक 31.05.2017 का अवलोकन किया तथा अप्रार्थीगण के अधिवक्ता को सुना गया तथा मनन के पश्चात् पाया कि अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थी यदि रिपोर्ट दिनांक 31.05.2017 से सन्तुष्ट न था तो उनके पास रेफरल लेब जाने का अवसन था, परन्तु उन्होने निर्धारित समय में अपील पेश न की । अप्रार्थी का प्रार्थना पत्र जोधपुर डेयरी को पार्टी बनाने हेतु पूर्व में ही पैकेजिंग एवं लेबलिंग के रूल्स लागू होते हैं खुले पनीर का सेम्पल लिया गया था ऐसी स्थिति में जोधपुर डेयरी को पार्टी नहीं बनाया जा सकता। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थीगण पर शास्ती रूपये ..... अक्षरे रूपये ..... की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि **न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर (ADJUDICATING OFFICER AND ADM CITY, JODHPUR)** के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक ..... के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।
6. निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

क्रमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2018/ **दिनांक :–**

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर।
2. श्री संदीप अग्रवाल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर।
3. सुश्री रूबी वीरवानी पुत्री श्री चंचलदास वीरवानी, मैसर्स सिक्स सेंस रेस्टोरेंट (ए युनिट ऑफ श्री जी फूड्स), ब्लॉक सी, मैन सी रोड़, नियर महावीर कॉम्प्लेक्स, सरदारपुरा, जोधपुर।
4. श्री रोहित जिंदल, मैसर्सः सिक्स सेंस रेस्टोरेंट (ए युनिट ऑफ श्री जी फूड्स), ब्लॉक सी, मैन सी रोड़, नियर महावीर कॉम्प्लेक्स, सरदारपुरा, जोधपुर।
5. शिल्पी जिंदल, मैसर्सः सिक्स सेंस रेस्टोरेंट (ए युनिट ऑफ श्री जी फूड्स), ब्लॉक सी, मैन सी रोड़, नियर महावीर कॉम्प्लेक्स, सरदारपुरा, जोधपुर।
6. मैसर्सः सिक्स सेंस रेस्टोरेंट (ए युनिट ऑफ श्री जी फूड्स), ब्लॉक सी, मैन सी रोड़, नियर महावीर कॉम्प्लेक्स, सरदारपुरा, जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 125/2017

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जोधपुर।		1. सुश्री रूबी वीरवानी पुत्री श्री चंचलदास वीरवानी, मैसर्सः सिक्स सेंस रेस्टोरेंट (ए युनिट ऑफ श्री जी फूड्स), ब्लॉक सी, मैन सी रोड़, नियर महावीर कॉम्प्लेक्स, सरदारपुरा, जोधपुर। 2. श्री रोहित जिंदल, मैसर्सः सिक्स सेंस रेस्टोरेंट (ए युनिट ऑफ श्री जी फूड्स), ब्लॉक सी, मैन सी रोड़, नियर महावीर कॉम्प्लेक्स, सरदारपुरा, जोधपुर। 3. शिल्पी जिंदल, मैसर्सः सिक्स सेंस रेस्टोरेंट (ए युनिट ऑफ श्री जी फूड्स), ब्लॉक सी, मैन सी रोड़, नियर महावीर कॉम्प्लेक्स, सरदारपुरा, जोधपुर। 4. मैसर्सः सिक्स सेंस रेस्टोरेंट (ए युनिट ऑफ श्री जी फूड्स), ब्लॉक सी, मैन सी रोड़, नियर महावीर कॉम्प्लेक्स, सरदारपुरा, जोधपुर।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 22.05.2016 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी मैसर्स सिक्स सेंस रेस्टोरेंट (ए युनिट ऑफ श्री जी फूड्स), ब्लॉक सी, मैन सी रोड़, नियर महावीर कॉम्प्लेक्स, सरदारपुरा, जोधपुर **पहुंचा**, यहां लगभग 5 किलोग्राम पनीर एक स्टील की ट्रे में सब्जी, पकौड़े, फास्ट फूड इत्यादि बनाकर आम जनता हेतु वास्ते विक्रय रखा हुआ था। वास्ते जांच मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 300/– देकर पनीर 1 किलोग्राम साफ सूखी एवं खाली स्टील की ट्रे में खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. विक्रेता व गवाह के सामने खरीदसुदा पनीर को तुलवाकर साफ चाकू से क्रश कर हिलामिला कर साफ सूखी बोतलों में (250 ग्राम प्रत्येक के हिसाब से) डाला व प्रत्येक बोतल में फॉर्मेलिन की 20–20 बूंदें डलाकर प्रत्येक बोतल को ढक्कन लगाकर एयर टाईट बंद किया। इन सेम्पल की बोतलों पर लगाने के लिए लेबल तैयार किये जिस पर डी. ओ.कोड़ व सीरियल नम्बर एम–1526, खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमूना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एम–1526 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमूना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एम–1526 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाफा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि उक्त चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एम–1526 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस 507/एक्ट/2017/504 दिनांक 01.05.2017 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने

मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर (ADJUDICATING OFFICER AND ADM CITY, JODHPUR) के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक ..... के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।

6. निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

क्रमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2018/ **दिनांक :–**

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01. अभिहित अधिकारी एवं संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं जोन जोधपुर।
02. श्री राजेश टिंकर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं जोन जोधपुर।
03. श्री रणवीर सिंह पुत्र श्रीराजनाथ सिंह, फर्म :– मै. राम कनोट प्लाजा रेस्टोरेंट प्रा. लि. (मेकडोनाल्ड फैमेली रेस्टोरेन्ट), अन्सल रॉयल प्लाजा, शॉप नं 182 (ए जी एफ) एवं 10 व 11 (जी एफ) हाईकोर्ट रोड, जोधपुर।
04. सुश्री पूनम चौधरी पुत्री श्री विजय पाल सिंह, फर्म :– मै. राम कनोट प्लाजा रेस्टोरेंट प्रा. लि. (मेकडोनाल्ड फैमेली रेस्टोरेन्ट), अन्सल रॉयल प्लाजा, शॉप नं 182 (ए जी एफ) एवं 10 व 11 (जी एफ) हाईकोर्ट रोड, जोधपुर।
05. श्री चन्दर पाल सिंह पुत्र श्री मधुर सिंह, मै. राम कनोट प्लाजा रेस्टोरेंट प्रा. लि. (मेकडोनाल्ड फैमेली रेस्टोरेन्ट), अन्सल रॉयल प्लाजा, शॉप नं 182 (ए जी एफ) एवं 10 व 11 (जी एफ) हाईकोर्ट रोड, जोधपुर।
06. फर्म मै. राम कनोट प्लाजा रेस्टोरेंट प्रा. लि. (मेकडोनाल्ड फैमेली रेस्टोरेन्ट), अन्सल रॉयल प्लाजा, शॉप नं 182 (ए जी एफ) एवं 10 व 11 (जी एफ) हाईकोर्ट रोड, जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

Yadhuveer Singh Rathod, D.O., Zone Jodhpur was placed as per the requirement of the law from top to bottom with strong adhesive, tying each sample with a strong thread. It is wrong and denied that one covering knot and two on the sides of the sample with the seal of the Applicant. It is also denied that Signature of the Respondent and of the witness/s was obtained on each part of the sample in the prescribed manner i.e. partly on the wrapper and partly on the slip. It is wrong and denied that contents of the paper wrapping slip was read over and explained to the seller and to the witness/s. It is wrong and denied that the alleged sample of the used refined palmolein oil were sealed on the spot by the FSO in the presence of the seller and witness. The contents of Para No 7, No.8 and No.9 of the application to the extent of being matter of record requires no comment from the respondent, remaing averments made therein are wrong and denied. It is wrong and denied that the Respondent did not prefer any appeal. It is denied that Respondent refused to get the sample tested from the referral laboratory. While reiterating the averments made in the preceding pragraphs, it is stated that the sample which was collected by the FSO was not fit for any analysis for the reasons elaborated hereinabove. The contents of Para No 10, and No. 11 of the Application pertains to the matter of record and warrants no comments from the Respondents. It is submitted that instant proceedings are not maintainable for the want of proper sample and for the reason stated hereinabove in the preliminary objections, which are notbeing repeated to avoid prolixity. It is wrong and denied that the Respondent has sold loose Palmolein Oil. It is wrong and denied that finger chips were being fried in substandard used refined Palmolein oil. It is wrong and denied that Respondent has violated the provisions of the Act in any manner whatsoever and are liable for any penalry. It is submitted that the accused persons are neither manufacturer, dealer and/or distributor of the oil and therefore in terms of the provisions of The Food Safety and Standards Act, 2011 no prosecution can be initiated against them. Pass any order and further relief in favor of the Respondents and against the Applicant as may be deemed fit and appropriate.

एफएसओ उपस्थित। बताया कि प्रार्थी के द्वारा दिनांक 30.05.2016 को फर्म कनोट प्लाजा रेस्टोरेंट प्रा. लि. (मेकडोनाल्ड फैमेली रेस्टोरेन्ट), अन्सल रॉयल प्लाजा, शॉप नं 182 (ए जी एफ) एवं 10 व 11 (जी एफ) हाईकोर्ट रोड, जोधपुर समय 5:30 पीएम को पहुंचे नियमानुसार खाद्य कारोबारकर्ता/ रेस्टोरेन्ट मैनेजर रणवीर सिहं को एफएसओ होने का परिचय पत्र दिखाने पर उन्होनें रेस्टोरेंट की किचन का निरीक्षण करवाया। अधिवक्ता द्वारा यह कहना कि कोई कार्ड इत्यादि नहीं दिखाया गलत है। हमारे द्वारा परिचय देने के उपरांत ही उन्होंने रेस्टोरेंट की किचन के अन्दर आने की अनुमति दी तथा लगभग 13 किलो यूज्ड रिफाइण्ड पामोलिन आयल गरम हो रहा था जिसमें आलू की फ्रेच फ्राइज तली जा रही थी में मिलावट का शक होने पर 1600 ग्राम यूज्ड रिफाइण्ड पामोलिन आयल एफएसएस एक्ट 2006 रूल 2.4.1 (3) एंव धारा 47 (1) के तहत जांच हेतु खरीद कर लिया। खरीद की रसीद उनके लेटर हैड पर लिया। उक्त दोनो पर फर्म की सील व मैनेजर के हस्ताक्षर हैं तथा दिये गये कैश मीमो में भी मैनेजर द्वारा यूज्ड रिफाइण्ड पामोलिन आयल 13 किलो होना दर्शाया है तथा गवाह पार्थ कपूर व मैनेजर व एफबीओ रणवीर सिंह ने अपने स्वयं का आधार कार्ड स्वहस्ताक्षरित एवं फर्म की मोहर के साथ उपलब्ध कराया तथा फार्म 9 में फर्म के नॉमिनी एवं नॉमिनी के पहचान पत्र, बोर्ड आफ डायरेक्टर का रिजोल्यूशन, खाद्य अनुज्ञप्ति की फर्म की मोहर युक्त स्वप्रमाणित प्रतिलिपी उपलब्ध कराई तथा उन्हें जांच रिपोर्ट की प्रति रजिस्टर्ड उपलब्ध कराई जिसके तहत उन्हें जांच रिपोर्ट से संतुष्ट न होने पर 30 दिवस के भीतर धारा 46 (4) के तहत रेफरल लेब से जांच कराने हेतु सूचित किया। विभाग द्वारा इतने सब विधिक प्रक्रिया मौके पर/ कार्यालय स्तर पर संपादित की है। वकील अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब/बहस के सभी तथ्य निराधार हैं।

5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। वकील अप्रार्थी के जवाब व बहस सुनी गई। एएफएसओ को सुना गया। एएफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट क्रमांक 805 दिनांक 22.06.2016 का अवलोकन किया। मनन के पश्चात् पाया कि अप्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा जवाब व बहस के दौरान जो तथ्य रखे वे निराधार हैं। मैं अवलोकन के पश्चात खाद्य सुरक्षा अधिकारी की बहस से पूर्णतया संतुष्ट हूं। अतः ऐसी स्थिति में अप्रार्थी संख्या 01 से 04 खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थी यदि रिपोर्ट दिनांक 22.06.2016 से सन्तुष्ट न था तो उनके पास रेफरल लेब जाने का अवसर था, परन्तु उन्होने निर्धारित समय में अपील पेश न की । जिससे जाहिर होता हैकि अप्रार्थी लेबोरेटरी की जांच रिपोर्ट दिनांक 22.06.2016 से पूर्णतया सहमत थे। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थी संख्या 01 पर शास्ती रूपये ..... अक्षरे रूपये ..... की आरोपित की जाती हैं तथा अप्रार्थीगण संख्या 02 से 04 पर शास्ती रूपये ..... अक्षरे रूपये ..... की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थी उपरोक्त शास्ती राशि **न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला**

रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि उक्त चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एडी– 400 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस 676/एक्ट/2017/805 दिनांक 22.06.2016 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ अमानक स्तर का होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एडी– 400 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाईल करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।

4. अप्रार्थी को नोटिस भेजा गया। अप्रार्थी से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। वकील अप्रार्थी ने जवाब पेश किया। जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि The contents of paragraph number 3 of the application to the extent of presence and availability of the licence under the Act at the restaurant are fitted remaining averments made there in are wrong and denied it is wrong and denied that on 30-05-2016 at 05:30 p.m. said stinker in the capacity of food safety officer has reached the form message Connaught Plaza restaurants Private Limited (McConald's Family Restaurant) at Ansal Royal Plaza Shop number 182(AGF) and 10 and 11 (GF) High Court Road Jodhpur and after introducing himself had shown his ID card. it is wrong and denied that Mr Ranveer Singh son of Shri Nath Singh resident of 173, Maruti City, Shamshabad Road, Agra, UP was present in the restaurant. I it is wrong and denied that sh Rajveer Singh was preparing and selling the french fries and other fast food etc. to general public for their consumption in the capacity as a manager and seller. it was wrong and denied that the manager and seller was asked to provide food licence of the year 2016 and along with the identity card of sh. Parth Kapoor (witness) form-9, nominee certificate of Ms. Poonam Chaudgry and Sh. Chander Pal Singh, identity card of MS Poonam Singh and Chander Pal Singh resolution of the board of directors, resolution of the board of directors nominee fssi licence 122 14032000985 and aforestated document were produced by said manager and seller, whose detailed have not been given by the Applicant.That the contents of Para No. 4 and the application or wrong and denied it is wrong and denied that inspection of the kitchen was done by the said FSO. It is wrong and denied that 'used palmolein oil' was used in the restaurant. It is wrong and denied tha t French Fries were being fried in VAT machine containing about 13K.G. of used refined Palmolein oil. It is wrong and denied that the oil was adultreated and/or substandard. In this regard the averments made in the preceding paragraph No.3 under the brief facts,hereinabove are reiterated. It is wrong and denied that there existed or there was any apprehension or doubt about the quality of the said oil to be substandard/unsafe. It is wrong and denied that the Form 5A was filled in the presence of the witnesses. It is wrong and denied that any receipt was taken on Form 5A. It is wrong and denied that it was communicated to the seller and to witness that the sample of food article being 'used refined Palmilien oil' is being taken for the purpose of testing. It is stated that Form No. 5A was not filled in the presence of witnesses and their signatures were not obtained on it. The contents of Para No. 5 of the Application are wsrong and denied. It is wrong and denied that 166 g. used refined palmolien oil was purchased from the Restaurant. It is wrong and denied that in the precedence of the witness payment of Rs.171(Rupees one hundred and seventy one only) was made Qua the purchase of used refined Palmolien oil for the purpose of its analysis/ testing. In this regard it is stated that in absence of any standards prescrived under the law for the testing of used refined Palmolein oil. the alleged collection of the sample was, *Per se*, unlawful. It is wrong and denied that in the presende of the witness any receipt was issued, checked and signed by applicant FSO. In this regard while reitreating the averments made in the reseeding paragraph it is stated that entire process of oil management was elaborately explained to the Applicant and the Applicant was cateforically told that ' used refind Palmolein oil' is never used in the Restaurant but is discarded using a predfined process. The Respondent craves leave of this Court to refer and rely on the same at the time of final hearing and disposal of the applicantion under reply. The contents of the para No.6 of the Application are wrong and denied. It is wrong and denied that alleged sample of the used refind Palmolein oil was divided into four equal parts of about 400 grams and was put into four clean and dry bottles after bring the samples into normal temperature by cooling, and cap of each sample bottle was closed airtight, labled and marked D.O. Code and Number AD-400 and signed by the FSO by himself. It is wrong and denied that the labels on the alleged samples were signed by the witness and seller. It is wrong and denied that all the samples were wrapped in a brown paper separately, placing paper slip bearing signature of Dr.

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 38 / 2017

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, गजोधपुर।		1. श्री रणवीर सिंह पुत्र श्रीराजनाथ सिंह फर्म :– मै. कनोट प्लाजा रेस्टोरेंट प्रा. लि. (मेकडोनाल्ड फैमेली रेस्टोरेन्ट), अन्सल रॉयल प्लाजा, शॉप नं 182 (ए जी एफ) एवं 10 व 11 (जी एफ) हाईकोर्ट रोड, जोधपुर। 2. सुश्री पूनम चौधरी पुत्री श्री विजय पाल सिंह, फर्म :– मै. राम कनोट प्लाजा रेस्टोरेंट प्रा. लि. (मेकडोनाल्ड फैमेली रेस्टोरेन्ट), अन्सल रॉयल प्लाजा, शॉप नं 182 (ए जी एफ) एवं 10 व 11 (जी एफ) हाईकोर्ट रोड, जोधपुर। 3. श्री चन्दर पाल सिंह पुत्र श्री मधुर सिंह, मै. राम कनोट प्लाजा रेस्टोरेंट प्रा. लि. (मेकडोनाल्ड फैमेली रेस्टोरेन्ट), अन्सल रॉयल प्लाजा, शॉप नं 182 (ए जी एफ) एवं 10 व 11 (जी एफ) हाईकोर्ट रोड, जोधपुर। 4. फर्म मै. राम कनोट प्लाजा रेस्टोरेंट प्रा. लि. (मेकडोनाल्ड फैमेली रेस्टोरेन्ट), अन्सल रॉयल प्लाजा, शॉप नं 182 (ए जी एफ) एवं 10 व 11 (जी एफ) हाईकोर्ट रोड, जोधपुर।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 04.10.2017 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी मै. राम कनोट प्लाजा रेस्टोरेंट प्रा. लि. (मेकडोनाल्ड फैमेली रेस्टोरेन्ट), अन्सल रॉयल प्लाजा, शॉप नं 182 (ए जी एफ) एवं 10 व 11 (जी एफ) हाईकोर्ट रोड, जोधपुर पहुँचा वहां निरीक्षण करने पर युज्ड रिफाइण्ड पामोलिन ऑयल एक वेट में लगभग 13 किलोग्राम जिसमें आलू की फ्रेंच फाइज, एवं अन्य फास्ट फूड आदि को फ्राई कर आम जनता हेतु विक्रय हेतु उपयोग में लिया जा रहा था। उक्त उपलब्ध युज्ड रिफाइण्ड पामोलिन ऑयल में से नियमानुसार 1600 ग्राम वास्ते जांच मिलावट / अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 171 / – देकर खरीदे तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. विक्रेता व गवाह के सामने खरीदशुदा युज्ड रिफाइण्ड पामोलिन ऑयल 1600 ग्राम को ठण्डा कर सामान्य तापमान पर लाकर हिला मिला कर एक रूप कर चार साफ सूखी खाली प्लास्टिक की शीशियों में बराबर मात्रा (400 ग्राम प्रत्येक) में डालकर प्रत्येक बोतल को प्लास्टिक के ढक्कन से एयर टाइट बन्द कर इन पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड व सीरियल नम्बर एडी– 400 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमूना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एडी– 400 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमूना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एडी– 400 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाफा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर

4. अप्रार्थी को नोटिस भेजा गया। अप्रार्थी से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। मिल्क केक के बर्तन में कारीगर द्वारा घी के स्थान पर रिफाइण्ड ऑयल का चिकनाहट हेतु हाथ लगा दिया गया था, मैं बाहर गया हुआ था। पूर्व में भी मेरे सेम्पल लिये गये थे जिसमें वे सभी सही पाये गये थे। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि कारीगर द्वारा भूलवश गलती हुई है कृपाया माफी प्रदान कराने का कष्ट करावें या कम से कम जुर्माना से दण्डित करने को कष्ट करें।
5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट क्रमांक 876 दिनांक 12.10.2017 का अवलोकन किया तथा अप्रार्थीगण को सुना गया। मनन के पश्चात् पाया कि अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थी यदि रिपोर्ट दिनांक 12.10.2017 से सन्तुष्ट न था तो उनके पास रेफरल लेब जाने का अवसर था, परन्तु उन्होने निर्धारित समय में अपील पेश न की । ऐसी स्थिति में अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थीगण पर शास्ती रूपये ..... अक्षरे रूपये ..... की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थी उपरोक्त शास्ती राशि **न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर (ADJUDICATING OFFICER AND ADM CITY, JODHPUR)** के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक ..... के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।
6. निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

क्रमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2018/ **दिनांक :–**

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01. अभिहित अधिकारी एवं संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं जोन जोधपुर।
02. श्री विजयकांत गौतम, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं जोन जोधपुर।
03. श्री आनंद सिंह पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह, (विक्रेता), फर्म :– मै. राम अरोड़ा स्वीट्स एण्ड नमकीन, सांगरिया फाटा, जोधपुर।
04. श्री राम किशोर खत्री (मालिक), फर्म :– मै. राम अरोड़ा स्वीट्स एण्ड नमकीन, सांगरिया फाटा, जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 12 / 2018

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, गजोधपुर।		1. श्री आनंद सिंह पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह, (विक्रेता) फर्म :– मै. राम अरोड़ा स्वीट्स एण्ड नमकीन, सांगरिया फाटा, जोधपुर। 2. श्री राम किशोर खत्री (मालिक), फर्म :– मै. राम अरोड़ा स्वीट्स एण्ड नमकीन, सांगरिया फाटा, जोधपुर।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 04.10.2017 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी मै. राम अरोड़ा स्वीट्स एण्ड नमकीन, सांगरिया फाटा, जोधपुर पहुँचा, वहां खाद्य पदार्थ मिल्क केक (दूध व चीनी से निर्मित) लगभग 5 किलोग्राम एक स्टील की ट्रे में जनता हेतु वास्ते विक्रय हेतु था। उक्त उपलब्ध मावा में से नियमानुसार 2 किलोग्राम वास्ते जांच मिलावट / अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 680 / – देकर खरीदे तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. विक्रेता व गवाह के सामने खरीदशुदा मिल्क केक दो किलोग्राम को एक साफ सूखी स्टील की ट्रे में अच्छी तरह से हिला मिला कर एक रूप कर चार साफ सूखी खाली प्लास्टिक की शीशियों में बराबर मात्रा में डालकर प्रत्येक बोतल में फार्मेलिन की 40 बूंदें बतौर परिरक्षक की डाल कर प्रत्येक बोतल को एयर टाइट बन्द कर इन पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड व सीरियल नम्बर एडी– 646 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमूना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एडी– 646 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमूना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एडी– 646 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाफा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि उक्त चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एडी– 646 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस 876 / एक्ट / 2017 / 876 दिनांक 12.10.2017 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ अमानक स्तर का होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एडी– 646 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाईल करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।

इत्यादि नहीं करते हैं। दूध बाजार से खरीदने के कारण मावे में फैट कम पाया गया है। भविष्य में ऐसी गलती नहीं करेंगे अतः मामला समाप्त करावें।

5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट क्रमांक 1096 दिनांक 17.11.2017 का अवलोकन किया तथा अप्रार्थीगण को सुना गया। मनन के पश्चात् पाया कि अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थी यदि रिपोर्ट दिनांक 17.11.2017 से सन्तुष्ट न था तो उनके पास रेफरल लेब जाने का अवसर था, परन्तु उन्होने निर्धारित समय में अपील पेश न की । ऐसी स्थिति में अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थीगण पर शास्ती रूपये ..... अक्षरे रूपये ..... की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थी उपरोक्त शास्ती राशि **न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर (ADJUDICATING OFFICER AND ADM CITY, JODHPUR)** के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक ..... के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।
6. निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

क्रमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2018/ **दिनांक :–**

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01. अभिहित अधिकारी एवं संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं जोन जोधपुर।
02. श्री राजेश टिंकर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं जोन जोधपुर।
03. श्री मनीष वैष्णव पुत्र श्री जुगल किशोर वैष्णव, फर्म :– मै. वैष्णव स्वीटस, आडा बाजार, जोधपुर।
04. जुगल किशोर पुत्र श्री सीताराम वैष्णव, फर्म :– मै. वैष्णव स्वीटस, आडा बाजार, जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 18 / 2018

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जोधपुर।		1. श्री मनीष वैष्णव पुत्र श्री जुगल किशोर वैष्णव, फर्म :– मै. वैष्णव स्वीटस, आडा बाजार, जोधपुर। 2. जुगल किशोर पुत्र श्री सीताराम वैष्णव, फर्म :– मै. वैष्णव स्वीटस, आडा बाजार, जोधपुर।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 16.10.2017 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी मै. वैष्णव स्वीटस, आडा बाजार, जोधपुर पहुँचा वहां लगभग 3 किलोग्राम मावा एक स्टील की ट्रे में खाद्य पदार्थ मावा जनता हेतु वास्ते विक्रय हेतु था। उक्त उपलब्ध मावा में से नियमानुसार 1 किलोग्राम वास्ते जांच मिलावट / अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 400 / – देकर खरीदे तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. विक्रेता व गवाह के सामने खरीदशुदा मावा एक किलोग्राम को एक साफ सूखी स्टील की ट्रे में अच्छी तरह से हिला मिला कर एक रूप कर चार साफ सूखी खाली प्लास्टिक की शीशियों में बराबर मात्रा (250ग्राम प्रति) में डालकर प्रत्येक बोतल में फार्मेलिन की 20–20 बूंदें बतौर परिरक्षक की डाल कर प्रत्येक बोतल को एयर टाइट बन्द कर इन पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड व सीरियल नम्बर एडी– 674 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमूना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एडी– 674 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमूना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एडी– 674 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाफा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि उक्त चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एडी– 674 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस 1096 / एक्ट / 2017 / 1096 दिनांक 17.11.2017 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ अमानक स्तर का होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एडी– 674 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाईल करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।
4. अप्रार्थी को नोटिस भेजा गया। अप्रार्थी स्वयं उपस्थित एंव निवेदन किया कि अप्रार्थी शहर की एक पुरानी व छोटी दुकान है तथा बाजार से उच्च कोटी का दूध खरीद कर मावा बनाते हैं। लेकिन इसमें किसी प्रकार की मिलावट

5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट क्रमांक 95 दिनांक 13.02.2017 का अवलोकन किया तथा मनन के पश्चात् पाया कि अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थी यदि रिपोर्ट दिनांक 13.02.2017 से सन्तुष्ट न था तो उनके पास रेफरल लेब जाने का अवसन था, परन्तु उन्होने निर्धारित समय में अपील पेश न की । ऐसी स्थिति में अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थीगण पर शास्ती रूपये ..... अक्षरे रूपये ..... की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि **न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर (ADJUDICATING OFFICER AND ADM CITY, JODHPUR)** के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक ..... के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।
6. निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

क्रमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2018/ **दिनांक :–**

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

5. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर/कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं जोन जोधपुर।
6. संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर / कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं जोन जोधपुर।
7. श्री निखिल रामदासानी पुत्र श्री घनश्यामदास, मैसर्स गणेश ट्रेडर्स, 2/887, कुडी हाउसिंगबोर्ड, जोधपुर।
8. श्री प्रदीप चावला पुत्र श्री गोपीचंद, मैसर्स जानू स्वीट्स, घासमण्डी रोड जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 48/2017

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जोधपुर।		1. श्री पुष्पचंद जैन पुत्र श्री घनश्यामदास, मैसर्स गणेश ट्रेडर्स, 2/887, कुडी हाउसिंगबोर्ड, जोधपुर। 2. श्री प्रदीप चावला पुत्र श्री गोपीचंद, मैसर्स जानू स्वीट्स, घासमण्डी रोड जोधपुर।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 15.09.2016 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी मैसर्स गणेश ट्रेडर्स, 2/887, कुडी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर **पहुंचा**, यहां Sugar Boiled Confectionery (Smooth Butter R&J Product) आम जनता हेतु वास्ते विक्रय रखा हुआ था। Sugar Boiled Confectionery (Smooth Butter R&J Product) वास्ते जांच मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 220/– देकर Sugar Boiled Confectionery (Smooth Butter R&J Product) के 4 पाउच (प्रत्येक 500 ग्राम वजनी) खरीदे तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. विक्रेता व गवाह के सामने खरीदसुदा Sugar Boiled Confectionery (Smooth Butter R&J Product) के 500 ग्राम की पैकिंग को अलग अलग मोटे गत्ते के डिब्बों में डलाकर उन पर लगाने के लिए लेबल तैयार किये जिस पर जिस पर डी.ओ.कोड़ व सीरियल नम्बर एम–1397 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमूना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एम–1397 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमूना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एम–1397 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाफा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि उक्त चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एम–1397 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस 93/एक्ट/2017/95 दिनांक 13.02.2017 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एम–1397 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाईल करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।
4. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। जवाब हेतु अवसर दिये गये। जवाब पेश नहीं करने पर जवाब बंद किया गया। बहस हेतु भी उपस्थित नहीं। अतः एक पक्षीय आदेश पारित करना उचित समझती हूं।

4. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। वकील पक्षकार उपस्थित। जवाब पेश किया। बहस सुनी गई। बहस में अप्रार्थीगण संख्या दो की ओर से वकील ने बताया कि गौरव जैन का उक्त प्रकरण से कोई संबंध नहीं है। वर्तमान में गौरव जैन विद्यार्थी है उसके द्वारा किसी फर्म का संचालन नहीं किया जा रहा है। उक्त प्रकरण में जिस होटल के संबंध में प्रकरण दर्ज किया गया है उस होटल का किरायानामा दिनेश सिंह सांखला व राजेन्द्र कुमार जैन के मध्य हुआ है जिससे यह प्रतीत होता है कि गौरव जैन का इस होटल से कोई सरोकार नहीं है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अभियोजन संस्थित किये जाने की स्वीकृति के संबंध में गौरव जैन से कोई बातचीत नहीं हुई , न ही खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा इस सबंध में कोई पत्र अप्रार्थी संख्या 2 को प्रेषित किया गया जिससे यह प्रतीत होता है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा बिना किसी ठोस सबूत के अप्रार्थी संख्या 2 के विरूद्ध कार्यवाही की है अतः श्रीमानजी से निवेदन है कि गौरव जैन पुत्र श्री राजेन्द्र जैन को उक्त आरोपों से उन्मोचित किया जाये। तथा अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से निवेदन किया कि अप्रार्थी की प्रथम गलती है अतः न्यूनतम जुर्माना लगाने हेतु निवेदन है।
5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट क्रमांक 17 दिनांक 06.04.2017 का अवलोकन किया तथा अप्रार्थीगण के अधिवक्ता को सुना गया तथा मनन के पश्चात् पाया कि अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा मैसर्स होटल श्री नक्षत्र एक्सीलेंसी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एफएसओ द्वारा पत्रावली में प्रस्तुत किया गया है जो श्री गौरव जैन पुत्र राजेन्द्र जैन होलसेल प्रोपरायटर के नाम से है। अतः अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से दिया गया जवाब सही प्रतीत नहीं होता है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थी यदि रिपोर्ट दिनांक 17.01.2017 से सन्तुष्ट न था तो उनके पास रेफरल लेब जाने का अवसर था, परन्तु उन्होने निर्धारित समय में अपील पेश न की । ऐसी स्थिति में अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थीगण पर शास्ती रूपये ..... अक्षरे रूपये ..... की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि **न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर (ADJUDICATING OFFICER AND ADM CITY, JODHPUR)** के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक ..... के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।
6. निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

क्रमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2018/ **दिनांक :–**

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर/कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं जोन जोधपुर।
2. संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर / कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं जोन जोधपुर।
3. श्री दिनेश सिंह सांखला पुत्र श्री रतनलाल सांखला, मैसर्स होटल श्री नक्षत्र एक्सीलेंसी, 243 डी बच्छराज जी का बाग, बरक्तुल्ला स्टेडियम के सामने, मसूरिया सर्किल, जोधपुर।
4. श्री गौरव जैन पुत्र श्री राजेन्द्र जैन, मैसर्स होटल श्री नक्षत्र एक्सीलेंसी, 243 डी बच्छराज जी का बाग, बरक्तुल्ला स्टेडियम के सामने, मसूरिया सर्किल, जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 68/2017

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जोधपुर।		1. श्री दिनेश सिंह सांखला पुत्र श्री रतनलाल सांखला, मैसर्स होटल श्री नक्षत्र एक्सीलेंसी, 243 डी बच्छराज जी का बाग, बरक्तुल्ला स्टेडियम के सामने, मसूरिया सर्किल, जोधपुर। 2. श्री गौरव जैन पुत्र श्री राजेन्द्र जैन, मैसर्स होटल श्री नक्षत्र एक्सीलेंसी, 243 डी बच्छराज जी का बाग, बरक्तुल्ला स्टेडियम के सामने, मसूरिया सर्किल, जोधपुर।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 09.01.2017 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी मैसर्स होटल श्री नक्षत्र एक्सीलेंसी, 243 डी बच्छराज जी का बाग, बरक्तुल्ला स्टेडियम के सामने, मसूरिया सर्किल, जोधपुर **पहुंचा**, यहां परिसर का निरीक्षण करने पर एक फ्रिज में पनीर लगभग 2 किलोग्राम रखा हुआ था जिससे सब्जि बनाकर आम जनता को विक्रय किया जाना था। पनीर के वास्ते जांच मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 350/– देकर 1 किलोग्राम पनीर खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. विक्रेता व गवाह के सामने खरीदसुदा नमूना पनीर को साफ–सुखी खाली चौडे मुंहवाली चार कांच की शीशीयों में तोडकर बराबर–बराबर भरकर प्रत्येक नमूना शीशी में 20 बूंदें फॉर्मेलिन बतौर प्रीजरवेटिव डालकर एयरटाईट बंद कर चारों शीशीयों पर लगाने के लिए अलग–अलग चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड़ व सीरियल नम्बर जिस पर डी.ओ.कोड़ व सीरियल नम्बर एडी–508 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमूना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एडी–508 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमूना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एडी–508 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाफा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि उक्त चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एडी–508 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस 16/एक्ट/2016/17 दिनांक 17.01.2017 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ का सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एडी–508 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाईल करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।

6. निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

कमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2018/ **दिनांक :–**

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर/कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं जोन जोधपुर।
02. संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर / कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं जोन जोधपुर।
03. श्री अजय गांधी पुत्र श्री भीमराज गांधी, फर्म :– मै. भंवरलाल भीमराज गांधी, एमजी हॉस्पीटल के सामने, मेडिकल मार्केट जोधपुर।
04. श्री भीमराज गांधी पुत्र श्री भंरलाल गांधी, फर्म :– मै. भंवरलाल भीमराज गांधी, एमजी हॉस्पीटल के सामने, मेडिकल मार्केट जोधपुर।
05. श्रीमती रिंकी, श्री कृष्णा डिस्ट्रीब्यूटर्स, शॉप सं 48, कामधेनू शॉपिंग सेंटर, शास्त्री नगर रोड़, पीतल फैक्ट्री, जयपुर।
06. डॉ खुशवंत कुमार कौशल पुत्र श्री नेकराम कौशल, M/s. KNACK HEALTH CARE PVT. LTD 201/7,Dimension Tower. New Vardhman Market, West Enclave, Pitampura, New Delhi. 110041.
07. डॉ राजीव पाराशर पुत्र श्री परमानंद पाराशर, M/s. KNACK HEALTH CARE PVT. LTD 201/7,Dimension Tower. New Vardhman Market, West Enclave, Pitampura, New Delhi. 110041.
08. सुशमा सिंघल पुत्र श्री विद्यासागर अग्रवाल, M/s. KNACK HEALTH CARE PVT. LTD 201/7,Dimension Tower. New Vardhman Market, West Enclave, Pitampura, New Delhi. 110041
09. विनाती तनेजा पुत्री श्री जगदीश चंद्र वोहरा, M/s. KNACK HEALTH CARE PVT. LTD 201/7,Dimension Tower. New Vardhman Market, West Enclave, Pitampura, New Delhi. 110041
10. फर्म मैसर्स KNACK HEALTH CARE PVT. LTD 201/7,Dimension Tower. New Vardhman Market, West Enclave, Pitampura, New Delhi. 110041.
11. श्री दविन्दर कुमार सिंघल पुत्र स्व श्री मंगल राम, फर्म मैसर्स मैडिन बैले हर्बल केयर प्राइवेट लिमिटेड, 126, एच पी एस आई डी सी, इण्ड एरिया बडडी, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश 1732205।
12. डॉ सिम्मी दत्ता कुशाल पत्नी श्री के के कुशाल, फर्म मैसर्स मैडिन बैले हर्बल केयर प्राइवेट लिमिटेड, 126, एच पी एस आई डी सी, इण्ड एरिया बडडी, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश 1732205
13. डॉ खुशवंत कुमार कुशाल पुत्र श्री एन आर कुशाल, फर्म मैसर्स मैडिन बैले हर्बल केयर प्राइवेट लिमिटेड, 126, एच पी एस आई डी सी, इण्ड एरिया बडडी, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश 1732205 ।
14. श्री राघव सिंघल पुत्र स्व श्री मंगलराम, फर्म मैसर्स मैडिन बैले हर्बल केयर प्राइवेट लिमिटेड, 126, एच पी एस आई डी सी, इण्ड एरिया बडडी, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश 1732205 ।
15. फर्म मैसर्स मैडिन बैले हर्बल केयर प्राइवेट लिमिटेड, 126, एच पी एस आई डी सी, इण्ड एरिया बडडी, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश 1732205।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एम–1270 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।

3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाफा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि उक्त चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एम– 1270 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस 1082/एक्ट/2016/1136 दिनांक 05.10.2016 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ अमानक स्तर का होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एम– 1270 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाईल करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।

4. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। अप्रार्थी संख्या 2 का जवाब पेश नहीं । जवाब बंद किया गया । शेष का जवाब पेश। वकील अप्रार्थी संख्या 3 से 13 उपस्थित बहस की। जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए निर्माता के अलावा अप्रार्थी संख्या 3 से 13 को पार्टी एफएसओ द्वारा गलत बनाया गया है जिसे निरस्त फरमाया जावे तथा ए फूड सप्लिमेंट में जांच के दौरान पाया गया क्रम संख्या 2 में प्रोटीन में अंतर डिक्लेयर्ड फूड के अन्य प्रोटीन मिक्स के कारण आया है अतः मामला निरस्त फरमाया जावे।

एफएसओ उपस्थित। एफएसओ को इस संबंध में पूछा गया तो बताया कि उनके द्वारा अप्रार्थी संख्या 3 को पार्टी इसलिए बनाया कि एफबीओ अप्रार्थी संख्या 01 व 02 ने ऐ फुड सप्लीमेंट (एण्ड्यूरा मॉस) बनाना फ्लेवर मैसर्स श्री कृष्णा डिस्ट्रीब्यूटर्स, शॉप सं 48, कामधेनू शॉपिंग सेंटर, शास्त्री नगर रोड़, पीतल फैक्ट्री, जयपुर से खरीद किये जाने से उक्त फर्म की मालकिन को पार्टी बनाया गया है। जबकि अप्रार्थी संख्या 04 से 12 को पार्टी इनके द्वारा पत्रांक 54–55 दिनांक 22.11.2016 रजि. पत्र द्वारा फर्म के मालिकों/ निदेशकों/ नॉमिनी / भागीदारों की सूचि व नामपते चाहे गये थे। जो उनके द्वारा निर्धारित प्रारूप संख्या 9 (फॉर्म ऑफ नॉमिनेशन– रेफर रूल 2.5.1 एफएसएस एक्ट 2006 एवं 2011) एवं सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द रिजोल्यूशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फॉर नॉमिनेशन नहीं उपलब्ध कराया गया जिसके कारण सभी डायरेक्टर्स को पार्टी बनाया गया।यदि यह उपलब्ध करवाते तो उनके द्वारा बताये गये नॉमिनी व फर्म को ही पार्टी बनाया जाता जिसे इन्होंने उपलब्ध नहीं कराया।

5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट क्रमांक 1136 दिनांक 05.10.2016 का अवलोकन किया। अप्रार्थी व उनके अधिवक्ता की बहस सुनी गई, एफएसओ को सुना गया। मनन के पश्चात पाया कि वकील अप्रार्थी द्वारा जांच रिपोर्ट दिनांक 05.10.2016 के संबंध क्रम संख्या 02 टोटल प्रोटीन का वेट कम होने का कारण, अन्य प्रोटीन का मिक्स होने के कारण होना निराधार है तथा क्रम संख्या 03 टोटल फैट बाई वेट डिक्लेयरर्ड लेबल से कम होने के संबंध में कोई तथ्य पेश नहीं कर पाये फिर भी उनके पास इस रिपोर्ट को संतुष्ट नहीं होने पर निर्धारित समय में रेफरल लेब से जांच करवाने का अवसर था परन्तु वे नहीं गये। ऐसी स्थिति मैं जाच रिपोर्ट व एफएसओ द्वारा बताये गये तथ्यों से संतुष्ट हूं अतः अप्रार्थी संख्या 1से3 व 4से13 खाद्व सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 26 उपधारा (2) (।।) एवं धारा 51 के तहत दोषी पाये जाते हैं अतः अतः **अप्रार्थी संख्या 1 से 3** पर शास्ती रूपये ..... अक्षरे रूपये ..... की आरोपित की जाती हैं तथा **अप्रार्थी संख्या 4 से 13** पर शास्ती रूपये ..... अक्षरे रूपये ..... की आरोपित की जाती हैं। अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि **न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर (ADJUDICATING OFFICER AND ADM CITY, JODHPUR)** के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक ..... के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 105 / 2017

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
सरकार जरिये सखाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जोधपुर।		1. श्री अजय गांधी पुत्र श्री भीमराज गांधी, फर्म :– मै. भंवरलाल भीमराज गांधी, एमजी हॉस्पीटल के सामने, मेडिकल मार्केट जोधपुर। 2. श्री भीमराज गांधी पुत्र श्री भंरलाल गांधी, फर्म :– मै. भंवरलाल भीमराज गांधी, एमजी हॉस्पीटल के सामने, मेडिकल मार्केट जोधपुर। 3. श्रीमती रिंकी, श्री कृष्णा डिस्ट्रीब्यूटर्स, शॉप सं 48, कामधेनू शॉपिंग सेंटर, शास्त्री नगर रोड़, पीतल फैक्ट्री, जयपुर। 4. डॉ खुशवंत कुमार कौशल पुत्र श्री नेकराम कौशल, M/s. KNACK HEALTH CARE PVT. LTD 201/7,Dimension Tower. New Vardhman Market, West Enclave, Pitampura, New Delhi. 110041. 5. डॉ राजीव पाराशर पुत्र श्री परमानंद पाराशर, M/s. KNACK HEALTH CARE PVT. LTD 201/7,Dimension Tower. New Vardhman Market, West Enclave, Pitampura, New Delhi. 110041. 6. सुशमा सिंघल पुत्र श्री विद्यासागर अग्रवाल, M/s. KNACK HEALTH CARE PVT. LTD 201/7,Dimension Tower. New Vardhman Market, West Enclave, Pitampura, New Delhi. 110041 7. विनाती तनेजा पुत्री श्री जगदीश चंद्र वोहरा, M/s. KNACK HEALTH CARE PVT. LTD 201/7,Dimension Tower. New Vardhman Market, West Enclave, Pitampura, New Delhi. 110041 8. फर्म मैसर्स KNACK HEALTH CARE PVT. LTD 201/7,Dimension Tower. New Vardhman Market, West Enclave, Pitampura, New Delhi. 110041. 9. श्री दविन्दर कुमार सिंघल पुत्र स्व श्री मंगल राम, फर्म मैसर्स मैडिन बैले हर्बल केयर प्राइवेट लिमिटेड, 126, एच पी एस आई डी सी, इण्ड एरिया बडडी, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश 1732205। 10. डॉ सिम्मी दत्ता कुशाल पत्नी श्री के के कुशाल, फर्म मैसर्स मैडिन बैले हर्बल केयर प्राइवेट लिमिटेड, 126, एच पी एस आई डी सी, इण्ड एरिया बडडी, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश 1732205 11. डॉ खुशवंत कुमार कुशाल पुत्र श्री एन आर कुशाल, फर्म मैसर्स मैडिन बैले हर्बल केयर प्राइवेट लिमिटेड, 126, एच पी एस आई डी सी, इण्ड एरिया बडडी, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश 1732205 12. श्री राघव सिंघल पुत्र स्व श्री मंगलराम, फर्म मैसर्स मैडिन बैले हर्बल केयर प्राइवेट लिमिटेड, 126, एच पी एस आई डी सी, इण्ड एरिया बडडी, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश 1732205 13. फर्म मैसर्स मैडिन बैले हर्बल केयर प्राइवेट लिमिटेड, 126, एच पी एस आई डी सी, इण्ड एरिया बडडी, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश 1732205

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 14.09.2016 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी मै. भंवरलाल भीमराज गांधी, एमजी हॉस्पीटल के सामने, मेडिकल मार्केट, जोधपुर पहुँचा निरीक्षण करने पर ऐ फुड सप्लीमेंट (एण्ड्यूरा मॉस) बनाना फ्लेवर 600 ग्राम के 10 जार आम जनता हेतु वास्ते विक्रय हेतु थे। उक्त उपलब्ध ऐ फुड सप्लीमेंट (एण्ड्यूरा मॉस) बनाना फ्लेवर को नियमानुसार 200 ग्राम के 4 जार के वास्ते जांच मिलावट / अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 1874 / – देकर खरीदे तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. विक्रेता व गवाह के सामने खरीदशुदा ऐ फुड सप्लीमेंट (एण्ड्यूरा मॉस) बनाना फ्लेवर के मूल जार पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड व सीरियल नम्बर एम– 1270 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमूना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एम– 1270 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमूना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के

जाता है। मेरे द्वारा दूध में किसी भी प्रकार की कोई मिलावट नहीं की जाती है। यह मेरी प्रथम भूल है। मैं अब से दूध की गुणवत्ता जांच कर ही खरीदी करूंगा। आगे से ऐसी पुनरावृति नहीं होगी। अतः मेरे खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 51 के तहत न्यूनतम जुर्माना फरमावें।

5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट क्रमांक 583 दिनांक 21.06.2017 का अवलोकन किया तथा अप्रार्थीगण के अधिवक्ता को सुना गया तथा मनन के पश्चात् पाया कि अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थी यदि रिपोर्ट दिनांक 21.06.2017 से सन्तुष्ट न था तो उनके पास रेफरल लेब जाने का अवसर था, परन्तु उन्होने निर्धारित समय में अपील पेश न की । ऐसी स्थिति में अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थीगण पर शास्ती रूपये ..... अक्षरे रूपये ..... की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि **न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर (ADJUDICATING OFFICER AND ADM CITY, JODHPUR)** के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक ..... के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।
6. निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

क्रमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2018/ **दिनांक :–**

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर/कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं जोन जोधपुर।
2. संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर / कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं जोन जोधपुर।
3. श्री अशोक बोराणा पुत्र श्री मनीराम बोराणा, मैसर्सः दूध मंदिर, सोजती गेट के बाहर, जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 130/2017

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जोधपुर।		1. श्री अशोक बोराणा पुत्र श्री मनीराम बोराणा, मैसर्सः दूध मंदिर, सोजती गेट के बाहर, जोधपुर।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 12.06.2017 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी मैसर्सः दूध मंदिर, सोजती गेट के बाहर, जोधपुर **पहुंचा**, यहां 20 लीटर की क्षमता वाली बाल्टी में लगभग 15 लीटर दूध आम जनता हेतु वास्ते विक्रय रखा हुआ था। वास्ते जांच मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 70/– देकर दूध 2 लीटर खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. विक्रेता व गवाह के सामने खरीदसुदा दूध को हिलामिला कर एक रूप कर एक बाल्टी में खरीदा साफ सूखी चौडे मुह वाली बोतलों में डाला व प्रत्येक बोतल में 40 प्रतिशत फॉर्मेलिन की 40–40 बूंदें डलाकर प्रत्येक बोतल को ढक्कन लगाकर एयर टाईट बंद किया। इन सेम्पल की बोतलों पर लगाने के लिए लेबल तैयार किये जिस पर डी. ओ.कोड़ व सीरियल नम्बर एम–1542, खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमूना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एम–1542 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमूना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एम–1542 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाफा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि उक्त चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एम–1542 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस 583/एक्ट/2017/583 दिनांक 21.06.2017 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एम–1542 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाईल करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।
4. अप्रार्थी से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। अप्रार्थी स्वयं उपस्थित। निवेदन है कि सेम्पल में लिये गाय के दूध का मैं निर्माता नहीं हूँ। मैंने यह दूध बाजार से खरीद कर बेचा था। एफएसएस एक्ट के मानक भैंस के दूध पर आधारित हैं जबकि हम गाय का दूध विक्रय करते हैं, इसी कारण हमारे द्वारा बेचे जाने वाले गाय के दूध का फैट कम दर्शाया

5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट क्रमांक 561 दिनांक 19.06.2017 का अवलोकन किया तथा अप्रार्थीगण को सुना गया। मनन के पश्चात् पाया कि अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थी यदि रिपोर्ट दिनांक 19.06.2017 से सन्तुष्ट न था तो उनके पास रेफरल लेब जाने का अवसन था, परन्तु उन्होने निर्धारित समय में अपील पेश न की । ऐसी स्थिति में अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थीगण पर शास्ती रूपये ..... अक्षरे रूपये ..... की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि **न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर (ADJUDICATING OFFICER AND ADM CITY, JODHPUR)** के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक ..... के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।
6. निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

क्रमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2018/ **दिनांक :–**

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01. अभिहित अधिकारी एवं संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं जोन जोधपुर।
02. श्री राजेश टिंकर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं जोन जोधपुर।
03. श्री रामप्रताप ज्याणी पुत्र श्री हरिराम ज्याणी, फर्म :– मै. विष्णु मावा भण्डार, टेलर गली त्रिपोलिया बाजार, जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 115/2017

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जोधपुर।		1. श्री रामप्रताप ज्याणी पुत्र श्री हरिराम ज्याणी, फर्म :– मै. विष्णु मावा भण्डार, टेलर गली त्रिपोलिया बाजार, जोधपुर।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 08.06.2017 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी मै. विष्णु मावा भण्डार, टेलर गली त्रिपोलिया बाजार, जोधपुर पहुँचा वहां लगभग 16 किलोग्राम मावा 09 टीनों में खाद्य पदार्थ मावा जनता हेतु वास्ते विक्रय हेतु था। उक्त उपलब्ध मावा में से नियमानुसार 1 किलोग्राम वास्ते जांच मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 130/– देकर खरीदे तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. विक्रेता व गवाह के सामने खरीदशुदा मावा एक किलोग्राम को एक साफ सूखी स्टील की ट्रे में अच्छी तरह से हिला मिला कर एक रूप कर चार साफ सूखी खाली प्लास्टिक की शीशियों में बराबर मात्रा (250ग्राम प्रति) में डालकर प्रत्येक बोतल में फार्मेलिन की 20–20 बूंदें बतौर परिरक्षक की डाल कर प्रत्येक बोतल को एयर टाइट बन्द कर इन पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड व सीरियल नम्बर एम– 1524 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमूना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एम– 1524 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमूना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एम– 1524 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाफा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि उक्त चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एम– 1524 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस 561/एक्ट/2017/561 दिनांक 19.06.2017 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ अमानक स्तर का होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एम– 1524 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाईल करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।
4. अप्रार्थी को नोटिस भेजा गया। अप्रार्थी स्वयं दिनांक 07.03.2018 को उपस्थित एंव निवेदन किया कि अप्रार्थी एक छोटा व्यवसायी है तथा मावा बाहर से क्रय करता है अतः मामला खारिज फरमाया जावे।

लेबोरेटरी की जांच में मिल्क फैट 50 प्रतिशत के स्थान 29.86 प्रतिशत ही पाया गया , जिसमें जिरह का कोई उचित कारण प्रतीत नहीं होता है।

5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट क्रमांक 360 दिनांक 01.05..2017 का अवलोकन किया तथा अप्रार्थीगण के अधिवक्ता को सुना गया तथा मनन के पश्चात् पाया कि अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थी यदि रिपोर्ट दिनांक 01.05.2017 से सन्तुष्ट न था तो उनके पास रेफरल लेब जाने का अवसन था, परन्तु उन्होने निर्धारित समय में अपील पेश न की । ऐसी स्थिति में अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थीगण पर शास्ती रूपये ..... अक्षरे रूपये ..... की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि **न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर (ADJUDICATING OFFICER AND ADM CITY, JODHPUR)** के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक ..... के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।
6. निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

क्रमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2018/ **दिनांक :–**

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर/कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं जोन जोधपुर।
2. संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर / कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं जोन जोधपुर।
3. श्री संदीप कच्छवा पुत्र श्री सीताराम कच्छवाह, मैसर्स रॉयल सॉफ्टी एण्ड सॉफ्टी, 11, गीतांजली स्कूल लाइन, महामंदिर सर्किल, वार्ड–41, जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 124 / 2017

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जोधपुर।		1. श्री संदीप कच्छवा पुत्र श्री सीताराम कच्छवाह, मैसर्स रॉयल सॉफ्टी एण्ड सॉफ्टी, 11, गीतांजली स्कूल लाइन, महामंदिर सर्किल, वार्ड–41, जोधपुर।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 15.09.2016 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी मैसर्स रॉयल सॉफ्टी एण्ड सॉफ्टी, 11, गीतांजली स्कूल लाइन, महामंदिर सर्किल, वार्ड–41, जोधपुर **पहुंचा**, यहां लगभग 2 किलोग्राम पनीर आम जनता हेतु वास्ते विक्रय रखा हुआ था। वास्ते जांच मिलावट / अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 260 / – देकर पनीर 1 कलोग्राम खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. विक्रेता व गवाह के सामने खरीदसुदा पनीर को तुलवाकर साफ चाकू से क्रश कर हिलामिला कर साफ सूखी बोतलों में (250 ग्राम प्रत्येक के हिसाब से) डाला व प्रत्येक बोतल में 40 प्रतिशत फॉर्मेलिन की 20–20 बूंदें डलाकर प्रत्येक बोतल को ढक्कन लगाकर एयर टाईट बंद किया। इन सेम्पल की बोतलों पर लगाने के लिए लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड़ व सीरियल नम्बर एम–1476, खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमूना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एम–1476 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमूना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एम–1476 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाफा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि उक्त चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एम–1476 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस 359 / एक्ट / 2017 / 360 दिनांक 01.05.2017 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एम–1476 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाईल करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।
4. अप्रार्थी से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। वकील अप्रार्थी स्वयं उपस्थित। वकील अप्रार्थी ने जवाब प्रस्तुत किया। बहस के दौरान जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए गवाहों से जिरह हेतु निवेदन किया लेकिन पत्रावली के निरीक्षण में

दूध पर झाग आये हुए थे। दूध को अलग बर्तन में लेकर उसका चरन किये बगैर ही उसका सेम्पल ले लिया गया। यह सेम्पल होमोजीनियस नहीं कहे जा सकते। इस हेतु प्लण्डर व मथनी का उपयोग होता है। विधि अनुसार सेम्पल नहीं लेने के कारण जांच रिपोर्ट में गलती रही है। उक्त दूध आम जनता को बेचान हेतु नहीं रखा हुआ था। यह दूध के ढोले मात्र दही बनाने के लिए रखे हुए थे। रिपोर्ट में दूध को सबस्टेण्डी बताया गया है जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है। इस मामले में विधि के अनुसार जो जांच करने की उच्च स्तरीय व तकनीकी प्रणाली है उसका उपयोग नहीं किया गया इस कारण जांच सही नहीं हुई है। कृपया मामले को समाप्त करने का आदेश फरमावें।

5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट क्रमांक 608 दिनांक 03.07.2017 का अवलोकन किया तथा अप्रार्थीगण के अधिवक्ता को सुना गया तथा मनन के पश्चात् पाया कि अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थी यदि रिपोर्ट दिनांक 03.07.2017 से सन्तुष्ट न था तो उनके पास रेफरल लेब जाने का अवसन था, परन्तु उन्होने निर्धारित समय में अपील पेश न की । ऐसी स्थिति में अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थीगण पर शास्ती रूपये ..... अक्षरे रूपये ..... की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि **न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर (ADJUDICATING OFFICER AND ADM CITY, JODHPUR)** के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक ..... के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।
6. निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

क्रमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2018/ **दिनांक :–**

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर/कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं जोन जोधपुर।
2. संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर / कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं जोन जोधपुर।
3. श्री दीपक भाटी पुत्र श्री अम्बालाल भाटी, मैसर्स भाटी दूध दही भण्डार, कबूतरों का चौक, जोधपुर।
4. श्री अशोक भाटी पुत्र श्री अम्बालाल भाटी, मैसर्स भाटी दूध दही भण्डार, कबूतरों का चौक, जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 12 / 2017

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जोधपुर।		1. श्री दीपक भाटी पुत्र श्री अम्बालाल भाटी, मैसर्स भाटी दूध दही भण्डार, कबूतरों का चौक, जोधपुर। 2. श्री अशोक भाटी पुत्र श्री अम्बालाल भाटी, मैसर्स भाटी दूध दही भण्डार, कबूतरों का चौक, जोधपुर।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 15.09.2016 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी मैसर्स भाटी दूध दही भण्डार, कबूतरों का चौक, जोधपुर **पहुंचा**, यहां फ्रीजर मे लगभग 50 लीटर दूध आम जनता हेतु वास्ते विक्रय रखा हुआ था। वास्ते जांच मिलावट / अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 70 / – देकर दूध 2 लीटर खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. विक्रेता व गवाह के सामने खरीदसुदा दूध को हिलामिला कर एक रूप कर एक बाल्टी में खरीदा साफ सूखी चौडे मुह वाली बोतलों में डाला व प्रत्येक बोतल में 40 प्रतिशत फॉर्मेलिन की 40–40 बूंदें डलाकर प्रत्येक बोतल को ढक्कन लगाकर एयर टाईट बंद किया। इन सेम्पल की बोतलों पर लगाने के लिए लेबल तैयार किये जिस पर डी. ओ.कोड़ व सीरियल नम्बर एम–1544, खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमूना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एम–1544 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमूना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एम–1544 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाफा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि उक्त चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एम–1544 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस 607 / एक्ट / 2017 / 608 दिनांक 03.07.2017 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एम–1544 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाईल करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।
4. अप्रार्थी से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। अप्रार्थी स्वयं उपस्थित। वकील अप्रार्थी ने जवाब प्रस्तुत किया व बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दूध के ढोले दुकान में आते ही उनका सेम्पल ऊपर ऊपर ले लिया गया। उस समय

भी फैट की मात्रा में मामूली सा अंतर आया है। यह मेरी प्रथम भूल है कृपया मेरे विरूद्ध धारा 51 के मामले को ड्रॉप फरमाने की कृपा करें।

5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट क्रमांक 612 दिनांक 03.07.2017 का अवलोकन किया तथा अप्रार्थीगण के अधिवक्ता को सुना गया तथा मनन के पश्चात् पाया कि अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थी यदि रिपोर्ट दिनांक 03.07.2017 से सन्तुष्ट न था तो उनके पास रेफरल लेब जाने का अवसन था, परन्तु उन्होने निर्धारित समय में अपील पेश न की । ऐसी स्थिति में अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थीगण पर शास्ती रूपये ..... अक्षरे रूपये ..... की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि **न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर (ADJUDICATING OFFICER AND ADM CITY, JODHPUR)** के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक ..... के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।
6. निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

क्रमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2018/ **दिनांक :–**

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर/कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं जोन जोधपुर।
2. संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर / कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं जोन जोधपुर।
3. श्री दीपक भाटी पुत्र श्री अम्बालाल भाटी, मैसर्स भाटी दूध दही भण्डार, कबूतरों का चौक जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 117/2017

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जोधपुर।		1. श्री दीपक भाटी पुत्र श्री अम्बालाल भाटी, मैसर्स भाटी दूध दही भण्डार, कबूतरों का चौक, जोधपुर।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 15.09.2016 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी मैसर्स भाटी दूध दही भण्डार, कबूतरों का चौक, जोधपुर **पहुंचा**, यहां फ्रीज के एक खण्ड में लगभग 20 किलो पनीर आम जनता हेतु वास्ते विक्रय रखा हुआ था। वास्ते जांच मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 240/– देकर 1 किलोग्राम पनीर खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. विक्रेता व गवाह के सामने खरीदसुदा पनीर को तुलवाकर साफ चाकू से क्रश कर हिलामिला कर साफ सूखी बोतलों में (250 ग्राम प्रत्येक के हिसाब से) डाला व प्रत्येक बोतल में 40 प्रतिशत फॉर्मेलिन की 20–20 बूंदें डलाकर प्रत्येक बोतल को ढक्कन लगाकर एयर टाईट बंद किया। इन सेम्पल की बोतलों पर लगाने के लिए लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड़ व सीरियल नम्बर एम–1550, खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमूना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एम–1550 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमूना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एम–1550 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाफा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि उक्त चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एम–1550 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस 612/एक्ट/2017/612 दिनांक 03.07.2017 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एम–1550 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाईल करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।
4. अप्रार्थी से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। अप्रार्थी स्वयं उपस्थित। अप्रार्थी ने जवाब प्रस्तुत किया। व बताया कि उक्त सेम्पल लिया गया पनीर गाय के दूध से निर्मित पनीर है। गाय के दूध में फैट की मात्रा कम होने से पनीर में

एफएसएसआई लाइसेंस नम्बर नही छपा हुआ था। इसी कारण यह समस्या हुई है। मैने सभी सही मुद्रित सूचनाओं वाली पैकिग सामग्री मुख्य चिकित्सा एवं स्वा अधिकारी जोधपुर के कार्यालय में जमा करवा दी है जो उपरोक्त संबंधित फाईल में संलग्न है एंव इस जवाब के साथ भी संलग्न है। भविष्य में हर पैकिंग की जांच अच्छे से करने के पश्चात ही उसे बेचने हेतु उपलब्ध कराया जाएगा। यह मेरी प्रथम भूल है। अतः इसे माफ कर, नरम रूख अपनाते हुए मेरे खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 52 के तहत कार्यवाही ड्रॉप फरमावें।

5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट क्रमांक 676 दिनांक 03.08.2017 का अवलोकन किया तथा अप्रार्थीगण को सुना गया तथा मनन के पश्चात् पाया कि अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 52 का दोषी हैं। अप्रार्थी यदि रिपोर्ट दिनांक 03.08.2017 से सन्तुष्ट न था तो उनके पास रेफरल लेब जाने का अवसन था, परन्तु उन्होने निर्धारित समय में अपील पेश न की । ऐसी स्थिति में अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 52 का दोषी हैं। अप्रार्थीगण पर शास्ती रूपये ..... अक्षरे रूपये ..... की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि **न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर (ADJUDICATING OFFICER AND ADM CITY, JODHPUR)** के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक ..... के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।
6. निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

क्रमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2018/ **दिनांक :–**

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर/कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं जोन जोधपुर।
2. संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर / कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं जोन जोधपुर।
3. श्री ललित नारायण शर्मा पुत्र श्री चिरंजीलाल शर्मा, मैसर्स चिरंजीलाल हीरालाल एण्ड सन्स, धापी मार्बल के पास, देना बैंक के सामने, बनाड़ रोड, नांदड़ी, जोधपुर।
4. सुरेश प्रकाश अरोड़ा पुत्र श्री जगदीश लाल, मैसर्सः बत्रा टी सेंटर, उदयमंदिर थाने के पास, जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 15/2018

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जोधपुर।		1. श्री ललित नारायण शर्मा पुत्र श्री चिरंजीलाल शर्मा, मैसर्स चिरंजीलाल हीरालाल एण्ड सन्स, धापी मार्बल के पास, देना बैंक के सामने, बनाड़ रोड, नांदड़ी, जोधपुर। 2. सुरेश प्रकाश अरोड़ा पुत्र श्री जगदीश लाल, मैसर्सः बत्रा टी सेंटर, उदयमंदिर थाने के पास, जोधपुर।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 27.07.2017 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी मैसर्स चिरंजीलाल हीरालाल एण्ड सन्स, धापी मार्बल के पास, देना बैंक के सामने, बनाड़ रोड, नांदड़ी, जोधपुर **पहुंचा**, यहां प्लास्टिक के एक कटटे में 250 ग्राम के 50 पैक खाद्य पदार्थ चाय (बत्रा टी सेंटर) का स्टॉक आम जनता हेतु वास्ते विक्रय रखा हुआ था। वास्ते जांच मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 480/– देकर खाद्य पदार्थ चाय (बत्रा टी सेंटर) के 250 ग्राम के 8 पैके खरीदे तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. विक्रेता व गवाह के सामने खरीदसुदा चाय (बत्रा टी सेंटर) को मूल ही तुलवाकर चार गत्ते के डिब्बों में (प्रत्येक में 250 ग्राम के 2 पैक) डालकर पैक किया इन पर लगाने हेतु लेबल तैयार किये जिन पर पर जिस पर डी.ओ.कोड़ व सीरियल नम्बर एडी–612, खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमूना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एडी–612 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमूना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एडी–612 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाफा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि उक्त चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एडी–612 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस 675/एक्ट/2016/676 दिनांक 03.08.2017 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्यपदार्थ मिथ्याछाप होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एडी–612 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाईल करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।
4. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। अप्रार्थीगण स्वयं उपस्थित। लिखित जवाब प्रस्तुत। जवाब में निवेदन किया कि पैकिंग सामग्री जहां से छपवाई जाती हैं, वहां से एक खराब बैच भी छप गया था। जिसमें बेच संख्या व

काम में लिया गया। न्यूनतम फैट की मात्रा 50 प्रतिशत के स्थान पर 17.08 व मॉश्चर 70 प्रतिशत की बजाय 49.06 प्रतिशत पाया गया जो अत्यंत ही कम है। अप्रार्थी यदि लेबोरेटरी की रिपोर्ट से संतुष्ट न था तो रेफरल लेब में जाने के पूर्ण अवसर थे।

5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट क्रमांक 832 दिनांक 21.07.2016 का अवलोकन किया तथा अप्रार्थीगण के अधिवक्ता को सुना गया एफएसओ को सुना गया तथा मनन के पश्चात् पाया कि अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थी यदि रिपोर्ट दिनांक 21.07.2016 से सन्तुष्ट न था तो उनके पास रेफरल लेब जाने का अवसन था, परन्तु उन्होने निर्धारित समय में अपील पेश न की । ऐसी स्थिति में अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थीगण पर शास्ती रूपये ..... अक्षरे रूपये .... की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि **न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर (ADJUDICATING OFFICER AND ADM CITY, JODHPUR)** के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक ..... के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।
6. निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

क्रमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2018/ **दिनांक :–**

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर/कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं जोन जोधपुर।
2. संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर / कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं जोन जोधपुर।
3. श्री अमृतलाल सुथार पुत्र श्री कुम्भाराम, मैसर्स जय श्री भवानी रेस्टोरेंट ढाबा, सांगरिया बाईपास, डीपीएस स्कूल के पास, जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 12 / 2017

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जोधपुर।		1. श्री अमृतलाल सुथार पुत्र श्री कुम्भाराम, मैसर्स जय श्री भवानी रेस्टोरेंट ढाबा, सांगरिया बाईपास, डीपीएस स्कूल के पास, जोधपुर।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 15.09.2016 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी मैसर्स जय श्री भवानी रेस्टोरेंट ढाबा, सांगरिया बाईपास, डीपीएस स्कूल के पास, जोधपुर **पहुंचा**, यहां फ्रीजर में एक पॉलिथीन की थैली में लगभग 4 किलो पनीर आम जनता हेतु वास्ते विक्रय रखा हुआ था। वास्ते जांच मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 380/– देकर पनीर खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. विक्रेता व गवाह के सामने खरीदसुदा पनीर को एक स्टील की थाली में तुलवाकर साफ चाकू से कश कर हिलामिला कर साफ सूखी बोतलों में (250 ग्राम प्रत्येक के हिसाब से) डाला व प्रत्येक बोतल में 40 प्रतिशत फॉर्मेलिन की 20–20 बूंदें डलाकर प्रत्येक बोतल को ढक्कन लगाकर एयर टाईट बंद किया। इन सेम्पल की बोतलों पर लगाने के लिए लेबल तैयार किये जिस पर जिस पर डी.ओ.कोड़ व सीरियल नम्बर एम–1181, खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमूना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एम–1181 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमूना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एम–1181सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाफा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि उक्त चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एम–1181 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस 798/एक्ट/2016/832 दिनांक 21.07.2016 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एम–1181 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाईल करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।
4. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। वकील अप्रार्थीगण ने जवाब प्रस्तुत किया। एफएसओ उपस्थित। वकील अप्रार्थी उपस्थित। वकील अप्रार्थी ने जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए किसी प्रकार का मिलावटी पनीर नहीं होने से मामला निरस्त करने हेतु निवेदन किया। एफएसओ ने बताया कि अप्रार्थी द्वारा कम मिल्क फैट का पनीर

5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट क्रमांक 95 दिनांक 13.02.2017 का अवलोकन किया तथा मनन के पश्चात् पाया कि अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थी यदि रिपोर्ट दिनांक 13.02.2017 से सन्तुष्ट न था तो उनके पास रेफरल लेब जाने का अवसन था, परन्तु उन्होने निर्धारित समय में अपील पेश न की । ऐसी स्थिति में अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थीगण पर शास्ती रूपये ..... अक्षरे रूपये ..... की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि **न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर (ADJUDICATING OFFICER AND ADM CITY, JODHPUR)** के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक ..... के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।
6. निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

क्रमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2018/ **दिनांक :–**

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर/कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं जोन जोधपुर।
2. संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर / कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं जोन जोधपुर।
3. श्री निखिल रामदासानी पुत्र श्री घनश्यामदास, मैसर्स गणेश ट्रेडर्स, 2/887, कुडी हाउसिंगबोर्ड, जोधपुर।
4. श्री प्रदीप चावला पुत्र श्री गोपीचंद, मैसर्स जानू स्वीट्स, घासमण्डी रोड जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 06/2018

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जोधपुर।		1. श्री निखिल रामदासानी पुत्र श्री घनश्यामदास, मैसर्स गणेश ट्रेडर्स, 2/887, कुडी हाउसिंगबोर्ड, जोधपुर। 2. श्री प्रदीप चावला पुत्र श्री गोपीचंद, मैसर्स जानू स्वीट्स, घासमण्डी रोड जोधपुर।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 15.09.2016 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी मैसर्स गणेश ट्रेडर्स, 2/887, कुडी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर **पहुंचा**, यहां Sugar Boiled Confectionery (Smooth Butter R&J Product) आम जनता हेतु वास्ते विक्रय रखा हुआ था। Sugar Boiled Confectionery (Smooth Butter R&J Product) वास्ते जांच मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 220/– देकर Sugar Boiled Confectionery (Smooth Butter R&J Product) के 4 पाउच (प्रत्येक 500 ग्राम वजनी) खरीदे तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. विक्रेता व गवाह के सामने खरीदसुदा Sugar Boiled Confectionery (Smooth Butter R&J Product) के 500 ग्राम की पैकिंग को अलग अलग मोटे गत्ते के डिब्बों में डलाकर उन पर लगाने के लिए लेबल तैयार किये जिस पर जिस पर डी.ओ.कोड़ व सीरियल नम्बर एम–1397 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमूना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एम–1397 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमूना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एम–1397 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाफा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि उक्त चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एम–1397 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस 93/एक्ट/2017/95 दिनांक 13.02.2017 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एम–1397 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाईल करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।
4. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। जवाब हेतु अवसर दिये गये। जवाब पेश नहीं करने पर जवाब बंद किया गया। बहस हेतु भी उपस्थित नहीं। अतः एक पक्षीय आदेश पारित करना उचित समझती हूं।

नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना NWR-199 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाईल करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।

4. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। अप्रार्थीगण स्वयं उपस्थित। अप्रार्थीगण ने जवाब पेश किया गया। अप्रार्थीगण को सुना गया । बहस में जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए मामला में न्यूनतम जुर्माना लगाने हेतु निवेदन किया।
5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा Central/Referral Food Laboratory, Pune के सर्टिफिकेट क्रमांक डीओ/ 200/ 16/ 642/ 2016 दिनांक 29.08.2016 का अवलोकन किया तथा अप्रार्थीगण के अधिवक्ता की बहस सुनने के पश्चात मनन के पश्चात् पाया कि अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी है। अप्रार्थीगण पर शास्ती रूपये .... अक्षरे रूपये ..... की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि **न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर (ADJUDICATING OFFICER AND ADM CITY, JODHPUR)** के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक ..... के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।
6. निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

क्रमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2018/ **दिनांक :–**

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर/कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं जोन जोधपुर।
2. संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर / कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं जोन जोधपुर।
3. श्री लालचंद पुत्र श्री उदाराम, मैसर्स ओमप्रकाश गुप्ता (मैसर्स बनवारी लाल एण्ड सन्स) स्टॉल संख्या 03, बैच संख्या 440–441, रेल्वे स्टेशन, जोधपुर।
4. श्री ओमप्रकाश गुप्ता पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण गुप्ता, मैसर्स ओमप्रकाश गुप्ता (मैसर्स बनवारी लाल एण्ड सन्स) स्टॉल संख्या 03, बैच संख्या 440–441, रेल्वे स्टेशन, जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 05/2018

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जोधपुर।		1. श्री लालचंद पुत्र श्री उदाराम , मैसर्स ओमप्रकाश गुप्ता (मैसर्स बनवारी लाल एण्ड सन्स) स्टॉल संख्या 03, बैच संख्या 440–441, रेल्वे स्टेशन, जोधपुर। 2. श्री ओमप्रकाश गुप्ता पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण गुप्ता, मैसर्स ओमप्रकाश गुप्ता (मैसर्स बनवारी लाल एण्ड सन्स) स्टॉल संख्या 03, बैच संख्या 440–441, रेल्वे स्टेशन, जोधपुर।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 21.01.2016 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी मैसर्स ओमप्रकाश गुप्ता (मैसर्स बनवारी लाल एण्ड सन्स) स्टॉल संख्या 03, बैच संख्या 440–441, रेल्वे स्टेशन, जोधपुर **पहुंचा**, यहां यात्रियों के बनी हुई चाय, पकौडे, बिस्कुट नमकीन आदि आम जनता हेतु वास्ते विक्रय रखे हुए थे। तैयार चाय वास्ते जांच मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 35/– देकर 1050 एमएल चाय खरीदी तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. विक्रेता व गवाह के सामने खरीदसुदा चाय को सूखी फूड ग्रेड प्लास्टिक बोतल में बराबर बराबर डालकर एवं प्रत्येक बोतल में 20 बूंदें फॉर्मेलिन की डालकर एयर टाइट ढक्कन से बंद कर इन नमूना बोतलो पर लगाने के लिए लेबल तैयार किये जिस पर जिस पर डी.ओ.कोड़ व सीरियल नम्बर NWR-199 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमूना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप NWR-199 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमूना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना NWR-199 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाफा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि उक्त चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में NWR-199 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस 57/एक्ट/2017/89 दिनांक 03.02.2016 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ अनसेफ पाया गया। एफबीओ द्वारा प्रपत्र VIII में पुनः जांच निवेदन कर Central/Referral Food Laboratory, Pune विश्लेषण हेतु भेजा गया। इस लेबरेटोरी के जाचं सर्टिफिकेट संख्या डीओ/200/16/642/2016 में उक्त जांच नमूने को सबस्टेण्डर्ड होना बताया है। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं

पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एम–1198 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाईल करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।

4. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। अप्रार्थीगण 3 व 4 की ओर से मेघराज पुरोहित को अधिकृत किया। जरिये अधिवक्ता जवाब पेश किया गया। बहस में जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए मामला खारिज करने हेतु निवेदन किया।
5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट क्रमांक 930 दिनांक 19.08.2016 का अवलोकन किया तथा अप्रार्थीगण के अधिवक्ता की बहस सुनने के पश्चात मनन के पश्चात् पाया कि अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थी यदि रिपोर्ट दिनांक 19.08.2016 से सन्तुष्ट न था तो उनके पास रेफरल लेब जाने का अवसन था, परन्तु उन्होने निर्धारित समय में अपील पेश न की । ऐसी स्थिति में अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थीगण पर शास्ती रूपये ..... अक्षरे रूपये ..... की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि **न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर (ADJUDICATING OFFICER AND ADM CITY, JODHPUR)** के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक ..... के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।
6. निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

क्रमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2018/ **दिनांक :–**

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर/कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं जोन जोधपुर।
2. संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर / कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं जोन जोधपुर।
3. श्री दिलीप जैन पुत्र श्री अतरसेन जैन, मैसर्स श्री पदमावती ट्रेडिंग कम्पनी, मकान सं 08, हनुमान कॉलोनी, खेतानाडी, मण्डोर रोड के सामने, जोधपुर।
4. श्रीमती सुनिता जैन पत्नी श्री लालचन्द जैन, फर्म मैसर्सः श्री गणेश टेडर्स, सी 53–54, निर्माण नगर, अजमेर रोड़, जयपुर।
5. श्री नीरज कुमार, M/s Inodaya Foods Pvt. Ltd, 702, D-7, Pearls Business Park, Netaji Subhash Palace, Pitampura, Delhi.
6. M/s Inodaya Foods Pvt. Ltd, 702, D-7, Pearls Business Park, Netaji Subhash Palace, Pitampura, Delhi.

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 49/2017

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जोधपुर।		1. श्री दिलीप जैन पुत्र श्री अतरसेन जैन, मैसर्स श्री पदमावती ट्रेडिंग कम्पनी, मकान सं 08, हनुमान कॉलोनी, खेतानाडी, मण्डोर रोड के सामने, जोधपुर। 2. श्रीमती सुनिता जैन पत्नी श्री लालचन्द जैन, फर्म मैसर्सः श्री गणेश टेडर्स, सी 53–54, निर्माण नगर, अजमेर रोड़, जयपुर। 3. श्री नीरज कुमार, M/s Inodaya Foods Pvt. Ltd, 702, D-7, Pearls Business Park, Netaji Subhash Palace, Pitampura, Delhi. 4. M/s Inodaya Foods Pvt. Ltd, 702, D-7, Pearls Business Park, Netaji Subhash Palace, Pitampura, Delhi.

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 15.08.2016 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी मैसर्स श्री पदमावती ट्रेडिंग कम्पनी, मकान सं 08, हनुमान कॉलोनी, खेतानाडी, मण्डोर रोड के सामने, जोधपुर **पहुंचा**, यहां गोदाम का निरीक्षण करने पर रेक्स में गाय का घी (शुभम) 1/2 लीटर के 30 पैकेटस आम जनता हेतु वास्ते विक्रय रखे हुए थे। गाय का घी (शुभम) वास्ते जांच मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 640/– देकर गाय का घी (शुभम) के 1/2 लीटर के 4 पैकेटस एक ही बैच के खरीदे तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. विक्रेता व गवाह के सामने खरीदसुदा गाय का घी (शुभम) के 1/2 लीटर के 4 पैकेटस पर लगाने के लिए लेबल तैयार किये जिस पर जिस पर डी.ओ.कोड़ व सीरियल नम्बर एम–1198 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमूना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एम–1198 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमूना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एम–1198 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाफा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि उक्त चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एम–1198 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस 895/एक्ट/2017/923 दिनांक 19.08.2016 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ का सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद

9. मैसर्स हैविट रेमिडीज प्राइवेट लिमिटेड प्लॉट सं 3476, फेस 4, जीआईडीसी छतराल 382729 तह कलोल जिला गांधीनगर गुजरात।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि उक्त चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एम–1259 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस 1088/एक्ट/2017/1140 दिनांक 06.10.2016 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ का बिना लेबलिंग के बेचा जाना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एम–1259 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाईल करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।

4. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। वकील अप्रार्थीगण ने जवाब प्रस्तुत किया। बहस में जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि खाद्य विश्लेषक द्वारा उक्त जांच रिपोर्ट विश्वसनीय नहीं थी। यह रिपोर्ट आधारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है। प्रस्तुत प्रकरण में पेश जांच रिपोर्ट जारी करने वाली जांच प्रयोगशाला एनएबीएल द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है तथा इस आधार पर ही विपक्षी कम्पनी के विरूद्ध यह परिवाद खरिज करने योग्य है। अप्रार्थी ने जांच हेतु लिये गये बैच की ही जांच एक्यूरेट लेबोरटरी से करवायी जिसकी जांच रिपोर्ट में नमूना सही पाया गया। न तो यह अमानक स्तर का है न ही मिथ्या छाप। कृपया मामला खारिज फरमाने की कृपा करावें।

5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट क्रमांक 1140 दिनांक 06.10.2016 का अवलोकन किया तथा अप्रार्थीगण के अधिवक्ता को सुना गया तथा मनन के पश्चात् पाया कि अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51, 52 का दोषी हैं। अप्रार्थी यदि रिपोर्ट दिनांक 06.10.2016 से सन्तुष्ट न था तो उनके पास रेफरल लेब जाने का अवसन था, परन्तु उन्होने निर्धारित समय में अपील पेश न की । ऐसी स्थिति में अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51, 52 का दोषी हैं। अप्रार्थीगण पर शास्ती रूपये ..... अक्षरे रूपये ..... की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि **न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर (ADJUDICATING OFFICER AND ADM CITY, JODHPUR)** के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक ..... के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।

6. निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

क्रमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2018/ **दिनांक :–**

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर/कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं जोन जोधपुर।
2. संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर / कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं जोन जोधपुर।
3. श्री अनिल पंवार पुत्र श्री लालचंद पंवार, मैसर्स श्री रामदेव फार्मा, शॉप सं 26, प्रथम तल, राजदान मेंशन, जालोरी बारी,जोधपुर।
4. श्री मुकेश परनामी पुत्र श्री द्वारका नाथ परनामी, मैसर्स दीप ड्रग हाउस, 10 भदवार मार्केट फिल्म कॉलोनी, जयपुर।
5. श्री विकास परनामी पुत्र श्री द्वारकानाथ परनामी, मैसर्स दीप ड्रग हाउस, 10 भदवार मार्केट फिल्म कॉलोनी, जयपुर।
6. मैसर्स दीप ड्रग हाउस, 10 भदवार मार्केट फिल्म कॉलोनी, जयपुर।
7. श्री तरूण सोहिन्दा पुत्र श्री नन्दकिशोर सोहिन्दा, मैसर्स तरूण फार्मास्यूटिकल्स, शॉप नं 1, 4–8–39, रूकमणी निवास अतुल ब्रेड फैक्ट्री के पास दीवान, देवोडी, औरंगाबाद–431001।
8. श्री खुशी कुमार पटेल पुत्र श्री तुलसीदास पटेल, मैसर्स हैविट रेमिडीज प्राइवेट लिमिटेड प्लॉट सं 3476, फेस 4, जीआईडीसी छतराल 382729 तह कलोल जिला गांधीनगर गुजरात।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 98 / 2017

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जोधपुर।		1. श्री अनिल पंवार पुत्र श्री लालचंद पंवार, मैसर्स श्री रामदेव फार्मा, शॉप सं 26, प्रथम तल, राजदान मेंशन, जालोरी बारी,जोधपुर। 2. श्री मुकेश परनामी पुत्र श्री द्वारका नाथ परनामी, मैसर्स दीप ड्रग हाउस, 10 भदवार मार्केट फिल्म कॉलोनी, जयपुर। 3. श्री विकास परनामी पुत्र श्री द्वारकानाथ परनामी, मैसर्स दीप ड्रग हाउस, 10 भदवार मार्केट फिल्म कॉलोनी, जयपुर। 4. मैसर्स दीप ड्रग हाउस, 10 भदवार मार्केट फिल्म कॉलोनी, जयपुर। 5. श्री तरूण सोहिन्दा पुत्र श्री नन्दकिशोर सोहिन्दा, मैसर्स तरूण फार्मास्यूटिकल्स, शॉप नं 1, 4–8–39, रूकमणी निवास अतुल ब्रेड फैक्ट्री के पास दीवान, देवोडी, औरंगाबाद–431001। 6. श्री खुशी कुमार पटेल पुत्र श्री तुलसीदास पटेल, मैसर्स हैविट रेमिडीज प्राइवेट लिमिटेड प्लॉट सं 3476, फेस 4, जीआईडीसी छतराल 382729 तह कलोल जिला गांधीनगर गुजरात। 7. मैसर्स हैविट रेमिडीज प्राइवेट लिमिटेड प्लॉट सं 3476, फेस 4, जीआईडीसी छतराल 382729 तह कलोल जिला गांधीनगर गुजरात।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 15.09.2016 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी मैसर्स श्री रामदेव फार्मा, शॉप सं 26, प्रथम तल, राजदान मेंशन, जालोरी बारी, जोधपुर **पहुंचा**, यहां डायटरी फूड सप्लीमेंट (एमडयूरा मार ऐ वेट गेनर) आम जनता हेतु वास्ते विक्रय किया जा रहा था। डायटरी फूड सप्लीमेंट (एमडयूरा मार ऐ वेट गेनर) वास्ते जांच मिलावट / अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 870 / – देकर डायटरी फूड सप्लीमेंट (एमडयूरा मार ऐ वेट गेनर) के 450 ग्राम के 4 टिन एक ही बैच के खरीदे तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. विक्रेता व गवाह के सामने खरीदसुदा डायटरी फूड सप्लीमेंट (एमडयूरा मार ऐ वेट गेनर) के 450 ग्राम के 4 टिनों पर लगाने के लिए लेबल तैयार किये जिस पर जिस पर डी.ओ.कोड़ व सीरियल नम्बर एम–1259 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमूना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एम–1259 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमूना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एम–1259 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाफा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर

6. श्री राजीव मुकेश अंजारिया पुत्र श्री मुकेश शाम जी अंजारिया, मैसर्स आर एम कनानी एण्ड कम्पनी, सी–26 सरदार स्टेट, अजवा रोड, वडोदरा, गुजरात।
7. श्री मुकेश शाम जी अंजारिया पुत्र श्री शामजी जमनादास अंजारिया, आर एम कनानी एण्ड कम्पनी, सी–26 सरदार स्टेट, अजवा रोड, वडोदरा, गुजरात।
8. श्री पीयुष विरेन्द्र कलवानी पुत्र श्री विरेन्द्र मुलजी कलवानी, मैसर्स आर एम कनानी एण्ड कम्पनी, सी–26 सरदार स्टेट, अजवा रोड, वडोदरा, गुजरात।
9. श्री नरेन्द्र शामती अंजारिया पुत्र श्री शामजी जमनादास अंजारिया, मैसर्स आर एम कनानी एण्ड कम्पनी, सी–26 सरदार स्टेट, अजवा रोड, वडोदरा, गुजरात।
10. श्री जयेश नरेन्द्र अंजारियापुत्र श्री नरेन्द्र शामजी अंजारिया, मैसर्स आर एम कनानी एण्ड कम्पनी, सी–26 सरदार स्टेट, अजवा रोड, वडोदरा, गुजरात।
11. मैसर्स आर एम कनानी एण्ड कम्पनी, सी–26 सरदार स्टेट, अजवा रोड, वडोदरा, गुजरात।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एम–1376 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।

3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाफा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि उक्त चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एम–1376 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस 52/एक्ट/2017/47 दिनांक 30.01.2017 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ का बिना लेबलिंग के बेचा जाना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एम–1376 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाईल करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।

4. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। अप्रार्थीगण ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि यह हमारी प्रथम भूल है। यह मिथ्या छाप वाली त्रुटि का लेबल में सुधार करवा लिया जावेगा। कृपया कम से कम जुर्माना फरमाकर प्रकरण समाप्त करवाने की कृपा करावें।

5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट क्रमांक 47 दिनांक 30.01.2017 का अवलोकन किया तथा अप्रार्थीगण के अधिवक्ता को सुना गया तथा मनन के पश्चात् पाया कि अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51, 52 का दोषी हैं। अप्रार्थी यदि रिपोर्ट दिनांक 30.01.2017 से सन्तुष्ट न था तो उनके पास रेफरल लेब जाने का अवसन था, परन्तु उन्होने निर्धारित समय में अपील पेश न की । ऐसी स्थिति में अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51, 52 का दोषी हैं। अप्रार्थीगण पर शास्ती रूपये ..... अक्षरे रूपये ..... की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि **न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर (ADJUDICATING OFFICER AND ADM CITY, JODHPUR)** के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक ..... के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।

6. निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

क्रमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2018/ **दिनांक :–**

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर/कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं जोन जोधपुर।
2. संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर / कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं जोन जोधपुर।
3. श्री रमेश सिंघल पुत्र श्री सीताराम सिंघल, मैसर्स फ्रंट लाइन मार्केटिंग हाउस, 4 पोल के पास, सिटी सर्कल, मगरा पूंजला, जोधपुर।
4. श्रीमती मीना सिंघल पत्नी श्री रमेश सिंघल, मैसर्स फ्रंट लाइन मार्केटिंग हाउस, 4 पोल के पास, सिटी सर्कल, मगरा पूंजला, जोधपुर।
5. श्री मरूधर सिंह, मैसर्सः कार्तिकेय एन्टरप्राइजेज,2–3–बी, गुलजार नगर, इण्डेन गैस गोदाम के पास, भदवासिया जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 135/2017

प्रार्थी | **बनाम** | **अप्रार्थी**

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जोधपुर।

1. श्री रमेश सिंघल पुत्र श्री सीताराम सिंघल, मैसर्स फ्रंट लाइन मार्केटिंग हाउस, 4 पोल के पास, सिटी सर्कल, मगरा पूंजला, जोधपुर।
2. श्रीमती मीना सिंघल पत्नी श्री रमेश सिंघल, मैसर्स फ्रंट लाइन मार्केटिंग हाउस, 4 पोल के पास, सिटी सर्कल, मगरा पूंजला, जोधपुर।
3. श्री मरूधर सिंह मैसर्सः कार्तिकेय एन्टरप्राइजेज,2–3–बी, गुलजार नगर, इण्डेन गैस गोदाम के पास, भदवासिया जोधपुर।
4. श्री राजीव मुकेश अंजारिया पुत्र श्री मुकेश शाम जी अंजारिया, मैसर्स आर एम कनानी एण्ड कम्पनी, सी–26 सरदार स्टेट, अजवा रोड, वडोदरा, गुजरात।
5. श्री मुकेश शाम जी अंजारिया पुत्र श्री शामजी जमनादास अंजारिया, आर एम कनानी एण्ड कम्पनी, सी–26 सरदार स्टेट, अजवा रोड, वडोदरा, गुजरात।
6. श्री पीयुष विरेन्द्र कलवानी पुत्र श्री विरेन्द्र मुलजी कलवानी, मैसर्स आर एम कनानी एण्ड कम्पनी, सी–26 सरदार स्टेट, अजवा रोड, वडोदरा, गुजरात।
7. श्री नरेन्द्र शामती अंजारिया पुत्र श्री शामजी जमनादास अंजारिया मैसर्स आर एम कनानी एण्ड कम्पनी, सी–26 सरदार स्टेट, अजवा रोड, वडोदरा, गुजरात।
8. श्री जयेश नरेन्द्र अंजारियापुत्र श्री नरेन्द्र शामजी अंजारिया, मैसर्स आर एम कनानी एण्ड कम्पनी, सी–26 सरदार स्टेट, अजवा रोड, वडोदरा, गुजरात।
9. मैसर्स आर एम कनानी एण्ड कम्पनी, सी–26 सरदार स्टेट, अजवा रोड, वडोदरा, गुजरात।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 19.01.2017 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी मैसर्स फ्रंट लाइन मार्केटिंग हाउस, 4 पोल के पास, सिटी सर्कल, मगरा पूंजला, जोधपुर **पहुंचा**, यहां संयुक्त बांधानी हींग (लक्ष्मी) की 100 ग्राम की 1500 पैक आम जनता हेतु वास्ते विक्रय किया जा रहा था। संयुक्त बांधानी हींग (लक्ष्मी) वास्ते जांच मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 680/– देकर संयुक्त बांधानी हींग (लक्ष्मी) की 100 ग्राम के 4 नग एक ही बैच के खरीदे तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. विक्रेता व गवाह के सामने खरीदसुदा संयुक्त बांधानी हींग (लक्ष्मी) की 100 ग्राम की चारों नमूना डिब्बियों पर लगाने के लिए लेबल तैयार किये जिस पर जिस पर डी.ओ.कोड़ व सीरियल नम्बर एम–1376 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमूना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एम–1376 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमूना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार

5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट क्रमांक 817 दिनांक 26.09.2017 का अवलोकन किया तथा अप्रार्थीगण के अधिवक्ता/ एफएसओ को सुना गया तथा मनन के पश्चात् पाया कि अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थी यदि रिपोर्ट दिनांक 26.09.2017 से सन्तुष्ट न था तो उनके पास रेफरल लेब जाने का अवसन था, परन्तु उन्होने निर्धारित समय में अपील पेश न की । ऐसी स्थिति में अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थीगण पर शास्ती रूपये ..... अक्षरे रूपये .... की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि **न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर (ADJUDICATING OFFICER AND ADM CITY, JODHPUR)** के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक ..... के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।
6. निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

क्रमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2018/ **दिनांक :–**

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर/कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं जोन जोधपुर।
2. संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर / कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं जोन जोधपुर।
3. श्री नन्दकिशोर प्रजापत पुत्र श्री खिंवराज जी, मैसर्स संगम चाय झालामण्ड चौराहा, ओल्ड पाली रोड, वार्ड संख्या 26, जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 141/2017

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जोधपुर।		1. श्री नन्दकिशोर प्रजापत पुत्र श्री खिंवराज जी, मैसर्स संगम चाय झालामण्ड चौराहा, ओल्ड पाली रोड, वार्ड संख्या 26, जोधपुर।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 05.10.2017 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी मैसर्स संगम चाय झालामण्ड चौराहा, ओल्ड पाली रोड, वार्ड संख्या 26, **जोधपुर पहुंचा** यहां खाद्य पदार्थ दही एक स्टील की परात मे लगभग 05 किलोग्राम, आम जनता को विक्रय हेतु रखा हुआ था। दही के वास्ते जांच मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 70/– देकर 01 किलोग्राम दही खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. विक्रेता व गवाह के सामने खरीदसुदा नमूना दही को हिलामिला कर एक रूप कर साफ–सुखी खाली चौडे मुंहवाली चार शीशीयों में बराबर–बराबर (250 ग्राम प्रति) भरकर प्रत्येक नमूना शीशी में 20 बूंदें फॉर्मेलिन बतौर प्रीजरवेटिव डालकर एयरटाईट बंद कर चारों शीशीयों पर लगाने के लिए अलग–अलग चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ. कोड़ व सीरियल नम्बर एडी – 623 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमूना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एडी – 623 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमूना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एडी – 623 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाफा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि उक्त चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एडी – 623 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस 818/एक्ट/2016/817 दिनांक 26.09.2017 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ का बिना लेबलिंग के बेचा जाना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एडी – 623 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाईल करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।
4. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। वकील पक्षकार उपस्थित। बहस सुनी गई। बहस के दौरान जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थी के विरूद्ध नरम रूख अपनाते हुए कार्यवाही ड्रॉप फरमाने का निवेदन किया।

4. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। बावजूद तामिल जवाब पेश नहीं किया। जवाब बंद किया गया। ऐसी स्थिति में एकपक्षीय जवाब पारित करना उचित प्रतीत होता है।
5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट क्रमांक 696 दिनांक 18.08.2017 का अवलोकन किया तथा अप्रार्थीगण के अधिवक्ता को सुना गया तथा मनन के पश्चात् पाया कि अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थी यदि रिपोर्ट दिनांक 18.08.2017 से सन्तुष्ट न था तो उनके पास रेफरल लेब जाने का अवसन था, परन्तु उन्होने निर्धारित समय में अपील पेश न की । ऐसी स्थिति में अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थीगण पर शास्ती रूपये ..... अक्षरे रूपये ..... की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि **न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर (ADJUDICATING OFFICER AND ADM CITY, JODHPUR)** के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक ..... के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।
6. निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

क्रमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2018/ **दिनांक :–**

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर/कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं जोन जोधपुर।
2. संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर / कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं जोन जोधपुर।
3. श्री गौतम सिंह राजपुरोहित पुत्र श्री रणजीत सिंह राजपुरोहित, मैसर्स श्री जोधपुर स्वीट कॉर्नर, डीपीएस चौराहा, पालबाईपास, जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 10/2018

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जोधपुर।		1. श्री गौतम सिंह राजपुरोहित पुत्र श्री रणजीत सिंह राजपुरोहित, मैसर्स श्री जोधपुर स्वीट कॉर्नर, डीपीएस चौराहा, पालबाईपास, जोधपुर।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 05.08.2017 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी मैसर्स श्री जोधपुर स्वीट कॉर्नर, डीपीएस चौराहा, पालबाईपास, जोधपुर **पहुंचा** वहां गुलाब जामुन (मैदा, मावा, घी निर्मित मिठाई) करीबन 6 किलोग्राम एल्यूमूनियम के भगोले में आम जनता हेतु वास्ते विक्रय किया जा रहा था। गुलाब जामुन (मैदा, मावा, घी निर्मित मिठाई) वास्ते जांच मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 560/– देकर 2 किलोग्राम गुलाब जामुन (मैदा, मावा, घी निर्मित मिठाई) खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. विक्रेता व गवाह के सामने खरीदसुदा नमूना गुलाब जामुन (मैदा, मावा, घी निर्मित मिठाई) को हिलामिलाकर एक रूप कर साफ–सुखी खाली चौडे मुंहवाली चार प्लास्टिक की नमूना शीशीयों में बराबर–बराबर (500 ग्राम प्रत्येक) भरकर प्रत्येक नमूना शीशी में 40–40 बूंदें फॉर्मेलिन बतौर प्रीजरवेटिव डालकर एयरटाईट बंद कर चारों शीशीयों पर लगाने के लिए अलग–अलग चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड़ व सीरियल नम्बर एम–1583 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमूना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एम–1583 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमूना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एम–1583 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाफा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि उक्त चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एम–1583 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस 695/एक्ट/2016/696 दिनांक 18.08.2017 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ का बिना लेबलिंग के बेचा जाना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एम–1583 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाईल करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।

परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एम–1448 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाईल करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।

4. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। जवाब पेश नहीं। जवाब बंद किया गया । इतना लिखने पर अप्रार्थी स्वयं उपस्थित तथा प्रथम गलती होने से माफ करने हेतु निवेदन किया।
5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट क्रमांक 292 दिनांक 06.04.2017 का अवलोकन किया तथा अप्रार्थीगण के अधिवक्ता को सुना गया तथा मनन के पश्चात् पाया कि अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थी यदि रिपोर्ट दिनांक 06.04.2017 से सन्तुष्ट न था तो उनके पास रेफरल लेब जाने का अवसन था, परन्तु उन्होने निर्धारित समय में अपील पेश न की । ऐसी स्थिति में अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थीगण पर शास्ती रूपये ..... अक्षरे रूपये ..... की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि **न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर (ADJUDICATING OFFICER AND ADM CITY, JODHPUR)** के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक ..... के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।
6. निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

क्रमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2018/ **दिनांक :–**

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर/कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं जोन जोधपुर।
2. संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर / कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं जोन जोधपुर।
3. श्री राजीव चडडा पुत्र श्री शिवकुमार चडडा, मैसर्स फूड एण्ड फूड, जिप्सी रेस्टोरेन्ट 689, 9 सी रोड, सरदारपुरा, जोधपुर।
4. श्री उमेश चन्दानी पुत्र श्री गिरधारीलाल चन्दानी, मैसर्स फूड एण्ड फूड, जिप्सी रेस्टोरेन्ट 689, 9 सी रोड, सरदारपुरा, जोधपुर।
5. श्रीमती सुनिता चन्दानी पत्नी श्री गिरीश चन्दानी, मैसर्स फूड एण्ड फूड, जिप्सी रेस्टोरेन्ट 689, 9 सी रोड, सरदारपुरा, जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 86/2017

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जोधपुर।		1. श्री राजीव चडडा पुत्र श्री शिवकुमार चडडा, मैसर्स फूड एण्ड फूड, जिप्सी रेस्टोरेन्ट 689, 9 सी रोड, सरदारपुरा, जोधपुर। 2. श्री उमेश चन्दानी पुत्र श्री गिरधारीलाल चन्दानी, मैसर्स फूड एण्ड फूड, जिप्सी रेस्टोरेन्ट 689, 9 सी रोड, सरदारपुरा, जोधपुर। 3. श्रीमती सुनिता चन्दानी पत्नी श्री गिरीश चन्दानी, मैसर्स फूड एण्ड फूड, जिप्सी रेस्टोरेन्ट 689, 9 सी रोड, सरदारपुरा, जोधपुर।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 23.03.2017 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी मैसर्स फूड एण्ड फूड, जिप्सी रेस्टोरेन्ट 689, 9 सी रोड, सरदारपुरा, जोधपुर **पहुंचा**, वहां तैयार खाने का निर्माण आम जनता हेतु वास्ते विक्रय किया जा रहा था। यहां किचन के फ्रीजर में पनीर लगभग 4 किलोग्राम सब्जियां व स्टार्टर बनाने के लिए रखा हुआ था। पनीर के वास्ते जांच मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 270/– देकर 1 किलोग्राम पनीर खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. विक्रेता व गवाह के सामने खरीदसुदा नमूना पनीर को साफ–सुखी खाली चौडे मुंहवाली चार कांच की शीशीयों में तोडकर बराबर–बराबर भरकर प्रत्येक नमूना शीशी में 20 बूंदें फॉर्मेलिन बतौर प्रीजरवेटिव डालकर एयरटाईट बंद कर चारों शीशीयों पर लगाने के लिए अलग–अलग चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड़ व सीरियल नम्बर जिस पर डी.ओ.कोड़ व सीरियल नम्बर एम–1448 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमूना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एम–1448 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमूना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एम–1448 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाफा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि उक्त चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एम–1448 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस 300/एक्ट/2016/292 दिनांक 29.12.2015 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ का बिना लेबलिंग के बेचा जाना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह

वाले दूध की अच्छी गुणवत्ता का प्रतीक है। इस सेम्पल में मिल्क सॉलिडस की मात्रा में मामूली सा अंतर आया है। मेरे द्वारा बेचे जाने वाला गाय का दूध किसी भी रूप में हानिकारक नहीं है। यह मेरी प्रथम भूल है। मैं अब से दूध की गुणवत्ता जांच कर ही खरीदी करूंगा। आगे से ऐसी पुनरावृति नहीं होगी। अतः मेरे खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 51 के तहत न्यूनतम जुर्माना फरमावें।

5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट क्रमांक 119 दिनांक 27.02.2017 का अवलोकन किया । मनन के पश्चात पाया की अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थी यदि रिपोर्ट दिनांक 27.02.2017 से सन्तुष्ट न था तो उनके पास रेफरल लेब जाने का अवसन था, परन्तु उन्होने निर्धारित समय में अपील पेश न की । ऐसी स्थिति में अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थीगण पर शास्ती

   रूपये ..... अक्षरे रूपये ..... की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक ..... के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।

6. निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

क्रमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2017/ **दिनांक :–**

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर/कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं जोन जोधपुर।
02. संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर / कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं जोन जोधपुर।
03. श्री राकेश भाटी पुत्र श्री श्यामलाल भाटी, फर्म :– मै. संतोष दूध दही भण्डार, बी आर बिडला स्कूल के सामने, आर के नगर, पुरानी झंवर रोड जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 59 / 2017

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जोधपुर।		1. श्री राकेश भाटी पुत्र श्री श्यामलाल भाटी, फर्म :– मै. संतोष दूध दही भण्डार, बी आर बिडला स्कूल के सामने, आर के नगर, पुरानी झंवर रोड जोधपुर।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 16.02.2017 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी मै. संतोष दूध दही भण्डार, बी आर बिडला स्कूल के सामने, आर के नगर, पुरानी झंवर रोड जोधपुर पहुँचा कर निरीक्षण करने पर वहां एक स्टील की टंकी में 50 लीटर पेय पदार्थ गाय का दूध आम जनता हेतु वास्ते विक्रय हेतु था। उक्त दूध में से 2 लीटर के वास्ते जांच मिलावट / अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 70 / – नगद देकर खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. विक्रेता व गवाह के सामने खरीदशुदा दूध को एक रूप कर चार भागों में बराबर कर चार साफ सूखी व खाली प्लास्टिक की शीशियों में डालकर प्रत्येक में 40 बूंदें फार्मेलिन बतौर प्रिजर्वेटिव की डाली, अच्छी तरह हिलाया और एयर टाइट बंद किया। इन पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड व सीरियल नम्बर एडी–530 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एडी–530 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एडी–530 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाबा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एडी–530 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस 122 / एक्ट / 2017 / 119 दिनांक 27.02.2017 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ अमानक स्तर का होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एडी–530 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाई करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।
4. अप्रार्थी से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। अप्रार्थी स्वयं उपस्थित। अप्रार्थी ने जवाब पेश किया । जवाब में बताया कि मेरे द्वारा बेचे जाने वाले गाय के दूध में फैट निर्धारित मात्रा से अधिक पाया गया है। यह मेरे द्वारा बेचे जाने

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर

का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एम–1343 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाईल करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।

4. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। वकील पक्षकार उपस्थित। खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित। बहस सुनी गई। बहस के दौरान वकील अप्रार्थी ने जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण द्वारा दही हिन्द डेयरी एमजीएच रोड जोधपुर से क्रय किया गया था तथा जिस केश/बिल मीमोवक्त कार्यवाही खाद्य सुरक्षा अधिकारी को पेश कर दिया गया था। लेकिन खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त बिल को परिवाद के साथ पेश नहीं किया गया। क्रय किये गये दही की गुणवत्ता की गारण्टी समझा जाएगा । इस बाबत स्पष्ट प्रावधान अधिनियम में समावेश नियम/धारा में किया गया है '' ऐसा बिल, मीमो या बिजक इस अधिनियम के अंतर्गत गारण्टी समझा जायेगा। भलेही प्रारूप में गारण्टी सम्मिलित न हो।'' अतः स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण द्वारा कोई भी ऐसा कार्य नही किया गया है जो अप्रार्थीगण के दायित्वों से परे है उसका उत्पादन अप्रार्थीगण द्वारा नहीं किया गया है और अप्रार्थीगण द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ को गुणवत्ता गारंटी के साथ खरीद किया गया है जो खरीद बिल व अधिनियम के उपरोक्त प्रावधान से स्पष्ट है। इसलिए अप्रार्थीगण पर इस आधार पर ही वर्तमान मामले की परिस्थितियों में उन्मोचित किये जाने योग्य ही नहीं है। वकील अप्रार्थीगण ने निवेदन किया कि परिवाद को खारिज कर अप्रार्थीगण को उन्मोचित करने का आदेशपारित करावें। एफएसओ को सुना गया । एफएसओ ने बताया कि वक्त चेकिंग रेस्टोरेंट के कीचन मे कोल्ड रूम में एक भगोनी में दही खुला रूप से पडा था ऐसी स्थिति में यह नहीं कहा जा सकता कि उक्त पनीर अप्रार्थीगण ने हिन्द डेयरी से ही क्रय किया है।

5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट क्रमांक 1444 दिनांक 29.12.2015 का अवलोकन किया तथा अप्रार्थीगण के अधिवक्ता/ एफएसओ को सुना गया तथा मनन के पश्चात् पाया कि अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थी यदि रिपोर्ट दिनांक 29.12.2015 से सन्तुष्ट न था तो उनके पास रेफरल लेब जाने का अवसन था, परन्तु उन्होने निर्धारित समय में अपील पेश न की । ऐसी स्थिति में अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थीगण पर शास्ती रूपये ..... अक्षरे रूपये .... की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि **न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर (ADJUDICATING OFFICER AND ADM CITY, JODHPUR)** के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक ..... के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।

6. निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

क्रमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2018/ **दिनांक :–**

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर/कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं जोन जोधपुर।
2. संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर / कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं जोन जोधपुर।
3. श्री सुनिल शर्मा पुत्र श्री राजाराम सारस्वत, मैसर्स दी फर्न रेजीडेन्सी जोधपुर (ए युनिअ ऑफ पूसा होटल प्राइवेट लिमिटेड) 1 बी/ए, पुलिस लाईन से लोको शेड रोड, रातानाडा, जोधपुर।
4. श्री अनिल गहलोत, मैसर्स दी फर्न रेजीडेन्सी जोधपुर (ए युनिअ ऑफ पूसा होटल प्राइवेट लिमिटेड) 1 बी/ए, पुलिस लाईन से लोको शेड रोड, रातानाडा, जोधपुर।
5. फर्मः मैसर्स दी फर्न रेजीडेन्सी जोधपुर (ए युनिट ऑफ पूसा होटल प्राइवेट लिमिटेड) 1 बी/ए, पुलिस लाईन से लोको शेड रोड, रातानाडा, जोधपुर।श्री जुगल किशोर मालाणी पुत्र श्री मंगलाराम चौधरी, मैसर्स जुगलकिशोर राजेन्द्र प्रसाद, धान मण्डी सिवांची गेट के अन्दर, जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 62/2017

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जोधपुर।		1. श्री सुनिल शर्मा पुत्र श्री राजाराम सारस्वत, मैसर्स दी फर्न रेजीडेन्सी जोधपुर (ए युनिअ ऑफ पूसा होटल प्राइवेट लिमिटेड) 1 बी/ए, पुलिस लाईन से लोको शेड रोड, रातानाडा, जोधपुर। 2. श्री अनिल गहलोत, मैसर्स दी फर्न रेजीडेन्सी जोधपुर (ए युनिअ ऑफ पूसा होटल प्राइवेट लिमिटेड) 1 बी/ए, पुलिस लाईन से लोको शेड रोड, रातानाडा, जोधपुर। 3. फर्मः मैसर्स दी फर्न रेजीडेन्सी जोधपुर (ए युनिअ ऑफ पूसा होटल प्राइवेट लिमिटेड) 1 बी/ए, पुलिस लाईन से लोको शेड रोड, रातानाडा, जोधपुर।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 21.12.2016 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी मैसर्स दी फर्न रेजीडेन्सी जोधपुर (ए युनिअ ऑफ पूसा होटल प्राइवेट लिमिटेड) 1 बी/ए, पुलिस लाईन से लोको शेड रोड, रातानाडा, **जोधपुर पहुंचा**, वहां तैयार खाने का निर्माण आम जनता हेतु वास्ते विक्रय किया जा रहा था। यहां खाद्य पदार्थ दही लगभग 15 किलोग्राम आम जनता को विक्रय हेतु रखा हुआ था। दही के वास्ते जांच मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 64/– देकर 800 ग्राम दही खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. विक्रेता व गवाह के सामने खरीदसुदा नमूना दही को हिलामिला कर एक रूप कर साफ–सुखी खाली चौडे मुंहवाली चार शीशीयों में बराबर–बराबर (200ग्राम प्रति) भरकर प्रत्येक नमूना शीशी में 20 बूंदें फॉर्मेलिन बतौर प्रीजरवेटिव डालकर एयरटाईट बंद कर चारों शीशीयों पर लगाने के लिए अलग–अलग चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ. कोड़ व सीरियल नम्बर एम–1343 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमूना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एम–1343 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमूना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एम–1343 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाफा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि उक्त चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एम–1343 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस 1413/एक्ट/2016/1444 दिनांक 29.12.2015 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ का बिना लेबलिंग के बेचा जाना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।)

अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ का मिथ्याछाप होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना **एम–1395** एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाईल करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।

4. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। अप्रार्थी संख्या 4 (मालिक व निर्माता) ने लिखित जवाब पेश किया। जवाब में अप्रार्थी संख्या 4 ने अपना जुर्म स्वीकार किया व कम से कम जुर्माना लगाने हेतु निवेदन किया है।
5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट क्रमांक 136 दिनांक 01.03.2017 का अवलोकन किया तथा अप्रार्थीगण के अधिवक्ता को सुना गया तथा मनन के पश्चात् पाया कि अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 52 का दोषी हैं। अप्रार्थी यदि रिपोर्ट दिनांक 01.03.2017 से सन्तुष्ट न था तो उनके पास रेफरल लेब जाने का अवसन था, परन्तु उन्होने निर्धारित समय में अपील पेश न की । ऐसी स्थिति में अप्रार्थी संख्या 4 खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 52 का दोषी हैं। अप्रार्थी संख्या 4 पर शास्ती रूपये ..... अक्षरे रूपये .... की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि **न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर (ADJUDICATING OFFICER AND ADM CITY, JODHPUR)** के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक ..... के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।
6. निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

क्रमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2018/ **दिनांक :–**

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अ0भिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर/कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं जोन जोधपुर।
2. संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर / कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं जोन जोधपुर।
3. श्री चन्द्रप्रकाश खत्री पुत्र श्री गोकुलदास, मै. रामनगर सुपर मार्केट (जोधपुर सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार लिमिटेड), पी एफ ऑफिस के पास, 338,39 झंवर रोड, जोधपुर।
4. श्री मधुसूदन कुमार शर्मा पुत्र श्री नृसिंहदत्त शर्मा, मै. जोधपुर सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार लिमिटेड, कमरा नम्बर 203, राजीव गांधी सहकारी भवन, रेल्वे स्टेशन के सामने, जोधपुर।
5. फर्म मै. जोधपुर सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार लिमिटेड,कमरा नम्बर 203, राजीव गांधी सहकारी भवन, रेल्वे स्टेशन के सामने, जोधपुर।
6. श्री कपिल कुमार सिखवाल पुत्र श्री मछराज सिखवाल, मैसर्स अन्नपूर्णा फूड प्रोडक्ट, सिखवालों का मोहल्ला मेडता, नागौर।।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 11/2018

प्रार्थी	**बनाम**	**अप्रार्थी**
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जोधपुर।		1. श्री चन्द्रप्रकाश खत्री पुत्र श्री गोकुलदास मै. रामनगर सुपर मार्केट (जोधपुर सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार लिमिटेड), पी एफ ऑफिस के पास, 338,39 झंवर रोड, जोधपुर। 2. श्री मधुसूदन कुमार शर्मा पुत्र श्री नृसिंहदत्त शर्मा, मै. जोधपुर सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार लिमिटेड, कमरा नम्बर 203, राजीव गांधी सहकारी भवन, रेल्वे स्टेशन के सामने, जोधपुर। 3. फर्म मै. जोधपुर सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार लिमिटेड, कमरा नम्बर 203, राजीव गांधी सहकारी भवन, रेल्वे स्टेशन के सामने, जोधपुर। 4. श्री कपिल कुमार सिखवाल पुत्र श्री मछराज सिखवाल मैसर्स अन्नपूर्णा फूड प्रोडक्ट, सिखवालों का मोहल्ला मेडता, नागौर।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 20.02.2017 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी मै. रामनगर सुपर मार्केट (जोधपुर सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार लिमिटेड), पी एफ ऑफिस के पास, 338,39 झंवर रोड, जोधपुर **पहुंचा**, वहां निरीक्षण करने पर मिर्च पाउडर (मेडता केसर) 500 ग्राम के 10 पॉली पैक्स आम जनता हेतु वास्ते विक्रय रखे हुए थे। मिर्च पाउडर (मेडता केसर) वास्ते जांच मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 392/– देकर मिर्च पाउडर (मेडता केसर) 500ग्राम के 4 पॉली पैक्स खरीदे तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. विक्रेता व गवाह के सामने खरीदसुदा नमूना मिर्च पाउडर (मेडता केसर) 500ग्राम के चारों मूल पॉली पैक्स को गत्ते के डिब्बों में डाला व उन पर लगाने के लिए अलग–अलग चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड़ व सीरियल नम्बर **एम–1395** खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमूना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप **एम–1395** हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमूना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना **एम–**1395 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाफा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि उक्त चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में **एम–1395** की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस 136/एक्ट/2016/136 दिनांक 01.03.2017 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके

परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एम–1094 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाईल करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।

4. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। कम से कम जुर्माना लगाने हेतु निवेदन किया है। मालिक निर्माता व मालिक थोक विक्रेता ने जवाब प्रस्तुत कर कम से कम जुर्माना लगाने हेतु निवेदन किया है।
5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट क्रमांक 494 दिनांक 12.05.2016 का अवलोकन किया तथा अप्रार्थीगण के अधिवक्ता को सुना गया तथा मनन के पश्चात् पाया कि अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 52 का दोषी हैं। अप्रार्थी यदि रिपोर्ट दिनांक 12.05.2016 से सन्तुष्ट न था तो उनके पास रेफरल लेब जाने का अवसन था, परन्तु उन्होने निर्धारित समय में अपील पेश न की तथा अप्रार्थी निर्माता गोविन्द जैन पूर्व पत्रावली 14/2017 में भी धारा 52 का दोषी पाया गया अतः यह उनका पुनरावृत अपराध है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 52 का दोषी हैं। **अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2** पर शास्ती रूपये ..... अक्षरे रूपये ..... की आरोपित की जाती हैं एवं **अप्रार्थी संख्या 3** पर शास्ती रूपये ..... अक्षरे रूपये ..... की आरोपित की जाती हैं एवं **अप्रार्थी संख्या 4** पर शास्ती रूपये .... अक्षरे रूपये ..... की आरोपित की जाती है। उपरोक्त शास्ती राशि **न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर (ADJUDICATING OFFICER AND ADM CITY, JODHPUR)** के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक ..... के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।
6. निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

क्रमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2018/ **दिनांक :–**

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अ0भिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर/कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं जोन जोधपुर।
2. संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर / कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं जोन जोधपुर।
3. श्री प्रवीण कांकरिया पुत्र श्री हीरालाल कांकरिया, मैसर्स नाइन टू नाइन सुपर मार्केट, प्लॉट सं 253, तीसरी बी रोड, सरदारपुरा जोधपुर।
4. श्री मती कांता देवी कांकरिया पत्नी श्री प्रवीण कांकरिया, मैसर्स नाइन टू नाइन सुपर मार्केट, प्लॉट सं 253, तीसरी बी रोड, सरदारपुरा जोधपुर।
5. श्री बनवारी सिंह भाटी पुत्र श्री रोशन सिंह, फर्मः प्रफुल्ल ऐजेन्सीज, 21/256, चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर।
6. श्री गोविन्दराम जैन पुत्र श्री तुलसीराम, फर्म मैसर्स अग्रवाल बेकर्स, प्लॉट संख्या बी 105, लक्ष्मी वाटिका, आगरा रोड, जयपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 14 / 2017

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जोधपुर।		1. श्री प्रवीण कांकरिया पुत्र श्री हीरालाल कांकरिया, मैसर्स नाइन टू नाइन सुपर मार्केट, प्लॉट सं 253, तीसरी बी रोड, सरदारपुरा जोधपुर। 2. श्री मती कांता देवी कांकरिया पत्नी श्री प्रवीण कांकरिया, मैसर्स नाइन टू नाइन सुपर मार्केट, प्लॉट सं 253, तीसरी बी रोड, सरदारपुरा जोधपुर। 3. श्री बनवारी सिंह भाटी पुत्र श्री रोशन सिंह फर्मः प्रफुल्ल ऐजेन्सीज, 21 / 256, चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर। 4. श्री गोविन्दराम जैन पुत्र श्री तुलसीराम, फर्म मैसर्स अग्रवाल बेकर्स, प्लॉट संख्या बी 105, लक्ष्मी वाटिका, आगरा रोड, जयपुर।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 21.12.2016 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी मैसर्स नाइन टू नाइन सुपर मार्केट, प्लॉट सं 253, तीसरी बी रोड, सरदारपुरा जोधपुर **पहुंचा**, वहां निरीक्षण करने पर रस्क (अग्रवाल इलायची मिल्क रस्क) 300ग्राम के 23 पॉली पैक्स आम जनता हेतु वास्ते विक्रय रखे हुए थे। रस्क (अग्रवाल इलायची मिल्क रस्क) वास्ते जांच मिलावट / अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 180 / – देकर रस्क (अग्रवाल इलायची मिल्क रस्क) 300ग्राम के 4 पॉली पैक्स खरीदे तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. विक्रेता व गवाह के सामने खरीदसुदा नमूना रस्क (अग्रवाल इलायची मिल्क रस्क) 300ग्राम के चारों मूल पॉली पैक्स पर लगाने के लिए अलग–अलग चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड़ व सीरियल नम्बर जिस पर डी.ओ.कोड़ व सीरियल नम्बर एम–1094 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमूना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एम–1094 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमूना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एम–1094 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाफा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि उक्त चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एम–1094 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस 462 / एक्ट / 2016 / 494 दिनांक 12.05.2016 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ का बिना लेबलिंग के बेचा जाना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह

5. फर्मः मैसर्स दी फर्न रेजीडेन्सी जोधपुर (ए युनिट ऑफ पूसा होटल प्राइवेट लिमिटेड) 1 बी/ए, पुलिस लाईन से लोको शेड रोड, रातानाडा, जोधपुर।श्री जुगल किशोर मालाणी पुत्र श्री मंगलाराम चौधरी, मैसर्स जुगलकिशोर राजेन्द्र प्रसाद, धान मण्डी सिवांची गेट के अन्दर, जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर

पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एम–1355 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाईल करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।

4. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। वकील पक्षकार उपस्थित। खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित। बहस सुनी गई। बहस के दौरान वकील अप्रार्थी ने जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण द्वारा पनीर हिन्द डेयरी एमजीएच रोड जोधपुर से क्रय किया गया था तथा जिस केश/बिल मीमोवक्त कार्यवाही खाद्य सुरक्षा अधिकारी को पेश कर दिया गया था। लेकिन खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त बिल को परिवाद के साथ पेश नहीं कियागया। क्रय किये गये पनीर की गुणवत्ता की गारण्टी समझा जाएगा । इस बाबत स्पष्ट प्रावधान अधिनियम में समावेश नियम/धारा में किया गया है " ऐसा बिल, मीमो या बिजक इस अधिनियम के अंतर्गत गारण्टी समझा जायेगा। भलेही प्रारूप में गारण्टी सम्मिलित न हो।" अतः स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण द्वारा कोई भी ऐसा कार्य नही किया गया है जो अप्रार्थीगण के दायित्वों से परे है उसका उत्पादन अप्रार्थीगण द्वारा नहीं किया गया है और अप्रार्थीगण द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ को गुणवत्ता गारंटी के साथ खरीद किया गया है जो खरीद बिल व अधिनियम के उपरोक्त प्रावधान से स्पष्ट है। इसलिए अप्रार्थीगण पर इस आधार पर ही वर्तमान मामले की परिस्थितियों में उन्मोचितकिये जाने योग्य ही नहीं है। वकील अप्रार्थीगण ने निवेदन किया कि परिवाद को खारिज कर अप्रार्थीगण को उन्मोचित करने का आदेशपारित करावें। एफएसओ को सुना गया । एफएसओ ने बताया कि वक्त चेकिंग रेस्टोरेंट के कीचन मे कोल्ड रूम में एक स्टील की ट्रे में 6 किलोग्राम पनीर खुला रूप से पडा था ऐसी स्थिति में यह नहीं कहा जा सकता कि उक्त पनीर अप्रार्थीगण ने हिन्द डेयरी से ही क्रय किया है।

5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट क्रमांक 1447 दिनांक 29.12.2015 का अवलोकन किया तथा अप्रार्थीगण के अधिवक्ता को सुना गया तथा मनन के पश्चात् पाया कि अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थी यदि रिपोर्ट दिनांक 29.12.2015 से सन्तुष्ट न था तो उनके पास रेफरल लेब जाने का अवसन था, परन्तु उन्होने निर्धारित समय में अपील पेश न की । ऐसी स्थिति में अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थीगण पर शास्ती रूपये ..... अक्षरे रूपये ..... की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि **न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर (ADJUDICATING OFFICER AND ADM CITY, JODHPUR)** के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक ..... के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।

6. निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

क्रमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2018/ **दिनांक :–**

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर/कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं जोन जोधपुर।
2. संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर / कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं जोन जोधपुर।
3. श्री सुनिल शर्मा पुत्र श्री राजाराम सारस्वत, मैसर्स दी फर्न रेजीडेन्सी जोधपुर (ए युनिअ ऑफ पूसा होटल प्राइवेट लिमिटेड) 1 बी/ए, पुलिस लाईन से लोको शेड रोड, रातानाडा, जोधपुर।
4. श्री अनिल गहलोत, मैसर्स दी फर्न रेजीडेन्सी जोधपुर (ए युनिअ ऑफ पूसा होटल प्राइवेट लिमिटेड) 1 बी/ए, पुलिस लाईन से लोको शेड रोड, रातानाडा, जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 63/2017

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जोधपुर।		1. श्री सुनिल शर्मा पुत्र श्री राजाराम सारस्वत, मैसर्स दी फर्न रेजीडेन्सी जोधपुर (ए युनिअ ऑफ पूसा होटल प्राइवेट लिमिटेड) 1 बी/ए, पुलिस लाईन से लोको शेड रोड, रातानाडा, जोधपुर। 2. श्री अनिल गहलोत, मैसर्स दी फर्न रेजीडेन्सी जोधपुर (ए युनिअ ऑफ पूसा होटल प्राइवेट लिमिटेड) 1 बी/ए, पुलिस लाईन से लोको शेड रोड, रातानाडा, जोधपुर। 3. फर्मः मैसर्स दी फर्न रेजीडेन्सी जोधपुर (ए युनिअ ऑफ पूसा होटल प्राइवेट लिमिटेड) 1 बी/ए, पुलिस लाईन से लोको शेड रोड, रातानाडा, जोधपुर।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 21.12.2016 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी मैसर्स दी फर्न रेजीडेन्सी जोधपुर (ए युनिअ ऑफ पूसा होटल प्राइवेट लिमिटेड) 1 बी/ए, पुलिस लाईन से लोको शेड रोड, रातानाडा, **जोधपुर पहुंचा**, वहां तैयार खाने का निर्माण आम जनता हेतु वास्ते विक्रय किया जा रहा था। यहां किचन के कोल्ड रूम में एक स्टील की ट्रे में पनीर लगभग 6 किलोग्राम सब्जियां व स्टार्टर बनाने के लिए रखा हुआ था। पनीर के वास्ते जांच मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 260/– देकर 1 किलोग्राम पनीर खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. विक्रेता व गवाह के सामने खरीदसुदा नमूना पनीर को साफ–सुखी खाली चौडे मुंहवाली चार शीशीयों में तोडकर बराबर–बराबर भरकर प्रत्येक नमूना शीशी में 20 बूंदें फॉर्मेलिन बतौर प्रीजरवेटिव डालकर एयरटाईट बंद कर चारों शीशीयों पर लगाने के लिए अलग–अलग चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड़ व सीरियल नम्बर जिस पर डी.ओ.कोड़ व सीरियल नम्बर एम–1355 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमूना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एम–1355 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमूना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एम–1355 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाफा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि उक्त चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एम–1355 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस 1416/एक्ट/2016/1447 दिनांक 29.12.2015 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ का बिना लेबलिंग के बेचा जाना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य

सब स्टैण्डर्ड पनीर का विक्रय कर किसी प्रकार का मुनाफा अर्जित नहीं किया है। अप्रार्थी पनीर स्वयं के उपभोग के लिए खरीदता है न कि विक्रय के लिये। अतः अप्रार्थी अमानक स्तर के पनीर का विक्रय नहीं किया है। अप्रार्थी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम का उल्लघंन नहीं किया है। एवं अप्रार्थी अधिनियम की धारा 26 (4) व 27 (3) के तहत के अवमानक स्तर के होने के संबंध में उत्तरदायी नहीं है।

4. पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत जवाब एवं बहस पर मनन के पश्चात पाया की अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत सभी बिल मैसर्स अमाया रेस्टोरेंट के नाम के हैं। इससे सिद्ध होतो है की अप्रार्थी उक्त पनीर अमाया रेस्टोरेंट में उपयोग एवं विक्रय हेतु खरीदा था जो कि अमानक स्तर का है तथा पब्लिक हैल्थ लेबोट्ररी जोधपुर की फूड ऐनेलेसिस रिपोर्ट दिनांक 02.08.2016 के विरूद्ध अप्रार्थी अपील कर सकता था। परन्तु बावजुद सूचनार्थ अप्रार्थी ने निर्धारित तीस दिवस की अवधी में धारा 46 की उपराधा 4 के अधीन फार्म संख्या 8 में नहीं की। अतः मैं फूड़ ऐनालिसिस की रिपोर्ट से सहमत हूँ तथा अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(2) एवं धारा 51 के तहत दोषी पाये जाने से अप्रार्थी पर रूपये .....अक्षरे रूपये..... की शास्ति आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थी उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक ..... के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

क्रमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2018/ दिनांक :–

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर/कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं जोन जोधपुर।
02. संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर / कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं जोन जोधपुर।
03. श्री कार्तिकेय श्रीवास्तव पुत्र श्री तरूण प्रकाश (एफबीओ/मालिक) फर्म मैसर्स अमाया रेस्टोरेंट 712/बी तीसरी डी रोड़, सरदारपुरा, जोधपुर।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 07 / 17

प्रार्थी	**बनाम**	अप्रार्थी
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जोधपुर।		1. श्री कार्तिकेय श्रीवास्तव पुत्र श्री तरूण प्रकाश श्रीवास्तव (एफबीओ / मालिक) फर्म मैसर्स अमाया रेस्टोरेंट 712 / बी तीसरी डी रोड़, सरदारपुरा, जोधपुर निवासी ए–100, कमला नेहरू नगर, प्रथम विस्तार, जोधपुर।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 21.07.2016 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी मैसर्स श्री अमाया रेस्टोरेंट 712 / बी तीसरी डी रोड सरदारपुरा जोधपुर पहुँच कर निरीक्षण करने दौरान दो किलोग्राम पनीर फ्रिजर में आम जनता को विक्रय हेतु रखा था। उक्त पनीर में से 1 किलोग्राम पनीर वास्ते नमूना संख्या एडी–430 वास्ते जांच मिलावट / अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के रूपये 280 / – नगद देकर खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है। खरीदसुदा नमूना पनीर को साफ–सुखी खाली चौडे मुंहवाली चार शीशीयों में तोडकर बराबर–बराबर भरकर प्रत्येक नमूना शीशी में 20 बूंदें फॉर्मेलिन बतौर प्रीजरवेटिव डालकर एयरटाईट बंद कर चारों शीशीयों पर लगाने के लिए अलग–अलग चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड़ व सीरियल नम्बर एडी–430 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एडी–430 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एडी–430 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
2. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाबा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि पनीर के चारों नमूना शीशीयों को अलग–अलग 2–2 भागों में एडी–430 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस / 842 / एक्ट / 2016 / 874 दिनांक 02.08.2016 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एडी–430 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाई करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।
3. अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने जवाब पेश किया गया तथा लिखित बहस पेश की तथा बहस के दौरान उन्होने बताया कि नमूना पनीर की खरीद का बिल प्रस्तुत करते हुए बताया की वह नमूना पनीर का निर्माता अथवा पैकर नहीं है। अपितु अप्रार्थी द्वारा पनीर मै. सोलंकी डेयरी फार्म से स्वयं के उपभोग के लिए खरीद किया गया है। अप्रार्थी द्वारा पनीर का विक्रय कर किसी को हानि कारित नहीं की गई तथा लाभ भी अर्जित नहीं किया गया। अप्रार्थी ने

अप्रार्थीगण के अधिवक्ता को सुना गया तथा मनन के पश्चात् पाया कि अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 58 का दोषी हैं। अप्रार्थी यदि रिपोर्ट दिनांक 19.05.2017 से सन्तुष्ट न था तो उनके पास रेफरल लेब जाने का अवसन था, परन्तु उन्होने निर्धारित समय में अपील पेश न की । ऐसी स्थिति में अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 58 का दोषी हैं। अप्रार्थीगण पर शास्ती रूपये ..... अक्षरे रूपये ..... की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि **न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर (ADJUDICATING OFFICER AND ADM CITY, JODHPUR)** के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक ..... के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।

6. निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

क्रमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2018/ **दिनांक :–**

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर/कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं जोन जोधपुर।
2. संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर / कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं जोन जोधपुर।
3. श्री जुगल किशोर मालाणी पुत्र श्री मंगलाराम चौधरी, मैसर्स जुगलकिशोर राजेन्द्र प्रसाद, धान मण्डी सिवांची गेट के अन्दर, जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 131/2017

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जोधपुर।		1. श्री जुगल किशोर मालाणी पुत्र श्री मंगलाराम चौधरी, मैसर्स जुगलकिशोर राजेन्द्र प्रसाद, धान मण्डी सिवांची गेट के अन्दर, जोधपुर।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 09.05.2017 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी मैसर्स जुगलकिशोर राजेन्द्र प्रसाद, धान मण्डी सिवांची गेट के अन्दर, जोधपुर पहुँचा वहां दुकान में लाल मिर्च पाउडर (लूज) 30 पाउच, प्रत्येक 500 ग्राम वजनी, आम जनता हेतु वास्ते विक्रय किया जा रहा था। वास्ते जांच मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 320/– देकर 2 किलोग्राम लाल मिर्च पाउडर (लूज) खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. विक्रेता व गवाह के सामने खरीदशुदा खरीदसुदा नमूना लाल मिर्च पाउडर (लूज) के चारों पाउच को अलग अलग गत्ते के डिब्बों में पैक किया जिस पर डी.ओ.कोड़ व सीरियल नम्बर एम–1499 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमूना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एम–1499 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमूना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एम–1499 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाफा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि उक्त चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एम–1499 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस 459/एक्ट/2016/459 दिनांक 19.05.2017 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ का बिना लेबलिंग के बेचा जाना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एम–1499 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाईल करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।
4. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। जवाब में कम से कम जुर्माना लगाने हेतु निवेदन किया है।
5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट क्रमांक 459 दिनांक 19.05.2017 का अवलोकन किया तथा

5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट क्रमांक 624 दिनांक 04.07.2017 का अवलोकन किया तथा अप्रार्थीगण के अधिवक्ता को सुना गया तथा मनन के पश्चात् पाया कि अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थी यदि रिपोर्ट दिनांक 04.07.2017 से सन्तुष्ट न था तो उनके पास रेफरल लेब जाने का अवसन था, परन्तु उन्होने निर्धारित समय में अपील पेश न की । ऐसी स्थिति में अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थीगण पर शास्ती रूपये ..... अक्षरे रूपये ..... की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि **न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर (ADJUDICATING OFFICER AND ADM CITY, JODHPUR)** के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक ..... के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।
6. निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

क्रमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2018/ **दिनांक :–**

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर/कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं जोन जोधपुर।
2. संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर / कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं जोन जोधपुर।
3. श्री लक्षमण पंवार पुत्र श्री नन्दकिशोर पंवार, मैसर्स कृष्णा दूध, दुकान नं. 1 पावटा बी मण्डोर रोड़, जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 128/2017

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जोधपुर।		1. श्री लक्षमण पंवार पुत्र श्री नन्दकिशोर पंवार, मैसर्स कृष्णा दूध, दुकान नं. 1 पावटा बी मण्डोर रोड़, जोधपुर।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 16.06.2017 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी मैसर्स कृष्णा दूध, दुकान नं. 1 पावटा बी मण्डोर रोड़, जोधपुर पहुँचा वहां डीप फ्रिजर में रखे लगभग 10 किलोग्राम पनीर का उपयोग आम जनता हेतु वास्ते विक्रय किया जा रहा था। वास्ते जांच मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 280/– देकर 1 किलोग्राम पनीर खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. विक्रेता व गवाह के सामने खरीदशुदा खरीदसुदा नमूना पनीर को साफ–सुखी खाली चौडे मुंहवाली चार शीशीयों में तोडकर बराबर–बराबर भरकर प्रत्येक नमूना शीशी में 20 बूंदें फॉर्मेलिन बतौर प्रीजरवेटिव डालकर एयरटाईट बंद कर चारों शीशीयों पर लगाने के लिए अलग–अलग चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड़ व सीरियल नम्बर एम–1545 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमूना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एम–1545 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमूना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एम–1545 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाफा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि उक्त चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एम–1545 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस 623/एक्ट/2016/624 दिनांक 04.07.2017 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ अमानक स्तर/~~मिथ्याछाप~~ का होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एम–1545 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाईल करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।
4. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। वकील अप्रार्थी ने बहस में जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि यह अप्रार्थी की पहली गलती है अतः न्यूनतम जुर्माना लगाकर निस्तारण हेतु निवेदन किया है।

5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट क्रमांक 164 दिनांक 07.03.2018 का अवलोकन किया तथा अप्रार्थीगण के अधिवक्ता को सुना गया तथा मनन के पश्चात् पाया कि अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थी यदि रिपोर्ट दिनांक 07.03.2018 से सन्तुष्ट न था तो उनके पास रेफरल लेब जाने का अवसन था, परन्तु उन्होने निर्धारित समय में अपील पेश न की । ऐसी स्थिति में अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थीगण पर शास्ती रूपये ..... अक्षरे रूपये ..... की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि **न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर (ADJUDICATING OFFICER AND ADM CITY, JODHPUR)** के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक ..... के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।
6. निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

क्रमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2018/ **दिनांक :–**

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर/कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं जोन जोधपुर।
02. संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर / कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं जोन जोधपुर।
03. श्री मुजफ्फर हुसैन पुत्र श्री आबिद हुसैन, मैसर्स नेशनल डेयरी, मकान संख्या 96, कबीर नगर, सेक्टर 8, प्रताप नगर रोड़, जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 99/2017

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जोधपुर।		1. श्री मुजफ्फर हुसैन पुत्र श्री आबिद हुसैन, मैसर्स नेशनल डेयरी, मकान संख्या 96, कबीर नगर, सेक्टर 8, प्रताप नगर रोड़, जोधपुर।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 02.03.2017 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी मैसर्स नेशनल डेयरी, मकान संख्या 96, कबीर नगर, सेक्टर 8, प्रताप नगर रोड़, जोधपुर पहुँचा वहां फ्रिजर के खण्ड में मिक्स दूध करीबन 300 लीटर आम जनता हेतु वास्ते विक्रय था। वास्ते जांच मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 80/– देकर मिक्स दूध 2 लीटर खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. विक्रेता व गवाह के सामने खरीदशुदा मिक्स दूध को एक जग में हिलामिला कर एक रूप किया व प्लास्टिक की चार साफ सूखी व खाली शीशियों में बराबर मात्रा (500 एमएल प्रति) में डाला व 40 प्रतिशत फार्मेलीन की 40–40 बूंदें बतौर परीरक्षक की डाल कर चारों बोतलों को एयरटाइट बंद किया। चारों बोतलों पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड व सीरियल नम्बर एम–1409 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमूना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एम–1409 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमूना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एम–1409 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाफा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि उक्त चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एम–1409 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस 164/एक्ट/2016/164 दिनांक 07.03.2018 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ अमानक स्तर/~~मिथ्याछाप~~ का होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एम–1409 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाईल करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।
4. अप्रार्थी से नोटिस तामिल होने के बावजूद जवाब पेश नहीं । जवाब बंद किया गया। बहस हेतु मौके दिये गये लेकिन उपस्थित नहीं। एक पक्षीय आदेश करना उचित प्रतीत होता है।

रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाईल करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।

4. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। वकील अप्रार्थी संख्या 1 उपस्थित। बहस सुनी गई। बहस के दौरान जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि खाद्यपदार्थ रस्क (अग्रवाल इलायची मिल्क रस्क) का उत्पादन व उत्पादन के पश्चात उक्त रस्क की पेकिंग व लेबलिंग का कार्य भी अभियुक्त संख्या 3 के द्वारा किया जाता है उक्त रस्क की ब्राण्डिंग वगैरा सब अभियुक्त संख्या 3 द्वारा ही किया जाता है, इसलिए यदि उक्त रस्क मिथ्याछाप पाया जाता है तो उसकी समस्त जिम्मेवारी निर्माता अभियुक्त संख्या 3 की होगी। यदि माननिय न्यायालय द्वारा उक्त रस्क को मिथ्याछाप मानकर जुर्माना अधिरोपित किया जाता है तो उस जुर्माना को चुकाने की जिम्मेवारी अभियुक्त संख्या 3 की होनी चाहिये। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 ने अपने जवाब में कम से कम जुर्माना लगाने हेतु निवेदन किया है।
5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट क्रमांक 190 दिनांक 25.02.2016 का अवलोकन किया तथा अप्रार्थीगणसंख्या 1 के अधिवक्ता को सुना गया तथा अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के जवाब पर मनन के पश्चात् पाया कि अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 52 का दोषी हैं। अप्रार्थी यदि रिपोर्ट दिनांक 25.02.2016 से सन्तुष्ट न था तो उनके पास रेफरल लेब जाने का अवसन था, परन्तु उन्होने निर्धारित समय में अपील पेश न की । ऐसी स्थिति में अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 52 का दोषी हैं। **अप्रार्थी संख्या 1** पर शास्ती रूपये ..... अक्षरे रूपये ..... की आरोपित की जाती हैं एवं **अप्रार्थी संख्या 2** पर शास्ती रूपये ..... अक्षरे रूपये ..... की आरोपित की जाती हैं एवं **अप्रार्थी संख्या 3** पर शास्ती रूपये ..... अक्षरे रूपये ..... की आरोपित की जाती है अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि **न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर (ADJUDICATING OFFICER AND ADM CITY, JODHPUR)** के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक ..... के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।
6. निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

क्रमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2018/ **दिनांक :–**

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर/कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं जोन जोधपुर।
02. संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर / कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं जोन जोधपुर।
03. श्री हीरालाल जैन पुत्र श्री मिश्रीमल जैन, मैसर्स महावीर किराणा स्टोर, ईसाइयों के कब्रिस्तान के पास, कमला नेहरू कच्ची बस्ती, जोधपुर।
04. श्री बनवारी सिंह भाटी पुत्र श्री रोशन सिंह, फर्म मै. प्रफूल्ल ऐजेन्सीज, 21/256, चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर।
05. श्री गोविन्दराम जैन पुत्र श्री तुलसीराम, फर्म मै. अग्रवाल बेकर्स, प्लॉट सं बी–105, लक्ष्मी वाटिका, आगरा रोड़ जयपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री जवाहर चौधरी, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 16/2017

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जोधपुर।		1. श्री हीरालाल जैन पुत्र श्री मिश्रीमल जैन, मैसर्स महावीर किराणा स्टोर, ईसाइयों के कब्रिस्तान के पास, कमला नेहरू कच्ची बस्ती, जोधपुर। 2. श्री बनवारी सिंह भाटी पुत्र श्री रोशन सिंह फर्म मै. प्रफूल्ल ऐजेन्सीज, 21/256, चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर। 3. श्री गोविन्दराम जैन पुत्र श्री तुलसीराम, फर्म मै. अग्रवाल बेकर्स, प्लॉट सं बी–105, लक्ष्मी वाटिका, आगरा रोड़ जयपुर।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 17.02.2016 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी मैसर्स महावीर किराणा स्टोर, ईसाइयों के कब्रिस्तान के पास, कमला नेहरू कच्ची बस्ती, जोधपुर पहुँचा वहां रस्क (अग्रवाल इलायची मिल्क रस्क) 250 ग्राम के 15 पॉली पैक्स आम जनता हेतु वास्ते विक्रय था। वास्ते जांच मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 120/– देकर रस्क (अग्रवाल इलायची मिल्क रस्क) 250 ग्राम के 4 पॉली पैक्स खरीदे तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. विक्रेता व गवाह के सामने खरीदशुदा रस्क (अग्रवाल इलायची मिल्क रस्क) 250 ग्राम के चारों मूल पैकेट्स पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड व सीरियल नम्बर एम–1012 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमूना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एम–1012 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमूना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एम–1012 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाफा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि उक्त चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एम–1012 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस 158/एक्ट/2016/190 दिनांक 25.02.2016 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ ~~अमानक स्तर~~/मिथ्याछाप का होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एम–1012 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच

जबकि हम गाय का दूध विक्रय करते हैं, इसी कारण हमारे द्वारा बेचे जाने वाले गाय के दूध का फैट कम दर्शाया जाता है। मेरे द्वारा दूध में किसी भी प्रकार की कोई मिलावट नहीं की जाती है। यह मेरी प्रथम भूल है।मैं अब से दूध की गुणवत्ता जांच कर ही खरीदी करूंगा। आगे से ऐसी पुनरावृति नहीं होगी। अतः मेरे खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 51 के तहत न्यूनतम जुर्माना फरमावें।

5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट क्रमांक 583 दिनांक 21.06.2017 का अवलोकन किया तथा अप्रार्थीगण को सुना गया। मनन के पश्चात् पाया कि अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थी यदि रिपोर्ट दिनांक 21.06.2017 से सन्तुष्ट न था तो उनके पास रेफरल लेब जाने का अवसन था, परन्तु उन्होने निर्धारित समय में अपील पेश न की । ऐसी स्थिति में अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थीगण पर शास्ती रूपये ..... अक्षरे रूपये ..... की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि **न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर (ADJUDICATING OFFICER AND ADM CITY, JODHPUR)** के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक ..... के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।
6. निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

क्रमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2018/ **दिनांक :–**

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर/कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं जोन जोधपुर।
02. संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर / कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं जोन जोधपुर।
03. श्री अशोक बोराणा पुत्र श्री मनीराम बोराणा, मैसर्स दूध मंदिर सोजती गेट के बाहर, जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 130/2017

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जोधपुर।		1. श्री अशोक बोराणा पुत्र श्री मनीराम बोराणा, मैसर्स दूध मंदिर सोजती गेट के बाहर, जोधपुर।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 12.06.2017 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी मैसर्स दूध मंदिर सोजती गेट के बाहर, जोधपुर पहुँचा वहां डीप फ्रीजर में एक 20 लीटरकी क्षमता वाली बाल्टी में लगभग 15 लीटर दूध आम जनता हेतु वास्ते विक्रय था। वास्ते जांच मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 70/– देकर 2 लीटर दूध खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. विक्रेता व गवाह के सामने खरीदशुदा दूध को हिलामिला कर एक रूप कर चार साफ सूखी एवं खाली प्लास्टिक की चौडी मुंह वाली बोतलों में 40–40 बूंदें फॉर्मेलिन की बतौर परिरक्षक डालने के बाद बोतलों को ढक्कन लगाकर एयर टाईट बंद किया गया। इन नमूना बोतलों पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड व सीरियल नम्बर एम–1542 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमूना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एम–1542 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमूना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एम–1542 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाफा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि उक्त चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एम–1542 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस 583/एक्ट/2016/583 दिनांक 21.06.2017 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ अमानक स्तर/~~मिथ्याछाप~~ का होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एम–1542 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाईल करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।
4. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। स्वयं अप्रार्थी ने जवाब प्रस्तुत किया, एवं निवेदन किया कि जवाब को ही बहस मान लिया जाए। जवाब में बताया कि एफएसएस एक्ट के तहत भैंस के दूध के तहत निर्धारित है

कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एडी–302 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाईल करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।

4. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। वकील अप्रार्थी ने जवाब प्रस्तुत किया, बहस में जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए कहा कि ।
5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट क्रमांक 200 दिनांक 26.02.2016 का अवलोकन किया तथा अप्रार्थीगण को सुना गया। मनन के पश्चात् पाया कि अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 52 का दोषी हैं। अप्रार्थी यदि रिपोर्ट दिनांक 26.02.2016 से सन्तुष्ट न था तो उनके पास रेफरल लेब जाने का अवसन था, परन्तु उन्होने निर्धारित समय में अपील पेश न की । ऐसी स्थिति में अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 52 का दोषी हैं। अप्रार्थीगण पर शास्ती रूपये ..... अक्षरे रूपये ..... की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि **न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर (ADJUDICATING OFFICER AND ADM CITY, JODHPUR)** के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय

   दिनांक ..... के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।
6. निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

क्रमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2018/ **दिनांक :–**

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर।
02. श्री विजय कांत गौतम, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं जोन जोधपुर।
03. श्री प्रधुमन सिंह पुत्र श्री मदन सिंह, मैसर्स एयर प्लाजा रिटेल हॉलडिंग प्रा. लि. (विशाल मेगा मार्ट), 6–बी चौपासनी रोड़, नियर अशोक लिलेण्ड स्टोर, जोधपुर।
04. श्री आर सेशाद्री, मैसर्स एयर प्लाजा रिटेल हॉलडिंग प्रा. लि. (विशाल मेगा मार्ट), 6–बी चौपासनी रोड़, नियर अशोक लिलेण्ड स्टोर, जोधपुर।
05. श्री वासुदेवन, मैसर्स एयर प्लाजा रिटेल हॉलडिंग प्रा. लि. (विशाल मेगा मार्ट), 6–बी चौपासनी रोड़, नियर अशोक लिलेण्ड स्टोर, जोधपुर।
06. मैसर्स एयर प्लाजा रिटेल हॉलडिंग प्रा. लि. (विशाल मेगा मार्ट), 6–बी चौपासनी रोड़, नियर अशोक लिलेण्ड स्टोर, जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 08 / 2017

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जोधपुर।		1. श्री प्रधुमन सिंह पुत्र श्री मदन सिंह, मैसर्स एयर प्लाजा रिटेल हॉलडिंग प्रा. लि. (विशाल मेगा मार्ट), 6–बी चौपासनी रोड़, नियर अशोक लिलेण्ड स्टोर, जोधपुर। 2. श्री आर सेशाद्री, मैसर्स एयर प्लाजा रिटेल हॉलडिंग प्रा. लि. (विशाल मेगा मार्ट), 6–बी चौपासनी रोड़, नियर अशोक लिलेण्ड स्टोर, जोधपुर। 3. श्री वासुदेवन, मैसर्स एयर प्लाजा रिटेल हॉलडिंग प्रा. लि. (विशाल मेगा मार्ट), 6–बी चौपासनी रोड़, नियर अशोक लिलेण्ड स्टोर, जोधपुर। 4. मैसर्स एयर प्लाजा रिटेल हॉलडिंग प्रा. लि. (विशाल मेगा मार्ट), 6–बी चौपासनी रोड़, नियर अशोक लिलेण्ड स्टोर, जोधपुर।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 02.06.2017 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी मैसर्स एयर प्लाजा रिटेल हॉलडिंग प्रा. लि. (विशाल मेगा मार्ट), 6–बी चौपासनी रोड़, नियर अशोक लिलेण्ड स्टोर, जोधपुर पहुँचा वहां आम का अचार इमली ट्री ब्राण्ड 400ग्राम के 30 ग्लास बॉटल जनता हेतु वास्ते विक्रय था। वास्ते जांच मिलावट / अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 260 / – देकर 4 ग्लास बॉटल **(400 ग्राम प्रति)** खरीदे तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. विक्रेता व गवाह के सामने खरीदशुदा एक ही बैच की आम का अचार इमली ट्री ब्राण्ड की मूल बॉटल्स पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड व सीरियल नम्बर एडी–302 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमूना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एडी–302 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमूना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एडी–302 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाफा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि उक्त चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एडी–302 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस 168 / एक्ट / 2016 / 200 दिनांक 26.02.2016 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ ~~अमानक स्तर~~ / मिथ्याछाप का होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति,

परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एम– 1527 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाईल करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।

4. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। वकील अप्रार्थी ने जवाब प्रस्तुत किया, बहस में जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए कहा कि फर्म से लिया गया सेम्पल वह मानक के अनुसार सही पाया गया है। सेम्पल के इन्ग्रीडिएंट लिखे गये हैं परन्तु भूलवश प्रतिशत मात्रा नहीं लिखी है। अप्रार्थी के विरूद्ध यह प्रथम विवाद है गलती सुधारने हेतु छोडा जा सकता है। आगे से इसकी पुनरावृति नहीं होगी। कृपया क्षमा प्रदान करें एवं धारा 52 के तहत बरी किये जाने के आदेश फरमावें।
5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट कमांक 531 दिनांक 13.06.2017 का अवलोकन किया तथा अप्रार्थीगण को सुना गया। मनन के पश्चात् पाया कि अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 52 का दोषी हैं। अप्रार्थी यदि रिपोर्ट दिनांक 13.06.2017 से सन्तुष्ट न था तो उनके पास रेफरल लेब जाने का अवसन था, परन्तु उन्होने निर्धारित समय में अपील पेश न की । ऐसी स्थिति में अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 52 का दोषी हैं। अप्रार्थीगण पर शास्ती रूपये ..... अक्षरे रूपये ..... की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि **न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर (ADJUDICATING OFFICER AND ADM CITY, JODHPUR)** के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय
   दिनांक ..... के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।
6. निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

कमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2018/ **दिनांक :–**

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01. कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी, जोधपुर।
02. श्री संदीप अग्रवाल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी, जोधपुर।
03. श्री शांति प्रकाश शर्मा पुत्र श्री दामोदर प्रसाद शर्मा, M/S Utasv Exim Ltd., 79, Udyog Nagar, 2nd Phase Basni, Jodhpur
04. श्रीमती प्रिया सोमानी पत्नी श्री रवि सोमानी, M/S Utasv Exim Ltd., 79, Udyog Nagar, 2nd Phase Basni, Jodhpur
05. श्री रवि सोमानी पुत्र श्री किशन सोमानी, M/S Utasv Exim Ltd., 79, Udyog Nagar, 2nd Phase Basni, Jodhpur.
06. M/S Utasv Exim Ltd., 79, Udyog Nagar, 2nd Phase Basni, Jodhpur.

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 132/2017 आरसीएमएस

2017/00126

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जोधपुर।		1. श्री शांति प्रकाश शर्मा पुत्र श्री दामोदर प्रसाद शर्मा, M/S Utasv Exim Ltd., 79,Udyog Nagar, 2nd Phase Basni, Jodhpur 2. श्रीमती प्रिया सोमानी पत्नी श्री रवि सोमानी, M/S Utasv Exim Ltd., 79,Udyog Nagar, 2nd Phase Basni, Jodhpur 3. श्री रवि सोमानी पुत्र श्री किशन सोमानी, M/S Utasv Exim Ltd., 79,Udyog Nagar, 2nd Phase Basni, Jodhpur. 4. M/S Utasv Exim Ltd., 79,Udyog Nagar, 2nd Phase Basni, Jodhpur.

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 02.06.2017 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी M/S Utasv Exim Ltd., 79,Udyog Nagar, 2nd Phase Basni, Jodhpur पहुँचा वहां 5 कार्टन में Mango Pudina Papad (Qoot) प्रत्येक कार्टन में 200 ग्राम वजन के 100 पैकेट जनता हेतु वास्ते विक्रय था। वास्ते जांच मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 380/– देकर 8 पैकेट (प्रत्येक 200ग्राम) खरीदे तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. विक्रेता व गवाह के सामने खरीदशुदा Mango Pudina Papad (Qoot) को 2–2 पैकेट बांध कर 4 भाग बनाये व प्रत्येक पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड व सीरियल नम्बर एम– 1527 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमूना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एम– 1527 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमूना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एम– 1527 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाफा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि उक्त चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एम– 1527 की जॉच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जॉच रिपोर्ट एलएस 535/एक्ट/2017/531 दिनांक 13.06.2017 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ ~~अमानक स्तर~~/मिथ्याछाप का होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह

नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एम– 1521 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाईल करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।

4. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। वकील अप्रार्थी ने जवाब प्रस्तुत किया, बहस में जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए कहा कि फर्म से लिया गया सेम्पल वह मानक के अनुसार सही पाया गया है। सेम्पल के इन्ग्रीडिएंट लिखे गये हैं परन्तु भूलवश प्रतिशत मात्रा नहीं लिखी है। अप्रार्थी के विरूद्ध यह प्रथम विवाद है गलती सुधारने हेतु छोडा जा सकता है। आगे से इसकी पुनरावृति नहीं होगी। कृपया क्षमा प्रदान करें एवं धारा 52 के तहत बरी किये जाने के आदेश फरमावें।

5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट क्रमांक 530 दिनांक 13.06.2017 का अवलोकन किया तथा अप्रार्थीगण को सुना गया। मनन के पश्चात् पाया कि अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 52 का दोषी हैं। अप्रार्थी यदि रिपोर्ट दिनांक 13.06.2017 से सन्तुष्ट न था तो उनके पास रेफरल लेब जाने का अवसन था, परन्तु उन्होने निर्धारित समय में अपील पेश न की । ऐसी स्थिति में अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 52 का दोषी हैं। अप्रार्थीगण पर शास्ती रूपये ..... अक्षरे रूपये ..... की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि **न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर (ADJUDICATING OFFICER AND ADM CITY, JODHPUR)** के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय

   दिनांक ..... के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।

6. निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

क्रमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2018/ **दिनांक :–**

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01. कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी, जोधपुर।
02. श्री संदीप अग्रवाल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी, जोधपुर।
03. श्री शांति प्रकाश शर्मा पुत्र श्री दामोदर प्रसाद शर्मा, M/S Utasv Exim Ltd., 79,Udyog Nagar, 2nd Phase Basni, Jodhpur
04. श्रीमती प्रिया सोमानी पत्नी श्री रवि सोमानी, M/S Utasv Exim Ltd., 79,Udyog Nagar, 2nd Phase Basni, Jodhpur
05. श्री रवि सोमानी पुत्र श्री किशन सोमानी, M/S Utasv Exim Ltd., 79,Udyog Nagar, 2nd Phase Basni, Jodhpur.
06. M/S Utasv Exim Ltd., 79,Udyog Nagar, 2nd Phase Basni, Jodhpur.

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर

प्रार्थी **बनाम** **अप्रार्थी**

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जोधपुर।

1. श्री शांति प्रकाश शर्मा पुत्र श्री दामोदर प्रसाद शर्मा, M/S Utasv Exim Ltd., 79,Udyog Nagar, 2nd Phase Basni, Jodhpur
2. श्रीमती प्रिया सोमानी पत्नी श्री रवि सोमानी, M/S Utasv Exim Ltd., 79,Udyog Nagar, 2nd Phase Basni, Jodhpur
3. श्री रवि सोमानी पुत्र श्री किशन सोमानी, M/S Utasv Exim Ltd., 79,Udyog Nagar, 2nd Phase Basni, Jodhpur.
4. M/S Utasv Exim Ltd., 79,Udyog Nagar, 2nd Phase Basni, Jodhpur.

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 02.06.2017 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी M/S Utasv Exim Ltd., 79,Udyog Nagar, 2nd Phase Basni, Jodhpur पहुँचा वहां 5 कार्टन में KHATTA MEETHA CHANA PAPAD (Qoot) प्रत्येक कार्टन में 200 ग्राम वजन के 100 पैकेट जनता हेतु वास्ते विक्रय था। वास्ते जांच मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 380/– देकर 8 पैकेट (प्रत्येक 200ग्राम) खरीदे तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. विक्रेता व गवाह के सामने खरीदशुदा KHATTA MEETHA CHANA PAPAD (Qoot) को 2–2 पैकेट बांध कर 4 भाग बनाये व प्रत्येक पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड व सीरियल नम्बर एम– 1521 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमूना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एम– 1521 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमूना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एम– 1521 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाफा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि उक्त चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एम– 1521 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस 534/एक्ट/2017/530 दिनांक 13.06.2017 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ ~~अमानक स्तर~~/मिथ्याछाप का होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं

उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एम–1532 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाईल करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।

4. अप्रार्थी से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। वकील अप्रार्थी उपस्थित। बहस सुनी गई बहस के दौरान वकील अप्रार्थी ने प्रपत्र 3 के संलग्न मोडल डेरी फार्म से दूध क्रय का बिल पेश किया व जवाब पेश किया। जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए अवगत कराया कि अप्रार्थी कई लोगों से दूध खरीद कर उससे मावा बनाते हैं। तथा कई लोगों से बना हुआ मावा भी खरीद करते हैं अतः अप्रार्थी उक्त माल के लिए जिम्मेवार नहीं है एंव निवेदन किया कि अप्रार्थीगण को धारा 51 के तहत बरी किये जाने के आदेश फरमावें।
5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट क्रमांक 508 दिनांक 01.06.2017 का अवलोकन किया तथा अप्रार्थीगण को सुना गया। मनन के पश्चात् पाया कि अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थी यदि रिपोर्ट दिनांक 01.06.2017 से सन्तुष्ट न था तो उनके पास रेफरल लेब जाने का अवसन था, परन्तु उन्होने निर्धारित समय में अपील पेश न की । ऐसी स्थिति में अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थीगण पर शास्ती रूपये ..... अक्षरे रूपये ..... की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि **न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर (ADJUDICATING OFFICER AND ADM CITY, JODHPUR)** के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक ..... के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।
6. निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

क्रमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2018/ **दिनांक :–**

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर/ कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं जोन जोधपुर।
02. संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर / कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं जोन जोधपुर।
03. श्री संदीप सिंह बघेल पुत्र श्री सत्यनारायण सिंह, फर्म :– मै. होटल राजपूताना पैलेस, पांच बत्ती चौराहा, एयरपोर्ट रोड, रातानाडा जोधपुर।
04. श्री नरेन्द्र सिंह चौहान पुत्र श्री पदमसिंह जी, फर्म :– मै. होटल राजपूताना पैलेस, पांच बत्ती चौराहा, एयरपोर्ट रोड, रातानाडा, जोधपुर।
05. श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान पुत्र श्री पदमसिंह जी चौहान, फर्म :– मै. होटल राजपूताना पैलेस, पांच बत्ती चौराहा, एयरपोर्ट रोड, रातानाडा, जोधपुर।
06. श्रीमती कंचन कंवर पत्नी श्री पदम सिंह चौहान, फर्मः– मै. होटल राजपूताना पैलेस, पांच बत्ती चौराहा, एयरपोर्ट रोड, रातानाडा, जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 97 / 2017

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जोधपुर।		1. श्री संदीप सिंह बघेल पुत्र श्री सत्यनारायण सिंह, फर्म :– मै. होटल राजपूताना पैलेस, पांच बत्ती चौराहा, एयरपोर्ट रोड, रातानाडा जोधपुर। 2. श्री नरेन्द्र सिंह चौहान पुत्र श्री पदमसिंह जी, फर्म :– मै. होटल राजपूताना पैलेस, पांच बत्ती चौराहा, एयरपोर्ट रोड, रातानाडा, जोधपुर। 3. श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान पुत्र श्री पदमसिंह जी चौहान, फर्म :– मै. होटल राजपूताना पैलेस, पांच बत्ती चौराहा, एयरपोर्ट रोड, रातानाडा, जोधपुर। 4. श्रीमती कंचन कंवर पत्नी श्री पदम सिंह चौहान फर्मः– मै. होटल राजपूताना पैलेस, पांच बत्ती चौराहा, एयरपोर्ट रोड, रातानाडा, जोधपुर।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 18.05.2017 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी मै. होटल राजपूताना पैलेस, पांच बत्ती चौराहा, एयरपोर्ट रोड, रातानाडा जोधपुर पहुँचा वहां डीप फ्रीजर में स्टील की एक ट्रे में खाद्य पदार्थ मावा (लगभग 2 किलोग्राम) जनता हेतु वास्ते विक्रय हेतु था। उक्त उपलब्ध खाद्य पदार्थ मावा में से नियमानुसार 1 किलोग्राम वास्ते जांच मिलावट / अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 220 / – देकर खरीदे तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. विक्रेता व गवाह के सामने खरीदशुदा मावा को साफ–सुखी, खाली चार शीशीयों में हिला मिलाकर व एकरूप कर भरकर प्रत्येक नमूना शीशी में फार्मेलिन की 20–20 बूंदें बतौर प्रीजरवेटिव डालकर एयरटाईट बंद कर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड व सीरियल नम्बर एम–1532 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमूना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एम–1532 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमूना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एम–1532 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाफा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि उक्त चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एम–1532 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस 511 / एक्ट / 2017 / 508 दिनांक 01.06.2017 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ अमानक स्तर का होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का

उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एडी– 587 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाईल करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।

4. अप्रार्थी से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। अप्रार्थी स्वयं उपस्थित। जवाब पेश कर जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए मामला ड्रॉप फरमाने का निवेदन किया।
5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट क्रमांक 545 दिनांक 14.06.2017 का अवलोकन किया तथा अप्रार्थीगण को सुना गया। मनन के पश्चात् पाया कि अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51,52 का दोषी हैं। अप्रार्थी यदि रिपोर्ट दिनांक 14.06.2017 से सन्तुष्ट न था तो उनके पास रेफरल लेब जाने का अवसन था, परन्तु उन्होने निर्धारित समय में अपील पेश न की । ऐसी स्थिति में अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51,52 का दोषी हैं। अप्रार्थीगण पर शास्ती रूपये ..... अक्षरे रूपये ..... की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि **न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर** के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक ..... के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।
6. निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

क्रमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2018/ **दिनांक :–**

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01. श्री रजनीश शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर।
02. श्री विपिन शर्मा पुत्र श्री सुभाष चन्द्र शर्मा, फर्म :– मै. शिरडी सांई प्राइम फूड एण्ड बेवरेजेज, एलएलपी डाली बाई मंदिर के पास, चौखा रोड, प्लॉट सं 42, खसरा नं 756, बाईपास रोड,जोधपुर।
03. श्री अजय सक्सेना पुत्र श्री जगदीश चन्द्र सक्सेना, फर्म :– मै. शिरडी सांई प्राइम फूड एण्ड बेवरेजेज, एलएलपी डाली बाई मंदिर के पास, चौखा रोड, प्लॉट सं 42, खसरा नं 756, बाईपास रोड,जोधपुर।
04. श्री चन्दन सिंह पुत्र श्री बुद्धसिंह राठौड़,फर्म :– मै. शिरडी सांई प्राइम फूड एण्ड बेवरेजेज, एलएलपी डाली बाई मंदिर के पास, चौखा रोड, प्लॉट सं 42, खसरा नं 756, बाईपास रोड,जोधपुर।
05. फर्म :– मै. शिरडी सांई प्राइम फूड एण्ड बेवरेजेज, एलएलपी डाली बाई मंदिर के पास, चौखा रोड, प्लॉट सं 42, खसरा नं 756, बाईपास रोड,जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 143/2017

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जोधपुर।		1. श्री विपिन शर्मा पुत्र श्री सुभाष चन्द्र शर्मा, फर्म :– मै. शिरडी सांई प्राइम फूड एण्ड बेवरेजेज, एलएलपी डाली बाई मंदिर के पास, चौखा रोड, प्लॉट सं 42, खसरा नं 756, बाईपास रोड,जोधपुर। 2. श्री अजय सक्सेना पुत्र श्री जगदीश चन्द्र सक्सेना, फर्म :– मै. शिरडी सांई प्राइम फूड एण्ड बेवरेजेज, एलएलपी डाली बाई मंदिर के पास, चौखा रोड, प्लॉट सं 42, खसरा नं 756, बाईपास रोड,जोधपुर। 3. श्री चन्दन सिंह पुत्र श्री बुद्धसिंह राठौड़, फर्म :– मै. शिरडी सांई प्राइम फूड एण्ड बेवरेजेज, एलएलपी डाली बाई मंदिर के पास, चौखा रोड, प्लॉट सं 42, खसरा नं 756, बाईपास रोड,जोधपुर।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 18.05.2017 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी मै. शिरडी सांई प्राइम फूड एण्ड बेवरेजेज, एलएलपी डाली बाई मंदिर के पास, चौखा रोड, प्लॉट सं 42, खसरा नं 756, बाईपास रोड, जोधपुर पहुँचा वहां स्वीटेड कार्बोनेटेड वाटर (सीओ 2 ब्राण्ड) मैंगो ड्रिंक के 200 एमएल के 24 पेट बोटल के 25 कार्टून जनता हेतु वास्ते विक्रय हेतु था। उक्त उपलब्ध स्वीटेड कार्बोनेटेड वाटर (गो सीओ 2 ब्राण्ड) मैंगो ड्रिंक के नियमानुसार 60 पेट बोटल्स वास्ते जांच मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 438/– देकर खरीदे तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. विक्रेता व गवाह के सामने खरीदशुदा स्वीटेड कार्बोनेटेड वाटर (गो सीओ 2 ब्राण्ड) मैंगो ड्रिंक के 15 बोटल्स के पेकेट बनाकर प्रत्येक पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड व सीरियल नम्बर एडी– 587 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमूना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एडी– 587 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमूना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एडी– 587 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाफा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि उक्त चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एडी– 587 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस 500/एक्ट/2017/545 दिनांक 14.06.2017 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ अमानक स्तर का होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का

भागों में एम– 1517 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस 496/एक्ट/2017/544 दिनांक 16.06.2017 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ अमानक स्तर का होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एम– 1517 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाईल करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।

4. अप्रार्थी से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। अप्रार्थी स्वयं उपस्थित। जवाब पेश किया एंव निवेदन किया कि ..... अतः मामला खारिज फरमाया जावे।
5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट क्रमांक 544 दिनांक 16.06.2017 का अवलोकन किया तथा अप्रार्थीगण को सुना गया। मनन के पश्चात् पाया कि अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51,52 का दोषी हैं। अप्रार्थी यदि रिपोर्ट दिनांक 16.06.2017 से सन्तुष्ट न था तो उनके पास रेफरल लेब जाने का अवसन था, परन्तु उन्होने निर्धारित समय में अपील पेश न की । ऐसी स्थिति में अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51,52 का दोषी हैं। अप्रार्थीगण पर शास्ती रूपये ..... अक्षरे रूपये ..... की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि **न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर** के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक ..... के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।
6. निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

क्रमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2018/ **दिनांक :–**

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01. श्री रजनीश शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर।
02. श्री विपिन शर्मा पुत्र श्री सुभाष चन्द्र शर्मा, फर्म :– मै. शिरडी सांई प्राइम फूड एण्ड बेवरेजेज, एलएलपी डाली बाई मंदिर के पास, चौखा रोड, प्लॉट सं 42, खसरा नं 756, बाईपास रोड,जोधपुर।
03. श्री अजय सक्सेना पुत्र श्री जगदीश चन्द्र सक्सेना, फर्म :– मै. शिरडी सांई प्राइम फूड एण्ड बेवरेजेज, एलएलपी डाली बाई मंदिर के पास, चौखा रोड, प्लॉट सं 42, खसरा नं 756, बाईपास रोड,जोधपुर।
04. श्री चन्दन सिंह पुत्र श्री बुद्धसिंह राठौड़,फर्म :– मै. शिरडी सांई प्राइम फूड एण्ड बेवरेजेज, एलएलपी डाली बाई मंदिर के पास, चौखा रोड, प्लॉट सं 42, खसरा नं 756, बाईपास रोड,जोधपुर।
05. फर्म :– मै. शिरडी सांई प्राइम फूड एण्ड बेवरेजेज, एलएलपी डाली बाई मंदिर के पास, चौखा रोड, प्लॉट सं 42, खसरा नं 756, बाईपास रोड,जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 129 / 2017

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जोधपुर।		1. श्री विपिन शर्मा पुत्र श्री सुभाष चन्द्र शर्मा, फर्म :– मै. शिरडी सांई प्राइम फूड एण्ड बेवरेजेज, एलएलपी डाली बाई मंदिर के पास, चौखा रोड, प्लॉट सं 42, खसरा नं 756, बाईपास रोड,जोधपुर। 2. श्री अजय सक्सेना पुत्र श्री जगदीश चन्द्र सक्सेना, फर्म :– मै. शिरडी सांई प्राइम फूड एण्ड बेवरेजेज, एलएलपी डाली बाई मंदिर के पास, चौखा रोड, प्लॉट सं 42, खसरा नं 756, बाईपास रोड,जोधपुर। 3. श्री चन्दन सिंह पुत्र श्री बुद्धसिंह राठौड़, फर्म :– मै. शिरडी सांई प्राइम फूड एण्ड बेवरेजेज, एलएलपी डाली बाई मंदिर के पास, चौखा रोड, प्लॉट सं 42, खसरा नं 756, बाईपास रोड,जोधपुर। 4. फर्म :– मै. शिरडी सांई प्राइम फूड एण्ड बेवरेजेज, एलएलपी डाली बाई मंदिर के पास, चौखा रोड, प्लॉट सं 42, खसरा नं 756, बाईपास रोड,जोधपुर।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 08.06.2017 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी मै. शिरडी सांई प्राइम फूड एण्ड बेवरेजेज, एलएलपी डाली बाई मंदिर के पास, चौखा रोड, प्लॉट सं 42, खसरा नं 756, बाईपास रोड, जोधपुर पहुँचा वहां स्वीटेड कार्बोनेटेड वाटर (औरेंज गो सीओ 2 ब्राण्ड) के 200 एमएल के 24 पेट बोटल के 50 कार्टून जनता हेतु वास्ते विक्रय हेतु था। उक्त उपलब्ध स्वीटेड कार्बोनेटेड वाटर (औरेंज गो सीओ 2 ब्राण्ड)के नियमानुसार 60 पेट बोटल्स वास्ते जांच मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 438/– देकर खरीदे तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. विक्रेता व गवाह के सामने खरीदशुदा स्वीटेड कार्बोनेटेड वाटर (औरेंज गो सीओ 2 ब्राण्ड) के15 बोटल्स के पेकेट बनाकर प्रत्येक पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड व सीरियल नम्बर एम– 1517 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमूना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एम– 1517 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमूना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एम– 1517 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाफा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि उक्त चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2

4. अप्रार्थी से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। अप्रार्थी स्वयं उपस्थित। जवाब पेश किया एंव निवेदन किया कि वे स्वयं उच्च गुणवत्ता का गया का दूध लेकर मावा बनाता है। किसी प्रकार की मिलावट नहीं करता है लेकिन गाय के दूध में फैट कम होने की वजह से लेबोरेटरी रिपोर्ट में मिल्क फैट कम आया है अतः मामला खारिज फरमाया जावे।
5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट क्रमांक 564 दिनांक 19.06.2017 का अवलोकन किया तथा अप्रार्थीगण को सुना गया। मनन के पश्चात् पाया कि अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थी यदि रिपोर्ट दिनांक 19.06.2017 से सन्तुष्ट न था तो उनके पास रेफरल लेब जाने का अवसन था, परन्तु उन्होने निर्धारित समय में अपील पेश न की । ऐसी स्थिति में अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थीगण पर शास्ती रूपये ..... अक्षरे रूपये ..... की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि **न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर** के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक ..... के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।
6. निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

क्रमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2018/ **दिनांक :–**

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01. श्री संदीप अग्रवाल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर।
02. श्री हनुमान प्रसाद शर्मा पुत्र श्री भागीरथ शर्मा, फर्म :– मै. ओम मावा भण्डार,टेलर गली, त्रिपोलिया बाजार, जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 129/2017

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जोधपुर।		1. श्री हनुमान प्रसाद शर्मा पुत्र श्री भागीरथ शर्मा, फर्म :– मै. ओम मावा भण्डार,टेलर गली, त्रिपोलिया बाजार, जोधपुर।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 08.06.2017 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी मै. ओम मावा भण्डार,टेलर गली, त्रिपोलिया बाजार, जोधपुर पहुँचा वहां एक एक डीप फ्रीजर मे खाद्य पदार्थ मावा के 7 टिन (प्रत्येक टिन में लगभग 16 किलोग्राम) जनता हेतु वास्ते विक्रय हेतु था। उक्त उपलब्ध मावा में से नियमानुसार 1 किलोग्राम वास्ते जांच मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 130/– देकर खरीदे तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. विक्रेता व गवाह के सामने खरीदशुदा मावा एक किलोग्राम को एक साफ सूखी स्टील की ट्रे में अच्छी तरह से हिला मिला कर एक रूप कर चार साफ सूखी खाली प्लास्टिक की शीशियों में बराबर मात्रा (250ग्राम प्रति) में डालकर प्रत्येक बोतल में फार्मेलिन की 20–20 बूंदें बतौर परिरक्षक की डाल कर प्रत्येक बोतल को एयर टाइट बन्द कर इन पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड व सीरियल नम्बर एम– 1530 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमूना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एम– 1530 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमूना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एम– 1530 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाफा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि उक्त चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एम– 1530 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस 564/एक्ट/2017/564 दिनांक 19.06.2017 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ अमानक स्तर का होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एम– 1530 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाईल करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।

06. विनीत कुमार नटवरलाल चण्डक पुत्र श्री नटवरलाल विष्णुप्रसाद चण्डक, एम–12 आनासागर लिंक रोड अजमेर, राजस्थान।
07. पुष्पा देवी चण्डक पत्नी श्री नटवरलाल विष्णुप्रसाद चण्डक, एम–12 आनासागर लिंक रोड अजमेर, राजस्थान।
08. श्री नटवरलाल विष्णुप्रसाद चण्डक (एच यू एफ) एम–12 आनासागर लिंक रोड अजमेर, राजस्थान।
09. Chandak food and Beverages Pvt Ltd., M-12 Ana Sagar Link Road, Ajmer, 305001 Raj.

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर

रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि उक्त चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में NWR-288 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस 322/एक्ट/2017/323 दिनांक 18.04.2017 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में पैकेजिंग ड्रिंकिंग वाटर (बीबो ब्राण्ड) Food Containing extaneous matter होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना NWR-288 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाईल करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।

4. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 ने स्वयं उपस्थित होकर बताया कि मेरे द्वारा किसी प्रकार की मिलावट इत्यादि या निर्माण का कार्य नहीं किया जाता है हमने उक्त पानी की बोतलें विक्रय हेतु बिल द्वारा डिस्ट्रीब्यूटर से क्रय की है। मैं खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 54 का दोषी नहीं हूं। अतः हमारे खिलाफ मामला खारिज फरमाया जाए। अप्रार्थीगण संख्या 3 ने स्वयं उपस्थित होकर बताया कि सेम्पल ली गई पानी की बोतलों का डिस्ट्रीब्यूटर मात्र हूं। मेरे द्वारा उक्त बोतलो को बिल से खरीद कर बिल से बेचान किया जाता है। मैं उक्त बोतलों का निर्माण नहीं करता हूं और न ही मेरे द्वारा इनमें किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं की जाती है। मैं खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 54 का दोषी नहीं हूं। अतः मेरे खिलाफ कार्यवाही ड्रॉप फरमावें। अप्रार्थीगण संख्या 4 से 8 ने स्वयं उपस्थित होकर बताया कि हम अप्रार्थी संख्या 4 से 8 उक्त सेम्पल ली गई पानी की बोतलों के निर्माता हैं। हमारे द्वारा पानी में किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं की जाती है। पैकिंग की मशीन में तकनीकी/ मशीनी खराबी के कारण पानी में पैकिंग सामग्री के कुछ अंश गिर गये। इन अंशों के पाये जाने के कारण खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 54 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पानी की गुणवत्ता में कोई कमी नहीं है। तकनीकी समस्याओं को दूर कर लिया गया है। आगे से उक्त की पुनरावृति नहीं होगी। अतः हमारे खिलाफ कार्यवाही ड्रॉप फरमावें।
5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट क्रमांक 371 दिनांक 02.05.2017 का अवलोकन किया तथा अप्रार्थीगण को सुना गया। मनन के पश्चात् पाया कि अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 54 का दोषी हैं। अप्रार्थी यदि रिपोर्ट दिनांक 02.05.2017 से सन्तुष्ट न था तो उनके पास रेफरल लेब जाने का अवसन था, परन्तु उन्होने निर्धारित समय में अपील पेश न की । ऐसी स्थिति में अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 54 का दोषी हैं। अप्रार्थीगण पर शास्ती रूपये ..... अक्षरे रूपये ..... की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि **न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर** के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक ..... के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।
6. निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

क्रमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2018/ **दिनांक :–**

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01. श्री रमेश चंद, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, उ. प. रेल्वे, जोधपुर।
02. श्री लक्षमण पुत्र श्री आसनदास (सेल्स मैन), फर्म :– स्टॉल बैज संख्या 478 प्लेट फार्म संख्या 1, रेल्वे स्टेशन राइकाबाग, जोधपुर।
03. श्रीमती सरस्वती देवी पत्नी जयराम दास, बलदेव नगर, 558, जोधपुर।
04. भरत कुमार पुत्र श्री लक्ष्मणदास, छंगाणी बिल्डिंग, जालोरी गेट के अंदर जोधपुर।
05. अरविंद कुमार नटवरलाल चण्डक पुत्र श्री नटवरलाल विष्णुप्रसाद चण्डक, एम–12 आनासागर लिंक रोड अजमेर, राजस्थान।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 136 / 2017

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जोधपुर।		1. श्री लक्षमण पुत्र श्री आसनदास (सेल्स मैन), फर्म :– स्टॉल बैज संख्या 478 प्लेट फार्म संख्या 1, रेल्वे स्टेशन राइकाबाग, जोधपुर। 2. श्रीमती सरस्वती देवी पत्नी जयराम दास, बलदेव नगर, 558, जोधपुर। 3. भरत कुमार पुत्र श्री लक्ष्मणदास, छंगाणी बिल्डिंग, जालोरी गेट के अंदर जोधपुर। 4. अरविंद कुमार नटवरलाल चण्डक पुत्र श्री नटवरलाल विष्णुप्रसाद चण्डक, एम–12 आनासागर लिंक रोड अजमेर, राजस्थान। 5. विनीत कुमार नटवरलाल चण्डक पुत्र श्री नटवरलाल विष्णुप्रसाद चण्डक, एम–12 आनासागर लिंक रोड अजमेर, राजस्थान। 6. पुष्पा देवी चण्डक पत्नी श्री नटवरलाल विष्णुप्रसाद चण्डक, एम–12 आनासागर लिंक रोड अजमेर, राजस्थान। 7. श्री नटवरलाल विष्णुप्रसाद चण्डक (एच यू एफ) एम–12 आनासागर लिंक रोड अजमेर, राजस्थान। 8. Chandak food and Beverages Pvt Ltd. M-12 Ana Sagar Link Road, Ajmer, 305001 Raj.

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 01.09.2016 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी श्री लक्षमण पुत्र श्री आसनदास (सेल्स मैन), फर्म :– स्टॉल बैज संख्या 478 प्लेट फार्म संख्या 1, रेल्वे स्टेशन राइकाबाग, जोधपुर पर पहुँचा वहां यात्रियों केलिए चाय, बिस्कुट नमकीन पैकेजिंग ड्रिंकिंग वाटर, कोल्ड ड्रिंक आदि आम जनता हेतु वास्ते विक्रय हेतु था। उक्त उपलब्ध खाद्य एवं पेय पदार्थों में से पैकेजिंग ड्रिंकिंग वाटर(बीबो ब्राण्ड) वास्ते जांच मिलावट / अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 240 / – देकर खरीदे तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. विक्रेता व गवाह के सामने खरीदशुदा पैकेजिंग ड्रिंकिंग वाटर(बीबो ब्राण्ड) की 1 लीटर पैकिंग में 16 बोतलें सेम्पल मूल अवस्था में 4–4 बोतलें बांध कर इन पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड व सीरियल नम्बर NWR-288 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमूना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप NWR-288 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमूना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना NWR-288 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाफा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर

मानक अनुसार सही पाया गया लेकिन पाउच पर गुलकन्द की निर्माण एवं पैकिग तारीख अंग्रेजी के छोटे ऐलफाबेटस में लिखे होने के कारण सबस्टैण्डर्ड किया गया।मैं एक छोटा व्यापारी हूं। उच्च कोटि का गुलकन्द क्रय कर बेचता हूं। न ही किसी प्रकार कि मिलावट करता हूं इस बात की ताहीद लेबोरेटरी की दिनांक 30.01.2017 से होती है। पैकिंग पर निर्माण एवं पैकिग तारीख मैंने अंग्रेजी के बडे ऐलफाबेटस में लिखने हेतु बदल दिये गये हैं। भविष्य में इसकी पुनरावृति नहीं होगी। अतः मामला खारिज फरमाया जावे।

5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट क्रमांक 698 दिनांक 30.01.2017 का अवलोकन किया तथा अप्रार्थीगण को सुना गया। मनन के पश्चात् पाया कि अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 52 का दोषी हैं। अप्रार्थी यदि रिपोर्ट दिनांक 30.01.2017 से सन्तुष्ट न था तो उनके पास रेफरल लेब जाने का अवसन था, परन्तु उन्होने निर्धारित समय में अपील पेश न की । ऐसी स्थिति में अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 52 का दोषी हैं। अप्रार्थीगण पर शास्ती रूपये ..... अक्षरे रूपये ..... की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि **न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर (ADJUDICATING OFFICER AND ADM CITY, JODHPUR)** के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक ..... के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।
6. निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

क्रमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2018/ **दिनांक :–**

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01. अभिहित अधिकारी एवं संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं जोन जोधपुर।
02. श्री राजेश टिंकर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं जोन जोधपुर।
03. श्री कैलाश चंद धारीवाल पुत्र श्री कानमल जी धारीवाल, फर्म :– मै. अरविंद ऐजेन्सी, डबगरों की गली तम्बाकू बजार, सुपारी गली, जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 04 / 2018 आरसीएमएस : 2018 / 00004

प्रार्थी **बनाम** **अप्रार्थी**

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जोधपुर।

1. श्री कैलाश चंद धारीवाल पुत्र श्री कानमल जी धारीवाल, फर्म :– मै. अरविंद ऐजेन्सी, डबगरों की गली तम्बाकू बजार, सुपारी गली, जोधपुर।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 18.01.2017 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी मै. अरविंद ऐजेन्सी, डबगरों की गली तम्बाकू बजार, सुपारी गली, जोधपुर पहुँचा वहां एक लोहे के 5 पीपों में से प्रत्येक पीपे में खाद्य पदार्थ गुलकन्द (कोहिनूर) 800 ग्राम पैकिंग वाले 20 पाउच जनता हेतु वास्ते विक्रय हेतु था। उक्त उपलब्ध गुलकन्द (कोहिनूर) में से नियमानुसार 4 पाउच (800 ग्राम प्रति) 3 किलो 200ग्राम वास्ते जांच मिलावट / अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 260 / – देकर खरीदे तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. विक्रेता व गवाह के सामने खरीदशुदा गुलकन्द (कोहिनूर) के प्रत्येक पैकेट को मोटे गत्ते के कागज में लपेट कर इन पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड व सीरियल नम्बर एम– 1374 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमूना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एम– 1374 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमूना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एम– 1374 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाफा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि उक्त चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एम– 1374 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस 46 / एक्ट / 2017 / 42 दिनांक 30.01.2017 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ अमानक स्तर का होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एम– 1374 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाईल करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।
4. अप्रार्थी से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। अप्रार्थी स्वयं उपस्थित। जवाब पेश किया एंव निवेदन किया कि सेंपल की जांच रिपोर्ट पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी जोधपुर से दिनांक 31.01.2017 को प्राप्त हुई जिसमें गुलकन्द जांच के दौरान

5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट कमांक 1453 दिनांक 30.12.2016 का अवलोकन किया तथा अप्रार्थीगण को सुना गया। मनन के पश्चात् पाया कि अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थी यदि रिपोर्ट दिनांक 30.12.2016 से सन्तुष्ट न था तो उनके पास रेफरल लेब जाने का अवसन था, परन्तु उन्होने निर्धारित समय में अपील पेश न की । ऐसी स्थिति में अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थीगण पर शास्ती रूपये ..... अक्षरे रूपये ..... की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि **न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर** के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक ..... के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।
6. निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

कमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2018/ **दिनांक :–**

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01. कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।
02. श्री रजनीश शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।
03. श्री रोहित जैन पुत्र श्री पुरषोत्तम जैन, फर्म :– मै. जैन ब्रदर्स, 23/612, चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 61/2017

प्रार्थी	**बनाम**	**अप्रार्थी**
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जोधपुर।	1. श्री रोहित जैन पुत्र श्री पुरषोत्तम जैन, फर्म :– मै. जैन ब्रदर्स, 23/612, चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर।	2. श्रीमती कंचन मूंदडा पत्नी श्री अरविंद मूंदडा मैसर्सः कनिष्काज एन्टरप्राइजेज, 78, श्री राम मार्केट, कृषि उपज मण्डी, मण्डोर रोड, जोधपुर।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 23.12.2016 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी मै. जैन ब्रदर्स, 23/612, चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर पहुँचा वहां खाद्य पदार्थ धनिया पाउडर (पुजारी) 200 ग्राम प्रति की 40 पैकेट्स आम जनता हेतु वास्ते विक्रय हेतु था। उक्त उपलब्ध धनिया पाउडर (पुजारी) के 200 ग्राम के 8 पैकेट वास्ते जांच मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 280/– देकर खरीदे तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. विक्रेता व गवाह के सामने खरीदशुदा धनिया पाउडर (पुजारी) के 2–2 पैकेट्स को 4 गत्ते के डब्बों में डाल कर इन पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड व सीरियल नम्बर एम–1347 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमूना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एम–1347 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमूना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एम–1347 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाफा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि उक्त चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एम–1347 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस 1421/एक्ट/2017/1453 दिनांक 30.12.2016 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ अमानक स्तर का होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एम–1347 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाईल करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।
4. अप्रार्थी से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। जवाब हेतु अनेक अवसर दिये गये किन्तु जवाब पेश नहीं। जवाब बंद किया गया। बहस हेतु भी उपस्थित नहीं। आवाज लगायी गयी। उपस्थित नहीं ऐसी स्थिती में एक पक्षीय आदेश करना उचित समझती हूं।

5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट क्रमांक 698 दिनांक 18.08.2017 का अवलोकन किया तथा अप्रार्थीगण को सुना गया। मनन के पश्चात् पाया कि अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थी यदि रिपोर्ट दिनांक 18.08.2017 से सन्तुष्ट न था तो उनके पास रेफरल लेब जाने का अवसन था, परन्तु उन्होने निर्धारित समय में अपील पेश न की । ऐसी स्थिति में अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थीगण पर शास्ती रूपये ..... अक्षरे रूपये ..... की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि **न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर (ADJUDICATING OFFICER AND ADM CITY, JODHPUR)** के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक ..... के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।
6. निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

क्रमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2018/ **दिनांक :–**

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01. अभिहित अधिकारी एवं संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं जोन जोधपुर।
02. श्री राजेश टिंकर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं जोन जोधपुर।
03. श्री गौतम सिंह पुत्र श्री रणजीत सिंह, फर्म :– मै. श्री जोधपुर स्वीट कॉर्नर, डी पी एस चौराहा, पाल बाईपास, जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 142/2017

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जोधपुर।		1. श्री गौतम सिंह पुत्र श्री रणजीत सिंह, फर्म :– मै. श्री जोधपुर स्वीट कॉर्नर, डी पी एस चौराहा, पाल बाईपास, जोधपुर।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 05.08.2017 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी मै. श्री जोधपुर स्वीट कॉर्नर, डी पी एस चौराहा, पाल बाईपास, जोधपुर पहुँचा वहां एक लोहे के पीपे में खाद्य पदार्थ मावा जनता हेतु वास्ते विक्रय हेतु था। उक्त उपलब्ध मावा में से नियमानुसार 1 किलोग्राम वास्ते जांच मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 220/– देकर खरीदे तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. विक्रेता व गवाह के सामने खरीदशुदा मावा एक किलोग्राम को एक साफ सूखी स्टील की ट्रे में अच्छी तरह से हिला मिला कर एक रूप कर चार साफ सूखी खाली प्लास्टिक की शीशियों में बराबर मात्रा (250ग्राम प्रति) में डालकर प्रत्येक बोतल में फार्मेलिन की 20–20 बूंदें बतौर परिरक्षक की डाल कर प्रत्येक बोतल को एयर टाइट बन्द कर इन पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड व सीरियल नम्बर एडी– 615 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमूना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एडी– 615 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमूना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एडी– 615 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाफा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि उक्त चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एडी– 615 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस 697/एक्ट/2017/698 दिनांक 18.08.2017 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ अमानक स्तर का होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एडी– 615 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाईल करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।
4. अप्रार्थी से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। अप्रार्थी स्वयं उपस्थित। जवाब पेश किया एंव निवेदन किया कि वे स्वयं उच्च गुणवत्ता का गया का दूध लेकर मावा बनाता है। किसी प्रकार की मिलावट नहीं करता है लेकिन गाय के दूध में फैट कम होने की वजह से लेबोरेटरी रिपोर्ट में मिल्क फैट कम आया है अतः मामला खारिज फरमाया जावे।

दिनांक 11.04.2017 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ अमानक स्तर का होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एम–1466 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाईल करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।

4. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। वकील अप्रार्थीगण उपस्थित। वकील अप्रार्थीगण द्वारा बहस की गई। बहस में जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए कहा कि अप्रार्थी के यहां से जो पनीर का सेम्पल लिया गया था, अप्रार्थी पनीर का निर्माता नहीं है। यह पनीर बाजार से खरीद कर, पनीर के पकौडे बनाकर बेचता है। अप्रार्थीगण ने पनीर को सुरक्षित रखा जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा–27 (3)के (क)(ख)(ग)(घ) के अंतर्गत उल्लेखित है। अप्रार्थीगण सेंपल लिये गये पनीर के निर्माता नहीं हैं मात्र एक फुटकर पकौडे बेचने वाले हैं। अतः अप्रार्थीगण को घारा 51 से बरी किये जाने के आदेश फरमावें।
5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट क्रमांक 317 दिनांक 11.04.2017 का अवलोकन किया तथा अप्रार्थीगण को सुना गया। मनन के पश्चात् पाया कि अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थी यदि रिपोर्ट दिनांक 11.04.2017 से सन्तुष्ट न था तो उनके पास रेफरल लेब जाने का अवसर था, परन्तु उन्होने निर्धारित समय में अपील पेश न की । ऐसी स्थिति में अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थीगण पर शास्ती रूपये ..... अक्षरे रूपये ..... की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि **न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर** के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक ..... के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।
6. निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

क्रमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2018/ **दिनांक :–**

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर।
02. श्री संदीप अग्रवाल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर।
03. श्री प्रेमसिंह पंवार पुत्र श्री रामचन्द्र पंवार, फर्म :– मै. श्री राम एम्पायर, 12 वीं रोड चौराहा, बरखत तुला खां स्टेडियम के सामने, रेजीडेंसी रोड़, जोधपुर।
04. श्री हरीश पंवार पुत्र श्री रामचन्द्र पंवार, फर्म :– मै. श्री राम एम्पायर, 12 वीं रोड चौराहा, बरखत तुला खां स्टेडियम के सामने, रेजीडेंसी रोड़, जोधपुर।
05. श्री नरेन्द्र सिंह पंवार पुत्र श्री रामचन्द्र पंवार, फर्म :– मै. श्री राम एम्पायर, 12 वीं रोड चौराहा, बरखत तुला खां स्टेडियम के सामने, रेजीडेंसी रोड़, जोधपुर।
06. श्रीमती प्रमिला देवी पंवार पत्नी श्री हरीश पंवार फर्म :– मै. श्री राम एम्पायर, 12 वीं रोड चौराहा, बरखत तुला खां स्टेडियम के सामने, रेजीडेंसी रोड़, जोधपुर।
07. फर्म :– मै. श्री राम एम्पायर, 12 वीं रोड चौराहा, बरखत तुला खां स्टेडियम के सामने, रेजीडेंसी रोड़, जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 121/2017 आर सी एम एसः 2017/00115

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जोधपुर।		1. श्री प्रेमसिंह पंवार पुत्र श्री रामचन्द्र पंवार, फर्म :– मै. श्री राम एम्पायर, 12 वीं रोड चौराहा, बरखत तुला खां स्टेडियम के सामने, रेजीडेंसी रोड़, जोधपुर। 2. श्री हरीश पंवार पुत्र श्री रामचन्द्र पंवार, फर्म :– मै. श्री राम एम्पायर, 12 वीं रोड चौराहा, बरखत तुला खां स्टेडियम के सामने, रेजीडेंसी रोड़, जोधपुर। 3. श्री नरेन्द्र सिंह पंवार पुत्र श्री रामचन्द्र पंवार, फर्म :– मै. श्री राम एम्पायर, 12 वीं रोड चौराहा, बरखत तुला खां स्टेडियम के सामने, रेजीडेंसी रोड़, जोधपुर। 4. श्रीमती प्रमिला देवी पंवार पत्नी श्री हरीश पंवार फर्म :– मै. श्री राम एम्पायर, 12 वीं रोड चौराहा, बरखत तुला खां स्टेडियम के सामने, रेजीडेंसी रोड़, जोधपुर। 5. फर्म :– मै. श्री राम एम्पायर, 12 वीं रोड चौराहा, बरखत तुला खां स्टेडियम के सामने, रेजीडेंसी रोड़, जोधपुर।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 30.03.2017 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी फर्म :– मै. श्री राम एम्पायर, 12 वीं रोड चौराहा, बरखत तुला खां स्टेडियम के सामने, रेजीडेंसी रोड़, जोधपुर पहुँचा वहां होटल के किचन के कोल्ड रूम में एक बडे स्टील के डोंगे में लगभग 5 किलोग्राम पनीर रखा हुआ था। इससे सब्ली पकोडे वगरह बनाकर आम जनता को विक्रय किया जा रहा था। उक्त उपलब्ध पनीर वास्ते जांच मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 300/– देकर खरीदे तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. विक्रेता व गवाह के सामने खरीदशुदा 1 किलोग्राम पनीर को मैश कर एकरूप कर चार साफ सूखी एंव खाली प्लास्टिक की बोतलों में बराबर डाला एवं प्रत्येक नमूना बोतल में 20–20 बूंदें फार्मेलिन की डालकर प्रत्येक नमूना बोतल को ढक्कन लगाकर एयर टाइट बंद किया। चारों नमूना भागों की बोतलों पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड व सीरियल नम्बर एम–1466 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमूना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एम–1466 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमूना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एम–1466 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाफा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि उक्त चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एम–1466 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस 312/एक्ट/2017/317

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

कमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2018/ **दिनांक :–**

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01. कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी, जोधपुर।
02. श्री रजनीश शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी, जोधपुर।
03. श्री अभिनव कुम्भट पुत्र श्री गौतम कुम्भट, फर्म :– मै. सिनकेम डिस्ट्रीब्यूटर्स, 3 लाल बंगला, राई का बाग, जोधपुर।
04. श्रीमती शोभा कुम्भट पत्नी स्व. श्री गौतम कुम्भट, फर्म :– मै. सिनकेम डिस्ट्रीब्यूटर्स, 3 लाल बंगला, राई का बाग, जोधपुर।
05. श्री मनीष कालीदास प्रजापति पुत्र श्री कालीदास प्रजापति, फर्म :– मै.गुजरात टेरेस लेबोरेटरीज, प्लॉट सं 122/3, रवि इण्डस्ट्रीयल एस्टेट, बिलेश्वरपुरा छतराल,तालुका कलोल जिला गांधीनगर, गुजरात।
06. फर्म :– मै.गुजरात टेरेस लेबोरेटरीज, प्लॉट सं 122/3, रवि इण्डस्ट्रीयल एस्टेट, बिलेश्वरपुरा, छतराल,तालुका कलोल, जिला गांधीनगर, गुजरात।
07. श्री निदेशक/पार्टनर/प्रोप्रायटर, मै, क्लोविस बायोकेम, 351/ऐ/4, कोकरी मार्केट, पंचवटी एस्टेट के पास, कुबेरेश्वर मंदिर के सामने, नारोद रोड़, अहमदाबाद, गुजरात।
08. मै, क्लोविस बायोकेम, 351/ऐ/4, कोकरी मार्केट, पंचवटी एस्टेट के पास, कुबेरेश्वर मंदिर के सामने,
09. नारोद रोड़, अहमदाबाद, गुजरात।
10. श्री कल्पेश कुमार डी पटेल पुत्र श्री दशरथ भाई मंगलदास पटेल, मै. लेरोय न्यूट्रासाईन्स, 69 अनन्त इण्डस्ट्रीयल एस्टेट, विजय मिल के पास, नारोदा फूट मार्केट, एस बी आई के सामने, नारोदा, अहमदाबाद।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर

विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एम– 1090 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।

3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाफा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि उक्त चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एम– 1090 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस 426/एक्ट/2016/463 दिनांक 02.05.2016 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ अमानक स्तर का होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एम– 1090 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाईल करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।

4. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। अप्रार्थी सं 5 से 7 निर्माता कम्पनी ने जिरिये अधिकृत पत्र जवाब पेश किया जिसमें उन्होंने बताया कि We are producing key ingredients from the approved vendor and isisting supply with the COA. We are using the protine powder of 20%. And we are using 26 g of the protein powder of containing 20% of protein. As per usage we display on label. Due to not having guideline for the labeling.

Due to that only 26g of protein (20% protein contain.), means 4g of protein containing 100% of protein. So if anyalyses done considering of 26g of protein considering 100% protein cause the **substandard** and also **Misbranded.**

तथा अप्रार्थी सं 1 से 4 ने जवाब पेश कर बताया कि, वे केवल विक्रेता एवं वितरक मात्र हैं हमने जो भी माल खरीदा वह पैकिंग माल खरीदा था, जिसके माल खरीद व वितरण करने के वाउचरप्रार्थी स्वयं ने पेश किये हैं, अप्रार्थी सं 1 से 4 ने उक्त उत्पाद का रख रखाव बराबर रखा है तथा नियमों की पालना भी की है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 24(2) व (3) की पालना अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के द्वारा की गई है। अतः एफएसएस एक्ट की धारा–26 की उक्त धारा (2)(।।) की धारा–51 एवं 52 का अप्रार्थी संख्या 01 से 04 ने उल्लंघन नहीं किया है, इसलिए अप्रार्थी संख्या 01 से 04 को धारा–51 व 52 के तहत बरी किये जाने के आदेश फरमावें।

5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट क्रमांक 463 दिनांक 02.05.2016 का अवलोकन किया तथा अप्रार्थीगण के अधिवक्ताओं को सुना गया। मनन के पश्चात् पाया कि अप्रार्थीगण संख्या 5 से 7 निर्माता फर्म है जिन्होंने अपने जवाब में स्वीकार किया है कि उनकी जानकारी के अभाव में ऐसा हुआ है। यह उनकी प्रथम गलती है अतः वे नया लेबल छपवा लेंगे। अप्रार्थी सं 1 से 4 का जवाब स्वीकार योग्य है क्योंकि वे निर्माता न होकर बिल से माल के विक्रेता मात्र है एवं निर्माता कम्पनी ने अपनी गलती स्वीकार की है। अतः अप्रार्थीगण संख्या 5 से 7 खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51/52 का दोषी हैं। अप्रार्थी यदि रिपोर्ट दिनांक 02.05.2016 से सन्तुष्ट न था तो उनके पास रेफरल लेब जाने का अवसन था, परन्तु उन्होने निर्धारित समय में अपील पेश न की । ऐसी स्थिति में अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51/52 का दोषी हैं। अप्रार्थीगण संख्या 5 से 7 पर शास्ती रूपये .... अक्षरे रूपये ..... की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि **न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर** के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक ..... के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।

6. निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 33 / 2017

प्रार्थी

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी,
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी

1. श्री अभिनव कुम्भट पुत्र श्री गौतम कुम्भट,
   फर्म :– मै. सिनकेम डिस्ट्रीब्यूटर्स, 3 लाल बंगला,
   राई का बाग, जोधपुर।
2. श्रीमती शोभा कुम्भट पत्नी स्व. श्री गौतम कुम्भट,
   फर्म :– मै. सिनकेम डिस्ट्रीब्यूटर्स, 3 लाल बंगला,
   राई का बाग, जोधपुर।
3. श्री मनीष कालीदास प्रजापति पुत्र श्री कालीदास प्रजापति
   फर्म :– मै.गुजरात टेरेस लेबोरेटरीज, प्लॉट सं 122 / 3,
   रवि इण्डस्ट्रीयल एस्टेट, बिलेश्वरपुरा छतराल,तालुका कलोल
   जिला गांधीनगर, गुजरात।
4. फर्म :– मै.गुजरात टेरेस लेबोरेटरीज, प्लॉट सं 122 / 3,
   रवि इण्डस्ट्रीयल एस्टेट, बिलेश्वरपुरा छतराल,तालुका कलोल
   जिला गांधीनगर, गुजरात।
5. श्री निदेशक / पार्टनर / प्रोप्रायटर
   मै, क्लोविस बायोकेम, 351 / ऐ / 4, क्रोकरी मार्केट,
   पंचवटी एस्टेट के पास, कुबेरेश्वर मंदिर के सामने,
   नारोद रोड़, अहमदाबाद, गुजरात।
6. मै, क्लोविस बायोकेम, 351 / ऐ / 4, क्रोकरी मार्केट,
   पंचवटी एस्टेट के पास, कुबेरेश्वर मंदिर के सामने,
   नारोद रोड़, अहमदाबाद, गुजरात।
7. श्री कल्पेश कुमार डी पटेल पुत्र श्री दशरथ भाई मंगलदास पटेल
   मै. लेरोय न्यूट्रासाईन्स, 69 अनन्त इण्डस्ट्रीयल एस्टेट,
   विजय मिल के पास, नारोदा फ्रूट मार्केट,
   एस बी आई के सामने, नारोदा, अहमदाबाद।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 20.04.2016 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी मै. सिनकेम डिस्ट्रीब्यूटर्स, 3 लाल बंगला, राई का बाग, जोधपुर पहुँचा निरीक्षण करने पर प्रोटीन फुड सप्लीमेंट (प्रोमोज प्लस) 200 ग्राम के 200 जार आम जनता हेतु वास्ते विक्रय हेतु था। उक्त उपलब्ध प्रोटीन फुड सप्लीमेंट (प्रोमोज प्लस) को नियमानुसार 200 ग्राम के 12 जार बैच सं सी पी 185 के वास्ते जांच मिलावट / अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 1614 / – देकर खरीदे तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. विक्रेता व गवाह के सामने खरीदशुदा प्रोटीन फुड सप्लीमेंट (प्रोमोज प्लस) को मूल ही तीन तीन जार के सेट में ग्रुप किया व जार के प्रत्येक सेट पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड व सीरियल नम्बर एम– 1090 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमूना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एम– 1090 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमूना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर

3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाफा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि उक्त चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एम– 1468 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस 322/एक्ट/2017/323 दिनांक 18.04.2017 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ आइसक्रीम बनाने का घोल (Unsafe Food) Under Section 3(1)(zz)(xi) of Food safety and Standard Act-2006 होना पाया गया। कारोबारकर्ता द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ आईस क्रीम बनाने का घोल की पुनः जांच रेफरल लेब से करवाने हेतु प्रार्थनापत्र मय जांच शुल्क ड्राफ्ट अभिहित अधिकारी को प्रस्तुत किया तत्पश्चात नमूने का सुरक्षित भाग नमूना संख्या एम– **1468 दिनांक** 06.06.2017 को रेफरल फूड लेबोरेटरी मैसूर को जरिये रजि डाक नियमानुसार सील्ड कर भेजा गया। यहां से प्राप्त जांच रिपोर्ट सर्टिफिकेट संख्या 277F/FSSA/2017 दिनांक 27.07.2017 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ अमानक स्तर का होना पाया गया। **उक्त** प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एम– 1468 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाईल करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।
4. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। अप्रार्थीगण स्वयं उपस्थित एवं बताया कि आईस क्रीम बनाने हेतु घोल हम स्वयं नहीं बनाते हैं। बाजार से क्रय किया गया था। भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृति नहीं होगी। कृपया न्यूनतम जुर्माना लगाने की कृपा करावें।
5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा रेफरल फूड लेबोरेटरी मैसूर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सर्टिफिकेट संख्या 277F/FSSA/2017 दिनांक 27.07.2017 का अवलोकन किया तथा अप्रार्थीगण को सुना गया। मनन के पश्चात् पाया कि अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थीगण पर शास्ती रूपये ..... अक्षरे रूपये ..... की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि **न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर** के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक ..... के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।
6. निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

कमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2018/ **दिनांक :–**

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01. कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी, जोधपुर।
02. श्री संदीप अग्रवाल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी, जोधपुर।
03. श्री रविन्द्र परिहार पुत्र श्री गणपति सिंह, फर्म :– मै. वी डी फूड जोन, मकान सं 63, रेजीडेंसी रोड, गोयल हॉस्पीटल के पास, जोधपुर।
04. श्री नितेश सोनी, फर्म :– मै.वी डी फूड जोन, मकानसं 63, रेजीडेंसी रोड, गोयल हॉस्पीटल के पास जोधपुर।
05. फर्म :– मै.वी डी फूड जोन, मकानसं 63, रेजीडेंसी रोड, गोयल हॉस्पीटल के पास जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 136 / 2017

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जोधपुर।		1. श्री लक्षमण पुत्र श्री आसनदास (सेल्स मैन), फर्म :– स्टॉल बैज संख्या 478 प्लेट फार्म संख्या 1, रेल्वे स्टेशन राइकाबाग, जोधपुर। 2. श्रीमती सरस्वती देवी पत्नी जयराम दास, बलदेव नगर, 558, जोधपुर। 3. भरत कुमार पुत्र श्री लक्ष्मणदास, छंगाणी बिल्डिंग, जालोरी गेट के अंदर जोधपुर। 4. अरविंद कुमार नटवरलाल चण्डक पुत्र श्री नटवरलाल विष्णुप्रसाद चण्डक, एम–12 आनासागर लिंक रोड अजमेर, राजस्थान। 5. विनीत कुमार नटवरलाल चण्डक पुत्र श्री नटवरलाल विष्णुप्रसाद चण्डक, एम–12 आनासागर लिंक रोड अजमेर, राजस्थान। 6. पुष्पा देवी चण्डक पत्नी श्री नटवरलाल विष्णुप्रसाद चण्डक, एम–12 आनासागर लिंक रोड अजमेर, राजस्थान। 7. श्री नटवरलाल विष्णुप्रसाद चण्डक (एच यू एफ) एम–12 आनासागर लिंक रोड अजमेर, राजस्थान। 8. Chandak food and Beverages Pvt Ltd. M-12 Ana Sagar Link Road, Ajmer, 305001 Raj.

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 06.04.2017 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी मै.वी डी फूड जोन, मकानसं 63, रेजीडेंसी रोड, गोयल हॉस्पीटल के पास, जोधपुर पहुँचा वहां आइसक्रीम बनाने का घोल 15 किलोग्राम आम जनता हेतु वास्ते विक्रय हेतु था। उक्त उपलब्ध आइसक्रीम बनाने के घोल में से नियमानुसार 1200 ग्राम वास्ते जांच मिलावट / अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 240 / – देकर खरीदे तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. विक्रेता व गवाह के सामने खरीदशुदा 1200 ग्राम आइसक्रीम बनाने के घोल को एक स्टील की भगोली में हिलामिला कर एक रूप किया तत्पश्चात चार साफ व सूखे एवं खाली, चौडे मुंह वाली प्लास्टिक की बोतलों में बराबर डाला एवं प्रत्येक बोतल में 36–36 बूंदे फार्मेलिन (बतौर प्रिजरवेटिव) की डाल कर को ढक्कन लगाकर एयर टाइट बंद किया एवं प्रत्येक बोतल पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड व सीरियल नम्बर एम– 1468 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमूना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एम– 1468 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमूना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एम– 1468 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।

तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाईल करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।

4. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। अप्रर्थी उपस्थित। अप्रार्थी ने जवाब में कहा कि कुल्फी दूध से निर्मित की जाती है एंव दूध में फैट की मात्रा कम होने से कुल्फी में फैट की मात्रा कम पाची गयी है। मेरे द्वारा दूध बाजार से खरीद कर उक्त कुल्फी बनायी जाती है मेरे द्वारा किसी कुल्फी में किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं की जाती है और न ही उक्त कुल्फी से किसी को काई शारीरिक नुकसान हुआ है। मैं अच्छी गुणवत्ता वाली कुल्फी तैयार करता हूं। उक्त दूध में फैट की मात्रा कम थी जिसकी जानकारी मुझे नहीं थी। मैं अपना जुर्म स्वीकार करता हूं और भविष्य में फैट की मात्रा का ध्यान रख कर ही दूध खरीद कर कुल्फी तैयार करूंगा। भविष्य में इस प्रकार की गलती नही होगी एवं प्रकरण को निरसत को निरस्त फरमाने की कृपा करें।
5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट क्रमांक 371 दिनांक 02.05.2017 का अवलोकन किया तथा अप्रार्थीगण को सुना गया। मनन के पश्चात् पाया कि अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थी यदि रिपोर्ट दिनांक 02.05.2017 से सन्तुष्ट न था तो उनके पास रेफरल लेब जाने का अवसन था, परन्तु उन्होने निर्धारित समय में अपील पेश न की । ऐसी स्थिति में अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थीगण पर शास्ती रूपये ..... अक्षरे रूपये ..... की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि **न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर** के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक ..... के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।
6. निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

क्रमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2018/ **दिनांक :–**

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01. कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी, जोधपुर।
02. श्री रजनीश शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी, जोधपुर।
03. श्री अश्वनी वासदेव पुत्र श्री प्रेमदत्त वासदेव, फर्म :– मै. नीलकण्ठ फूड एण्ड बेवरेजेज, पार्क के पीछे, नेहरू कॉलोनी, पांच बत्ती, जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 100/2017

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जोधपुर।		1. श्री अश्वनी वासदेव पुत्र श्री प्रेमदत्त वासदेव, फर्म :– मै. नीलकण्ठ फूड एण्ड बेवरेजेज, पार्क के पीछे, नेहरू कॉलोनी, पांच बत्ती, जोधपुर।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 16.05.2017 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी मै.गंगा प्रोविजन एण्ड जनरल स्टोर, दुकान सं 13, के के कॉलोनी रोड, देवनारायण मंदिर के पास, बासनी प्रथम, जोधपुर पहुँचा वहां एक डीपफ्रीजर में 800 नग कुल्फी (50 ग्राम प्रति) आम जनता हेतु वास्ते विक्रय हेतु थी। उक्त उपलब्ध कुल्फी में से नियमानुसार 1200ग्राम (24 नग) वास्ते जांच मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 288/– देकर खरीदे तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. विक्रेता व गवाह के सामने खरीदशुदा कुल्फी (1200 ग्राम) को एक साफ सूखी स्टील की भगोली में गलाकर सामान्य तापमान पर लाकर हिला मिला कर एक रूप कर चार प्लास्टिक की बोतलों में बराबर मात्रा (300ग्राम प्रति) में डालकर प्रत्येक बोतल में 40 प्रतिशत फार्मेलिन की 36–36 बूंदें बतौर परिरक्षक की डाल कर प्रत्येक बोतल को एयर टाइट बन्द कर इन पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड व सीरियल नम्बर एम– 1463 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमूना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एम– 1463 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमूना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एम– 1463 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाफा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि उक्त चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एम– 1463 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस 370/एक्ट/2017/371 दिनांक 02.05.2017 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ अमानक स्तर का होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एम– 1463 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट

रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एम– 1514 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाईल करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।

4. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। अप्रार्थी ने अपने जवाब में बताया कि उनकी दुकान पैत्रिक आवास में है जो उनके पिता के नाम है एवं सामान का क्रय विक्रय मेरे द्वारा किया जाता है। मुझे यह ज्ञात नही था कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खुले मसाले बेचना वर्जित है। इसी कारण मैने खुला मसाला बेचा, यह मेरी प्रथम भूल है जो कि अनजाने में हुई है, अब भविष्य में इस भूल की पुनरावृति नहीं होगी। कृपया मुझे क्षमा प्रदान करें या कम से कम अर्थ दण्ड से दण्डित करने की कृपा करें।
5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट क्रमांक 490 दिनांक 26.05.2017 का अवलोकन किया तथा अप्रार्थीगण को सुना गया। मनन के पश्चात् पाया कि अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 58 का दोषी हैं। अप्रार्थी यदि रिपोर्ट दिनांक 26.05.2017 से सन्तुष्ट न था तो उनके पास रेफरल लेब जाने का अवसन था, परन्तु उन्होने निर्धारित समय में अपील पेश न की । ऐसी स्थिति में अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 58 का दोषी हैं। अप्रार्थीगण पर शास्ती रूपये ..... अक्षरे रूपये ..... की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि **न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर** के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक ..... के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।
6. निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

क्रमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2018/ **दिनांक :–**

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01. कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी, जोधपुर।
02. श्री संदीप अग्रवाल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी, जोधपुर।
03. श्री श्रवण कुमार चौधरी पुत्र श्री मंगलाराम चौधरी, फर्म :– मै.गंगा प्रोविजन एण्ड जनरल स्टोर, दुकान सं 13, के के कॉलोनी रोड, देवनारायण मंदिर के पास, बासनी प्रथम जोधपुर।
04. श्री मंगलाराम चौधरी, फर्म :– मै.गंगा प्रोविजन एण्ड जनरल स्टोर, दुकान सं 13, के के कॉलोनी रोड, देवनारायण मंदिर के पास, बासनी प्रथम जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 127/2017

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जोधपुर।		1. श्री श्रवण कुमार चौधरी पुत्र श्री मंगलाराम चौधरी, फर्म :– मै.गंगा प्रोविजन एण्ड जनरल स्टोर, दुकान सं 13, के के कॉलोनी रोड, देवनारायण मंदिर के पास, बासनी प्रथम जोधपुर। 2. श्री मंगलाराम चौधरी, फर्म :– मै.गंगा प्रोविजन एण्ड जनरल स्टोर, दुकान सं 13,के के कॉलोनी रोड, देवनारायण मंदिर के पास, बासनी प्रथम जोधपुर।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 16.05.2017 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी मै.गंगा प्रोविजन एण्ड जनरल स्टोर, दुकान सं 13, के के कॉलोनी रोड, देवनारायण मंदिर के पास, बासनी प्रथम, जोधपुर पहुँचा वहां एक कट्टे में 25 किलोग्राम मिर्ची पाउडर आम जनता हेतु वास्ते विक्रय हेतु था। उक्त उपलब्ध मिर्ची पाउडर मे से 2 किलोग्राम वास्ते जांच मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 240/– देकर खरीदे तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. विक्रेता व गवाह के सामने खरीदशुदा 2 किलोग्राम मिर्ची पाउडर को चार साफ व सूखे एवं खाली प्लास्टिक के जारों में बराबर डाला एवं प्रत्येक जार को ढक्कन लगाकर एयर टाइट बंद किया एवं प्रत्येक जार पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड व सीरियल नम्बर एम– 1514 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमूना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एम– 1514 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमूना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एम– 1514 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाफा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि उक्त चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एम– 1514 की जॉच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जॉच रिपोर्ट एलएस 489/एक्ट/2017/490 दिनांक 26.05.2017 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ अमानक स्तर का होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा

रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एम–1304 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाईल करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।

4. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। वकील अप्रार्थी उपस्थित बहस सुनी गई। बहस में जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए वकील अप्रार्थी ने बताया कि यह तेल टेंकर द्वारा खरीद कर पुनः पैक किया जाता है। हमारे द्वारा अच्छी गुणवत्ता वाला तेल ही खरीद किया जाता है। जांच में मानक स्तरों में थोडा सा ही अंतर है। भविष्य में ऐसी गलती नहीं होगी।
5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट क्रमांक 1226 दिनांक 24.10.2016 का अवलोकन किया तथा अप्रार्थीगण को सुना गया। मनन के पश्चात् पाया कि अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 सपठित धारा 59 का दोषी हैं। अप्रार्थी यदि रिपोर्ट दिनांक 24.10.2016 से सन्तुष्ट न था तो उनके पास रेफरल लेब जाने का अवसर था, परन्तु उन्होने निर्धारित समय में अपील पेश न की । ऐसी स्थिति में अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 सपठित धारा 59 का दोषी हैं। अप्रार्थीगण पर शास्ती रूपये ..... अक्षरे रूपये .... की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि **न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर** के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक ..... के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।
6. निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

क्रमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2018/ **दिनांक :–**

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01. कार्यालय आयुक्त (खाद्य सुरक्षा), निदेशालय चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवाएं, जयपुर।
02. श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय आयुक्त (खाद्य सुरक्षा),निदेशालय चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवाएं, जयपुर।
03. श्री रमेश चौधरी पुत्र श्री भंवराराम, फर्मः मै.महादेव किराणा एण्ड जनरल स्टोर, सांगरिया फाटा सालावास रोड, जोधपुर।
04. श्री फरसा राम, फर्म :– मै.महादेव किराणा एण्ड जनरल स्टोर, सांगरिया फाटा सालावास रोड, जोधपुर।
05. Sh. Jethmal Rathi HUF, Sole Proprietor, M/S Pawan Industries, A-15, M.I.A., Basni Phase-I, Jodhpur.

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 111/2017 — आर सी एम एसः 2017/00107

प्रार्थी

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी,
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी

1. श्री रमेश चौधरी पुत्र श्री भंवराराम,
   फर्म :– मै.महादेव किराणा एण्ड जनरल स्टोर,
   सांगरिया फाटा सालावास रोड, जोधपुर।
2. श्री फरसा राम,
   फर्म :– मै.महादेव किराणा एण्ड जनरल स्टोर,
   सांगरिया फाटा सालावास रोड, जोधपुर।
3. Sh. Jethmal Rathi HUF, Sole Proprietor
   M/S Pawan Industries, A-15, M.I.A., Basni Phase-I,
   Jodhpur.

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 26.01.2017 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी मै.महादेव किराणा एण्ड जनरल स्टोर, सांगरिया फाटा सालावास रोड, जोधपुर पहुँचा वहां सरसों का तेल (सपूत) 500 एमएल की 15 कम्पनी पैक बोतल आम जनता हेतु वास्ते विक्रय हेतु था। उक्त उपलब्ध सरसों का तेल (सपूत) 4 बोतल (500 एमएल प्रति) वास्ते जांच मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 200/– देकर खरीदे तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. विक्रेता व गवाह के सामने खरीदशुदा सरसों का तेल (सपूत) 500 एमएल की इन मूल नमूना बोतलों पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड व सीरियल नम्बर एम–1304 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमूना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एम–1304 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमूना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एम–1304 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाफा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि उक्त चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एम–1304 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस 1194/एक्ट/2016/1226 दिनांक 24.10.2016 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ अमानक स्तर का होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा

02. श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोधपुर, राजस्थान।
03. श्री कैलाश चन्द पारीक पुत्र श्री मदनलाल, मैसर्स बालाजी ट्रेडिंग कम्पनी, 3एल16, कुडी भगतासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर।
04. श्रीमती कंचन (मालिक), मैसर्स बालाजी ट्रेडिंग कम्पनी, 3एल16, कुडी भगतासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर।
05. श्रीमती गायत्री देवी पत्नी श्री गोविन्द लाल, मैसर्स श्री मदन मोहन ट्रेडिंग कम्पनी, श्री मुनिमहाराज आश्रम के पास, मेड़त सिटि– 341510।
06. श्री केशव काबरा पुत्र श्री हेमन्त कुमार काबरा, मैसर्स श्री मदन मोहन ट्रेडिंग कम्पनी, श्री मुनिमहाराज आश्रम के पास, मेड़ता सिटि– 341510
07. श्री अविनाश काबरा पुत्र श्री हेमन्त कुमार काबरा, मैसर्स श्री मदन मोहन ट्रेडिंग कम्पनी, श्री मुनिमहाराज आश्रम के पास, मेड़ता सिटि– 341510
08. श्रीमती मीना काबरा पत्नी श्री हेमन्त कुमार काबरा, मैसर्स श्री मदन मोहन ट्रेडिंग कम्पनी, श्री मुनिमहाराज आश्रम के पास, मेड़ता सिटि– 341510
09. श्रीमती स्नेहा काबरा पत्नी श्री केशव काबरा, मैसर्स श्री मदन मोहन ट्रेडिंग कम्पनी, श्री मुनिमहाराज आश्रम के पास, मेड़ता सिटि– 341510
10. श्री हेमन्त काबरा (Incharge of Operation) मैसर्स श्री मदन मोहन ट्रेडिंग कम्पनी, श्री मुनिमहाराज आश्रम के पास, मेड़ता सिटि– 341510
11. मैसर्स श्री मदन मोहन ट्रेडिंग कम्पनी, श्री मुनिमहाराज आश्रम के पास, मेड़ता सिटि– 341510

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर

विवरण एवं नमूना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एम–1301 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमूना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एम–1301 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।

3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाफा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि उक्त चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एम–1301 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस 1191/एक्ट/2016/1223 दिनांक 24.10.2016 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ अमानक स्तर का होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एम–1301 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाईल करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।

4. अप्रार्थी सं.1 व 2 ने बावजूद तामिल जवाब पेश नहीं किया। अतः जवाब बंद किया गया। शेष अप्रार्थीगण की ओर से श्री ओमप्रकाश गौड को अधिकृत किया जिन्होनें जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मिर्ची पाउडर के पाउच पर पूरा पता अंकित न होने के कारण मिसब्राण्ड किया गया है लेकिन हमने नया पाउच जिसके सेंपल की प्रति संलग्न की है पूरा पता लिखवा दिया गया है। अतः पुरानी भूल को माफ कराने की कृपा करावें।

5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट क्रमांक 1223 दिनांक 24.10.2016 का अवलोकन किया तथा अप्रार्थीगण को सुना गया। मनन के पश्चात् पाया कि अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 52 का दोषी हैं। अप्रार्थी यदि रिपोर्ट दिनांक 24.10.2016 से सन्तुष्ट न था तो उनके पास रेफरल लेब जाने का अवसन था, परन्तु उन्होने निर्धारित समय में अपील पेश न की । ऐसी स्थिति में अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 52 का दोषी हैं। अप्रार्थीगण पर शास्ती रूपये ..... अक्षरे रूपये ..... की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि **न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर** के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक ..... के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।

6. निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

क्रमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2018/ **दिनांक :–**

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01. कार्यालय आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोधपुर, राजस्थान।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 95 / 2017 आर सी एम एसः

2017 / 00077

प्रार्थी

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी,
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी

1. श्री कैलाश चन्द पारीक पुत्र श्री मदनलाल,
   मैसर्स बालाजी ट्रेडिंग कम्पनी, 3एल16,
   कुडी भगतासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर।
2. श्रीमती कंचन (मालिक),
   मैसर्स बालाजी ट्रेडिंग कम्पनी, 3एल16,
   कुडी भगतासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर।
3. श्रीमती गायत्री देवी पत्नी श्री गोविन्द लाल,
   मैसर्स श्री मदन मोहन ट्रेडिंग कम्पनी,
   श्री मुनिमहाराज आश्रम के पास,
   मेड़त सिटि– 341510
4. श्री केशव काबरा पुत्र श्री हेमन्त कुमार काबरा,
   मैसर्स श्री मदन मोहन ट्रेडिंग कम्पनी,
   श्री मुनिमहाराज आश्रम के पास,
   मेड़ता सिटि– 341510
   निवासीः बी 19, श्याम नगर, जयपुर।
5. श्री अविनाश काबरा पुत्र श्री हेमन्त कुमार काबरा,
   मैसर्स श्री मदन मोहन ट्रेडिंग कम्पनी,
   श्री मुनिमहाराज आश्रम के पास,
   मेड़ता सिटि– 341510
6. श्रीमती मीना काबरा पत्नी श्री हेमन्त कुमार काबरा,
   मैसर्स श्री मदन मोहन ट्रेडिंग कम्पनी,
   श्री मुनिमहाराज आश्रम के पास,
   मेड़ता सिटि– 341510
7. श्रीमती स्नेहा काबरा पत्नी श्री केशव काबरा,
   मैसर्स श्री मदन मोहन ट्रेडिंग कम्पनी,
   श्री मुनिमहाराज आश्रम के पास,
   मेड़ता सिटि– 341510
8. श्री हेमन्त काबरा (Incharge of Operation)
   मैसर्स श्री मदन मोहन ट्रेडिंग कम्पनी,
   श्री मुनिमहाराज आश्रम के पास,
   मेड़ता सिटि– 341510
9. मैसर्स श्री मदन मोहन ट्रेडिंग कम्पनी,
   श्री मुनिमहाराज आश्रम के पास,
   मेड़ता सिटि– 341510

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 07.10.2016 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी मैसर्स बालाजी ट्रेडिंग कम्पनी, 3एल16, कुडी भगतासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर पहुँचा परिसर का निरीक्षण करने पर मिर्चि पाउडर (लक्ष्मी) 100 ग्राम पोली पैकिंग के 650 पॉली पैकेट आम जनता हेतु वास्ते विक्रय हेतु था। उक्त उपलब्ध मिर्चि पाउडर (लक्ष्मी) के 20 पैकेट (100 ग्राम प्रति) वास्ते जांच मिलावट / अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 363 / – देकर खरीदे तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. विक्रेता व गवाह के सामने खरीदशुदा मिर्चि पाउडर (लक्ष्मी) के इन मूल नमूनों को 5–5 नग के हिसाब से 4 पैकेट बनाकर इनपर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड व सीरियल नम्बर एम–1301 खाद्य पदार्थ का

रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एडी–1385 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाईल करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।

4. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। वकील अप्रार्थी **उपस्थित बहस सुनी गई। वकील** अप्रार्थी ने बहस में जवाब के तथ्यों को दोहराया तथा मात्र बेस्ट बिफोर 6 मन्थ को स्मॉल एलफाबेट्स में लिखने के कारण मिसब्राण्ड होना बताया हैतथा अप्रार्थी ने रेग्यूलेशन सं 2 2 2 (10) खाद्य सुरक्षा अधिनियम पैकेजिंग एण्ड लेबलिंग का पूर्ण रूप से पालन किया है अतः कार्यवाही ड्रॉप फरमावें।
5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट क्रमांक 59 दिनांक 07.02.2017 का अवलोकन किया तथा अप्रार्थीगण को सुना गया। मनन के पश्चात् पाया कि अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 52 का दोषी हैं। अप्रार्थी यदि रिपोर्ट दिनांक 07.02.2017 से सन्तुष्ट न था तो उनके पास रेफरल लेब जाने का अवसन था, परन्तु उन्होने निर्धारित समय में अपील पेश न की । ऐसी स्थिति में अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 52 का दोषी हैं। अप्रार्थी संख्या 1 पर शास्ती रूपये ..... अक्षरे रूपये ..... की, अप्रार्थी संख्या 2 पर शास्ती रूपये ..... अक्षरे रूपये ..... की, अप्रार्थी संख्या 3 पर शास्ती रूपये .... अक्षरे रूपये ..... की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि **न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर** के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक ..... के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।
6. निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

क्रमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2018/ **दिनांक :–**

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01. कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी, जोधपुर।
02. श्री रेवत सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी, जोधपुर।
03. श्री गणपत सिंह पुत्र श्री शंकर सिंह राजपुरोहित, फर्म :– मै.कृष्णा डिपार्टमेंटल स्टोर, म न. 137, पीपली चौराहा, शंकरनगर, चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर।
04. श्री पंकज दाधीच पुत्र श्री नन्द किशोर, फर्म :– मै.राज ट्रेडर्स, 2705 सिंधियों की गली के अन्दर, पोस्ट ऑफिस के सामने, सूरसागर, जोधपुर।
05. श्री सतीश कुमार शर्मा पुत्र श्री ब्रम्हानन्द शर्मा, मै. श्री गोविन्दम फूड्स, 98 बी, गौरी विहार विस्तार, गोल्यावास, न्यू सांगानेर, जयपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 95/2017 आर सी एम एसः 2017/00077

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जोधपुर।		1. श्री गणपत सिंह पुत्र श्री शंकर सिंह राजपुरोहित, फर्म :– मै.कृष्णा डिपार्टमेंटल स्टोर, म न. 137, पीपली चौराहा, शंकरनगर, चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर। 2. श्री पंकज दाधीच पुत्र श्री नन्द किशोर, फर्म :– मै.राज ट्रेडर्स, 2705 सिंधियों की गली के अन्दर, पोस्ट ऑफिस के सामने, सूरसागर, जोधपुर। 3. श्री सतीश कुमार शर्मा पुत्र श्री ब्रम्हानन्द शर्मा, मै. श्री गोविन्दम फूड्स, 98 बी, गौरी विहार विस्तार गोल्यावास, न्यू सांगानेर, जयपुर।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 26.01.2017 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी मै.कृष्णा डिपार्टमेंटल स्टोर, म न. 137, पीपली चौराहा, शंकरनगर, चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर पहुँचा परिसर का निरीक्षण करने पर पोहा (ब्राण्ड गोविन्द) 800 ग्राम पोली पैकिंग के 17 पॉली पैकेट दुकान की रेक में आम जनता हेतु वास्ते विक्रय हेतु था। उक्त उपलब्ध पोहा (ब्राण्ड गोविन्द) के 4 पैकेट (800 ग्राम प्रति) वास्ते जांच मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 160/– देकर खरीदे तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. विक्रेता व गवाह के सामने खरीदशुदा पोहा (ब्राण्ड गोविन्द) 800 ग्राम पोली पैकिंग के इन मूल नमूनों पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड व सीरियल नम्बर एडी–1385 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमूना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एडी–1385 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमूना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एडी–1385 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाफा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि उक्त चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एडी–1385 की जॉच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जॉच रिपोर्ट एलएस 59/एक्ट/2017/59 दिनांक 07.02.2017 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ अमानक स्तर का होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा

4. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। अप्रार्थी स्वयं दिनांक 16.01.2018 को उपस्थित। जुर्म स्वीकार कियाएवं निवेदन किया कि अप्रार्थी एक छोटा विक्रेता है। उसने विक्रय किये जाने वाले आगरे के पेठे के पाउच पर पंपकिन, शक्कर, केसर, पंदन गुलाब जी की मात्रा अंकित नहीं की है एवं भविष्य में इसका ध्यान रखेगा।
5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट क्रमांक 23 दिनांक 24.01.2017 का अवलोकन किया तथा अप्रार्थीगण को सुना गया। मनन के पश्चात् पाया कि अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 52 का दोषी हैं। अप्रार्थी यदि रिपोर्ट दिनांक 24.01.2017 से सन्तुष्ट न था तो उनके पास रेफरल लेब जाने का अवसन था, परन्तु उन्होने निर्धारित समय में अपील पेश न की । ऐसी स्थिति में अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 52 का दोषी हैं। अप्रार्थीगण पर शास्ती रूपये ..... अक्षरे रूपये ..... की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि **न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर** के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक ..... के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।
6. निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

क्रमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2018/ **दिनांक :–**

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01. कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी, जोधपुर।
02. श्री संदीप अग्रवाल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी, जोधपुर।
03. श्री बलवंत देवडा पुत्र श्री मनोहर सिंह देवडा, फर्म :– मै.गणपति उद्योग, जी 132, एग्रो फूड पार्क, इण्डस्ट्रियल एरिया, जोधपुर।
04. श्री मनोहर सिंह देवडा, फर्म :– मै.गणपति उद्योग, जी 132, एग्रो फूड पार्क, इण्डस्ट्रियल एरिया, जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 120/2017 आर सी एम एस: 2017/00114

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जोधपुर।		1. श्री बलवंत देवडा पुत्र श्री मनोहर सिंह देवडा, फर्म :– मै.गणपति उद्योग, जी 132, एग्रो फूड पार्क, इण्डस्ट्रियल एरिया, जोधपुर। 2. श्री मनोहर सिंह देवडा, फर्म :– मै.गणपति उद्योग, जी 132, एग्रो फूड पार्क, इण्डस्ट्रियल एरिया, जोधपुर।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 11.01.2017 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी मै.गणपति उद्योग, जी 132, एग्रो फूड पार्क, इण्डस्ट्रियल एरिया, जोधपुर। पहुँचा परिसर का निरीक्षण करने पर स्पेशल पेठा (गणपति) पेठा मिठाई के 200 पाउच (500 ग्राम प्रत्येक पाउच) आम जनता हेतु वास्ते विक्रय हेतु था। उक्त उपलब्ध स्पेशल पेठा (गणपति) पेठा मिठाई (500 ग्राम प्रत्येक पाउच) के 4 पैकेट वास्ते जांच मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 135/– खरीदे तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. विक्रेता व गवाह के सामने खरीदशुदा स्पेशल पेठा (गणपति) पेठा मिठाई (500 ग्राम प्रत्येक पाउच) पैकिंग के इन मूल नमूनों पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड व सीरियल नम्बर एम–1370 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमूना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एम–1370 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमूना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एम–1370 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाफा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि उक्त चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एम–1370 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस 23/एक्ट/2017/23 दिनांक 24.01.2017 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ अमानक स्तर का होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एम–1370 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाईल करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।

4. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। जवाब पेश नहीं। आवाज लगायी गयी। जवाब बंद किया गया। बहस हेतु आवाज लगायी गयी उपस्थित नहीं अतः एकपक्षीय आदेश पारित करना उचित समझती हूं। अप्रार्थी द्वारा बेची जाने वाली चाय के पेकिंग बेग पर बेच नम्बर व निर्माण / पैकिंग तिथी अंकित नहीं थी अतः धरा 52 का दोषी है।
5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट क्रमांक 192 दिनांक 17.03.2017 का अवलोकन किया तथा अप्रार्थीगण को सुना गया। मनन के पश्चात् पाया कि अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 52 का दोषी हैं। अप्रार्थी यदि रिपोर्ट दिनांक 17.03.2017 से सन्तुष्ट न था तो उनके पास रेफरल लेब जाने का अवसन था, परन्तु उन्होने निर्धारित समय में अपील पेश न की । ऐसी स्थिति में अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 52 का दोषी हैं। अप्रार्थीगण पर शास्ती रूपये ..... अक्षरे रूपये ..... की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि **न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर** के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक ..... के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।
6. निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

क्रमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2018/ **दिनांक :–**

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01. कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वा. सेवायें, जोधपुर।
02. श्री राजेश टिंकर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वा. सेवायें, जोधपुर।
03. श्री अशोक कुमार पुत्र श्री नारायणराम झंझीला, फर्म :– मै.सैनिक किराणा एण्ड प्रोविजन स्टोर, 225 कन्हैया नगर, शिकारगढ, जोधपुर।
04. श्री पारसमल राजपुरोहित पुत्र श्री डामर सिंह, फर्म :– मै. पासर स्टोर, शिव मंदिर रोड़, रातानाडा जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 104/2017 आर सी एम एसः 2017/00092

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जोधपुर।		1. श्री अशोक कुमार पुत्र श्री नारायणराम झंझीला, फर्म :– मै.सैनिक किराणा एण्ड प्रोविजन स्टोर, 225 कन्हैया नगर, शिकारगढ, जोधपुर। 2. श्री पारसमल राजपुरोहित पुत्र श्री डामर सिंह, फर्म :– मै. पासर स्टोर, शिव मंदिर रोड़, रातानाडा जोधपुर।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 07.03.2017 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी मै.सैनिक किराणा एण्ड प्रोविजन स्टोर, 225 कन्हैया नगर, शिकारगढ, जोधपुर। पहुँचा परिसर का निरीक्षण करने पर लकडी की रेक में 250 ग्राम X 12 प्लास्टिक पैक चाय (पारस चाय) आम जनता हेतु वास्ते विक्रय हेतु था। उक्त उपलब्ध चाय (पारस चाय) 250 ग्राम के 8 पैकेट वास्ते जांच मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 400/– खरीदे तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. विक्रेता व गवाह के सामने खरीदशुदा चाय (पारस चाय) 250 ग्राम पैकिंग के इन आठों डिब्बों को बराबर (दो प्रति नमूना) के हिसाब से मूल नमूनों को ही गत्ते के डब्बों में डालकर बंद किया गया। इन पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड व सीरियल नम्बर एडी–541 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एडी–541 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एडी–541 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाफा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि उक्त चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एडी–541 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस 191/एक्ट/2016/192 दिनांक 17.03.2017 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ अमानक स्तर का होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एडी–541 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाईल करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 51 / 2017 — आर सी एम एसः 2017 / 00098

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जोधपुर।		1.पुष्पचंद जैन पुत्र श्री घेवरचंद जैन, फर्म :– मै. पुष्पचंद एण्ड कम्पनी, कटला बजार पोल के पास, जोधपुर। 2.शरद जे. सेजपाल फर्म :– Jamsons Industries, Plot No C-229, T.T.C. Turbhe, Maphe Road, Near Indira Nagar, M.I.D.C., Rurbhe, Navi Mumbai-400705. 3.श्रीमती पूर्णिमा एस. सेजपाल फर्म :– Jamsons Industries, Plot No C-229, T.T.C. Turbhe, Maphe Road, Near Indira Nagar, M.I.D.C., Rurbhe, Navi Mumbai-400705. 4.फर्म :– Jamsons Industries, Plot No C-229, T.T.C. Turbhe, Maphe Road, Near Indira Nagar, M.I.D.C., Rurbhe, Navi Mumbai-400705.

संशोधित आदेश

इस न्यायालय द्वारा जारी आदेश के पेरा संख्या 4 सेवन से वकील अप्रार्थी अनुपस्थित टंकित हो गया जबकि वकील अप्रार्थी को आवाज लगायी गयी तत्पश्चात उपस्थित हो गया तथा जवाब को ही बहस मानते हुए आदेश हेतु निवेदन किया एवं बहस सुनि गयी। शेष यथावत।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

कमांकः– न्यायिक / कोर्ट / 2018 / **दिनांक :–**

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं सवास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।
02. श्री रेवत सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं सवास्थ्य अधिकारी,जोधपुर।
03. पुष्पचंद जैन पुत्र श्री घेवरचंद जैन, मै. पुष्पचंद एण्ड कम्पनी, कटला बजार, पोल के पास, जोधपुर।
04. शरद जे. सेजपाल, फर्म :– Jamsons Industries, Plot No C-229, T.T.C. Turbhe, Maphe Road, Near Indira Nagar, M.I.D.C., Rurbhe, Navi Mumbai-400705
05. श्रीमती पूर्णिमा एस. सेजपाल, फर्म :– Jamsons Industries, Plot No C-229, T.T.C. Turbhe, Maphe Road, Near Indira Nagar, M.I.D.C., Rurbhe, Navi Mumbai-400705
06. फर्म :– Jamsons Industries, Plot No C-229, T.T.C. Turbhe, Maphe Road, Near Indira Nagar, M.I.D.C., Rurbhe, Navi Mumbai-400705

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर

उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एम–1158 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाईल करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।

4. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। वकील अप्रार्थी ने अप्रार्थीगण की ओर से जवाब पेश किया तथा वकील अप्रार्थी ने बहस की। बहस में जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए मानक अनुसार सही प्रोडक्ट है तथा बाहर लिखा हुआ नहीं है जो मिथ्याछाप की श्रेणी में नहीं आता है अतः धारा 52 से मुक्त कराने का आदेश फरमावें।
5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट क्रमांक 761 दिनांक 28.06.2016 का अवलोकन किया तथा अप्रार्थीगण को सुना गया। मनन के पश्चात् पाया कि अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 52 का दोषी हैं। अप्रार्थी यदि रिपोर्ट दिनांक 28.06.2016 से सन्तुष्ट न था तो उनके पास रेफरल लेब जाने का अवसन था, परन्तु उन्होने निर्धारित समय में अपील पेश न की । ऐसी स्थिति में अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 52 का दोषी हैं। अप्रार्थीगण संख्या 02 से 04 पर शास्ती रूपये ..... अक्षरे रूपये ..... की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि **न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर** के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक ..... के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।
6. निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

क्रमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2018/ **दिनांक :–**

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं सवास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।
02. श्री रेवत सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं सवास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।
03. श्री प्रदीप चावला पुत्र श्री गोपीचन्द चावला, फर्म :– मै.जानू स्वीट भण्डार, चौराहा घास मण्डी जोधपुर।
04. श्री जीतेन्द्र ढींगरा पुत्र श्री हरदासमल ढींगरा, फर्म :– मै.मार्क फूड प्रोडक्ट, 366/2, न्यू अग्रवाल उद्योग नगरे, पालदा, इंदौर, म.प्र।
05. श्री गिरीश ढींगरा पुत्र श्री जयकिशन ढींगरा,फर्म :– मै.मार्क फूड प्रोडक्ट, 366/2, न्यू अग्रवाल उद्योग नगरे, पालदा, इंदौर, म.प्र।
06. फर्म :– मै.मार्क फूड प्रोडक्ट, 366/2, न्यू अग्रवाल उद्योग नगरे, पालदा, इंदौर, म.प्र।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 09/2017 — आर सी एम एसः 2017/00005

प्रार्थी — **बनाम** — **अप्रार्थी**

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जोधपुर।

1. श्री प्रदीप चावला पुत्र श्री गोपीचन्द चावला, फर्म :– मै.जानू स्वीट भण्डार, चौराहा घास मण्डी जोधपुर।
2. श्री जीतेन्द्र ढींगरा पुत्र श्री हरदासमल ढींगरा, फर्म :– मै.मार्क फूड प्रोडक्ट, 366/2, न्यू अग्रवाल उद्योग नगरे, पालदा, इंदौर, म.प्र।
3. श्री गिरीश ढींगरा पुत्र श्री जयकिशन ढींगरा, फर्म :– मै.मार्क फूड प्रोडक्ट, 366/2, न्यू अग्रवाल उद्योग नगरे, पालदा, इंदौर, म.प्र।
4. फर्म :– मै.मार्क फूड प्रोडक्ट, 366/2, न्यू अग्रवाल उद्योग नगरे, पालदा, इंदौर, म.प्र।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 10.05.2017 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी मै.जानू स्वीट भण्डार, चौराहा घास मण्डी जोधपुर। पहुँचा परिसर का निरीक्षण करने पर शुगर बॉइल्ड कनफैक्शनरी (ब्रांड मार्क कोकोनट कंच) के 900 पॉलीपैक्ड पैकेट्स प्रत्येक 500 ग्राम के 25 गत्ता कार्टून में आम जनता हेतु वास्ते विक्रय हेतु था। उक्त उपलब्ध शुगर बॉइल्ड कनफैक्शनरी (ब्रांड मार्क कोकोनट कंच) के 4 पैकेट वास्ते जांच मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 180/– खरीदे तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. विक्रेता व गवाह के सामने खरीदशुदा शुगर बॉइल्ड कनफैक्शनरी (ब्रांड मार्क कोकोनट कंच) के इन चारों नमूनों को गत्ते के डब्बों में डालकर बंद किया गया। इन पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड व सीरियल नम्बर एम–1158 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एम–1158 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एम–1158 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाफा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि उक्त चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एम–1158 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस 736/एक्ट/2016/761 दिनांक 28.06.2016 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ अमानक स्तर का होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का

02- श्री रेवत सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं सवास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।

03- श्री मुकेश सिंह पुत्र श्री नन्दलाल सिंह, फर्म :–M/s Variety Pantry Services Pvt. Ltd.(Licensee), Vishakhapatnam- BGKT Exp. Train No 18575- 18574, Pantry Car. मित्रकुटी–ए–33 चन्दर विहार आई पी एक्सटेंशन, पटपर गंज दिल्ली।

04- श्री राजेश गुप्ता (प्रोपराइटर), फर्म :–M/s Variety Pantry Services Pvt. Ltd.4503, Shahid Bhagat Singh Gali Pahaganj (Sora Kothi), New Delhi- 110095.

05- श्री वेंकटेशवर नाथ पुत्र श्री सेवाराम (नोमिनी), नेहरू नगर दिवियापुर, ककराही औरईया, उत्तर प्रदेश 206244।

06- राजेन्द्र जेठानी, 82 जसवंत सराय के सामने, मैसर्स लक्ष्मी प्रोविजन एण्ड जनरल स्टोर, स्टेशन रोड, जोधपुर 324001

07- दिप्ती रंगवानी पत्नी राजेश रंगवानी (डिस्ट्रीब्यूटर), मैसर्स आलमचंद, ताराचंद प्लॉट संख्या 11, शहीद राजाराम ब्लॉक मण्डोर मण्डी जोधपुर।

08- राजेश पुत्र श्री स्व. आलमचंद (मेन्यूफेक्चर), मै. राजदीप प्रोडक्ट्स, 477 श्यामनगर देवनगर, राजीवगांधी कॉलोनी जोधपुर।

09- M/s Variety Pantry Services Pvt. Ltd.4503 Shahid Bhagat Singh Gali Pahaganj (Sora Kothi) New Delhi- 110095

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर

हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एन डब्ल्यू आर –255 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एन डब्ल्यू आर –255 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।

3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाफा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि उक्त चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एन डब्ल्यू आर –255 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस 462/एक्ट/2017/646 दिनांक 24.05.2017 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ अमानक स्तर का होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एन डब्ल्यू आर –255 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाईल करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।

4. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 उपस्थित। जवाब पेश किया तथा उनके द्वारा लिये गये सेंपल बेसन गोल्ड में किसी प्रकार की मिलावट नहीं की है। उन्होंने बेसन लक्ष्मी प्रोविजन एवं जनरल स्टोर अप्रार्थी संख्या 4 से क्रय किया है। अप्रार्थी संख्या 4 से 7 ने बावजूद तामिल जवाब पेश नहीं किया। जवाब बंद किया गया। अतः पक्षीय आदेश करना उचित समझती हूं।

5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट क्रमांक 646 दिनांक 24.05.2017 का अवलोकन किया तथा अप्रार्थीगण को सुना गया। मनन के पश्चात् पाया कि अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 52 का दोषी हैं। अप्रार्थी यदि रिपोर्ट दिनांक 24.05.2017 से सन्तुष्ट न था तो उनके पास रेफरल लेब जाने का अवसन था, परन्तु उन्होने निर्धारित समय में अपील पेश न की । ऐसी स्थिति में अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 52 का दोषी हैं। अप्रार्थीगण पर शास्ती रूपये ..... अक्षरे रूपये ..... की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि **न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर** के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक ..... के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।

6. निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

क्रमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2018/ **दिनांक :–**

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं सवास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 113 / 2017 आर सी एम एसः 2017 / 00088

प्रार्थी **बनाम** **अप्रार्थी**

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जोधपुर।

1. श्री मुकेश सिंह पुत्र श्री नन्दलाल सिंह, फर्म :–M/s Variety Pantry Services Pvt. Ltd.(Licensee), Vishakhapatnam- BGKT Exp. Train No 18575- 18574, Pantry Car. मित्रकुटी–ए–33 चन्दर विहार आई पी एक्सटेंशन, पटपर गंज दिल्ली
2. श्री राजेश गुप्ता (प्रोपराइटर), फर्म :–M/s Variety Pantry Services Pvt. Ltd.4503 Shahid Bhagat Singh Gali Pahaganj (Sora Kothi) New Delhi- 110095
3. श्री वेंकटेशवर नाथ पुत्र श्री सेवाराम (नोमिनी) नेहरू नगर दिवियापुर, ककराही औरईया, उत्तर प्रदेश 206244।
4. राजेन्द्र जेठानी 82 जसवंत सराय के सामने, मैसर्स लक्ष्मी प्रोविजन एण्ड जनरल स्टोर, स्टेशन रोड, जोधपुर 324001
5. दिप्ती रंगवानी पत्नी राजेश रंगवानी (डिस्ट्रीब्यूटर) मैसर्स आलमचंद, ताराचंद प्लॉट संख्या 11, शहीद राजाराम ब्लॉक मण्डोर मण्डी जोधपुर।
6. राजेश पुत्र श्री स्व. आलमचंद (मेन्यूफेक्चर) मै. राजदीप प्रोडक्ट्स, 477 श्यामनगर देवनगर, राजीवगांधी कॉलोनी जोधपुर।
7. M/s Variety Pantry Services Pvt. Ltd.4503 Shahid Bhagat Singh Gali Pahaganj (Sora Kothi) New Delhi- 110095

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 28.05.2016 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जओधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी श्री मुकेश सिंह पुत्र श्री नन्दलाल सिंह, मेनेजर कम वेंडर ऑफ फर्म :–M/s Variety Pantry Services Pvt. Ltd.(Licensee), Vishakhapatnam- BGKT Exp. Train No 18575- 18574, Pantry Car के नाम से आबंटित है M/s Variety Pantry Services Pvt. Ltd.(Licensee), Vishakhapatnam- BGKT Exp. Train No 18575- 18574, Pantry Car (FBO),-- श्री मुकेश मैनेजर कम वेंडर के रूप में कार्यरत थे।यात्रियों के लिए चाय, बिस्कुट, बेसन से निर्मित पकौडे नमकीन आदि बना कर विक्रय कर रहे थे खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपनो परिचय देकर अपना परिचय पत्र दिखाया और उक्त Pantry Car Visakhapatnam-BGKT Exp. Train No. 18575-18574 Pantry car प्लेटफार्म संख्या 1 रेलवे स्टेशन भगत की कोठी पर खडी थी उस पर पेक्ड बेसन (गोल्ड बेसन) एवं पेक्ड बेसन (गोल्ड बेसन) में से पकौडे बना कर विक्रय हेतु रखा हुआ पाया गया एवं विक्रय किया जा रहा था। उक्त बेसन के वास्ते जांच मिलावट / अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 360 / – खरीदे तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. विक्रेता व गवाह के सामने खरीदशुदा पेक्ड बेसन (गोल्ड बेसन) के 1–1 किलोग्राम के 4 नमूना पैकेटों पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड व सीरियल नम्बर एन डब्ल्यू आर –255 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर

पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एम–1507 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाईल करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।

4. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। अप्रार्थीगण ने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया एवं बताया कि अप्रार्थी रसोई तडका पर पनीर का निर्माण नहीं करता है।
5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट क्रमांक 646 दिनांक 24.05.2017 का अवलोकन किया तथा अप्रार्थीगण को सुना गया। मनन के पश्चात् पाया कि अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थी यदि रिपोर्ट दिनांक 24.05.2017 से सन्तुष्ट न था तो उनके पास रेफरल लेब जाने का अवसन था, परन्तु उन्होने निर्धारित समय में अपील पेश न की । ऐसी स्थिति में अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थीगण पर शास्ती रूपये ..... अक्षरे रूपये ..... की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि **न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर** के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक ..... के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।
6. निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

क्रमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2018/ **दिनांक :–**

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं सवास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।
02. श्री रेवत सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं सवास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।
03. श्री महेन्द्र सिंह पुत्र श्री स्वरूप सिंह ईन्दा, फर्म :– मै.रसोई तडका (युनिट ऑफ गणेश असोसिएट), दुकान नं. 14 गीतांजली स्कूल के पास, मण्डोर रोड, महामंदिर, जोधपुर।
04. श्रीमती सीमा चौहान पुत्र श्री नवरतन चौहान, फर्म :– मै.रसोई तडका (युनिट ऑफ गणेश असोसिएट), दुकान नं. 14 गीतांजली स्कूल के पास, मण्डोर रोड, महामंदिर, जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 88 / 2017 — आर सी एम एसः 2017 / 00097

प्रार्थी — **बनाम** — **अप्रार्थी**

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जोधपुर।

1. श्री महेन्द्र सिंह पुत्र श्री स्वरूप सिंह ईन्दा, फर्म :– मै.रसोई तडका (युनिट ऑफ गणेश असोसिएट), दुकान नं. 14 गीतांजली स्कूल के पास, मण्डोर रोड, महामंदिर, जोधपुर।
2. श्रीमती सीमा चौहान पुत्र श्री नवरतन चौहान, फर्म :– मै.रसोई तडका (युनिट ऑफ गणेश असोसिएट), दुकान नं. 14 गीतांजली स्कूल के पास, मण्डोर रोड, महामंदिर, जोधपुर।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 10.05.2017 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी मै.रसोई तडका (युनिट ऑफ गणेश असोसिएट), दुकान नं. 14 गीतांजली स्कूल के पास, मण्डोर रोड, महामंदिर, जोधपुर पहुँचा वहां रसोईघर में चीनी की बाउल में लगभग 2 किलो खाद्य पदार्थ पनीर पडा था, उक्त पनीर से सब्जियां, कटलेट्स पनीर पकौडे एवं अन्य खाद्य पदार्थ आम जनता हेतु वास्ते विक्रय हेतु था। उक्त उपलब्ध पनीर में से 1 किलो के वास्ते जांच मिलावट / अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 240 / – खरीदे तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. विक्रेता व गवाह के सामने खरीदशुदा पनीर 1 किलोग्राम को एक साफ सूखी स्टील की ट्रे में तुलवाकर, अच्छी तरह से हिला मिला कर एक रूप कर चार बराबर भागों में कर चार साफ सूखी व खाली शीशियों में 250 ग्राम प्रति नमूना डालकर प्रत्येक में 20 बूंदे फॉर्मेलिंग की डाली व अच्छी तरह से हिलाया एवं एयर टाइट बंद किया। इन चारों नमूनों पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड व सीरियल नम्बर एम–1507 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एम–1507 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एम–1507 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाफा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि उक्त चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एम–1507 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस 462 / एक्ट / 2017 / 646 दिनांक 24.05.2017 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ अमानक स्तर का होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद

रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एम–1373 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाईल करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।

4. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। अप्रार्थीगण ने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी संख्या 2 रामेश्वर अग्रवाल का निधन हो गया है। मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न है। अप्रार्थी सं 1 ने चांदी का वर्क शिवा ब्राण्ड का क्रय विक्रय बिल से किया है अतः उनका कोई दोष नहीं है तथा अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से जवाब में बताया कि चांदी के वर्क की लेबोरेटरी रिपोर्ट के अनुसार रिजल्ट 99.9 प्रतिशत की की बजाय 99.12 प्रतिशत आया है जो नगण्य है एवं एकप्रतिशत से भी कम है जिसका कारण जांच में तकनीकी कमी से हो सकता है अतः मामला खारिज फरमाया जाए।

5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट क्रमांक 41 दिनांक 30.01.2017 का अवलोकन किया तथा अप्रार्थीगण को सुना गया। मनन के पश्चात् पाया कि अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थी यदि रिपोर्ट दिनांक 20.07.2016 से सन्तुष्ट न था तो उनके पास रेफरल लेब जाने का अवसन था, परन्तु उन्होने निर्धारित समय में अपील पेश न की । ऐसी स्थिति में अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थी 3 पर शास्ती रूपये ..... अक्षरे रूपये ..... की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि **न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर** के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक ..... के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।

6. निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

क्रमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2018/ **दिनांक :–**

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं सवास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।
02. श्री संदीप अग्रवाल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं सवास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।
03. रामविलास अग्रवाल पुत्र श्री रामेश्वर अग्रवाल, फर्म :– मै.रामजीवन रामेश्वर, मिरची बाजार, जोधपुर।
04. श्री रामेश्वर अग्रवाल पुत्र श्री रामजीवन अग्रवाल, फर्म :– मै. रामजीवन रामेश्वर मिरची बजार जोधपुर।
05. श्रीमती जसविन्दर कौर पत्नी श्री अरविन्दर सिंह अरोड़ा, M/s Shiva Trading Company, 580, Ist floor Katra Ishwar Bhawan, Khari Baoli, Kotwali, Central Delhi, Pin: 110006.

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 122/2017 — आर सी एम एसः 2017/00116

प्रार्थी — **बनाम** — **अप्रार्थी**

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जोधपुर।

1. रामविलास अग्रवाल पुत्र श्री रामेश्वर अग्रवाल, फर्म :– मै.रामजीवन रामेश्वर, मिरची बाजार, जोधपुर।
2. श्री रामेश्वर अग्रवाल पुत्र श्री रामजीवन अग्रवाल, फर्म :– मै. रामजीवन रामेश्वर मिरची बजार जोधपुर।
3. श्रीमती जसविन्दर कौर पत्नी श्री अरविन्दर सिंह अरोड़ा, M/s Shiva Trading Company, 580, I[st] floor Katra Ishwar Bhawan, Khari Baoli, Kotwali, Central Delhi, Pin: 110006

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 18.01.2017 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी मै. रामजीवन रामेश्वर, मिरची बाजार, जोधपुर पहुँचा वहां लकडी की रेक में चांदी के वर्क (शिवा ब्राण्ड) के 70 पाउच, प्रत्येक में 150 शीट आम जनता हेतु वास्ते विक्रय हेतु था। उक्त उपलब्ध चांदी के वर्क (शिवा ब्राण्ड) के वास्ते जांच मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 1818/– नगद देकर 4 पैकेट्स खरीदे तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. विक्रेता व गवाह के सामने खरीदशुदा चांदी के वर्क (शिवा ब्राण्ड) चार पाउच, प्रत्येक में 150 शीट पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड व सीरियल नम्बर एम–1373 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एम–1373 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एम–1373 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाफा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि उक्त चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एम–1373 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस 45/एक्ट/2016/41 दिनांक 30.01.2017 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ अमानक स्तर का होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा

रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एम–1362 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाई करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।

4. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। अप्रार्थीगण 1 से 3 तक का जवाब वकील अप्रार्थी द्वारा जवाब में लिखे तथ्यों को दोहराते हुए परिवाद खारिज करने हेतु निवेदन किया तथा अप्रार्थी संख्या 1 के वकील ने माल बिल से क्रय विक्रय करना बताया तथा अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के वकील ने कम मार्जिन से सत्तु में प्रोटीन की मात्रा के कारण सबस्टेण्डर्ड होना बताया।

5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट क्रमांक 36 दिनांक 24.01.2017 का अवलोकन किया । मनन के पश्चात पाया कि अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थी यदि रिपोर्ट दिनांक 24.01.2017 से सन्तुष्ट न था तो उनके पास रेफरल लेब जाने का अवसर था, परन्तु उन्होने निर्धारित समय में अपील पेश न की । ऐसी स्थिति में अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थी संख्या 1 पर शास्ती रूपये ..... अक्षरे रूपये ..... की आरोपित की जाती हैं तथा अप्रार्थी संख्या 2 व 3 पर शास्ती रूपये ..... अक्षरे रूपये ..... की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक ..... के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।
निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

क्रमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2017/ **दिनांक :–**

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

06. अभिहित अधिकारी एवं संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, जोधपुर।
07. श्री रजनीश शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं सवास्थ्य अधिकारी,जोधपुर।
08. श्री दुर्गाराम सीरवी पुत्र श्री वजाराम सीरवी, फर्म :– मै. न्यू दुर्गा किराणा स्टोर, 2/1318, कुडी भगतासनी हाऊसिंग बोर्ड, जोधपुर। निवासीः 2/1318, कुडी भगतासनी हाऊसिंग बोर्ड, जोधपुर।
09. श्रीमती अनु डागा पत्नी श्री राजेन्द्र कुमार डागा, फर्म :– मै. रिद्धी सिद्धी (बीकानेर वाला) , 15 वीरसावरकर, मुख्य मण्डी मण्डोर रोड, जोधपुर। निवासीः 22, दाउ की ढाणी, कमला नेहरू नगर, जोधपुर।
10. श्रीमती सविता देवी करनानी, फर्म :– मै. मरूधरी फूड प्रोडक्टस, एफ 202, इण्डस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर, खारा बीकानेर। निवासीः 5 सी सार्दुलगंज, मूमल होटल के सामने, बीकानेर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 88 / 2017 — आर सी एम एसः 2017 / 00097

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जोधपुर।		1. श्री दुर्गाराम सीरवी पुत्र श्री वजाराम सीरवी, फर्म :– मै. न्यू दुर्गा किराणा स्टोर, 2 / 1318, कुडी भगतासनी हाऊसिंग बोर्ड, जोधपुर। निवासीः 2 / 1318, कुडी भगतासनी हाऊसिंग बोर्ड, जोधपुर। 2. श्रीमती अनु डागा पत्नी श्री राजेन्द्र कुमार डागा, फर्म :– मै. रिद्धी सिद्धी (बीकानेर वाला) , 15 वीरसावरकर, मुख्य मण्डी मण्डोर रोड, जोधपुर। निवासीः 22, दाउ की ढाणी, कमला नेहरू नगर, जोधपुर।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 12.01.2017 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी मै. न्यू दुर्गा किराणा स्टोर, 2 / 1318, कुडी भगतासनी हाऊसिंग बोर्ड, जोधपुर पहुँचा वहां चने का सत्तू (मिनाक्षी प्रिमियम) 200 ग्राम के 7 पैकेट्स आम जनता हेतु वास्ते विक्रय हेतु था। उक्त उपलब्ध चने का सत्तू (मिनाक्षी प्रिमियम) 200 ग्राम के 7 पैकेट्स के वास्ते जांच मिलावट / अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 300 / – नगद देकर खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. विक्रेता व गवाह के सामने खरीदशुदा चने का सत्तू (मिनाक्षी प्रिमियम) को मूल ही चार गत्ते के डिब्बों मे दो–दो पैकेट्स तीन डब्बों में व एक पैकेट एक डब्बे में डाल कर बंद कर विक्रेत व गवाह के सामने इन पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड व सीरियल नम्बर एम–1362 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एम–1362 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एम–1362 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाबा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एम–1362 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस 27 / एक्ट / 2017 / 36 दिनांक 24.01.2017 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ अमानक स्तर का होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा

4. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। जवाब हेतु अवसर दिये गये। जवाब बंद किया गया। बहस हेतु आवाज लगायी गयी अप्रार्थीगण स्वयं या उनकी ओर से अधिवक्ता अुनपस्थित ऐसी स्थिति में एक पक्षीय आदेश करना उचित समझती हूं।
5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट क्रमांक 921 दिनांक 20.07.2016 का अवलोकन किया । मनन के पश्चात पाया कि अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 52 का दोषी हैं। अप्रार्थी यदि रिपोर्ट दिनांक 20.07.2016 से सन्तुष्ट न था तो उनके पास रेफरल लेब जाने का अवसन था, परन्तु उन्होने निर्धारित समय में अपील पेश न की । ऐसी स्थिति में अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 52 का दोषी हैं। अप्रार्थीगण पर शास्ती रूपये ..... अक्षरे रूपये ..... की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि **न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर** के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक ..... के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।
6. निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

क्रमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2018/ **दिनांक :–**

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

05. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं सवास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।
06. श्री संदीप अग्रवाल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं सवास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।
07. रामप्रकाश माहेश्वरी पुत्र श्री जसराज माहेश्वरी, फर्म :– मै. माहेश्वरी किराणा स्टोर, मैन रोड, माता का थान, मगरा पूंजला, वार्ड 62, जोधपुर।
08. श्री रवि जाजू पुत्र श्री कमलेश जाजू, फर्म :–श्री गजानंद ट्रेडर्स, सी 1–5, मुख्य कृषि मण्डी, मण्डोर रोड, जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 120/2017 आर सी एम एसः 2017/00114

प्रार्थी **बनाम** **अप्रार्थी**

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जोधपुर।

1.बलवंत देवड़ा पुत्र श्री मनोहर सिंह देवड़ा,
फर्म :– मै. गणपति उद्योग, जी–132, एग्रो फूड पार्क, इण्डस्ट्रीयल एरिया, बोरानाडा, जोधपुर।
2.श्री मनोहर सिंह देवड़ा,
फर्म :– मै. गणपति उद्योग, जी–132, एग्रो फूड पार्क, इण्डस्ट्रीयल एरिया, बोरानाडा, जोधपुर।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 11.07.2016 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी मै. माहेश्वरी किराणा स्टोर, मैन रोड, माता का थान, मगरा पूंजला, वार्ड 62, जोधपुर पहुँचा वहां रिफाईन्ड आयोडाइज्ड साल्ट (महाकोष) 1 किलोग्राम के 20 पैकेट्स आम जनता हेतु वास्ते विक्रय हेतु था। उक्त उपलब्ध रिफाईन्ड आयोडाइज्ड साल्ट (महाकोष) के वास्ते जांच मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 40/– नगद देकर 4 पैकेट्स खरीदे तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. विक्रेता व गवाह के सामने खरीदशुदा रिफाईन्ड आयोडाइज्ड साल्ट (महाकोष) 1 किलोग्राम के चार पैकेटस पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड व सीरियल नम्बर एम–1154 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एम–1154 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एम–1154 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाबा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि उक्त चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एम–1154 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस 882/एक्ट/2016/921 दिनांक 20.07.2016 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ अमानक स्तर का होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एम–1154 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाई करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।

4. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। जवाब हेतु अवसर दिये गये। जवाब बंद किया गया। बहस हेतु आवाज लगायी गयी अप्रार्थीगण स्वयं या उनकी ओर से अधिवक्ता अुनपस्थित ऐसी स्थिति में एक पक्षीय आदेश करना उचित समझती हूं।
5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला के प्रमाणपत्र क्रमांक 488F/2FSSA/2016 दिनांक 06.02.2017 का अवलोकन किया । मनन के पश्चात पाया कि अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थीगण पर शास्ती रूपये ..... अक्षरे रूपये ..... की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि **न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर** के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक ..... के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।
6. निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

क्रमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2018/ **दिनांक :–**

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01. कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जोन जोधपुर।
02. श्री राजेश टिंकर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जोन जोधपुर।
03. गणपत भाटी पुत्र श्री भीखाराम भाटी, फर्म :– मै. बी मार्ट डिपार्टमेंटल स्टोर, मैन रोड, रामजान जी का हत्था, देना बैंक के पास, बनाड रोड़, जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 57 / 2017 — आर सी एम एसः 2017 / 00050

प्रार्थी	**बनाम**	**अप्रार्थी**
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जोधपुर।		1.गणपत भाटी पुत्र श्री भीखाराम भाटी, फर्म :– मै. बी मार्ट डिपार्टमेंटल स्टोर, मैन रोड, रामजान जी का हत्था, देना बैंक के पास, बनाड रोड़, जोधपुर।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 11.07.2016 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी मै. बी मार्ट डिपार्टमेंटल स्टोर, मैन रोड, रामजान जी का हत्था, देना बैंक के पास, बनाड रोड़, जोधपुर पहुँचा वहां खाद्य पदार्थ घी (विराट) 500 ग्राम के 10 पैकेट्स लकडी की एक रेक में आम जनता हेतु वास्ते विक्रय हेतु था। उक्त उपलब्ध खाद्य पदार्थ घी (विराट) के वास्ते जांच मिलावट / अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 480 / – नगद देकर 4 पैकेट्स (प्रत्येक 500 ग्राम भर्ती) खरीदे तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. विक्रेता व गवाह के सामने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ घी (विराट) 500 ग्राम के चारों पैकेटस पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड व सीरियल नम्बर एडी–422 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एडी–422 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एडी–422 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाफा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि उक्त चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एडी–422 की जाँच कर निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला, मैसूर ने अपनी जाँच रिपोर्ट सर्टिफिकेट संख्या 488F/2FSSA/2016 दिनांक 06.02.2017 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ अमानक स्तर का होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एडी–422 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाईल करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।

4. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। जवाब हेतु अवसर दिये गये। जवाब बंद किया गया। बहस हेतु आवाज लगायी गयी अप्रार्थीगण स्वयं या उनकी ओर से अधिवक्ता अुनपस्थित ऐसी स्थिति में एक पक्षीय आदेश करना उचित समझती हूं।
5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट क्रमांक 921 दिनांक 20.07.2016 का अवलोकन किया । मनन के पश्चात पाया कि अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 52 का दोषी हैं। अप्रार्थी यदि रिपोर्ट दिनांक 20.07.2016 से सन्तुष्ट न था तो उनके पास रेफरल लेब जाने का अवसन था, परन्तु उन्होने निर्धारित समय में अपील पेश न की । ऐसी स्थिति में अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 52 का दोषी हैं। अप्रार्थीगण पर शास्ती रूपये ..... अक्षरे रूपये ..... की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि **न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर** के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक ..... के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।
6. निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

क्रमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2018/ **दिनांक :–**

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं सवास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।
02. श्री संदीप अग्रवाल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं सवास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।
03. रामप्रकाश माहेश्वरी पुत्र श्री जसराज माहेश्वरी, फर्म :– मै. माहेश्वरी किराणा स्टोर, मैन रोड, माता का थान, मगरा पूंजला, वार्ड 62, जोधपुर।
04. श्री रवि जाजू पुत्र श्री कमलेश जाजू, फर्म :–श्री गजानंद ट्रेडर्स, सी 1–5, मुख्य कृषि मण्डी, मण्डोर रोड, जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर

याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 25/2017 आर सी एम एसः 2017/00023

प्रार्थी **बनाम** **अप्रार्थी**

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जोधपुर।

1.रामप्रकाश माहेश्वरी पुत्र श्री जसराज माहेश्वरी,
फर्म :– मै. माहेश्वरी किराणा स्टोर, मैन रोड,
माता का थान, मगरा पूंजला, वार्ड 62, जोधपुर।
2.श्री रवि जाजू पुत्र श्री कमलेश जाजू,
फर्म :–श्री गजानंद ट्रेडर्स, सी 1–5, मुख्य कृषि मण्डी
मण्डोर रोड, जोधपुर।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 11.07.2016 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी मै. माहेश्वरी किराणा स्टोर, मैन रोड, माता का थान, मगरा पूंजला, वार्ड 62, जोधपुर पहुँचा वहां रिफाईन्ड आयोडाइज्ड साल्ट (महाकोष) 1 किलोग्राम के 20 पैकेट्स आम जनता हेतु वास्ते विक्रय हेतु था। उक्त उपलब्ध रिफाईन्ड आयोडाइज्ड साल्ट (महाकोष) के वास्ते जांच मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 40/– नगद देकर 4 पैकेट्स खरीदे तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. विक्रेता व गवाह के सामने खरीदशुदा रिफाईन्ड आयोडाइज्ड साल्ट (महाकोष) 1 किलोग्राम के चार पैकेटस पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड व सीरियल नम्बर एम–1154 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एम–1154 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एम–1154 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाबा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि उक्त चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एम–1154 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस 882/एक्ट/2016/921 दिनांक 20.07.2016 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ अमानक स्तर का होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एम–1154 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाई करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।

दिनांक 07.09.2016 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ अमानक स्तर का होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एम–1206 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाई करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।

4. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। अप्रार्थी ने बावजूद जवाब पेश अवसर देने के उपरांत भी बहस नहीं की। बहस हेतु भी अवसर दिये गये एवं गत पेशी पर यह आदेश दिये गये थे कि आयिन्दा बहस नहीं करने पर एकपक्षीय आदेश पारित किये जायेंगे। वकील अप्रार्थीगण को आवाज लगायी गयी। नही अप्रार्थीगण स्वयं व अधिवक्ता उपस्थित । ऐसी स्थिति में एक पक्षीय आदेश करना उचित समझती हूं।
5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट क्रमांक 1086 दिनांक 07.09.2016 का अवलोकन किया । मनन के पश्चात पाया कि अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थी यदि रिपोर्ट दिनांक 07.09.2016 से सन्तुष्ट न था तो उनके पास रेफरल लेब जाने का अवसन था, परन्तु उन्होने निर्धारित समय में अपील पेश न की । ऐसी स्थिति में अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थीगण संख्या 1 पर शास्ती रूपये ..... अक्षरे रूपये ..... की आरोपित की जाती हैं तथा अप्रार्थीगण संख्या 2 से 4 पर शास्ती रूपये ..... अक्षरे रूपये ..... की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि **न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर** के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक ..... के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।
6. निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

क्रमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2017/ **दिनांक :–**

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं सवास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।
02. श्री रेवत सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं सवास्थ्य अधिकारी,जोधपुर।
03. पुष्पचंद जैन पुत्र श्री घेवरचंद जैन, मै. पुष्पचंद एण्ड कम्पनी, कटला बजार, पोल के पास, जोधपुर।
04. शरद जे. सेजपाल, फर्म :– Jamsons Industries, Plot No C-229, T.T.C. Turbhe, Maphe Road, Near Indira Nagar, M.I.D.C., Rurbhe, Navi Mumbai-400705
05. श्रीमती पूर्णिमा एस. सेजपाल, फर्म :– Jamsons Industries, Plot No C-229, T.T.C. Turbhe, Maphe Road, Near Indira Nagar, M.I.D.C., Rurbhe, Navi Mumbai-400705
06. फर्म :– Jamsons Industries, Plot No C-229, T.T.C. Turbhe, Maphe Road, Near Indira Nagar, M.I.D.C., Rurbhe, Navi Mumbai-400705

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 51 / 2017 — आर सी एम एसः 2017 / 00098

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जोधपुर।		1.पुष्पचंद जैन पुत्र श्री घेवरचंद जैन, फर्म :– मै. पुष्पचंद एण्ड कम्पनी, कटला बजार पोल के पास, जोधपुर। 2.शरद जे. सेजपाल फर्म :– Jamsons Industries, Plot No C-229, T.T.C. Turbhe, Maphe Road, Near Indira Nagar, M.I.D.C., Rurbhe, Navi Mumbai-400705. 3.श्रीमती पूर्णिमा एस. सेजपाल फर्म :– Jamsons Industries, Plot No C-229, T.T.C. Turbhe, Maphe Road, Near Indira Nagar, M.I.D.C., Rurbhe, Navi Mumbai-400705. 4.फर्म :– Jamsons Industries, Plot No C-229, T.T.C. Turbhe, Maphe Road, Near Indira Nagar, M.I.D.C., Rurbhe, Navi Mumbai-400705.

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 11.08.2016 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी मै. पुष्पचंद एण्ड कम्पनी, कटला बजार, पोल के पास जोधपुर पहुँचा वहां सिन्थेटिक फूड कलर प्रिपरेशन ऑरेन्ज रेड (Fowl Brand) 100 ग्राम के 50 टीन पैक आम जनता हेतु वास्ते विक्रय हेतु था। उक्त उपलब्ध सिन्थेटिक फूड कलर प्रिपरेशन ऑरेन्ज रेड (Fowl Brand) के वास्ते जांच मिलावट / अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 148 / – नगद देकर 4 टीन खरीदे तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. विक्रेता व गवाह के सामने खरीदशुदा सिन्थेटिक फूड कलर प्रिपरेशन ऑरेन्ज रेड (Fowl Brand) 100 ग्राम के चार टिन पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड व सीरियल नम्बर एम–1206 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एम–1206 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एम–1206 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाबा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एम–1206 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस 882 / एक्ट / 2016 / 1086

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 118 / 2017 आर सी एम एसः 2017 / 00112

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जोधपुर।		1. श्री विशाल भवनानी पुत्र श्री विजय भवनानी, फर्म :– मै. होटल मारवाड एक्सीलेंसी, 242 बरकतुल्ला खां स्टेडियम के सामने पालरोड, जोधपुर। निवासीः 655, 12वीं सी रोड, सरदारपुरा जोधपुर। 2. श्रीमती वीना भवनानी पत्नी श्री प्रकाश भवनानी, फर्म :– मै. होटल मारवाड एक्सीलेंसी, 242 बरकतुल्ला खां स्टेडियम के सामने पालरोड, जोधपुर। निवासीः 655, 12वीं सी रोड, सरदारपुरा जोधपुर। 3. श्रीमती मंजू भवनानी पत्नी श्री दीपक भवनानी, फर्म :– मै. होटल मारवाड एक्सीलेंसी, 242 बरकतुल्ला खां स्टेडियम के सामने पालरोड, जोधपुर। निवासीः 655, 12वीं सी रोड, सरदारपुरा जोधपुर। 4. फर्म :– मै. होटल मारवाड एक्सीलेंसी, 242 बरकतुल्ला खां स्टेडियम के सामने पालरोड, जोधपुर।

संशोधित आदेश

इस न्यायालय के आदेश क्रमांक 2560–2565 दिनांक 14.12.2017 में सेवन से पेरा संख्या 01 मै. लक्ष्मी जोधपुर स्वीट कॉर्नर, भास्कर चौराहा, रातानाडा, जोधपुर के स्थान पर **मै. होटल मारवाड एक्सीलेंसी, 242 बरकतुल्ला खां स्टेडियम के सामने, पालरोड, जोधपुर** पढा जावे।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

क्रमांकः– न्यायिक / कोर्ट / 2017 / **दिनांक :–**

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं सवास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।
02. श्री संदीप अग्रवाल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं सवास्थ्य अधिकारी,जोधपुर।
03. श्री विशाल भवनानी पुत्र श्री विजय भवनानी, फर्म :– मै. होटल मारवाड एक्सीलेंसी, 242 बरकतुल्ला खां स्टेडियम के सामने पालरोड, जोधपुर। निवासीः 655, 12वीं सी रोड, सरदारपुरा जोधपुर।
04. श्रीमती वीना भवनानी पत्नी श्री प्रकाश भवनानी, फर्म :– मै. होटल मारवाड एक्सीलेंसी, 242 बरकतुल्ला खां स्टेडियम के सामने पालरोड, जोधपुर। निवासीः 655, 12वीं सी रोड, सरदारपुरा जोधपुर।
05. श्रीमती मंजू भवनानी पत्नी श्री दीपक भवनानी, फर्म :– मै. होटल मारवाड एक्सीलेंसी, 242 बरकतुल्ला खां स्टेडियम के सामने पालरोड, जोधपुर। निवासीः 655, 12वीं सी रोड, सरदारपुरा जोधपुर।
06. फर्म :– मै. होटल मारवाड एक्सीलेंसी, 242 बरकतुल्ला खां स्टेडियम के सामने पालरोड, जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 85 / 2017 — आर सी एम एसः 2017 / 00102

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जोधपुर।		1. श्री जीवन सिंह पुत्र श्री लक्षमण सिंह, फर्म :– मै. रतन विलास, शक्ति कॉलोनी, लोकोशेड रोड, रातानाडा, जोधपुर। निवासीः ग्राम जमतड़, पोस्टः जोरासी तह. डिडिहाट, पिथौरागढ, देहरादून, उत्तराखण्ड।

संशोधित आदेश

इस न्यायालय के आदेश क्रमांक 2476–2478 दिनांक 04.12.2017 में सेवन से पेरा संख्या 01 में दही के स्थान पर **रिफाइंड सोयाबीन तेल (खुला)** पढा जावे, पेरा संख्या 02 में एक किलोग्राम दही अंकित हो गया जिसके स्थान पर **रिफाइंड सोयाबीन तेल (खुला)** 1600 ग्राम पढा जावे तथा इसी आदेश में पेरा संख्या 03 में काजू टुकडी के स्थान पर **रिफाइंड सोयाबीन तेल (खुला)** पढा जावे।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

क्रमांकः– न्यायिक / कोर्ट / 2017 / **दिनांक :–**

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01. अभिहित अधिकारी एवं संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, जोधपुर।
02. श्री रेवत सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।
03. श्री जीवन सिंह पुत्र श्री लक्षमण सिंह, फर्म :– मै. रतन विलास, शक्ति कॉलोनी, लोकोशेड रोड, रातानाडा, जोधपुर। निवासीः ग्राम जमतड़, पोस्टः जोरासी तह. डिडिहाट, पिथौरागढ, देहरादून, उत्तराखण्ड।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर

रसीद पेश की जिसमें कमला देवी एंव 421 प्रथम सीरोड सरदारपुरा जोधपुर अंकित है जो सही पता है। बहस पुनःसुनि गई जिसमें अप्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा दिये गये तर्क की सही पतेपर नोटिस नहीं भेजा गया, सही प्रतीत नहीं होता है।

5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट क्रमांक 1368 दिनांक 18.11.2016 का अवलोकन किया । मनन के पश्चात पाया कि अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51, 52 का दोषी हैं। अप्रार्थी यदि रिपोर्ट दिनांक 18.11.2016 से सन्तुष्ट न था तो उनके पास रेफरल लेब जाने का अवसन था, परन्तु उन्होने निर्धारित समय में अपील पेश न की । ऐसी स्थिति में अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51, 52 का दोषी हैं। अप्रार्थीगण पर शास्ती रूपये ..... अक्षरे रूपये ..... की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक ..... के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।
6. निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

क्रमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2017/ **दिनांक :–**

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01. कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जोन जोधपुर।
02. श्री राजेश टिंकर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जोन जोधपुर।
03. श्रीमती कमला देवी पत्नी स्व श्री भैरूलाल सिंघवी, फर्म :– मै. धनलक्ष्मी ड्राईफ्रूट्स, 421 ए, प्रथम सी रोड, सरदापुरा, जोधपुर। निवासीः सिटी पुलिस के सामने, जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 52 / 2017 — आर सी एम एसः 2017 / 00045

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जोधपुर।		1. श्रीमती कमला देवी पत्नि स्व श्री भैरूलाल सिंघवी, फर्म :– मै. धनलक्ष्मी ड्राईफ्रूट्स, 421 ए, प्रथम सी रोड, सरदापुरा, जोधपुर। निवासीः सिटी पुलिस के सामने, जोधपुर।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 26.10.2016 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जोन जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी मै. धनलक्ष्मी ड्राईफ्रूट्स, 421 ए, प्रथम सी रोड, सरदापुरा, जोधपुर पहुँचा वहां एक लकडी की रेक में 50 पैक्ड सील्ड पाउच किशमिश (डी. एल.) (प्रत्येक 250 ग्राम) के पॉलीपैक पैकेट आम जनता हेतु वास्ते विक्रय हेतु था। उक्त उपलब्ध सील्ड पाउच किशमिश (डी.एल.) के 4 पैकेट प्रत्येक 250ग्राम वजनी, वास्ते जांच मिलावट / अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 200 / – नगद देकर खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. विक्रेता व गवाह के सामने खरीदशुदा एक ही बैच व निर्माण तिथी के किशमिश (डी.एल.) 250 ग्राम के चार पॉलीपेक पैकेटस इन चारों मूल बोटल्स पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड व सीरियल नम्बर एडी–490 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एडी–490 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एडी–490 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाबा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एडी–490 की जॉच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जॉच रिपोर्ट एलएस 1335 / एक्ट / 2016 / 1368 दिनांक 18.11.2016 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ अमानक स्तर का होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एडी–490 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाई करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।
4. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। वकील अप्रार्थी से बहस सुनी गई। बहस के दौरान उन्होनें पत्र दिनांक 06.12.2016 में मै. धनलक्ष्मी की बजाय चगनलक्ष्मी के पते से रजिस्टर्ड नोटिस भेजना बताया जो गलत था। एफएसओ को तलब किया गया गया। एफएसओ ने 08.12.2017 को उक्त पत्र की डाक द्वार भेजी गई रजिस्टर्ड की

उल्लेख नहीं है। रिपोर्ट में किसी भी रूल रेग्यूलेशन का हवाला नहीं दिया गया है, इस कारण यह रिपोर्ट कानूनन सही नहीं है। इस आधार पर अप्रार्थी को दोषी करार नहीं दिया जा सकता है।

5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट क्रमांक 1369 दिनांक 18.11.2016 का अवलोकन किया। वकील अप्रार्थी की बहस सुनि गई। एफएसओ को सुना गया। मनन के पश्चात पाया कि अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थी यदि रिपोर्ट दिनांक 18.11.2016 से सन्तुष्ट न था तो उनके पास रेफरल लेब जाने का अवसन था, परन्तु उन्होने निर्धारित समय में अपील पेश न की । ऐसी स्थिति में अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थीगण पर शास्ती रूपये ..... अक्षरे रूपये ..... की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर **(ADJUDICATING OFFICER AND ADM CITY, JODHPUR)** के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक ..... के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।
6. निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

क्रमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2017/ **दिनांक :–**

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01. अभिहित अधिकारी एवं संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, जोधपुर।
02. श्री संदीप अग्रवाल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं सवास्थ्य अधिकारी,जोधपुर।
03. श्रीमती कमला देवी पत्नी स्व श्री भैरूलाल सिंघवी, फर्म :– मै. धनलक्ष्मी ड्राईफ्रूट्स, 421 ए, प्रथम सी रोड, सरदापुरा, जोधपुर। निवासीः सिटी पुलिस के सामने, जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 24 / 2017 — आर सी एम एसः 2017 / 00022

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जोधपुर।		1. श्रीमती कमला देवी पत्नि स्व श्री भैरूलाल सिंघवी, फर्म :– मै. धनलक्ष्मी ड्राईफ्रूट्स, 421 ए, प्रथम सी रोड, सरदापुरा, जोधपुर। निवासीः सिटी पुलिस के सामने, जोधपुर।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 26.10.2016 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी मै. धनलक्ष्मी ड्राईफ्रूट्स, 421 ए, प्रथम सी रोड, सरदापुरा, जोधपुर पहुँचा वहां लगभग 4 किलोग्राम काजू टुकडी काउण्टर में आम जनता हेतु वास्ते विक्रय हेतु था। उक्त उपलब्ध काजू टुकडी के वास्ते जांच मिलावट / अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 800 / – नगद देकर 1 किलोग्राम काजू टुकडी खरीदी तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. विक्रेता व गवाह के सामने खरीदशुदा 1 किलोग्राम काजू टुकडी चार साफ व सूखी एवं खाली सेम्पल बोटल्स में बराबर बराबर (250 ग्राम) डालकर ढक्कन से एयर टाइट बंद किया गया। इन चारों मूल बोटल्स पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड व सीरियल नम्बर एम–1311 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एम–1311 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एम–1311 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाबा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एम–1311 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस 1337 / एक्ट / 2016 / 1369 दिनांक 18.11.2016 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ अमानक स्तर का होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एम–1311 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाई करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।
4. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। वकील अप्रार्थी उपस्थित। एफएसओ उपस्थित। पुनः बहस सुनि गई। वकील अप्रार्थी ने जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी जोधपुर ने जांच में Damaged/ Discoloured Units (m/m) 3.64%, Acid of Extracted fat expressed as oleic acid 4.24% अधिक पाया गया, यह किस कारण अधिक पाया गया, सह अंकित नहीं है और यह किस कारण बढता है, उसका भी

रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एडी–460 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाई करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।

4. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। अप्रार्थी सख्या 1 व 2 ने जवाब पेश किया। बहस हेतु मौका दिया गया। दिनांक 27.11.2017 को अप्रार्थीगण उपस्थित एवं अपने जवाब को ही बहस माने जाने हेतु निवेदन किया गया। अप्रार्थी सं 01 ने Rechert Value कम होना उनकी गलती नहीं होने के सबंध में बताया क्योंकि उन्होने पैक घी खरीद कर उसी स्थिती में ही बेचना बताया है। अप्रार्थी सं 02 ने बताया कि घी की गुणवत्ता में केवल Rechert Value में मानक मापदण्ड के अनुसार अति सूक्ष्म अंतर पाया गया है जिसको मैं स्वीकार करता हूं। उक्त अंतर प्रयोगशाला में उपकरण व रसायन की वजह से हो सकता है। अब मैने प्रायोगशाला में नई तकनीक एवं स्वचलित उपकरण स्थापित कर दिया है। भविष्य में इस प्रकार की खामी/गलती नहीं होगी।

5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट क्रमांक 1074 दिनांक 09.07.2016 का अवलोकन किया । मनन के पश्चात पाया कि अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थी यदि रिपोर्ट दिनांक 09.07.2016 से सन्तुष्ट न था तो उनके पास रेफरल लेब जाने का अवसन था, परन्तु उन्होने निर्धारित समय में अपील पेश न की । ऐसी स्थिति में अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थी संख्या 01 पर शास्ती रूपये ..... अक्षरे रूपये ..... की आरोपित की जाती हैं व अप्रार्थी संख्या 02 पर

शास्ती रूपये ..... अक्षरे रूपये ..... की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक ..... के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

क्रमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2017/ **दिनांक :–**

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01. अभिहित अधिकारी एवं संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, जोधपुर।
02. श्री विजय कांत गौतम, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं सवास्थ्य अधिकारी,जोधपुर।
03. श्री ज्ञानचंद जैन पुत्र श्री मनोहर लाल, फर्म :– मै. मारवाड एग्रो फुडस, 8बी कृषि मण्डी, शहीद राजाराम ब्लॉक, मण्डोर रोड, जोधपुर। निवासीः प्लॉट सं 5 ए शक्ति नगर रोड न.1, पावटा सी रोड, जोधपुर।
04. श्री भागीरथ राम चौधरी पुत्र श्री धन्ना राम, फर्म :– मै. भागीरथ डेयरी, डिडवाना रोड, आसनपुरा, कुचामन सिटि, जिला नागौर। निवासीः गांव सरनोथ पदमपुरा, नागौर, राजस्थान।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 34 / 2017 — आर सी एम एसः 2017 / 00033

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जोधपुर।		1. श्री ज्ञानचंद जैन पुत्र श्री मनोहर लाल, फर्म :– मै. मारवाड एग्रो फुडस, 8बी कृषि मण्डी, शहीद राजाराम ब्लॉक, मण्डोर रोड, जोधपुर। निवासीः प्लॉट सं 5 ए शक्ति नगर रोड न.1 पावटा सी रोड, जोधपुर। 2. श्री भागीरथ राम चौधरी पुत्र श्री धन्ना राम, फर्म :– मै. भागीरथ डेयरी, डिडवाना रोड, आसनपुरा, कुचामन सिटि, जिला नागौर। निवासीः गांव सरनोथ पदमपुरा, नागौर, राजस्थान।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 12.01.2017 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी मै. मारवाड एग्रो फुडस, 8बी कृषि मण्डी, शहीद राजाराम ब्लॉक, मण्डोर रोड, जोधपुर पहुँचा वहां घी विनायक ब्राण्ड 1 लीटर 105 पैकेट्स आम जनता हेतु वास्ते विक्रय हेतु था। उक्त उपलब्ध घी विनायक ब्राण्ड के वास्ते जांच मिलावट / अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 1320 / – नगद देकर खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. विक्रेता व गवाह के सामने खरीदशुदा घी विनायक ब्राण्ड को मूल ही चार गत्ते के डिब्बों मे दो–दो पैकेट्स तीन डब्बों में व एक पैकेट एक डब्बे में डाल कर बंद कर विक्रेता व गवाह के सामने इन पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड व सीरियल नम्बर एडी–460 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एडी–460 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एडी–460 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाबा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एडी–460 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस 1023 / एक्ट / 2016 / 1074 दिनांक 09.07.2016 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ अमानक स्तर का होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा

विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एम–1362 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाई करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।

4. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। अप्रार्थीगण 1 से 3 तक का जवाब वकील अप्रार्थी द्वारा जवाब में लिखे तथ्यों को दोहराते हुए परिवाद खारिज करने हेतु निवेदन किया तथा अप्रार्थी संख्या 1 के वकील ने माल बिल से क्रय विक्रय करना बताया तथा अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के वकील ने कम मार्जिन से सत्तु में प्रोटीन की मात्रा के कारण सबस्टेण्डर्ड होना बताया।

5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट क्रमांक 36 दिनांक 24.01.2017 का अवलोकन किया । मनन के पश्चात पाया कि अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थी यदि रिपोर्ट दिनांक 24.01.2017 से सन्तुष्ट न था तो उनके पास रेफरल लेब जाने का अवसर था, परन्तु उन्होने निर्धारित समय में अपील पेश न की । ऐसी स्थिति में अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थी संख्या 1 पर शास्ती रूपये ..... अक्षरे रूपये ..... की आरोपित की जाती हैं तथा अप्रार्थी संख्या 2 व 3 पर शास्ती रूपये ..... अक्षरे रूपये ..... की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक ..... के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।
निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

क्रमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2017/ **दिनांक :–**

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01. अभिहित अधिकारी एवं संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, जोधपुर।
02. श्री रजनीश शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं सवास्थ्य अधिकारी,जोधपुर।
03. श्री दुर्गाराम सीरवी पुत्र श्री वजाराम सीरवी, फर्म :– मै. न्यू दुर्गा किराणा स्टोर, 2/1318, कुडी भगतासनी हाऊसिंग बोर्ड, जोधपुर। निवासीः 2/1318, कुडी भगतासनी हाऊसिंग बोर्ड, जोधपुर।
04. श्रीमती अनु डागा पत्नी श्री राजेन्द्र कुमार डागा, फर्म :– मै. रिद्धी सिद्धी (बीकानेर वाला) , 15 वीरसावरकर, मुख्य मण्डी मण्डोर रोड, जोधपुर। निवासीः 22, दाउ की ढाणी, कमला नेहरू नगर, जोधपुर।
05. श्रीमती सविता देवी करनानी, फर्म :– मै. मरूधरी फूड प्रोडक्टस, एफ 202, इण्डस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर, खारा बीकानेर। निवासीः 5 सी सार्दुलगंज, मूमल होटल के सामने, बीकानेर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 78 / 2017 — आर सी एम एसः 2017 / 00072

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जोधपुर।		1. श्री दुर्गाराम सीरवी पुत्र श्री वजाराम सीरवी, फर्म :– मै. न्यू दुर्गा किराणा स्टोर, 2 / 1318, कुडी भगतासनी हाऊसिंग बोर्ड, जोधपुर। निवासीः 2 / 1318, कुडी भगतासनी हाऊसिंग बोर्ड, जोधपुर। 2. श्रीमती अनु डागा पत्नी श्री राजेन्द्र कुमार डागा, फर्म :– मै. रिद्धी सिद्धी (बीकानेर वाला) , 15 वीरसावरकर, मुख्य मण्डी मण्डोर रोड, जोधपुर। निवासीः 22, दाउ की ढाणी, कमला नेहरू नगर, जोधपुर। 3. श्रीमती सविता देवी करनानी, फर्म :– मै. मरूधरी फूड प्रोडक्टस, एफ 202, इण्डस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर, खारा बीकानेर। निवासीः 5 सी सार्दुलगंज, मूमल होटल के सामने, बीकानेर।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 12.01.2017 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी मै. न्यू दुर्गा किराणा स्टोर, 2 / 1318, कुडी भगतासनी हाऊसिंग बोर्ड, जोधपुर पहुँचा वहां चने का सत्तू (मिनाक्षी प्रिमियम) 200 ग्राम के 7 पैकेट्स आम जनता हेतु वास्ते विक्रय हेतु था। उक्त उपलब्ध चने का सत्तू (मिनाक्षी प्रिमियम) 200 ग्राम के 7 पैकेट्स के वास्ते जांच मिलावट / अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 300 / – नगद देकर खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. विक्रेता व गवाह के सामने खरीदशुदा चने का सत्तू (मिनाक्षी प्रिमियम) को मूल ही चार गत्ते के डिब्बों मे दो–दो पैकेट्स तीन डब्बों में व एक पैकेट एक डब्बे में डाल कर बंद कर विक्रेत व गवाह के सामने इन पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड व सीरियल नम्बर एम–1362 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एम–1362 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एम–1362 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाबा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एम–1362 की जॉच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जॉच रिपोर्ट एलएस 27 / एक्ट / 2017 / 36 दिनांक 24.01.2017 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ अमानक स्तर का होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का

दिनांक 17.01.2017 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ अमानक स्तर का होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एम–1369 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाई करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।

4. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उन्होनें होटल में खाद्य पदार्थों एवं रेस्टोरेंट का संचालन 20.01.2017 को किया गया एवं उसी दिन हमें लाइसेंस प्राप्त हुआ था उससे पूर्व हमने रेस्टोरेंट को चालू नहीं किया था मात्र हमारे स्वयं अथवा स्टाफ के लिए चाय पानी नाश्ते हेतु संचालित था। इसकी जानकारी हमने एफ एस ओ को दी थी। इससे पूर्व रेस्टोरेंट में बनने वाला चाय पानी पकौडे इत्यादि बनाने हेतु रखा गया पनीर हमारे स्वयं के उपयोग हेतु था ना कि विक्रय हेतु। अतः मामला खारिज किया जावे।

5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट कमांक 16 दिनांक 17.01.2017 का अवलोकन किया । मनन के पश्चात पाया कि अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थी यदि रिपोर्ट दिनांक 17.01.2017 से सन्तुष्ट न था तो उनके पास रेफरल लेब जाने का अवसर था, परन्तु उन्होने निर्धारित समय में अपील पेश न की । ऐसी स्थिति में अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थीगण पर शास्ती रूपये ..... अक्षरे रूपये ..... की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक ..... के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

कमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2017/ **दिनांक :–**

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01. अभिहित अधिकारी एवं संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, जोधपुर।
02. श्री संदीप अग्रवाल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं सवास्थ्य अधिकारी,जोधपुर।
03. श्री विशाल भवनानी पुत्र श्री विजय भवनानी, फर्म :– मै. होटल मारवाड एक्सीलेंसी, 242 बरकतुल्ला खां स्टेडियम के सामने पालरोड, जोधपुर। निवासीः 655, 12वीं सी रोड, सरदारपुरा जोधपुर।
04. श्रीमती वीना भवनानी पत्नी श्री प्रकाश भवनानी, फर्म :– मै. होटल मारवाड एक्सीलेंसी, 242 बरकतुल्ला खां स्टेडियम के सामने पालरोड, जोधपुर। निवासीः 655, 12वीं सी रोड, सरदारपुरा जोधपुर।
05. श्रीमती मंजू भवनानी पत्नी श्री दीपक भवनानी, फर्म :– मै. होटल मारवाड एक्सीलेंसी, 242 बरकतुल्ला खां स्टेडियम के सामने पालरोड, जोधपुर। निवासीः 655, 12वीं सी रोड, सरदारपुरा जोधपुर।
06. फर्म :– मै. होटल मारवाड एक्सीलेंसी, 242 बरकतुल्ला खां स्टेडियम के सामने पालरोड, जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 118/2017 — आर सी एम एसः 2017/00112

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जोधपुर।		1. श्री विशाल भवनानी पुत्र श्री विजय भवनानी, फर्म :– मै. होटल मारवाड एक्सीलेंसी, 242 बरकतुल्ला खां स्टेडियम के सामने पालरोड, जोधपुर। निवासीः 655, 12वीं सी रोड, सरदारपुरा जोधपुर। 2. श्रीमती वीना भवनानी पत्नी श्री प्रकाश भवनानी, फर्म :– मै. होटल मारवाड एक्सीलेंसी, 242 बरकतुल्ला खां स्टेडियम के सामने पालरोड, जोधपुर। निवासीः 655, 12वीं सी रोड, सरदारपुरा जोधपुर। 3. श्रीमती मंजू भवनानी पत्नी श्री दीपक भवनानी, फर्म :– मै. होटल मारवाड एक्सीलेंसी, 242 बरकतुल्ला खां स्टेडियम के सामने पालरोड, जोधपुर। निवासीः 655, 12वीं सी रोड, सरदारपुरा जोधपुर। 4. फर्म :– मै. होटल मारवाड एक्सीलेंसी, 242 बरकतुल्ला खां स्टेडियम के सामने पालरोड, जोधपुर।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 09.01.2017 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी मै. लक्ष्मी जोधपुर स्वीट कॉर्नर, भास्कर चौराहा, रातानाडा, जोधपुर पहुँचा वहां लगभग 2.5 किलोग्राम खाद्य पदार्थ पनीर आम जनता हेतु वास्ते विक्रय हेतु था। उक्त में से 1 किलाग्राम के वास्ते जांच मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 300/– नगद देकर खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. विक्रेता व गवाह के सामने खरीदशुदा पनीर 1 किलाग्राम अच्छी तरह से हिलामिलाकर एक साफ सूखी स्टील की ट्रे में तुलवाकर/नपवाकर एक रूप कर चार भागों में बराबर कर चार साफ सूखी व खाली शिशियों में डालकर प्रत्येक में 20 बूंदें फॉर्मेलिन की बतौर प्रिजरवेटिव डाली अच्छी तरह हिलाया व एयरटाइट बंद किया इन पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड व सीरियल नम्बर एम–1369 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एम–1369 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एम–1369 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाबा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एम–1369 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस 15/एक्ट/2017/16

रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एडी–535 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाई करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।

4. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि हम स्वयं बाजार से उच्च स्तर का गाय कर दूध खरीद कर मावा बनाते हैं लेकिन गाय के दूध का फैट भैंस के दूध की तुलना में कम होने से मिल्क फैट कम आया है जबकि लेबोरेटरी द्वारा भैस के दूध का मानक तय किया गया है अतः हमने किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं की है। अतः प्रकरण खारिज फरमाया जावे।

5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट क्रमांक 175 दिनांक 16.03.2017 का अवलोकन किया । मनन के पश्चात पाया की अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थी यदि रिपोर्ट दिनांक 16.03.2017 से सन्तुष्ट न था तो उनके पास रेफरल लेब जाने का अवसर था, परन्तु उन्होने निर्धारित समय में अपील पेश न की । ऐसी स्थिति में अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थीगण पर शास्ती रूपये ..... अक्षरे रूपये ..... की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक ..... के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

क्रमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2017/ **दिनांक :–**

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01. अभिहित अधिकारी एवं संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, जोधपुर।
02. श्री राजेश टिंकर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं जोन–जोधपुर,जोधपुर।
03. श्री अर्जुन सिंह पुत्र श्री हम्मीर सिंह राजपुरोहित, फर्म :– मै. लक्ष्मी जोधपुर स्वीट कॉर्नर, भास्कर चौराहा, रातानाडा, जोधपुर। निवासीः केनल कोट, तह. पचपदरा जिला बाडमेर।
04. श्री भोपाल सिंह पुत्र श्री अर्जुन सिंह, फर्म :– मै. लक्ष्मी जोधपुर स्वीट कॉर्नर, भास्कर चौराहा, रातानाडा, जोधपुर। निवासीः गांव केलनकोट, वाया सिमरखिया, त. पचपदरा जिला बाडमेर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 72/2017 — आर सी एम एसः 2017/00066

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जोधपुर।		1. श्री अर्जुन सिंह पुत्र श्री हम्मीर सिंह राजपुरोहित, फर्म :– मै. लक्ष्मी जोधपुर स्वीट कॉर्नर, भास्कर चौराहा, रातानाडा, जोधपुर। निवासीः केनल कोट, तह. पचपदरा जिला बाडमेर। 2. श्री भोपाल सिंह पुत्र श्री अर्जुन सिंह, फर्म :– मै. लक्ष्मी जोधपुर स्वीट कॉर्नर, भास्कर चौराहा, रातानाडा, जोधपुर। निवासीः गांव केलनकोट, वाया सिमरखिया, त. पचपदरा जिला बाडमेर।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 06.03.2017 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी मै. लक्ष्मी जोधपुर स्वीट कॉर्नर, भास्कर चौराहा, रातानाडा, जोधपुर पहुँचा वहां लगभग 7 किलोग्राम खाद्य पदार्थ फीका मावा आम जनता हेतु वास्ते विक्रय हेतु था। उक्त में से 1 किलाग्राम के वास्ते जांच मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 400/– नगद देकर खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. विक्रेता व गवाह के सामने खरीदशुदा फीका मावा 1 किलाग्राम अच्छी तरह से हिलामिलाकर एक साफ सूखी स्टील की ट्रे में तुलवाकर/नपवाकर एक रूप कर चार भागों में बराबर कर चार साफ सूखी व खाली शिशियों में डालकर प्रत्येक में 20 बूंदें फॉर्मेलिन की डाली अच्छी तरह हिलाया व एयरटाइट बंद किया इन पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड व सीरियल नम्बर एडी–535 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एडी–535 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एडी–535 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाबा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एडी–535 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस 174/एक्ट/2017/175 दिनांक 16.03.2017 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ अमानक स्तर का होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा

ने अन्य कोई जानकारी नमूनें के लेबल पर नही दी राई है। ऐसी स्थिती में मैं इस निर्णय पर पंहुची हूं की अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थी संख्या 03 व 04 प्रत्येक पर शास्ती रूपये .... अक्षरे रूपये ..... की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि **न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर, जोधपुर** के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक ... . के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।

6. निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

कमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2017/ **दिनांक :–**

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01. अभिहित अधिकारी एवं संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, जोधपुर।
02. श्री राजेश टिंकर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं जोन–जोधपुर,जोधपुर।
03. श्री राममनोहर मुथा पुत्र स्व. श्री लादूराम मूथा, मै. राममनोहर कन्हैयालाल मूथा, सिवांची गेट के अन्दर, समदडी हवेली, जोधपुर। निवासीः 286 रूप नगर, I st सांईधाम मंदिर के सामने जोधपुर।
04. श्री अमरचंद पुत्र श्री किशोरलाल पुंगलिया, फर्म :– मै. द्वारकादासचंद लाल, 23 सरदार मार्केट, घंटाघर, जोधपुर। निवासीः 45– श्री सत्येन, धर्म नारायण जी का हत्था, पावटा, जोधपुर।
05. श्री राहुल श्रीवास्तव पुत्र श्री अरूण कुमार श्रीवास्तव, मै. एनआईएफ प्रा लि, दुकान नम्बर 19,20,21 श्याम नगर, सब्जी मंडी के सामने रोड सं 14, जयपुर।
06. मै. एनआईएफ प्रा लि, दुकान नम्बर 19,20,21 श्याम नगर, सब्जी मंडी के सामने रोड सं 14, जयपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर

खाद्य विश्लेषक ने अपने बयान में बताया किखाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं जोधपुर द्वारा नमूना संख्या एडी 448 घी नमस्ते इण्डिया ब्राण्ड दिनांक 29.08.2016 को जांच हेतु भेजा गया जिसकी जांच 31.08.2016 से 01.09.2016 तक की गई। जांच में नमूना खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 व नियम व विनियम 2011 के तहत मिसब्राण्ड पाया गया। जिसकी रिपोर्ट संख्या 1015 दिनांक 01.09.2016 के द्वारा अभिहित अधिकारी एवं उपनिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं जोन जोधपुर को प्रेषित की गई जिसमें ए से बी मेरी राय है व सी से डी मेरे हस्ताक्षर हैं।

उक्त घी नमस्ते इण्डिया का नमूना original company packed 1 Ltr. packing में था उक्त नमूने की जांच के दौरान नमूने के पैकेट पर दिये गये लेबल की जांच करने पर एक स्टेटमेंट/ स्लोगन देवनागरी लिपी मे ''सर्वगुण सम्पन्न'' देशी घी अंकित था जो कि Food Safety and Standards Acct-2006 , Rules and Regulations, 2011 के Regulation Food Safety & Standard (Packing and Labelling) Regulation, 2011 के Regulation No. 2.2.1 (3) Regulation No2.3.1 (5) का Contravention पाया गया। उक्त घी के नमूने के लेबल पर दिये गये स्लोगन/ स्टेटमेंट ''**सर्वगुण सम्पन्न''** देशी घी का जन साधारण व आम जनता को गुमराह/ भ्रमित करने एवं उक्त उत्पाद केबारे में erroneous impression create करने के कारण उक्त रेग्यूलेशन का Conversation होने पर Food Safety and Standards Act, 2006 के Section3 (1) (zf)(A)(i)(a) and Secion 3(1) (zf)(B)(ii) के तहत Misbranded पाया गया। जबकि उक्त नमूने के लेबल पर दी गई न्यूट्रीशनल इन्फॉरमेशन में घी में कॉलेटस्ट्रोल की मात्रा 275– 325 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम व ट्रांसफैटी एसिड की मात्रा 5 ग्राम प्रति 100 ग्राम दर्शायी गयी है। अतः यह जन साधारण व आम जनता के लिए सर्वगुण सम्पन्न नहीं हो सकता।

Food Safety and Standards (Packaging and Labeling) Regulation, 2011 Regulation No. 2.2.1 (3) and Regulation No. 2.3.1 (5)14 में दिया गया है।

i. **Regulation No. 2.2.1 (3)** Pre packaged food shall not be described or presented on any label or in any labeling manner that is false, misleading or deceptive or is likely to create an erroneous impression regarding Its character in any respect.

ii. Regulation No. 2.3.1 (5) Labels not to contains false or - misleading statements A label shall not contains any statements claim, design, device, fancy name or abbreviation which is false or misleading any particular concerning the food contained in the package or concerning the quantity or the nutritive value or in relation to the place of origin of the said food. (प्रति संलग्न है)

उक्त नमूना नमस्ते इंण्डिय ब्राण्ड घी के पैकेट के लेबल पर अंकित ''सर्व गुण सम्पन्न'' देशी घी सलोग्न / स्टेटमेन्ट यह दर्शाता है कि यह घी अन्य जी के मुकाबले सर्वगुण सम्पन्न है जो कि आम उपभोक्ता व जन साधारण के लिए एक भ्रमित / गुमराह करने वाला है जिससे प्रभावित होकर आम उपभोक्ता के मन मे यह विचार आने की सभांवना है कि उक्त घी में अन्य घी के मुकाबले मे इसमें कोई अतिरिक्त तत्व मौजूद है जो कि इस घी को सर्वगुण सम्पन्न बना रहा है जब कि निर्माता द्वारा सर्वगुण सम्पन्न देशी घी कैसे है के सम्बन्ध ने अन्य कोई जानकारी नमूनें के लेबल पर नही दी राई है।

अतः निम्न हस्ताक्षरकर्ता ने उक्त घी (ब्राण्ड नमस्ते इण्डिया) के लेबल पर अंकित सर्व गुण सम्पन्न देशी धी सलोग्न / स्टेटमेन्ट को आम उपभोक्ता को गुमराह / भ्रमित करने वाला व अपने उत्पाद बारे में erroneous impression create करने वाला होने के कारण यह स्लोगन / स्टेटमेंट Regulation Food Safety & Standard (Packing and Labelling) Regulation, 2011 के Regulation No. 2.2.1 (3) Regulation No2.3.1 (5) का Contravention होने पर उक्त घी के नमूने को Food Safety and Standards Act, 2006 के Section3 (1) (zf)(A)(i)(a) and Section 3(1) (zf)(B)(ii) के तहत Misbranded की Opinion दी गई।

5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट क्रमांक 1015 दिनांक 01.09.2016 का अवलोकन किया । अप्रार्थीगण की ओर से की गई बहस तथा प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों के अलावा एफएसओ व खाद्य विश्लेषक के बयान पर मनन के पश्चात मैं खाद्य विश्लेषक की राय एफ एस एस एक्ट की धारा 2.2.1 (3) में वर्णित है कि सर्वगुण संपन्न देशी घी के लेबल पर देना यह प्रदर्शित करता है कि यह घी निर्धारित मानकों के अन्य घी की तुलना में अलग से कुछ अतिरिक्त योग्यता, मानक रखता है।इस प्रकार सर्वगुण सम्पन्न देशी घी लिखना जनसामान्य को भ्रामक करता है और यह मिथ्या वचन है इसके प्रमाण स्वरूप कोई अतिरिक्त तत्व इस घी में नहीं पाये गये हैं। यह घी भी अन्य अतिरिक्त ब्राण्ड वाले घी की तरह ही हैं।ना ही इसकी प्रामाणिकता जाहिर करने हेतु कोई प्रमाण प्रस्तुत किये गये हैं। तथा खाद्य विश्लेषक की राय नमस्ते इंण्डिय ब्राण्ड घी के पैकेट के लेबल पर अंकित ''सर्व गुण सम्पन्न'' देशी घी सलोग्न / स्टेटमेन्ट यह दर्शाता है कि यह घी अन्य जी के मुकाबले सर्वगुण सम्पन्न है जो कि आम उपभोक्ता व जन साधारण के लिए एक भ्रमित / गुमराह करने वाला है जिससे प्रभावित होकर आम उपभोक्ता के मन मे यह विचार आने की सभांवना है कि उक्त घी में अन्य घी के मुकाबले मे इसमें कोई अतिरिक्त तत्व मौजूद है जो कि इस घी को सर्वगुण सम्पन्न बना रहा है जब कि निर्माता द्वारा सर्वगुण सम्पन्न देशी घी कैसे है के सम्बन्ध

में एडी–448 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस 999/एक्ट/2016/1015 दिनांक 01.09.2016 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ अमानक स्तर का होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एडी–448 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाई करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।

4. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। अप्रार्थीगण ने जरिये वकील जवाब पेश किया एवं बहस के दौरान जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए बहस की एवं बहस की कि The opinion of the food analyst is wrong, arbitrary and unreasonable, being contrary to the result of analysis stated in the report itself, as submitted above, hence denied. It is vehemently denied that the sample of the NAMASTE INDIA BRAND GHEE is misbranded and the statement "SERV GUN SAMPANN" on the packaging is misleading. It is further submitted that Food Safety Officer has misrepresented the report of the Food Analyst. The Food Analyst and the Food Safety Officer are put to the strict proof to prove the averments made herein. Hon'ble Court may be pleased to dismiss the present prosecution petition with cost in favour of the party. एवं 18.12.2012 को भी SYNOPSIS OF THE ORAL ARGUMENTS SUBMITTED ON BEHALF OF THE RESPONDENTS DURING FINAL HEARING ON 8TH DECEMBER 2017. पेश कर लिखित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि In the instant case of the food analyst has found that the NAMASTE INDIA GHEE under Sample No., AD-448 was having all the qulaities if Ghees prescribed under the FS&S Act, 2006. There is not even an iota of material placed on record as how and why the statement "SARV GUN SAMPANN' is false or misleading in spite of the fact that it conforms to the st6atutory standards laid under the law i.e FS&S Act, 2006.

The identical cases of 'misbranding' in respect of the statement SARV GUN SAMPANN on the packaging of Ghee manufactured by the Respodent No.04 came up for decision before the Courts of ADM Barmer, Bharatpur, Alwar and Jodhpur based on the identical Analysis Report. In all those cases the Hon'ble Courts were pleased to dismiss the prosecution cases thus holding that the statement SARV GUN SAMPANN is not 'misbranding'. It may kindly be noted that the State of Rajasthan did not file any appeal against all the aforesaid decisions. Therefore, these decisions are now the binding precedence. Copies fo the all the aforesaid decisions along with the related documents have been filed as ANNEXURE-R-2, ANNEXURE-R-3, ANNEXURE-R-4, ANNEXURE-R-5. In view of the above it is prayed that this Hon'ble Court may be pleased to dismiss the prosecution against the Respondents and render justice. It is sbumitted that the contents Written Statement/ Representation, which had been refferred to during the oral submission, may kindly treated as the part and parcel of the resent written submission.

इस संबंध में एफएसओ व खाद्य विश्लेषक के बयान लिये गये। एफएसओ ने अपने बयान में बताया कि मैं दिनांक 28.08.2016 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत था। गजट नोटिफिकेशन 25 जुलाई 2011 के आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां प्राप्त हुई। दिनांक 28.08.2016 को मैने मै.राममनोहर कन्हैयालाल मूथा, सिवांची गेट के अंदर, से घी नमस्ते इण्डिया ब्राण्ड का नमूना संख्या एडी 448 द्वारा नियमानुसार लिया। इस बाबत बाबत फॉर्म 5 ए, नमूना खरीद रसीद व मौका फर्द नियमानुसार तैयार की जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर हैं तथा दिनांक 29.08.2016 को खाद्य विश्लेषक को नियमानुसार नमूना जमा कराया इस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर हैं। इसकी रिपोर्ट मुझे दिनांक 21.09.2016 को जरिये डीओ पत्र क्रमांक 547–48 द्वारा प्राप्त हुई जिसके आधार पर नमूना मिसब्रांडेड पाया गया ।

एफ एस एस एक्ट की धारा 2.2.1 (3) में वर्णित है कि सर्वगुण संपन्न देशी घी के लेबल पर देना यह प्रदर्शित करता है कि यह घी निर्धारित मानकों के अन्य घी की तुलना में अलग से कुछ अतिरिक्त योग्यता, मानक रखता है।इस प्रकार सर्वगुण सम्पन्न देशी घी लिखना जनसामान्य को भ्रामक करता है और यह मिथ्या वचन है इसके प्रमाण स्वरूप कोई अतिरिक्त तत्व इस घी में नहीं पाये गये हैं। यह घी भी अन्य अतिरिक्त ब्राण्ड वाले घी की तरह ही हैं।ना ही इसकी प्रामाणिकता जाहिर करने हेतु कोई प्रमाण प्रस्तुत किये गये हैं।

2.3.1(5) सर्वगुण सम्पन्न देशी घी के दावे से सम्बंध में भी अप्रार्थी की तरफ से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतिरिक्त साक्ष्य के अभाव में सर्वगुण सम्पन्न दावा करना कपट पूर्ण है। इस बाबत विस्तृत राय हेतु खाद्य विश्लेषक की राय लेना उचित होगा।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 74 / 2017 आर सी एम एसः 2017 / 00068

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जोधपुर।		1. श्री राममनोहर मुथा पुत्र स्व. श्री लादूराम मूथा, फर्म :– मै. राममनोहर कन्हैयालाल मूथा, सिवांची गेट के अन्दर, समदडी हवेली, जोधपुर। निवासीः 286 रूप नगर, I st सांईधाम मंदिर के सामने जोधपुर। 2. श्री अमरचंद पुत्र श्री किशोरलाल पुंगलिया, फर्म :– मै. द्वारकादासचंद लाल, 23 सरदार मार्केट, घंटाघर, जोधपुर। निवासीः 45– श्री सत्येन, धर्म नारायण जी का हत्था, पावटा, जोधपुर। 3. श्री राहुल श्रीवास्तव पुत्र श्री अरूण कुमार श्रीवास्तव मै. एनआईएफ प्रा लि, दुकान नम्बर 19,20,21 श्याम नगर, सब्जी मंडी के सामने रोड सं 14, जयपुर। 4. फर्मः मै. एनआईएफ प्रा लि, दुकान नम्बर 19,20,21 श्याम नगर, सब्जी मंडी के सामने रोड सं 14, जयपुर।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 28.08.2016 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी मै. राममनोहर कन्हैयालाल मूथा, सिवांची गेट के अन्दर, समदडी हवेली, जोधपुर पहुँचा वहां खाद्य पदार्थ घी (सर्वगुण सम्पन्न) नमस्ते इण्डिया आम जनता हेतु वास्ते विक्रय हेतु था। उक्त में से 1 x 4 के वास्ते जांच मिलावट / अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 1380 / – नगद देकर खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. विक्रेता व गवाह के सामने खरीदशुदा घी (सर्वगुण सम्पन्न) नमस्ते इण्डिया 4 x 1 लीटर मूल ही तुलवाकर / नपवाकर खरीदा इन पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड व सीरियल नम्बर एडी–448 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एडी–448 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूने पर सिर से होते हुए नीचे पेंदे तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एडी–448 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाबा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों

विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एम–1505 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाई करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।

4. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। बावजूद नोटिस तामिल अप्रार्थीगण ने जवाब पेश नहीं किया। जवाब बंद किया गया। बहस हेतु भी मौका दिया गया परन्तु उपस्थित नहीं। आवाज लगवाई गयी एवं एक पक्षीय आदेश पारित करना उचित समझता हूं।
5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट कमांक 427 दिनांक 12.05.2017 का अवलोकन किया । मनन के पश्चात पाया की अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थी यदि रिपोर्ट दिनांक 12.05.2017 से सन्तुष्ट न था तो उनके पास रेफरल लेब जाने का अवसन था, परन्तु उन्होने निर्धारित समय में अपील पेश न की । ऐसी स्थिति में अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थीगण पर शास्ती

   रूपये ..... अक्षरे रूपये ..... की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक ..... के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।

   निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

कमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2017/ **दिनांक :–**

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01. अभिहित अधिकारी एवं संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, जोधपुर।
02. श्री रेवत सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्याल मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।
03. श्री मगराज पुत्र श्री हीरालाल भाटी, फर्म :– मै. हरिओम दूध दही भण्डार, बडला रोड, शिव शक्ति नगर, बाबू लक्षमण सिंह चौराहा,महामंदिर, जोधपुर। निवासीः बी30, मारवाड नगर, महामंदिर रेल्वे स्टेशन के पीछे, महामंदिर, जोधपुर।
04. श्री प्रकाश भाटी पुत्र श्री हीरालाल भाटी, फर्म :– मै. हरिओम दूध दही भण्डार, बडला रोड, शिव शक्ति नगर, बाबू लक्षमण सिंह चौराहा,महामंदिर, जोधपुर। निवासीः बी30, मारवाड नगर, महामंदिर रेल्वे स्टेशन के पीछे, महामंदिर, जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 87 / 2017 आर सी एम एसः 2017 / 00089

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जोधपुर।		1. श्री मगराज पुत्र श्री हीरालाल भाटी, फर्म :– मै. हरिओम दूध दही भण्डार, बडला रोड, शिव शक्ति नगर, बाबू लक्षमण सिंह चौराहा,महामंदिर, जोधपुर। निवासीः बी30, मारवाड नगर, महामंदिर रेल्वे स्टेशन के पीछे, महामंदिर, जोधपुर। 2. श्री प्रकाश भाटी पुत्र श्री हीरालाल भाटी, फर्म :– मै. हरिओम दूध दही भण्डार, बडला रोड, शिव शक्ति नगर, बाबू लक्षमण सिंह चौराहा,महामंदिर, जोधपुर। निवासीः बी30, मारवाड नगर, महामंदिर रेल्वे स्टेशन के पीछे, महामंदिर, जोधपुर।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 02.05.2017 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी मै. हरिओम दूध दही भण्डार, बडला रोड, शिव शक्ति नगर, बाबू लक्षमण सिंह चौराहा,महामंदिर, जोधपुर पहुँचा कर निरीक्षण करने पर फ्रिज में एक स्टील की परात में 5 किलोग्राम खाद्य पदार्थ पनीर आम जनता हेतु वास्ते विक्रय हेतु था। उक्त पनीर 1 किलोग्राम के वास्ते जांच मिलावट / अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 240 / – नगद देकर खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. विक्रेता व गवाह के सामने खरीदशुदा पनीर को एक रूप कर चार भागों में बराबर कर चार साफ सूखी व खाली प्लास्टिक की शीशियों में डालकर प्रत्येक में 20 बूंदें फार्मेलिन बतौर प्रिजर्वेटिव की डाली, अच्छी तरह हिलाया और एयर टाइट बंद किया। इन पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड व सीरियल नम्बर एम–1505 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एम–1505 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एम–1505 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाबा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एम–1505 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस 428 / एक्ट / 2017 / 427 दिनांक 12.05.2017 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ अमानक स्तर का होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का

5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट कमांक 162 दिनांक 07.03.2017 का अवलोकन किया । मनन के पश्चात पाया की अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थी यदि रिपोर्ट दिनांक 07.03.2017 से सन्तुष्ट न था तो उनके पास रेफरल लेब जाने का अवसन था, परन्तु उन्होने निर्धारित समय में अपील पेश न की । ऐसी स्थिति में अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थीगण पर शास्ती

रूपये ..... अक्षरे रूपये ..... की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक ..... के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

कमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2017/ **दिनांक :–**

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01. अभिहित अधिकारी एवं संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, जोधपुर।
02. श्री राजेश टिंकर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्याल संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जोधपुर–जोन, जोधपुर।
03. श्री राजेन्द्र सोनी पुत्र स्व. श्री मोहनलाल सोनी, फर्म :– मै. नारायण डेयरी फार्म,पुरानी प्याउ, गांधी नगर, 80 फीट रोड, जोधपुर। निवासीः 488, चौ. हा. बोर्ड, जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 60 / 2017 — आर सी एम एसः 2017 / 00052

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जोधपुर।		1. श्री राजेन्द्र सोनी पुत्र स्व. श्री मोहनलाल सोनी, फर्म :– मै. नारायण डेयरी फार्म,पुरानी प्याउ, गांधी नगर 80 फीट रोड, जोधपुर। निवासीः 488, चौ. हा. बोर्ड जोधपुर।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 28.02.2017 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी मै. नारायण डेयरी फार्म,पुरानी प्याउ, गांधी नगर, 80 फीट रोड, जोधपुर पहुँचा कर निरीक्षण करने पर एक डीप फ्रिज में 23 लीटर पेय पदार्थ गाय का दूध आम जनता हेतु वास्ते विक्रय हेतु था। उक्त दूध 2 लीटर के वास्ते जांच मिलावट / अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 40 / – नगद देकर खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. विक्रेता व गवाह के सामने खरीदशुदा दूध को एक रूप कर चार भागों में बराबर कर चार साफ सूखी व खाली प्लास्टिक की शीशियों में डालकर प्रत्येक में 40 बूंदें फार्मेलिन बतौर प्रिजर्वेटिव की डाली, अच्छी तरह हिलाया और एयर टाइट बंद किया। इन पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड व सीरियल नम्बर एडी–533 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एडी–533 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एडी–533 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाबा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एडी–533 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस 162 / एक्ट / 2017 / 163 दिनांक 07.03.2017 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ अमानक स्तर का होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एडी–533 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाई करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।
4. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। बावजूद नोटिस तामिल अप्रार्थीगण ने जवाब पेश नहीं किया। जवाब बंद किया गया। बहस हेतु भी मौका दिया गया परन्तु उपस्थित नहीं। आवाज लगवाई गयी एवं एक पक्षीय आदेश पारित करना उचित समझता हूं।

5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट कमांक 569 दिनांक 19.06.2017 का अवलोकन किया । मनन के पश्चात पाया की अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थी यदि रिपोर्ट दिनांक 19.06.2017 से सन्तुष्ट न था तो उनके पास रेफरल लेब जाने का अवसन था, परन्तु उन्होने निर्धारित समय में अपील पेश न की । ऐसी स्थिति में अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थीगण पर शास्ती

रूपये ..... अक्षरे रूपये ..... की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक ..... के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

कमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2017/ **दिनांक :–**

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01. अभिहित अधिकारी एवं संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, जोधपुर।
02. श्री राजेश टिंकर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्याल संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जोधपुर–जोन, जोधपुर।
03. श्री डिम्पल जैन पुत्र श्री मोहनलाल बालड, फर्म :– मै. नाकोडा एन्टरप्राइजेज, दुकान नं. 03, शकूर बिलडिंग, नई सड़क, जोधपुर। निवासीः 271ए केशर बाग, रातानाडा, जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 103/2017 आर सी एम एसः 2017/00093

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जोधपुर।		1. श्री डिम्पल जैन पुत्र श्री मोहनलाल बालड, फर्म :– मै. नाकोडा एन्टरप्राइजेज, दुकान नं. 03, शकूर बिलडिंग, नई सड़क, जोधपुर। निवासीः 271ए केशर बाग, रातानाडा, जोधपुर।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 09.06.2017 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी मै. नाकोडा एन्टरप्राइजेज, दुकान नं. 03, शकूर बिलडिंग, नई सड़क, जोधपुर पहुँच कर निरीक्षण करने पर फ्रिज में 5 किलोग्राम पनीर आम जनता हेतु वास्ते विक्रय हेतु था। उक्त पनीर 1 किलोग्राम के वास्ते जांच मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 240/– नगद देकर खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. विक्रेता व गवाह के सामने खरीदशुदा पनीर एक किलोग्राम को अच्छीतरह से हिला मिला चूरा कर साफ सूखी स्टील की भगोनी में तुलवाकर/नपवाकर एक रूप कर चार भागों में बराबर कर चार साफ सूखी व खाली प्लास्टिक की शीशियों में डालकर प्रत्येक में 20 बूंदें फार्मेलिन की डाली, अच्छी तरह हिलाया और एयर टाइट बंद किया। इन पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड व सीरियल नम्बर एडी–597 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एडी–597 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एडी–597 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाबा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एडी–597 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस 569/एक्ट/2017/569 दिनांक 19.06.2017 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ अमानक स्तर का होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एडी–597 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाई करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।
4. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। बावजूद नोटिस तामिल अप्रार्थीगण ने जवाब पेश नहीं किया। जवाब बंद किया गया। बहस हेतु भी मौका दिया गया परन्तु उपस्थित नहीं। आवाज लगवाई गयी एवं एक पक्षीय आदेश पारित करना उचित समझता हूं।

पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एम–1458 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाई करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।

4. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। बावजूद नोटिस तामिल अप्रार्थीगण ने जवाब पेश नहीं किया। जवाब बंद किया गया। बहस हेतु भी मौका दिया गया परन्तु उपस्थित नहीं। आवाज लगवाई गयी एवं एक पक्षीय आदेश पारित करना उचित समझता हूं।

5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट क्रमांक 325 दिनांक 08.04.2017 का अवलोकन किया । मनन के पश्चात पाया की अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थी यदि रिपोर्ट दिनांक 08.04.2017 से सन्तुष्ट न था तो उनके पास रेफरल लेब जाने का अवसन था, परन्तु उन्होने निर्धारित समय में अपील पेश न की । ऐसी स्थिति में अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थीगण पर शास्ती

रूपये ..... अक्षरे रूपये ..... की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक ..... के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

क्रमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2017/ **दिनांक :–**

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01. अभिहित अधिकारी एवं संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, जोधपुर।
02. श्री रजनीश शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।
03. श्री रविन्द्र सिंह परिहार पुत्र श्री गणपत सिंह, फर्म :– मै. वी डी फूड जोन, प्लॉट सं 63, रेजीडेंसी रोड, गोयल हॉस्पीटल के पास, जोधपुर। निवासीः प्लॉट नं 64, 12 डी रोड सरदारपुरा, जोधपुर।
04. श्री नितेश सोनी पुत्र श्री सत्यनारायण सोनी, फर्म :– मै. वी डी फूड जोन, प्लॉट सं 63, रेजीडेंसी रोड, गोयल हॉस्पीटल के पास, जोधपुर। निवासीः ए–3 दिलीपसिंह कॉलोनी, जेडीए के पास, जोधपुर।
05. फर्म :– मै. वी डी फूड जोन, प्लॉट सं 63, रेजीडेंसी रोड, गोयल हॉस्पीटल के पास, जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 70/2017 आर सी एम एसः 2017/00065

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जोधपुर।		1. श्री रविन्द्र सिंह परिहार पुत्र श्री गणपत सिंह, फर्म :– मै. वी डी फूड जोन, प्लॉट सं 63, रेजीडेंसी रोड, गोयल हॉस्पीटल के पास, जोधपुर। निवासीः प्लॉट नं 64, 12 डी रोड सरदारपुरा, जोधपुर। 2. श्री नितेश सोनी पुत्र श्री सत्यनारायण सोनी, फर्म :– मै. वी डी फूड जोन, प्लॉट सं 63, रेजीडेंसी रोड, गोयल हॉस्पीटल के पास, जोधपुर। निवासीः ए–3 दिलीपसिंह कॉलोनी, जेडीए के पास, जोधपुर। 3. फर्म :– मै. वी डी फूड जोन, प्लॉट सं 63, रेजीडेंसी रोड, गोयल हॉस्पीटल के पास, जोधपुर।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 06.04.2017 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी मै. वी डी फूड जोन, प्लॉट सं 63, रेजीडेंसी रोड, गोयल हॉस्पीटल के पास, जोधपुर पहुँच कर निरीक्षण करने पर फ्रिज में 1 किलोग्राम पनीर आम जनता हेतु वास्ते विक्रय हेतु था। उक्त पनीर 1 किलोग्राम के वास्ते जांच मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 317/– नगद देकर खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. विक्रेता व गवाह के सामने खरीदशुदा पनीर एक किलोग्राम को अच्छीतरह से हिला मिला चूरा कर साफ स्टील की ट्रे में तुलवाकर/नपवाकर एक रूप कर चार भागों में बराबर कर चार साफ सूखी व खाली प्लास्टिक की शीशियों में डालकर प्रत्येक में 20 बूंदें फार्मेलिन की डाली, अच्छी तरह हिलाया और एयर टाइट बंद किया। इन पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड व सीरियल नम्बर एम–1458 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एम–1458 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एम–1458 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाबा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एम–1458 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस 324/एक्ट/2017/325 दिनांक 18.04.2017 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ अमानक स्तर का होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद

विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एडी–548 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाई करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।

4. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। बावजूद नोटिस तामिल अप्रार्थीगण ने जवाब पेश नहीं किया। जवाब बंद किया गया। बहस हेतु भी मौका दिया गया परन्तु उपस्थित नहीं। आवाज लगवाई गयी एवं एक पक्षीय आदेश पारित करना उचित समझता हूं।
5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट कमांक 250 दिनांक 24.03.2017 का अवलोकन किया । मनन के पश्चात पाया की अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थी यदि रिपोर्ट दिनांक 24.03.2017 से सन्तुष्ट न था तो उनके पास रेफरल लेब जाने का अवसन था, परन्तु उन्होने निर्धारित समय में अपील पेश न की । ऐसी स्थिति में अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थीगण पर शास्ती

   रूपये ..... अक्षरे रूपये ..... की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक ..... के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।

   निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

कमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2017/ **दिनांक :–**

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01. अभिहित अधिकारी एवं संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, जोधपुर।
02. श्री राजेश टिंकर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्याल संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जोधपुर–जोन, जोधपुर।
03. श्री मूलसिंह राजपुरोहित पुत्र स्व. श्री लीखम सिंह, फर्म :– मै. जोधपुर स्वीट मार्ट, ए–1 टेंट हाउस, सर्किट हाउस रोड, भाटिया चौराहा, रातानाडा, जोधपुर। निवासीः 97, छोटावास, नारवाखुर्द जिलाः नागौर 341025।
04. श्री सुमेर सिंह राजपुरोहित, फर्म :– मै. पासर इन, सांधी पेट्रोल पंप के पास, स्टेशन रोड़, जोधपुर। निवासीः 97, छोटावास, नारवाखुर्द जिलाः नागौर 341025।
05. श्री लक्षमण सिंह राजपुरोहित, फर्म :– मै. पासर इन, सांधी पेट्रोल पंप के पास, स्टेशन रोड़, जोधपुर। निवासीः 159, बालाजी नगर, पाल बालाजी, पालरोड़, जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 70 / 2017 — आर सी एम एसः 2017 / 00065

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जोधपुर।		1. श्री मूलसिंह राजपुरोहित पुत्र स्व. श्री लीखम सिंह, फर्म :– मै. जोधपुर स्वीट मार्ट, ए–1 टेंट हाउस, सर्किट हाउस रोड, भाटिया चौराहा, रातानाडा, जोधपुर। निवासीः 97, छोटावास, नारवाखुर्द जिलाः नागौर 341025। 2. श्री सुमेर सिंह राजपुरोहित फर्म :– मै. पासर इन, सांधी पेट्रोल पंप के पास, स्टेशन रोड़, जोधपुर। निवासीः 97, छोटावास, नारवाखुर्द जिलाः नागौर 341025। 3. श्री लक्षमण सिंह राजपुरोहित फर्म :– मै. पासर इन, सांधी पेट्रोल पंप के पास, स्टेशन रोड़, जोधपुर। निवासीः 159, बालाजी नगर, पाल बालाजी, पालरोड़, जोधपुर।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 11.03.2017 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी मै. जोधपुर स्वीट मार्ट, ए–1 टेंट हाउस, सर्किट हाउस रोड, भाटिया चौराहा, रातानाडा, जोधपुर पहुँच कर निरीक्षण करने पर 4 किलोग्राम पनीर आम जनता हेतु वास्ते विक्रय हेतु था। उक्त पनीर 1 किलोग्राम के वास्ते जांच मिलावट / अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 317 / – नगद देकर खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. विक्रेता व गवाह के सामने खरीदशुदा पनीर एक किलोग्राम को अच्छीतरह से हिला मिला चूरा कर साफ स्टील की ट्रे में तुलवाकर / नपवाकर एक रूप कर चार भागों में बराबर कर चार साफ सूखी व खाली प्लास्टिक की शीशियों में डालकर प्रत्येक में 20 बूंदें फार्मेलिन की डाली, अच्छी तरह हिलाया और एयर टाइट बंद किया। इन पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड व सीरियल नम्बर एडी–548 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एडी–548 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एडी–548 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाबा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एडी–548 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस 249 / एक्ट / 2017 / 250 दिनांक 24.03.2017 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ अमानक स्तर का होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का

4. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। बावजूद नोटिस तामिल अप्रार्थीगण ने जवाब पेश नहीं किया। जवाब बंद किया गया। बहस हेतु भी मौका दिया गया परन्तु उपस्थित नहीं। आवाज लगवाई गयी एवं एक पक्षीय आदेश पारित करना उचित समझता हूं।

5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट क्रमांक 1390 दिनांक 25.11.2016 का अवलोकन किया । मनन के पश्चात पाया की अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थी यदि रिपोर्ट दिनांक 25.11.2016 से सन्तुष्ट न था तो उनके पास रेफरल लेब जाने का अवसन था, परन्तु उन्होने निर्धारित समय में अपील पेश न की । ऐसी स्थिति में अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थीगण पर शास्ती

रूपये ..... अक्षरे रूपये ..... की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक ..... के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

क्रमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2017/ **दिनांक :–**

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01. अभिहित अधिकारी एवं संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, जोधपुर।
02. श्री राजेश टिंकर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्याल संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जोधपुर–जोन, जोधपुर।
03. श्री दाऊलाल पुत्र श्री धारूराम प्रजापत, फर्म :– मै. जयबाबारी मिष्ठान भण्डार, बालवाडी स्कूल के पास जालोरी गेट, जोधपुर। निवासीः वार्ड सं 13 रामदेव कॉलोनी, चांदपोल, जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 73/2017 — आर सी एम एसः 2017/00067

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जोधपुर।		1. श्री दाऊलाल पुत्र श्री धारूराम प्रजापत, फर्म :– मै. जयबाबारी मिष्ठान भण्डार, बालवाडी स्कूल के पास जालोरी गेट, जोधपुर। निवासीः वार्ड सं 13 रामदेव कॉलोनी, चांदपोल, जोधपुर।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 27.10.2016 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी मै. जयबाबारी मिष्ठान भण्डार, बालवाडी स्कूल के पास जालोरी गेट, जोधपुर पहुँच कर निरीक्षण करने पर एक स्टील की परात में मावा 15 किलोग्राम पैक का स्टॉक बेचने हेतु अपने कब्जे में रखे हुए पाया गया जो आम जनता हेतु वास्ते विक्रय हेतु था। उक्त मावा 1 किलोग्राम के वास्ते जांच मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 360/– नगद देकर खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. विक्रेता व गवाह के सामने खरीदशुदा मावा एक किलोग्राम को अच्छीतरह से हिला मिला कर साफ स्टील के सूखे धामे में तुलवाकर/नपवाकर एक रूप कर चार भागों में बराबर कर चार साफ सूखी व खाली प्लास्टिक की शीशियों में डालकर प्रत्येक में 20 बूंदें फार्मेलिन की डाली, अच्छी तरह हिलाया और एयर टाइट बंद किया। इन पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड व सीरियल नम्बर एडी–501 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एडी–501 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एडी–501 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाबा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एडी–501 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस 1358/एक्ट/2016/1390 दिनांक 25.11.2016 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ अमानक स्तर का होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एडी–501 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाई करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।

उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एम–1314 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाई करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।

4. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। अप्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता जवाब पेश किया । अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने बहस की । बहस के दौरान जवा के तथ्यों दोहराते हुए परिवाद निरस्त करने हेतु निवेदन किया।
5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट क्रमांक 1428 दिनांक 14.12.2016 का अवलोकन किया । मनन के पश्चात पाया की अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थी यदि रिपोर्ट दिनांक 14.12.2016 से सन्तुष्ट न था तो उनके पास रेफरल लेब जाने का अवसन था, परन्तु उन्होने निर्धारित समय में अपील पेश न की । ऐसी स्थिति में अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थीगण पर शास्ती

   रूपये ..... अक्षरे रूपये ..... की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक ..... के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।

   निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

क्रमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2017/ **दिनांक :–**

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01. अभिहित अधिकारी एवं संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, जोधपुर।
02. श्री संदीप अग्रवाल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।
03. श्री दीपक ग्वालानी पुत्र श्री टीकमचंद ग्वालानी, फर्म :– मै. हेमन्त चावल स्टोर, 2 एस 70, कुडी भगतासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर। निवासीः 125 महावीरपुरम सिटि, हरिओम नगर के पास, चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 110/2017 आर सी एम एसः 2017/00095

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जोधपुर।		1. श्री दीपक ग्वालानी पुत्र श्री टीकमचंद ग्वालानी, फर्म :– मै. हेमन्त चावल स्टोर, 2 एस 70, कुडी भगतासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर। निवासीः 125 महावीरपुरम सिटि, हरिओम नगर के पास, चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर। 2. श्री कमलेश पारीक पुत्र श्री भंवलाल पारीक, फर्म :– मै. लोट्स मार्केटिंग, एम 5, मण्डोर मण्डी जोधपुर। निवासीः 39, दाधीच नगर, महामंदिर, जोधपुर। 3. श्री अनिल कुमार उपाध्याय फर्म :– मै. हरि इण्डस्ट्रीज (हरि ऑयल मिल्स), मालगोडाउन रोड, भरतपुर। 4. फर्म :– मै. हरि इण्डस्ट्रीज (हरि ऑयल मिल्स), मालगोडाउन रोड, भरतपुर।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 24.10.2016 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी मै. हेमन्त चावल स्टोर, 2 एस 70, कुडी भगतासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर पहुँच कर निरीक्षण करने पर तिल तेल (इंजन) के 8 पेट बोटल्स आम जनता हेतु वास्ते विक्रय हेतु था। उक्त तिल तेल (इंजन) के 500 एमएल के 4 पेट बोटल्स के वास्ते जांच मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 300/– नगद देकर खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. विक्रेता व गवाह के सामने खरीदशुदा तिल तेल (इंजन) के 500 एमएल के 4 पेट बोटल्स पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड व सीरियल नम्बर एम–1314 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एम–1314 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एम–1314 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाबा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एम–1314 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस 1397/एक्ट/2016/1428 दिनांक 14.12.2016 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ अमानक स्तर का होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का

रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एम–1366 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाई करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।

4. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। अप्रार्थीगण ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि वक्त निरिक्षक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान घी (श्री नन्दन) का नमूना Reichert Value Minimum 28.0 की जगह 27.28 पाई गई जो मौसम की वजह से मौसचर होने के कारण भी हो सकती है। मैने उक्त खाद्य पादार्थ में किसी भी प्रकार की कोई मिलावट नहीं की है।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि मेरे इस प्रार्थनापत्र को ध्यान में रखते हुए उक्त प्रकरण को निरस्त फरमाने की कृपा करें।

5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट क्रमांक 1451 दिनांक 30.12.2016 का अवलोकन किया । मनन के पश्चात पाया की अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थी यदि रिपोर्ट दिनांक 30.12.2016 से सन्तुष्ट न था तो उनके पास रेफरल लेब जाने का अवसन था, परन्तु उन्होने निर्धारित समय में अपील पेश न की । ऐसी स्थिति में अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थीगण पर शास्ती

रूपये ..... अक्षरे रूपये ..... की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक ..... के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

क्रमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2017/ **दिनांक :–**

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01. अभिहित अधिकारी एवं संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, जोधपुर।
02. श्री रेवत सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।
03. श्री मोती पंचारिया पुत्र श्री संतोष कुमार, फर्म :– मै. रिद्धि सिद्धि ट्रेडर्स, 12, ब्लॉक महावीर सावरकर, मंडोर मण्डी जोधपुर । निवासीः ब्राह्मणों की ढाणी, महर्षी गौतम नगर, धोलासर जोधपुर।
04. श्रीमती राधा देवी पत्नी श्री आसकरण, फर्म :– मै. रिद्धि सिद्धि ट्रेडर्स, 12, ब्लॉक महावीर सावरकर, मंडोर मण्डी जोधपुर। निवासीः नृसिंह जी की प्याउ, माता का थान, मगरा पूंजला, जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 92/2017 आर सी एम एसः 2017/00100

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जोधपुर।		1. श्री मोती पंचारिया पुत्र श्री संतोष कुमार, फर्म :– मै. रिद्धि सिद्धि ट्रेडर्स, 12, ब्लॉक महावीर सावरकर मंडोर मण्डी जोधपुर निवासीः ब्राह्मणों की ढाणी, महर्षी गौतम नगर, धोलासर जोधपुर। 2. श्रीमती राधा देवी पत्नी श्री आसकरण फर्म :– मै. रिद्धि सिद्धि ट्रेडर्स, 12, ब्लॉक महावीर सावरकर मंडोर मण्डी जोधपुर निवासीः नृसिंह जी की प्याउ, माता का थान, मगरा पूंजला, जोधपुर।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 22.12.2016 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी मै. रिद्धि सिद्धि ट्रेडर्स, 12, ब्लॉक महावीर सावरकर, मंडोर मण्डी, जोधपुर पहुँच कर निरीक्षण करने पर घी (श्री नन्दन) के 5 कार्टन (प्रत्येक में 9 नग, प्रत्येक 2 लीटर) आम जनता हेतु वास्ते विक्रय हेतु था। उक्त घी 2 लीटर के 4 नग के वास्ते जांच मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 2785/– नगद देकर खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. विक्रेता व गवाह के सामने खरीदशुदा घी (श्री नन्दन) 2 लीटर के 4 नग मूल ही तुलवा कर /नपवाकर इन पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड व सीरियल नम्बर एम–1366 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एम–1366 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एम–1366 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाबा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एम–1366 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस 1419/एक्ट/2016/1451 दिनांक 30.12.2016 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ अमानक स्तर का होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा

विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एडी–1412 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाई करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।

4. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। अप्रार्थीगण ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि मात्र पैकेट के उपर "Best Before 12 month from the date of packing (Given in small letter)" के आधार पर चाय के नमूने को मिथ्या छाप नहीं माना जा सकता। अप्रार्थीगण ने रेगूलेशन नम्बर 2.2.2 (10) खाद्य सुरक्षा अधिनियम (packing and labeling) का पूर्ण रूप से पालना की है फलस्वरूप अप्रार्थीगण के विरूद्ध कार्यवाही ड्रॉप फरमावें।

5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट कमांक 115 दिनांक 27.02.2017 का अवलोकन किया । मनन के पश्चात पाया की अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 52 का दोषी हैं। अप्रार्थी यदि रिपोर्ट दिनांक 27.02.2017 से सन्तुष्ट न था तो उनके पास रेफरल लेब जाने का अवसन था, परन्तु उन्होने निर्धारित समय में अपील पेश न की । ऐसी स्थिति में अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 52 का दोषी हैं। अप्रार्थीगण पर शास्ती

रूपये ..... अक्षरे रूपये ..... की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक ..... के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

कमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2017/ **दिनांक :–**

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01. अभिहित अधिकारी एवं संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, जोधपुर।
02. श्री रेवत सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।
03. श्री मदनमोहन अरोडा पुत्र श्री जयश्री कृष्णा अरोडा, फर्म :– मै. अरोडा टी ऐजेंसी, दुकान नं 8, सिवांची गेट, बस स्टेण्ड, जोधपुर। निवासीः 7ए16 तीसरा पुलिया, चौ हा बो जोधपुर।
04. श्रीमती संतोष अरोड़ा पत्नी श्री मदनमोहन अरोडा, फर्म :– मै. अरोडा टी ऐजेंसी, दुकान नं 8, सिवांची गेट, बस स्टेण्ड, जोधपुर। निवासीः 7ए16 तीसरा पुलिया, चौ हा बो जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 82/2017 आर सी एम एसः 2017/00091

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जोधपुर।		1. श्री मदनमोहन अरोडा पुत्र श्री जयश्री कृष्णा अरोडा, फर्म :– मै. अरोडा टी ऐजेंसी, दुकान नं 8, सिवांची गेट, बस स्टेण्ड, जोधपुर। निवासीः 7ए16 तीसरा पुलिया, चौ हा बो जोधपुर। 2. श्रीमती संतोष अरोड़ा पत्नी श्री मदनमोहन अरोडा, फर्म :– मै. अरोडा टी ऐजेंसी, दुकान नं 8, सिवांची गेट, बस स्टेण्ड, जोधपुर। निवासीः 7ए16 तीसरा पुलिया, चौ हा बो जोधपुर।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 15.02.2017 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी मै. अरोडा टी ऐजेंसी, दुकान नं 8, सिवांची गेट, बस स्टेण्ड, जोधपुर पहुँच कर निरीक्षण करने पर पोली पेकिंग पैकेटर्स खाद्य पदार्थ चाय (ब्रांड अरोड़ा गोल्ड) के 120 पैकेट 250 ग्राम के (30 किलोग्राम) आम जनता हेतु वास्ते विक्रय हेतु था। उक्त खाद्य पदार्थ चाय (ब्रांड अरोड़ा गोल्ड) को नियमानुसार 250 ग्राम के 8 पाउच (2किलोग्राम) के वास्ते जांच मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 360/– नगद देकर खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. विक्रेता व गवाह के सामने खरीदशुदा चाय (ब्रांड अरोड़ा गोल्ड) के 250 ग्राम के 8 पाउच (2किलोग्राम) मूल ही तुलवाकर/नपवाकर 2 पैक पैकेट्स (500ग्राम) प्रति नमूना के हिसाब से अलग अलग नियमानुसार चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड व सीरियल नम्बर एडी–1412 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एडी–1412 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एडी–1412 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाबा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एडी–1412 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस 115/एक्ट/2017/115 दिनांक 27.02.2017 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ अमानक स्तर का होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना

4. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। अप्रार्थीगण ने व्यक्तिशः उपस्थित होकर जवाब पेश कर निवेदन किया कि मैनें प्रतिष्ठान से दिनांक 17.02.2017 को FSSACT 2006 के अंतर्गत जांचार्य संग हिमखाद्य नमूना खाद्य पदार्थ रिफाइंड सोयाबीन तेल जांच रिपोर्ट संख्या एल एस/123/ एक्ट2017/125 दिनांक 28.02.2017 अनुसार सब स्टेंडर्ड पाया गया। मैं उक्त खाद्य रिफाइंड सोयाबीन तेल बाजार से क्रय करता हूं। एवं इस खाद्य तेल का प्रयोग खाद्य सामग्री बनाने में किया जाता है।

कृपया न्यूनतम जुर्माना लगाया जावे एवं भविष्य में इसकी पुनरावृति नहीं की जाएगी।

5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट कमांक 125 दिनांक 28.02.2017 का अवलोकन किया । मनन के पश्चात पाया की अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थी यदि रिपोर्ट दिनांक 28.02.2017 से सन्तुष्ट न था तो उनके पास रेफरल लेब जाने का अवसन था, परन्तु उन्होने निर्धारित समय में अपील पेश न की । ऐसी स्थिति में अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थीगण पर शास्ती

रूपये ..... अक्षरे रूपये ..... की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक ..... के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

कमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2017/ **दिनांक :–**

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01. अभिहित अधिकारी एवं संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, जोधपुर।
02. श्री रेवत सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।
03. श्री जीवन सिंह पुत्र श्री लक्षमण सिंह, फर्म :– मै. रतन विलास, शक्ति कॉलोनी, लोकोशेड रोड, रातानाडा, जोधपुर। निवासीः ग्राम जमतड़, पोस्टः जोरासी तह. डिडिहाट, पिथौरागढ, देहरादून, उत्तराखण्ड।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 85/2017 आर सी एम एसः 2017/00102

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जोधपुर।		1. श्री जीवन सिंह पुत्र श्री लक्षमण सिंह, फर्म :– मै. रतन विलास, शक्ति कॉलोनी, लोकोशेड रोड, रातानाडा, जोधपुर। निवासीः ग्राम जमतड़, पोस्टः जोरासी तह. डिडिहाट, पिथौरागढ, देहरादून, उत्तराखण्ड।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 17.02.2017 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी मै. रतन विलास, शक्ति कॉलोनी, लोकोशेड रोड, रातानाडा, जोधपुर पहुँच कर निरीक्षण करने पर लगभग 8 किलोग्राम सोयाबीन तेल (खुला) एक खुले पीपे (कनस्तर) में पडा था। उक्त खाद्य पदार्थ रिफाइंड सोयाबीन तेल (खुला) से सब्जियां नाश्ता, एवं अन्य खाद्य पदार्थ बनाकर आम जनता हेतु वास्ते विक्रय हेतु था। उक्त तेल 1600 ग्राम के वास्ते जांच मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 120/– नगद देकर खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. विक्रेता व गवाह के सामने खरीदशुदा तेल 1600 ग्राम को हिला मिला कर एक रूप कर साफ व सूखी खाली चौडे मुंह वाली चार शिशियों में 400 ग्राम डालकर प्रत्येक बोतल को ढक्कन से एयर टाइट बंद किया गया एवं इन चारों मूल बोटल्स पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड व सीरियल नम्बर एम–1413 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एम–1413 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एम–1413 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाफा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एम–1413 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस 123/एक्ट/2017/125 दिनांक 28.02.2017 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ अमानक स्तर का होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एम–1413 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाई करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।

9. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। अप्रार्थीगण ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि अप्रार्थी के प्रतिष्ठान के कर्मचारियों के द्वारा एक स्टील के भगौने में रायता बनाने के लिए दही को उपयुक्त किया हुआ था एवं उक्त निरीक्षण दल ने जानबूझ कर उसी स्टील के भगौने में से निरिक्षण हेतु सेम्पल लिया गया था, जिससे रायता बनाया जा रहा था। इसलिए यह कहना सर्वथा गलत है कि अप्रार्थी के प्रतिष्ठान में अप्रर्थी द्वारा उसी दही को आम जनता या ग्राहकों को दही के रूप में बेचान किये जाने हेतु रखा गया था। रायता दही से बनाया जाता है जिसमें दही को रायता बनाने के लिए उपयुक्त किये बिना रायता बनाना संभव नहीं है। परन्तु निरीक्षण दल द्वारा जानबूझ कर अप्रार्थी के प्रतिष्ठान मे आम जनता व ग्राहकों को बेचान करने के लिए रखे गये दही का नमूना नहीं लिया जाकर रायता बनाने के लिए काम में लिए जा रहे दही जिसको रायता बनाने के लिए उपयुक्त अवस्था में लाया गया का नमूना लिया गया था। अतः परिवाद को खारिज फरमाया जावे।
10. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट कमांक 380 दिनांक 02.05.2017 का अवलोकन किया । मनन के पश्चात पाया की अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थी यदि रिपोर्ट दिनांक 02.05.2017 से सन्तुष्ट न था तो उनके पास रेफरल लेब जाने का अवसन था, परन्तु उन्होने निर्धारित समय में अपील पेश न की । ऐसी स्थिति में अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थीगण पर शास्ती

    रूपये ..... अक्षरे रूपये ..... की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक ..... के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।

    निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

कमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2017/ **दिनांक :–**

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01. अभिहित अधिकारी एवं संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, जोधपुर।
02. श्री रजनीश शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।
03. श्री विजय गुर्जर पुत्र श्री नीनाराम, फर्म :– मै. सुखसागर रेस्टोरेंट ई 100, कलपतरू सिनेमा के सामने, शास्त्रीनगर, जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर

याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 75/2017 आर सी एम एसः 2017/00069

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जोधपुर।		1. श्री विजय गुर्जर पुत्र श्री नीनाराम, फर्म :– मै. सुखसागर रेस्टोरेंट ई 100, कलपतरू सिनेमा के सामने, शास्त्रीनगर, जोधपुर। निवासीः गुर्जरों का बास, बनाड़, जोधपुर।

आदेश

6. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 24.01.2017 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी मै. सुखसागर रेस्टोरेंट ई 100, कलपतरू सिनेमा के सामने, शास्त्रीनगर, जोधपुर पहुँच कर निरीक्षण करने पर लगभग 3 किलोग्राम दही अन्य खाद्य पदार्थ बनाकर आम जनता हेतु वास्ते विक्रय हेतु था। उक्त दही 1 किलोग्राम के वास्ते जांच मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 60/– नगद देकर खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
7. विक्रेता व गवाह के सामने खरीदशुदा दही 1 किलोग्राम को हिला मिला कर एक रूप कर एक साफ सुखी खाली स्टील की भगोनी मे खरीदकर प्लास्टिक की चार साफ व सूखी शिशियों में बराबर (250ग्राम) डालकर प्रत्येक नमूना शिशी में 40 प्रतिशत फॉर्मेलिन की 20–20 बूंदें बतौर परिरक्षक डालकर प्रत्येक बोतल को ढक्कन से एयर टाइट बंद किया गया एवं इन चारों मूल बोटल्स पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड व सीरियल नम्बर एम–1464 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एम–1464 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एम–1464 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
8. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाबा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि काजू टुकडी के चारों पैकेट के चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एम–1464 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस 379/एक्ट/2017/380 दिनांक 02.05.2017 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ अमानक स्तर का होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एम–1464 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाई करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।

4. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। अप्रार्थीगण ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि अप्रार्थी के प्रतिष्ठान के कर्मचारियों के द्वारा एक स्टील के भगौने में रायता बनाने के लिए दही को उपयुक्त किया हुआ था एवं उक्त निरीक्षण दल ने जानबूझ कर उसी स्टील के भगौने में से निरिक्षण हेतु सेम्पल लिया गया था, जिससे रायता बनाया जा रहा था। इसलिए यह कहना सर्वथा गलत है कि अप्रार्थी के प्रतिष्ठान में अप्रर्थी द्वारा उसी दही को आम जनता या ग्राहकों को दही के रूप में बेचान किये जाने हेतु रखा गया था। रायता दही से बनाया जाता है जिसमें दही को रायता बनाने के लिए उपयुक्त किये बिना रायता बनाना संभव नहीं है। परन्तु निरीक्षण दल द्वारा जानबूझ कर अप्रार्थी के प्रतिष्ठान मे आम जनता व ग्राहकों को बेचान करने के लिए रखे गये दही का नमूना नहीं लिया जाकर रायता बनाने के लिए काम में लिए जा रहे दही जिसको रायता बनाने के लिए उपयुक्त अवस्था में लाया गया का नमूना लिया गया था। अतः परिवाद को खारिज फरमाया जावे।
5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट कमांक 380 दिनांक 02.05.2017 का अवलोकन किया । मनन के पश्चात पाया की अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थी यदि रिपोर्ट दिनांक 02.05.2017 से सन्तुष्ट न था तो उनके पास रेफरल लेब जाने का अवसन था, परन्तु उन्होने निर्धारित समय में अपील पेश न की । ऐसी स्थिति में अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थीगण पर शास्ती

   रूपये ..... अक्षरे रूपये ..... की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक ..... के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।

   निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

कमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2017/ **दिनांक :–**

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01. अभिहित अधिकारी एवं संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, जोधपुर।
02. श्री रजनीश शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।
03. श्री विजय गुर्जर पुत्र श्री नीनाराम, फर्म :– मै. सुखसागर रेस्टोरेंट ई 100, कलपतरू सिनेमा के सामने, शास्त्रीनगर, जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 75/2017 आर सी एम एसः 2017/00069

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जोधपुर।		1. श्री विजय गुर्जर पुत्र श्री नीनाराम, फर्म :– मै. सुखसागर रेस्टोरेंट ई 100, कलपतरू सिनेमा के सामने, शास्त्रीनगर, जोधपुर। निवासीः गुर्जरों का बास, बनाड़, जोधपुर।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 24.01.2017 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी मै. सुखसागर रेस्टोरेंट ई 100, कलपतरू सिनेमा के सामने, शास्त्रीनगर, जोधपुर पहुँच कर निरीक्षण करने पर लगभग 3 किलोग्राम दही अन्य खाद्य पदार्थ बनाकर आम जनता हेतु वास्ते विक्रय हेतु था। उक्त दही 1 किलोग्राम के वास्ते जांच मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 60/– नगद देकर खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. विक्रेता व गवाह के सामने खरीदशुदा दही 1 किलोग्राम को हिला मिला कर एक रूप कर एक साफ सुखी खाली स्टील की भगोनी मे खरीदकर प्लास्टिक की चार साफ व सूखी शिशियों में बराबर (250ग्राम) डालकर प्रत्येक नमूना शिशी में 40 प्रतिशत फॉर्मेलिन की 20–20 बूंदें बतौर परिरक्षक डालकर प्रत्येक बोतल को ढक्कन से एयर टाइट बंद किया गया एवं इन चारों मूल बोटल्स पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड व सीरियल नम्बर एम–1464 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एम–1464 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एम–1464 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाबा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि काजू टुकडी के चारों पैकेट के चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एम–1464 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस 379/एक्ट/2017/380 दिनांक 02.05.2017 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ अमानक स्तर का होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एम–1464 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाई करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।

जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एडी–482 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाई करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।

4. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। अप्रार्थीगण ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि अप्रार्थी एक छोटा व्यापारी है तथा लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर प्रकरण को चलाना नहीं चाहते तथा पुष्पा टीलावत वरिष्ठ नागरिक है। यह अप्रार्थी की प्रथम भूल है। प्रकरण में सदभावना पूर्वक कम से कम जुर्माना लगाकर प्रकरण समाप्त करने का निवेदन किया।

5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट क्रमांक 1257 दिनांक 26.10.2016 का अवलोकन किया । मनन के पश्चात पाया की अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थी यदि रिपोर्ट दिनांक 26.10.2016 से सन्तुष्ट न था तो उनके पास रेफरल लेब जाने का अवसन था, परन्तु उन्होने निर्धारित समय में अपील पेश न की । ऐसी स्थिति में अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थीगण पर शास्ती

रूपये ..... अक्षरे रूपये ..... की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक ..... के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

क्रमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2017/ **दिनांक :–**

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01. अभिहित अधिकारी एवं संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, जोधपुर।
02. श्री राजेश टींकर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन–जोधपुर।
03. श्री धनजय टीलावत पुत्र श्री दयानन्द टीलावत, फर्म :– मै. टीलावत हेल्थ फुड, एच–2–291, सांगरिया इंडस्ट्रियल ऐरिया, जोधपुर। निवासीः एच–2–291, 292, सांगरिया इंडस्ट्रियल ऐरिया, जोधपुर।
04. श्रीमती पुष्पा टीलावत पत्नि श्री दयानंद टीलावत, फर्म :– मै. टीलावत हेल्थ फुड, एच–2–291, 292, सांगरिया इंडस्ट्रियल ऐरिया, जोधपुर। निवासीः मुनसीपल, कारपोरेशन के सामने, सोजती गेट के अन्दर, जोधपुर, 342001।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 56 /2017 आर सी एम एसः 2017/00049

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जोधपुर।		1. श्री धनजय टीलावत पुत्र श्री दयानन्द टीलावत, फर्म :– मै. टीलावत हेल्थ फुड, एच–2–291, 292 सांगरिया इंडस्ट्रियल ऐरिया, जोधपुर। निवासीः एच–2–291, 292, सांगरिया इंडस्ट्रियल ऐरिया, जोधपुर। 2. श्रीमती पुष्पा टीलावत पत्नि श्री दयानंद टीलावत फर्म :– मै. टीलावत हेल्थ फुड, एच–2–291, 292 सांगरिया इंडस्ट्रियल ऐरिया, जोधपुर। निवासीः मुनसीपल, कारपोरेशन के सामने, सोजती गेट के अन्दर, जोधपुर, 342001।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 21.10.2016 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी मै. टीलावत हेल्थ फूड,एच – 2 – 291, 292, सांगरिया इंडस्ट्रियल एरिया जोधपुर पहुँच कर निरीक्षण करने पर काजू कतली से काजू कतली बनाकर आम जनता हेतु वास्ते विक्रय हेतु था। उक्त काजू टुकड़ी लोहे के पीपे में से लगभग 10 किग्रा में से 1 किलोग्राम के वास्ते जांच मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 760/– नगद देकर खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. खरीदशुदा काजू टुकडी 1 किलोग्राम को लगभग 250 ग्राम प्रति कि हिसाब से प्लास्टिक की चार साफ व सूखी शिशियों में बराबर (250ग्राम) डालकर प्रत्येक नमूना शिशी को ढक्कन से एयर टाइट बंद किया गया एवं इन चारों मूल बोटल्स पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड़ व सीरियल नम्बर एडी–482 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एडी–482 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एडी–482 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाबा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि काजू टुकडी के चारों पैकेट के चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एडी–482 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस 1228/एक्ट/2016/1257 दिनांक 26.10.2016 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ अमानक स्तर का होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये

06. फर्म :– मै. मैंगो होटल्स, (A unit of Intellistay Hotels Pvt. Ltd.), राजकीय वेटरनरी– अस्पताल के सामने, रातानाडा जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर

अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एम–1344 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।

3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाबा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि काजू टुकडी के चारों पैकेट के चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एम–1344 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस 1414/एक्ट/2017/1455 दिनांक 29.12.2016 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ अमानक स्तर का होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एम–1344 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाई करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।

4. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। अप्रार्थीगण ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि पनीर हम बाजार से क्रय करते हैं। हमें इस अमानक स्तर के पनीर के बारे में तब तक जानकारी नहीं थी जब तक कि इसकी जांच नहीं हुई। हम आगे से खाद्य सुरक्षा अधिनियम के मानकों का पूर्ण रूप से पालन करेंगे। प्रकरण में सदभावना पूर्वक कम से कम जुर्माना लगाकर प्रकरण समाप्त करने का निवेदन किया।

5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट कमांक 1445 दिनांक 29.12.2016 का अवलोकन किया । मनन के पश्चात पाया की अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थी यदि रिपोर्ट दिनांक 29.12.2016 से सन्तुष्ट न था तो उनके पास रेफरल लेब जाने का अवसन था, परन्तु उन्होने निर्धारित समय में अपील पेश न की । ऐसी स्थिति में अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थीगण पर शास्ती

रूपये ..... अक्षरे रूपये ..... की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक ..... के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

कमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2017/ **दिनांक :–**

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01. अभिहित अधिकारी एवं संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, जोधपुर।
02- श्री संदीप अग्रवाल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोन–जोधपुर (राज.)।
03. श्री बोधराज लमसाल पुत्र श्री रामभक्ता लमसाल, फर्म :– मै. मैंगो होटल्स, (A unit of Intellistay Hotels Pvt. Ltd.), राजकीय वेटरनरी– अस्पताल के सामने,रातानाडा जोधपुर। निवासीः जी–1 मिश्रा प्लॉट,गीता नगर, ऋषिकेश।
04. श्री प्रशांत राव अरूर, फर्म :– मै. मैंगो होटल्स, (A unit of Intellistay Hotels Pvt. Ltd.), राजकीय वेटरनरी– अस्पताल के सामने, रातानाडा जोधपुर। निवासीः Gayathri, Falnir, Mangalone, Karnataka, 545002.
05. Sh. Ramesh Seth (Director), फर्म :– मै. मैंगो होटल्स, (A unit of Intellistay Hotels Pvt. Ltd.), राजकीय वेटरनरी– अस्पताल के सामने, रातानाडा जोधपुर। निवासीः 495/2, Mission School Raod, Kundanpura, Karnataka.

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 109/17 **आर सी एम एसः 2017/00104**

प्रार्थी	**बनाम**	**अप्रार्थी**
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जोधपुर।		1. श्री बोधराज लमसाल पुत्र श्री रामभक्ता लमसाल, फर्म :– मै. मैंगो होटल्स, (A unit of Intellistay Hotels Pvt. Ltd.), राजकीय वेटरनरी– अस्पताल के सामने, रातानाडा जोधपुर। निवासीः जी–1 मिश्रा प्लॉट,गीता नगर, ऋषिकेश। 2. श्री प्रशांत राव अरूर, फर्म :– मै. मैंगो होटल्स, (A unit of Intellistay Hotels Pvt. Ltd.), राजकीय वेटरनरी– अस्पताल के सामने, रातानाडा जोधपुर। निवासीः Gayathri, Falnir, Mangalone, Karnataka, 545002 3. Sh. Ramesh Seth (Director) फर्म :– मै. मैंगो होटल्स, (A unit of Intellistay Hotels Pvt. Ltd.), राजकीय वेटरनरी– अस्पताल के सामने, रातानाडा जोधपुर। निवासीः 495/2, Mission School Raod Kundanpura, Karnataka. 4. फर्म :– मै. मैंगो होटल्स, (A unit of Intellistay Hotels Pvt. Ltd.), राजकीय वेटरनरी– अस्पताल के सामने, रातानाडा जोधपुर।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 21.12.2016 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी मै. मैंगो होटल्स, (A unit of Intellistay Hotels Pvt. Ltd.), राजकीय वेटरनरी– अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर पहुँच कर निरीक्षण करने दौरान डीप फ्रीजर में स्टील की ट्रे में खाद्य पदार्थ लगभग 05 किलो पनीर पडा था, उक्त पनीर से पकौडे, सब्जियां वगैरह बनाकर आम जनता को विक्रय किये जाते हैं। उक्त पनीर नियमानुसार 1 किलोग्राम के वास्ते जांच मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 220/– नगद देकर खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. खरीदशुदा पनीर 1 किलोग्राम को लगभग 250 ग्राम प्रति कि हिसाब से प्लास्टिक की चार साफ व सूखी शिशियों में हिला मिलाकर एक रूप कर चार साफ सूखी एवं खाली नयी कांच की शीशियों में बराबर (250ग्राम) डालकर प्रत्येक नमूना शिशी में 40 प्रतिशत फार्मेलिन की 20–20 बूंदें बतौर परिरक्षक की डालकर प्रत्येक नमूना शिशी को ढक्कन से एयर टाइट बंद किया गया एवं इन चारों मूल बोटल्स पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी. ओ.कोड़ व सीरियल नम्बर एम–1344 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एम–1344 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर कोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द

नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एम–1509 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस 474/एक्ट/2017/747 दिनांक 24.05.2017 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ अमानक स्तर का होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एम–1509 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाई करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।

4. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। अप्रार्थीगण ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि पनीर मेरे द्वारा बाहर से खरीदा जाता है भविष्य में गुणवत्ता वाला पनीर खरीदने का प्रयास किया जाएगा। प्रकरण में सदभावना पूर्वक कम से कम जुर्माना लगाकर प्रकरण समाप्त करने का निवेदन किया।

5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट क्रमांक 474 दिनांक 24.05.2017 का अवलोकन किया । मनन के पश्चात पाया की अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थी यदि रिपोर्ट दिनांक 24.05.2017 से सन्तुष्ट न था तो उनके पास रेफरल लेब जाने का अवसन था, परन्तु उन्होने निर्धारित समय में अपील पेश न की । ऐसी स्थिति में अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थीगण पर शास्ती

रूपये ..... अक्षरे रूपये ..... की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक ..... के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

क्रमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2017/ **दिनांक :–**

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01. अभिहित अधिकारी एवं संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, जोधपुर।
02. श्री राजेश टींकर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन–जोधपुर।
03. श्री पुनीत शर्मा पुत्र श्री ओम प्रकाश, फर्म :– मै. स्पाईसी किचन,(युनिट ऑफ लिटिल इंडिया), प्लॉट नं 4/5,एच.पी. पेट्रोल पंप के पास, मुख्य पाल रोड़, जोधपुर ।
04. श्री तन्मय सिंह पुत्र श्री कृष्ण सिंह, फर्म :– मै. स्पाईसी किचन,(युनिट ऑफ लिटिल इंडिया), प्लॉट नं 4/5,एच.पी. पेट्रोल पंप के पास, निवासीः 17 ई/740 चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर।
05. मै. स्पाईसी किचन,(युनिट ऑफ लिटिल इंडिया), प्लॉट नं 4/5,एच.पी. पेट्रोल पंप के पास, मुख्य पाल रोड़, जोधपुर ।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 39 /2017 **आर सी एम एसः 2017/00096**

प्रार्थी	**बनाम**	**अप्रार्थी**
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जोधपुर।		1. श्री पुनीत शर्मा पुत्र श्री ओम प्रकाश, फर्म :– मै. स्पाईसी किचन,(युनिट ऑफ लिटिल इंडिया), प्लॉट नं 4/5,एच.पी. पेट्रोल पंप के पास, मुख्य पाल रोड़, जोधपुर । निवासीः ए–71 शास्त्री नगर, जोधपुर। 2. श्री तन्मय सिंह पुत्र श्री कृष्ण सिंह, फर्म :– मै. स्पाईसी किचन,(युनिट ऑफ लिटिल इंडिया), प्लॉट नं 4/5,एच.पी. पेट्रोल पंप के पास, मुख्य पाल रोड़, जोधपुर । निवासीः 17 ई/740 चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर। 3. मै. स्पाईसी किचन,(युनिट ऑफ लिटिल इंडिया) प्लॉट नं 4/5,एच.पी. पेट्रोल पंप के पास, मुख्य पाल रोड़, जोधपुर ।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 12.05.2017 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी मै. महेश्वरी जनरल स्टोर, भाटी सॉफ्टी के सामने, जालोरी गेट के अन्दर, जोधपुर पहुँच कर निरीक्षण करने दौरान फ्रीजर में स्टील की ट्रे में खाद्य पदार्थ लगभग 04 किलो पनीर पडा था, उक्त पनीर से सब्जियां, कटलेटस, स्टार्टर एवं अन्य खाद्य पदार्थ बनाकर बने हुए खाद्य पदार्थ बनाकर आम जनता को विक्रय किये जाते हैं। उक्त पनीर नियमानुसार 1 किलोग्राम के वास्ते जांच मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 280/– नगद देकर खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. खरीदशुदा पनीर 1 किलोग्राम को लगभग 250 ग्राम प्रति कि हिसाब से प्लास्टिक की चार साफ व सूखी शिशियों में हिला मिलाकर एक रूप कर चार साफ सूखी एवं खाली नयी कांच की शीशियों में बराबर (250ग्राम) डालकर प्रत्येक नमूना शिशी में 40 प्रतिशत फार्मेलिन की 20–20 बूंदें बतौर परिरक्षक की डालकर प्रत्येक नमूना शिशी को ढक्कन से एयर टाइट बंद किया गया एवं इन चारों मूल बोटल्स पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी. ओ.कोड़ व सीरियल नम्बर एम–1509 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एम–1509 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एम–1509 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाबा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि काजू टुकडी के चारों पैकेट के चारों

कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एडी–332 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाई करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।

4. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। अप्रार्थी ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि मै दही अच्छी गुणवत्ता का ही बेचता हूॅ। उसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं करता हूॅ, मैने अपनी उक्त दुकान बंद कर दी है । भविष्य में ऐसी गलती नहीं करूंगा । अपना जुर्म स्वीकार करता हूॅ। प्रकरण को कम से कम जुर्माना लगाकर प्रकरण समाप्त करने का निवेदन किया।

5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट क्रमांक 315 दिनांक 29.03.2016 का अवलोकन किया । मनन के पश्चात पाया की अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थी यदि रिपोर्ट दिनांक 29.03.2016 से सन्तुष्ट न था तो उनके पास रेफरल लेब जाने का अवसन था, परन्तु उन्होने निर्धारित समय में अपील पेश न की । ऐसी स्थिति में अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थीगण पर शास्ती

रूपये ..... अक्षरे रूपये ..... की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक .....के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

क्रमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2017/ **दिनांक :–**

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01. अभिहित अधिकारी एवं संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, जोधपुर।
02. श्री राजेश टींकर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन–जोधपुर।
03. श्री विरेन्द्र सिंह पुत्र श्री उम्मेद सिंह, फर्म :– मै. जोधपुर स्वीट कॉर्नर, कृषि मण्डी के सामने, सरस्वती नगर बासनी द्वितीय फेस, जोधपुर । निवासीः मनना बासनी तह वालेसर जोधपुर।
04. श्री सुमेर सिंह पुत्र श्री लिखम सिंह, मै. जोधपुर स्वीट कॉर्नर कृषी मंडी के सामने, सरस्वती नगर बासनी द्वितीय फेस, जोधपुर। निवासीः नारवा खुर्द नागौर, नारवाकला राज.।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 31 /2017 **आर सी एम एसः 2017/00029**

प्रार्थी

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी,
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी

1. श्री विरेन्द्र सिंह पुत्र श्री उम्मेद सिंह,
   फर्म :– मै. जोधपुर स्वीट कॉर्नर, कृषि मण्डी के सामने,
   सरस्वती नगर बासनी द्वितीय फेस, जोधपुर ।
   निवासीः मनना बासनी तह वालेसर जोधपुर।
2. श्री सुमेर सिंह पुत्र श्री लिखम सिंह,
   मै. जोधपुर स्वीट कॉर्नर कृषी मंडी के सामने
   सरस्वती नगर बासनी द्वितीय फेस, जोधपुर ।
   निवासीः नारवा खुर्द नागौर, नारवाकला राज.।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 20.03.2016 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी मै. महेश्वरी जनरल स्टोर, भाटी सॉफ्टी के सामने, जालोरी गेट के अन्दर, जोधपुर पहुँच कर निरीक्षण करने दौरान खाद्य पदार्थ लगभग 10 किलो दही एक स्टील की टंकी में आम जनता को विक्रय हेतु रखा था। उक्त दही नियमानुसार 1 किलोग्राम के वास्ते जांच मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 80/– नगद देकर खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. खरीदशुदा दही 1 किलोग्राम को लगभग 250 ग्राम प्रति कि हिसाब से प्लास्टिक की चार साफ व सूखी शिशियों में हिला मिलाकर एक रूप कर चार साफ सूखी एवं खाली नयी कांच की शीशियों में बराबर (250ग्राम) डालकर प्रत्येक नमूना शिशी में 40 प्रतिशत फार्मेलिन की 20–20 बूंदें बतौर परिरक्षक की डालकर प्रत्येक नमूना शिशी को ढक्कन से एयर टाइट बंद किया गया एवं इन चारों मूल बोटल्स पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी. ओ.कोड़ व सीरियल नम्बर एडी–332 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एडी–332 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एडी–332 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाबा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि काजू टुकडी के चारों पैकेट के चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एडी–332 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस 284/एक्ट/2016/315 दिनांक 29.03.2016 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ मिथ्याछाप होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति,

791/एक्ट/2016/820 दिनांक 20.07.2016 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एडी–421 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाई करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।

4. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। अप्रार्थी सं01 ने अपना जवाब पेश नहीं किया, जवाब बंद किया गया। अप्रार्थी सं03 व 04 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि रिपोर्ट में मामूली फर्क आने से नमूना पास नहीं हुआ। यह सरसों में नमी उत्पन्न होने से हो जाता है। भविष्य में इसका ध्यान रखा जाएगा तथा दो ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि सरसों के तेल में किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं की गई है। वैल्यू 168 से 177 होना चाहिये, परिणाम 178.44 आया जो मशीनों की टेक्नोलॉजी के कारण भी संभव है। प्रार्थी को बहस का मौका दिया गया, प्रार्थी उपस्थित नहीं, अतः एक पक्षीय आदेश पारित किये जाते है।

5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट कमांक 820 दिनांक 20.07.2016 का अवलोकन किया । मनन के पश्चात पाया की अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थी यदि रिपोर्ट दिनांक 21.06.2016 से सन्तुष्ट न था तो उनके पास रेफरल लेब जाने का अवसर था, परन्तु उन्होने निर्धारित समय में अपील पेश न की । ऐसी स्थिति में अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थीगण पर शास्ती रूपये ..... अक्षरे रूपये ..... की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक .....के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।
निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

कमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2017/ **दिनांक :–**

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01. अभिहित अधिकारी एवं संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, जोधपुर।
02. श्री राजेश टींकर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन–जोधपुर।
03. श्री मुकेश कुमार पुत्र श्री मांगीलाल कुमावत, फर्म :– मै. महालक्ष्मी प्रोविजन स्टोर, किसान सर्विस सेंटर के पास, माता का थान, जोधपुर । **निवासीः** खेडी वाला डेरा, वार्ड सं 62 माता का थान, जोधपुर।
04. श्री वने चंद पुत्र श्री लूमचंद फर्म :– मै. वनेचंद एण्ड कम्पनी, राखी हाउस, कपडा बजार जोधपुर। **निवासीः** खेतर पाली का चबूतरा, जुनी मण्डी, सिंह पोल जोधपुर।
05. महेश कुमार खण्डेलवाल पुत्र श्री मालीराम खण्डेलवाल फर्म :– मै. पिंकसिटी ऑयल प्रोडक्ट प्रा. लि. प्लॉट सं ई 760, रोड सं 09 एफआईवीकेआई, जयपुर। निवासीः ब्राहमणों का मोहल्ला बडाडी, त फलेरा, जयपुर।
06. फर्म :– मै. पिंकसिटी ऑयल प्रोडक्ट प्रा. लि. प्लॉट सं ई 760, रोड सं 09, एफआईवीकेआई, जयपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 55/2017

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जोधपुर।		1. श्री मुकेश कुमार पुत्र श्री मांगीलाल कुमावत, फर्म :– मै. महालक्ष्मी प्रोविजन स्टोर, किसान सर्विस सेंटर के पास, माता का थान, जोधपुर । निवासीः खेडी वाला डेरा, वार्ड सं 62 माता का थान, जोधपुर। 2. श्री वने चंद पुत्र श्री लूमचंद फर्म :– मै. वनेचंद एण्ड कम्पनी, राखी हाउस, कपडा बजार जोधपुर। निवासीः खेतर पाली का चबूतरा, जुनी मण्डी, सिंह पोल जोधपुर 3. महेश कुमार खण्डेलवाल पुत्र श्री मालीराम खण्डेलवाल फर्म :– मै. पिंकसिटी ऑयल प्रोडक्ट प्रा. लि. प्लॉट सं ई 760, रोड सं 09 एफआईवीकेआई, जयपुर। निवासीः ब्राहमणों का मोहल्ला बडाडी, त फलेरा, जयपुर। 4. फर्म :– मै. पिंकसिटी ऑयल प्रोडक्ट प्रा. लि. प्लॉट सं ई 760, रोड सं 09, एफआईवीकेआई, जयपुर।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 11.07.2017 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी मै. महालक्ष्मी प्रोविजन स्टोर, किसान सर्विस सेंटर के पास, माता का थान, जोधपुर पहुँच कर निरीक्षण करने दौरान खाद्य पदार्थ सरासों का तैल (पिंकसिटी) आम जनता को विक्रय हेतु रखा था। उक्त सरासों का तैल (पिंकसिटी) की नियमानुसार 04 सील्ड बोतल, 500एम एल के वास्ते जांच मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 200/– नगद देकर खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. खरीदशुदा तेल की बोतलों के चारों पैकेट पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड़ व सीरियल नम्बर एडी–421 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एडी–421हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एडी–421 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाबा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि तेल की बोतलों के चारों पैकेट के चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एडी–421 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस

पश्चात पाया की अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थी यदि रिपोर्ट दिनांक 26.10.2016 से सन्तुष्ट न था तो उनके पास रेफरल लेब जाने का अवसन था, परन्तु उन्होने निर्धारित समय में अपील पेश न की । ऐसी स्थिति में अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थीगण पर शास्ती

रूपये ..... अक्षरे रूपये ..... की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक .....के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

क्रमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2017/ दिनांक :–

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01. अभिहित अधिकारी एवं संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, जोधपुर।
02. श्री रजनीश शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।
03. श्री पारसराम पटेल राठौड पुत्र श्री सोनाराम पटेल, फर्म :–महादेव मावा भण्डार, शोभावतों की ढाणी, पाल रोड,जोधपुर।
04. महादेव मावा भण्डार, शोभावतों की ढाणी, पाल रोड,जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 27 / 2017

प्रार्थी	**बनाम**	अप्रार्थी
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जोधपुर।		1. श्री पारसराम पटेल राठौड पुत्र श्री सोनाराम पटेल, फर्म :– महादेव मावा भण्डार, शोभावतों की ढाणी, पाल रोड,जोधपुर ।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 21.10.2016 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी मै. महादेव मावा भण्डार, शोभावतों की ढाणी, पाल रोड, जोधपुर पहुँच कर निरीक्षण करने दौरान खाद्य पदार्थ लगभग 6 किलो मावा थाल में आम जनता को विक्रय हेतु रखा था। उक्त मावा नियमानुसार 1किलोग्राम के वास्ते जांच मिलावट / अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 700 / – नगद देकर खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. खरीदशुदा काजू टुकडी 1 किलोग्राम को लगभग 250 ग्राम प्रति कि हिसाब से प्लास्टिक की चार साफ व सूखी शिशियों में भरा एवं 40 प्रतिशत फार्मेलिन की 20–20 बूंदे बतौर प्रिजरवेटिव डाल कर चारों पैकेट पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड़ व सीरियल नम्बर एम–1291 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एम–1291हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एम–1291सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाबा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि काजू टुकडी के चारों पैकेट के चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एम–1291 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस 1221 / एक्ट / 2016 / 1251 दिनांक 26.10.2016 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ मिथ्याछाप होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एम–1291 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाई करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।
4. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। बावजूद नोटिस तामिल अप्रार्थी ने जवाब पेश नहीं किया इस हेतु इन्हें अवसर दिये गये परन्तु जवाब पेश नही हाने से जवाब बंद किया गया।
5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट क्रमांक 1251 दिनांक 26.10..2016 का अवलोकन किया । मनन के

2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना ईई–621 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाई करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।

4. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। अप्रार्थी ने जवाब पेश कर जवाब में बताया कि दिनांक 18.09.2015 को हमारे रेस्टोरेंट के फ्रिज मेंरखा हुआ पनीर होटल बुकिंग के किसी ग्राहक का था जो पडा रह गया। उक्त पनीर का नमूना खाद्य सुरक्षा अधिकरी को इस बात की जानकारी देने के बाद भी नमूना लिया गया तथा रेस्टोरेंट में किसी ग्राहक का सामान नहीं रखने हेतु हिदायत दी जा चुकी है अतः कम से कम जुर्माना लगाने हेतु निवेदन किया है।

5. वकील पक्षकार को सुना गया। वकील पक्षकार ने बहस के दौरान जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए उचित आदेश फरमाने हेतु निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट कमांक 689 दिनांक 30.09.2015 का अवलोकन किया । मनन के पश्चात पाया की अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थी यदि रिपोर्ट दिनांक 30.09.2015 से सन्तुष्ट न था तो उनके पास रेफरल लेब जाने का अवसन था, परन्तु उन्होने निर्धारित समय में अपील पेश न की । ऐसी स्थिति में अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थीगण पर शास्ती रूपये ..... अक्षरे रूपये ..... की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक .....के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

कमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2017/ **दिनांक :–**

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01. अभिहित अधिकारी एवं संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, जोधपुर।
02. श्री रोहित शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक ग्रामीण स्वास्थ्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
03. श्री भीखसिंह पुत्र स्व. श्री करणसिंह, (F&B Executive)
    M/S Shree Ram International, Residency Road, Ratanada, Jodhpur
04- M/S Shree Ram International, Residency Road, Ratanada, Jodhpur.
05- M/S Shree Ram InterHotels & Ind. (Partner), C-79, Basni, 2nd Phase, MIA, Jodhpur.
06. श्री भंवरलाल सोनी (भागीदार), निवासी– PWD Colony, Jodhpur
07. श्री ओमप्रकाश सोनी (भागीदार), निवासी– PWD Colony, Jodhpur
08- M/s Hotel Ratanada Int. Pvt. Ltd. (Partner) Residency Road, Ratanada, Jodhpur
09. M/s Shree Ram International, A Unit of M/s Shree Ram Hotels, Residency Road, Ratanada, Jodhpur.

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 54 / 2017

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जोधपुर।		1. श्री भीखसिंह पुत्र स्व. श्री करणसिंह, (F&B Executive) M/S Shree Ram International, Residency Road, Ratanada, Jodhpur. 2. M/S Shree Ram International, Residency Road, Ratanada, Jodhpur. 3. M/S Shree Ram InterHotels & Ind. (Partner), C-79, Basni, 2nd Phase, MIA, Jodhpur. 4. श्री भंवरलाल सोनी (भागीदार), निवासी– PWD Colony, Jodhpur 5. श्री ओमप्रकाश सोनी (भागीदार), निवासी– PWD Colony, Jodhpur 6. M/s Hotel Ratanada Int. Pvt. Ltd. (Partner) Residency Road, Ratanada, Jodhpur 7. M/s Shree Ram International, A Unit of M/s Shree Ram Hotels, Residency Road, Ratanada, Jodhpur.

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 18.09.2015 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी मै. श्रीराम इंटरनेशनल, रेजीडेंसी रोड, रातानाडा, जोधपुर पहुँच कर निरीक्षण करने दौरान खाद्य पदार्थ लगभग 5 किलो पनीर एक भगौनी में आपम जनता को विक्रय हेतु परोसे जाने वाले तैयार खाद्य पदार्थ पनीर की सब्जि, पनीर टिक्का आदि में प्रयोग किया जा रहा था था। उक्त पनीर नियमानुसार 1 किलो ग्राम के वास्ते जांच मिलावट / अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 250 / – नगद देकर खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. खरीदशुदा पनीर 1 किलोग्राम को हिला मिला कर एक रूप कर` प्लास्टिक की चार साफ व सूखी शिशियों में डालकर प्रत्येक बोतल में 40 प्रतिशत फार्मेलिन की 20–20 बूंदें बतौर परिरक्षक की डालकर बोतलों को एयरटाइअ बंद कर इन सेंपल के चारों पैकेट पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड़ व सीरियल नम्बर एम–1495 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप ईई–621 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना ईई–621 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाबा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि काजू टुकडी के चारों पैकेट के चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में ईई–621 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस 689 / एक्ट / 2015 / 689 दिनांक 30.09.2015 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ सब स्टैण्डर्ड होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा

4. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। अप्रार्थी ने जवाब पेश कर जवाब में बताया परिवादी विभाग द्वारा जो जांच कार्यवाही की गयी है वो खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम, 2006 की अनुपालना में नहीं की गयी है। अलावा इसके भी उल्लेखनीय है कि परिवादी विभाग के अधिकारियों ने बरवक्त जांच जिस आईसक्रीम का नमूना जांच हेतु लिया गया है वह गैरसायल के स्वयं का उत्पाद नहीं है। बल्कि गैरसायल द्वारा उस आइसक्रीम की निर्माता कम्पनी ''भारखदेवी आईसक्रीम'' की ऐजेन्सी ली हुई है जिसके तहत भारखादेवी आईसक्रीम द्वारा परिवादी को पैक्ड यानि बड़े ड्रम में पैक की हुई सीलजसुदा आइसक्रीम सप्लाई की गयी थी उसी पैक्ड आईसक्रीम को उसी अवस्था में गैरसायल द्वारा विक्रय किया जा रहा था। जिसमें गैरसायल की ओर से किसी प्रकार की कोई मिलावट इत्यादि नहीं की गयी है। यह स्वीकृत स्थिति है कि जो नमूना चिकित्सा विभाग के खाद्य अधिकारी द्वारा गैरसायल के व्यापारिक संस्थान से लिया गया है वह भाखरदेवी आईसक्रीम का ही है जो गैरसायल का स्वयं का उत्पाद नहीं है तथा गैरसायल के पक्ष में उचित आदेश पारित करावें।

5. वकील पक्षकार को सुना गया। वकील पक्षकार ने बहस के दौरान जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए उचित आदेश फरमाने हेतु निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट क्रमांक 487 दिनांक 26.05.2017 का अवलोकन किया । मनन के पश्चात पाया की अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थी यदि रिपोर्ट दिनांक 26.05.2017 से सन्तुष्ट न था तो उनके पास रेफरल लेब जाने का अवसन था, परन्तु उन्होने निर्धारित समय में अपील पेश न की । ऐसी स्थिति में अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थीगण पर शास्ती रूपये ..... अक्षरे रूपये ..... की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक .....के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

क्रमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2017/ दिनांक :–

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01. अभिहित अधिकारी एवं संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, जोधपुर।
02. श्री रजनीश शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।
03. श्री शेखर थानवी पुत्र श्री ध्रुव थानवी, **निवासीः** 11/487 चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर।
04. **फर्म :–** मै. जस्ट कूल आइसक्रीम एण्ड रेस्टोरेन्ट, जोधपुर। शॉप सं 04, प्लॉट 1ऐ17, प्रथम पुलिया, सीएचबी, जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 76 / 2017

प्रार्थी	**बनाम**	अप्रार्थी
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जोधपुर।		1. श्री शेखर थानवी पुत्र श्री ध्रुव थानवी, **फर्म :–** मै. जस्ट कूल आइसक्रीम एण्ड रेस्टोरेन्ट, शॉप सं 04, प्लॉट 1ऐ17, प्रथम पुलिया, सीएचबी, जोधपुर । **निवासी:** 11 / 487 चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 12.05.2017 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी मै. मै. जस्ट कूल आइसक्रीम एण्ड रेस्टोरेन्ट, शॉप सं 04, प्लॉट 1ऐ17, प्रथम पुलिया, सीएचबी, जोधपुर पहुँच कर निरीक्षण करने दौरान खाद्य पदार्थ लगभग 10 किलो आइसक्रीम आम जनता को विक्रय हेतु रखा था। उक्त काजू टुकडी नियमानुसार 1200 ग्राम के वास्ते जांच मिलावट / अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 210 / – नगद देकर खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. खरीदशुदा काजू टुकडी 1200 ग्राम को लगभग 200 ग्राम प्रति कि हिसाब से प्लास्टिक की चार साफ व सूखी शिशियों में डालकर प्रत्येक बोतल में 40 प्रतिशत फार्मेलिन की 36–36 बूंदें बतौर परिरक्षक की डालकर बोतलों को एयरटाइअ बंद कर इन सेंपल के चारों पैकेट पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड़ व सीरियल नम्बर एम–1495 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एम–1495 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एम–1495 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाबा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि काजू टुकडी के चारों पैकेट के चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एम–1495 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस 483 / एक्ट / 2017 / 487 दिनांक 26.05.2017 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ मिथ्याछाप होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एम–1495 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाई करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।

5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट क्रमांक 66 दिनांक 01.02.2017 का अवलोकन किया । मनन के पश्चात पाया की अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थी यदि रिपोर्ट दिनांक 01.02.2017 से सन्तुष्ट न था तो उनके पास रेफरल लेब जाने का अवसन था, परन्तु उन्होने निर्धारित समय में अपील पेश न की । ऐसी स्थिति में अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थीगण पर शास्ती

रूपये ..... अक्षरे रूपये ..... की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक .....के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

क्रमांकः– न्यायिक / कोर्ट / 2017 / दिनांक :–

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01. अभिहित अधिकारी एवं संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, जोधपुर।
02. श्री राजेश टींकर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन–जोधपुर।
03. श्री शेखर धाणदिया पुत्र श्री नन्दकिशोर धाणदिया, जालोरी गेट में, हनुमान मंदिर के सामने, जोधपुर।
04. फर्म :– मै. जोधपुर डेयरी फार्म, भादू मार्केट, पाल रोड़, जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 69/2017

प्रार्थी	**बनाम**	**अप्रार्थी**
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जोधपुर।		1. श्री शेखर धाणदिया पुत्र श्री नन्दकिशोर धाणदिया, फर्म :– मै. जोधपुर डेयरी फार्म, भादू मार्केट, पाल रोड़, जोधपुर ।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 26.01.2017 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी मै. जोधपुर डेयरी फार्म भादू मार्केट, पाल रोड जोधपुर पहुँच कर निरीक्षण करने दौरान खाद्य पदार्थ लगभग 03 किलो मावा आम जनता को विक्रय हेतु रखा था। उक्त मावा नियमानुसार 1 किलोग्राम के वास्ते जांच मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 280/– नगद देकर खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. खरीदशुदा काजू टुकडी 1 किलोग्राम को लगभग 250 ग्राम प्रति कि हिसाब से प्लास्टिक की चार साफ व सूखी शिशियों में डालकर प्रत्येक में 20 बूंदें फॉर्मलिंग की डालकर अच्छी तरह से हिलाया गया एवं एयर टाईट बंद किया गया। उक्त मावे के के चारों पैकेट पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड़ व सीरियल नम्बर एडी–525 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एडी–525 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एडी–525 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाबा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि काजू टुकडी के चारों पैकेट के चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एडी–525 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस 67/एक्ट/2017/66 दिनांक 01.02.2017 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ मिथ्याछाप होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एडी–525 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाई करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।
4. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। अप्रार्थी ने जवाब पेश कर प्रकरण को कम से कम जुर्माना लगाकर प्रकरण समाप्त करने का निवेदन किया।

कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एम–1420 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाई करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।

4. अप्रार्थी से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया की अप्रार्थी विभिन्न विक्रेताओं से दूध व मावा खरीदता है। खरीदनें के बाद केवल उसमें चीनी मिलाकर मिठाई बनाकर बेचता है। वह उक्त मावे में किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं करता है। वह हमेशा अच्छी गुणवता वाली मिठाई ही बेचता है। उक्त मावे में फैट की मात्रा कम होने का उसको पता नहीं था। भविष्य में मावा खरीदते समय ध्यान रखा जावेगा। निवेदन किया प्रकरण में कम से कम जुर्माना लगाकर ड्रॉप फरमावे।
5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट क्रमांक 186 दिनांक 16.03.2017 का अवलोकन किया । मनन के पश्चात पाया की अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थीगण यदि रिपोर्ट दिनांक 16. 03.2017 से सन्तुष्ट न थे तो उनके पास रेफरल लेब जाने का अवसर था, परन्तु उन्होने निर्धारित समय में अपील पेश न की । ऐसी स्थिति में अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थीगण पर शास्ती रूपये ..... अक्षरे रूपये ..... की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक .....के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।

   निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

क्रमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2017/ दिनांक :–

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01. श्री रेवत सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर (राज.)।
02. श्री तारकनाथ पुत्र श्री अचुभ राउत (मालिक) मै. श्याम स्वीट्स ई–14, कल्पतरू शॉपिंग सेंटर, शास्त्रीनगर, जोधपुर, नमुना स्थान–ई–14, कल्पतरू शॉपिंग सेंटर, शास्त्रीनगर, जोधपुर। श्याम स्वीट्स, सिंधी कॉलोनी का गोदाम, जोधपुर।
03. श्री शक्तिपद पुत्र श्री हीरालाल भाटी, मैं. श्याम स्वीट्स, ई–14, कल्पतरू शॉपिंग सेंटर, शास्त्रीनगर, जोधपुर, नमुना स्थान– ई–14, कल्पतरू शॉपिंग सेंटर, शास्त्रीनगर, जोधपुर, श्याम स्वीट्स, सिंधी कॉलोनी, का गोदाम, जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 89 / 2017

प्रार्थी	**बनाम**	अप्रार्थी
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, स्वीट्स कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जोधपुर।		1. श्री तारकनाथ पुत्र श्री अचुभ राउत (मालिक) मै. श्याम ई–14, कल्पतरू शॉपिंग सेंटर, शास्त्रीनगर, जोधपुर, नमुना स्थान–ई–14, कल्पतरू शॉपिंग सेंटर, शास्त्रीनगर, जोधपुर। श्याम स्वीट्स, सिंधी कॉलोनी का गोदाम, जोधपुर। 2. श्री शक्तिपद पुत्र श्री हीरालाल भाटी, मैं. श्याम स्वीट्स, ई–14, कल्पतरू शॉपिंग सेंटर, शास्त्रीनगर, जोधपुर, नमुना स्थान– ई–14, कल्पतरू शॉपिंग सेंटर, शास्त्रीनगर, जोधपुर, श्याम स्वीट्स, सिंधी कॉलोनी, का गोदाम, जोधपुर।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 07.03.2017 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी मैसर्स मै. सोलंकी मिष्ठान्न भण्डार, घास मंडी, तिजामाजी का मंदिर, जोधपुर पहुँच कर निरीक्षण करने दौरान मावा 8 किलोग्राम पाउच आम जनता को विक्रय हेतु रखा पाया था। उक्त मावा 1 किलाग्राम वास्ते जांच मिलावट / अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 380 / – नगद देकर खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. खरीदशुदा मावा अच्छी तरह से हिला मिलाकर एक साफ सूखी खाली स्टील की ट्रे में तुलवाकर / नपवाकर एक रूप कर चार भागों में बराबर–बराबर कर चार साफ सूखी व खाली प्लास्टिक की शिशियों में डालकर प्रत्येक में 40 बूदें फॉर्मेलिन की डाली अच्छी तरह हिलाया और एयर टाईट बंद किया। चारों नमूना शिशियों पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड़ व सीरियल नम्बर एम–1420 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एम–1420 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एम–1420 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाबा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि मावा के चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एम–1420 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस 187 / एक्ट / 2017 / 186 दिनांक 16.03.2017 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ मिथ्याछाप होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति,

रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाई करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।

4. अप्रार्थी से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया की अप्रार्थी विभिन्न विक्रेताओं से दूध व मावा खरीदता है। खरीदनें के बाद केवल उसमें चीनी मिलाकर मिठाई बनाकर बेचता है। भविष्य में मावा खरीदते समय ध्यान रखा जावेगा। वकील अप्रार्थी ने बहस में दौरान इन्हीं तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया प्रकरण में कम से कम जुर्माना लगाकर ड्रॉप फरमावे।
5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट क्रमांक 215 दिनांक 22.03.2017 का अवलोकन किया । मनन के पश्चात पाया की अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 52 का दोषी हैं। अप्रार्थीगण यदि रिपोर्ट दिनांक 22.03.2017 से सन्तुष्ट न था तो उनके पास रेफरल लेब जाने का अवसर था, परन्तु उन्होने निर्धारित समय में अपील पेश न की । ऐसी स्थिति में अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थीगण पर शास्ती रूपये ..... अक्षरे रूपये ..... की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक .....के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।
   निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

क्रमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2017/ दिनांक :–

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01. श्री राजेश टींकर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं जोन जोधपुर (राज.)।
02. श्री रामस्वरूप पुत्र श्री गंगाराम सोलंकी (विक्रेता एवं मालिक) मै. सोलंकी मिष्ठान भंडार, घास मण्डी, तिजामाजी का मंदिर, जोधपुर, निवासीः– दाउ जी के मंदिर के पास, हाथी राम का ओडा, जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 67 / 2017

प्रार्थी	**बनाम**	अप्रार्थी
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, मालिक) कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंदिर, जोधपुर।		1. श्री रामस्वरूप पुत्र श्री गंगाराम सोलंकी (विक्रेता एवं मै. सोलंकी मिष्ठान भंडार, घास मण्डी, तिजामाजी का जोधपुर, निवासीः– दाउ जी के मंदिर के पास, हाथी राम का ओडा, जोधपुर।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 08.03.2017 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी मैसर्स मै. सोलंकी मिष्ठान्न भण्डार, घास मंडी, तिजामाजी का मंदिर, जोधपुर पहुँच कर निरीक्षण करने दौरान मावा 2 किलोग्राम पाउच आम जनता को विक्रय हेतु रखा पाया था। उक्त मावा 2 किलाग्राम वास्ते जांच मिलावट / अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 680 / – नगद देकर खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. खरीदशुदा मावा अच्छी तरह से हिला मिलाकर एक साफ सूखी खाली स्टील की ट्रे में तुलवाकर / नपवाकर एक रूप कर चार भागों में बराबर–बराबर कर चार साफ सूखी व खाली प्लास्टिक की शिशियों में डालकर प्रत्येक में 40 बूदें फॉर्मेलिन की डाली अच्छी तरह हिलाया और एयर टाईट बंद किया। चारों नमूना शिशियों पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड़ व सीरियल नम्बर एडी–544 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एडी–544 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एडी–544 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाबा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि मावा के चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एडी–544 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस 214 / एक्ट / 2017 / 215 दिनांक 22.03.2017 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ मिथ्याछाप होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एडी–544 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच

नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एम–1345 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाई करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।

4. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया की अप्रार्थीगण द्वारा केवल नमकीन (अजमेरी) का विक्रय किया जाता है। जिसका निर्माण उनके द्वारा नहीं किया जाता है। पैकेट पर बैच नंबर अंकित नहीं होना एक मानवीय भूल जिसमें सुधार कर दिया गया है और अब उनके द्वारा बिना बैच नंबर का कोई खाद्य पदार्थ विक्रय नहीं किया जाता है। अप्राथीगण की प्रथम गलती को देखते हुए वाजिब जुर्माना लगाकर प्रकरण ड्रॉप फरमावे।

5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट क्रमांक 1446 दिनांक 29.12.2016 का अवलोकन किया । मनन के पश्चात पाया की अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 52 का दोषी हैं। अप्रार्थीगण यदि रिपोर्ट दिनांक 29.12.04.2016 से सन्तुष्ट न था तो उनके पास रेफरल लेब जाने का अवसर था, परन्तु उन्होने निर्धारित समय में अपील पेश न की । ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 52 का दोषी हैं। अप्रार्थीगण पर शास्ती रूपये ..... अक्षरे रूपये ..... की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक .....के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

क्रमांकः– न्यायिक / कोर्ट / 2017 / दिनांक :–

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01. श्री संदीप अग्रवाल,, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर (राज.)।
02. श्री नरेश कुमार मनसुखानी पुत्र श्री पमनदास मनसुखानी (विक्रेता) मै. अजमेरी नमकीन, नियर राजमहल, गर्ल्स सी.सै. स्कूल, गुलाब सागर रोड, जोधपुर, निवासीः– गोविन्द जी गहलोत के किराये का मकान, देवी पार्क के पास, बागर चौक, जोधपुर।
03. श्री सुनिल चंदानी पुत्र श्री विशनदास चंदानी, (प्रोपराटर) मै. अजमेरी नमकीन, नियम राजमहल गर्ल्स सी.सै. स्कूल, गुलाब सागर रोड़, जोधपुर, निवासी–प्लॉट नम्बर 35 तीसरी पोल, महामंदिर, महावीर नगर, जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 94 / 2017

प्रार्थी	**बनाम**	अप्रार्थी
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जोधपुर।		1. श्री नरेश कुमार मनसुखानी पुत्र श्री पमनदास मनसुखानी (विक्रेता) मै. अजमेरी नमकीन, नियर राजमहल, गर्ल्स सी.सै. स्कूल, गुलाब सागर रोड, जोधपुर, निवासीः– गोविन्द जी गहलोत के किराये का मकान, देवी पार्क के पास, बागर चौक, जोधपुर। 2. श्री सुनिल चंदानी पुत्र श्री विशनदास चंदानी, (प्रोपराटर) मै. अजमेरी नमकीन, नियम राजमहल गर्ल्स सी.सै. स्कूल, गुलाब सागर रोड़, जोधपुर, निवासी–प्लॉट नम्बर 35 तीसरी पोल, महामंदिर, महावीर नगर, जोधपुर।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 21.12.2016 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी मैसर्स मै. अजमेरी नमकीन, नियर राजमहल गर्ल्स सी. सै. स्कूल, गुलाब सागर, जोधपुर पहुँच कर निरीक्षण करने दौरान नमकीन (अजमेरी) 500 ग्राम के 38 पाउच आम जनता को विक्रय हेतु रखा पाया था। उक्त नमकीन (अजमेरी) 500 ग्राम 4 पाउच वास्ते जांच मिलावट / अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 400 / – नगद देकर खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. खरीदशुदा नमकीन (अजमेरी) के चारों नमूना पाउच पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड़ व सीरियल नम्बर एम–1345 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एम–1345 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एम–1345 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाबा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि नमकीन (अजमेरी) के चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एम–1345 की जॉच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस 1415 / एक्ट / 2016 / 1446 दिनांक 29.12.2016 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ मिथ्याछाप होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं

4. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया की उक्त दूध में फेट की कमी थी। मिलावट नहीं की गई। मुझे इसकी जानकारी नहीं थी। मैं एक गरीब परिवार हूँ तथा दूध बेचकर परिवार का पालन पोषण करता हूँ। भविष्य में इस प्रकार की गलती नहीं होगी। मेरे छोटे व्यापार को देखते हुए कम से कम जुर्माना लगाने का आदेश फरमावें।
5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट क्रमांक 58 दिनांक 01.02.2017 का अवलोकन किया । मनन के पश्चात पाया की अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थीगण यदि रिपोर्ट दिनांक 13.04.2016 से सन्तुष्ट न था तो उनके पास रेफरल लेब जाने का अवसर था, परन्तु उन्होने निर्धारित समय में अपील पेश न की । ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थी पर शास्ती रूपये ..... अक्षरे रूपये ..... की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक .....के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।

   निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

क्रमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2017/ दिनांक :–

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01. श्री रेवत सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर (राज.)।
02. श्री सत्यनारायण पुत्र श्री बाबूलाल भाटी, (मालिक एवं विक्रेता) मै. भाटी डेयरी फार्म, जालोरी गेट के अंदर, सिवाचीं गेट रोड, जोधपुर, निवासीः– जालोरी गेट के अंदर, सिवांची गेट रोड़, जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 83 / 2017

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, विक्रेता) कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य रोड, जोधपुर।		1. श्री सत्यनारायण पुत्र श्री बाबूलाल भाटी, (मालिक एवं मै. भाटी डेयरी फार्म, जालोरी गेट के अंदर, सिवाचीं गेट जोधपुर, निवासीः– जालोरी गेट के अंदर, सिवांची गेट रोड़, जोधपुर।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 26.01.2017 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी मैसर्स मै. भाटी डेयरी फार्म, जालोरी गेट के अंदर, जोधपुर पहुँच कर निरीक्षण करने दौरान पनीर 30 लीटर दूध आम जनता को विक्रय हेतु रखा पाया था। उक्त दूध 2 लीटर वास्ते जांच मिलावट / अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 60 / – नगद देकर खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. खरीदशुदा दूध 2 लीटर को साफ सूखी स्टील की भगौनी में तुलवाकर / नपवाकर एक रूप कर चार भागों में बराबर–बराबर चार साफ सूखी व खाली काचं की शिशियों में डालकर उन पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड़ व सीरियल नम्बर एम–1384 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एम–1384 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एम–1384 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाबा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि पनीर 1 किलो के चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एम–1384 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस 58 / एक्ट / 2017 / 58 दिनांक 01.02.2017 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ मिथ्याछाप होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एम–1384 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाई करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।

कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एडी–527 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाई करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।

4. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत कर बताया की होटल में पड़ा हुआ पनीर उपयोग में नहीं लेते बाजार से क्रय करके लाते हैं। खरीदते समय सही मानक का ज्ञान नहीं था। जिस कारण यह कार्यवाही हुई है। अतः कार्यवाही को ड्रॉप फरमाया जावे।
5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट क्रमांक 102 दिनांक 20.02.2017 का अवलोकन किया । मनन के पश्चात पाया की अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थीगण यदि रिपोर्ट दिनांक 20.02.2017 से सन्तुष्ट न था तो उनके पास रेफरल लेब जाने का अवसर था, परन्तु उन्होने निर्धारित समय में अपील पेश न की । ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थीगण पर शास्ती रूपये ..... अक्षरे रूपये ..... की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक .....के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।
   निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

क्रमांकः– न्यायिक / कोर्ट / 2017 / दिनांक :–

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01. श्री राजेश टींकर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं जोन जोधपुर (राज.)।
02. श्री मनीकण्डन नायर पुत्र श्री बाला कृष्णनन नायर (मैनेजर एंड मालिक) मै. होटल पारस इन, सांधी पेट्रोल पम्प के पास, स्टेशन रोड, जोधपुर। निवासीः– 55 विद्या पार्क, एयर फोर्स रोड़, जोधपुर।
03. श्रीमती रश्मी चौहान पत्नी श्री सुरेश चौहान (भागीदार), मै. होटल पारस इन, सांधी पेट्रोल पम्प के पास, स्टेशन रोड़, जोधपुर। निवासी :– 38, पावटा बी रोड़, जोधपुर 342006।
04. श्री सुरेश चौहान पुत्र श्री परसराम चौहान (भागीदार), मै. होटल पारस इन, सांधी पेट्रोल पम्प के पास, स्टेशन रोड़, जोधपुर, निवासी :– 38, पावटा बी रोड, जोधपुर, 342006।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 66 / 2017

प्रार्थी	**बनाम**	अप्रार्थी
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जोधपुर।		1. श्री मनीकण्डन नायर पुत्र श्री बाला कृष्णनन नायर (जनरल मैनेजर एंड मालिक) मै. होटल पारस इन, सांघी पेट्रोल पम्प के पास, स्टेशन रोड, जोधपुर। निवासीः— 55 विद्या पार्क, एयर फोर्स रोड़, जोधपुर। 2. श्रीमती रश्मी चौहान पत्नी श्री सुरेश चौहान (भागीदार), मै. होटल पारस इन, सांघी पेट्रोल पम्प के पास, स्टेशन रोड़, जोधपुर। निवासी :— 38, पावटा बी रोड़, जोधपुर 342006। 3. श्री सुरेश चौहान पुत्र श्री परसराम चौहान (भागीदार), मै. होटल पारस इन, सांघी पेट्रोल पम्प के पास, स्टेशन रोड़, जोधपुर, निवासी :— 38, पावटा बी रोड, जोधपुर, 342006।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 10.02.2017 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी मैसर्स होटल पारस इन, सांघी पेट्रोल पम्प के पास, स्टेशन रोड़, जोधपुर पहुँच कर निरीक्षण करने दौरान पनीर 2 किलो आम जनता को सब्जी बनाकर विक्रय हेतु रखा पाया था। उक्त पनीर 1 किलो वास्ते जांच मिलावट / अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 240 / — नगद देकर खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. खरीदशुदा रिफाइन्ड पनीर 1 किलो को अच्छी तरह से हिला मिला कर एक रूप कर चार भागों में बराबर—बराबर चार साफ सूखी व खाली प्लास्टिक की शिशियों में डालकर उन पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी. ओ.कोड़ व सीरियल नम्बर एडी—527 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एडी—527 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग—अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार—चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एडी—527 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाबा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि पनीर 1 किलो के चारों नमूनों को अलग—अलग 2—2 भागों में एडी—527 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस 101 / एक्ट / 2017 / 102 दिनांक 20.02.2017 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ मिथ्याछाप होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति,

04. श्री श्यामसुन्दर पुत्र श्री तेजूमल सिन्धी (थोक विक्रेता/मालिक) फर्म–मैसर्स–मै. श्याम ऑयल्य, दीवानों की हवेली, घासमण्डी जोधपुर। निवासी बी–43 शास्त्री नगर, जोधपुर।
05. श्री चन्द्रप्रकाश नौलखा व संदीप नौलखा दोनों पुत्र श्री मूलचंद नौलखा (निर्माता/भागीदार) फर्म मै. अमृत उद्योग, एफ 144–147, बीच्छवाल इण्डस्ट्रीयल एरिया, बीकानेर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर

3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाबा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि रिफाइन्ड ग्राउण्डनट ऑयल (सोना सिक्का) 1 लीटर के चारों पेट बोटल्स के चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एम–1077 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस 384/एक्ट/2016/419 दिनांक 13.04.2016 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ मिथ्याछाप होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एम–1077 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाई करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।

4. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। जरीये अधिवक्ता अप्रार्थीगण की ओर से जवाब पेश किया गया। जवाब में प्रकरण में केवल मात्र मिथ्या छाप से संबंधित है जिसका जवाब पूर्व में दिया गया है चूंकि उत्तरदाता/निर्माता का आशय गलत माल अथवा छाप लगाकर बेचना नहीं है। इसलिए केवल मात्र पूर्ण वर्णित लापरवाही व त्रुटी से संबंधित है जो मानव की मानरू भूल वाली प्रकृति के कारण हुई है। इसलिए उत्तरदाता/निर्माता द्वारा यह वचन देता है कि भविष्य में ऐसी लापरवाही नहीं होगी तथा उस लोट के अंदर निर्माता द्वारा भूल सुधार की जा चुकी है। इसलिए मानवीय भुलों को ध्यान में रखकर उत्तरदातागण के विरूद्ध कार्यवाही को ड्रोप फरमाया जावें एवं लिब्रल व्यू एडोप्ट किया जावे। उक्त प्रकार की मानवीय भूल प्रथम बार की निर्माता द्वारा हुई है। अतः जवाब पेश कर निवेदन किया की जवाब को रेकर्ड पर लिया जाकर परिवादी का परिवाद अस्वीकार किया जावे अन्य कोई आदेश जो उत्तरदातागण के हित में हो प्रदान करावें। वकील अप्रार्थीगण की बहस सुनी गई बहस में जवाब के तथ्यों को दौहराते हुए परिवाद अस्वीकार करने हेतु निवेदन किया गया।

5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट क्रमांक 419 दिनांक 13.04.2016 का अवलोकन किया । मनन के पश्चात पाया की अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 52 का दोषी हैं। अप्रार्थीगण यदि रिपोर्ट दिनांक 13.04.2016 से सन्तुष्ट न था तो उनके पास रेफरल लेब जाने का अवसर था, परन्तु उन्होने निर्धारित समय में अपील पेश न की । ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 52 का दोषी हैं। **अप्रार्थी संख्या 1** पर शास्ती रूपये ..... अक्षरे रूपये ..... व **अप्रार्थीगण संख्या 2 से 3** पर शास्ती रूपये .... अक्षरे रूपये ..... व **अप्रार्थीगण संख्या 4 से 6** पर शास्ती रूपये .....अक्षरे रूपये..... ..... की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक .....के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

क्रमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2017/ दिनांक :–

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01. श्री संदीप अग्रवाल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर (राज.)।
02. श्री मंजीत सिंह पुत्र श्री स्व.जयसिंह उम्र 59 फर्म :–इन्दर शॉपी, 874, तृतीय चौपासनी रोड़, सरदारपुरा। जोधपुर निवासी – 854, अरोड़ा मोटर्स की गली, 11वी चौपासनी रोड़, जोधपुर।
03. श्री ज्ञानेश्वर भाटी पुत्र श्री श्रीकिशन भाटी (थोक विक्रेता/मालिक) फर्म मैसर्स भोपतराम हरिकिशन भाटी, यू–8 मण्डोर मण्डी, मण्डोर रोड जोधपुर निवासी 170 ऐ बी रोड़ सरदारपुरा जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 15 / 2017

प्रार्थी	**बनाम**	अप्रार्थी
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, एफबीओ / मालिक कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जोधपुर।		1. श्री मंजीत सिंह पुत्र श्री स्व.जयसिंह उम्र 59 फर्म :–इन्दर शॉपी, 874, तृतीय चौपासनी रोड़, सरदारपुरा, जोधपुर निवासी – 854, अरोड़ा मोटर्स की गली, 11वी चौपासनी रोड़, जोधपुर। 2. श्री ज्ञानेश्वर भाटी पुत्र श्री श्रीकिशन भाटी (थोक विक्रेता / मालिक) फर्म मैसर्स भोपतराम हरिकिशन भाटी, यू–8 मण्डोर मण्डी, मण्डोर रोड जोधपुर निवासी 170 ऐ बी रोड़ सरदारपुरा जोधपुर। 3. श्री श्यामसुन्दर पुत्र श्री तेजूमल सिन्धी (थोक विक्रेता / मालिक) फर्म–मैसर्स–मै. श्याम ऑयल्य, दीवानों की हवेली, घासमण्डी जोधपुर। निवासी बी–43 शास्त्री नगर, जोधपुर। 4. श्री चन्द्रप्रकाश नौलखा पुत्र श्री मूलचंद नौलखा (निर्माता / भागीदार) फर्म मै. अमृत उद्योग, एफ 144–147, बीच्छवाल इण्डस्ट्रीयल एरिया, बीकानेर। 5. श्री संदीप नौलखा पुत्र श्री मूलचंद नौलखा (निर्माता / भागीदार) फर्म मै. अमृत उद्योग, एफ–147–147, बीच्छवाल इण्डस्ट्रीयल एरिया, बीकानेर। 6. फर्म मैसर्स अमृत उद्योग, एफ 144–147, बीच्छवाल इण्डस्ट्रीयल एरिया, बीकानेर। (निर्माता फर्म)।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 06.04.2016 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी मैसर्स इन्दर शॉपी, 874, तृतीय चौपासनी रोड़, सरदारपुरा जोधपुर पहुँच कर निरीक्षण करने दौरान रिफाइन्ड ग्राउण्डनट ऑयल (सोना सिक्का) 1 लीटर के 06 पेट बोटल्स आम जनता को विक्रय हेतु रखा था। उक्त रिफाइन्ड ग्राउण्डनट ऑयल (सोना सिक्का) 1 लीटर के 04 पेट बोटल्स वास्ते जांच मिलावट / अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 561 / – नगद देकर खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. खरीदशुदा रिफाइन्ड ग्राउण्डनट ऑयल (सोना सिक्का) 1 लीटर के चारों पेट बोटल्स पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड़ व सीरियल नम्बर एम–1077 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एम–1077 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एम–1077 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।

नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एडी–396 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाई करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।

14- अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। अप्रार्थी को अनेक अवसर देने के उपरान्त भी जवाब पेश नहीं किये जाने से जवाब बन्द किया गया ।

15- पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट क्रमांक 693 दिनांक 21.06.2016 का अवलोकन किया । मनन के पश्चात पाया की अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 52 का दोषी हैं। अप्रार्थी यदि रिपोर्ट दिनांक 21.06.2016 से सन्तुष्ट न था तो उनके पास रेफरल लेब जाने का अवसन था, परन्तु उन्होने निर्धारित समय में अपील पेश न की । ऐसी स्थिति में अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 52 का दोषी हैं। अप्रार्थीगण पर शास्ती रूपये ..... अक्षरे रूपये ..... की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक .....के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

क्रमांकः– न्यायिक / कोर्ट / 2017 / दिनांक :–

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

9ण अभिहित अधिकारी एवं संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, जोधपुर।

10ण श्री राजेश टींकर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन–जोधपुर।

11ण श्री नरेन्द्र सिंह सोनिगरा पुत्र श्री हनुमंत सिंह, उम्र 35 फर्म :– मै. गुजरात कॉपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमि. केयर ऑफ– शाह पदमचन्द मूथा प्लॉट सं. ई 376, हैवी इण्डस्ट्रीयल एरिया, बासनी फेस–2, जोधपुर ।

12ण फर्म–मैसर्स–मै. गुजरात कॉपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड, केयर ऑफ– शाह पदमचन्द मूथा प्लॉट सं. ई 376, हैवी इण्डस्ट्रीयल एरिया, बासनी फेस–2, जोधपुर ।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 04 / 2017

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य लिमि. जोधपुर।		1. श्री नरेन्द्र सिंह सोनिगरा पुत्र श्री हनुमंत सिंह, उम्र 35 फर्म :– मै. गुजरात कॉपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन केयर ऑफ– शाह पदमचन्द मूथा प्लॉट सं. ई 376, हैवी इण्डस्ट्रीयल एरिया, बासनी फेस–2, जोधपुर । 2. फर्म–मैसर्स–मै. गुजरात कॉपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड, केयर ऑफ– शाह पदमचन्द मूथा प्लॉट सं. ई 376, हैवी इण्डस्ट्रीयल एरिया, बासनी फेस–2, जोधपुर ।

आदेश

11- प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 23.05.2016 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी मैसर्स गुजरात कॉपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड केयर ऑफ7 शाह पदमचन्द मूथा प्लॉट संख्या ई 376, हैवी इण्डस्ट्रीयल एरिया, बासनी फेस–2, जोधपुर पहुँच कर निरीक्षण करने दौरान आईसक्रिम (अमूल एपिक) डिप कोल्ड स्टोरेज में 40 केरेट्स में प्रत्येक में 96 स्टीक प्रत्येक 55 ग्राम में आम जनता को विक्रय हेतु रखा था। उक्त आईसक्रिम (अमूल एपिक) नियमानुसार 24 स्टीक प्रत्येक 55 ग्राम मय लेबल के वास्ते जांच मिलावट / अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 680 / – नगद देकर खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।

12- खरीदशुदा आईसक्रीम (अमूल एपिक) नियमानुसार 24 स्टीक प्रत्येक 55 ग्राम के चारों पैकेट पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड़ व सीरियल नम्बर एडी–396 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एडी–396 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एडी–396 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।

13- जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाबा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि आईसक्रीम (अमूल एपिक) की चारों पैकेट के चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एडी–396 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस 653 / एक्ट / 2016 / 693 दिनांक 21.06.2016 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ मिथ्याछाप होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म

नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एडी–396 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाई करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।

9- अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। अप्रार्थी को अनेक अवसर देने के उपरान्त भी जवाब पेश नहीं किये जाने से जवाब बन्द किया गया ।

10- पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट क्रमांक 693 दिनांक 21.06.2016 का अवलोकन किया । मनन के पश्चात पाया की अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 52 का दोषी हैं। अप्रार्थी यदि रिपोर्ट दिनांक 21.06.2016 से सन्तुष्ट न था तो उनके पास रेफरल लेब जाने का अवसन था, परन्तु उन्होने निर्धारित समय में अपील पेश न की । ऐसी स्थिति में अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 52 का दोषी हैं। अप्रार्थीगण पर शास्ती रूपये ..... अक्षरे रूपये ..... की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक .....के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

क्रमांकः– न्यायिक / कोर्ट / 2017 / दिनांक :–

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

5ण अभिहित अधिकारी एवं संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, जोधपुर।

6ण श्री राजेश टींकर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन–जोधपुर।

7ण श्री नरेन्द्र सिंह सोनिगरा पुत्र श्री हनुमंत सिंह, उम्र 35 फर्म :– मै. गुजरात कॉपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमि. केयर ऑफ– शाह पदमचन्द मूथा प्लॉट सं. ई 376, हैवी इण्डस्ट्रीयल एरिया, बासनी फेस–2, जोधपुर ।

8ण फर्म–मैसर्स–मै. गुजरात कॉपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड, केयर ऑफ– शाह पदमचन्द मूथा प्लॉट सं. ई 376, हैवी इण्डस्ट्रीयल एरिया, बासनी फेस–2, जोधपुर ।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 04 / 2017

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य लिमि. जोधपुर।		1. श्री नरेन्द्र सिंह सोनिगरा पुत्र श्री हनुमंत सिंह, उम्र 35 फर्म :– मै. गुजरात कॉपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन केयर ऑफ– शाह पदमचन्द मूथा प्लॉट सं. ई 376, हैवी इण्डस्ट्रीयल एरिया, बासनी फेस–2, जोधपुर । 2. फर्म–मैसर्स–मै. गुजरात कॉपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड, केयर ऑफ– शाह पदमचन्द मूथा प्लॉट सं. ई 376, हैवी इण्डस्ट्रीयल एरिया, बासनी फेस–2, जोधपुर ।

आदेश

6- प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 23.05.2016 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी मैसर्स गुजरात कॉपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड केयर ऑफ7 शाह पदमचन्द मूथा प्लॉट संख्या ई 376, हैवी इण्डस्ट्रीयल एरिया, बासनी फेस–2, जोधपुर पहुँच कर निरीक्षण करने दौरान आईसक्रिम (अमूल एपिक) डिप कोल्ड स्टोरेज में 40 केरेट्स में प्रत्येक में 96 स्टीक प्रत्येक 55 ग्राम में आम जनता को विक्रय हेतु रखा था। उक्त आईसक्रिम (अमूल एपिक) नियमानुसार 24 स्टीक प्रत्येक 55 ग्राम मय लेबल के वास्ते जांच मिलावट / अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 680 / – नगद देकर खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।

7- खरीदशुदा आईसक्रीम (अमूल एपिक) नियमानुसार 24 स्टीक प्रत्येक 55 ग्राम के चारों पैकेट पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड़ व सीरियल नम्बर एडी–396 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एडी–396 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एडी–396 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।

8- जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाबा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि आईसक्रीम (अमूल एपिक) की चारों पैकेट के चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एडी–396 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस 653 / एक्ट / 2016 / 693 दिनांक 21.06.2016 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ मिथ्याछाप होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म

प्रयोग करता हूं भविष्य में गुणवत्ता वाला जीरा काम में लूंगा। अतः उक्त प्रकरण में कम से कम जुर्माना फरमाकर प्रकरण को समाप्त करने की कृपा करावें।

5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। मनन के पश्चात पाया की अप्रार्थी ने प्रकरण में अपना दोष स्वीकार कर लिया है। अतः वह खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी पाया जाता हैं। अतः अप्रार्थीगण पर शास्ती रूपये .....अक्षरे रूपये ..... की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक .....के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

क्रमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2017/ दिनांक :–

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर।
02. श्री रेवत सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।
01. श्री मुकुल जैन पुत्र श्री अशोक कुमार जैन(विक्रेता एवं मालिक) फर्म :– मै. जैन एण्ड कम्पनी, धर्म कांटा के सामने तिलक नगर ।। भदवासिया रोड, जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 84 / 2017

प्रार्थी	**बनाम**	**अप्रार्थी**
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, मालिक) कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य		1. श्री मुकुल जैन पुत्र श्री अशोक कुमार जैन(विक्रेता एवं फर्म :– मै. जैन एण्ड कम्पनी, धर्म कांटा के सामने तिलक नगर ।। भदवासिया रोड, जोधपुर।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 27.02.2017 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी मै. जैन एण्ड कम्पनी, धर्म कांटा के सामने तिलक नगर ।। भदवासिया रोड जोधपुर पहुँच कर निरीक्षण करने दौरान 8 प्लास्टिक के कट्टों में लगभग 350 किलोग्राम जीरा पडा था। उक्त जीरा में से 2किलोग्राम वास्ते जांच मिलावट / अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 380 / – नगद देकर खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. खरीदशुदा जीरा के चारों पैकेट पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड़ व सीरियल नम्बर स. एम–1416 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप स.एम–1416 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एम–1416 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाबा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि जीरा चारों पैकेट के चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एम–1416 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एल एस 158 / एक्ट / 2017 / 154 दिनांक 06.03.2017 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ मिथ्याछाप होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एम–1416 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाई करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।
4. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत जवाब में निवदेन किया की जीरा का नमूना वहां से जांच के लिए लिया गया था जिसकी जांच के अनुसार नोन वोलाआइल आइल के 15 प्रतिशत के स्थान पर 11.18 प्रतिशित होना पाया गया एवं ब्रोकन फूड न्यूनतम 5 प्रतिशत के स्थान पर 12 प्रशित पाया गया। श्रीमान से निवेदन है कि मेरे द्वारा जीरा मूल रूप से नहीं बेचा जाता एवं जलजीरा बनाने में

4. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत जवाब में निवदेन किया की अप्रार्थी के द्वारा निर्मित कम्पनी से सही मानकर घी खरीद किया गया था। अप्रार्थी के पास मई में निर्मित घी का बिल तो मौजुद था। नमूना घी का बिल नहीं होने के कारण पेश नहीं किया जा सकता है। भविष्य में विक्रय हेतु खाद्य सामग्री खरीद करते समय गुणवत्ता का ध्यान रखा जायेगा। इस प्रकार अप्रार्थी ने अपनी गलती स्वीकार की।
5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। मनन के पश्चात पाया की अप्रार्थी ने प्रकरण में अपना दोष स्वीकार कर लिया है। अतः वह खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 52 का दोषी पाया जाता हैं। अतः अप्रार्थी पर शास्ती रूपये .....अक्षरे रूपये ..... की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थी उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक .....के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें। निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

क्रमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2017/ दिनांक :–

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर।
02. श्री संदीप अग्रवाल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।
03. श्री प्रकाश टाटिया पुत्र श्री पारसमल टाटिया उम्र 43 वर्ष (एफबीओ/मालिक) फर्म :– मै. ऋषभ एन्टरप्राईजेज, दिवानों की हवेली, घास मण्डी, जोधपुर निवासी प्लोट नं. 101 तिलक नगर प्रथम, भदवासिया, जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 79 / 2017

प्रार्थी	**बनाम**	अप्रार्थी
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य दिवानों जोधपुर।		1. श्री प्रकाश टाटिया पुत्र श्री पारसमल टाटिया उम्र 43 वर्ष (एफबीओ / मालिक) फर्म :– मै. ऋषभ एन्टरप्राईजेज, की हवेली, घास मण्डी, जोधपुर निवासी प्लोट नं. 101 तिलक नगर प्रथम, भदवासिया, जोधपुर।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 26.08.2016 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी मैसर्स ऋषभ एन्टरप्राईजेज पताः– दिवानों की हवेली, घासमण्डी, जोधपुर पहुँच कर निरीक्षण करने दौरान घी (सीफाम) के 18 टीन आम जनता को विक्रय हेतु रखी थी। उक्त घी (सीफाम) के 15 किलोग्राम के टीन को हिला एवं मिला कर छेद करके 800 ग्राम घी (सीफाम) वास्ते जांच मिलावट / अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 296 / – नगद देकर खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. खरीदशुदा 800 ग्राम घी (सीफाम) को साफ सूखी कांच की शिशियों में हिला–मिला एक रूप कर बराबर–बराबर मात्रा (200 ग्राम) में भरा गया। चारों नमुना शिशियों पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड़ व सीरियल नम्बर एम–1224 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एम–1224 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एम–1224 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाबा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि घी (सीफाम) की चारों शिशियों के चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एम–1224 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस 1008 / एक्ट / 2016 / 1023 दिनांक 01.09.2016 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ मिथ्याछाप होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एम–1224 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाई करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।

3. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत जवाब में निवदेन किया की अप्रार्थी एक छोटा व्यापारी है तथा नियमों संबंधी जानकारी नहीं होने के कारण उक्त भूल उससे हो गई। भूलवश उसने उक्त नमूने का बिल निर्माता/वितरण संस्था से नहीं लिया है।

4. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। मनन के पश्चात पाया की अप्रार्थी ने प्रकरण में अपना दोष स्वीकार कर लिया है। अतः वह खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 52 का दोषी पाया जाता हैं। अतः अप्रार्थी पर शास्ती रूपये .....अक्षरे रूपये ..... की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थी उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक .....के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें। निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

क्रमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2017/ दिनांक :–

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर।
02. श्री राजेश टिंकर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, जोन जोधपुर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।
03. श्री राकेश सुथार पुत्र श्री ओमप्रकाश (एफ बी ओ/मालिक) फर्म :–मै. जय बजरंग किराणा पताः–श्री रामनगर, सीएचबी, जोधपुर वार्ड न. 3, जोधपुर नि. 2 ए स्टोर, श्री रामनगर, सीएचबी जोधपुर वार्ड न. 3 जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 71/2017

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पताः– जोधपुर।		1. श्री राकेश सुथार पुत्र श्री ओमप्रकाश (एफ बी ओ/मालिक) फर्म :– मै. जय बजरंग किराणा , श्री रामनगर, सीएचबी, जोधपुर वार्ड न. 3, जोधपुर नि. 2 ए स्टोर, श्री रामनगर, सीएचबी जोधपुर वार्ड न. 3 जोधपुर।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 28.04.2017 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी मैसर्स जय बजरंग किराणा पताः– 2 ए श्री रामनगर, सीएचबी, जोधपुर वार्ड न. 03 पहुँच कर निरीक्षण करने दौरान पापड़ मूंग स्पेशल (जैन पापड़) का स्टॉक आम जनता को विक्रय हेतु रखी थी। उक्त पापड़ मूंग स्पेशल (जैन पापड़) 4गुणा400 ग्राम को वास्ते जांच मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 300/– नगद देकर खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है। खरीदसुदा पापड़ मूंग स्पेशल (जैन पापड़) के चारों पैकेट पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड़ व सीरियल नम्बर एडी–574 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एडी–574 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एडी–574 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
2. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाबा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि मूंग पापड़ स्पेशल (जैन पापड़) के 400 ग्राम के चारों पैकेट के चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एडी–574 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस 417/एक्ट/2016/416 दिनांक 11.05.2017 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ मिथ्याछाप होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एडी–574 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाई करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।

04. श्री पवन कुमार होलानी पुत्र श्री नन्दकिशोर होलानी (सप्लायर्स/मालिक) फर्म मैसर्स होलानी ट्रेडर्स, दुकान संख्या 11, वीर अग्रसेन ब्लॉक, प्रथम तल, जोधपुर। हाल–28, हनुमान कॉलोनी, खेतानाड़ी, जोधपुर।
05. श्रीमती मंजु देवी होलानी पत्नी श्री नंदकिशोर होलानी (पैकर्स/मालिक) फर्म मैसर्स आसाम टी कम्पनी, दुकान संख्या 11, वीर अग्रसेन ब्लॉक, प्रथम तल, जोधपुर (पैकिंग ब्रान्च–रेल्वे स्टेशन रोड़, डिडवाना जिला नागौर) निवासी–गुरूजी की गली, मुंदडो की गली, डिडवाना जिला नागौर। हाल–जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर

अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस/352/एक्ट/2016/382 दिनांक 07.04.2016 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ मिथ्याछाप होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एम–982 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाई करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।

3. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। अप्रार्थीगण 1 से 3 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत जवाब में निवदेन किया कीः–

चाय (ब्राण्ड क्रांति) के पैकेट के छपे हुए ब्रोशर पर जिसका उपयोग इस चाय के पैकेअब्के उपर तथा पैकेट बनाने में किया जाता है। इसके पिछले भाग में चाय के कन्टेन्ट्स, नेट वैट, अधिकतम खुदरा कीमत, पैकिंग की दिनांक तथा बैच नम्बर के नीचे उल्लेखित किया गया है –बेस्ट बीफॉर विदईन 12 मथस फ्रोम द डेट ऑफ पैकींग। पैकेट का वह नमूना जो मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक के आधार पर चाय सही पाये जाने के बाद बिना किसी प्रक्रिया के लिया गया उसकी प्रति जवाब के साथ संलग्न है। तथा कथित जांच अधिकारी ने मौखिक तौर पर सारे ऑप्शन समाप्त हो जाने पर अप्रार्थीगण को बिना कोई प्रक्रिया अपनाये कहा कि संबंधित पैकेट पर उपर्युक्त पैकिंग का नोटेशन (उपर्युक्त इनवर्टेड कॉमा में अंकित) आपके पैकेट पर स्माल लेटर्स में लिखा हुआ है जो नियमानुसार कैपिटल लेटर्स अर्थात् :बेस्ट बीफॉर विदईन 12 मथस फ्रोम द डेट ऑफ पैकींगः में अंकित किया जाना चाहिए था जो अप्रार्थीगण के उक्त पैकेट पर स्मॉल लेटर्स में लिखा हुआ हैं। अतः इस आधार पर उक्त चाय मिथ्याछाप होने से उक्त प्रकरण अंतर्गत धारा 26 की उपधारा (2) (।।) एवं धारा 52 के तहत अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया जाता है। अतः इसे मिथ्याछाप के अंतर्गत नहीं माना जा सकता। इस आधार पर भी उक्त नोटिस खारिजी योग्य है।

बहस हेतु अनेक अवसर दिये व आवाज दी जाने के बावजूद भी अप्रार्थीगण एवं अधिवक्ता अप्रार्थी बहस हेतु उपस्थित नहीं हुए। अतः एकपक्षीय आदेश करना उचित समझती हू।

4. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। मनन के पश्चात पाया की अप्रार्थीगण प्रकरण में दोषी पाया गया। साथ ही यदि अप्रार्थीगण पब्लिक हैल्थ लेबोट्ररी जोधपुर की फूड ऐनेलेसिस रिपोर्ट दिनांक 03.02.2016 से संतुष्ट नहीं थे तो उसके पास रेफरल लेबोरट्री में अपील का अवसर था परंतु अप्रार्थीगण ने रेफरल लैब में अपील नहीं की अतः वह खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 52 के दोषी पाये जाते हैं। अतः अप्रार्थीगण खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 52 का दोषी पाये जाते हैं। अतः अप्रार्थीगण 1 पर शास्ती रूपये .....अक्षरे रूपये .....व अप्रार्थीगण 2 व 3 पर शास्ती रूपये .....अक्षरे रूपये .... की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक .....के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

क्रमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2017/ दिनांक :–

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर।
02. श्री रेवंत सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।
03. श्री पारसमल जैन पुत्र श्री हस्तीमल 35 वर्ष (एफ बी ओ/मालिक) फर्म :– वर्धमान किराणा एण्ड जनरल स्टोर, गायत्री नगर, पनजी घांची की किराणा दुकान, पाल रोड़, जोधपुर। निवासी– गांव पोस्ट–धवा तह. लूणी, जिला जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 39/16

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जोधपुर।		1. श्री पारसमल जैन पुत्र श्री हस्तीमल 35 वर्ष (एफ बी ओ/मालिक) फर्म :– वर्धमान किराणा एण्ड जनरल स्टोर, गायत्री नगर, पनजी घांची की किराणा दुकान, पाल रोड़, जोधपुर। निवासी– गांव पोस्ट–धवा तह. लूणी, जिला जोधपुर। 2. श्री पवन कुमार होलानी पुत्र श्री नन्दकिशोर होलानी (सप्लायर्स/मालिक) फर्म मैसर्स होलानी ट्रेडर्स, दुकान संख्या 11, वीर अग्रसेन ब्लॉक, प्रथम तल, जोधपुर। निवासी–गुरूजी की गली, डिडवाना जिला नागौर। हाल–28, हनुमान कॉलोनी, खेतानाड़ी, जोधपुर। 3. श्रीमती मंजु देवी होलानी पत्नी श्री नंदकिशोर होलानी (पैकर्स/मालिक) फर्म मैसर्स आसाम टी कम्पनी, दुकान संख्या 11, वीर अग्रसेन ब्लॉक, प्रथम तल, जोधपुर (पैकिंग ब्रान्च–रेल्वे स्टेशन रोड़, डिडवाना जिला नागौर) निवासी–गुरूजी की गली, मुंदडो की गली, डिडवाना जिला नागौर। हाल–जोधपुर।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 20.01.2016 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी मैसर्स वर्धमान किराणा एण्ड जनरल स्टोर, गायत्री नगर, पनजी घांची की किराणा दुकान, पाल रोड़, जोधपुर पहुँच कर निरीक्षण करने दौरान चाय (ब्राण्ड क्रांति) के 15 पैक्ड जार प्रत्येक 01 किलोग्राम आम जनता को विक्रय हेतु रखी थी। उक्त चाय (ब्राण्ड क्रांति) के 15 पैक्ड जार प्रत्येक 01 किलोग्राम वास्ते जांच मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के रूपये 960/– नगद देकर खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है। खरीदसुदा चाय (ब्राण्ड क्रांति) के 15 पैक्ड जार प्रत्येक 01 किलोग्राम के चारों जार पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड़ व सीरियल नम्बर एम–982 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एम–982 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एम–982 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
2. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाबा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि चाय (ब्राण्ड क्रांति) के 15 पैक्ड जार प्रत्येक 01 किलोग्राम चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एम–982 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

क्रमांकः— न्यायिक / कोर्ट / 2017 / दिनांक :—

प्रतिलिपीः— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

01. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर।
02. श्री विजय कांत गौतम, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, संयुक्त निदेशक (ग्रामीण स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान, जयपुर।
03. श्री रामप्रकाश अग्रवाल पुत्र श्री मक्खनलाल (एफबीओ) फर्म :— मैसर्स मरूधरा स्वीट एण्ड रेस्टोरेंट प्रा. लि. सारण नगर
    मैन बनाड़ रोड़, जोधपुर। निवासी—77, दाधीच नगर, महामंदिर,
04. श्री रामप्रताप अग्रवाल पुत्र श्री मक्खनलाल (डायरेक्टर) फर्म मैसर्स मरूधरा स्वीट एण्ड रेस्टोरेंट प्रा. लि. सारण नगर, मैन बनाड़ रोड़, जोधपुर। निवासी—73, दाधीच नगर, महामंदिर, जोधपुर।
05. श्री तुलसीदास न्याती (डायरेक्टर) फर्म मैसर्स मरूधरा स्वीट एण्ड रेस्टोरेंट प्रा. लि. सारण नगर, मैन बनाड़ रोड़, जोधपुर। निवासी—38, शिवलाल माथुर कॉलोनी, दाउ की ढाणी के पास, जोधपुर।
06. श्री नरेश वैष्णव (डायरेक्टर) फर्म मैसर्स मरूधरा स्वीट एण्ड रेस्टोरेंट प्रा. लि. सारण नगर, मैन बनाड़ रोड़, जोधपुर। निवासी—डाक बंगला पोस्ट बड़, रायपुर पाली।
07. श्री पार्वती अग्रवाल पत्नी श्री रामप्रताप अग्रवाल (डायरेक्टर) फर्म मैसर्स मरूधरा स्वीट एण्ड रेस्टोरेंट प्रा. लि. सारण नगर, मैन बनाड़ रोड़, जोधपुर। निवासी—73, दाधीच नगर, महामंदिर, जोधपुर।
08. मैसर्स मरूधरा स्वीट एण्ड रेस्टोरेंट प्रा. लि. सारण नगर, मैन बनाड़ रोड़, जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर

हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एडी–325 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।

2. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाबा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि पनीर की चारों नमूना शीशीयें को अलग–अलग 2–2 भागों में एडी–325 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस/352/एक्ट/2016/382 दिनांक 07.04.2016 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ मिथ्याछाप होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एडी–325 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाई करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।

3. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। अप्रार्थीगण की ओर अधिवक्ता ने से शपथ पत्र के रूप में जवाब प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत जवाब में निवदेन किया कीः–

(1) यह है कि उक्त कम्पनी मै. मरूधरा स्वीट्स एण्ड रेस्टोरेंट का सेम्पल भरने वाले दिन से पहले से आज तक मैं रामप्रताप अग्रवाल और श्रीमती पार्वती अग्रवाल ही डारेक्टर हैं। रामप्रकाश अग्रवाल इस कम्पनी में कभी भी डायरेक्टर नहीं रहे यह नाम गलती से सेम्पल इंस्पेक्टर ने लिख लिया है तथा तुलसीदास न्याति नरेश वैष्णव अब इस कम्पनी में डायरेक्टर नहीं है। न ही सेम्पल लेने वाले दिन ही ये दोनों डायरेक्टर नहीं है। न ही सेम्पल लेने वाले दिन ही ये दोनों डायरेक्टर थे।

(2) यह है कि तुलसीदास न्याती व नरेश वैष्णव सेम्पल भरने वाले दिन जब डायरेक्टर ही नहीं हो तो इन दोनों को इस मामले में गलत आरोपित किया गया हैं। तो इन्हें इस मामले से उन्मोचित किया जावे। मैं रामप्रताप व श्रीमती पार्वती अग्रवाल ही इस कम्पनी में डायरेक्टर है तो हम दोनों ही इस मामले के लिए दायित्वहीन है। मैं व पार्वती अग्रवाल इस मामले में शीघ्र ही जवाब प्रस्तुत कर देंगे।

(3) यह है कि मैं रामप्रताप व पार्वती अग्रवाल ही डायरेक्टर है इसका सबूत संलग्न शपथपत्र पेश है। शेष को उन्मोचित किया जावे। इस मामले से तथा रामप्रकाश अग्रवाल इस कम्पनी में कोई व्यक्ति न तो था न ही है।

बहस की गई। बहस के दौरान एफएसओ उपस्थित। वकील अप्रार्थी ने शपथपत्र के जवाब में दिये गये तथ्यों को दौराते हुए। वक्त सेम्पल श्री रामप्रकाश अग्रवाल, तुलसीदास न्याति व नरेश वैष्णव डायेरक्टर नहीं थे। अतः इन्हें गलत पार्टी बनाया गया है। जिसे एफएसओं ने स्वीकार किया की। इन तीनों को वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा इस फर्म में वैट फार्म तीन अनुसार 8 जून 2016 को सम्मिलित किया जबकी सेम्पल 23.03.2016 को भरा गया अतः यह सेम्पल भरने के दिन डायरेक्टर नहीं थे। अतः इन्हें हटाया जावे को कोई आपत्ति नहीं है। इस परिवार में अप्रार्थि संख्या 1, 5 व 6 ही पार्टी हैं।

4. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। मनन के पश्चात पाया की अप्रार्थीगण 1, 5 व 6 इस प्रकरण में दोषी है।यदि अप्रार्थीगण पब्लिक हैल्थ लेबोट्रटरी जोधपुर की फूड ऐनेलेसिस रिपोर्ट दिनांक 07.04.2016 से संतुष्ट नहीं थे तो उसके पास रेफरल लेबोरट्री में अपील का अवसर था परंतु अप्रार्थीगण ने रेफरल लैब में अपील नहीं की अतः वह खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 के दोषी पाये जाते हैं। अतः अप्रार्थीगण खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी पाये जाते हैं। अतः अप्रार्थीगण 1 पर शास्ती रूपये ..... अक्षरे रूपये .....व अप्रार्थीगण 5 व 6 पर शास्ती रूपये .....अक्षरे रूपये .... की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक .....के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 30/16

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य नगर जोधपुर।		1. श्री रामप्रकाश अग्रवाल पुत्र श्री मक्खनलाल (एफबीओ) फर्म :– मैसर्स मरूधरा स्वीट एण्ड रेस्टोरेंट प्रा. लि. सारण मैन बनाड़ रोड़, जोधपुर। निवासी–77, दाधीच नगर, महामंदिर, जोधपुर। 2. श्री रामप्रताप अग्रवाल पुत्र श्री मक्खनलाल (डायरेक्टर) फर्म मैसर्स मरूधरा स्वीट एण्ड रेस्टोरेंट प्रा. लि. सारण नगर, मैन बनाड़ रोड़, जोधपुर। निवासी–73, दाधीच नगर, महामंदिर, जोधपुर। 3. श्री तुलसीदास न्याती (डायरेक्टर) फर्म मैसर्स मरूधरा स्वीट एण्ड रेस्टोरेंट प्रा. लि. सारण नगर, मैन बनाड़ रोड़, जोधपुर। निवासी–38, शिवलाल माथुर कॉलोनी, दाउ की ढाणी के पास, जोधपुर। 4. श्री नरेश वैष्णव (डायरेक्टर) फर्म मैसर्स मरूधरा स्वीट एण्ड रेस्टोरेंट प्रा. लि. सारण नगर, मैन बनाड़ रोड़, जोधपुर। निवासी–डाक बंगला पोस्ट बड़, रायपुर पाली। 5. श्री पार्वती अग्रवाल पत्नी श्री रामप्रताप अग्रवाल (डायरेक्टर) फर्म मैसर्स मरूधरा स्वीट एण्ड रेस्टोरेंट प्रा. लि. सारण नगर, मैन बनाड़ रोड़, जोधपुर। निवासी–73, दाधीच नगर, महामंदिर, जोधपुर। 6. मैसर्स मरूधरा स्वीट एण्ड रेस्टोरेंट प्रा. लि. सारण नगर, मैन बनाड़ रोड़, जोधपुर।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 23.03.2016 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी मैसर्स मरूधरा स्वीट एण्ड रेस्टोरेंट प्रा. लि. सारण नगर, मैन बनाड़ रोड़, जोधपुर पहुँच कर निरीक्षण करने दौरान एक स्टील ट्रे में दुध से निर्मित खोया (मावा) पनीर 5 किलोग्राम आम जनता को विक्रय हेतु रखी थी। उक्त खोया (मावा) 1 किलोग्राम वास्ते वास्ते जांच मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के रूपये 400/– नगद देकर खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है। खरीदसुदा खोया (मावा) पनीर को हिला–मिला कर एक रूप कर बराबर–बराबर मात्रा (250ग्राम) में प्रत्येक शीशी में भरा एवं प्रत्येक शीशी में 40 प्रतिशत फार्मेलिन की 20–20 बूंदे बतौर प्रिजरवेटिव की डालकर प्रत्येक शीशी पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड़ व सीरियल नम्बर एडी–325 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एडी–325 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने

प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना ईई–617 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाई करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।

7. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत जवाब में निवदेन किया की अप्रार्थीगण द्वारा पनीर का उत्पादन नहीं किया जा अपितु बाजार से खरीदा जाता हैं। उक्त पनीर का नमूना उचित नहीं होने से आपूर्तिकर्ता को बदल दिया है। बहस हेतु बार बार मौका दिये जाने के बावजूद अप्रार्थीगण की ओर से बहस नहीं की गई । बार–बार अवसर देने के उपरांत भी अप्रार्थीगण बहस हेतु उपस्थित नहीं हुए। अतः मै प्रकरण में एकतरफा निर्णय देने उचित समझती हूँ।
8. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। मनन के पश्चात पाया की अप्रार्थीगण ने प्रकरण में लापरवाही दिखाते हुए बार बार अवसर दिये जाने के बावजूद भी बहस करने हेतु न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं हुए तथा यदि अप्रार्थीगण पब्लिक हैल्थ लेबोट्ररी जोधपुर की फूड ऐनेलेसिस रिपोर्ट दिनांक 24.09.2015 से संतुष्ट नहीं थे तो उसके पास रेफरल लेबोरट्री में अपील का अवसर था परंतु अप्रार्थीगण ने रेफरल लैब में अपील नहीं की अतः वह खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 49 व 51 के दोषी पाये जाते हैं। अतः अप्रार्थीगण खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 49 व 51 का दोषी पाये जाते हैं। अतः अप्रार्थीगण पर शास्ती रूपये ..... अक्षरे रूपये ..... की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक ..... के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

क्रमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2017/ दिनांक :–

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर।
02. श्री विनोद कुमार शर्मा, संयुक्त निदेशक (ग्रामीण स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान, जयपुर।
03. श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री शम्भूदयाल शर्मा (खाद्य कारोबारकर्ता एवं मैनेजर) फर्मः– मै. वेव हॉटेल एण्ड एस्टेट प्रा. ।
    लि. (इंदाना पैलेस), जोधपुर। निवासी :– 132 के.वी. जेइई कॉलोनी, करौली।
04. श्री योगेश चारन, (नोमिनी) फर्म मैसर्स वेव हॉटेल एण्ड ऐस्टेट प्राइवेट लिमिटेड, (इंदाना पैलेस, जोधपुर) नि. 632/11, शिकारगढ़, मिलिट्री ऑफिस के सामने, जोधपुर।
05. फर्म मैसर्स वेव हॉटेल एण्ड ऐस्टेट प्राइवेट लिमिटेड, (इंदाना पैलेस, जोधपुर) पताः– 632/11, शिकारगढ़, मिलिट्री ऑफिस के सामने, जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 42/16

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कारोबार कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य प्राईवेट जोधपुर। ण्कॉलोनी, करौली।	9	1. श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री शम्भूदयाल शर्मा, खाद्य कर्ता एवं मैनेजर) फर्म :– मैसर्स वेव हॉटेल एण्ड एस्टेट लिमिटेड़ (इंदाना पैलेस, जोधपुर। निवासी :– 132 के.वी. जेइई 2. श्री योगेश चारन, (नोमिनी) फर्म मैसर्स वेव हॉटेल एण्ड ऐस्टेट प्राइवेट लिमिटेड, (इंदाना पैलेस, जोधपुर) नि. 632/11, शिकारगढ़, मिलिट्री ऑफिस के सामने, जोधपुर। 3. फर्म मैसर्स वेव हॉटेल एण्ड ऐस्टेट प्राइवेट लिमिटेड, (इंदाना पैलेस, जोधपुर) पताः– 632/11, शिकारगढ़, मिलिट्री ऑफिस के सामने, जोधपुर।

आदेश

5. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 16.09.2015 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी मैसर्स वेव हॉटेल एण्ड ऐस्टेट प्राइवेट लिमिटेड़, (इंदाना पैलेस, जोधपुर) पताः– 632/11, शिकारगढ़, मिलिट्री ऑफिस के सामने, जोधपुर पहुँच कर निरीक्षण करने दौरान एक एस.एस. ट्रे में पनीर 6 किलोग्राम आम जनता को विक्रय हेतु रखी थी। उक्त मिल्क पनीर 1 किलोग्राम वास्ते वास्ते जांच मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के रूपये 200/– नगद देकर खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है। खरीदसुदा पनीर को हिला–मिला कर एक रूप कर बराबर–बराबर मात्रा (250ग्राम) में प्रत्येक शीशी में भरा एवं प्रत्येक शीशी में 40 प्रतिशत फार्मेलिन की 20–20 बूंदे बतौर प्रिजरवेटिव की डालकर प्रत्येक शीशी पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड़ व सीरियल नम्बर ईई–617 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप ईई–617 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना ईई–617 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
6. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाबा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि पनीर की चारों नमूना शीशीयें को अलग–अलग 2–2 भागों में ईई–617 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस/671/एक्ट/2015/671 दिनांक 24.09.2015 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ मिथ्याछाप होना पाया गया। उक्त

उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना ईई–617 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाई करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।

3. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत जवाब में निवदेन किया की अप्रार्थीगण द्वारा पनीर का उत्पादन नहीं किया जा अपितु बाजार से खरीदा जाता हैं। उक्त पनीर का नमूना उचित नहीं होने से आपूर्तिकर्ता को बदल दिया है। बहस हेतु बार बार मौका दिये जाने के बावजूद अप्रार्थीगण की ओर से बहस नहीं की गई । बार–बार अवसर देने के उपरांत भी अप्रार्थीगण बहस हेतु उपस्थित नहीं हुए। अतः मै प्रकरण में एकतरफा निर्णय देने उचित समझती हूँ।
4. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। मनन के पश्चात पाया की अप्रार्थीगण ने प्रकरण में लापरवाही दिखाते हुए बार बार अवसर दिये जाने के बावजूद भी बहस करने हेतु न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं हुए तथा यदि अप्रार्थीगण पब्लिक हैल्थ लेबोट्ररी जोधपुर की फूड ऐनेलेसिस रिपोर्ट दिनांक 24.09.2015 से संतुष्ट नहीं थे तो उसके पास रेफरल लेबोरट्री में अपील का अवसर था परंतु अप्रार्थीगण ने रेफरल लैब में अपील नहीं की अतः वह खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 52 के दोषी पाये जाते हैं। अतः अप्रार्थीगण खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 52 का दोषी पाये जाते हैं। अतः अप्रार्थीगण पर शास्ती रूपये .....अक्षरे रूपये .... की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक .....के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।

   निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

क्रमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2017/ दिनांक :–

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर।
02. श्री विनोद कुमार शर्मा, संयुक्त निदेशक (ग्रामीण स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान, जयपुर।
03. श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री शम्भूदयाल शर्मा (खाद्य कारोबारकर्ता एवं मैनेजर) फर्मः– मै. वेव हॉटेल एण्ड एस्टेट प्रा. ।
    लि. (इंदाना पैलेस), जोधपुर। निवासी :– 132 के.वी. जेइई कॉलोनी, करौली।
04. श्री योगेश चारन, (नोमिनी) फर्म मैसर्स वेव हॉटेल एण्ड ऐस्टेट प्राइवेट लिमिटेड, (इंदाना पैलेस, जोधपुर) नि. 632/11, शिकारगढ़, मिलिट्री ऑफिस के सामने, जोधपुर।
05. फर्म मैसर्स वेव हॉटेल एण्ड ऐस्टेट प्राइवेट लिमिटेड, (इंदाना पैलेस, जोधपुर) पताः– 632/11, शिकारगढ़, मिलिट्री ऑफिस के सामने, जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 42/16

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कारोबार कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य प्राईवेट जोधपुर।		1. श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री शम्भूदयाल शर्मा, खाद्य कर्ता एवं मैनेजर) फर्म :– मैसर्स वेव हॉटेल एण्ड एस्टेट लिमिटेड़ (इंदाना पैलेस, जोधपुर। निवासी :– 132 के.वी. जेइई कॉलोनी, करौली। 2. श्री योगेश चारन, (नोमिनी) फर्म मैसर्स वेव हॉटेल एण्ड ऐस्टेट प्राइवेट लिमिटेड, (इंदाना पैलेस, जोधपुर) नि. 632/11, शिकारगढ़, मिलिट्री ऑफिस के सामने, जोधपुर। 3. फर्म मैसर्स वेव हॉटेल एण्ड ऐस्टेट प्राइवेट लिमिटेड, (इंदाना पैलेस, जोधपुर) पताः– 632/11, शिकारगढ़, मिलिट्री ऑफिस के सामने, जोधपुर।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 16.09.2015 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी मैसर्स वेव हॉटेल एण्ड ऐस्टेट प्राइवेट लिमिटेड़, (इंदाना पैलेस, जोधपुर) पताः– 632/11, शिकारगढ़, मिलिट्री ऑफिस के सामने, जोधपुर पहुँच कर निरीक्षण करने दौरान एक एस.एस. ट्रे में पनीर 6 किलोग्राम आम जनता को विक्रय हेतु रखी थी। उक्त मिल्क पनीर 1 किलोग्राम वास्ते वास्ते जांच मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के रूपये 200/– नगद देकर खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है। खरीदसुदा पनीर को हिला–मिला कर एक रूप कर बराबर–बराबर मात्रा (250ग्राम) में प्रत्येक शीशी में भरा एवं प्रत्येक शीशी में 40 प्रतिशत फार्मेलिन की 20–20 बूंदे बतौर प्रिजरवेटिव की डालकर प्रत्येक शीशी पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड़ व सीरियल नम्बर ईई–617 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप ईई–617 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना ईई–617 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
2. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाबा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि पनीर की चारों नमूना शीशीयें को अलग–अलग 2–2 भागों में ईई–617 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस/671/एक्ट/2015/671 दिनांक 24.09.2015 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ मिथ्याछाप होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर

जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि मिल्क केक की चारों नमूना शीशीयें को अलग–अलग 2–2 भागों में एम–1060 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस/282/एक्ट/2016/313 दिनांक 29.03.2016 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ मिथ्याछाप होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एम–1060 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाई करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।

3. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता द्वारा अपना वकालतनाम पेश किया गया परंतु बार बार अवसर देने के उपरांत भी अप्रार्थीगण की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया, न ही वे बहस हेतु उपस्थित हुए। अतः मै प्रकरण में एकतरफा निर्णय देने उचित समझती हूँ।

4. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। मनन के पश्चात पाया की अप्रार्थीगण ने प्रकरण में लापरवाही दिखाते हुए बार बार अवसर दिये जाने के बावजूद भी अपना पक्ष न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया तथा यदि अप्रार्थीगण पब्लिक हैल्थ लेबोट्ररी जोधपुर की फूड ऐनेलेसिस रिपोर्ट दिनांक 29.03.2016 से संतुष्ट नहीं थे तो उसके पास रेफरल लेबोरट्री में अपील का अवसर था परंतु अप्रार्थीगण ने रेफरल लैब में अपील नहीं की अतः वह खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 52 के दोषी पाये जाते हैं। अतः अप्रार्थीगण खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 52 का दोषी पाये जाते हैं। अतः अप्रार्थीगण पर शास्ती रूपये .....अक्षरे रूपये .... की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक .....के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

क्रमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2017/ दिनांक :–

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर।
02. श्री रजनीश शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर।
03. श्री घनश्याम खत्री पुत्र श्री राजूमल खत्री उम्र 42 वर्ष (एफबीओ) फर्म :– मैसर्स भव्य अरोड़ा एण्ड नमकीन, प्लॉट सं. 14, के के कॉलोनी, कुड़ी हाउसिंग बोर्ड रोड़, जोधपुर नि.– आजाद हिन्द मार्केट, मसूरिया जोधुपर।
04. श्री मोतीसिंह पुत्र श्री शैतान सिंह (भागीदार/मालिक) फर्म भव्य अरोड़ा स्वीट्स एण्ड नमकीन, प्लॉट संख्या 14 के.के. कॉलोनी, कूड़ी हाउसिंह बोर्ड रोड़, जोधपुर। निवासी–220 रूपसिंह की ढाणी, झाबरा पोकरण, जिला जैसलमेर।
05. श्रीमती गैरो कंवर पत्नी श्री रघुनाथ सिंह (भागीदार/मालिक) फर्म –मैसर्स भव्य अरोड़ा स्वीट्स एण्ड नमकीन, प्लॉट संख्या 14 के के कॉलोनी, हाउसिंग बोर्ड रोड़, जोधपुर। निवासी– मिल्कमैन कॉलोनी, पाल रोड़, जोधपुर।
06. मैसर्स भव्य अरोड़ा स्वीट्स एण्ड नमकीन, प्लॉट संख्या 14 के के कॉलोनी, हाउसिंग बोर्ड रोड़, जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 53/16

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, (एफबी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के जोधपुर।		1. श्री घनश्याम खत्री पुत्र श्री राजूमल खत्री उम्र 42 वर्ष बो) फर्म :– मैसर्स भव्य अरोड़ा एण्ड नमकीन, प्लॉट सं. 14, के कॉलोनी, कुड़ी हाउसिंग बोर्ड रोड़, जोधपुर नि.– आजाद हिन्द मार्केट, मसूरिया जोधुपर। 2. श्री मोतीसिंह पुत्र श्री शैतान सिंह (भागीदार/मालिक) फर्म भव्य अरोड़ा स्वीट्स एण्ड नमकीन, प्लॉट संख्या 14 के.के. कॉलोनी, कूड़ी हाउसिंह बोर्ड रोड़, जोधपुर। निवासी–220 रूपसिंह की ढाणी, झाबरा पोकरण, जिला जैसलमेर। 3. श्रीमती गैरो कंवर पत्नी श्री रघुनाथ सिंह (भागीदार/मालिक) फर्म –मैसर्स भव्य अरोड़ा स्वीट्स एण्ड नमकीन, प्लॉट संख्या 14 के के कॉलोनी, हाउसिंग बोर्ड रोड़, जोधपुर। निवासी– मिल्कमैन कॉलोनी, पाल रोड़, जोधपुर। 4. मैसर्स भव्य अरोड़ा स्वीट्स एण्ड नमकीन, प्लॉट संख्या 14 के के कॉलोनी, हाउसिंग बोर्ड रोड़, जोधपुर।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 20.03.2016 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी मैसर्स भव्य अरोड़ा स्वीट्स एण्ड नमकीन, प्लॉट संख्या 14, के के कॉलानी, कूडी हाउसिंह बोर्ड, जोधपुर पहुँच कर निरीक्षण करने दौरान एक स्टील ट्रे में मिल्क केक (दूध निर्मित प्रोपरायटरी मिठाई) 5 किलोग्राम आम जनता को विक्रय हेतु रखी थी। उक्त मिल्क केक (दूध निर्मित प्रोपरायटरी मिठाई) 2 किलोग्राम वास्ते नमूना संख्या एम–1060 वास्ते जांच मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के रूपये 600/– नगद देकर खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है। खरीदसुदा मिल्क केक को हिला–मिला कर एक रूप कर बराबर–बराबर मात्रा (500ग्राम) में प्रत्येक शीशी में भरा एवं प्रत्येक शीशी में 40 प्रतिशत फार्मेलिन की 40–40 बूंदे बतौर प्रिजरवेटिव की डालकर प्रत्येक शीशी पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड़ व सीरियल नम्बर एम–1060 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एम–1060 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एम–1060 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
2. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाबा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी

जानकारी के अभाव में उससे मिथ्याछाप खाद्य सामग्री विक्रय की भूल हो गई। भविष्य में खाद्य सामग्री विक्रय के समय वह नियमों की जानकारी कर ही बेचेगा। इस प्रकार अप्रार्थी अपनी गलती स्वीकार करते हुए उस पर कम से कम जुर्माना लगाने हेतु निवेदन किया है।

4. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। मनन के पश्चात पाया की अप्रार्थी ने अपने जवाब में अपनी गलती स्वीकार कर ली है। अतः वह खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 52 के दोषी पाये जाते हैं। अतः अप्रार्थी पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 52 का दोषी पाये से अप्रार्थी पर शास्ती रूपये ....अक्षरे रूपये ..... की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थी उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक ....के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

क्रमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2017/ दिनांक :–

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर।
02. श्री संदीप अग्रवाल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर।
03. श्री नरेन्द्र शाह पुत्र श्री गिरधरलाल शाह उम्र 47 वर्ष (एफबीओ/मालिक) फर्म :– मैसर्स शाह फूड़ प्रोडक्ट्स 44, शान्तीप्रिया नगर, खत्री नोहरे के पास, चौपासनी रोड़, जोधपुर। नि.– 164, बलदेव नगर, जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 68/16

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, (एफबीओ कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जोधपुर।		1. श्री नरेन्द्र शाह पुत्र श्री गिरधरलाल शाह उम्र 47 वर्ष /मालिक) फर्म :– मैसर्स शाह फूड़ प्रोडक्ट्स 44, शान्तीप्रिया नगर, खत्री नोहरे के पास, चौपासनी रोड़, जोधपुर। नि.– 164, बलदेव नगर, जोधपुर।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 03.03.2016 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी मैसर्स शाह फूड प्रोडक्टस, 44, शांतीप्रिया नगर, खत्री नोहरे के पास, चौपासनी रोड़, जोधपुर पहुँच कर निरीक्षण करने दौरान ड्राई ग्रीन मटर (सोनू) प्लास्टिक के कट्टे में 100 पॉली पैक प्रत्येक 1 किलोग्राम आम जनता को विक्रय हेतु रखे थे। उक्त ड्राई ग्रीन मटर (सोनू) के 4 पॉली पैक प्रत्येक 1 किलोग्राम वास्ते नमूना संख्या एडी–326 वास्ते जांच मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के रूपये 200/– नगद देकर खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है। खरीदसुदा ड्राई ग्रीन मटर (सोनू) चारों पॉली पैक पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड़ व सीरियल नम्बर एडी–326 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एडी–326 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एम–1186 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
2. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाबा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि ड्राई ग्रीन मटर (सोनू) के चारों नमूना पॉली पैक को अलग–अलग 2–2 भागों में एडी–326 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस/219/एक्ट/2016/255 दिनांक 16.03.2016 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ मिथ्याछाप होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एडी–326 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाई करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।
3. प्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। अप्रार्थी ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है उससे उसने उक्त ड्राई ग्रीन मटर (सोनू) जिस पॉली पैक में खरीद उसी स्थिती में विक्रय किया करता हैं तथा खाद्य सुरक्षा के नियम की

3. प्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। अप्रार्थी ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है उससे उसने उक्त सरसों के तेल (स्टार–वे) को खरीदा था तब उसे बिल पर ब्राण्ड संबंधी नियमों का ज्ञान नहीं होने से गलती हो गई थी। इस प्रकार अप्रार्थी अपनी गलती स्वीकार करते हुए उस पर कम से कम जुर्माना लगाने हेतु निवेदन किया है।
4. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। मनन के पश्चात पाया की अप्रार्थी ने अपने जवाब में अपनी गलती स्वीकार कर ली है। अतः वह खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 52 के दोषी पाये जाते हैं। यदि अप्रार्थी पब्लिक हैल्थ लेबोट्ररी जोधपुर की फूड ऐनेलेसिस रिपोर्ट दिनांक 20.07.2016 से संतुष्ट नहीं थे तो उसके पास रेफरल लेबोरट्री में अपील का अवसर था परंतु अप्रार्थीगण ने रेफरल लैब में अपील नहीं की अतः अप्रार्थी पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 52 का दोषी पाये से अप्रार्थी पर शास्ती रूपये .....अक्षरे रूपये ..... की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थी उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक ..... के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।

   निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

क्रमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2017/ दिनांक :–

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर।
02. श्री संदीप अग्रवाल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर।
03. .श्री गणपत भाटी पुत्र श्री भीखाराम भाटी उम्र 25 वर्ष (एफबीओ/मालिक) फर्म :– मैसर्स बी–मार्ट डिपार्टमेंटल स्टोर, रमजान जी का हत्था, देना बैंक के पास, बनाड़ रोड़, जोधपुर। निवासी– पालडी मंगलिया मण्डोर, जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 50 / 15

प्रार्थी	**बनाम**	अप्रार्थी
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, (एफबीओ कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य रमजान जोधपुर।		1. श्री गणपत भाटी पुत्र श्री भीखाराम भाटी उम्र 25 वर्ष / मालिक) फर्म :– मैसर्स बी–मार्ट डिपार्टमेंटल स्टोर, जी का हत्था, देना बैंक के पास, बनाड़ रोड़, जोधपुर। निवासी– पालडी मंगलिया मण्डोर, जोधपुर।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 11.07.2016 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी मैसर्स बी–मार्ट डिपार्टमेंटल स्टोर, रमजान जी का हत्था, देना बैंक के पास, बनाड़ रोड़, जोधपुर पहुँच कर निरीक्षण करने दौरान सरसों का तेल (स्टार–वे) 200 एम.एल. पर आम जनता को विक्रय हेतु रखा था। उक्त सरसों का तेल के 200 एम.एल. के 12 पेट बोटल वास्ते नमूना संख्या एम–1186 वास्ते जांच मिलावट / अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के रूपये 800 / – नगद देकर खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है। खरीदसुदा सरसों तेल (स्टार–वे) के 500 मि.ली. के 12 पेट बोटल्स को तीन–तीन के चार भागों में बांटकर चारों भागों पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ. कोड़ व सीरियल नम्बर एम–1186 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एम–1186 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एम–1186 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
2. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाबा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि सरसों तेल (स्टार वे) के चारों नमूना भागों को अलग–अलग 2–2 भागों में एम–1186 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस / 795 / एक्ट / 2016 / 824 दिनांक 20.07.2016 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ मिथ्याछाप होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एम–1186 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाई करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर

अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ मिथ्याछाप होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप

धारा 2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एम–425 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाई करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।

3. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुऐ। अप्रार्थी संख्या 1 का नोटिस उसके देहांत हो जाने से अदम तामिल प्राप्त हुआ। अप्रार्थी संख्या 2 ने बावजूद तामिल जवाब पेश नहीं किया अतः जवाब बंद किया। अप्रार्थी संख्या 3 की ओर अपना जवाब प्रस्तुत किया गया। अप्राथी संख्या 1 व 2 को बार बार अवसर देने के उपरांत भी अपना बहस हेतु न्यायालय हाजा में उपस्थित नहीं हुऐ, अप्रार्थी सं 03 की बहस सुनी गयी। अतः प्रकरण में एक पक्षीय निर्णय पारित करना उचित समझती हूँ।

4. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। मनन के पश्चात पाया की अप्रार्थीगण को बार–बार अवसर देने के बावजूद भी अप्रार्थी सं 1 व 2 अपना पक्ष न्यायालय हाजा में प्रस्तुत नहीं किया अतः अप्रार्थीगण खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 व 54 के दोषी पाये जाते हैं। यदि अप्रार्थीगण पब्लिक हैल्थ लेबोट्ररी जोधपुर की फूड ऐनेलेसिस रिपोर्ट दिनांक 07.10.2013 से संतुष्ट नहीं थे तो उसके पास रेफरल लेबोरट्री में अपील का अवसर था परंतु अप्रार्थीगण ने रेफरल लैब में अपील नहीं की अतः अप्रार्थी पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 52 का दोषी पाये से अप्रार्थीसंख्या 1 पर शास्ती रूपये .....अक्षरे रूपये .... तथा 2 व 3 पर शास्ती रूपये .....अक्षरे रूपये ..... की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक .....के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

क्रमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2017/ दिनांक :–

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर।
02. श्री भानुप्रताप सिंह गहलोत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर।
03. श्री प्रेम कुमार अग्रवाल पुत्र स्व. श्री मुरलीधर जी अग्रवाल खाद्य कारोबारकर्ता फर्म :– मैसर्स शिप्रा ऐंटरप्राईसेस, कन्हैया

    स्वीट्स के सामने, गली नं. 9, भगत की कोठी, न्यू पाली रोड़, जोधपुर। 342001 निवासी– मकान नं. 213, सुभाष कॉलोनी, न्यू पाली रोड, जोधपुर।
04. शिप्रा अग्रवाल (विक्रेता/मालिक) मैसर्स शिप्रा ऐंटरप्राईसेस, कन्हैया स्वीट्स के सामने, गली नं. 9, भगत की कोठी, न्यू पाली रोड, जोधपुर–342001। निवासी ई–115 रामेश्वर नगर, बासनी, जोधपुर। (राज.)
05. श्री सत्यप्रकाश शर्मा पुत्र श्री जगदीश प्रसाद शर्मा, प्रो. मै. श्री राजस्थान ट्रेडिंग कम्पनी, फौजी कॉलोनी, नोखा, बीकानेर राजस्थान–334803। निवासी–सुभाष नगर, नोखा, बीकानेर (राज.)

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 46/15

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जोधपुर।		1. श्री प्रेम कुमार अग्रवाल पुत्र स्व. श्री मुरलीधर जी अग्रवाल खाद्य कारोबारकर्ता फर्म :– मैसर्स शिप्रा ऐंटरप्राईसेस, कन्हैया स्वीट्स के सामने, गली नं. 9, भगत की कोठी, न्यू पाली रोड़, जोधपुर। 342001 निवासी– मकान नं. 213, सुभाष कॉलोनी, न्यू पाली रोड, जोधपुर। 2. शिप्रा अग्रवाल (विक्रेता/मालिक) मैसर्स शिप्रा ऐंटरप्राईसेस, कन्हैया स्वीट्स के सामने, गली नं. 9, भगत की कोठी, न्यू पाली रोड, जोधपुर–342001। निवासी ई–115 रामेश्वर नगर, बासनी, जोधपुर। (राज.) 3. श्री सत्यप्रकाश शर्मा पुत्र श्री जगदीश प्रसाद शर्मा, प्रो. मै. श्री राजस्थान ट्रेडिंग कम्पनी, फौजी कॉलोनी, नोखा, बीकानेर राजस्थान–334803। निवासी–सुभाष नगर, नोखा, बीकानेर (राज.)

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 25.09.2013 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी मैसर्स शिप्रा ऐंटरप्राईसेस पताः– कन्हैया स्वीट्स के सामने, गली नं. 9, भगत की कोठी, न्यू पाली रोड, जोधपुर पहुँच कर निरीक्षण करने दौरान घी (गोविन्द जी) के 500 मि.ली. के 09 पीस खुले तथा 05 गत्ता पैक कार्टन, प्रत्येक में 500 मि.ली. के 30 पीस, 04 गत्ता पैक कार्टन प्रत्येक में एक लीटर के 15 पीस एवं तीन पीस खुले, 5 लीटर के 08 टिन, तथा 15 कि.ग्रा. के 2 टिन फर्श पर आम जनता को विक्रय हेतु रखा था। उक्त उक्त घी (गोविन्द जी) के 500 मि.ली. के 04 पीस वास्ते नमूना संख्या एम–425 वास्ते जांच मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के रूपये 420/– नगद देकर खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है। खरीदसुदा घी (गोविन्द जी) के 500 मि.ली. के चारों पीस पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड़ व सीरियल नम्बर एम–425 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एम–425 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एम–425 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
2. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाबा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि घी (गोविन्द जी) के चारों नमूना पीस को अलग–अलग 2–2 भागों में एम–425 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस/477/एक्ट/2013/484 दिनांक 07.10.2013 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर

रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि कैर सांगरी आचार (ओटोबा) के चारों नमूना बोटल्स को अलग–अलग 2–2 भागों में एम–1023 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस/182/एक्ट/2016/214 दिनांक 29.02.2016 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ मिथ्याछाप होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एम–1023 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाई करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।

3. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। अप्रार्थी संख्या 1 व 5 उपस्थित होकर अपना जवाब पेश किया। अप्रार्थीगण को बहस हेतु अवसर देने के उपरांत भी बहस हेतु उपस्थित नहीं हुए। एक पक्षीय आदेश करना उचित समझती हूँ।
4. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। मनन के पश्चात पाया की अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 52 का दोषी पाये जाते हैं। यदि अप्रार्थी पब्लिक हैल्थ लेबोट्ररी जोधपुर की फूड ऐनेलेसिस रिपोर्ट दिनांक 29.02.2016 से संतुष्ट नहीं थे तो उसके पास रेफरल लेबोरट्री में अपील का अवसर था परंतु अप्रार्थीगण ने रेफरल लैब में अपील नहीं की अतः अप्रार्थी पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 52 का दोषी पाये से अप्रार्थीसंख्या 1 व 2 पर शास्ती रूपये .....अक्षरे रूपये ..... व अप्रार्थी संख्या 3, 4 व 5 शास्ती रूपये .....अक्षरे रूपये ..... आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक .....के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।
निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

क्रमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2017/ दिनांक :–

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर।
02. श्री रेवंतसिंह विजयकांत गौतम, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर।
03. श्री नमोनारायण गुप्ता पुत्र श्री पीरूमल गुप्ता उम्र 68 वर्ष एफबीओ/मालिक) फर्म :– लक्ष्मी स्टोर्स, उम्मेद कन्या स्कूल के पास, सोजती गेट, जोधपुर। निवासी –प्लॉट 45, गली नं. 04, हनवन्त ऐ, बीजेएस कॉलोनी, जोधपुर।
04. श्री पंकज जैन पुत्र श्री निर्मल कुमार जैन, (थोक विक्रेता/मालिक) फर्म मैसर्स राजस्थान फेमस फूड्स, बालासती मार्केट, घांचियों की बगेची, जालोरी गेट कें अंदर, जोधपुर। निवासी – खेरिडियों का बास, कबूतरों के चौक के पास, जोधपुर।
05. श्रीमती गुणवंती जैन पत्नी श्री प्रेमचंद जैन (निर्माता/मालिक) फर्म मैसर्स मारवाडी इटेबल्स, 66, औद्योगिक क्षेत्र, खैरेश्वर रोड़, फालना जिला पाली। निवासी– नेहरू कॉलोनी, फालना, जिला पाली।
06. श्री प्रवेश जैन पुत्र श्री प्रेमचंद जैन (व्यापार प्रबन्धक निर्माता फर्म) फर्म–मैसर्स–मारवाड़ी इटेबल्स, 66 औद्योगिक क्षेत्र खैरेश्वर रोड़, फालना जिला पाली। निवासी– नेहरू कॉलोनी फालना, जिला पाली।
07. फर्म मैसर्स मारवाड़ी इटेबल्स, 66 औद्योगिक क्षेत्र, खैरेश्वर रोड़, फालना जिला पाली। (निर्माता फर्म)

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 44 / 16

प्रार्थी

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी

1. श्री नमोनारायण गुप्ता पुत्र श्री पीरूमल गुप्ता उम्र 68 वर्ष एफबीओ / मालिक) फर्म :– लक्ष्मी स्टोर्स, उम्मेद कन्या स्कूल के पास, सोजती गेट, जोधपुर। निवासी –प्लॉट 45, गली नं. 04, हनवन्त ऐ, बीजेएस कॉलोनी, जोधपुर।
2. श्री पंकज जैन पुत्र श्री निर्मल कुमार जैन, (थोक विक्रेता / मालिक) फर्म मैसर्स राजस्थान फेमस फूड्स, बालासती मार्केट, घांचियों की बगेची, जालोरी गेट कें अंदर, जोधपुर। निवासी – खेरिडियों का बास, कबूतरों के चौक के पास, जोधपुर।
3. श्रीमती गुणवंती जैन पत्नी श्री प्रेमचंद जैन (निर्माता / मालिक) फर्म मैसर्स मारवाडी इटेबल्स, 66, औद्योगिक क्षेत्र, खैरेश्वर रोड़, फालना जिला पाली। निवासी– नेहरू कॉलोनी, फालना, जिला पाली।
4. श्री प्रवेश जैन पुत्र श्री प्रेमचंद जैन (व्यापार प्रबन्धक निर्माता फर्म) फर्म–मैसर्स–मारवाड़ी इटेबल्स, 66 औद्योगिक क्षेत्र खैरेश्वर रोड़, फालना जिला पाली। निवासी– नेहरू कॉलोनी फालना, जिला पाली।
5. फर्म मैसर्स मारवाड़ी इटेबल्स, 66 औद्योगिक क्षेत्र, खैरेश्वर रोड़, फालना जिला पाली। (निर्माता फर्म)

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 23.02.2016 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी मैसर्स लक्ष्मी स्टोर्स, उम्मेद कन्या स्कूल के पास, सोजती गेट, जोधपुर पहुँच कर निरीक्षण करने दौरान कैर सांगरी आचार (ओटोबा) के 1 किलोग्राम के 11 जार में आम जनता को विक्रय हेतु रखा था। उक्त कैर सांगरी आचार (ओटोबा) के 1 किलाग्राम के 4 बोटल्स वास्ते नमूना संख्या एम–1023 वास्ते जांच मिलावट / अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के रूपये 640 / – नगद देकर खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है। खरीदसुदा कैर सांगरी आचार (ओटोबा) की चारों 1 किलोग्राम की चारों बोटल्स पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड़ व सीरियल नम्बर एम–1023 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एम–1023 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एम–1023 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
2. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाबा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर

4. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। मनन के पश्चात पाया की अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी पाया जाता हैं। यदि अप्रार्थी पब्लिक हैल्थ लेबोट्ररी जोधपुर की फूड ऐनेलेसिस रिपोर्ट दिनांक 29.10.2016 से संतुष्ट नहीं था तो उसके पास रेफरल लेबोरट्री में अपील का अवसर था परंतु अप्रार्थी ने रेफरल लैब में अपील नहीं की अतः अप्रार्थी पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी पाये से शास्ती रूपये .....अक्षरे रूपये ..... आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थी उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक .....के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।
निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

क्रमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2017/ दिनांक :–

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर।
02. श्री विजयकांत गौतम, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं जोन जोधपुर।
03. श्री माधोसिंह चम्पावत पुत्र श्री जोर सिंह उम्र (एफबीओ/मालिक) फर्म :– माधो सिंह मावा वाला, गली नं. 4 शिक्षक कॉलोनी, फनवर्ड के पास, जोधपुर। निवासी– गली नं. 4 शिक्षक कॉलोनी, फनवर्ड के पास, जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 06 / 17

प्रार्थी	**बनाम**	अप्रार्थी
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जोधपुर।		1. श्री माधोसिंह चम्पावत पुत्र श्री जोर सिंह उम्र (एफबीओ / मालिक) फर्म :– माधो सिंह मावा वाला, गली नं. 4 शिक्षक कॉलोनी, फनवर्ड के पास, जोधपुर। निवासी– गली नं. 4 शिक्षक कॉलोनी, फनवर्ड के पास, जोधपुर।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 21.10.2016 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी मैसर्स माधोसिंह मावावाला गली नं. 4 शिक्षक कॉलोनी, फनवर्ड के पास, जोधपुर पहुँच कर निरीक्षण करने दौरान बडी परात में 10 किलो खोया आम जनता को विक्रय हेतु रखा था। उक्त 10 किलो खोया में से 1 किलो खोया वास्ते नमूना संख्या एडी–493 वास्ते जांच मिलावट / अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के रूपये 310 / – नगद देकर खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है। खरीदसुदा खोया को चार साफ–सुखी खाली चौड़े मुंहवाली शिशियों बराबर–बराबर भरकर प्रत्येक नमूना शीशी में 20 बूंद फार्मेलिन बतौर प्रिजरवेटिव डालकर एयरटाईट बंद कर चारों शिशियों पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड़ व सीरियल नम्बर एडी–493 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एडी–493 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एडी–493 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
2. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाबा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि खोया के चारों नमूना शिशियों को अलग–अलग 2–2 भागों में एडी–493 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस / 1231 / एक्ट / 2016 / 1260 दिनांक 26.10.2016 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ मिथ्याछाप होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एडी–493 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाई करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।
3. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। अप्रार्थी दिनांक 17.07.2017 को उपस्थित हुआ एवं अपना जवाब पेश किया। जिसमें अप्रार्थी में निवेदन किया की लिये गये नमूने में फैट की मात्रा कम होने का उसे ज्ञान नहीं था। इस प्रकार अप्रार्थी ने अपना जुर्म स्वीकार किया।

3. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। अप्रार्थी को अनेक अवसर दिये जाने के बावजूद भी जवाब पेश नहीं किया। अतः जवाब बन्द किया जाता है।
4. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। मनन के पश्चात पाया की अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 52 का दोषी पाया जाता हैं। यदि अप्रार्थी पब्लिक हैल्थ लेबोट्ररी जोधपुर की फूड ऐनेलेसिस रिपोर्ट दिनांक 29.06.2016 से संतुष्ट नहीं था तो उसके पास रेफरल लेबोरट्री में अपील का अवसर था परंतु अप्रार्थी ने रेफरल लैब में अपील नहीं की अतः अप्रार्थी पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 52 का दोषी पाये से शास्ती रूपये .....अक्षरे रूपये ..... आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थी उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक .....के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।
निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

क्रमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2017/ दिनांक :–

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर।
02. श्री राजेश टिंकर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं जोन जोधपुर।
03. श्री जगदीश कुमार पुत्र श्री हिरालाल उम्र 36 वर्ष (एफबीओ/मालिक) फर्म :– मैसर्स बिसन स्वीट्स घासमंडी रोड़, जोधपुर, राजस्थान 342001 निवासी म.न. 07 चौपासनी रोड़, जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 32 / 17

प्रार्थी	**बनाम**	अप्रार्थी
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, (एफबीओ / कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जोधपुर।		1. श्री जगदीश कुमार पुत्र श्री हिरालाल उम्र 36 वर्ष मालिक) फर्म :– मैसर्स बिसन स्वीट्स घासमंडी रोड़, जोधपुर, राजस्थान 342001 निवासी म.न. 07 चौपासनी रोड़, जोधपुर।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 16.06.2016 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी मैसर्स बिसन स्वीट्स घासमंडी रोड़, जोधपुर राजस्थान 342001 पहुँच कर निरीक्षण करने दौरान बॉइल्ड शुगर कन्फेक्शनरी (कॉनी मिक्स फ्रूट) के 300 पैक 24 सिल्ड पैक पॉली पैकेट्स आम जनता को विक्रय हेतु रखा था। उक्त बॉइल्ड कन्फेक्शनरी (कॉनी मिक्स फ्रुट) 300 के 4 पॉली पैकेट्स वास्ते नमूना संख्या एडी–408 वास्ते जांच मिलावट / अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के रूपये 360 / – नगद देकर खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है। खरीदसुदा बॉइल्ड कन्फेक्शनरी (कॉनी मिक्स फ्रुट) 300 के चारों पॉली पैकेट्स पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड़ व सीरियल नम्बर एडी–408 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एडी–408 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एम–408 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
2. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाबा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि बॉइल्ड कन्फेक्शनरी (कॉनी मिक्स फ्रुट) 300 के चारों नमूना पॉली पैकेट्स को अलग–अलग 2–2 भागों में एडी–408 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस / 737 / एक्ट / 2016 / 769 दिनांक 29.06.2016 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ मिथ्याछाप होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एडी–408 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाई करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।

3. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 अपने प्रस्तुत जवाब में बताया एफएसओ द्वारा प्रस्तुत प्रकरण के पद संख्या 5 में उल्लेखित तथ्य कि दिनांक 26.06.2016 को परिवादी इस पद में उल्लेखित स्थान पर पहुँचा सही होने से स्वीकार है परन्तु इस पद में उल्लेखित तथ्य कि उपस्थित होने के पश्चात वहाँ प्रार्थी को आम जनता को उपयोग हेतु खाद्य पदार्थ ब्रेड का निर्माण कर बेचते हुए पाया, पूर्णतया गलत होने से अस्वीकार है। यहाँ यह उल्लेखित करना न्यायसंगत है कि परिवादी जिस स्थान पर उपस्थित हुए थे। वह स्थान किसी भी प्रकार से आम जनता के आवागमन का स्थान नहीं है तथा उपरोक्त स्थान के से किसी प्रकार का बेचान इत्यादि नहीं किया जाता है दिनांक 26.05.2016 को परिवादी द्वारा जिन व्हाईट ब्रेड 9 कैरेट जिसमें 9 किलो व्हाईट ब्रेड थी वह बेचान करने के लिये नहीं थी तथा उसे किसी भी प्रकार से बेचान के लिये बाजार में प्रस्तुत नहीं किया गया था यानि कि उत्तर देहिंदा अप्रार्थीगण द्वारा किसी भी प्रकार से उपरोक्त स्थान पर कोई भी वस्तु बेचान के लिये नहीं रखी गई थी। इसी प्रकार अप्रार्थीगण ने जिरह में उक्त तथ्य को दोहराते हुए। प्रकरण को खारिज फरमाने का निवेदन किया।

   वकील अप्रार्थी उपस्थित बहस सुनि गई। बहस में जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि नमूने की जांच रिपोर्ट से अप्रार्थी को अवगत नहीं कराया गया जिससे अप्रार्थी रेफरल लेब में जांच हेतु जाने से वंचित रहा तथा अप्रार्थी संख्या 2 को जो कि पार्टनर है को सूचित नहीं किया तथा नमूना हेतु ली गई ब्रेड विक्रय स्थल से न लेकर निर्माण स्थल से ली गई थी जो कि विक्रय योग्य नहीं थी। ऐसी स्थिति में प्रकरण खारिज फरमाया जावे।

4. पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण का यह कहना गलत है कि उन्हें नमूने की जांच रिपोर्ट से सूचित नहीं किया लेकिन पत्रावली के अवलोकन से पाया कि अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रांक 341–42 दिनांक 18.07.2016 द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 को सूचित किया है तथा बरामदगी स्थल पर आम जन का आना जाना नही होने बाबत स्थल से एफएसओ द्वारा नमूना खाद्य सुरक्षा सबस्टेण्डर्ड एक्ट 2006 की धारा 38 (1) मे दी गई शक्तियों के तहत खाद्य सुरक्षा अधिकारी विक्रय स्थल अथवा निर्माण स्थल व विक्रय हेतु भण्डारण से लिया जा सकता है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 पार्टनर हैं। अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 के जवाब/जिरह व बहस पर मनन के पश्चात पाया कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 के दोषी हैं। यदि अप्रार्थीगण पब्लिक हैल्थ लेबोट्ररी जोधपुर की फूड ऐनेलेसिस रिपोर्ट दिनांक 12.07.2016 के विरूद्ध अप्रार्थीगण अपील कर सकते थे। परन्तु बावजुद सूचनार्थ अप्रार्थीगण 1 व 2 ने निर्धारित तीस दिवस की अवधी में धारा 46 की उपराधा 4 के अधीन फार्म संख्या 8 में नहीं की। अतः मैं फूड़ ऐनालिसिस की रिपोर्ट से सहमत हूँ तथा अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(2) एवं धारा 51 के तहत दोषी पाये जाने से अप्रार्थीगण पर रूपये .....अक्षरे रूपये .....की शास्ति आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थी उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक .....के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।

5. निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

क्रमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2017/ दिनांक :–

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर।
02. श्री विजय कांत गौतम, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं जोन जोधपुर।
03. श्री शादाब आलम पुत्र श्री नबी अहमद (पार्टनर) मैसर्स किम प्रोडक्ट 56 न्यू पावर हाउस के पीछे, गली नं. 4 औद्योगिक औद्योगिक क्षेत्र, जोधपुर।
04. श्री शहनाज जाकी (पार्टनर) मैसर्स किम प्रोडक्ट 56 न्यू पावर हाउस के पीछे, गली नं. 4, औद्योगिक क्षेत्र जोधपुर।
05. मैसर्स किम प्रोडक्ट 56 न्यू पावर हाउस के पीछे, गली न. 4, औद्योगिक क्षेत्र जोधपुर। (निर्माता फर्म)

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 70/16

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जोधपुर।		1. श्री शादाब आलम पुत्र श्री नबी अहमद (पार्टनर) मैसर्स किम प्रोडक्ट 56 न्यू पावर हाउस के पीछे, गली नं. 4 औद्योगिक औद्योगिक क्षेत्र, जोधपुर। 2. श्री शहनाज जाकी (पार्टनर) मैसर्स किम प्रोडक्ट 56 न्यू पावर हाउस के पीछे, गली नं. 4, औद्योगिक क्षेत्र जोधपुर। 3. मैसर्स किम प्रोडक्ट 56 न्यू पावर हाउस के पीछे, गली न. 4, औद्योगिक क्षेत्र जोधपुर। (निर्माता फर्म)

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 26.05.2016 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी मैसर्स किम प्रोडक्ट 56 न्यु पावर हाउस के पीछे, गली नं. 4 औद्योगिक क्षेत्र जोधपुर पहुँच कर निरीक्षण करने दौरान व्हाईट ब्रेड 4 केरेट प्रत्येक केरेट में 9 किलो ग्राम व्हाईट ब्रेड आम जनता को विक्रय हेतु रखा था। उक्त व्हाईट ब्रेड में 4 किलोग्राम ब्रेड नमूना संख्या एडी–401 वास्ते जांच मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के रूपये 60/– नगद देकर खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है। खरीदसुदा एक किलोग्राम व्हाईट ब्रेड को साफ सुखी खाली चार शिशियों में बराबर–बराबर भरकर प्रत्येक शीशी में 20 बून्द फार्मेलिन बतौर प्रिजरवेटिव डालकर एयर टाईट बंद किया एवं चारों शिशियें पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड़ व सीरियल नम्बर एडी–401 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एडी–401 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एम–401 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
2. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाबा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि व्हाईट ब्रेड के चारों नमूना शिशियों को अलग–अलग 2–2 भागों में एडी–401 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस/683/एक्ट/2016/806 दिनांक 12.07.2016 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ मिथ्याछाप होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एडी–401 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाई करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।

राजस्थान सरकार

न्यायालय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर

क्रमांकः– न्यायिक/कोर्ट/खाद्य सुरक्षा/2017/ दिनांकः–

प्रेषित :–

(1) श्री रजनीश शर्मा,
खाद्य सुरक्षा अधिकारी,
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर।

(2) श्री रेवंतसिंह भाटी,
खाद्य सुरक्षा अधिकारी,
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर।

विषय :– खाद्य सुरक्षा प्रकरणों में लम्बे समय से सरकार की ओर से पैरवी/जिरह न करने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा इस न्यायालय में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा (2)(।।) एवं धारा 51/52 के तहत प्रस्तुत निम्न लिखित परिवाद में आप द्वारा लम्बे समय से बावजूद उपस्थिती सरकार की ओर से पक्ष प्रस्तुत करने तथा अप्रार्थीगण की ओर से आपसे उक्त मामलात में जिरह चाही गई। जो नहीं की जा रही है। जिससे सरकार का पक्ष न्यायालय में प्रस्तुत नहीं करने की दशा में यदि मामला प्रभावित होता है तो आपके विरूद्ध आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक जनस्वास्थ्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं जयपुर को लिखा जावेगा।

क्र.स.	नाम एफएसओ	मु.सं.	दिनांक से जिरह हेतु लंबित	आगामी तारीख पेशी
1.	रजनीश शर्मा	04/2016	11.05.2016	25.07.2016
2.	रजनीश शर्मा	24/2016	03.10.2016	25.07.2016
3.	रजनीश शर्मा	20/2016	03.11.2016	26.07.2016
4.	रेवंतसिंह भाटी	17/2016	03.11.2016	26.07.2016

अतः उपरोक्त मुकदमात में निहित तिथी को आवश्यकरूप से उपस्थित होवें एवं सरकार का पक्ष/जिरह करें।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

क्रमांकः– न्यायिक/कोर्ट/खाद्य सुरक्षा/2017/ दिनांक :–

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01. आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक जनस्वास्थ्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं जयपुर।
02. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर

अप्रार्थीगण ने पुनः प्रार्थना पेश का एफएसओ को बहस हेतु उपस्थित होने हेतु निवेदन किया। इस हेतु एफएसओ को तलब कर अप्रार्थी के प्रार्थना पत्र दिनांक 28.03.2017 पर बहस की गई। बहस सुनी गई एफएसओ को सुना गया मनन के पश्चात वकील अप्रार्थी द्वारा फूड़ ऐनेलेसिस्ट को माननीय न्यायालय में साक्ष्य हेतु बुलाया जाना आवश्यक नहीं समझती हूँ क्यौंकि वे यदि रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं थे तो उनके पास खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 46(4) के तहत एक माह में डी.ओ. के पास अपील करनी चाहिए थी जो उन्होंने नहीं की। अतः प्रार्थना पत्र की यह मांगी की फूड़ ऐनेलेसिस्ट को साक्ष्य हेतु कॉर्ट में बुलाया जावे खारिज की जाती है तथा एफएसओं को प्रार्थना पत्र की प्रति दी जाकर रिपोर्ट प्रस्तुत करने की हिदायत दी गई। एफएसओ ने दिनांक 25.07.2017 को प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया जिसकी प्रति अप्रार्थी के अधिवक्ता को पेशी दिनांक 27.07.2017 को दी जाकर पत्रावली वास्ते अंतिम बहस रखी गई।

4. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ का जवाब व जिरह के अलावा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वकील अप्रार्थी की बहस सुनी गई जिसमें वकील अप्रार्थी ने लिखित बहस पेश की व तथ्यों को दोहराया। अप्रार्थीगण सं. 1 से 3 के जवाब का अवलोकन किया गया तथा बहस सुनी गई मनन के पश्चात पाया की अप्रार्थीगण 1 से 3 खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 व 52 के दोषी हैं। यदि वे पब्लिक हैल्थ लेबोट्ररी जोधपुर की फूड ऐनेलेसिस्ट रिपोर्ट दिनांक 06.09.2013 के विरूद्ध अप्रार्थीगण अपील कर सकता था। परन्तु बावजुद सूचनार्थ अप्रार्थीगण 1 से 3 ने निर्धारित तीस दिवस की अवधी में धारा 46 की उपराधा 4 के अधीन फार्म संख्या 8 में नहीं की न ही न्यायालय हाजा में बहस हेतु पेश प्रस्तुत हुवे अतः मैं फूड़ ऐनालिसिस की रिपोर्ट से सहमत हूँ तथा अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(2) एवं धारा 51 व 52 के तहत दोषी पाये जाने से अप्रार्थीगण 1 पर रूपये .....अक्षरे रूपये.....व 2 से 3 पर रूपये .....अक्षरे रूपये .....की शास्ति आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थी उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक .....के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।
निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर

क्रमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2017/ दिनांक :–11.09.2017

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर।
02. श्री विजय कांत गौतम, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं जोन जोधपुर।
03. श्री जसराज परिहार पुत्र श्री गणपतलाल परिहार (एफबीओ/मालिक) फर्म राधिका सेल्स एजेन्सी, 5/6 हेवी औद्योगिक क्षेत्र, बासनी, जोधपुर। निवासी 46–ए अशोर्क नगर महामंदिर, जोधपुर।
04. श्री रमेश सिंह रावत, क्वालिटी एश्योरेंस, मैनेजर, नोमिनी, (नोमिनी) मैसर्स हिन्दूस्तान कोकाकोला बेवरेंज प्रा. लि. एस.पी. 39–40 रिको इण्डस्ट्रीयल ऐरिया, कालाडेरा, चौमू, राज।
05. मै. हिन्दुस्तान कोकाकोला बेवरेज प्रा.लि. एस.पी. 39–40, रिको इण्स्ट्रीयल ऐरिया, कालाडेरा, चौमू, राज. (निर्माता फर्म)

2. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाबा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि ड्रिंक पल्पी औरेंज मिनिट मेड प्रत्येक 40 एम.एल. की 8 पैक प्लास्टिक की बोतल के चारों नमूना पैकेट्स को अलग–अलग 2–2 भागों में एडी–136 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस/422/एक्ट/2013/427 दिनांक 06.09.2013 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ मिथ्याछाप होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एडी–136 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाई करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।

3. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। अप्रार्थीगण संख्या 1 बार बार अनेक अवसर देने के बावजूद जवाब पेश नहीं किया अतः अप्रार्थी संख्या 1 जवाब बंद किया गया।

अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 ने जवाब पेश किया जिसमें उन्होने प्रकरण की कार्यवाही में संबंध में अपनी आपत्तियाँ पेश की। जिसका जवाब खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा पेश किया। बाद अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 की ओर से बहस की गई जो निम्न आधार पर खारिज की गई :–

''वकील पक्षकार उपस्थित, प्रारम्भिक आक्षेप प्रार्थना पत्र दिनांक 15.04.2015 एवं एफएसओ के जवाब दिनांक 092.2016 पर विस्तृत बहस सुनी गई। वकील पक्षकार द्वारा मुख्यतः परिवादी संख्या 2 व 3 को मौका नहीं दिए जाने तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेट्री, जोधपुर की फूड एनालिस्ट की रिपोर्ट की खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के रेग्युलेशन 2011 नं. 2.2.2 (5)(।।।) के संबंध में कॉमन नेम लेवल पर देना आवश्यक नहीं होने की बात कही एवं जिसके तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने का निवेदन किया गया।

एफएसओ द्वारा प्रस्तुत परिवाद एवं परिवादी संख्या 1 से 3 को दी गई सूचना एवं प्रस्तुत जवाब दिनांक 09.02.2016 का अवलोकन किया, जवाब एवं पत्रावली में परिवादी संख्या 2 व 3 को दिनांक 04.12.2013 व 06.01.2014 को सूचना दी गई है। परिवादी संख्या 1 को नमूने की जांच रिपोर्ट की सूचना देना ही पर्याप्त है उक्त अवधि के 1 माह के भीतर उन्हें खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 46(4) के तहत डी ओ के समक्ष अपील करनी चाहिए थी जो उन्होंने न की और न ही आवेदन किया तथ एफबीओ को फार्म वीए में लिखित नोटिस दिया गया परिवादी 2 व 3 को पत्र लिखे गए परन्तु जांच हेतु कोई अपील नहीं की गयी तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक (पैकेजिंग एवं लेवलिंग रेग्युलेशन) 2011 के विनियम 2.2.2(5)(।।) के तहत अगर कोई एफबीओ एक्सरनियम बाय रंग एवं फलेवरिंग मेटल काम में लेता है तो इसकी लेबल पर देना जरूरी है।

वकील पक्षकार की बहस, एफबीओ के जवाब व पत्रावली के अवलोकन के पश्चात मै इस विवेचन पर पहुँची हूँ की नमूने की रिपोर्ट की सूचना व परिवादी एक को दी गई व 2 व 3 को भी पत्र लिखा गया जिससे स्पष्ट है कि परिवादी 1 व 2 को नमून की जानकारी हो गई तथा एसी स्थिती में उन्हे एक माह के भीतर अपील हेतु आवेदन किया जाना चाहिए था जो उन्होने नहीं किया। एक माह व्यतीत हो जाने के पश्चात 24.02.2014 को अभियोजन स्वीकृति जारी की गई है, व पब्लिक हेल्थ लेबोरेट्री जोधुपर की फूड एनालिस्ट की रिपोर्ट दिनांक 06.09.2013 से मैं सहमत हूँ जिसके अनुसार निर्माता को पैकेजिंग एवं लेवलिंग रेगुलेशन के तहत सूचना खाद्य पदार्थ के पैकेट पर देना आवश्यक थी जो उन्होंने नहीं दी है ऐसी स्थिती में अप्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 15.04.2015 को आदेश दिनांक 06.05.2016 को खारिज किया गया।''

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 07 / 14

प्रार्थी	**बनाम**	अप्रार्थी
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जोधपुर।		1. श्री जसराज परिहार पुत्र श्री गणपतलाल परिहार (एफबीओ / मालिक) फर्म राधिका सेल्स एजेन्सी, 5 / 6 हेवी औद्योगिक क्षेत्र, बासनी, जोधपुर। निवासी 46–ए अशोक नगर महामंदिर, जोधपुर। 2. श्री रमेश सिंह रावत, क्वालिटी एश्योरेंस, मैनेजर, नोमिनी, (नोमिनी) मैसर्स हिन्दूस्तान कोकाकोला बेवरेंज प्रा.लि. एस.पी. 39–40 रिको इण्डस्ट्रीयल ऐरिया, कालाडेरा, चौमू, राज। 3. हिन्दुस्तान कोकाकोला बेवरेज प्रा.लि. एस.पी. 39–40, रिको इण्स्ट्रीयल ऐरिया, कालाडेरा, चौमू, राज. (निर्माता फर्म)

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 23.08.2013 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी मैसर्स राधिका सेल्स ऐजेन्सी के गोदाम, 5 / 6 हेवी औद्योगिक क्षेत्र, बासनी जोधपुर पहुँच कर निरीक्षण करने दौरान 24 प्लास्टिक पैक में फ्रूट ड्रिंक पल्पी औरेंज मिनिट मेड प्रत्येक 40 एम.एल. की बोतल आम जनता को विक्रय हेतु रखा था। उक्त फ्रूट ड्रिंक पल्पी औरेंज मिनिट मेड प्रत्येक 40 एम.एल. की 8 पैक प्लास्टिक की बोतल नमूना संख्या एडी–136 वास्ते जांच मिलावट / अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के रूपये 199 / – नगद देकर खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है। खरीदसुदा बेसन के लड्डू के चारों पैकेट्स पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड़ व सीरियल नम्बर एडी–136 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एडी–136 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एम–600 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।

फरमाने हेतु निवेदन किया। अवगत करवाया की पैकेजिंग की कार्यवाही निर्माता फर्म 5 से 7 द्वारा किया जाता है। बहस के अनेक अवसर देने के बावजुद भी अप्रार्थीगण 5 से 7 के अधिवक्ता आवाज लगाई जाने के बाद भी अनुपस्थित रहे।

4. पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण सं. 1 से 7 के जवाब का अवलोकन किया गया तथा बहस सुनी गई मनन के पश्चात पाया की अप्रार्थीगण 5 से 7 खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 के दोषी हैं। यदि वे पब्लिक हैल्थ लेबोट्ररी जोधपुर की फूड ऐनेलेसिस रिपोर्ट दिनांक 31.10.2014 के विरूद्ध अप्रार्थीगण अपील कर सकता था। परन्तु बावजुद सूचनार्थ अप्रार्थीगण 5 से 7 ने निर्धारित तीस दिवस की अवधी में धारा 46 की उपराधा 4 के अधीन फार्म संख्या 8 में नहीं की न ही न्यायालय हाजा में बहस हेतु पेश प्रस्तुत हुवे अतः मैं फूड ऐनालिसिस की रिपोर्ट से सहमत हूँ तथा अप्रार्थीगण संख्या 5 से 7 पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(2) एवं धारा 52 के तहत दोषी पाये जाने से अप्रार्थीगण 5 से 7 पर रूपये .....अक्षरे रूपये ..... की शास्ति आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थी उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक .....के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

क्रमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2017/ दिनांक :–

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर।
02. श्री रजनीश शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर।
03. श्री श्यामसिंह भाटी पुत्र श्री उदयसिंह भाटी उम्र 36 वर्ष (एफबीओ/मालिक) फर्म रिलायंस फ्रेश लिमिटेड़, प्लॉट संख्या 24, शिव मंदिर, बालासती राजकीय चिकित्सालय के सामने, जोधपुर। नि. :– ग्राम लोहारकी, तह. पोकरण, जिला जैसलमेर हाल–जोधपुर।
04. श्री अमर गुप्ता पुत्र श्री वी.के. गुप्ता (नोमिनी) मैसर्स रिलायंस फ्रेश लिमिटेड़, प्लॉट नं. 24, शिव मंदिर, बालासती राजकीय चिकित्सालय के सामने, जोधपुर। नि. :– ग्राम लोहारकी, तह. पोकरण, जिला जैसलमेर हाल–जोधपुर।
05. फर्म मैसर्स रिलायंस फ्रेश लिमिटेड़, प्लॉट नं. 24, शिव मंदिर, बालासती राजकीय चिकित्सालय के सामने, जोधपुर।
06. फर्म मैसर्स रिलायंस रिलायंस रिटेल लिमिटेड़, आर.आर.एल. जयपुर वी.के.आई. डिस्ट्रीब्यूटशन, सेन्टर, रिलायंस लिमिटेड़, जयपुर।
07. श्री हरिराम अग्रवाल पुत्र श्री मोहनलाल अग्रवाल, (मालिक/निदेशक) मैसर्स नव हरी फुड प्रोडक्टस प्रा. लिमिटेड़, एफ–210, बिच्छवल इण्डस्ट्रीयल एरिया, राजस्थान, 334006 निवासी–बच्छावतों का मोहल्ला, बीकानेर–334001।
08. श्री मदनलाल अग्रवाल पुत्र श्री मोहनलाल अग्रवाल (मालिक/निदेशक) मैसर्स नवहरी फूड प्रोडक्टस प्रा. लिमिटेड, एफ–210 बिच्छवल इण्डस्ट्रीयल एरिया, राजस्थान, 334006 निवासी–बच्छावतों का मोहल्ला, बीकानेर–334001।
09. फर्म मैसर्स नव हरी फूड प्रोडक्ट्स प्रा. लिमिटेड़, एफ–210, बिच्छवल इण्डस्ट्रीयल एरिया, राज. 334006।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर

जांच हेतु भिजवाये गये जिसकी रिपोर्ट दिनांक 31.10.2014 को खाद्य विश्लेषक द्वारा दे दी गई तत्पश्चात खाद्य निरीक्षक द्वारा दिनांक 08.10.2015 को एक पत्र जरिये रजिस्टर्ड पत्र द्वारा भिजवाने का कथन किया जबकी उक्त रजिस्टर्ड पत्र दिनांक 20.10.2015 को मैसर्स नवहारी फूड प्रोडक्टस, एफ–210 बिछवल इण्डस्ट्रीयल एरिया, बीकानेर राज. 344006 को जरिये रजिस्टर्ड पत्र भिजवाया गया जो कि रजिस्टर्ड पत्र की रसीद से स्पष्ट है एवं इसी आधार पर खाद्य कमिश्नर से अधिनियम की धारा 77 के तहत अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रसंज्ञान लिये जाने हेतु अवधि बढाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है एवं खाद्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए उक्त प्रकरण हेतु समय सीमा 31 जुलाई 2016 तक बढा दी गई। यहां यह उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त प्रकरण समय सीमा में लाने के उद्देश्य से उक्त दर्ज की गई कार्यवाही दिनांक 10.10.2014 के पश्चात दिनांक 10.10.2015 तक पूर्ण करनी थी परंतु खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त कार्यवाही अवधि समाप्त होने के पश्चात दिनांक 20.10. 2015 को रजिस्टर्ड पत्र अप्रार्थी निर्माता को प्रेषित किया जिस पर दिनांक 08.10.2015 उक्त पत्र पर बदनियति पूर्वक अंकित की गई जबकि उक्त पत्र दिनांक 20.10.2015 को रजिस्टर्ड पत्र द्वारा प्रेषित किया इससे स्पष्ट है कि खाद्य सुरक्षा निरीक्षक द्वारा प्रेषित किय गये रजिस्टर्ड पत्र द्वारा बदनियति पूर्वक पूर्वागृह से ग्रसित होकर पत्र पर दिनांक 08.10.2015 अंकित की गई एवं इसी के आधार पर आयुक्त खाद्य सुरक्षा अधिनियम से अवधि बढाने की प्रार्थना की गई जिसे स्वीकार कर आयुक्त खाद्य सुरक्षा द्वारा विधि में उल्लेखित प्रावधानों का उल्लघंन किया है क्योंकि अवधि बाधित प्रकरण हेतु अवधि बढाने की प्रार्थना विधि की मंशा के विरूद्ध होने से ऐसे प्रसंज्ञान की तारीख नहीं बढाई जा सकती एवं ऐसे मयाद बाहर प्रकरण को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है जो विधि अनुसार अगृहय होने से अप्रार्थीगण 1 से 4 के विरूद्ध प्रथम दृष्टया ही खारिज किये जाने योग्य है।

अतः प्रारम्भिक आपत्तियाँ प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त प्रारम्भिक आपत्तियाँ रेकर्ड पर ली जाकर निम्नअ अनुतोष अप्रार्थीगण क्रम 1 से 4 के पक्ष में आदेशित फरमाने की कृपा करावेंः–

(क) खाद्य निरीक्षक द्वारा दी गई रिपोर्ट को अवैध व शून्य प्रभावी घोषित किया जावे।

(ख) खाद्य निरीक्षक द्वारा उक्त रिपोर्ट के आधार पर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को निरस्त किया जावे एवं अप्रार्थीगण के विरूद्ध की गई कार्यवाही को मनसुख फरमाया जावे।

इसी प्रकार अप्रार्थीगण 5 से 7 की ओर से जवाब पेश किया गया कीः–

That the contents of para no. 20 & 21 are not admitted and the order dated 16.05.2016 passed by the learned Commissioner, Food Safety, is a non-speaking order and without due application of mind. Further, the order states no reason for the extension granted for the prosecution, because as per Section 77 of the Act of 2006, no court shall take congnizance of offence under this act after the expiry of one year from the date of commission of an offence. Although, a proviso has been appended to this section which make it mandatory for the Commission of food safety to record in writing, the reason for extension of presecution. Whereas, the order dated 16-05-2016 is a non speaking order and passed without due application of mind because no reason has been stated for grant of extension to launch prosecution after expiry of one year. Therefore, all the proceedings initiated becomes void ab-initio because the statutory and prodedutal compliances were not done. Hence, the order dated 16-05-2016 deserves to be quashed and set aside and the prosecution be dropped against the answering-respondents.

It is, therefore, most respectfully prayed that the complaint filed against the answering-respondents be dismissed with costs and all the proceedings initiated after 10-10-2014 deserves to be quashed, set aside and dismissed.

प्रकरण में बहस के दौरान अप्राथीगण सं 1 से 4 के अधिवक्ता ने उपस्थित हुऐ तथा जवाब तथ्यों को दौहराते हुए पैकेजिंग का कार्य उनके द्वारा नहीं किये जाने के कारण उनके विरूद्ध कार्यवाही को मनसूख

लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एम–600 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।

2. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाबा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि बेसन के लड्डू (रिलायंस उत्सव) के चारों नमूना पैकेट्स को अलग–अलग 2–2 भागों में एम–600 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस/582/एक्ट/2014/634 दिनांक 31.10.2014 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ मिथ्याछाप होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एम–600 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाई करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।

3. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 की ओर से अधिवक्ता ने जवाब पेश किया जो इस प्रकार :–

यह है कि खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1) (जेड.एफ.) (सी) (प्रथम) के अनुसार मिथ्याछाप को परिभाषित किया गया है–

> ➢ Section 3(1)(zf)(c)(i) of food safety styandard act, 2006 state that misbrand food means on article of food it the article contained in the pachage contains an artificial flavoring, coloring or chemical preservative and the package is without a declaratory label stating that fact or is not labeled in accordance with the requirements of this act of regulations made thereunder or is contravention thereof;
>
> उपरोक्त परिभाषा के अंतर्गत उक्त जब्त सूदा बेसन के लड्डू की पैकिंग के संदर्भ में यह उल्लेख करना आवश्यक है कि बेसन के लड्डू प्लास्टिक ट्रे में भरकर उसे कार्डबोर्ड के पैकेट से पैक किया जाता है एवं उक्त कार्डबोर्ड के पैकेट पर खाद्य पदार्थ के संदर्भ में संपूर्ण विवरण अंकित किया जाता है व कार्डबोर्ड का पैकेट प्लास्टिक के रैपर से सिल्ड था इस संबंध में खाद्य निरीक्षक द्वारा उक्त जब्त किये गये लड्डू की जब्ती बनाते वक्त फार्म नम्बर 5–ए में अंकित किया है। इससे स्पष्ट है कि उक्त विक्रय की जा रही खाद्य वस्तु पर बैच नम्बर निर्माण की तारीख, इस्तेमाल की तारीख, निर्मित पदार्थ, इन्ग्रीडियटन्स् की जानकरी अंकित थी जबकि खाद्य निरीक्षक द्वारा जांच करते वक्त भीतरी प्लास्टिक ट्रे जो की लड्डू को सुरक्षित रखने व बिखरने से बचाने हेतु लगाई जाती है जिस पर उक्त सूचनाऐं अंकित नही होने के कारण उक्त अधिनियम व नियम का उल्लघंन माना है जबकि खाद्य सुरक्षा व नियम में कंही पर भी यह अंकित नहीं है कि डब्बे बंद पदार्थ के अंदर मौजूद खाद्य पदार्थ की सुरक्षा हेतु की गई पैकेजिंग पर भी उक्त सम्पूर्ण विवरण अंकित होना आवश्यक है। इस प्रकार अप्रार्थीगण का उक्त मामला उपरोक्त परिभाषा के अनुसार किसी भी प्रकार के उल्लघंन में नहीं आता इस कारण उक्त परिवाद खारिज किये जाने योग्य है।

➢ यह है कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 77 के अनुसार स्पष्ट अंकित है कि किसी भी न्यायालय को अपराध करने की तारीख से 1 वर्ष पश्चात ऐसे अपराध का प्रसंज्ञान लेने का अधिकार नहीं है लेकिन खाद्य सुरक्षा कमिश्नर द्वारा लिखित में देरी होने के कारणों का उल्लेख करने पर उक्त परिधि तीन वर्ष तक बढा सकता है। यहां यह उल्लेख किय जाना आवश्यक है कि अप्रार्थीगण के विरूद्ध मामला दिनांक 10.10.2014 को दर्ज किया गया तथा दिनांक 13.10.2014 को उक्त जब्त सुदा लडडू

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 27 / 16

प्रार्थी	**बनाम**	अप्रार्थी
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जोधपुर।		1. श्री श्यामसिंह भाटी पुत्र श्री उदयसिंह भाटी उम्र 36 वर्ष (एफबीओ / मालिक) फर्म रिलायंस फ्रेश लिमिटेड़, प्लॉट संख्या 24, शिव मंदिर, बालासती राजकीय चिकित्सालय के सामने, जोधपुर। नि. :– ग्राम लोहारकी, तह. पोकरण, जिला जैसलमेर हाल–जोधपुर। 2. श्री अमर गुप्ता पुत्र श्री वी.के. गुप्ता (नोमिनी) मैसर्स रिलायंस फ्रेश लिमिटेड़, प्लॉट नं. 24, शिव मंदिर, बालासती राजकीय चिकित्सालय के सामने, जोधपुर। नि. :– ग्राम लोहारकी, तह. पोकरण, जिला जैसलमेर हाल–जोधपुर। 3. फर्म मैसर्स रिलायंस फ्रेश लिमिटेड़, प्लॉट नं. 24, शिव मंदिर, बालासती राजकीय चिकित्सालय के सामने, जोधपुर। 4. फर्म मैसर्स रिलायंस रिलायंस रिटेल लिमिटेड़, आर.आर. एल. जयपुर वी.के.आई. डिस्ट्रीब्यूटशन, सेन्टर, रिलायंस लिमिटेड़, जयपुर। 5. श्री हरिराम अग्रवाल पुत्र श्री मोहनलाल अग्रवाल, (मालिक / निदेशक) मैसर्स नव हरी फुड प्रोडक्टस प्रा. लिमिटेड़, एफ–210, बिच्छवल इण्डस्ट्रीयल एरिया, राजस्थान, 334006 निवासी–बच्छावतों का मोहल्ला, बीकानेर–334001। 6. श्री मदनलाल अग्रवाल पुत्र श्री मोहनलाल अग्रवाल (मालिक / निदेशक) मैसर्स नवहरी फूड प्रोडक्टस प्रा. लिमिटेड, एफ–210 बिच्छवल इण्डस्ट्रीयल एरिया, राजस्थान, 334006 निवासी–बच्छावतों का मोहल्ला, बीकानेर–334001। 7. फर्म मैसर्स नव हरी फूड प्रोडक्ट्स प्रा. लिमिटेड़, एफ–210, बिच्छवल इण्डस्ट्रीयल एरिया, राज. 334006।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 10.10.2014 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी मैसर्स रिलायंस फ्रेश लिमिटेड़, प्लोट नं. 24, शिव मंदिर, बालासती राजकीय चिकित्सालय के सामने रातानाड़ा, जोधपुर पहुँच कर निरीक्षण करने दौरान बेसन के लड्डू (रिलायन्स उत्सव) के 500 ग्राम के 240 पैकेट्स स्टोर की रैक्स पर आम जनता को विक्रय हेतु रखा था। उक्त बेसन के लड्डू (रिलायंस उत्सव) 500 ग्राम के 4 मूल पैकेट्स नमूना संख्या एम–600 वास्ते जांच मिलावट / अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के रूपये 398 / – नगद देकर खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है। खरीदसुदा बेसन के लड्डू के चारों पैकेट्स पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड़ व सीरियल नम्बर एम–600 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एम–600 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर

3. अप्रार्थीगण से नोटिसा तामिल होकर प्राप्त हुआ। अप्रार्थीगण को अनेक अवसर देने के बावजूद अप्रार्थी द्वारा न्यायालय हाजा में कोई जवाब या बहस हेतु उपस्थिती नहीं दी गई। अतः अप्रार्थी को जवाब बन्द किया जाकर एक पक्षीय आदेश पारित किया जाना उचित रहेगा।
4. पत्रावली का अवलोकन किया गया। मनन के पश्चात पाया की अप्रार्थी पब्लिक हैल्थ लेबोट्ररी जोधपुर की फूड ऐनेलेसिस रिपोर्ट दिनांक 16.02.2016 के विरूद्ध अप्रार्थीगण अपील कर सकता था। परन्तु बावजुद सूचनार्थ अप्रार्थी ने निर्धारित तीस दिवस की अवधी में धारा 46 की उपराधा 4 के अधीन फार्म संख्या 8 में नहीं की न ही न्यायालय हाजा में अपना जवाब या बहस पेश प्रस्तुत की अतः मैं फूड़ ऐनालिसिस की रिपोर्ट से सहमत हूँ तथा अप्रार्थीगण खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(2) एवं धारा 52 के तहत दोषी पाये जाने से अप्रार्थी पर रूपये .....अक्षरे रूपये .....की शास्ति आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थी उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक .....के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।
निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

क्रमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2017/ दिनांक :–

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर।
02. श्री राजेश टींकर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वा. स्वास्थ्य सेवायें जोधपुर जोन।
03. श्री परमानन्द पुत्र श्री भगवानदास सिन्धी उम्र 51 वर्ष (एफबीओ/मालिक) फर्म मैसर्स भगवानदास एण्ड सन्स, गोपाल पोल, उम्मेद चौक, जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Kavia
Date: 2019.08.21 15:47:58 IST
Reason: SelfAttested
Location: